Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Print) : 2350-0441

SJIF - 4.076

Shodh Chetna

A Peer-Reviewed International
Reffered & Multifocal Research Journal

Year : 6 **Jul. to Sep. 2020** **Vol - 3**

ADVISORY BOARD

- Prof. V.P. Upadhayay *(Punjab University, Chandigarh)*
- Prof. Safat Ahmad *(SHUATS, Naini, Prayagraj)*
- Prof. L.C. Chaudhary *(Principal Scientist, IVRI, Barellei)*
- Prof. Sanjay Shanker Mishra *(TRS College, Rewa)*
- Prof. R.K. Singh, Prog. Coordinator *(KVK Barellei, Govt. of India)*
- Prof. S.P. Singh *(CM.P. Degree College, Prayagraj)*
- Dr. Dinesh Singh *(Education, UPRTOU, Prayagraj)*
- Prof. Ashok Kumar *(Floriculture, NDUAT, Kumarganj, Ayodhya)*
- Dr. Surya Narayan Gautam *(Shri JJT University, Jhunjhunu, Raj.)*
- Shri Ajay Srivastava *(State Central Library, Rewa)*
- Prof. D.N. Triapthi *(D.S. College, Aligarh)*
- Dr. Ram Dhani *(Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)*

EDITORIAL BOARD

Chief Managing Editor
Sushil Kumar Kushwaha
Mob. : 9532481205
e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor
Harsh Kushwaha, Prayagraj
R.L. Vishwakarma, Rewa

Editor
Dr. Sheetla Prasad Verma
Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj
Mob. : 9415645164

Sub Editors

1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh, Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh (Shri JJT Univ., Jhunjhunu, Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa)
6. Dr. Dilip Singh (CMP Degree College, Prayagraj)
7. Dr. Gaurav Patel (Asstt. Prof. Law, CMP Degree College, Prayagraj)
8. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
9. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa)
10. Dr. Sudha Soni (Govt. Girls Degree College, Rewa)
11. Preeti Vishwakarma (Govt. Bapu College, Nouganw, Chhatarpur, M.P.)
12. Dr. Jeetendra Kumar Pandey (Govt. College Nashtigawan), Rewa (M.P.)

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित। प्रधान संपादक : सुशील कुमार कुशवाहा, (Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com website : www.shodhchetna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

G.H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com | website : www.shodhchetna.com

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III –खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity/	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education / Physical Education/Commerce /Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than Research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08

	(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning padagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new carricula and courses	02 per curricula/course	02 per carricula/course
	(c) MOOCs		
	Development of complete MOOCs in 4 quadrants (420 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)	20	20
	MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture	05	05
	Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02	02
	Course Coordinator for MOOCs (4 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit)	08	08
	(d) E-Content		
	Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e-book	12	12
	e-Content (developed in 4 quadrants) per module	05	05
	Contribution to development of e-content module in complete course/ paper/e-book (at least one quadrant)	02	02
	Editor of e-content for complete course/paper/e-book	10	10
4.	**(a) Research guidance**		

For Guidelines & Membership Fee Authors/Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

website : www.shodhchetna.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

LIST OF REVIEWERS

1. Prof. K.P. Chaudhary, Ag. Ext. (Aijol)
2. Dr. Vineet Verma, Mathematics (Lucknow)
3. Dr. Vikram Singh, Agronomy (Prayagraj)
4. Dr. Amitabh Dwivedi, Zoology (Prayagraj)
5. Dr. Sunil Chandra, Soil Science (Prayagraj)
6. Dr. Ramesh Chandra, Dairy Technology (Prayagraj)
7. Dr. Surya Narayan, Horticulture (Prayagraj)
8. Dr. Aradhana Kumari, History (Prayagraj)
9. Prof. Parvati Singh, H.Sc. (Prayagraj)
10. Dr. Praveen Singh, Chemistry (Prayagraj)
11. Dr. Aizaz Ahemad, Social Convention (Prayagraj)
12. Dr. Arvind Verma, Agriculture Engg. (Mathura)
13. Dr. A.K. Verma, Animal Nutrition (Bareliy)
14. Dr. Saleem Uddin, Genetic & Plant Breeding ()
15. Dr. Sikha Verma, Education (Ayodhya)
16. Dr. Sandeep Kashyap, L.P.M. (Sant Kabir Nagar)
17. Dr. A.K. Roy, Agri. Eco. (Prayagraj)
18. Dr. J.P. Verma, Economics (Lucknow)
19. Dr. Faizan, Political Science (Badaun)
20. Dr. Dinesh Kumar Patel, English (Badayun)
21. Dr. Mansa Ram Verma, Sanskrit (Gonda)
22. Prof. Gyan Prakash Verma, Commerce (Varanasi)
23. Dr. P.K. Pachauri, Physical Education (Prayagraj)
24. Dr. VIkram Singh, Physics (Prayagraj)
25. Dr. S.K. Tripathi, Agri. Chem. (Prayagraj)
26. Dr. Ratan Kumari Verma, Hindi (Prayagraj)
27. Dr. Deena Nath, Hindi (Prayagraj)
28. Dr. Vinay Kumar Patel, Sociology (Bareily)
29. Dr. Manvendra Verma, Defence Studies (Prayagraj)
30. Dr. Hanuman Prasad Gupta, Law (Prayagraj)
31. Dr. R.B. Singh, Statistics (Merrut)

Our New Life Member

- Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajasthan
- Kulbhashkar Ashram P.G. College, Prayagraj
- International Federation of Astrology and Spiritual Science Regd. & Recognised by Govt. of India and Sri Lanka.

अनुक्रम

1.	**Trans-politics and the Contemporary Mainstream Hindi Cinema** Dr. Kuhu Sharma Chanana	**9-15**
2.	**समाजिक स्वास्थ्य संतुलन : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य एवं प्रासंगिक** डॉ. राकेश कुमार यादव	**16-22**
3.	**ई-शासन का समाज वैज्ञानिक विश्लेषण** जितेन्द्र गिरि	**23-26**
4.	**बघेलखण्ड में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति** डॉ. सुधा सोनी, प्रीती ताम्रकार	**27-30**
5.	**भारतीय बैंकिंग अर्थव्यवस्था में बैंकों का विलय-परिप्रेक्ष्य एवं संभावनाएँ** डॉ. कुँवर सिंह, ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह	**31-37**
6.	**भारतीय जनता पार्टी घोषणापत्र-1999 का एक विश्लेषण** डॉ. आशीष कुमार यादव	**38-43**
7.	**राष्ट्रीय राजनीति और स्वयं सेवक संघ** विवेक कुमार सिंह	**44-48**
8.	**स्त्री-पुरुष अवधारणा : राजेन्द्र यादव की कलम से** डॉ. आशुतोष कुमार द्विवेदी, अंजना सिंह	**49-53**
9.	**Challenges and Qualities of a Good Teacher** Dr. Ram Pratap Saini	**54-56**
10.	**राजनीति कविता के अग्रणी कवि : रघुवीर सहाय** डॉ. सुशील ब्यौहार	**57-59**
11.	**भारत में धर्मनिरपेक्षता : परम्परा एवं चिंतन** महेश कुमार चोबदार	**60-65**
12.	**राजीव गाँधी जलग्रहण मिशन एवं ग्रामीण विकास** (रीवा जिले के सिरमौर विकास खण्ड के सन्दर्भ में), डॉ. उमेश कुमार तिवारी	**66-71**
13.	**सिंगरौली जिले के बैगा जनजाति का शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन** डॉ. आर.पी. सिंह, श्यामलाल साकेत	**72-78**
14.	**Study on Factors Affecting the Employee Engagement with special reference to Pharmaceutical Marketing Professionals in Allahabad** Malay Tiwari, Dr. Rajiv Dubey	**79-87**
15.	**छत्तीसगढ़ के परंपरागत संचार माध्यम एवं उनका सांस्कृतिक विश्लेषण (बिलासपुर जिले के सन्दर्भ में)**, सुहाली जैन, डॉ. गुरू सरन लाल	**88-92**
16.	**गठबन्धन की राजनीति : सामान्य परिचय** डॉ. उपमा सिंह, सुनील वर्मा	**93-99**
17.	**कोरोना : एक वैश्विक महामारी संबंधी रोग (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)** डॉ. सुभान सिंह बघेल, सुजीत सिंह चौहान	**100-102**
18.	**भास के नाटकों में कृष्ण परक दर्शन का स्वरूप** डॉ. अंजू सिंह	**103-109**
19.	**Central Government of India in respect of Disaster Management MP Overview** Smt. Nisha Pandey	**110-117**

20. **जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का मूल्यांकन (सीधी जिले के विशेष संदर्भ में),** डॉ. अखिलेश कुमार गुप्ता 118-124

21. **कोविड-19 का स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाल प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (शहडोल जिले के विशेष सन्दर्भ में)**, श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, राजीव कुमार श्रीवास्तव 125-129

22. **सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम म रीवा जिले के संग्राम सेनानियों का योगदान** 130-135
रश्मि सिंह चौहान

23. **गोंड जनजातियों की सामाजिक एवं भौगोलिक समस्याए (सिंगरौली जिले के विशेष संदर्भ में)** 136-141
डॉ. आर.पी. सिंह, श्याम लाल साकेत

24. **Corona-A world Pandemic diseases with Particular reference to Rewa District MP** 142-144
Dr. Ashish Dwivedi

25. **Gandhi on Health and Sanitation** 145-149
Dr. Bhavana Pandey, Miss Sinsupa Dwivedi

26. **अध्यात्म और स्वयंप्रभा** 150-151
डॉ. बृजेश नाथ ओझा, पूजा शर्मा

27. **लोकायुक्त संगठन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** 152-157
उत्तम कुमार आर्य, डॉ. राजाराम मिश्र

28. **Depiction of Society in the Novels of Bhabani Bhattacharya** 158-160
Pradeep Kumar, Dr. A.K. Mishra

29. **महाकाव्य परम्परा में श्रीभार्गवराधवीयम** 161-166
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी, संतोष कुमार तिवारी

30. **Role of Social Work Intervention and COVID-19 Pandemic: A Holistic Perspective** 167-171
Dr. Rupesh Kumar

31. **महिला सशक्तिकरण और बाल विकास एवं पोषण** 172-176
डॉ. विभा सिंह

32. **Impact of Tourism on Environment** 177-184
Dr. Ranjeet Kumar, Pawan Kumar

33. **आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से महाव्याधियों (कोरोना आदि) तथा व्याधियों के कारण एवं चिकित्सा सूत्र,** डॉ. कुशल प्रसाद शास्त्री, रामायण प्रसाद तिवारी 185-193

34. **महिला सशक्तीकरण एवं आत्मनिर्भरता** 194-197
डॉ. राजकुमार शुक्ल

35. **A Comparative Study of Gender Differences in Work Stress and Burnout among University/College and School Terchers** 198-204
Anjali Mishra

36. **The Image of Angry Young Man in the Plays of John Osborne with Special Reference to"** (Look Back in Anger, The Entertainer, Inadmissible Evidence) 205-212
Sushma Dwivedi, Dr. R.P. Ojha

37. **वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी दर्शन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन सत्य एवं अहिंसा के सन्दर्भ में** 213-219
डॉ. गुरुनाम सिंह, रूबी वर्मा

38. **अवधी साहित्य में राम का सांस्कृतिक परिवेश** 220-223
डॉ. ऊषा तिवारी, डॉ. आशुतोष कुमार द्विवेदी

39. **''वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति''** 224-228
अनामिका पाण्डेय

40. Gender based violence in Educational Institution : A Comprehensive Study **229-234**
Harshita Vijayvargiya, Sakshi Chouksey, Yash Singh Sisodiya

41. ''युवा पीढ़ी : नशे की लत में भविष्य'' **235-237**
नीता कुमारी

42. ''प्रारम्भ कालीन शोध और मानव-जीवन में शोध का महत्त्व'' **238-242**
सुलेखा मिश्रा

43. ''वर्ग, जाति एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कबीर'' **243-247**
सरस्वती वर्मा

44. Acid attacks **248-260**
Vishnu Pati Tripathi

45. ''सन्जीव के उपन्यासों में पात्रों का वर्गगत संघर्ष'' **261-265**
राजेश कुशवाहा

46. ''ब्रह्माण्ड का दिव्य नर्तन'' 'नटराज' **266-268**
अवनी चौधरी

47. जीवन वृत्ति के रूप में विक्रय **269-272**
शालिनी सिंह परिहार

48. कृषि उत्पादों के परिष्करण का विश्लेषणात्मक अध्ययन **273-278**
दीपशिखा तिवारी

49. A Subaltern Study of ARUNDHATI ROY'S The God of Small Things **279-285**
Vilas Balajirao Bhandare

50. PHYSICAL SCIENCE (TE01 mode in optical fiber) **286-288**
Dr. Dinesh Kumar

© *Publishers*

Processing Fee : **Rs. 1500.00**

Single Copy **Rs. 250.00 (Individual)**

Annual (4 Issues) **Rs. 1000.00 (Institution)**

Life Member Fee (Individual) **Rs. 5000.00**

Life Member Fee (Institution) **Rs. 7000.00**

Mode of Payment :
DD/Cheque/Cash should be sent in favour of

G. H. PUBLICATION
Union Bank of India
Chowk, Allahabad-211 003
A/c. No. 394301010122432
IFSC-UBIN 0539431

Special Appearence
R.L. Vishwakarma, Rewa
(Mob. : 9827262820)

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

Trans-politics and the Contemporary Mainstream Hindi Cinema

❒ Dr. Kuhu Sharma Chanana*

Indeed with the introduction of the "Rights of Transgender Persons Bill 2014"as initiated by Tiruchi Siva, there has been an assurance in terms of providing the equal rights and entitlements to transgenders and assigning the status of an equal citizen to them. This bill categorically and in very strong words talks about equality and non-discrimination, protection of the rights of the transgender children, rights to life and personal liberty, right to live in community, protection from abuse, violence and exploitation, rights to home and family and freedom of speech. It also lays emphasis on the constitution of The National Commission for Transgender Persons and special transgender rights courts. The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016 was introduced in Lok Sabha on August 2, 2016 by the Minister for Social Justice and Empowerment, Mr. Thaawarchand Gehlot. However the problem in this bill is that it has not given a very inclusive and fluid definition of a transgender person: "The Bill defines a transgender person as one who is (i) neither wholly female or male; (ii) a combination of female and male; or (iii) neither female nor male. Such a person's gender does not match the gender assigned at birth, and includes trans-men and trans-women, persons with intersex variations and gender-queers" (http://www.prsindia. org/uploads/ media/ Transgender/Bill%20 Summary %20-Transgender%20 Bill%20 2016.pdf). There has been an outcry regarding the issue of self identification and the definition of transgender person which indeed is not as expansive as the trans-activists might like it to be as the cultural connotations and multiple convoluted trans identities that are all pervasive within the transgender communities do not find the space within the ambit of this definition.

But despite these counter arguments it is safe to assume that the Supreme court's recent judgment, because of which transgenders are now recognized as third gender and they should be able to assert their citizenship rights, is a path-breaking judgment in terms of transsexual revolution. But as Steven Sideman affirms that the citizenship right definitely provides state protection but as every right is fraught with responsibilities, it will be interesting to excavate as what will be the expectations of the state vis-a-vis transgenders' contribution towards the nation. But can this affirmative stance taken by the state mitigate the social and cultural stigma attached with hijras because in the cultural memory of people hijras are associated with criminality due to the imposition of The Criminal Tribes Act of 1871 (now abolished). This act was amended in 1897 and was subtitled as 'An Act for the Registration of Criminal Tribes and Eunuchs'. However despite its abolishment, the cultural and social implications of this act can be seen even in today's time as Mahesh Dattani asserts in *Seven Steps around the Fire*:"The two events in mainstream Hindu culture where their presence is acceptable—marriage and birth—ironically, are the very same privileges denied to them by man and nature. Not for them the seven rounds witnessed by the Fire God, eternally binding man and woman in matrimony, or the blessings of 'May you be the mother of a hundred sons'"(239-240). Significantly it is not a matter of great surprise that Manevendra Singh, the first open gay from a royal family who has fought incessantly for the rights of the queers, narrates how the queers in a royal family have been most derogatorily called hijras instead of gays or lesbians as being a hijra is considered the worst and the most marginalized identity even within the

* Associate Professor English, Swami Shradhanand College, New Delhi

queer community. To quote his words: “Growing up in royal family has made me come across many royal members who have been lesbians and gays but termed as hijras by my own family members and I use to wonder as how can Maharaja (the ultimate symbol of ‘ultra male’) be a hijra”(in an unpublished interview given to me).

This paper attempts to build the linkages between the art and trans politics and how this mutually symbiotic relationship can be helpful in making important interventions in policy making. Apropos of the issue of the role of art in social activism , Revathi made a pertinent observation. The protests through writings against the unfair treatment meted out to gender queers have been an integral part of the queer activism and Revathi in her latest autobiography, *A Life in Trans Activism* has in fact clearly affirmed that after spending so many years in NGOs she has realized that art is a much more powerful vehicle for social change. To quote from the text: “Their reactions touched me. I feel humbled. Despite having worked for over a decade at Sangama, I felt that art has a powerful and far greater reach and appeal than NGO work. I developed a newfound respect for its role as an instrument of social change”(123).But unfortunately even within the queer academic and artistic explorations, hijras have not been much represented. Their position both as gender and sexual minority has made them stand at the lowest order of the already marginalized LGBTQI community.

I am trying to catalogue the issues of citizenship rights, the inclusion of trans- gender persons in politics, trans rape, transphobia and transfeminism through cinematic representations of trans- identities and for this purpose I have included movies, such as *Tammana*, *Dayarra* and *Darmiyyan*.

***Darmiyaan*: Exposing and Hiding of Sexual Dysphoria and Trans-Rape.**

The story of *Darmiyaan* (1997) revolves around the ageing, out of work, alcoholic actress, Jeenat and her *hijra* son, Immi, to whom Jeenat falsely projects as her brother and not son. Immi’s first moment of transgression comes in a clichéd manner when the young kids in a jocular fashion stands in row to urinate and the game happens to be as who can urinate to the maximum far end(again assertion of heteropatriarchal marker). In this game every one pees standing except Immi who sits and pees. To whichhis fellow play mates ask as why is he urinating like a girl and then they start shouting: “*Immi ki tau llul nahi hai*” (Immi does not have a penis).This moment of disclosure brings immense shame and embarrassment in the heart of Immi. However this age-old method of discerning a male from a female comes under heavy scrutiny by the trans-feminist critics like A. Finn Enke. She contends: “For most of my life time the DSM has used ‘rejection of urination in a sitting position’ or ‘desire to urinate from a standing position’ as one criterion towards the diagnosis of Childhood Gender Identity Disorder, but only when it occurs in children with vulvas; neither the desire nor the behavior are diagnostic when they occur in children with penises, because such children presumably *naturally* urinate standing up” (241). Thus on the one hand it is an age old method of exposure of trans-identity, but on the other it also gives a backhand support to the regressive notion of determining the gender on the basis of the position of urinating(whether standing or sitting) that has been heavily criticized by the critics like Enke as mentioned above.

Unlike Tikku in *Tamanna*, Immi’s usefulness for the family structure comes in the form of taking care of her eccentric wayward mother and doing all possible things to retain the family structure. He is rendered throughout as a useless entity by others but he is the one who tries to bring work for her self-destructive mother. He also tries to work as a hijra to earn money much against his own wishes. Despite all his immense efforts to be economically viable, he is never recognized as an able-bodied useful citizen or family member. The movie also brings to light the issue of trans rape. Till very recent times hijras were not considered legitimate citizens as third gender was not the accepted category and their legal position was quite dubious. When Immi got raped, there is no effort by him to lodge a police complaint because he knows the outcome. The issue of the trans-rape has always been swept under the carpet. It is imperative here to quote the infamous case of Kokila, 21 year old hijra from Bangalore who has been sexually harassed at a police station. The ‘trans panic’ has always been the justification for inflicting such brutality. According to Sangma report, “The Police also burned her nipples and *chapdi* (vaginal portion of hijras) with a burning

coir rope. One policeman of the rank of SI (Sub-inspector of Police) positioned his rifle on her *chapdi* and threatened to shoot her. He also tried pushing the rifle butt and *lathi* into the *chapdi* and saying: 'Do you have a vagina, can this go inside' while other policemen were laughing.This is to humiliate a transsexual woman by insisting that she is not a woman as she was not born with a vagina" (http//ai.eecs.umich.edu/people/Conway/TS/PUCL/ PUCL5 20 Report.html.).Thus because a trans-woman or man is not a full woman or man, they are seen as a source of ludicrousness and therefore the atrocities committed on their bodies are viewed not as acts of violence but a result of trans-panic. No stringent action has been taken against the violators of the transbody and the rape scenes in the movies like *Bol* and *Darmiyaan* fully bear witness to it. Thus the much invisibilised issue of trans rape has been effectively addressed in these movie.

Trans-Feminism in *Tamanna*(1997) and *Daayraa*(1996)

An interesting aspect of these movies is that the term trans-feminism is re-defined here in a very different context. Critics like Emi Koyama defines trans feminism as a "a movement by and for trans women who view their liberation to be intrinsically linked to the liberation of all women and beyond"(http://eminism.org/readings/pdf-rdg/tfmanifesto.pdf). It adds a unique tangent to feminism as well where it is closely linked with the straight allies. Thus in its purview not only trans women are absorbed but also FTMs(female to male) have been included. Also this variety of trans-feminism bridges the gap between feminism and lesbianism as they have a prolonged history of scuffle specially in the Indian context which has been documented by Maya Sharma in *Loving Women.* The Indian feminists for long have resisted the inclusion of lesbians in the core feminist manifesto citing the reasons that the more pressing concerns like the issues of poverty among women and access to resources need to be catalogued and sexual preference of a woman for a woman was certainly not a priority. Secondly the so-called mainstream feminists were scared that it could fragment the movement as many straight feminist did not like to be associated with the queer politics. Maya Sharma affirms: "The stand that lesbian issues and lesbians themselves not be made publicly visible within the women's movement has been based on the following arguments: it is for the greater good of the movement; the presence of the lesbians (since they are unacceptable publicly) will fragment whatever collectivity has been established over the years, fewer women will associate with the movement, fewer groups will participate, and mainstream and state support will be seriously compromised"(25).

Thus this more inclusive form of trans-feminism not only bridges the gap between feminism and queer identities but also widens the constituencies of feminism. It adds various tangents to it. Hence it is a mutually beneficial trajectory for both feminists and transgenders as it not only mitigates the phobic gaze of feminists towards other queer identities like the much neglected lesbians but also helps in forming the bridge between trans identities and lesbians as lesbians still hold much privileged position as compared to the trans identities within queer activism. Thus at one level the trans-feminism works as a catalyst for colluding feminism and lesbianism and at another it also helps the coalition politics of transgenders and lesbians. So this step-sisterly treatment meted out to both transgenders (within queer culture) and lesbians(within feminism) gets mitigated somewhat through this kind of coalition politics. Interestingly the whole idea of ' femininity' also comes under scrutiny when viewed through the lens of trans-feminism because unlike women 'femininity' in transsexuals is hugely punished as has been documented by Diana Courvant in "Thinking of Privilege". This kind of misogyny has been referred by Julia Serano as 'transmisogyny' in *Whipping Girl, A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity*. Maya Sharma also talks about the phobic feminist gaze towards queers. Globally there are feminist activists like Mary Daly, Janice Raymond and Shelia Jeffreys who speak about the depletion of energy and resources through transfeminism. It is significant to note here as how the Michigan Womyn's festival became a tangible site for this kind of biases when the festival excluded a transsexual woman , Nancy Burkholder and maintained that it was exclusively for 'womyn-born-womyn' only. This kind of stand has been vociferously rejected by feminists like Dworkin in her book, *Woman*

Hating. In this light when Tamanna sees Tikku in a female attire and gets disgusted by the exposure of his hijra identity, it creates that typical transmisogynist site and lays bare the dangers of not collating feminism with transgender activism. The moment she discovers that he is a hijra, there has been such hatred and phobia in her gaze that even before she could utter a single word the reverse tanspanic strikes Tikku and he starts running away from her and hides himself in a dark garage and comes out only after a lot of cajoling. The moment he comes out in his hijra attire she asks him about his identity. To which her uncle Salim Chacha replies that he is her father. She retorts back vehemently saying that he cannot be his father and rather she feels nauseated at the thought that this man has ever touched her and fed her. However unable to bear Tikku's insult Salim looses his patience and tells her that Tikku has picked her up from a dustbin where she has been thrown by her patriarch father. And as the story progresses Tamanna realises as how Tikku has been instrumental in saving her from the onslaught of patriarchy and together they collate to annihilate the vicious foundations of patriarchy. This scene is followed by a very symbolic scene of worshipping of *Kali mata*. In this sense to view *Tamanna* only as a simplistic narrative of hijra empowerment is a monolithic way of understanding this movie as it at a deeper level lays bare the issues of transmisogyny, friction between feminism and transfeminism and the power of colluding feminism with transfeminism. Transmisogyny is at times initiated by women as well and that is the saddest aspect of this whole issue. Describing the penetrative and insidious effects of transmisogyny and cataloguing it not as an exclusive trans issue but as a feminist issue quoting Julia Serano, A. Finn. Enke affirms that transmisogyny "provides greater nuance to the misogyny that judges all expressions of femininity as artificial, frivolous, manipulative, and less valuable. Trans-misogyny, more specifically, de-legitimates trans-people who are on the trans-female/feminine spectrum of gender identity and expression. In feminist and many queer contexts ranging from all female conferences to privileged institutions such as the Association for Women in Psychology, trans women are shunned as 'doubly artificial, because we are trans and because we are feminine'. Serano suggests that all femme and femininely identified and feminist people need to develop alliances around the value and power of femininity even while challenging the compulsory femininity that confronts virtually all people assigned female at birth. Transmisogyny is an essential element of misogyny in general; by the same token, transmisogyny is not specially a 'trans' issue but , more broadly , a feminist issue. Rather than being outsiders, people on trans-feminine spectra are inherent and necessary to the 'community' invoked in the name feminist"(www. temple.edu/ tempees/chapters-1800/ 2173-Ch1.pdf).

Another bias faced by the transfeminists within the feminist circles is that MTFs (male turned into female) are considered to be privileged on account of their initial socialization as males and those who are FTM(female to male) are considered traitors on account of appropriating male privileges. However this assumption is fraught with serious misreading of the situation of a gender variant who is always at a disadvantageous position as compared to someone who has a clear-cut gender identity. Apropos of this Emi Koyama contends: "What is happening here is that we often confuse the oppression we have experienced for being gender-deviant with the absence of the male privilege. Instead of claiming that we have never been benefited from male supremacy, we need to assert that our experiences represent a dynamic interaction between a male privilege and the disadvantage of being a trans. Any person who has a gender identity and/ or inclination towards a gender expression that match the sex attributed to her or him has a privilege of being non-trans. This privilege like other privileges is invisible to those who possess it. And like all other privileges, those who lack the privilege intuitively know how severely they suffer due to its absence. A trans-woman may have limited access to male privilege depending on how early she transitioned and how fully she lives as a woman, but at the same time she experiences vast emotional, social and financial disadvantages for being a trans. The suggestion that trans women are inherently more privileged than other women is as ignorant as claiming that gay male couples are more privileged than heterosexual couples because both partners have male privilege"(http://eminism.org/readings/pdf-rdg/tfmanifesto.pdf). In this light it is pertinent to note

that despite the initial transmisogyny shown by the heroine ultimately both Tamanna and hijra Tikku form an alliance to fight against patriarchy.Whereas despite all claims of progressiveness by the Western world in the movie, *The Crying Game* both the trans-woman and another woman Judy are pitted against each other.Both the trans-woman and woman hate each other to the core and in fact Judy tries to kill Dil and Dil also tries to shoot Judy. This is in fact a victory of patriarchy against feminism and trans-liberation. As opposed to this, the progressive and affirmative stance taken by the maker of *Tamanna* is quite obvious and remarkable.

Also *Tamanna* is an extremely progressive movie because it annihilates the notion that hijras are useless as reproductive bodies. The Indian society valorizes reproduction to the extent that in the *Arthashastra*, as Giti Thadani referred in *Sakhiyani*, it has been stated that "Even within the heterosexual arrangement, if a man does not have sex with his wife after menstruation, this is seen as killing the fetus or developing embryo"(57). And anybody who is assumed to be worthless as a reproductive tool has been vociferously denounced. Thus when hijra Tikku takes the role of a parent and the biological father is deemed useless as he throws away the child, there is a definitive paradigm shift vis-a-vis parenting and the trans-body. Tammana, who has been initially shown as a mouthpiece of societal prejudices, questions Tikku's authenticity as a father. To quote from the film:

Tamanna: Who is he Salim Chacha?

Salim Chacha: He is your Abbu (father).

Tamanna: He can not be my Abbu (father). How can he be my father? I can not be his daughter? Salim Chacha everyone is lying. He just cannot be my father.

She further denounces his role as a father by saying:

"I feel nauseated that this man has ever touched me. I feel disgusted that he has ever touched me. My father…my father cannot be like him. This man !this man! This man is a hijra.

To this Salim Chacha slaps her and Tikku starts crying. After that Salim asks rhetoric questions and vehemently chides. He asks Tikku:

You are scared of her? She can never repay your debts.

Then he turns to Tamanna and asks: Oh you are disgusted! Really disgusted. Lower ! your eyes immediately. Why do you not have boils in your tongue while calling him a hijra? No real father can do what he has done for you. Your so-called real parents have left you in a dustbin. He has picked you up. We all have told him to give you away to a police station and orphanage but no, he has kept you close to his heart so that you can sleep. He lived barefooted and hungry so that he can feed you Tamanna. He has kept on dancing as a hijra so that Tamanna can be sent to an English school. If he is a hijra then shame on all of us who claimed to be a so-called real man.

Interestingly it also raises the issue of alternative family structure. At the very start of the movie, Tikku has been shown as a dutiful son to an ailing and half-insane actress. Though he has been shown as an illegitimate son, yet he proved his legitimacy as a hijra son by looking after his mother incessantly. Thus it indubitably problematises the issue of the illegitimacy or legitimacy of hijras as normative sons. He also refused to demean his half brother who usurped his share of paternal property which Tikku only wanted in order to get Tamanna married. This also exhibits him as a self-sacrificing family man and reconstitutes a hijra's position in a family structure as a positive force instead of a negative one. This movie effectively portrays a hijra's acceptance not only in a normative family but also the kind of alteration his/her existence can bring in that family fold. Interesting to note that this movie was made in the year 1990 when the popular culture unlike today was still not ablaze with the mainstreaming of hijra identity in heteropatriarchal household structures. Even today the news of a transgender person performing the last rituals of his/her father gets widely circulated and got published in the newspapers like Hindustan Times (http://www.hindustantimes.com/india-news/gujrat-transgender-woman-performs-last-rites-of-father/story-yIMCBNktbjGI97jry9ILKK.html). On 21.6.2016 a 55 year old transgender woman, Puja performed the last rites of her 100 year old father in Gujrat's Panchmahals district and it went viral. As it appears to be one of the rare occasions when there is an acceptance of a trans identity in a family fold at a major event like death. In this light Tikku's acts of performing death rituals of his mother, nurturing Tamanna as a father when her own biological father left her and forgiving his own brother for usurping his

share in the family property, indubitably make *Tamanna* a movie way ahead of its times in terms of mainstreaming of a hijra and exhibiting him/her as a positive force in a normative family. It coevals with the central concern of the film and that is the demystification of the phallic superiority.

Also *Tamanna* shows the issues of internalized transphobia effectively. When Tikku makes it a point to stay away from hijras and refuses to wear female clothes and spurns them, one of the hijras tells him that he is shunning them but when it comes to saving Tamanna from the clutches of the oppressive world, they will be the ones who would be helping him. And their words prove prophetic because later on it is the same group of hijras that helps Salim in saving Tamanna from the goons sent by her patriarchal father. Later Tikku has been shown participating in a hijra dance clad in *saris* and a certain kind of acceptance of his hijra identity and mitigation of internalized transphobia takes place.

Tamanna is also significant for its implicit mixing of trans-feminism with queer activism. The bond of male friendship between Tikku and Salim bordering onto subtle romance at the backdrop of co-parenting presents an overlap between a gender and sexual deviant. The queer dynamics of this movie and the disruption of the coding of 'masculine' and 'feminine' have been demonstrated by Ruth Vanita in her essay, "Social Deviant, Disabled Victim or Normative Human Beings?: Love Rewrites the Plot in *Dosti* and *Tamanna*". To quote her words: "Throughout the film, Salim functions as the sensible counterpart of the overemotional Tikoo. The implicit masculine-feminine coding here, the bearded, silent and gruff Salim supporting the long-haired, dramatic, often hysterical Tikoo is clearer…Tikoo's emotion, which initially marks him as 'not-man', or non-male, also ultimately marks him as the true 'man', and this is accomplished by rewriting 'man' not as 'masculine' but as 'human'(*Gandhi's Tiger and Sita's Smile*: *Essays on Gender, Sexuality and Culture* 185-86). Also commenting on the use of parenting as a device to make the latent homoerotic tension present between the two men acceptable to the larger heterosexual world Ruth contends: " The parenting device in *Tamanna* thus works as a safety device, deflecting possible anxiety about the homosexual implications of the two men's relationship … Salim and Tikkoo are not shown sharing a house or a bed (though we have always seen them together and Tikkoo says he often sleeps at Salim's house) nor do they sing songs about their love for each other. Their relationship is played out through co-parenting; their conflicts and bonding arise from the parenting experience. It constitutes the intensity of their relationship and establishes their love as normative and them as ideal men. In this, too, it is typical of many, perhaps most Indian male-female marriages, where co-parenting is the glue that bonds couples"(Ibid. 187).

Since the mainstream Hindi cinema is largely consumed by the heterogenous audience, the outcome of these hijra or trans movies is highly porous. As Gopinath talks about the destabilizing potential of the spectator strategies. The all encompassing fluidity of the transgender studies can be seen from its intersection with the various other branches of knowledge such as musicology, digital media, performing arts, medicine, sports, law, etc. There is such intricate interlocking of these areas of investigations with the transgender studies that these overlaps find manifestations even in the artistic signatures. Due to the hegemonic restrain trans identities have not been much explored even by the queer artists or people working on the queer art, specially in India. Commenting on the connection of art with emancipatiory politics, Groys affirms that both try to seek recognition at the public arena: "Art and politics are initially connected in one fundamental respect: both are realms in which a struggle for recognition is being waged....[T]his struggle for recognition surpasses the usual struggle for the distribution of material goods, which in modernity is generally regulated by market forces. What is at stake here is not merely that a certain desire be satisfied but that it also be recognised as socially legitimate....Both forms of struggle are intrinsically bound up with each other, and both have as their aim a situation in which all people with their various interests, as indeed also all forms and artistic procedures, will finally be granted equal rights" (14). It indubitably legitimizes somewhat the role of art in transgender politics at a fundamental level. Thus in the light of the above discussion it is safe to assume that through the cinematic representation of trans lives , I have tried to create

some slippages in the arena of coalition politics between transgenders and feminists , citizenship rights, hijra parenthood , trans-misogyny, transphobia and trans- rape which can enhance our knowledge of trans lives. And this knowledge can give impetus to the more holistic policy formation for the empowerment of transgender persons.

Works Cited

Dattani, Mahesh.2000. *Seven Steps around the Fire* in *Collected Plays*. New Delhi: Penguin Books.

Enkee, A Finn.2013.”The Education of Little Cis: Cisgender and the Discipline of Opposing Bodies” in *The Transgender Studies Reader 2*. Stryker, Susan and Aren Z. Aizura. New York: Routledge.

Groys, Boris.2008. *Art Power*. MIT Press: Cambridge.

Koyama, Emi. 2014. “The transfeminist manifesto” in http://eminism.org/readings/pdf-rdg/tfmanifesto.pdf.

Revathi, A. 2016. *A Life in Trans Activism*. New Delhi: Zubaan Publishers Pvt. Ltd.

Sangma Report in http//ai.eecs.umich.edu/people/Conway/TS/PUCL/PUCL5 20 Report.html.

Sharma,Maya.2006.*LovingWomen*:*Being Lesbian in Unprivileged India*. New Delhi:Yoda Press.

Thadani, Giti.1996.*Sakhiyani*: *Lesbian Desire in Ancient and Modern India*. London: Cassell.

The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016 in http://www.prsindia.org/uploads/media/Transgender/Bill%20Summary%20-Transgender%20Bill%202016.pdf.

Vanita, Ruth.2005.”Social Deviant, Disabled Victim or Normative Human Beings?” in *Gandhi’s Tiger and Sita’s Smile*: *Essays on Gender, Sexuality and Culture*. New Delhi: Yoda Press.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

समाजिक स्वास्थ्य संतुलन : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य एवं प्रासंगिक

❐ डॉ. राकेश कुमार यादव*

शोध सारांश

''स्वास्थ्य के विविध आयाम समान रूप से व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ तभी माना जाता है जब वह स्वास्थ्य के इन विभिन्न आयामों से परिपूर्ण होता है अर्थात् शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से चेतन या जाग्रत, भावनात्मक रूप से नियंत्रित, बौद्धिक रूप से विवकेशील, आध्यात्मिक रूप से संतोषी एवं सामाजिक रूप से सन्तुलित अवस्था को प्रदर्शित करता है। स्वास्थ्य के आयामों में किसी प्रकार का भेद करना अथवा महत्ता के आधार पर उच्च एवं निम्न क्रम प्रदान करना सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है, किन्तु सामाजिक स्वास्थ्य की श्रेष्ठता को नकारना भी न्यायसंगत नहीं है क्योंकि यदि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से स्वस्थ हो लेकिन शारीरिक रूप से नहीं तो व्यक्ति के इस स्वास्थ्य लाभ से समाज को लाभ मिलने के स्थान पर हानि या नुकसान पहुँचने की गुंजाइश फिर भी बरकरार रह सकती है, वहीं यदि व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तो स्वास्थ्य के अन्य आयामों के अभाव होने पर भी अपने साथ–साथ वह समाज के लिए सदैव हितकारी ही होता है, जो समाज में रचनात्मकता एवं सकारात्मकता का बीजारोपण करके विकास के मार्ग में प्रोत्साहक सिद्ध होता है। उपरोक्त तथ्यों को रेखांकित करके प्रस्तुत लेख के माध्यम से स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को उल्लेखित करते हुए सामाजिक स्वास्थ्य की प्रासंगिकता एवं अनिवार्यता को अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।''

मुख्य शब्द : स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, समायोजन, अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सकारात्मकता।

यह तथ्य सर्वविदित है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास में विभिन्न कारकों का योगदान होता है तथा इन्हीं कारकों से प्रभावित होकर वह अपने व्यवहार, अन्तःक्रिया, समायोजन, कार्यविधि को परिलक्षित भी करता है। सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है जिस पर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की रूपरेखा तो निर्भर करती ही है, साथ ही परिवार, समूह, समुदाय,, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की व्यवस्था तथा संरचना भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्तर्सम्बन्धित होती है। आज का युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें प्रति क्षण तीव्र या मंद गति से सामाजिक घटनाओं, सामाजिक सम्बन्धों, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक क्रियाओं, विषयवस्तु में बदलाव हो रहे हैं।

* विषय विशेषज्ञ, समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ

ऐसे समय में आवश्यक पहलू यह है कि हम किस प्रकार स्वयं को समय के साथ सक्रिय, संगठित, नियोजित, चेतन अवस्था में रखने के साथ–साथ संतुलित भी रखें, जिससे विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियॉं उत्पन्न होने पर समायोजन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षमता का प्रदर्शन हुए व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण एवं समग्र विकास के साथ–साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

स्वास्थ्य की अवधारणा

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक स्वास्थ्य संतुलन की अनिवार्यता एवं प्रासंगिकता को स्पष्ट करने से पूर्व स्वास्थ्य, उसके विभिन्न आयामों, अवधारणा का ज्ञान एवं इसकी महत्ता को उल्लेखित करना आवश्यक हो जाता है। स्वास्थ्य व्यक्ति के कार्यात्मक दक्षता के स्तर को वर्णित करता है। स्वास्थ्य व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाने, परिवर्तित करने, आवंटित करने, वितरित करने एवं उपयोग करने के लिए जैविक प्रणाली की क्षमता है। यू.एन.ओ. के अनुसार ''स्वास्थ्य, सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक भलाई की स्थिति है न केवल किसी रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति।'' स्वास्थ्य, जीवन में आने वाली शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूलन एवं प्रबन्धन करने के कौशल को संदर्भित करता है। संकीर्ण अर्थ में स्वास्थ्य एक ऐसी दशा को सूचित करता है, जिसमें व्यक्ति निरोगी हो अर्थात् किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त हो। व्यापक रूप से स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति की उस अवस्था से, जिसमें वह शारीरिक रूप से समर्थ या स्वस्थ, मानसिक रूप से जागरुक या सजग एवं सुदृढ़, सामाजिक रूप से संतुलित एवं अनुशासित, बौद्धिक रूप से समझदार या विवेकशील एवं भावनात्मक (संवेगात्मक) रूप से नियन्त्रित हो। सामाजिक स्वास्थ्य का संतुलन कुसमायोजन से समायोजन, विघटन से संगठन, असंतोष से संतोष, अविवेकपूर्ण निर्णय से विवेकपूर्ण निर्णय, अकुशलता से कुशलता, ह्रास से वृद्धि, विध्वंसकारी प्रवृत्ति से सृजनात्मकता की ओर अग्रसारित करता है, जिसके परिणामस्वरूप शांति एंव सौहार्द्रपूर्ण समाज की स्थापना सम्भव है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति सुखमय जीवन का आनन्द प्राप्त करने का अनुभव बिना किसी व्यवधान के करे।

स्वास्थ्य के विविध आयाम

स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभिन्न आयाम निम्नलिखित हैं :–

1. शारीरिक स्वास्थ्य

शारीरिक स्वास्थ्य से तात्पर्य शरीर के हृष्ट–पुष्ट होने से है। शारीरिक स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार के रोग एवं चोट का न होना शामिल है। शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के दूसरे आयामों को प्रभावित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य के दूसरे स्वरूपों में ह्रास होना स्वाभाविक है। शारीरिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शरीर की आन्तरिक एवं वाह्य संरचना, कार्यप्रणाली को संदर्भित करता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को कई कारक प्रभावित करते हैं या कह सकते हैं कि कई कारक मिलकर एक बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को सम्पूर्णता प्रदान करते हैं और इन कारकों के प्रभावित होने पर व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य निःसंदेह प्रभावित होता है।

2. मानसिक स्वास्थ्य

मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की मानसिक दशा, उसके सोचने विचारने की शक्ति को दर्शाता है। साधारण अर्थ में मानसिक विकार की अनुपस्थिति ही मानसिक स्वास्थ्य का निर्णायक बिंदु है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा कि यह ''सलामती की एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी एवं उपयोगी रूप से कार्य कर सकता है तथा समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है।'' मानसिक स्वास्थ्य हमारे संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ या सही

होन की स्थिति को दर्शाता है। मानसिक स्वास्थ्य में जीवन का आनन्द लेने के लिए एक व्यक्ति की योग्यता भी शामिल होती है जो जीवन की सक्रियताओं एवं मनोवैज्ञानिक क्षमता को प्राप्त करने के प्रयासों के बीच संतुलन स्थापित करती है।

3. भावनात्मक स्वास्थ्य

भावनात्मक स्वास्थ्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य का एक अहम् एवं निर्णायक भाग है। भावनात्मक रूप से व्यक्ति को नियंत्रित होना चाहिए क्योंकि यही नियंत्रण की स्थिति उसके भावनात्मक स्वास्थ्य का परिचायक होती है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है– संवेगों के प्रति सम्पूर्ण जागरुकता, जिसका प्रदर्शन नियंत्रित एवं संतुलित अवस्था में हो। भावनाओं का उद्देश्य पूर्ण प्रकटन अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव पड़ता है, जो अन्य समस्याओं को जन्म देकर व्यक्ति के समायोजन को बाधित करता है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है व्यक्ति में अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने की क्षमता के साथ–साथ दूसरों की भावनाओं का सही ढंग से ऑकलन करने की योग्यता।

4. आध्यात्मिक स्वास्थ्य

आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारे जीवन के आदर्शों, मूल्यों, नैतिकता, मान्यताओं का परिचायक होता है, जिसके बिना स्वास्थ्य की अवधारणा अपूर्णता को प्रदर्शित करती है। जीवन के वास्तविक लक्ष्य एवं ज्ञान को व्यक्ति का आध्यात्मिक स्वास्थ्य ही स्पष्ट करता है। एक व्यक्ति को स्वयं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसे अपने अच्छे–बुरे, सही–गलत, सकारात्मक–नकारात्मक, सबलता– दुर्बलता, रचनात्मक–विध्वंसकारी प्रवृत्ति का वास्तविक ज्ञान होता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य ही व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने की आधारशिला है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति में ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना है, जो मानव जीवन के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक एवं सामाजिक पहलुओं में संतुलन बनाये रखती है। वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं ने आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विभिन्न दृष्टिकोण से परीक्षण किया है और विविध प्रकार की परिभाषायें भी प्रस्तावित की हैं, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई सर्वमान्य एवं सम्पूर्ण परिभाषा नहीं है।

5. बौद्धिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों में बौद्धिक स्वास्थ्य भी अहम् भूमिका का प्रतिपादन करता है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की बुद्धि, विवके, कुशाग्रता, चेतन अवस्था का निरूपण परिलक्षित होता है। बौद्धिक स्वास्थ्य व्यक्ति के मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के काफी सन्निकट है, किन्तु अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर भिन्नता को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति को बौद्धिक स्वास्थ्य की दृष्टि से विवेकशील, बुद्धिमतापूर्ण व्यवहार करने वाला, अपने साथ–साथ दूसरों की भी भावनाओं, विचारों को आदर देने वाला एवं सहानुभूति तथा संयम रखने के साथ ही सही–गलत, सत्य–असत्य, न्याय–अन्याय की परख रखने में सामर्थ्यवान होने से है। व्यक्ति का बौद्धिक स्वास्थ्य उसकी उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विकट परिस्थितियों में अन्धकार से प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होता है।

6.सामाजिक स्वास्थ्य

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहता है एवं समूह के सदस्यों पर प्रभाव डालने के साथ–साथ स्वयं प्रभावित भी होता है। सामाजिकता का गुण उसे समाज के द्वारा ही प्राप्त होता है क्योंकि सामाजिक सम्बन्धों के प्रति वह पूर्णरूप से जागरुक होता है। वह सामाजिक सम्बन्धों के महत्व को स्वीकार करने के साथ–साथ स्वयं भी अर्थपूर्ण सामाजिक सम्बन्धों के निर्माण में भागीदार बनता है। सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों के प्रति समायोजन की योग्यता को दृष्टिगोचर करता है। सामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धों की प्रगाढ़ता के साथ–साथ सामाजिक परिस्थितियों या दशाओं के साथ–साथ कुशलतापूर्वक समायोजन करने की कला या योग्यता से सम्बन्धित है। व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य ही उसे समाज में सुरक्षा की भावना

का आश्वासन प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य के अन्य सभी आयामों को सम्बल प्रदान करता है, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपनी भलाई/खुशी के साथ दूसरों की भलाई/खुशी को भी उतना ही महत्व देता है तथा एक सौहार्द्रपूर्ण एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में पूर्ण तत्परता के साथ अपना योगदान देता है।

सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषतायें

सामाजिक स्वास्थ्य की अवधारणा के आधार पर समाान्य विशेषताओं को उल्लेखित किया जा सकता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :–

1. सामाजिक प्रकृति

सामाजिक स्वास्थ्य की प्रकृति सामाजिक है, क्योंकि इसका वर्णन समाज के सन्दर्भ में ही सम्भव है तथा यह सम्पूर्णता के भाव को निरूपित करती है। सामाजिक स्वास्थ्य दो शब्दों से मिलकर निर्मित है सामाजिक+ स्वास्थ्य, जिसमें सामाजिक शब्द का उद्‌गम समाज से है तथा सामाजिक होने का अर्थ है समाज में सम्बन्धों के प्रति जागरुकता के साथ–साथ समाज के लोगों के हित या भलाई को प्राथमिकता प्रदान करना।

2. सार्वभौमिक मांग

सामाजिक स्वास्थ्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक सार्वभौमिक मांग का रूप ले चुका है, जिसकी आवश्यकता समाज के सभी व्यक्तियों के जीवन का आधार है। सामाजिक स्वास्थ्य के संतुलित होने पर ही समाज, देश, सम्पूर्ण दुनिया का अस्तित्व कायम रखा जा सकता है, अन्यथा संघर्ष, विद्रोह, असहयोग, असमायोजन के दूषित परिणामों से व्यक्ति, समूह, समुदाय, राष्ट्र, विश्व को विनाश की ओर अग्रसर होने से कोई शक्ति नहीं बचा सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से समायोजन की योग्यता से परिपूर्ण हो एवं स्वस्थ अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों के महत्व को समझकर उसे प्रगाढ़ करने में अपनी क्षमताओं का उपयोग करे।

3. अपनेपन की भावना पर आधारित

सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति में स्वयं से पूर्व दूसरों के हितों का ध्यान रखने की भावना विकसित करता है अर्थात् मैं के स्थान पर हम की भावना से ओत–प्रोत करके ऐसी दशाओं, परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें सम्पूर्ण समाज का कल्याण निहित हो। व्यक्ति का सामाजकि स्वास्थ्य ही उसे जीवन जीने की नयी कला से परिचित कराता है तथा सामाजिक गुणों को परिष्कृत करके पुनर्सामाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अपनेपन की भावना को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक स्वास्थ्य की पृष्ठभूमि ही अपनेपन की भावना पर आधारित है, जहाँ दूसरों के लिए त्याग, समर्पण जैसी विचारधारा को बल मिलता है।

4. मानवतावादी सिद्धान्तों से अभिप्रेरित

सामाजिक स्वास्थ्य की अवधारणा प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों से काफी हद तक अभिप्रेरित है क्योंकि सामाजिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध व्यक्ति के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों के समायोजन या अन्तःक्रिया से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने साथ दूसरों को भी प्रभावित करता है तथा यह प्रभाव उसे कुसमायोजन से समायोजन, असंतुष्टि से संतुष्टि की ओर ले जाता है। एक संतुलित सामाजिक स्वस्थ व्यक्ति दूसरों की प्रतिष्ठा एवं गरिमा का पूर्ण सम्मान करते हुए उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और उसे स्वीकार भी करता है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों पर थोपने के लिए उन्हें बाध्य नहीं करता, अपितु सही एवं तथ्यपूर्ण बातों का ही सदैव समर्थन करता है, जो सभी के लिए हितकारी हो।

5. सामाजिक प्रकार्यात्मकता से सम्बन्धित

सामाजिक स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध सामाजिक प्रकार्यों से भी है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन बिना किसी दबाव के सुचारू रूप से करता है वरन् दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है, जिसमें समाज में स्थिरता, संतुलन बना रहता है तथा लोगों को विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना करके उनके निवारण में सहायता प्राप्त होती है।

6. अच्छाई या भलाई की भावना की महत्ता

सामाजिक स्वास्थ्य में 'अच्छाई या भलाई' की भावना की महत्ता विद्यमान होती है। यही भाव सामाजिक स्वास्थ्य का केन्द्र बिन्दु है क्योंकि व्यक्ति, समूह, समुदाय तथा समाज के कल्याण से ही राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। एक सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही कार्य करता है, जिसमें सभी की भलाई हो, किसी का अहित न हो और ऐसा करना ही उसकी प्राथमिकता होती है।

इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताओं में स्वस्थ सम्बन्धों के मध्य समायोजन, सामाजिक समर्थन, अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों की संतुष्टि आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

सामाजिक स्वास्थ्य के उद्देश्य

सामाजिक स्वास्थ्य का प्रमुख उद्देश्य है कि व्यक्ति को अनुशासित एवं संतुलित जीवन के महत्व से अवगत कराते हुए अपने आस–पास ऐसे वातावरण को निर्मित करने में सहायता प्रदान की जाये, जिससे समाज में सकारात्मकता को बढ़ावा मिले। कुछ अन्तर्निहित उददेश्य निम्नलिखित हैं–

1. समायोजन करने की क्षमता का विकास करना।
2. सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना।
3. सभी प्रकार के तनावों को दूर करना।
4. सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना।
5. सामाजिक एकता एवं एकीकरण की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना।
6. सामाजिक प्रकार्यों को गति प्रदान करना।
7. व्यक्तित्व के विकास में सहयोग प्रदान करना।
8. 'स्व' अर्थात 'स्वयं' को पहचानने की कला विकसित करना।
9. वैयक्तिक विकास के साथ–साथ सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना।
10. स्वस्थ अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना।
11. पारस्परिक लगाव में वृद्धि करना।
12. व्यक्ति एवं उसके आस–पास अर्थात् सामाजिक रूप से एक स्वस्थ व माधुर्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करना।
13. सामाजिक संतुलन को बनाये रखना।
14. सामाजिक चेतना को जागृत करना।
15. अर्थपूर्ण अन्तःक्रिया एवं संचार में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने की योग्यता को विकसित करना।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति विशेष के साथ समाज के लिए उपयोगी कारकों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है एवं व्यक्तिगत तथा समाज कल्याण दोनों उद्देश्यों की सर्वथा पूर्ति करता है।

सामाजिक स्वास्थ्य की अनिवार्यता प्रासंगिकता

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संतुलित सामाजिक स्वास्थ्य की अवधारणा न केवल अनिवार्य है अपितु प्रासंगिक भी है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में जिस तेजी से परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनमें पल–पल बदलते घटनाचक्र ने एक देश विशेष के लोगों को ही नहीं वरन् सम्पूर्ण दुनिया के लोगों को सोचने पर विवश कर दिया है कि जिस प्रकार मानव ने सुख–सुविधाओं एवं भोग विलास की जरूरतों को पूरा करने के क्रम में स्वयं को संलिप्त कर लिया है, तो इच्छाओं की पूर्ति होने के बावजूद संतुष्टि एवं सुख की अनुभूति से वह कोसों दूर क्यों हैं? तथा लक्ष्यों की प्राप्ति, उसे आनन्द एवं सन्तोष का आभाष क्यों नहीं प्रदान करती हैं? संतुलित सामाजिक स्वास्थ्य के अभाव के कारण न ही व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है और न ही भावनात्मक एवं बौद्धिक स्वास्थ्य से परिपूर्ण ही समझता है। एक अजीब सी बेचैनी, लाचारी, असंतुष्टि का भाव व्यक्ति के मुख मण्डल पर प्रकाशित होती है, जो उसे मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक रूप स्वस्थ होने के उपरान्त् भी बेहतर सामाजिक स्वास्थ्य के अभाव के कारण स्वयं को इस पृथ्वी पर भारग्रस्त होने का एहसास कराता है। सामाजिक स्वास्थ्य को वरीयता देने के स्थान पर

व्यक्ति ने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य या यूँ कहें कि स्वास्थ्य के अन्य आयामों को प्राथमिकता या अधिक महत्व दिया, जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को आत्मकेन्द्रित एवं दूसरों से अलग–थलग रखने में कोई कसर नहीं रखा और परिणाम यह हुआ कि जरूरत के समय समाज ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। व्यक्ति ने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से तो खुद को स्वस्थ रखने या सशक्त बनाने का पूरा प्रयत्न किया, परन्तु सामाजिक स्वास्थ्य को नगण्य मानकर पूरी तरीके से अनदेखा किया।

सामाजिक रूप से अस्वस्थ अपनी शक्ति का दुरूपयोग करने से कभी नहीं हिचकता है और अपनी ऊर्जा, शक्ति, ताकत को सकारात्मक सोच या मानसिकता के स्थान पर नकारात्मक सोच एवं मानसिकता से अभिभूत होकर रचनात्मक कार्यों के स्थान पर विध्वंसकारी कार्यों को पूर्ण करने में संलिप्त करता है जिससे स्वयं उसके साथ–साथ समाज को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है जबकि सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ठीक इसके विपरीत दूसरों के कल्याण में अपनी क्षमताओं का भरसक प्रयोग करके समाज के साथ–साथ स्वयं के लिए भी विकास का पथ प्रदर्शित करता है। व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य संतुलित होने पर वह अर्थपूर्ण अन्तःक्रियाओं में भागीदार बनकर स्वस्थ एवं सौहार्द्रपूर्ण अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों की स्थापना करता है, जिससे व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास होने के साथ–साथ समायोजन की प्रक्रिया भी प्रभावपूर्ण बनती है। वर्तमान समय में व्यक्ति के अन्दर छल–कपट, काम–क्रोध, ईर्ष्या–द्वेष, लालच, बेईमानी आदि विकारों ने अपनी जड़ों को इस कदर समाहित कर लिया है कि उसके लिए सामाजिक स्वास्थ्य की अवधारणा, विशेषता, महत्ता का ज्ञान होना अनिवार्य हो गया है। शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता इतनी घातक नहीं है जितनी की सामाजिक अस्वस्थता, इसलिये सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाये रखने के लिए समय–समय पर कुछ उपायों की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य कई कारकों से प्रभावित होता है और ऐसी परिस्थिति में इन कारकों को अवरोधक के रूप में नहीं अपितु प्रोत्साहक के रूप में परिवर्तित करना चुनौतीपूर्ण होता है।

सामाजिक स्वास्थ्य शाब्दिक अर्थ में व्यक्ति की योग्यता को दर्शाता है जिसके कारण वह अपने समूह, समुदाय एवं समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ स्वस्थ, मधुर,अर्थपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करके स्वयं के साथ–साथ दूसरों को भी सुखानुभूति का एहसास कराता है एवं पारस्परिक ताल–मेल को सुसंगठित करता है। यद्यपि सामाजिक स्वास्थ्य में सन्तुलन का भाव अन्तर्निहित होता है क्योंकि इसके अभाव में सामाजिक स्वास्थ्य की परिभाषा एवं व्याख्या अपूर्ण है, परन्तु इस सन्दर्भ में सन्तुलन का अर्थनिरूपण करना अपरिहार्य हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कहा जाये कि सामाजिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वाह सुचारु रुप से करता है तो कथन सत्य है, किन्तु इन दायित्वों का निर्वहन यदि वह भार न समझकर बिना किसी दबाव के, निन्दा–प्रशंसा या अन्य किसी आशा से परे होकर करता है तो इसे सन्तुलित सामाजिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है। आज के दौर में व्यक्ति दोहरे चरि़त्र के साथ जीवन यापन कर रहा है और परिणाम यह है कि उसके मुख–मण्डल पर कोई भी भाव स्पष्ट नजर नहीं आता है, जो वास्तव में वह महसूस करता है, क्योंकि मिश्रण एवं कृत्रिमता के इस दौर में अनायास ही व्यक्ति अपनी स्वाभाविकता का लोप करता जा रहा है। अतएव वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक स्वास्थ्य संतुलन की प्रासंगिकता एवं अनिवार्यता को अनदेखा करना तर्कसंगत तथा न्यायसंगत प्रतीत नहीं होगा।

सन्दर्भ सूची

* Hawe, P., and Shiell, A. (2000). "Social Capital and Health Promotion: A Review." Social Science and Medicine 51:871–885.
* Russell, R. D. (1973). "Social Health: An Attempt to Clarify This Dimension of Well-Being." International Journal of Health Education 16:74–82.
* World Health Organization (1980). International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Geneva: Author.
* https://www.usip.org/sites/default/files/GP_170-203_Social_Well-Being.pdf
* https://books.google.co.in/books?id=TEkmDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=philosophy+of+life:+connecting+dots&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjhp6CeztbgAhVEdCsKHco8D00Q6AEIKDAA#v=onepage&q=philosophy%20of%20life%3A%20connecting%20dots&f=false
* https://www.who.intèsocial_determinantsè

final_reportèmediaècsdh_report_wrs_en.pdf
* https://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf
* https://langleygroupinstitute.com/wp-content/uploads/Lee-Keyes-2013-Social-Well-Being.pd

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

ई-शासन का समाज वैज्ञानिक विश्लेषण

❑ जितेन्द्र गिरि*

शोध सारांश

पिछले एक दशक में सूचना और संचार के माध्यम (राय : 2008, 2011, भटनागर : 2003) जब आधुनिक एवं तकनीक सम्पन्न हुए हैं ऐसे में शासकीय कार्यप्रणाली में ई–गवर्नेंस का महत्व बढ़ गया है। अब सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध कराने के लिए तकनीक का उपयोग कारगर साबित हो रहा है। दस वर्ष पहले 18 मई 2006 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई–शासन योजना शुरू की गई। इसके तहत कुल 27 मिशन मोड परियोजनाओं को रखा गया। हालांकि, आज एक दशक बाद वर्तमान की केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया को प्राथमिकता देते हुए शासकीय कार्यों को भी ई–गवर्नंस के तहत संचालित करने की दिशा में बड़ा काम किया है। सरकार के लगभग सभी मंत्रालय ऑनलाइन सूचनाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काफी हद तक आगे बढ़ चुके है।

ई–शासन में पारदर्शिता (विट्टल : 2001) स्थापित होने की संभावना इसलिए अत्यधिक होती है क्योंकि यह सर्व–सुलभ है। ई–शासन के तहत पारदर्शी ढ़ग से काम कर रहे केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों द्वारा किए गए कार्यों को उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। वर्तमान सरकार ने तमाम वेब–पोर्टल्स एवं एप्स के माध्यम से अपनी योजनाओं एवं कार्यो को सार्वजनिक करने की दिशा में बड़ा प्रयास किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विद्युतीकरण के कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए एक वेब पोर्टल (http://garv.gov.in) एवं गर्व नाम से एक मोबाइल एप जारी किया गया है। इस वेब–पोर्टल अथवा मोबाइल एप से कोई भी व्यक्ति राज्यवार, जिलेवार, पंचायतवार सहजता से यह विवरण प्राप्त कर सकता है कि किसी क्षेत्र–विशेष विद्युतीकरण का कार्य कितना हुआ है अथवा कितना शेष बचा है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से न सिर्फ कार्य का ब्यौरा प्राप्त किया जा सकता है बल्कि कार्य–प्रगति संबंधी समस्त जानकारी भी हासिल की जा सकती है। इस माध्यम में कार्य की प्रगति से जुड़े अधिकारी से संबंधित संपर्क जानकारी भी सार्वजनिक की गई है। सार्वजनिक स्तर पर विद्युतीकरण से जुड़ी योजनाओं के सार्वजनिक होने की वजह से लापरवाही आदि की संभावना बहुत कम रहती है और कार्य से जुड़े पड़ताल की जानकारी हासिल करना बेहद आसान होता है। अगर कहीं से कोई गलत जानकारी सरकार को किसी निचले स्तर के अधिकारी द्वारा दी जाती है तो उस जानकारी को क्रॉस–चेक करना किसी के लिए भी बेहद आसान हो गया है। ई–शासन के तहत

* शोधार्थी समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विद्युतीकरण से जुड़े कार्यों में अलग–अलग स्तर पर अलग वेब–पोर्टल्स उपलब्ध हैं, जहां से संबंधित जानकारियों को सहजता से हासिल किया जा सकता है। (द्विवेदी : 2016, मेहता : 2016)

राष्ट्रीय ई–शासन के तहत अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर काम पारदर्शी ढंग से चल रहा हैं ई–टेंडर एवं ई–आक्शन को एक बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ई–आक्शन एवं ई–टेंडर को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीलामी की प्रक्रिया को पूर्णतया ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाने के लिए eduction.gov.in//Auction/app वेब पोर्टल कार्य कर रहा है। सरकार का प्रयास लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे ऑफलाइन नीलामी की बजाय ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया को बढावा दें। ई–आक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सब कुछ वेबपोर्टल पर पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक होता है और आवेदन से लगाए नीलामी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। कुछ इसी प्रकार सरकार द्वारा कोयला ब्लाक आवंटन के लिए ई–आक्शन की नीति केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई है, जो काफी पारदर्शी ढंग से काम करती नजर आ रही है। ई–आक्शन की तरह ही ई–टेंडर एवं ई–खरीद की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा ई–टेंडर प्रक्रिया को बेहद कारगार ढंग से लागू किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से संबंधी सभी कार्यो को ई–टेंडर के तहत किया जा रहा है और इसके लिए एक वेबपोर्टल (https://morth.eproc.in/ProductMORTH/publicDash) समर्पित किया गया है। इस वेबपोर्टल पर सभी नए टेंडर्स, चल रहे टेंडर्स एवं पूरा हो चुके टेंडर की जानकारी उपलब्ध है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा प्रतिदिन 18 किमी0 सड़क बनानें का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, जिसे 30 किमी0 प्रतिदिन तक हासिल करनें का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ई–शासन प्रणाली मजबूत होने की वजह से शासकीय कार्यो में तेजी तो आई है, साथ में पारदर्शी ढंग से कार्य भी हो रहा है।

लोक और तंत्र के बीच संवाद का सुगम होना लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बड़ा कारक है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत राइट टू पीएम विकल्प के जरिए जनसंवाद का एक अभूतपूर्व मंच उपलब्ध कराया हैं। भारत जैसे एक विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए यह प्रधानमंत्री से संवाद का यह ऑनलाइन विकल्प इस लिहाज से भी कहा जा सकता है क्योंकि भारत के आमजन की अवधारणा में यह कल्पना की भी बात नहीं थी कि वे प्रधानमंत्री को सीधा पत्र लिखेंगे और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी।

इसके लिए बाकायदे एक वेब माध्यम (http://pmindia.gov.in/en/interact-with-honblepm/) तैयार किया गया है। इस वेब माध्यम से कोई भी आम अथवा खास व्यक्ति प्रधानमंत्री को समस्या, शिकायत अथवा सुझाव से जुड़े पत्र लिख सकता है। इस पत्र को लिखते ही प्रेषक को एक पंजीकरण नंबर प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑनलाइन प्राप्त होता है। उस पंजीकरण नंबर के माध्यम से पत्र लिखने वाले व्यक्ति द्वारा (http://pgportal.gov.in/viewstatus.aspx) पर जाकर अपने शिकायत, सुझाव अथवा समस्या पर हुई कार्रवाई अथवा प्रगति की सटीक एवं आधिकारिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस माध्यम की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध है एवं वहीं से पत्र के विषय से जुडे विभागों एवं मत्रांलयों को हस्तांतरित की जाती है। पत्र प्रेषक को उक्त अधिकारी का संपर्क सूत्र भी उपलब्ध कराया जाता है जिसके अधीन उसका मामला हैं कहीं न कहीं प्रधानमंत्री से संवाद का यह विकल्प उस अवधारणा को खंडित करने में मदद कर रहा है, जिसमें आम लोग अक्सर यह मान लेते थे कि उनकी सुनवाई प्रधानमंत्री तक संभव ही नहीं है। इस ऑनलाइन माध्यम की गंभीरता और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनेक बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रों का जिक्र किया है

जो उन्हें इस ऑनलाइन माध्यम से लिखे गए हैं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से स्थापित नवोन्मेषी प्रणाली ने कहीं कहीं पारदर्शिता के साथ शासकीय व्यवस्था में जनसवांद की संभावना को मजबूत करने का काम किया है। हालांकि इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी मोबाइल एप के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जनता से संवाद को प्राथमिकता देते हैं। (द्विवेदी : 2006)

डिजिटल इंडिया को सफल बनाने एवं निचले स्तर तक सरकार के ई–शासन की पहुंच को सुलभ करने में जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है वो ग्रामीण अंचल के लोगो को अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों एवं एप आदि के लिहाज से साक्षर बनाना है। (प्रणवदेव : 2015) जब तक देश का हर आम व्यक्ति ई–शासन की तकनीकी प्रक्रिया को समझने मे सक्षम नहीं होगा तबतक इन ई–शासन से जुड़े तमाम प्रयासों का पूरा लाभ मिलना संभव नहीं है। इस दिशा में सरकार राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत 10 लाख लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों को मोबाइल एप एवं वेब–पोर्टल्स आदि से जुडी जानकारियां दी जाएंगी एवं उसके उपयोग के लिहाज से उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सरकार ई–शासन में कृषि क्षेत्र को भी जोड़ने की दिशा में तमाम कार्य कर रही है। लिहाजा ग्रामीण अंचल को ई–शासन से जोड़ने के लिए यह साक्षरता मिशन बेहद अनिवार्य है। कृषि के क्षेत्र को भी ई–शासन के माध्यम से मजबूत करने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा तेजी से किया जा रहा है। यह बेशक एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है सरकार ने (http://mkisan.gov.in/hindi) वेबसाइट के माध्यम से किसानों के हितों से जुड़ी तमाम जानकारियों को बिना इंटरनेट के भी उनके मोबाइल पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया है। इस पोर्टल का लक्ष्य एसएमएस पोर्टल की अवधारणा पर केंद्रित है जो मोबाइल टेलीफोनी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किसानों के बीच उचित समय पर, विशिष्ट एवं समग्र जानकारी पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। गांवों में किसानों के पास अभी इंटरनेट की न तो उपलब्धता है और न ही व्यापक स्तर पर समझ ही बन पाई है, लिहाजा किसानों के हितों से जुड़े इस वेब पोर्टल को मोबाइल संदेश एवं मोबाइल कॉल आधारित बनाया गया है। हालांकि http://agricoop.nic.in एवं http://soilhealth.dac.gov.in/ आदि के माध्यम से कृषि क्षेत्र को भी ई–सेवा से जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। कहीं न कहीं जब शासकीय तंत्र में जनसंवाद की प्रक्रिया सुगम होगी तो पारदर्शिता में बढ़ोत्तरी होना स्वाभाविक ही है।

वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया को बहुत तेज रफ्तार से विस्तार दिया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जब शासकीय कार्यों में जनसंवाद को बढ़ावा मिलता है तो स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता स्थापित होती है एवं शासन सुगमता से संचालित होता है। राष्ट्रीय ई–शासन के माध्यम से पारदर्शिता जनसंवाद एवं सुगमता तीनों ही लक्ष्यों को आसानी से और कम समय में हासिल किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर इसके लक्षण खुलकर सामने आ चुके हैं। भविष्य में इसके और सुदृढ़ होने की उम्मीद है। (द्विवेदी : 2016)

इस प्रकार अवलोकित होता है कि सूचना प्रोद्यौगिकी और इंटरनेट तकनीक की परिपक्वता से भारत सर्वोच्च महाशक्ति के साथ सामाजिक आधार पर मजबूती के साथ डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को आगें बढा जा रहा है। सकरारी शासन व प्रशासन के तीव्र रूप से मोबाइल और इंटरनेट प्रोद्यौगिकी से लैस होने के साथ समाज व सरकार का एक बेहतर अन्तःक्रियात्मक संबंध प्रदर्शित हो रहा है। (राय : 2011, 2008) हांलाकि बहुत सी सरकारी वेबसाइटें त्वरित भी नहीं है तथा सूचनाओं की प्रवाहशीलता भी कुशल नहीं है। लेकिन इसका निस्तारण प्रक्रिया अगर सुधर जाय तो यह जनसमाज हेतु महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। ई–शासन की उच्चतर सुविधाओं से न केवल समाज व उधोग तथा

व्यवसायिक क्रियाओं को लाभ होता है बल्कि इससे विश्व का सामाजिक नजरिया भी हम सबके लिये सकारात्मक होता हैं। इससे सरकार के कार्यो में जहा पारदर्शिता बढ़ती है, भष्ट्राचार कम होता है, आय का जनसमूह सही उपयोग करता है तथा भारतीय ग्रामीण समूह आधारभूत स्तर पर लाभान्ववित होता है। ई–शासन और आनलाइन सामाजिक सहभागिता की मजबूती में सूचना प्रोद्यौगिकी और इसके नवीन उपकरणों की गहन भूमिका है।

भारतीय ई–शासन प्रणाली और सामाजिक संरचना का नवीन रूप सूचना प्रोद्यौगिकी के बढ़ते प्रयोग व सुधार का ही परिणाम है और यह प्रक्रिया भविष्य में अधिक सशक्त होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. राय, नीरज कुमार (2011) : सूचना प्रोद्यौगिकी और सामाजिक संरचना ज्ञान पब्लिलिशंग हाऊस, दरियाग ंज, नई दिल्ली।
2. भटनागर, एस (2003) : डी यूचर आफ ई–गर्वनमेंट, आई0टी0पी0 एरिया, अगस्त 2003, पेज 40–41.
3. विट्ठल और अन्य (2001) : इनफारमेशन टेक्नोलाजी, मानस पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. मेहता रंजीत (2016) : अधिकतम शासन : ई–शासन के माध्यम् से जनपहुँच, जून 2016 पेज 17–20.
5. द्विवेदी शिवानंद (2016) : ई–शासन : पारदर्शिता, सुगमता और जनसंवाद, जून 2016 पेज 29–32.
6. प्रणवदेव (2015) : ई–गवर्नेस : ग्रामीण समाज के लिये वरदान जनवरी 2015 पेज 22–25.
7. राय, नीरज कुमार (2008) : भारत में सूचना प्रोद्यौगिकी का सामाजिक प्रभाव, समाज वैज्ञानिकी, अंकः 12 मार्च 2008.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

बघेलखण्ड में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति

❒ डॉ. सुधा सोनी*
❒ प्रीती ताम्रकार**

शोध सारांश

''पूर्व मध्यकालीन में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली रही है अर्थात् समय पड़ने पर स्त्रियों को धन के उपार्जन की जो स्वतंत्रता प्राचीनकाल से ही रही थी किसी भी स्त्री को पति के न होने पर या उसके परदेश चले जाने पर उसे उचित शिल्प के माध्यम से जीवन यापन करने की अनुमति प्राप्त थी। धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि वाणिज्य एवं उद्योग में स्त्रियों की क्रियात्मक भागीदारी होती थी, पति की अनुपस्थिति में उधार–ऋण लेना एवं उद्योग धंधों से सम्बन्धित सभी कार्य करती थी और इसके अलावा कृषि कार्यो में थी स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका परिलक्षित (दिखाई देती है) होती है। कृषि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग–धन्धे एवं अन्य शिल्पी के माध्यम से स्त्रियों की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।''

पूर्व मध्यकालीन आर्थिक क्षेत्र स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया है। जिसमें उस काल में स्त्रियॉ धन को अर्जित करने की पूरी छूट थी और उन्हें पति के साथ और उसके न होने पर थी अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिये उसकी भागीदारी होती थी तथा ऋण लेने और व्यवसाय उद्योग चलने में थी, स्त्री का पूर्ण सहयोग होता था, जिसमें वह बढ़–चढ़कर भाग लेती थी और कृषि से संबंधित सभी कार्यो को स्वयं करती थी इस प्रकार हमें इस अध्ययन से ज्ञात होता है कि स्त्रियों को कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धन्धे शिल्पों के माध्यम से स्त्रियों की आर्थिक स्थिति स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। जो कि उनकी जीवन की आर्थिक स्थिति को पूर्णरूप से दर्शाती है।

पशुपालन– पूर्व मध्यकालीन समाज में आर्थिक जीवन में कृषि का पशुपालन से अभिन्न संबंध होने के कारण इस व्यवस्था में थी। संभवतः वृद्धि हुयी, जिसमें नारी की थी, सहयोगात्मक भूमिका निश्चित रूप से रही होगी। वस्तुतः समाज की सम्पन्नता एवं धनाढ्यता का मापदण्ड पशुओं की संख्या से आंका जाता रहा है। पशुओं के तीन प्रमुख वर्ग होते थे।

पालतू, जलचर व वनीय। वैसे नारी का पशुपालन में या योगदान रहा इस पर पूर्व मध्यकालीन साहत्य में विस्तृत प्रकाश नहीं पड़ता लेकिन प्राचीनकालीन परम्परा

* प्राध्यापक (इतिहास), शास. कन्या महाविद्यालय, रीवा, म.प्र.
** शोधार्थी, शास. कन्या महाविद्यालय, रीवा, म.प्र.

अन्तर्गत देखें तो नारी का नाम 'दुहिताः' ज्ञात होता है। जो दूध को दोहने वाली नारी की ओर स्पष्ट संकेत करता है, तो निश्चय ही उसके रखरखाव संबंधी कार्यो की ओर सम्पादित करती रही होगी। इस प्रकार वर्तमान में भी नारी की उपयोगिता पशुपालन में स्त्रियां थी पुरूषों का साथ देती थी। इसके अतिरिक्त इसकी पुष्टि विवेच्यकालीन। अभिलेखीय साक्ष्य भी करते है। इससे स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग की ही नहीं बल्कि राजमहलों की स्त्रियॉ भी पशुपालन करती रही है। जिनकी देखभाल निश्चय ही राजघरानों में कार्य करने वाली सामान्य वर्ग की स्त्रियॉ करती होगी।

पूर्व मध्यकाल में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति के बारे में जो क्रमबद्ध विवरण दिया उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस काल पशुपालन समाज के सभी वर्गो की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सक्षम साबित हुआ है। जिसमें नारी का सहयोग सम्पूर्ण था परन्तु समाज की दृष्टि से इसे देखने का नजरिया कुछ पृथक था जिसमें उच्च (अमीर वर्ग) और कुछ (निम्न गरीब वर्ग भी था) जिसे उसकी पशुओं की संख्या के आधार पर उसका वर्ग अनिश्चित होता था। जिसमें पशुओं को तीन वर्गो में विभाजित किया गया था। पालतू, जलचर व वनीय इस प्रकार हम यह कह सकते है कि 'नारी' का योगदान पशुपालन में अभिन्न था, क्योंकि प्राचीनकालों से ही उसे दुहिता नाम से सम्बोधित किया जाता था जो कि यह संकेत भी देता है कि वह पशुपालन से संबंधित कार्यो का निर्वाह करती होगी और जो वर्तमान में भी नारी का विशेष रूझान पशु पालन का कुछ न कुछ है।

अंश हमें दिखाई देता है। जिससे हम कह सकते है कि पशुपालन में स्त्रियॉ और पुरूषों का पूर्ण सहयोग करती थी।

व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में लेखिका जी ने लिखा है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य में थी स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है जो पति की अनुपस्थिति में परिवार के व्यापार कार्य में क्रियात्मक एवं सहयोगात्मक भूमिका निभाती थी तथा पति के विदेश जाने पर आवश्यकतानुसार अग्रिम ऋण लेकर अपने उद्योग धंधे करती थी। वस्तुतः साहित्यों में 'व्यवहार' शब्द का प्रयोग हुआ है। जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित था जिसमें स्त्रियॉ पारंगत हुआ करती थी।

ये स्त्रियाँ सार्थवाहिनी के रूप में थी अपना व्यापार करती थी अभिलेखों में से ही 'धर्मसोमा' तथा 'शिवदत्ता' नामक सार्थवाहिनी स्त्रियों का उल्लेखनीय वर्णन हुआ है। जो व्यापार वाणिज्य क्रय–विक्रय कार्यो में संलग्न थी। इसी प्रकार स्कन्दपुराण में चतुर वैश्य पत्नियों का उल्लेख हैः– जो क्रय विक्रय करती थी तथा कथा सरित्सागर में एक व्यापारी की पत्नी को ही सहायिका के रूप में वर्णित किया गया है। जिसमें अर्थलोथी व्यापारी धन के लोभवंश में अपनी पत्नी को ही सहायिका के रूप में रखता था। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर सुखधन नामक एक व्यापारी का उल्लेख है जो धन के लोभ में अपनी पत्नी को ही एक अन्य व्यक्ति (व्यापारी) के पास भेजने में नहीं हिचकता था अन्यंत्र साहित्य में भी उज्जयिनी के स्थानीय बाजार संबंधित विवरण में अनेक देशों के स्थल एवं जल के बढ़िया एवं घटिया माल को खरीदने और बेचने के लिये आई स्त्रियों का उल्लेखनीय वर्णन है।

व्यापार एवं वाणिज्य में स्त्रियों की आर्थिक स्थति का मजबूत बनाने उसकी जो भूमिका थी वही प्रशंसनीय थी जो पति के न होने पर थी वह अपने परिवार के व्यापार को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देती थी और किसी कारणवश पति अगर विदेश यात्रा पर चला जाता था तो वह व्यापार को सुचारू रूप से कार्यरत रखने के लिये यथा योग्य कर/ऋण को लेकर अपने व्यापार को बढ़ाती थी कई साहित्यों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि व्यापार एवं वाणिज्य में स्त्रियॉ पारंगत अर्थात् निपुर्ण हुआ करती थी। स्त्रियॉ ही अपने व्यापार की पूर्ण अधिकारी थी, कई पुराणों और अभिलेखों में स्त्रियों की चतुरता का प्रमाण देखने को मिला कि वह किस चतुराई के साथ व्यापारियों के साथ क्रय–विक्रय करती थी और कई कथाओं में तो व्यापारी अपनी पत्नी को ही सहायिका के रूप में ले जाता था जिसके पीछे

उसकी लोभ भावना होगी। जिसके लोभवंश वह अपनी भार्या अर्थात् पत्नी का प्रयोग धन को अर्जित करने में करता था और कई व्यापार मेला/बाजारों में थी। स्त्रियों को ले जाया करते थे जहॉ व्यापार स्थान के आसानों मालों का क्रय–विक्रय स्त्रियॉ करती थी।

कृषि कर्म– आदिकाल से ही कृषि कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा अधिक, वैदिकाकल की अपेक्षा पूर्व मध्यकालीन कृषि व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित एवं विस्तृत रूप ले चूंकि थी। जिसमें स्त्री पुरूष दोनों ही सहयोगात्मक भूमिका निभाते थे। समाज में कृषि का बहुमुखी विकास व प्रसार हो चला था। सामंतीय प्रथा के व्यापक प्रचलन, कतिपय नगरों के पतन, व्यावसायिक संगठनों के प्रभावों एवं शक्ति में कमी, बहुत कम संख्या में सिक्कों का जारी होना इत्यादि कारणों से वाणिज्य व्यापार में पतन दिखाई देता है, कृषि धनोपार्जन का प्रमुख साधन एवं जीवन निर्वाह का आधार रही है। यही कारण है कि पूर्व मध्यकालीन अजीविका हेतु पुराणों में कृषि को समाज का प्रमुख आधार माना गया है। उपजाऊ भूमि को प्रशस्त कहा गया है एवं साथ ही यह निर्देश है कि राजा को वहीं निवास करना चाहिए जहां किसान उद्योगशील हो काव्यमीमांसा में तीन प्रकार के कृषक श्रेणी का उल्लेख हुआ है, जिसमें प्रथम श्रेणी के कृषकों की आबादी, कृषक (जिनके पास भूमि की पर्याप्त मात्रा होती थी) द्वितीय श्रेणी के कृषकों को सहली कृषक (जो दो से पांच दल की खेती किया करते थे, तृतीय श्रेणी के कृषकों को 'हल भ्रगु) जिनके पास एक हल की खेती होती थी। उक्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि कृषकों की अपेक्षा एक हलवाला कृषक निर्धन होगा।

कृषि कर्म के आधार पर कई कृषि से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हमेशा से ही था किन्तु प्राचीनकाल और वैदिक काल की तुलना में पूर्व मध्यकालीन कृषि व्यवस्था को ज्यादा सुनियोजित रूप से विकास हो चुका था। जिसमें स्त्री पुरूष दोनों ही साथ में कार्य करते थे और समाज कृषि का चर्मोत्उत्कर्ष प्रसार हो गया था। सामंतवादी प्रथा की चलन ने उस समय के ज्यादातर नगरों के पतन व्यवसाय संगठनों में एकता व शक्ति में काफी कमी और सिक्कों का चलन में कम प्रसार से व्यापार वाणिज्य का पतन भी निश्चित हो गया। इसमें स्त्रियों की भूमिका भी प्रभावशाली इकाई के रूप में दृष्टिगोचर होती थी।

आगे यह बताने का प्रयास किया है कि कृषि ही धनोपार्जन का एक मात्र साधन था जिसके माध्यम से जीवन को यापन करने में सहायता मिलती थी और वही वैदिक काल से कृषि को समाज का प्रमुख आधार मानते थे जिनमें उनमें कुछ भागों में उपजाऊ भूमि को प्रशस्त कहा जाता है जिसमें भूमि में कृषक की तीन श्रेणी थी प्रथम में बहुबाही की खेती जिसमें पर्याप्त भूमि को कहते है, द्वितीय सहली कृषक के पास दो या पांच हल तीसरी पहल भृगु जिनके पास एक ही हल की खेती होती थी जिससे यही स्पष्ट होता है कि एक हल की खेती वाला कृषक ही ज्यादा निर्धन होता होगा, जो कि उनकी निम्न जीवनयापन की विवशता को दर्शाता है।

उद्योग धन्धे–पूर्व मध्यकालीन समाज में व्यापार–वाणिज्य के अतिरिक्त विभिन्न प्रचलित उद्योगों में थी नारी की भूमिका रही है। समकालीन प्रचलित विभिन्न उद्योगों से विशेष कर वस्त्र धातु एवं चर्म उद्योगों में अभूतपूर्व विकास हुआ था और यही कारण रहा है तत्कालीन समाज में शिल्प एवं उद्योगों से संबंधित युक्तिकल्पतरू, रत्न रसमुच्चय और रसरत्नावली जैसे तकनीकी ग्रंथों की रचना हुयी। इस काल में हस्त कौशल महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ जिसमें अनेक शिल्पी जातियों का भी उत्थव हुआ। जैसे लाहौर, कुम्हार, स्वर्णकार, चर्मकार, बुनकर एवं रंगकार इत्यादि प्रमुख है।

वस्तुतः इन उद्योग धन्धों में स्त्रियों की भूमिका प्राचीनकाल से ही रही है। साहित्यों में विभिन्न उद्योगों में संलग्न स्त्रियों में रंगरेज स्त्री को राजयित्रा (रागयिनी, कंटकिकारी, जॉस बुनने वाली, विदलीकारी (बेतकी टोकरी बुननेवाली) पैषम्यकारी (कशीदा एवं सुई का

कार्य करने वाली नड या नरकट (चटाई बनाने वाली) वायित्री (कपड़ा बुनने वाली) सिरि (बुनकर स्त्री) इत्यादि का उल्लेख मिलता है जो अपनी कला कौशल में निपुण होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

(1) डॉ. ऊषा गोमे, पूर्व मध्यकालीन समाज में नारी–भारतीय स्त्रियों की प्रस्थिति– भारती मिश्रा, शारदा पब्लिशियन हाउस, दिल्ली।

(2) डॉ. उर्मिला प्रकाश मिश्र, प्राचीन भारत में नारी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

(3) डॉ. चन्द्रदेव सिंह, प्राचीन भारतीय समाज और चिंतन, भारत की सामाजिक आर्थिक सरंचना और संस्कृति के मूल तत्व।

(4) डॉ. राघेशरण, हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

(5) डॉ. सुधा सोनी, धर्मशास्त्रों में हिन्दी नारी, शेखर पब्लिकेशन (इलाहाबाद)।

(6) डॉ. सुधा सोनी, भारतीय इतिहास में नारी–भाग–1 (2013), आशा पब्लिशिन्स हाउस, नई दिल्ली.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

भारतीय बैंकिंग अर्थव्यवस्था में बैंकों का विलय-परिप्रेक्ष्य एवं संभावनाएँ

❐ डॉ. कुँवर सिंह*
❐ ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह**

शोध सारांश

वैश्विक बाजार में बीते कुछ वर्षों से विलय और अधिग्रहण चर्चा के बड़े मुद्दे बन कर उभर रहे हैं। छोटे या घाटे में चल रहे संस्थानों का आपसी विलय या उनके बड़े संस्थानों में विलय करना दुनिया की हर अर्थव्यवस्था में होता आया है, खासकर बैंकिंग क्षेत्र में भी यह कोई नया विचार नहीं है। जर्मनी में डूबे हुए कर्ज के चलते घाटे में आये बैंकों का बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया था। भारत में भी यह प्रक्रिया वर्षों से अपनाई जा रही है। कुछ सार्वजनिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो लगातार घाटे में हैं, उसका इलाज है कि या तो उन्हें बन्द कर दिया जाए या फिर उनका एक–दूसरे से विलय कर दिया जाए, अतः आर्थिक हालात को सुधारने के लिए बैंक को अपेक्षाकृत मजबूत बैंकों के साथ मिलाने से हालात सुधर सकते हैं। कार्यक्षमता, इक्विटी का बेहतर उपयोग और तकनीकी प्लेटफार्म के आधार पर बैंकों का विलय किया जाता है, साथ ही बैंकों में सुधार तथा बैंकों की माली हालत को पटरी पर लाना भी विलय का उद्देश्य होता है।

पूर्वांचल बैंक एवं काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में विलय–

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के तीन ग्रामीण बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाने के लिए गत वर्ष 2019 में नवम्बर में अधिसूचना जारी की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में पूर्वांचल बैंक और काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के विलय को मंजूरी दे दी। विलय के बाद पूर्वांचल बैंक और काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का प्रबंधन बैंक ऑफ बड़ौदा के पास चला जायेगा अर्थात नये बैंक का प्रबंधन बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के स्पांसर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास रहेगा। विलय के बाद पूर्वांचल बैंक एवं काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के खाताधारकों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी तथा तकनीकी समस्याओं को प्रबंधन स्तर पर हल कर लिया जाएगा।

पूर्वांचल बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के खाताधारक 1 अप्रैल 2020 से बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के ग्राहक माने जायेंगे। खाताधारकों के मौजूदा पासबुक व चेकबुक

* शोध निर्देशक, एसो. प्रोफेसर–वाणिज्य विभाग, बी.बी.डी.पी.जी. कालेज, परूइय्या आश्रम, अम्बेडकर नगर (उ0प्र0)

** शोध छात्र, डॉ0राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

फिलहाल मान्य होंगे। साफ्टवेयर में जरूरी बदलाव के बाद उन्हें नया पासबुक व चेकबुक जारी किया जायेगा। इस विलय के कारण पूर्वांचल बैंक के करीब 1 करोड़ से अधिक खाताधारकों का खाता नम्बर बदल जाएगा। अब तक इनका खाता नम्बर 11 डिजिट का होता था, जो अब बैंक आफ बड़ौदा की तरह 16 डिजिट का होगा, इतना ही नहीं सभी के पासबुक व चेकबुक भी नए बैंक के नाम से जारी होंगे।

पूर्वांचल बैंक का मुख्यालय गोरखपुर, काशी गोमती का मुख्यालय वाराणसी एवं बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का मुख्यालय रायबरेली में है। नये बैंक में पूर्वांचल बैंक की 600, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक की 478 व बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की 972 शाखाओं का विलय होगा। इस प्रकार नया बैंक यूपी के 31 जिलों में 2050 शाखाओं के माध्यम से कार्य करेंगी जिसमें 8361 कर्मचारी कार्य करेंगे तथा बैंक ऑफ बड़ोदा नए बैंक का प्रवर्तक बैंक होगा। पूर्वांचल बैंक की आर्थिक प्रगति का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में बैंक का कारोबार 1217 करोड़ रूपये बढ़कर 17 हजार करोड़ रूपये हो गया। जबकि बैंक ने यह उपलब्धि अपने सभी कर्मियों को पेंशन, एरियर आदि भुगतान करने के बाद हासिल की है, साथ ही 8. 62 लाख नए खाताधारकों को बैंक से जोड़ा गया तथा बैंक के एनपीए ;छच।द्ध में भी काफी सुधार हुआ है। इसके साथ ही बेहतर कार्य के कारण बैंक को डैडम, अटल पेंशन योजना, दुर्घटना बीमा आदि के मामले में पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

गोरखपुर में ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में हुई थी। 2005 में इसमें बस्ती ग्रामीण बैंक के विलय के बाद यह पूर्वांचल ग्रामीण बैंक हो गया, 1 अप्रैल 2013 को इस बैंक में इटावा व बलिया के ग्रामीण बैंकों का विलय होने के बाद इसका नया नाम पूर्वांचल बैंक हुआ। बैंक की 7 वर्षों की यात्रा (1 अप्रैल 2013 से 1 अप्रैल 2020 तक) में प्रारम्भ के 5 वित्तीय वर्षों के दौरान बैंक ने कई उपलब्धियाँ हासिल की। जमा राशि में 6754 करोड़ व ऋण में 1010 करोड़ की वृद्धि हुई है। इस प्रकार बैंक के सकल व्यवसाय में 7764 करोड़ की वृद्धि हुई है। गैर–निष्पादक आस्तियों ;छच।द्ध की राशि का प्रतिशत भी इन 5 वर्षों में 17.30 फीसद से घटकर 11.59 फीसद पर आ गया है।

विलय के पूर्व पूर्वांचल बैंक का स्पांसर बैंक एसबीआई था। जैसा कि विदित है कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की क्षमता 30 हजार करोड़ रूपये की है। विलय के बाद 60 हजार करोड़ की क्षमता वाला यह नया बैंक प्रदेश के 31 जिलों (यथा–गोरखपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बरेली, बस्ती, भदोही, चंदौली, देवरिया, इटावा,फैजाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कौशांबी, कुशीनगर, महराजगंज, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर तथा वाराणसी) में कार्यरत होगा, तथा शाखाओं (2050) के हिसाब से यह बैंक देश के ग्रामीण बैंकों में सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक होगा। नये बैंक का मुख्यालय गोरखपुर में होगा तथा विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक डी0पी0 गुप्ता को पहला अध्यक्ष नामित किया गया है।

सरकारी बैंकों के विलय की समीक्षा–

अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने हेतु बैंकों ने विलय की योजना कैबिनेट को दी थी, जिनके अनुक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 4 मार्च 2020 को कैबिनेट की बैठक में केन्द्र सरकार ने 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर चार बड़े बैंक बनाने को मंजूरी दे दी है। बिना बैंकिंग कामकाज को प्रभावित किये ये बैंक अपना विलय पूरा करने के बाद 1 अप्रैल 2020 से नये बैंक के रूप में काम प्रारम्भ कर सकते हैं। दरअसल केन्द्र सरकार ने 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों को मिलाकर चार नए बैंक बनाने का ऐलान किया था, जो निम्नलिखित है–

किस बैंक में होगा मर्जर	किन बैंकों का होगा मर्जर
पंजाब नेशनल बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
केनरा बैंक	सिंडिकेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	आन्ध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक
इंडियन बैंक	इलाहाबाद बैंक

● इस प्रकार 10 सरकारी बैंक विलय के बाद 4 ही रह जाएंगे, अर्थात PNB, OBC और UBI एक हो जाएंगे। और PNB (पी0एन0बी0) देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। मर्जर के बाद पंजाब नेशनल बैंक का अनुमानित कारोबार 17.95 लाख करोड़ रूपये होगा। अभी PNB, OBC और UBI के पास कुल मिलाकर 11437 ब्राँच है।

● सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद केनरा बैंक के पास 15.20 लाख करोड़ रूपये का बिजनेस होगा। यह देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक होगा। इन दोनों बैंकों की अभी 10342 ब्राँच है।

● यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय के बाद बिजनेस 14.59 लाख करोड़ रूपये होगा। इस विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया देश का पाँचवां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इन तीनों बैंकों के पास कुल मिलाकर 9609 ब्राँच है।

● इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का बिजनेस 8.08 लाख करोड़ एवं इसकी शाखाओं की कुल संख्या 6104 होगी तथा यह देश का छठवाँ सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनकर उभरेगा।

साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहें एम0 नरसिम्हन की अध्यक्षता में कमेटी से कहा गया कि वह भारत में चल रहे बैंकों की नए सिरे से व्यवस्था तय करें, अपनी सिफारिशें दें। कमिटी ने भारत में सिर्फ चार–पाँच बडे सरकारी और 8–10 छोटे बैंकों की सिफारिश की थी। जिसकी अनुशंसा में एनडीए/मोदी सरकार में तीसरी बार बैंकों का विलय हो रहा है। सबसे पहले एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जैसे छः बैंकों का 1 अप्रैल 2017 को विलय हुआ था। विलय के बाद SBI दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों की सूची में शामिल हो गया था । पुनः 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ। अब ये तीनों बैंक ऑफ बड़ौदा कहलाते हैं। इन बैंकों के सफलतापूर्वक विलय के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय करने की घोषणा की थी। साल 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे, जो अब विलय पूरा होने के बाद 12 सरकारी बैंक रह जाएंगें, जो निम्नलिखित है–

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. (पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स)
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. (केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक)
5. (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक)
6. (इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक
7. बैंक ऑफ इंडिया
8. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
9. इण्डियन ओवरसीज बैंक
10. पंजाब एंड सिंध बैंक
11. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
12. यूको बैंक

भारत में बैंकों के विलय का इतिहास और निजी एवं सार्वजनिक बैंक की भूमिका–

भारतीय बैंक संघ के आँकड़ों के मुताबिक देश में 1985 से अब तक छोटे–बड़े 49 विलय हो चुके हैं, इन विलयों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं,–

- 1993–94 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू इंडिया बैंक का विलय हुआ। इसे दो राष्ट्रीय बैंकों का पहला विलय भी कहा जाता हैं।
- 2004 में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के बीच विलय हुआं
- 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय SBI में हुआ।
- 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय SBI में हुआ

इसके साथ ही छोटे स्तर पर भी बैंकों में कई विलय हुए हैं, इसमें हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय, काशी नाथ भारतीय स्टेट बैंक का SBI में विलय, बनारस स्टेट बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय, HDFC की ओर से CENTURION BANK OF PUNJAB में अधिग्रहण, KOTAK MAHINDRA BANK के साथ ING वैश्य बैंक का विलय आदि कई उदाहरण है।

देश में 1980 से 2000 के बीच 10 नए निजी बैंकों को लाइसेंस दिया गया। इसके बाद से बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और सेवाओं में सुधार का माहौल बना। प्राइवेट बैंकों के साथ ATM मोबाइल बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट आदि जैसी सुविधाएँ भी बाजार में आयी, इसका असर सरकारी बैंकों के कामकाज पर भी पड़ा और उनके कामकाज करने के तरीके में बुनियादी बदलाव आये। निजी बैंकों के प्रतिस्पर्धा में आने के कारण बैंकिंग सेक्टर में खर्च और मुनाफे के बीच की दूरी लगातार कम हो रही है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट बैंकों का प्रति कर्मचारी मुनाफा 10.6–12.4% है, जबकि सरकारी बैंकों के मामले में यह केवल 5.5%–7.0% के बीच है। कर्ज देने के मामले में सरकारी बैंकों की विकास दर निजी क्षेत्र के बैंकों से कम है। मार्च 2017 में सार्वजनिक बैंकों की कर्ज देने की दर में केवल 0.6% की वृद्धि हुई जबकि प्राइवेट बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ रेट मार्च 2017 में 17.1% थी। बैंक जमा के मामले में भी निजी बैंक आगे रहे। मार्च 2017 में सरकारी बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ रेट 6.5% जबकि प्राइवेट बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ रेट 19.6% रही।

बैंकों के विलय के कारण–

वित्त मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी के बाद बैंकों के बोर्ड में शामिल सदस्य विलय की योजना तैयार करते हैं। इस योजना पर कैबिनेट मुहर लगाती है। इसी तरह रिजर्व बैंक, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया यानी सेबी (शेयर मार्केट की नियामक संस्था) जैसे रेगुलेटर्स से मंजूरी मिलने के बाद विलय का रास्ता साफ हो जाता है।

बैंक के विलय के कारणों को स्पष्ट करते हुए पूर्व वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा था कि इससे बैंक और मजबूत होंगे और उनकी कर्ज देने की क्षमता बढेगी, क्यों कि अभी तक बैंकों की कर्ज देने की स्थिति कमजोर होने से कंपनियों का निवेश प्रभावित हो रहा था। एतद्द्वारा यह कहा जा सकता हैं कि बैंकों का विशाल होना न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि इससे उनके व्यावसायिक लागत में भी कमी आती है। वर्तमान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के विलय को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत के पाँच लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर बनने के लिए नई पीढ़ी के बैंकों का होना जरूरी है। सरकार ने अगले पाँच साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर (50 खरब डॉलर) का बनाने का लक्ष्य रखा है।

बैंक विलय से बैंकों की स्थिति मजबूत होगी, जिससे बैंक और अधिक सस्ता तथा ज्यादा कर्ज बाँट सकेंगे। बैंकों के परिचालन में लगने वाली लागत को कम करके बैंकों के कार्य विस्तार के अन्तर्गत बैंकों की पहुँच नए राज्यों और क्षेत्रों में हो जाएगी तथा बैंक नयी तकनीक और विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे बैंक कर्मियों के वेतन में होने वाली असमानता दूर हो

सकेगी। साथ ही साथ बड़े बैंकों के पास ज्यादा पूँजी होती है, जिस कारण सरकार और नियामकों के लिए इनकी सहायता करना आसान होता है। सरकार संकट में आसानी से इनकी मदद कर सकती है और उन्हें डूबने से बचा सकती है। इसके अलावा बड़े बैंक नकदी का बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बैंकों के विलय से उनका सम्मिलित कारोबार काफी बढ़ जाता है, इससे उनका एनपीए कुल मिलाकर संभालने लायक हो जाता है।

वर्तमान में बैंकों के विलय के फैसले के पीछे दो कारण है–

पहला– सरकारी बैंकों की संख्या को कम से कम किया जाए।

दूसरा– एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) पर कंट्रोल किया जाए।

NPA का मतलब है ऐसा लोन जो डूबने को है। इसके वापस आने की उम्मीद काफी कम होती है। बैंकों के विलय का एक प्रमुख कारण NPA के संकट से मुकाबला करना भी है बैंकिंग सेक्टर के कुल NPA का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा सरकारी बैंकों का है। बैंकिंग सेक्टर में पिछले वित्तीय वर्ष (2018–19) में करीब 8 लाख करोड़ रूपये का NPA था, जो अब (2019–20) 7.90 लाख करोड़ रूपये रह गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान भारतीय बैंकों को करीब 12 लाख करोड़ रूपये के लोन Write off करने पड़े, इसका अर्थ यह हुआ कि इन बैंको ने मान लिया कि ये लोन अब कभी भी रिकवर नहीं हो पायेंगे।

- इस दौरान देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक SBI को 40,196 करोड़ रू0 Write off करने पड़े।
- बैंक ऑफ बड़ौदा के जनवरी से मार्च (2018) की तिमाही में 3102.34 करोड़ का कुल घाटा हुआ, जो 2017–18 की तिमाही की तुलना में बैंक का NPA 190% बढ़ा।
- IDBI के जनवरी से मार्च (2018) की तिमाही में 566.76 करोड़ रू0 का कुल घाटा हुआ। जो 2017–18 की तिमाही की तुलना में बैंक का NPA 28% बढ़ा।

इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बैंकों का मुनाफा कर्मचारियों और बैंकों को चलाने में लगने वाले खर्च से कम है।सरकार का कहना है कि बैंक जब एक हो जाएंगे, तो उनको चलाने में लगने वाली लागत में भी कमी आएगी।

बैंकों के विलय का लाभ

बैंकों के लिए–

1. विलय से व्यावसायिक मानकों में सुधार के साथ बड़े बैंक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने एवं कार्यक्षमता के स्वीकार्य स्तर पर जाकर अधिकाधिक नवाचारी उत्पादों एवं सेवाओं को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे भारत के बैंकों को विश्व बाजार में अधिक पहचान और रेटिंग मिलेगी
2. कुछ सरकारी बैंक देश के एक निश्चित भू–भाग में ही सक्रिय हैं, इनका विलय होने से ये अपनी पहुँच को अन्य क्षेत्रों में विस्तार दे सकते हैं।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी आपस में बहुत नकारात्मक प्रतिस्पर्धा रहती है, विलय होने से यह समाप्त हो जायेगी।
4. विभिन्न बैंकों के बीच में होने वाले लेन–देन की मात्रा घट जायेगी, जिस कारण क्लीयरिंग और लेखा–सामंजस्य में समय की बचत होगी, साथ ही बोर्ड के सदस्यों के अनावश्यक हस्तक्षेप में कमी आएगी।
5. अलग–अलग बैंकों में कर्मियों को मिलने वाले लाभ और उनकी सेवा–शर्ते अलग–अलग होती हैं। विलय होने से यह असमानता दूर हो जायेगी।

अर्थव्यवस्था के लिए–

1. विलय से देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रणाली के साथ–साथ समस्त भारतीय बैंकिंग प्रणाली सशक्त होगी, जिससे व्यवसाय के संचालन की लागत तथा तकनीकी अकुशलता में कमी होगी।
2. विलय होने से बैंक अपनी अल्पावधि तथा दीर्घावधि तरलता की समस्या सरलतापूर्वक व्यवस्थित कर सकते हैं।
3. विलय के कारण CMD, ED, GM और जोनल मैनेजर के कई पद समाप्त हो जाएँगे और इससे करोड़ों रूपये बचेंगे।

4. ग्राहकों को एक ही बैंक से कई प्रकार के उत्पाद कम दाम पर उपलब्ध होंगे तथा जोखिम प्रबंधन में भी लाभ होगा।

सरकार के लिए–

1. BASEL III के कठोर मानदंडों, विशेषकर पूँजी पर्याप्तता अनुपात को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

2. बैंक कम होंगे तो सरकार को उन पर नियंत्रण रखने और उनका अनुश्रवण करने में आसानी होगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी देने का बोझ हल्का हो जाएगा।

बैंकों के विलय का प्रभाव–

सार्वजनिक बैंकों के विलय को लेकर कई तरह की आशंकाएँ रहती हैं। हालांकि अभी तक के अनुभवों से इनका देश को फायदा ही मिलता दिख रहा है। सरकार का कहना है कि विलय के बाद बनने वाले नए बैंक कस्टमर बेस, मार्केट में पहुँच और संचालन में दक्षता बढ़ेगी। इसके अलावा ग्राहकों को अच्छी सेवाएँ मिलेंगी। चूँकि बड़े बैंकों को अर्थव्यवस्था से बड़ा लाभ होता है, और वे अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए आसानी से कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, साथ ही बैंक की क्षमता बढ़ने से निवेश तेज होगा और ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।

● बैंकों के विलय से, विलय वाले बैंक के कर्मचारी पहले की तरह अपने–अपने बैंक में अपनी–अपनी जगह पर काम करते रहेंगे। तथा किसी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी लेकिन बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्राँसफर हो सकते हैं। एसबीआई मर्जर के वक्त ऐसा ही देखने को मिला था।

● बैंकों के विलय के बाद कुछ ब्राँच बंद हो सकती है। यह फैसला बैंकों का बोर्ड लेगा। अगर कोई ब्राँच बंद होती है तो आपका खाता दूसरी ब्राँच में ट्राँसफर किया जा सकता है।

● बैंकों का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी IFSC बदल सकता है। IFSC बदलने की जानकारी आपको बैंक देंगे। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग, इंश्योरेंस और म्युचुअल फंड आदि में IFSC आपको अपडेट करना होगा। करीब तीन साल पहले जब एसबीआई के सहयोगी बैंकों का विलय हुआ था तो 1300 बैंक शाखाओं के नाम और आईएफएससी कोड बदल गए थे।

● बैंकों के विलय की प्रक्रिया में कम–से–कम 4 से 6 माह का वक्त लग सकता है, परन्तु ग्राहकों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। बता दें कि SBI में उसके एसोसिएट्स बैंकों के विलय की प्रक्रिया लम्बे वक्त में पूरी हुई थी और इसके बावजूद कस्टमर सर्विस प्रभावित नहीं हुई थी।

● कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों में विलय ग्राहकों के लिए फायदेमंद होता है। मजबूत बैंक खाताधारकों के लिए लंबी अवधि में जमा पर ज्यादा आकर्षक ब्याज दे सकते हैं और कर्ज की दरें भी कम कर सकते हैं।

● अगर आपने कोई एफडी या आरडी करा रखी है तो उस पर बैंक के विलय का असर नहीं पड़ेगा। साथ ही होम लोन, पर्सनल लोन या गाड़ी के लोन की दरों में भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों का कोई लोन चल रहा होगा उन्हें बैंक जाकर नया फॉर्म भरना होगा।

● विलय होने वाले बैंक के क्रेडिट कार्ड रखने वाले ग्राहकों को विलय के बाद उस बैंक का क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा जिस बैंक में उनका विलय होगा तथा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को एंकर बैंक में ट्राँसफर कर दिया जाएगा।

● शेयर बाजार में सूचीबद्ध बैंकों के शेयरधारकों पर भी इस विलय का असर पडेगा। शेयरों के स्वॉप रेशियों का ऐलान बाद में होगा। इसका मतलब यह है कि विलय हो रहे बैंक के शेयर रखने वाले व्यक्ति को उन शेयरों के बदले एंकर बैंक के शेयर जारी किए जाएंगे।

बैंकों के विलय की भावी संभावनाएं–

विलय की घोषणा होते ही अक्सर यह देखा गया है कि कर्मचारी विरोध पर उतर जाते हैं। कर्मचारी यूनियनों का दावा है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

(SBI) में उसके 5 सहयोगी बैंकों के विलय से कोई चमत्कार नहीं हुआ था। उस दौरान कई शाखाओं को बंद करना पड़ा था। एनपीए बढ़ गया था और कर्मचारियों की छँटनी भी हुई थी, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई थी, साथ ही स्टेट बैंक का कारोबार भी घट गया था। 200 साल में पहली बार एसबीआई नुकसान में आ गया था। इसके पहले जब तीन बैंकों के विलय की घोषणा हुई थी तो बैंक यूनियनों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि कर्मचारी नेताओं का मानना है कि बेहतर वित्तीय हालात, बड़े नेटवर्क के कारण कर्मचारियों को कई सुविधाएँ मिलती हैं, जो विलय के बाद बंद हो सकती हैं। बड़े पैमाने पर बैंक कर्मियों को ट्रांसफर किया जाता है और निचले स्तर के कर्मियों की नौकरी जाने का खतरा ज्यादा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंकों के अधिग्रहण के बाद दूरदराज के इलाकों और लोगों तक बैंक व्यवस्था की पहुँच हुई और लोगों को बचत और सरकारी राहत का एक मजबूत और भरोसेमंद तंत्र मिला लेकिन अब यही सरकारी बैंक परेशानी से जूझ रहे हैं। दिसम्बर 2017 तक इन भारतीय बैंकों में करीब 12 लाख करोड़ रू0 का NPA हो चुका है जो सरकारी बैंको की कमर तोड़ रहा है। विलय के कारण कई शाखाओं और ।ज्ड तथा नियंत्रक कार्यालयों को या तो बंद करना होगा या उन्हें स्थानान्तरित करना पडेगा। विलय के कारण कई कर्मी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेंगे और नई–बहाली या तो रोक दी जायेगी या कमी की जायेगी। फलतः कई नौकरियाँ जा सकती हैं, जिस कारण विधि–व्यवस्था की समस्या तो होगी ही, समाज पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। हर बैंक की अपनी कार्य–संस्कृति होती है, विलय होने से इन संस्कृतियों में टकराव हो सकता है तथा यदि कोई बड़ा बैंक घाटे में होता है, तो बैंकिंग उद्योग को भी उतना ही बड़ा धक्का लग सकता है।

परन्तु दूसरी तरफ, बैंक विलय के बाद प्रस्तावित बैंक में Surplus Employees की संख्या कम की जा सकती है तथा एक–दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। परिसम्पत्तियों से होने वाली साझा–आय (Mutual Income) बैंकों के घाटे को कम करने में मददगार साबित होगी। जानकारों का मानना है कि यदि कोई बैंक लगातार घाटे में है तो उसका किसी अन्य बैंक में विलय होना आवश्यक है। अगर ये कदम नही उठाये जाते हैं तो दीर्घकाल में भविष्य में यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. पूर्वांचल बैंक–षष्ट्म वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19
2. उत्कर्ष–पूर्वांचल बैंक की आंतरिक पत्रिका अप्रैल–जून 2019, वर्ष–9, अंक–17
3. मुद्रा एवं बैंकिंग, डॉ0 जी0सी0 सिंघई, साहित्य भवन–आगरा, 282003
4. देसाई, बसन्त, इण्डियन बैंकिंग, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1980
5. जोशी, एन0सी0, इण्डियन बैंकिंग, आशीष पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली, 1978
6. रीजनल रूरल बैंक, 20. ।नह.2019
7. भारतीय अर्थव्यवस्था– दत्त एवं सुन्दरम
8. आर्थिक समीक्षा
9. दैनिक समाचार पत्र एवं इण्टरनेट माध्यम

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

भारतीय जनता पार्टी घोषणापत्र-1999 का एक विश्लेषण

❑ डॉ. आशीष कुमार यादव*

शोध सारांश

1998 के बारहवीं लोकसभा चुनाव में ''स्थिर सरकार योग्य प्रधानमंत्री'' का नारा बुलंद हुआ। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 179 सीटें प्राप्त की लेकिन कांग्रेस एवं अन्य वामपंथी दलों के कारण सरकार नहीं चल सकी। हलांकि 28 वर्ष 1998 को सरकार ने लोकसभा में बहुमत भी सिद्ध किया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1999 में तेरहवीं लोकसभा के लिए चुनाव सम्पन्न हुए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 24 दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन को साथ लेकर 182 (23.70 प्रतिशत मत) सीटें प्राप्त की। और एक स्थाई प्रधानमंत्री भारत को मिला। अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। चुनाव का मुद्दा बड़ा ही स्पष्ट रहा है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पारम्परिक राजनीतिक सिद्धान्तों पर चुनाव लड़ा। जिसका विश्लेषण आवश्यक है।

मुख्य शब्दः—राजनैतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन, लोकतांत्रिक राजव्यवस्था, बहुमुखी विविधता, पारदर्शिता, उदारीकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, निर्यातोन्मुख इकाइयाँ।

प्रस्तावनाः—

जब कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों और उनके पुराने तथा नए बने सहयोगी दलों ने गैरजिम्मेदारी से मिलकर श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार को 1998 में गिरा कर पूरे राष्ट्र को राजनैतिक अस्थिरता के भंवर में डाल दिया तब पूरे राष्ट्र ने महसूस किया कि ये पार्टियाँ पाँच मिनिट में वैकल्पिक सरकार बनाने की डींग हाँकने के बावजूद बहुत दिनों तक भी वैकल्पिक सरकार बनाने का वायदा पूरा नहीं कर सकीं तो उन्होंने चालाकी से राष्ट्र के साथ छल किया और धोखा दिया। और जब पूरा राष्ट्र अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था खो देने के कगार पर खड़ा था एवं राष्ट्र राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति लगभग हताशा की भावना रख रहा था तब हस्ताक्षर करने वाली पार्टियाँ राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ मिलीं और अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की स्थापना की, ताकि भारतीय राजव्यवस्था को भविष्य के एक नए रास्ते पर ले जाया जा सके।

राजग को खड़ा करने का कारण यह है कि राष्ट्र की भावना को व्यापक रूप से ऊंचा उठाया जाए, इस देश के लोगों को संगठित किया जाए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह था कि समान प्रयोजन के बंधनों को फिर से जोड़ा जाए जो हमारी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की मूल जड़े हैं।

* आई.सी.एस.एस.आर., पी.डी.एफ. छात्र, राजनीति विज्ञान, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

राजग राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं–दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आखिर राजग इस देश की बहुमुखी विविधता में एकता भरपूर बहुलवाद और संघवाद का दर्पण ही तो है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र–1999 में प्रमुख प्रतिवध्यताऐं दिखाई पड़ती है जो निम्नलिखित हैं–

सुशासन प्रदान करने की प्रतिबद्धता–

लोगों के सामने हमारी प्रथम प्रतिबद्धता एक ऐसी स्थायी, ईमानदार, पारदर्शी और कुशल सरकार देने की है, जो चहुँमुखी विकास करने में सक्षम हो। इसके लिए सरकार आवश्यक प्रशासनिक सुधारों के समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करेगी। इन सुधारों में पुलिस और अन्य सिविल सेवाओं में किए जाने वाले सुधार शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था–

हम सुधार प्रक्रिया जारी रखेंगें। इसमें हम स्वदेशी के भाव पर बल देंगें, ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के इ सिद्धांत पर विकसित हो कि भारतीय ही भारत का निर्माण करेंगें, बेरोजगारी का उन्मूलन और तेजी से बुनियादी ढाँचे के विकास विशेष रूप से ऊर्जा तथा बिजली उत्पादन में वृद्धि को प्रमुखता देते हुए सुधारों का पुनः आकलन किया जाएगा तथा सुदृढ़ किया जाएगा। हम जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) की दर को बढ़ाकर 7–8 प्रतिशत तक ले जाएँगें और राजकोषीय एवं राजस्व घाटों को नियंत्रण में रखेंगें। हम राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम बनाने की संभावना की जाँच करेंगें। हम ऐसे सभी कदम उठाएँगे, जिनमें हमारे राष्ट्रीय हितों की सभी नीतियों और कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित किया जा सके। और राष्ट्रीय विकास के सभी प्रयासों में मानवता का ध्यान रखते हुए अंततः पूरी तरह से गरीबी का उन्मूलन करना हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके लिए हम बेरोजगारी हटाओं का आव्हान करते हैं ऐसा नहीं है कि स्वदेशी से हम पुनः चरखे का आविष्कार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेंगें, जिनसे उन्हें इतनी ताकत मिल जाए कि घरेलू उद्योग स्थानीय और विश्व के बाजारों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मुकाबला कर सकें। हम चाहते हैं कि घरेलू कंपनियाँ फूले–फले और देश से बाहर भी उन्हें ऊँचा दर्जा मिले, अर्थात् ट्रांस नेशनल स्टेट्स मिले।

व्यापार और वाणिज्य–

निर्यात के लिए विशिष्ट विकास क्षेत्रों में विशिष्ट उत्पादों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करेंगें और बागवानी तथा पुष्पोत्पादन की निर्यातोन्मुखी इकाईयों के लिए विशिष्ट पैकेजों की घोषणा की जाएगी। विकासशील देशों के बीच विश्व व्यापार वरीयता प्रणाली जी.एस.टी. पी. का विस्तार करके व्यापार और आर्थिक सहयोग की एक पद्धति का निर्माण करने के लिए जोरदार समर्थन देने का इरादा हम रखते हैं। और अधिक मजबूती से भारत के राष्ट्रीय हितों पर विशेष रूप से नवंबर 1999 में होने वाले विश्व व्यापार संगठन के समीक्षा सम्मेलन में हम और भी जोर देंगें। एक स्वस्थ पुण्य विनिमय प्रणाली की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंध स्वायत्त ढंग से किया जाएगा।

श्रम–

राष्ट्र की संपदा के उत्पादन और इसकी प्रगति में संघटित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों को हम बराबर का और गौरवपूर्ण सहभागी बनाएँगें। पुरूषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी कानूनों को कड़ाई से कार्यान्वित किया जाएगा।

बेरोजगारी का उन्मूलन–

प्रत्येक नागरिक के लिए काम के अधिकार को मानते हुए नई सरकार बेरोजगारी हटाओं पर बल देगी इस समय जो बेरोजगारी की दशा चल रही है, हमारी सरकार इसे बदल कर लाभप्रद रोजगार पैदा कर विकास के उपाय करेगी। कृषि स्वरोजगार गैर निगमित क्षेत्रों, बुनियादी ढाँचे के विकास और आवास के क्षेत्रों में हमारे नए निवेश तथा इन्हें संस्थागत स्वरूप देने पर बल देने के कारण यह सभी उपाय सभी स्तरों पर विशाल मात्रा में रोजगार पैदा करने के साधन बन सकेंगें।

खाद्यान्न सुरक्षा और मूल्य स्थिरता–

सभी के लिए हम खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करेंगें, अगले पाँच वर्षों में भारत से भूख मिटा देंगे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनर्रचना करेंगें और इसमें सुधार लाएँगें ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों में अत्यधिक गरीब की सेवा की जा सके। सभी समुचित उपायों से और आवश्यक कानून बनाकर हम मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करेंगें।

स्वास्थ्य और पेयजल–

हम इस बात को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगें कि अगले पाँच वर्षों में सभी गाँवों में पीने का पानी उपलब्ध हो जाए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पानी के उपयोग के सदियों पुराने तथा परंपरागत तरीकों की ओर तत्काल ध्यान दिया जाएगा।

सभी के लिए शिक्षा–

हम पूरी तरह से निरक्षरता मिटा देने के लिए वचनबद्ध है। हम इस तरह से योजना बनाएँगे और कार्यान्वित करेंगें कि शिक्षा पर सरकारी और गैर सरकारी व्यय धीरे धीरे बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक जा पहुँचे, जिसमें सभी को शिक्षा मिल सके। हम पाँचवीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में किए गए प्रावधान को कार्यान्वित करेंगें। हमारा लक्ष्य है कि स्कूल की पढ़ाई छोड़ने की अवस्था तक सभी को समान रूप से शिक्षा देने और अवसर प्राप्त कराने के दिशा में बढ़ा जा सके। हम प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करेंगें।

सभी के लिए आवास–

आवास मानव की बुनियादी आवश्यकता है जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की जरूरत है। अतः राज्य सरकारों से परामर्श कर एक राष्ट्रीय आवास और निवास नीति बनाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। जिसका उद्देश्य सभी को आवास प्रदान करना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रतिवर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवास इकाईयों का निर्माण करेंगें। अन्य कार्यक्रमों की भाँति इसमें भी गरीबों और वंचितों को लाभ देने पर बल दिया जाएगा।

महिलाओं को शक्तिसंपन्न बनाना–

महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाएँगें। कॉलेज स्तर, जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं, तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना भी हम शुरू करेंगें, ताकि महिलाएँ अधिक शक्तिसंपन्न बन सकें, हम लघु क्षेत्र तथा छोटे मोटे क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के लिए एक विकास बैंक भी बनाएँगें।

युवा शक्ति का उपयोग–

हमारे देश की जनसंख्या में युवाओं की संख्या अधिक है। ये परिवार गाँव, इलाके और समुदाय की शक्ति है। ये हमारे राष्ट्र का भविष्य भी हैं। हम अपने समाज के इस अत्यंत आदर्शवादी, प्रेरणादायी तथा ऊर्जावान वर्गों को संगठित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँगें, ताकि ये राष्ट्र निर्माण के हमारे मिशन में लग सकें। इस प्रायोजन के लिए एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी का गठन करने हेतु एक राष्ट्रीय आम सहमति तैयार करेंगें। जिसका उद्देश्य पर्यावरण–सुरक्षा, पारिस्थितिकी से जुड़े कार्य, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना जिसमें वन्यीकरण भी शामिल है। और साक्षरता का प्रसार करना होगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम भी तैयार करेंगें।

बच्चे–

बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय अधिकार पत्र प्रस्तुत करेंगें। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा, अन्न या चिकित्सा से वंचित न रहे। हम बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कदम उठाएँगें।

जनसंख्या–

सुधरी हुई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराकर प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाकर मुहल्ला/बस्ती स्तर तक गर्भनिरोधक सेवाएँ उपलब्ध कराकर महिलाओं

की शैक्षिणिक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हम वचनबद्ध हैं।

संवैधानिक एवं कानूनी सुधार–

न केवल 1996 के बाद के अपितु वस्तुतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की समस्त अवधि के अनुभवों तथा घटनाचक्र को ध्यान में रखकर देश के संविधान की समीक्षा करने और तत्संबंधी उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए हम एक आयोग की नियुक्ति करेंगें। हमें पूरा विश्वास है कि राज्यों को और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देने तथा कार्य सौंपने की स्पष्ट रूप से आवश्यकता है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर केन्द्र राज्य संबंधो में समरसता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम हम उठाएँगें और पंचायतों तथा स्थानीय निकायों को सक्रियता प्रदान कर और इसमें सम्मिलित करके ठीक निचले स्तर तक विकेन्द्रीकरण भी करेंगें। संघ के जिन राज्यों में गत पाँच दशकों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है। उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संघ के प्रत्येक राज्य में सबसे कम विकसित क्षेत्रों का पता लगाने और उनके विकास के लिए व्यापक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक पिछड़ा क्षेत्र आयोग स्थापित किया जाएगा। संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी 19 भाषाओं का व्यवहार सरकारी भाषा के रूप में करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

हम गोस्वामी समिति, इन्द्रजीत गुप्त समिति तथा विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक चुनाव सुधार करेंगें, जिससे राजनीति के अपराधीकरण, दल बदल, भ्रष्टाचार से निबटा जा सके और चुनावी कुप्रथाओं को रोका जा सके।

भ्रष्टाचार–

प्रधानमंत्री सहित किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को निपटाने के लिए हम लोकपाल विधेयक पारित करेंगें, जिसमें लोकपाल के पास पर्याप्त शक्ति होगी। हम धनवान एवं निर्धन तथा सशक्त एवं अशक्त के मध्य भेदभाव नहीं होने देंगें, कानून की गरिमा एवं राज्य की निष्पक्षता को पुनः स्थापित करेंगें।

नए राज्य–

हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगें। और उत्तरांचल, वनांचल तथा छत्तीसगढ़ नामक नए राज्य भी बनाएँगें।

राष्ट्रीय सुरक्षा–

आज एकध्रुवीय विश्व में यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि भारत निरंतर अपने सशस्त्र बलों की तैयारी की स्थिति मनोबल एवं प्रभावी युद्ध कौशल को बनाए रखें तथा मजबूत करें।

हाल में संस्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सरकार को इस संबंध में तथा एक विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक की स्थापना के बारे में भी सलाह देगी। हाल में जिस प्रकार से विश्व में असमानता फैली है एवं कमजोर पर हावी होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। उसे देखते हुए आज के युग में ये न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं।

आंतरिक सुरक्षा–

देश के सभी भागों में सभी नागरिकों की सुरक्षा और उनके बचाव को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम एक दंगारहित एवं आतंकरहित देश का निर्माण करने के लिए कारगर कदम उठाएँगें।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध–

विगत 13 महीनों में देश को विश्व में उसके आकार और महत्व के अनुरूप एक प्रतिष्ठित स्थान भूमिका और दर्जा दिलाने की अपनी क्षमता को सरकार ने प्रदर्शित कर दिया है। हमने यह भी दिखा दिया है कि शांति एवं मित्रता की हमारी अभिलाषा का अर्थ कमजोरी न समझा जाए अपितु हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि आक्रमण को हम सफल नहीं होने देंगें। हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कारगर तरीके से संबंध स्थापित किए हैं और अत्यधिक सूझ–बूझ का वातावरण तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की स्थिति सुधारने के लिए संबंध बनाने की इस प्रक्रिया को और

विकसित किया जाएगा। हम साक्र और आसियान की तरह क्षेत्र और समूहीकरण करने को बढ़ावा देंगे तथा इसे और सुरक्षा लक्ष्यों को सुदृढ़ करेंगें। अपने आर्थिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी कूटनीति का पुनः निर्धारण करेंगें।

सच्ची पंथनिरपेक्षता–

एक सुसभ्य, सहृदय एवं न्यायसंगत नागरिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वह ऐसी व्यवस्था होगी जो जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, नस्ल अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। सर्वपंथ समादर की भारतीय परंपरा के अनुरूप तथा सबके साथ समानता के आधार पर पंथनिरपेक्षता की विचारधारा का सच्चे अर्थों में तथा ईमानदारी से पालन करेंगें और उसे व्यवहार में लाएँगें। अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के प्रति हम वचनबद्ध हैं और इस संबंध में कारगर कदम उठाएँगें।

अनुसूचित जातियाँ–

उपर्युक्त कानूनी, सरकारी तथा सामाजिक प्रयासों के द्वारा और बड़े पैमाने पर शिक्षा तथा शक्तिसंपन्न बना कर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों का पर्याप्त रक्षण किया जाएगा। राज्य स्तर पर सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में वर्तमान आरक्षण के प्रतिशत को कानूनी तौर पर संरक्षण प्रदान करेंगें।

प्रसार भारती–

हम प्रसार भारती अधिनियम की समीक्षा करेंगें अैर निजी प्रसारण को नियमित करने तथा राष्ट्रीय हितों के रक्षण के लिए व्यापक प्रसारण विधेयक भी पारित कराएँगे। हम निजी टेलीविजन प्रसारण में विदेशी शेयर पूँजी का निवेश 20 प्रतिशत तक सीमित कर देंगें। तथा मीडिया में एकाधिकार के प्रभाव से बचने के लिए प्रति अंशधारिता क्रास होल्डिंग को रोकेंगें।

विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी–

हम यह सुनिश्चित करेंगें कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के साथ हमारे प्रयासों को जोड़ दिया जाए, ताकि देश में दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास का पोषण किया जा सके और देश को ज्ञान का प्रसार करने वाले सक्षम तथा आधुनिक देश के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सके, जो वस्तुतः बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम तेजी से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को आधुनिक रूप देंगें। अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ करेंगें, उत्कृष्ट गुणवत्ता के केन्द्र स्थापित करेंगें। और वर्तमान केन्द्रों को मजबूत बनाएँगे, ताकि वे अमूल्य राष्ट्रीय परिसंपत्ति बने रहे और अन्यत्र नीति संबंधी उतार चढ़ावों से पूर्णतया उन्मुक्त हो जाएँ।

सूचना तकनीकी–

विश्व में सूचना तकनीक के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ रही है हमारा यह विश्वास है कि सूचना तकनीक भविष्य में विकास का एक महत्वपूर्ण साधन होगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध है कि भारत विश्व की प्रगति में पूर्ण एवं समान भागीदार हो। वस्तुतः हमारा देश सॉफ्टवेयर के मामले में एक सर्वोच्च शक्ति बन सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अल्पकालीन मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नीति तैयार करेंगें।

निष्कर्ष–

हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि लगभग 100 करोड़ लोगों के इस राष्ट्र का शासन जो मानवता के छठे भाग का प्रतिनिधित्व करता है मात्र बहुमत तथा अल्पमत की गणना के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। व्यावहारिक रूप से शासन इस प्रकार का होना चाहिए कि वह एकता स्थापित करें न कि फूट डाले। अंधाधुंध बहुमत के प्रभुत्व के कारण ही कटुता शत्रुता और टकराव की भावना पैदा हुई है यहाँ तक विपक्षी तथा सत्तारूढ़ दलों को एक दूसरे का स्थायी विरोधी बना दिया है। राजनीति के इस नकारात्मक एवं अस्पृश्यतावादी विनाशकारी रवैये ने गत कुछ दशकों में हमारे राजनीतिक क्षेत्र को छिन्न भिन्न कर दिया है। इसमें यथाशीघ्र सुधार की आवश्यकता है। अतः हम

राष्ट्र के समक्ष विद्यमान सभी बड़े–बड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों तथा समाज के सभी वर्गों से बातचीत करके राष्ट्रीय आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगें। जहाँ तक व्यवहारिक होगा, हम आम सहमति से ही शासन चलाने का प्रयास करेंगें।

संदर्भ–

- गौर, महेन्द्र, इण्डियन पॉलिटिकल पार्ट्रीज एनवुअल, कल्याण पब्लिकेशन, .नई दिल्ली, 2006.
- सिंह, बीरकेश्वर प्रसाद, शासन एवं राजनीति, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004.
- शर्मा, देवेन्द्र प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी और गांधी विचारधारा, एटलांटिक पब्लिशर्स, दिल्ली, 2008.
- हमारी पंच निष्ठाऐं, भारतीय जनता पार्टी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006.
- भारतीय जनता पार्टी, चुनावी घोषणा पत्र 1980–2005, पार्टी दस्तावेज खण्ड–1, नई दिल्ली, 2004.
- भारतीय जनता पार्टी, चुनावी घोषणा पत्र– 1980–2005, पार्टी दस्तावेज खण्ड–1, नई दिल्ली, 2005.
- राष्ट्र धर्म, मासिक पत्रिका, भाजपा विशेषांक, सितम्बर 2005.
- माया, 18 जुलाई 1999.
- इण्डिया टुडे, 20 जुलाई 1999.
- रंजन, राजीव, चुनाव–लोकसभा और राजनीति, ज्ञानगंगा प्रकाशन, जयपुर, 2000.
- दैनिक जागरण, 28 सितम्बर 1999.
- आउट लुक, साप्ताहिक, 20 दिसम्बर 1999.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3
ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

राष्ट्रीय राजनीति और स्वयं सेवक संघ

❑ विवेक कुमार सिंह*

शोध सारांश

राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सेवा क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की वजह से आज संघ विश्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन बन गया है। यह देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान स्थापित किया हुआ है। संघ की कार्यशैली आमजन को इसके विषय में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। डॉ. केशवबलिराम हेडगेवार से लेकर वर्तमान संघचालक मोहन भागवत तक के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने विश्व के मानचित पर एक अमिट छाप छोड़ी है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद, हिन्दू एकता तथा सामाजिक उन्नति के लिए जो अलख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जगाई है वह किसी से छुपा नहीं है। संघ का हमेशा यह प्रयास रहा है कि मानवता को उच्च शिखर तक कैसे पहुँचाया जाए। समाज में व्याप्त असामाजिकता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए करोड़ो संघ कार्यकर्ता दिन–रात अपनी सेवा राष्ट्र निर्माण में दे रहे हैं। संघ की यह अलख ज्योति अबिरल इस धरा पर पुष्पित और पल्लिवत होती रहेगी।

मुख्य शब्द : संस्कृति, राष्ट्रवाद, हिन्दु एकता, सामाजिक उन्नति, असामाजिकता, मानवता।

प्रस्तावना :–

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म नागपुर में हुआ था। उनका बचपन से ही मानना था कि देश पर अग्रेंजों का शासन नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने निरंतर अग्रेंजी शासन का विरोध किया। डॉ. हेडगेवार का अदम्य साहस, निर्भिकता और मानवता संघ का मूल मंत्र बन गया। इसी मंत्र को आत्मसात करके करोड़ों कार्यकर्ता दिन–रात अथक परिश्रम करके संघ की नीतियों तथा सेवाभाव से समाज को नई दिशा प्रदान करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक उत्थान के साथ–साथ राष्ट्र के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी भूमिका का श्रेय डॉ. हेडगेवार की शिक्षा–दीक्षा से प्राप्त हुआ है। जो श्रेयस्कर है। समाज और समाज के लोगों का उत्थान संगठन का परम लक्ष्य बन गया है। जिसके लिए संघ निरंतर नए–नए विचारों और नई ऊर्जा के साथ समाज की उन्नति का रास्ता निकालता रहता है। चूंकि संघ समस्या में से समाधान निकालता है और इसलिए संघ का समाधान

* शोध छात्र राजनीति विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

कभी भी विफल नहीं रहा है। संघ में निरन्तर ऐसे महान योगी, विचारकों तथा कार्यकर्ताओं का समागम रहा जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन संघ के विचारों को विश्व के मानचित्र पर रखा। उदाहरण के तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लिया जा सकता है। दीनदयाल जी असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने सम्पूर्ण विश्व को एकात्म मानववाद का दर्शन कराया। उनके विचार भारतीय राजनीति एवं भारतीय समाज में मील का पत्थर साबित हुई। ऐसे मानवतावादी विचार केवल संघ में देखने को मिलता है। वास्तव में संघ सम्पूर्ण विश्व को एक इकाई के रूप में देखता है। और इस इकाई में संघ को सिर्फ और सिर्फ मानवमात्र का दर्शन होता है। इसीलिये संघ मानवता की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझता है। संघ समाज के उत्थान के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहता है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अपनी एक विचार धारा है। जिसमें अन्य लोग भी डॉ. हेडगेवार के साथ जुड़े रहे जिन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया जिनमें अनेक सरसंघ चालक हुये जो निम्नलिखित रूप से देखे जा सकते हैं:–

डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार	:	1925–1940
माधव सदाशिव गोलवलकर	:	1940–1963
मधुकर दत्तात्रेय देवरस	:	1963–1993
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह	:	1993–2000
सुदर्शन जी	:	2000–2009
मोहन भागवत	:	2009 से वर्तमान तक

संघ के ज्यादातर कार्यों का निष्पादन शाखा के माध्यम से होता है। यह शाखा नियमित रूप से सुबह और शाम की होती है। जिसमें सभी स्वयं सेवकों का मिलन होता है। वर्तमान समय में पूरे भारत में संघ की लगभग 55 से 60 हजार शाखा लगती है। यह शाखा ही है जिस पर इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है। शाखा में सामान्य रूप से प्रार्थना, खेल, व्यायाम, दण्ड प्रहार तथा योग होता है। इसके साथ ही भारत की संस्कृति, राष्ट्रवाद, भारत तथा विश्व ऐसे अनेकों विषयों पर बौद्धिक चर्चा होती है। यही नहीं विश्व भर में शाखा चलती है और यह शाखा 1 घंटे की होती है। इसी शाखा से कार्यकर्ताओं को कार्य की प्रेरणा मिलती है। संघ का केन्द्र बिन्दु शाखा को माना जाता सकता है।

निश्चित तौर पर विश्व का इतना बड़ा संगठन राष्ट्र एवं समाज के चिंतन में निरंतर अपना सहयोग देता रहा है। समाज की तथा राष्ट्र की उन्नति में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बहुमूल्य योगदान दिया है, जिसको निम्नलिखित रूप से रेखांकित किया जा सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन :–

अनेक लेखकों एवं विचारकों का मत रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं रही है। लेकिन यह यथार्थ नहीं है। शायद इन लेखकों और विचारकों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अपने वैचारिक चश्मों से देख ही नहीं पाए, इसीलिये इनके विचारों में संघ का जिक्र तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वयं सेवक संघ की भूमिका को झुठलाया नहीं जा सकता है।

1930 में जब गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ और यही सत्याग्रह गुहा जी तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने विदर्भ में जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था जो कि नमक सत्याग्रह के समान ही था, उन्हें बन्दी बनाया गया था और 9 महीने के कड़े कारावास में भेजा गया था, यही नहीं 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के समय गांधी जी के साथ संघ तथा संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया था। 1943 के चिमूर आन्दोलन में जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों को मौत की सजा सुनाई गयी थी, जिसमें प्रमुख रूप से रामटेक (नागपुर जिला) में जो व्यक्ति सरकारी भवन पर निरंगा लहरा रहा था वह संघ का सेवक था। जब श्रीमती अरूणा आसफ अली भूमिगत हुई तो उन्हें हंसराज गुप्ता ने दिल्ली में अपने घर में शरण दी थी। (श्री गुप्ता बाद में संघ की दिल्ली इकाई के प्रमुख बने), सतारा के श्री

नाना पाटिल जिन्होंने ब्रिट्रिश विरोधी आन्दोलन को कई दिन तक आगे बढ़ाया और पंडित सातवलेकर के घर में भूमिगत रहे, वे बाद में नजदीकी कस्बे के संघ चालक बने।

यह शास्वत सत्य है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारत विभाजन के खिलाफ था। जनसंख्या की अदला–बदली का प्रस्ताव संघ ने नहीं बल्कि डॉ. अम्बेडकर के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया गया था। संघ को इस बात का पता था कि महात्मा गांधी विभाजन को रोकने में सफल नहीं हो सकते हैं। 1946 के चुनावों में कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुख्य बिन्दु अखण्ड भारत था। इसके बाद जो घटित हुआ उस पर कोई पर्दा नहीं है। वह सब जगजाहिर है।

देश की आजादी की लड़ाई में हमारे सेनानियों ने समर्पित होकर अपनी प्रभावी भूमिका निभाई। स्वतंत्रवीरों के समर्पण, त्याग और संघर्ष के परिणाम स्वरूप अग्रेजों की दासता से मुक्ति के साथ हमें आजादी प्राप्त हुई। आज से सात दशक पूर्व जब देशवासियों ने स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक तिरंगा लहराया तो उनके मन में एक अपूर्ण उत्साह तो था ही अपने सपनों को साकार देख पाने की लालसा भी थी। जिसको निश्चित तौर पर लोकतंत्रवादी व्यवस्था ने उन सपनों को साकार किया।

जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक :–

1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 11 सदस्यों के साथ जनसंघ की स्थापना हुई। तब से लेकर अब तक की यात्रा जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में चली और बढ़ी है। आज भाजपा भारत की संगठनात्मक व चुनावी राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आज सबसे अधिक सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर भाजपा के हैं। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार है और जयप्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में सबसे अधिक सदस्यता भी भाजपा की है।

लेकिन यहां तक की यात्रा सहज नहीं रही। कई उतार–चढ़ाव आए। पार्टी के दो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय का बलिदान हुआ, राष्ट्रीय आंदोलनों में कई कार्यकर्ता शहीद हुए, जेल गए। हार–जीत के भी अवसर आए। 1951 से लगातार बढ़त बनाते हुए 1984 में मात्र दो सांसदों के बावजूद नेतृत्व और कार्यकार्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी। सबने मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाया और मौजूदा स्थिति तक लेकर आए। 1951 से 1975 तक कालखण्ड में जितने भी आंदोलन हुए, उनमें अधिकांश जनसंघ ने ही किये। जम्मू–काश्मीर में प्रवेश, गोवा मुक्ति, कच्छ का आंदोलन, बेरूवाड़ी आंदोलन इसके उदाहरण है। इन आंदोलनों से पार्टी की राष्ट्रवादी छवि बनी और करोड़ों राष्ट्रवादी मन रखने वालों को लगा कि कोई राजनीतिक दल जो है तो हमारी बात कह रहा है।

आपातकाल एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ :–

1975 में आपातकाल लगने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवानी सहित कई प्रमुख नेता और हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। कई कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह करके खुद को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया। उन्हें और उनके परिवारों को कई तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं की जेल में ही मृत्यु हो गई। लोकतंत्र की रक्षा की इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ और अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर लड़ा। आपातकाल के बाद चुनाव में विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। उस समय बड़ा दल होने के बावजूद जनसंघ ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता पार्टी में अपना विलय स्वीकार किया। तानाशाही को समाप्त कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह प्रयास सफल रहा और मार्च 1977 में जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। दुर्भाय से यह प्रयोग लंबा नहीं चल पाया। दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनसंघ के सभी नेता जनता पार्टी से अलग हो गए। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की स्थापना हुई और मुम्बई में उन्होंने घोषणा की 'अंधेरा छंटेगा–सूरज निकलेगा–कमल खिलेगा'।

1989 के बाद :—

1989 से आज तक भाजपा के सांसदों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। 1989 के बाद कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनी और केन्द्र में पहले 13 दिन, फिर 13 माह और बाद में पूरे पांच वर्ष की सरकार बनी। डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक तक एकता यात्रा राष्ट्रभाव के जागरण का अनूठा प्रयास था। पूरा भारत तिरंगा हाथ में लेकर राष्ट्रगौरव के भाव के साथ खड़ा हो गया। पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद तो भारत ही नहीं, पूरे विश्व में राष्ट्रगौरव का भाव हिलोरें लेने लगा। कई बड़े देशों की आर्थिक पाबंदियों के आगे भी अटल बिहारी वाजपेयी के आगे भी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं झुके। कारगिर युद्ध के बाद सरकार ने जिस सम्मान के साथ शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाया उससे भारतीय सेना के शौर्य—पराक्रम के प्रति पूरा देश नत—मस्तक हो गया।

अटलबिहारी वाजपेयी से नरेन्द्र मोदी तक :—

एनडीए—1 के शासनकाल में राजनीति में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने के कई सुधारात्मक उपाय हुए। इनमें राज्यसभा चुनाव में खुला मतदान, सरकार में मंत्रिमंडल की संख्या 15 प्रतिशत करना जैसे कदम शामिल थे। हवाई, रेल, सड़क और मोबाइल से देश को जोड़ने के प्रयास हुए। हालांकि इसके बावजूद 2004 में पार्टी की जीत हासिल नहीं हो सकी। पार्टी ने 2004 से 2014 तक पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरूद्ध लंबा संघर्ष किया। इसी दौरान गुजरात सुशासन व विकास की दृष्टि से मॉडल प्रदेश बना तथा गुजरात के मुख्मंत्री रहते हुए, नरेन्द्र मोदी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर उभरी। उनकी अगुवाई में देश की जनता ने स्वच्छ और पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में भाजपा को चुना और 30 वर्ष बाद केन्द्र में किसी एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इन चार वर्षों में संगठन का चहुंमुखी विस्तार हुआ। केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने गरीबों को केन्द्र में रखकर काम किया। गाँव, कस्बा और शहर सहित समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई गई। स्मार्ट सिटी योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा और किसानों को लागत मूल्य का 15 गुना दाम, देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख के वार्षिक स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने सहित कई योजनाएं लाई गई। अगले कुछ वर्षों में देश के सभी गांवों एवं सभी घरों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है। इसी तरह स्वच्छता जन अभियान बन गया है। घरों में शौचालय निर्माण तथा गैस चूल्हा पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा है। आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने के साथ इकट्ठे 100 उपग्रह छोड़ने की उपलब्धि भी इस सरकार के खाते में है। लोगों में यह विश्वास बन रहा है कि देश भ्रष्टाचार से मुक्त होकर सुशासन के साथ विकास के रास्ते पर चल रहा है और सरकार राष्ट्र की रक्षा के प्रति संकल्पित होकर दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने में भी सफल हो रही है। राजनीतिक दल 2,000 रूपये से अधिक नकद चंदा नहीं ले सकते, यह फैसला स्वच्छ राजनीति की ओर एक कदम है। सरकार ने लोकलुभावन की बजाय नोटबंदी और जीएसटी जैसे कड़े फैसले लिए तथा सेना को सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति देकर देश का मनोबल उठाने का काम किया है। इसी का परिणाम है पार्टी बढ़ रही है तथ चुनावी राजनीति में भी निरंतर अच्छी सफलता मिल रही है। त्रिपुरा की जीत तो ऐतिहासिक है, जहां शून्य से बढ़कर तीन चौथाई बहुमत की सरकार बनी। कई राज्यों में पार्टी को करीब 50 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन मिलना भी महत्वपूर्ण है। यह विजय अभियान निरंतर चलता रहे, यही प्रयास सबका है।

निष्कर्ष :—

राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह अंकित करना ठीक नहीं है। जनसंध से लेकर जनता पार्टी तक तथा जनता पार्टी से लेकर अटलबिहारी वाजपेयी तक संघ के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी महती भूमिका अदा की है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संघ के प्रचारक ही रहे हैं जो आज

इतने बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, और यह नेतृत्व सही दिशा में हो रहा है।

वर्तमान समय कोरोना जैसी महामारी में भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता अपने अथक प्रयासों से सेवा कर रहे हैं। दिल्ली, मुम्बई एवं अन्य शहरों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इतना अदम्य साहस, निर्भिकता तथा सेवा भाव एक स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता में हो सकता है दूसरो में नहीं। यह सेवाभाव का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मानव वादी विचारों से सीखा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. देखमुख, नाना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2011.
2. गोलवलकर, एम.एस., श्री गुरूजी समग्र, सुरूचि प्रकाशन, दिल्ली, 2006.
3. खरे, ब्रम्हानन्द, राष्ट्रीय संचेतना में डॉ. हेडगेवार का योगदान, शोध प्रबंध, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, 2014.
4. कुमार, जे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ : लक्ष्य और कार्य, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 2002.
5. मोदी, नरेन्द्र, सामाजिक समरसता, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2012.
6. सारवरकर, व्ही.डी., हिन्दुत्व, हिन्दी साहित्य सदन, इलाहाबाद, 2013.
7. हिन्दी विवेक, मुम्बई, मार्च 2019.
8. पतंगे, रमेश, डॉ. हेडगेवार एक अनोखा नेतृत्व, सुरूचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016.
9. उपाध्याय, दीनदयाल, एकात्म मानववाद, अर्चना प्रकाशन, भोपाल, 2015.
10. वाजपेई, प्रशांत, धर्मक्षेत्रे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक की सामाजिक भूमिका, केशव कुटी, जबलपुर, म.प्र., 2019.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

स्त्री-पुरुष अवधारणा : राजेन्द्र यादव की कलम से

❒ डॉ. आशुतोष कुमार द्विवेदी*
❒ अंजना सिंह**

शोध सारांश

भारतीय समाज में व्यक्ति विभिन्न संबंधों में ही जीता है और इन्हीं संबंधों के माध्यम से ही उसका अस्तित्व एवं व्यक्तित्व विकास पाता है। राजेन्द्र यादव ने अपने उवन्यासों में स्त्री पुरूष संबंधों के विभिन्न रूपों का सुंदर चित्रण किया है। एक ओर उन्होंने नारी की असहाय स्थिति का वर्णन किया है तो दूसरी ओर पुरूष मानसिकता का चित्रण करने में भी कुशलता से किया है। राजेन्द्र यादव के अपने उपन्यासों 'सारा आकाश' तथा 'उखड़े हुए लोग' में स्त्री – पुरूष संबंधी चिंतन एवं संभावनाओं की राहों की तलाश का विस्तृत फलक हमें मिलता है। उन्होंने इसमें स्त्री – पुरूष के पारस्परिक संबंधों की सूक्ष्म जटिलताओं को नए दृष्टिकोण के साथ चित्रित किया है और इसके अनेक अछूते आयामों को नए तरीके से विश्लेषित किया है। दोनों उपन्यासों के केन्द्र में स्त्री – पुरूष संबंध है।

व्याख्या–वास्तव मेंअगर देखा जाय तो विशेष रूप से मध्यवर्गीय समाज में स्वाधीनता के बाद बदलते, बनते, बिगड़ते, टूटते, घुटते, पिसते स्त्री–पुरूष संबंध को राजेन्द्र यादव ने बहुलता से प्रस्तुत किया है।'' व्यक्ति–व्यक्ति के संबंधों में सबसे अधिक जटिल, नाटकीय और अनिवार्य संबंध स्त्री–पुरूष का आपसी संबंध है इसलिए वही लेखक को असाधारण रूप से आकर्षित भी करता है।मानवीय भावनाओं के तीव्रतम आलोड़न किसी हद तक खतरनाक उथल–पुथल उसी सम्बन्ध के आसपास बुने जाते हैं।''1 लेखक ने 'सारा आकाश' में पारंपरिक परिवार में पिसते नवविवाहित जोड़े के माध्यम से स्त्री–पुरूष की नयी अवधारणा प्रस्तुत की है''सारा आकाश' प्रमुखतः निम्नमध्यवर्गीय युवक के अस्तित्व के संघर्ष की कहानी है, आशाओं, महत्वाकांक्षाओं और आर्थिक सामाजिक, सांसारिक सीमाओं के बीच चलते द्वन्द्व, हारते–थकते और कोई रास्ता निकालने की बेचैनी की कहानी है। उसके इसी कथ्य को रेखांकित करने के लिए मैने लिखने के आठ साल बाद दिनकर की पंक्तियों से 'सारा आकाश' शब्द पकड़ा था।''2 राजेन्द्र यादव स्वाधीनता पश्चात् के कथाकारों में मुख्यतः गिने जाते हैं, अपने उपन्यासों में उन्होंने जिस यथार्थ का चित्रण किया है वह भारतीय समाज तथा उसके नियमानुसार अपने लेखन को किया है। उन्होंने यह पूर्णतः स्वीकार किया है कि पुरूष की

* शोध निर्देशक, प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी, हिंदी विभाग, ए.पी.एस.यू. रीवा (म.प्र.), मोबाइल नं.– 9340751047, ई–मेल : anjanasingh25788@gmail.co

सामंतवादी सोच ने कभी भी स्त्री की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया। पहले नारी को शक्ति व सौम्यता का प्रतीक माना जाता था।

उसके विद्रोही स्वरूप की कल्पना भी नहीं की जाती थी, किन्तु धीरे – धीरे उसकी सुप्त चेतना जागृत होने लगी । जीवन की कटु परिस्थितियों , पुरूष वर्ग अनुचित व्यवहार तथा शोषण ने उसे विद्रोही बना दिया। किन्तु धीरे–धीरे समाज में , परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ–साथ उसकी परम्परागत मानसिकता में भी परिवर्तन आया। अब वह अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हो गई। वह परम्परागत रूढ़ियों तथा मान्यताओं का विरोध करने लगी। ''स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय समाज में काफी परिवर्तन आये हैं। शिक्षा के व्यापक प्रसार ने मानवतावादी दृष्टिकोण का अधिक प्रचार किया है। औद्योगिक उन्नति ने धार्मिक विश्वासों पर प्रश्नचिन्ह लगा दिये हैं। नारी – सुधार आन्दोलनों ने जहाँ एक ओर स्त्री की दशा में सुधार किया है वहीं दूसरी ओर अपने अस्तित्व के प्रति सजग स्त्री को रूढ़ि व परम्परा का विरोधी भी बना दिया है।''3 भारतीय समाज में पुरूष का सदैव वर्चस्व रहा है और उसकी स्थिति प्रारम्भ से ही सुदृढ़ रही लेकिन इसके विपरीत स्त्री की परिवर्तनशील रही है। वैदिक काल से बीसवीं शताब्दी तक समाज में आए अनेक सामाजिक ,राजनैतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण स्त्री की स्थिति भी परिवर्तित होती रही है। वह देवी की तरह पूँजी भी गई और बंदिनी भी रही लेकिन विडंबना यह है कि देवी एवं बंदिनी होने के बावजूद उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व कभी नहीं रहा। क्योंकि समाज हमेशा से परिवार में पुरूष की मुख्यत : स्थान रहा है। ''समाज हमारा पुरूष का रहा है, राजनैतिक सत्ता हमेंशा पुरूष के हांथ रही है। आदिम समाज के सम्पूर्ण अध्ययन के बाद लेवीसत्रास ने कहा,' सत्ता चाहे सार्वजनिक हो या सामाजिक, वह हमेंशा पुरूष के हाथ रही है। स्त्री हमेंशा अलगाव में रही।''4 राजेन्द्र यादव स्त्री को कमजोर, किसी कोने में गठरी बनी डरी – सहमी हुई नहीं मानते हैं। वह ऐसी स्त्री की कल्पना करते हैं जो अत्यंत विपरीत स्थितियों में भी संघर्ष करते हुए जीना चाहती है। उन्होंने सबसे अधिक महत्व स्त्री शिक्षा को दिया है, वह उनके उपन्यास 'सारा आकाश' की पात्र प्रभा से मालूम होता है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में राजेन्द्र यादव ने प्रभा का यथार्थ चित्रण किया। उसके द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि स्वाधीनता पश्चात् एक पढ़ी–लिखी लड़की संयुक्त परिवार में नहीं जाना चाहती। प्रभा इस उपन्यास के सभी पात्रों से सशक्त है–''जबरजस्ती वहीं कहाँ जाकरा सो जाऊँ ? मुझसे तो नहीं होता जिठानी जी, कि कोई दुत्कारता रहे और पूँछ हिलाते रहो, ठोकर मारता रहे और तलुए चाटते रहो।''5

आधुनिक भारतीय परिवेश में स्त्री तथा पुरूष में बदलती हुई मानसिकता ने मानवीय सम्बन्धों को हर स्तर पर प्रभावित किया है। राजेन्द्र जी के उपन्यासों में स्त्री पात्र प्रगतिशीाल विचारधारा के धनी हैं। अधिकाशतः यह माना तथा देखा जाता है कि पुरूष के व्यक्तित्व के सामने स्त्री को झुकना ही पड़ता है, किन्तु यादव जी ने स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व अपने लेखन में व्यक्त किया है। प्रभा की शादी पुर्व देखे गए सपनों से स्पष्ट है कि वह संयुक्त परिवार का मूक विरोध करती है। दरअसल सत्य तो यह है कि स्त्री और पुरूष दोनो के ही अस्तित्व से सृष्टि का अस्तित्व नियमित चलता है। हिन्दी उपन्यास में प्रारम्भ से ही स्त्री तथा पुरूष के संबंधों का चित्रण पाया जाता है। विभिन्न मानवीय संबंधों में सर्वाधिक घनिष्ठ सम्बन्ध 'स्त्री पुरूष संबंध' ही हैं। लेखक ने इसी प्रकार के सत्य को प्रकट किया है उन्होंने प्रभा के माध्यम से नारी के अद्भुत आत्म–विश्वास को चित्रित किया है–

''थोड़ा डर लगा करता था कि आगे जाने कैसे होगा लगता था कि किसी भी मुसीबत को मैं सह नहीं पाऊँगी। अब जब देख लिया है कि तकलीफ किसे कहते है, तो लगता है कि बस, इसी के लिए इतना ड''मुझमें बहुत जीवनी शक्ति है। इससे भी ज्यादा मुसीबतों में मैं विचलित नहीं हो सकती। विवाह से पहले रना था ? यही उसका वह आत्मविश्वास है,

जिसने उसे इतने भयानक संकटों और अत्याचारों के सम्मुख भी झुकने और टूटने से बचाए रखा था।''6 जब–जब स्त्री जागरुक हुई तब–तब स्त्री–पुरूष संबंधों के स्वरूप में परिवर्तन आया। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय संविधान में स्त्री को पुरूष के सामान अधिकार प्रदान किए गए तथा शिक्षा ने उसे अपने अधिकारों का ज्ञान करवाया। यादवजी के विचार से स्त्री को पुरूष की प्रेरणा बनना चाहिए, न कि उसके पैरों की बेड़ियां। उन्होंने स्त्री पात्र को पुरूष पात्रों की तुलना में अधिक प्रखर व्यक्तित्व वाले हैं। ''देखो, तुम फिकर मत करना। गयी नौकरी तो जाने दो, इतना खून क्यों जलाते हो ? मेरे पास घड़ी है, सोने की चूड़ियां हैं, इयरिंग हैं, आखिर किस दिन काम आएँगे ? बाद में बन जायेंगे। यों भी तो सन्दूक में ही बन्द रखे रहते हैं। यहाँ कौन रोज–रोज पहनने की जरूरत पड़ती है ? थोड़ी देर में आकर निकाले देती हूँ । पढ़ाई तो चलेगी ही ?''7 वही इनके उपन्यास 'उखड़े हुए लोग' के नारी चरित्रों में जया, पद्मापुरी, चन्दा, तथा श्रीमती कपिल प्रमुख हैं। इस उपन्यासों में उपर्युक्त स्त्री–पात्रों के माध्यम से अपने स्त्री सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट किया है। जया शिक्षित तथा आत्मनिर्भर स्त्री है, वह किसी स्कूल मे अध्यापिका है। उसका विवाह 'टिपिकल मूशी' जैसे लोगों के यहाँ कहीं हो रहा है। जिसे उसके समान कोई भी शिक्षित व आत्मनिर्भर लड़की पसन्द नहीं करती है। उसके मन में विवाहित जीवन संबंधी जो सपने थे इसके लिए शरद उसे सावधान करता है–''इस शिक्षा ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र कर दिया है तुम यह जानती हो कि शादी या विवाहित जीवन का जो नक्शा तुम्हारे दिमाग में है वह अच्छा चाहे जितना, आसान जरा भी नही है। इसके अलावा तुम यह भी जानती हो, कि जहाँ भी तुम्हारा विवाह होगा या जहाँ भी तुम जाओगी, वहाँ की स्थिति में और तुम्हारे सपनों में कोई संगति नहीं होगी।''8

दरअसल 'जया' सफल–विवाह के लिए सामंजस्य को आधार नहीं मानती हैं। वह पुरूष की अनुगामिनी न बनाकर सहगामिनी बनना चाहती है। विवाह को वह एक मैत्री मानती है। और वह परम्परागत रूढ़ियों, मान्यताओं का विरोध करती हुई विद्रोह करती है और शरद् के साथ 'सम्मिलित जीवन' जीने के लिए दूसरे शहर में चली जाती है।''दोस्ती दो समान व्यक्तियों में होती है या उसकी समझ उसमें हार्दिकता आ जाती है जब उन दोनों में कहीं न कहीं समानता हो, प्रेयसी पत्नी की अपेक्षा शायद इसीलिए अधिक प्रिय होती है। कि वह आर्थिक रूप से पर निर्भरता की स्थिति तक नहीं आ पाती।''9 जया इस उपन्यास में एक ऐसी नारी के चरित्र को दर्शाती है जो आधुनिक विचारों को अधिक महत्व देती है वह पुरूष की सामंती सोच को जानती है, इस कारण वह परम्पराओं का, रूढियों का खुलकर विरोध करती है। क्योंकि स्त्री को मात्र देह समझने वाला समाज उसके व्यक्तित्व एवं अस्तित्व दोनों को कुचलना ही जानता है। इस विषय में लेखक का यह मानना है कि –

''देह स्त्री की एकमात्र पहचान के रूप में उसका गुण भी और गाली भी।''10 इसी में अगला नाम पद्मा पुरी एक पढ़ी–लिखी, विदुषी स्त्री है। पद्मा पुरी के रुप में ऐसी नारी की कथा है जो शिक्षित तथा समझदार है जो कहीं भी नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी परन्तु उसमें आत्मविश्वास की कमी है, वह समस्या को सुलझाने में अपने आपको असमर्थ महसूस करती है यद्यपि वह असमर्थ नहीं है। वह अपनी माता की व्यभिचारी वृत्ति से विक्षुब्ध है वह उसे सह नहीं पाती है किन्तु साथ ही सहने के लिए विवश भी है। वह कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हैं। अपनी माँ के लिए उसके अंदर सिर्फ घृणा ही है। उसकी असीम संचित घृणा खाने की टेबल पर, बाजार में तथा पिक्चर हॉल में सभी जगह अभियक्त होती है। वहीं 'मायादेवी' उपन्यास की एक ऐसी पात्र है जो कुछ भिन्न है जिसके बारे में लेखक ने कहा है कि–''साहित्य और समाज की सबसे बदनाम, बहिष्कृत और गुमराह औरतें वे हैं जो अपने शरीर और मन को अपने पतियों , स्वातियों या अभिभावकों तक ही सीमित नहीं रख पाई।''11 मायादेवी से पूर्व देशबन्धु से प्रेम करती थी ,

किन्तु देशबन्धु विवाहित थे मायादेवी का विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसके पास लाखों की सम्पत्ति थी , परन्तु उसने कभी भी अपने पति की चिन्ता नहीं की । वह अपने पति के पैसों से देशबन्धु का घर भरती रही और उसी के लिए अपने पति को जहर देकर मार डालती है,उसके चरित्र की अस्थिरता को देखकर कपिल शरद को सावधान रहने का संकेत देता है–''भाई जान संभलकर रहिए जरा चूसकर यूं गंडेरी की तरह फेंक देगी कि बस बाद बस में मक्खियां भिपभिनाया करें। उसने बड़ों–बड़ों को धोखा दिया है और आप समझिए कि यहाँ पड़ी कैसे है ? खुले आम, आप किसी भुलावे में मत रहिए।''12 वही सारा आकाश के समर जो कि पुरूष पात्र है उन्होंने इसके माध्यम से पुरूष विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। समर निम्न मध्यवर्ग के शिक्षित युवकों का प्रतिनिधित्व करता है जो किशोरावस्था में भविष्य के लिए सुनहरे सपने देखते हैं, परन्तु जिनके सपने रूढ़िबद्ध संस्कारों, संयुक्त परिवार के दमघोंटू वातावरण तथा आर्थिक कठिनाइयों से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं–''मुझे इस बात को कभी नहीं भूलना कि मूझे कुछ बनना है– 'कुछ' बनना है, जिसके सामने दुनिया झुके। जिसकी एक बात देश के लिए आज्ञा हो।''13 समर जहाँ एक ओर शिक्षित महत्वाकांक्षी पुरूष है तो दूसरे ओर वह स्त्री के सम्बन्ध में परम्परागत पुरूष प्रधान सोच रखता है। वह स्त्री को पुरूष के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बाधा मानता है। अपनी सुहागरात में वह पलंग पर बैठकर मन–ही–मन दुहराता है–''नारी आधार है, नारी मोह है, नारी माया है। नारी देवत्व की ओर उठते मनुष्य को बांधकर राक्षसत्व के गहरे अन्धे कुओं में डाल देती है। नारी पुरूष की सबसे बड़ी कमजोरी है।''14 समर के माध्यम से हम , राजेन्द्र यादव के उपन्यास 'सारा आकाश' में तत्कालीन समाज में पिसते, घुटते तथा पुरूष संबंधी उनके विचारों का चित्रण पाते हैं। 'शिरीष भाई' इस रचना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है, वैसे कथा–विकास में उनका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, परन्तु समर के विचारों को प्रभावित करने में वह प्रमुख भूमिका निभाते हैं।''समर के ऊपर शिरीष भाई का व्यक्तित्व हमेशा हावी रहता है। बनियान झलकता महीन मलमल का कुरता, पाजामा पहने, क्लीन शेब्ड रूखे बालों को पीछे की ओर काढ़े, पतले चेहरे पर

सदा मुस्कान लिए।''15इसमें यादवजी ने एक तरफ पारंपरिक परिवार में टूटते, घुटते, बिखरते और बिगड़ते स्त्री –पुरूष संबंधों का चित्रण किया है वहीं दूसरी शिरीष के द्वारा नए चेतना की ओर भी संकेत किया है तथा गौण रूप से समर की बहन मुन्नी और उसके पति और दिवाकर के चचेरे भाई शिरीष की पागल बहन के द्वारा किया है।शिरीष के माध्यम से स्वयं लेखक ने कहा है–''संयुक्त परिवार का शाब्दिक आदर्श चाहे जितना महान हो, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि परिवार का कोई भी सदस्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता । सारा समय या तो समस्याएँ बनाने में या बनी बनायी समस्याओं को सुलझाने में जाता है। लड़ाई, झगड़ा, खींचतान, बदला, ग्लानि सब मिलकर वातावरण ऐसा विषैला और दमघोंटू बना रहता है कि आप सांस न ले सकें।''16 उन्होंने पारम्परिक परिवार में स्त्री –पुरूष सम्बन्धों का चित्रण करते हुए परम्परागत संयुक्त परिवार का विरोध किया है तथा स्त्री –पुरूष सम्बन्धों में नवीन चेतना को स्वीकारा है। वास्तव में समयानुसार समाज में अनेक नरिवर्तन होते रहते है, व्यक्ति तथा समाज में परिवर्तन के साथ–साथ मानवीय मूल्यों में भी बदलाव होते रहते है। ''क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, परिवर्तन की प्रक्रिया देश व काल ही परिस्थितियों पर आधारित होती है । प्रत्येक समाज समयानुकूल पुराने संस्कारों का त्याग कर नए संस्कारों को ग्रहण करता रहता है। साहित्य युग और समाज का दर्पण होने के कारण इस सामाजिक परिवर्तन को ग्रहण करता है।''17 दरअसल आधुनिक चेतना ने पारंपरिक मानावीय मुल्यों को गहराई से प्रभावित किया। सबसे अधिक प्रभावित स्त्री–पुरूष संबंध हुआ क्योंकि स्त्रियों पे पुरूषों के वर्चस्व के प्रति विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया। राजेन्द्र यादव की रचनाओं में यह

स्पष्ट दिखाई देता है–'' पर विशिष्ट बनने की भावना से प्रेरित होकर जहाँ मै अनेकानेक बंधन तोड़ती चली गई, सीमाओं का अतिक्रमण करती चली गई , वही अनजाने ही उससे भी सशक्त बंधन अपने चारों ओर लपेटती चली गई, मिथ्याभिमान और झूठे अहं की दीवारें अपने चारों ओर खड़ी करती चली गई।''18 लेखक ने संबंधों की धुरी पर नर–नारी दोनों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। और उन्होंने संबंधों की सुदृढ़ता बनाये रखने के लिए समानता को प्रमुखता दी है, उनका मानना है कि एक–दूसरे में एक–दूसरे के व्यक्तित्व को इस प्रकार समर्पित कर देना कि व्यक्ति व्यक्तिहीन बन जाय ,स्वस्थ सम्बन्धों का परिचायक नहीं है–''किसी ऐसे रास्ते कि खोज करो जहां दोनो के व्यक्तित्व एक दूसरे पर लदे नहीं और एक दूसरे को खा न जाय, और जब दोनों के व्यक्तित्व इतने मुक्त रहेंगे कि एक दूसरे के बनने में , उसे मानसिक बल देने में समर्थ हो सकें , तभी तो एक का प्यार दूसरे को उठायेगा और आत्मा–आत्मा का सच्चा प्यार निखरकर आयेगा।''19 साहित्यकार ने समस्त मानव मन की पर्तों को सूक्ष्मता से खोलकर पाठक को मुख्यत : स्त्री पुरूष के संबंधों को प्रखरता के साथ विवेचित किया हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राजेन्द्र यादव कि कलम से जो मानावीय संबंधों की धारा बही है, वह साहित्यजगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाने में पूर्णतः सफलता की बेदी पर स्थित है।

संदर्भ–सूची

1.प्रेम भारद्वाज , पाखी सृजन की उड़ान अंक 12 सितम्बर 2011

2.राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन, डॉ, अर्जुन चाव्हाण, राधाकृष्णन प्रकाशन 1995

3.महादेवी वर्मा–श्रंखला की कड़ियां, पृ.94.

4.सीमोन द बोउवार, स्त्रीः उपेक्षिता पृ.52

5.राजेन्द्र यादव–सारा आकाश, पृ.45

6.सारा आकाश, राजेन्द्र यादव, पृ.148

7.वही पृ.173

8.उखड़े हुए लोग, राजेन्द्र यादव , पृ.19

9.वही , पृ.23

10.राजेन्द्र यादव, काँटे की बात ,भाग 3, पृ.142

11.राजेन्द्र यादव – कांटे की बात , भाग 3, 142

12.उखड़े हुए लोग , राजेन्द्र यादव, पृ.198

13.सारा आकाश, पृ13

14.वही ,पृ, 16

15.सारा आकाश, राजेन्द्र यादव, पृ. 104

16.राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन, पृ.93, डॉ. अर्जुन चाव्हाण

17.सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया और स्वरूप , पृ 19 प्रभा वर्मा,

18.एक इंच मुस्कान, पृ124, राजेन्द्र यादाव,मन्नु भण्डारी ,राजपाल एण्ड सन्स ,2016

19.उखड़े हुए लोग, पृ.,24,राजेन्द्र यादव

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

Challenges and Qualities of a Good Teacher

❐ Dr. Ram Pratap Saini

ABSTRACT

The introduction of problem-based learning in undergraduate medical courses necessitates the special training of teachers and monitoring of their performance. In traditional courses the emphasis is on transmission of factual knowledge; teachers are the main source of information and students are offered few opportunities to identify their own learning needs or reflect collectively on their learning experience. These activities demand special attributes. These workshops usually begin with a session titled what makes good teachers and I ask participants to write down the name of the best teacher they have ever had and list his or her good qualities 'In what way did your best teacher help you to grow' Certain qualities are common to many of these teachers for example, 'He treated me with respect and was interested in helping and supporting me'; 'She motivated me to love the subject she was teaching'; 'She created a positive impact on my life that reshaped my vision and purpose'; 'He was able to keep us engaged in his lessons, think, and ask good questions'; 'I realized that learning can be fun and a life-long experience'. These responses stimulated me to examine the qualities of a good teacher in a more systematic way.

Keywords - Teacher, Examination, Learning, Education, Session, Good Qualities

INTRODUCTION

The idea of good teacher for each individual is variable. Students´ perception, opinions andor experiences about a good teacher are different. A good teacher has been considered, sometimes, as a perfectionist, encouraging, approachable and caring, other times as intelligent, but above all, as enthusiastic, funny, clever, affective and understanding, open, and with a relaxed style while teaching.

Holt (1964) addressed that learning is enhanced by the teachers´ knowledge, enthusiasm and responsibility towards creating a warm class climate enhancing "the students desire to learn and to accept the challenges of thinking and enquiring into all that is offered by the teacher". Stronger et al (2004) stated that teaching is vocational and most good and quality teachers are passionate about their chosen profession. However, he also added that a good teacher is always in a constant learning process due to changes in terms of the students' characteristics, the curriculum, the community, and finance among many others.According to Gibbs (2002) "Teachers need to be able to survive the demands, threats and challenges within the diverse circumstances of teaching" He stated that a good and quality teacher needs the capacity to be persistent, flexible, and innovative on new teaching approaches and be prepared in the case of failure. For Stronger et al. (2004) the good teacher has a psychological influence

* Principal, Shri J.J.T. University (Institute of Education)

on the students, having a strong influence on their achievement. According to Killen (2006), the good teacher is the one who has clear objectives and own goals of teaching. A teacher can provide the students with the answer of a question, which can be effective only if the main objective is simply to compare and analyze different results. However, if the objective is to make the student think about the option of providing different possible answers, the teacher, in this case, may be regarded as ineffective. Smith (1995) stated that teachers and teaching need to be creative to allow the students learn naturally. He also added that educational institutions should spend more time on “doing” and less time on “talking about learning and teaching” In addition, Gurney (2007) suggested that instead of reflecting on theory and practice, we should reflect on what we do in the classroom.

A good teachers need to focus on students’ achievement. Alton-Lee (2003) pointed out that an effective link between school and cultural context is needed and this is often times considered as a challenge; apart from being caring, and enhance assessment, feedback and evaluation, as well as being responsible to students learning process, the curriculum goals, the multiple tasks and the contexts. Gurney (2007) suggested that to be a good and quality teacher there should be an interaction among different factors. One of them is the teacher´ knowledge, enthusiasm and responsibility for learning. Another factor is that good teachers should provide the students with activities and assessment that encourages them to learn (and learn through experience), as well as having an engaged feedback. Finally, to create a warm environment and a relationship with the students in which respect will enhance learning. According to Borich (2000), the responsibilities of good teachers are to have lesson clarity, instructional variety, teacher task orientation, engagement in the learning process and student success rate.

Therefore, good teachers do not teach in front of the class doing a good demonstration on the extensive and deep content knowledge, they teach to promote and enhance learning.

Besides, they knows how to manage, not only their knowledge, but also the classroom andthe students in terms of discipline, work, interaction between teacher- students-students, how to give instructions, and how to assess and evaluate activities, the students and their own work. Therefore, to be a good teacher also implies to have a series of qualities, in terms of professional and personal skills.

STATEMENT OF THE PROBLEM

Good teachers are distinguished by their dedication to the students and to the job of teaching, and feel responsible for the achievement and success of the students and own professional development. Good teachers really believe that all students can learn, although all learn differently. They strive to motivate and engage all their students in learning rather than simple accepting that some students cannot be engaged and are destined to do poorly.

There are many different types of teachers. For instance, among many others, there are those who walk into the classroom, and some students do not even notice them; also there are some who seem to be authentic dictators, and students are even afraid to ask anything in the classroom. There are those who read from a book, or talk constantly, during the whole session, while students keep just copying; or even those who just talk, and by the end of the lesson, students do not even know what the lesson was about, because the objectives, structure andor theme were not clear, even for the teacher. However, all these as prompted the researcher to examine the challenges and the qualities of a good teacher in some selected secondary schools in Gboko Local Government Area.

OBJECTIVES OF THE STUDY

The following are the objectives of this study

To examine the qualities of a good teacher.

To identify the challenges of teaching profession.

To examine the relationship between teachers and students in Gboko Local Government Area.

RESEARCH QUESTIONS

What are the qualities of a good teacher

What are the challenges of teaching profession

What is the relationship between teachers and students in Gboko Local Government Area

SIGNIFICANCE OF THE STUDY

The following are the significance of this studyThe result of this study will educate the general public on the qualities of a good teachers and its influence on the student performance and behavior.

The findings from this study will form a useful guide for the government and the stake holders in the education sector on the challenges of teaching profession with a view of finding a sustainable solution.

This research will be a contribution to the body of literature in the area of the effect of personality trait on student's academic performance, thereby constituting the empirical literature for future research in the subject area.

SCOPELIMITATIONS OF THE STUDY

This study will cover the attribute of teachers in secondary schools in Gboko local government area. It will cover the qualities of a good teacher and also identify the challenges of teaching profession.

LIMITATION OF STUDY

Financial constraint- Insufficient fund tends to impede the efficiency of the researcher in sourcing for the relevant materials, literature or information and in the process of data collection (internet, questionnaire and interview).

Time constraint- The researcher will simultaneously engage in this study with other academic work. This consequently will cut down on the time devoted for the research work.

REFERENCES

- Alton-Lee, A. (2003) "Quality teaching for diverse students in schooling Best evidence synthesis", Wellington Ministry of Education.
- Borich, G.D. (2000) "Observation skills for effective learning", 4th edit. Prentice Hall, UK
- Gibbs, C.J. (2002). "Effective teaching exercising self-efficacy and thought control of action" Auckland University of Technology, New Zealand, Annual Conference of the British Educational Research Association Exeter England. [Accessed on 19th Feb. 2010], httpwww.leeds.ac.ukeducol-documents 00002390.htm
- Gurney, P. (2007) "Five factors for effective teaching" Journal of Teachers´ Work, Vol. 4, Issue 2, 89-98Holt, J. (1964) "How children fail" Nueva York, EUA Dell
- Killen, R. (2006) "Effective teaching strategies –Lessons for research and practice" 4th edit., Thomson, Social Science Press, UK
- Smith, F. (1995) "Let's declare education a disaster and get on with our lives". Phi DeltaKappan, 76, 584-590.
- Strange, J.H., Tucker, P.D. & Hind man, J.L. (2004) "Handbook for qualities of effective teachers" Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, VA

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

राजनीति कविता के अग्रणी कवि : रघुवीर सहाय

❑ डॉ. सुशील ब्यौहार*

शोध सारांश

समाजवादी विचारधारा के सशक्त हस्ताक्षर रघुवीर सहाय का समकालीन कविता में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी कविताओं में समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक विकृतियों तथा विषमताओं को उकेरा है। वे भोगे हुए यथार्थ को सही पहचान प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। सहाय ने परम्परागत काव्य के तौर–तरीके से हटकर अपनी नई पहचान बनाई है, यह कहना असंगत न होगा कि इनकी रचनाएँ संक्षिप्त होकर भी एक विस्तृत फलक को प्रस्तुत करने में समर्थ है, जो कुछ न कहते हुए भी अपनी व्यापक भाव को दो टूक शब्दों में कह जाती है। वे दलितों, पीडितों, शोषितों और उपेक्षितों के पक्षधर हैं और रघुवीर सहाय इसी वर्ग के गायक हैं।

समकालीन कवियों में रघुवीर सहाय एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर तथा मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। उन्होंने अपने समय की समाज और सत्ता को राजनीतिक शब्दावली में समावेश करके राजनीति एवं समाज की विसंगतियों को सामने लाया है।

रघुवीर सहाय की कविताओं पर उनके पत्रकार जीवन की गहरी छाप पडी है, जिससे उनकी कविताऐँ आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। संक्षिप्तता और प्रतीकात्मकता तथा रोजमर्रा की जिदंगी का खास प्रस्तुतीकरण इन्हें विशेष स्थान दिलाता है। इनकी रचनाओं में शोषित, पीडित, निराश और पस्त मानव के प्रति गहरी संवेदना तथा समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक विडम्बनाओं के ऊपर प्रहार भी है । इसलिए लोग उन्हें राजनीतिक कविता के अग्रणी कवि मानते हैं। उनकी कविताओं में राजनीति एवं सत्ता तंत्र से छले गए लोगों के प्रति सहानुभूति तो है ही साथ–ही–साथ घोर निराशा और हताशा की दुश्चिंताएँ भी है। नेमीचंद्र जैन का मत है–"रघुवीर सहाय की कविता का जो तत्व सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है, वह है रोजमर्रा के जीवन के सामान्य लगने वाले अनुभव में से एक साथ अप्रत्याशित सघनता और वैचारिकता का समावेश। एक ओर उनकी कविता की दुनिया तरह–तरह के ऐसे भले–बुरे, छोटे–बडे व साधारण–विशिष्ट पर हमेशा जीते–जागते लोगों से भरी हुई है।"[1]

लोकतंत्र में जनता के सपने टूटते–बिखरते रहते हैं। सहाय ने इस लोकतंत्र में आत्महत्या की कगार पर खडे हुए समाज के आक्रोश एवं असंतुष्टि के स्वर को अपनी कविता में कुछ इस तरह बयां करते हैं–

* प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाडा, म.प्र.,, पिन–480001

"देखो वृक्ष को देखो वह कुछ कर रहा है
किताबी होगा कवि जो कहेगा कि हाय पत्ता झर रहा है।"[2]

लोकतंत्र में जनता अपने होने का अर्थ नहीं जानती और राजनीति के लगातार खेल के मैदान में सिर्फ मूकदर्शक बन जाती है। वह जिस पर भरोसा करता है, अपना विश्वास प्रकट करता है, वही धोखा दे जाता है । जनता के पास विकल्प तो हैं, पर वे सीमित हैं। कभी–कभी तो लगता है कि हमारा लोकतंत्र अभी परिपक्व ही नहीं हुआ है। 'स्वाधीन व्यक्ति' कविता के कुछ अंश यहां प्रस्तुत है –

"हो सकता है उन कवियों में मेरा सम्मान न हो
जिनके व्याख्यानों से सम्राज्ञी सहमत दें
घूर पर पुदकते हुए सम्पादक गदगद् हों
हो सकता है कि कल जब कि अंधेरे में दिखें
मेरा कवि बंधु मुझे
वह न मुझे पहचाने, मैं न उसे पहचानूं।"[3]

सहाय की कविताओं में आम आदमी की उदासी, शासन व्यवस्था से तंग एवं परेशान हुए व्यक्ति की दुर्दशा और पक्ष–पात के शिकार हुए जनता का चित्रण है। उन्होंने 'रामदास' कविता में व्यक्ति एवं समाज की कायरता एवं स्वार्थपरता को हमारे सामने लाया है। उनके सामने अत्याचार तथा हिंसा होना तय है और वह तमाशबीन बना रहा। रामदास हमारे समाज का आइना है। कवि ने रामदास के बहाने हमारे समाज की अमानवीयता एवं क्रूरता को दिखाया है। 'रामदास' शीर्षक कविता की निम्नांकित पंक्तियाँ द्रष्टव्य है–

"धीरे–धीरे चला अकेले
सोचा साथ किसी को ले ले
फिर रह गया सडक पर सब थे
सभी मौन थे सभी निहत्थे

सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी।"[4]

फिर भी सब चुप हैं, मौन हैं, शांत खडे हैं जैसे नाटक देख रहे हों। लीलाधर जगूडी का मत है–"इस कविता में रामदास का परिवार कहीं नहीं दिखता। एक विराट भीड भरा समाज दिखता है, जिसकी जानकारी में और जिसकी शर्तों के बीच बिल्कुल ऑखों के सामने रामदास की हत्या की जाती है और संचार माध्यमों से प्राप्त सूचना को झूठ होते हुए नहीं देखना चाहता है । कवि का उत्तर तो पहले से ही मौजूद है, कोई नहीं रोता। हॉ, मारी नहीं गई तो विधवा रोती है।"[5]

रघुवीर सहाय समाज एवं देश के हाशिये में खडे लोगों के साथ हैं, उनकी कविताओं में आम आदमी की पीडा एवं कष्ट की अभिव्यक्ति है। वे राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से शोषित, पीडित और दलितों को ऊपर उठाना चाहते हैं। उन्होंने भय एवं शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना की है। 'आपकी हंसी' कविता में शोषण एवं भ्रष्टाचार को इन पंक्तियों में उकेरते हैं–

"निर्धन जनता का शोषण है
कह कर आप हंसे
लोकतंत्र का अंतिम क्षण है
कह कर आप हंसे
सब –के –सब भ्रष्टाचारी
कह कर आप हंसे
चारों ओर बडी लाचारी
कह कर आप हंसे ।"6

आजादी के इतने सालों बाद भी देश में भुखमरी, दरिद्रता और अपमान से घिरे हुए लोग बर्बर तरीके से जीवन जीने को विवश हैं। एक को उजाडना और दूसरे को विस्थापित करने का दुश्चक्र हमारे यहाँ यह खेल वर्षो से चल रहा है। संवेदनाऍ जैसे सूख गई हैं। स्वार्थपरता और दृष्टिहीनता का बोलबाला है। 'आजादी' कविता का एक उदाहरण देखिए है–

"चारों दिशाओं से चारों दिशाओं में
उजडे घर छोडकर
दूसरे उजाडों में लोग जा रहे हैं
भूख और अपमान की ठोकरें खाकर।"[7]

राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के पग–पग में संघर्ष है, समस्याऍ है, कठिनाइयॉ हैं, जो इन सब से जूझता है, वही आगे बढता है। रघुवीर सहाय ने प्रतीकात्मक रूप में परिश्रम एवं मेहनत को व्यक्त किया है–

"तब सारी दुनिया से रिश्ते सुधारने पडते हैं
जबकि हम
दुनिया को सुधार नहीं सके

तब सिर्फ एक नया समझौता आज से काफी नहीं होता है–

वे तमाम संघर्ष जो मैंने नहीं किए
अपना हिसाब मांगने चले आते हैं।"[8]

भारतीय राजनीति में गरीबी हटाने का नारा जोर–शोर से उछाला जाता है, लेकिन वर्ग विशेष गरीबों को नफरत और हिकारत की दृष्टि से देखता है। हमारे यहॉ जिनके ऊपर गरीबी दूर करने का दायित्व है, वे ही गरीबों से घृणा करते हैं, उनसे दूर भागते हैं, परिणामस्वरूप इतने सालों बाद गरीबों की हालत जस की तस है और गरीबी कब दूर होगी कुछ कहा नहीं जा सकता, किन्तु गरीबी दूर करने वाले की गरीबी अवश्य दूर हो गई है। 'गरीबी' कविता के कुछ अंश यहॉ प्रस्तुत है–

"हम गरीबी हटाने चले हम यानी गरीबी से नफरत हिकारत परहेज करने वाले हम गरीबी हटाते हैं तो गरीब का आत्म–सम्मान लिया करते हैं इसीलिए मैं तो इस तरह गरीबी हटाने की नीति के विरुद्व हूँ क्योंकि वही तो कभी–कभी अपने सम्मान की अकेली रचना रह जाती है।"[9]

रघुवीर सहाय आम जन के प्रतिनिधि तथा राजनीतिक एवं सामाजिक यथार्थ के कवि हैं। उनका संघर्ष हमेशा अन्याय और अनीति के विरुद्व रहा है। उनकी रचनाऍं बहुत कम बोलते हुए भी बहुत कुछ कहती और खामोश रहकर बहुत शोर मचाती है तथा पूरे संवेदना तंत्र को झकझोर देती है। आज भी उनकी कविताऍं प्रेरणा के स्त्रोत बने हुए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. नेमीचन्द्र, जनसत्ता रविवारीय दिनांक 13.01. 1991, मुख्य पृष्ठ।
2. सहाय, रघुवीर रचता वृक्ष संकलन– आत्महत्या के विरुद्व ,राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली ।
3. सहाय, रघुवीर स्वाधीन व्यक्ति संकलन– आत्महत्या के विरुद्व, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली ।
4. संपादक डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय, डॉ.गोविन्द द्विवेदी समकालीन काव्य संकलन– म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1988 पृ.71।
5. संपादक लीलाधर मण्डलोई, कविता के सौ बरस– शिल्पायन दिल्ली, पृ.160।
6. संपादक डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय, डॉ. गोविन्द द्विवेदी समकालीन काव्य संकलन– म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1988 पृ. 70।
7. सहाय, रघुवीर कविताकोश गूगल सर्च दिनांक 25.7.2020।
8. पहल, अंक 75 संपादक ज्ञानरंजन, महाकोशल ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय, जबलपुर पृ.138।
9. सहाय, रघुवीर कविताकोश गूगल सर्च दिनांक 25.7.2020

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

भारत में धर्मनिरपेक्षता : परम्परा एवं चिंतन

❐ महेश कुमार चोबदार*

शोध सारांश

प्रत्येक देश का अपना एक इतिहास, ऐतिहासिक अनुभव तथा एक विशिष्ट संस्कृति होती है तथा उसके राष्ट्रीय आदर्शो की प्रकृति उसकी इस ऐतिहासिक विरासत के अनुसार निर्धारित होती है। इतिहास, परम्परा और संस्कृति की दृष्टि से भारत की प्राचीन काल से ही एक विशिष्ट स्थिति रही है और भारत ने सम्पूर्ण विश्व में एक स्वस्थ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अनूठी पहचान स्थापित की है।

भारत में हमेशा ही धार्मिक सांस्कृतिक विश्वासों को माना जाता रहा है। हमारे देश में विविध प्रकार के धार्मिक विश्वासों का प्रचलन साथ–साथ रहा है जबकि इनमें से कुछ धार्मिक विश्वास तो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। भारत जैसा बहुधार्मिक एवं विविधतापूर्ण समाज सम्पूर्ण विश्व में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। सभी धर्मों का समान आदर, उदारता, समन्वयशीलता एवं धार्मिक सहिष्णुता भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रधान मूल्य रहे है। इस दृष्टि से धर्म निरपेक्षता भारतीय राष्ट्रीय जीवन से निकली हुई भाव धारा है जो प्रत्येक युग में भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था का अभिन्न अंग रही है।

धर्मनिरपेक्षता भारतीय संस्कृति के महान आदर्शो में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। धर्मनिरपेक्षता भारत की बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषायी, बहुजातीय एवं विविधापूर्ण चिंतन परम्परा की प्रतीक हैं। भारत विविध धर्मो, भाषाओं, रीतिरिवाजों, परम्पराओं एवं मान्यताओं की भूमि है, विविधता में एकता और समन्वयशीलता भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं। इस संदर्भ में 'धर्मनिरपेक्षता' भारतीय सभ्यता की वैचारिक एवं सांस्कृतिक आंकाक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणा है जो एक न्यायपूर्ण तथा समतामूलक समाज के निर्माण के लक्ष्य को समाहित किये हुये हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में प्राचीन काल से वर्तमान समय तक धर्म निरपेक्षता की ऐतिहासिक परम्परा तथा धर्मनिरपेक्षता के सम्बन्ध में भारतीय चिन्तन को उल्लेखित किया गया है।

* असिस्टेण्ट प्रोफेसर (गेस्ट फेकल्टी)– राजनीति विज्ञान, इतिहास विभाग महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर (राजस्थान)

प्रस्तावनाः–

धर्म और आध्यत्मिकता का भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव है। भारतीय दर्शन में धर्म शब्द का अर्थ है ''धारण करने योग्य, धारयति यः सः इति धर्म अर्थात जो धारणा करने योग्य है, वही धर्म है। इस दृष्टि से धर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती।' धर्म एक जीवन दर्शन, जीवनशैली है।[1]

भारतीय इतिहास के सफलतम शासकों ने भारत की धार्मिक–सांस्कृतिक बहुलता के महत्व को अनुभव किया और विविध धर्मों–मतों की परम्पराओं–विश्वासों में समन्वय स्थापित करके विश्व में भारत को एक महान सुदृढ़ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रूप में प्रतिष्ठित किया।

धर्मनिरपेक्षता अपने व्यापक अर्थ में मतांधता, द्वेषवाद, संकीर्ण भाव एवं पूर्वाग्रह से व्यक्ति की मुक्ति का उद्घोष है, ताकि वह धार्मिक कट्टरता से स्वतन्त्र रहकर विवेक एवं अंतःकरण की चेतना के आधार पर निरंतर सत्य की खोज कर सके।

धर्मनिरपेक्षता एक व्यापक अवधारणा है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति, राज्य, संस्कृति, राष्ट्रवाद, जातीयता, आर्थिक संरचना एवं सामाजिक न्याय से संबधित महत्वपूर्ण मुद्दे समाहित हैं।

धर्म निरपेक्षता का अभिप्रायः–

धर्म निरपेक्षता शब्द जार्ज जैकब होलीओक द्वारा गढा गया लो लेटिन भाषा के 'सेकुलम' पर आधारित था। लैटिन भाषा में इसका अर्थ सांसारिक या लौकिक जगत है। अर्थात राजनीतिक गतिविधियों कों केवल लैकिक क्षेत्र तक सीमित रखना है।

ऑक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य ऐसे सिद्वान्त से है जिसमें नैतिकता और ईश्वर की मान्यता भावी जीवन की कल्पना पर आधारित न होकर केवल मानव के लौकिक जीवन में उसके कल्याण पर आधारित होनी चाहिये।''[2]

एक गतिशील अवधारणा होने के कारण धर्मनिरपेक्षता की एक सर्वमान्य परिभाषा नही दी जा सकती। मूल रूप में यह एक जीवन दर्शन है एवं इसका आदर्श धर्म, जाति, पंथ, सम्प्रदाय वर्ण आदि से निरपेक्ष, तटस्थ एवं पृथक रहकर मानवीय जीवन की प्रगतिशीलता में अंतर्निहित है। विशुद्व धर्मनिरपेक्षता धर्म का न तो समर्थन करती है और न ही विरोध। धर्म के प्रति उसकी दृष्टि निष्पक्ष, समभाव और अभेदपूर्ण ही रहती है किन्तु वह सभी धर्मो को राज्य, संविधान, नैतिकता तथा कानून की सीमाओ के भीतर कार्य करने की अनुमति देती है।[3]

धर्मनिरपेक्षता मानव की आर्थिक एवं भौतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। वह आर्थिक समानता, उत्पादन में वृद्वि, शिक्षा एवं विज्ञान के प्रसार नागरिक भाव, राष्ट्रीयता आदि कार्यो में अधिक रूचि लेती हुई दिखाई देती है। धर्मनिरपेक्षता का मानवतावाद से घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, यह पराधीन राष्ट्रों के लिये राष्ट्रीय आत्म निर्णय के सिद्वान्त का समर्थन करती है। किन्तु उग्रराष्ट्रवाद, युद्व, हिंसा एवं विनाशकारी शस्त्रों के निर्माण की विरोधी है। उसका लक्ष्य विश्वबंधुत्व एवं मानवता की संस्थापना है। धर्मनिरपेक्षता वह विचारबंध है जिसका प्रभावी क्रियान्वयन वैचारिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में लोकतन्त्र की सफलता को सुनिश्चित करता है।

प्रस्तुत अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का व्यापक विश्लेषण करने हेतु धर्मनिरपेक्षता एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य के मध्य अंतर को समझ लेना भी अत्यन्त आवश्यक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य मूलतः एक राजनीतिक अवधारणा है जो राज्य, धर्म एवं नागरिकों के मध्य पारस्परिक संबंधों के आधार पर राज्य की प्रकृति को निर्दिष्ट करती है, जबकि धर्मनिरपेक्षता एक वृहद (व्यापक) विधारधारा है जो किसी सामाजिक इकाई के विश्व दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। राज्य के संदर्भ में भी धर्मनिरपेक्षता के अनेक रूप, रंग और प्रकार है किन्तु इनको एक दूसरे का पर्यायवाची नही माना जाता।

जवाहरलाल नेहरू ने उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा है जिसमें प्रत्येक समूह तथा प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक दृष्टि से अथवा धर्म के मामलों में अपने ढंग से कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रखता है।

डॉ. अम्बेडकर ने भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या करते हुये लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह अर्थ नही है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं की ओर ध्यान नही देगें। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि यह संसद देश के लोगों पर कोई विशेष धर्म थोपने का अधिकार नही रखती। यही एक सीमा संविधान स्वीकार करता हैं'।[4]

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विविध, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्वासों में समन्वय एवं एकरूपता स्थापित करके धर्मनिरपेक्ष विचारबंध का निर्माण करती है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता का विवेचन सामाजिक–ऐतिहासिक संदर्भ में निरन्तर परिर्वतनशील कारकों की श्रृंखला के रूप में प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत ने सम्पूर्ण विश्व में विविधतापूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक इकाई के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। प्राचीन भारत में विभिन्न धार्मिक प्रणालियों ने मिलकर अलग–अलग उपासना पद्धतियों, धार्मिक मान्यताओं, सम्प्रदायों एवं विश्वासों के सप्तरंगी इन्द्रधनुष का निर्माण किया।

उपनिवेशकाल में ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्व संगठित राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन का चरित्र पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष था जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भारतीय संस्कृति अनेकता (विविधता) में एकता के आदर्श को समाहित किये हुये है। यहां यह कहना उपयुक्त होगा कि ''सर्वधर्म समभाव'' भारतीय धर्मनिरपेक्षता का प्राण तत्व है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति समभाव और तटस्थता की पक्षधर है साथ ही वह व्यापक (शाश्वत) धर्म के साथ अविरोध देखती है। उसका अपना एक लम्बा इतिहास एवं परम्परा है। जिसका मूल आधार सहिष्णु राज्य है जो राजकीय मामलों में धर्म के आधार पर भेदभाव नही करता।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता हमें यह संदेश देती है कि एक बहुलवादी समाज में धर्मनिरपेक्षता ही वह मूल्य है जो विभिन्न धार्मिक–सामाजिक समूहों को राष्ट्रीय धारा में एकीकृत करते हुये राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की भावना को मजबूत बनाता है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता–ऐतिहासिक परम्परा

प्राचीन काल से ही भारत में अनेक मानव जातियां आकर स्थायी रूप से निवास करती रहीं और प्रत्येक जाति ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास इस सत्य का जीवंत प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति ने अपनी महान यात्रा में सम्पूर्ण विश्व के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान की स्वस्थ परम्पराओं को स्थापित किया। मध्यपूर्व के सांस्कृतिक विचारों का भारतीय संस्कृति में समाकलन किया गया। भारत एवं ईरान के बीच सिकंदर से पूर्व लगभग दो शताब्दी तक सम्पक्र रहे जिसके दूरगामी सांस्कृतिक परिणाम स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।

सम्राट अशोक के शासन काल में राजकीय आदेशों की प्रस्तावना एवं उनमें प्रयुक्त शब्दों में फारसी का प्रभाव देखा जा सकता है। अशोक कालीन स्मारक, उनकी संरचना एवं उनके शिखर पर पशुओं की उपकल्पना आदि पर ईरानी संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है।

सम्राट अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किये। धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मो की सार वृद्धि की कामना अशोक के धम्म का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। अशोक ने अपने सातवें शिलालेख में यह इच्छा व्यक्त की है कि उसके साम्राज्य में सभी सम्प्रदाय सर्वत्र बसे, लेकिन उन सबके बीच संयम एवं भाव शुद्धि हो।[5]

चंद्रगुप्त मौर्य ने फारस के राजदरबारों की कई परम्पराओं को अपना लिया था जिनमें सम्राट का जन्मदिन पर्व के रूप में मनाना विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब सहित उतरी भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर कुषाणों ने शासन स्थापित किया, यहां यूनानी, रोमन, भारतीय एवं चीनी संस्कृतियों का संगम हुआ और समन्वय की धारा निरंतर बहती रही।

ग्यारहवीं शताब्दी में भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हुये, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। यद्यपि हिन्दुओं और मुसलमानों में लम्बे समय तक सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति बनी रही लेकिन अंततः उनकी आपसी

सूझ–बूझ एवं रचनात्मकता की भावना ने सांस्कृतिक समरसता की भावना को मजबूत किया और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया।

अकबर ने अपने सहिष्णु और उदारवादी दृष्टिकोण के आधार पर समन्वय की इस परम्परा को नई दिशा प्रदान की। 'दीन–ए–इलाही' मार्ग का अनुसरण करके अकबर ने धार्मिक समरसता का मार्ग प्रशस्त किया और सम्पूर्ण विश्व में भारत की धर्मनिरपेक्षता को प्रतिष्ठित स्थान दिलाया।

हिन्दू मुस्लिम संस्कृति के परस्पर समन्वय से संस्कृति, वेशभूषा, खान–पान, संगीत, चित्रकला और भाषा आदि में नवीन युग का उदय हुआ। भारत की सांस्कृतिक एकता धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार रही है। एकता की इसी भावना के कारण भारतीय संस्कृति ने विदेशी सभ्यताओं के साथ समन्वय स्थापित किया तथा भारत में विकसित जातीय संस्कृतियों ने भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में ही अपना विकास किया।

धर्मनिरपेक्षता के आधार स्तम्भ–सामाजिक समानता एवं सर्व धर्म समभाव

हिन्दू मुस्लिम समन्वय और धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने में भक्ति आंदोलन का विशेष स्थान रहा है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का परिणाम था, जिसका प्रमुख उद्देश्य जाति धर्म के परम्परागत एवं सकीर्ण बंधनों को तोड़कर मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना था। भक्ति आंदोलन ने जाति प्रथा की जटिलता और ऊँच–नीच की भावना पर प्रहार किया। स्वामी शंकराचार्य से लेकर चैतन्य महाप्रभु तक यदि हम भक्ति आंदोलन की प्रगति पर दृष्टि डालते है तो यह स्पष्ट होता है कि भक्ति आंदोलन के सभी संतो ने सामाजिक समानता एवं दलितों को समाज में सम्मान दिलाने का प्रयास किया।

कबीर, जायसी, रैदास, रहीम, रसखान, तुलसीदास, तुकाराम और चैतन्य आदि भक्ति आंदोलन के महानतम कवि थे। भक्ति आंदोलन के संबंध में कबीर का उल्लेखनीय योगदान भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। कबीर अपने समय के महान समाज सुधारक थे।

कबीर धार्मिक आंडम्बरो, अंधविश्वासों एवं जातिगत संकीर्णताओ के प्रबल विरोधी थे, उन्होने हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य पारस्परिक विरोध को समाप्त कर उनमे समन्वयात्मक भावना का प्रतिपादन किया। कबीर ने अपने मानवतावादी–समानतावादी विचारो से हिन्दू–मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित कर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की परम्परा को नवीन ऊर्जा प्रदान की। कबीर की ही भांति तुलसीदास भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तुलसीदास की भक्ति वर्ण, धर्म, जाति, पंथ, लिंग आदि के आधार पर किसी का बहिष्कार नही करती, जिन लोगों के लिये पुरोहित वर्ग ने मुक्ति के द्वार बन्द कर दिये थे, तुलसीदास ने उन्हें सर्वसाधारण के लिये खोल दिया। तुलसीदास ने तत्कालीन समाज की अवधारणा को पहचानते हुये अपनी रचनाओ में साम्प्रदायिकता का विरोध कर हिन्दु–मुस्लिम धर्मवलंबियों में समन्वय स्थापित करने का महान कार्य किया, उन्होने अपनी रचना रामचरितमानस में समन्वय का महान दर्शन प्रस्तुत किया।

उपनिवेशकाल में भारत ने अपना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय स्वरूप बनाये रखा जो इस सत्य का प्रमाण है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संस्कृति एवं समाज का प्राणतत्व है। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी सता को औचित्य प्रदान करने के लिये यह प्रचारित करना प्रारम्भ किया कि भारत ऐतिहासिक रूप से कोई राष्ट्र नही रहा है एवं ब्रिटिश साम्राज्य ने ही अपनी केन्द्रकृत सता के माध्यम से पहली बार भारत को राष्ट्र राज्य का रूप प्रदान किया है।

इस काल में भारतीयों के सामने यह चुनौती थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्व भारतीय समाज को भावनात्क एकता के सूत्र में बांधकर एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाये। भारत जैसे बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक एवं विविधतापूर्ण समाज में धर्मनिरपेक्षता की भावना ने ही सम्पूर्ण भारत में एकता एवं समरसता की गौरवशाली परम्परा को बनाये रखने में योगदान किया।

धर्मनिरपेक्षता–भारतीय दृष्टिकोण एवं चिंतन

19वीं शताब्दी में भारत में नवजागरण और सामाजिक सुधार के महान युग का प्रारम्भ हुआ, इस युग में राजा राम मोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर,

केशवचन्द्र सेन, देवेन्द्रनाथ आदि सभी समाज सुधारकों ने भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और प्रगति के लिये धार्मिक समन्वय पर काफी अधिक बल दिया।

सभी समाज सुधारकों का एकमत से यह विचार था कि अंधविश्वास, प्रतिबन्ध एवं धर्मान्धता पर आधारित सामाजिक प्रथाओं और विश्वासों ने व्यक्ति और समाज की प्रगति के मार्ग मे बाधा उत्पन्न की है, उनका यह मानना था कि भारतीय समाज के पतन के करण आम जनता के अज्ञान में निहित हैं।

अतः इन समाज सुधारको ने ज्ञान–विज्ञान एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार के माध्यम से धार्मिक संकीर्णताओं–कट्टरताओं पर प्रहार करके धार्मिक सहिष्णुता के वातावरण को निर्मित करने का प्रयास किया।

नवजागरण के युग में विवेकानंद ने भी धर्मनिरपेक्षता पर विचार व्यक्त करते हुये इस भारतीय परम्परा को पुष्ट करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद को धर्म में अगाध श्रद्धा थी और वे धर्म को भारत की राष्ट्रीयता का आधारभूत मूल्य समझते थे।

इसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता हैः 1895 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने एस. सुब्रमण्यम अय्यर को लिखा था ''प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक प्रवाह होता है। भारत में वह धर्म है।''6 परन्तु विवेकानंद धार्मिक क्षेत्र में फैले अंधविश्वासों, पाखण्ड़ और कट्टरता के विरोधी थे। उनका विश्वास भारत की बहुलवादी एवं समन्वयवादी संस्कृति में था।

राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिये विवेकानन्द ने सभी के लिये एक समान्य धर्म की अवधारणा दी। इसके अनुसार सभी धर्मों अथवा सम्प्रदायों के सत्य को स्वीकार करते हुये धार्मिक एकता को प्राप्त किया जा सकता था। उन्होनें कहा कि मेरा मिशन यह बताना है कि प्रत्येक वस्तु धर्म है और प्रत्येक वस्तु में धर्म है।

समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने धर्म निरपेक्षता को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। उन्होंने अतीत के प्रति, अभिजात्य दृष्टिकोण से पनपने वाले हिन्दू पुनःरूत्थानवाद का विरोध किया उन्होंने अतीत से सम्बन्धित सामाजिक यर्थाथ और सिद्धान्तों को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखने का आग्रह किया जिसमें ब्राह्मण के स्थान पर शूद्र और अतिशूद्र की भूमिका पर बल दिया जाये। इस प्रकार उन्होनें हिन्दू धर्म के समांगीकृत होने की धारणा पर आपत्ति उठाते हुए जनवाद और सामाजिक न्याय तथा सामाजिक समानता को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के आधार के रूप में संस्थापित किया।

एम.एन. रॉय को धर्मनिरपेक्षता वाद के विचारों का आधुनिक स्रोत माना जाता है। एम.एन.राय उच्च कोटि के विचारक, क्रान्तिकारी तथा नवमानववाद के प्रणेता थे। उन्होंने अपनी विचारधारा में अनेक परिवर्तन किये किन्तु एक प्रमुख विशेषता उनका धर्म निरपेक्षतावादी दृष्टिकोण था जो प्रारम्भ से अन्त तक बना रहा।

यहां एक गौरवपूर्ण ऐतिहासिक सत्य का उल्लेख करना अत्यन्त आवश्यक है कि ब्रिटिश साम्राज्य की साम्प्रदायिक नीतियों के बावजूद राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन का चरित्र पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष बना रहा। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जीवंतता का ही प्रमाण है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों, राष्ट्रीय नेताओं ने दृढ़ता से साम्प्रदायिकता का प्रतिकार किया और पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष सिद्वान्तों के आधार पर स्वतन्त्रता आंदोलन का सफल संचालन किया।

महात्मा गाँधी भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन के महानतम नायक थे। गाँधीजी के चिंतन, नेतृत्व और कार्यप्रणाली से भारतीय धर्मनिरपेक्षता को एक अद्भूत शक्ति और प्रेरणा प्राप्त हुई। महात्मा गाँधी ने धर्मनिरपेक्षता की भारतीय परम्परा को पुष्ट करने का प्रयास किया। उन्होनें हिन्दुत्व की नई व्याख्या प्रस्तुत की और इस ऐतिहासिक तथ्य को पूर्ण सत्यता से स्वीकार किया कि भारत हिन्दुत्व या किसी भी विशिष्ट धर्म से अधिक है। अपने कार्यो और संघर्ष द्वारा गाँधीजी ने विशाल हिन्दू समुदाय को यह सत्य स्वीकार करने के लिये प्रेरित किया। वे हिन्दू समुदाय को अपने मन से धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते थे, हिन्दुओं का भारतीयकरण करना चाहते थे।

गांधीजी ने अपने समस्त आन्दोलनों का संचालन धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों के आधार पर करके भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को सफल बनाने में महान योगदान प्रदान किया।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का बीज बोने और उसके फलने फूलने में जवाहरलाल नेहरू द्वारा निभाई गई

भूमिका का उल्लेख किये बिना भारत में धर्मनिरपेक्षता की यात्रा की कहानी पूरी नही मानी जा सकती। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद का वास्तविक प्रणेता माना जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तथा पश्चात वही धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के महानतम प्रतिपादक थे।

भारत मे धर्मनिरपेक्षता की गौरवशाली परम्परा को आगे बढाने में जवाहर लाल नेहरु का विशेष योगदान रहा है। उन्होने धर्म निपेक्षता को देश की ऐकता का आधार बनाया।

भारत की विशेष परिस्थतियों का ध्यान रखते हुए नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता को दोहरे अर्थों में परिभाषित किया यानि एक तरफ राज्य, राजनीति और शिक्षा को धर्म से अलग रखना तथा धर्म को व्यक्ति का निजी मामला बनाना एवं दूसरी तरफ सभी धर्मों के लिए समान आदर भाव दिखाना और उसके अनुयायियों को समान अवसर उपलब्ध कराना। उन्होनें साम्प्रदायिकता को परिभाषित करते हुए इसे एक ऐसी विचारधारा बताया जो हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख या ईसाई को समरूप मानकर राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों की व्याख्या करता है। एक धार्मिक समूह को दूसरे धार्मिक समूहों के खिलाफ भड़काकर नफरत फैलाता है।''7

नेहरू का यह मानना था कि भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में राष्ट्रीय एकता सिर्फ धर्म निरपेक्षता के आधार पर बन सकती है। और इसलिए साम्प्रदायिकता साफ तौर पर राष्ट्रीय एकता की दुश्मन और राष्ट्र विरोधी है।

अपने जीवन के अंत तक नेहरू जी लोकतंत्र के आधार पर धर्मनिरपेक्षता के प्रसार के लिये संघर्ष करते रहे। अपनी धर्मनिरपेक्षतावादी विचारधारा के आधार पर ही उन्होने संविधान का निर्माण करवाया। अपने धर्मनिरपेक्षतावाद के आधार पर वे भारत के लोगों को मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक व आर्थिक नियोजन, औधोगीकरण, आधुनिक शिक्षा आदि दे सके।

अध्ययन का महत्व इस बात मे निहित है कि हाल ही के वर्षो में धर्मनिरपेक्षता अत्यंत विवादग्रस्त रही है उसके सामने निरंतर गंभीर चुनौतियाँ उपस्थित हो रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं समूहों ने अपने निहित स्वार्थो के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने का कार्य किया है किन्तु यह सत्य है कि धार्मिक कट्टरवाद, आतंकवाद एवं साम्प्रदायिकता जैसी चुनौनियों के बावजूद भारत अभी भी मूल रुप से एक स्वस्थ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वर्तमान विश्व व्यवस्था में यह भारत की गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. रुपा मगलानी, भारतीय शासन एवं राजनीति पृ. 496
2. डॉ. पुखराज जैन, भारतीय राज व्यवस्था पृ. 305
3. डॉ. एस.एल. वर्मा, डॉ. मधु मिश्रा, महात्मा गाँधी एवं धर्मनिरपेक्षता पृ. 36
4. डॉ. ए.पी. अवस्थी, भारतीय शासन एवं राजनीति पृ. 137
5. डॉ. कालूराम शर्मा, डॉ. प्रकाश व्यास, भारत का इतिहास (प्रारम्भ से 1200 ई.) पृ. 199
6. हरिशंकर शर्मा, डॉ. सरोज पावा, भारतीय संस्कृति के आधार पृ. 521
7. विपिन चन्द्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, आजादी के बाद का भारत पृ. 243—244

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

राजीव गाँधी जलग्रहण मिशन एवं ग्रामीण विकास

(रीवा जिले के सिरमौर विकास खण्ड के सन्दर्भ में)

❑ डॉ. उमेश कुमार तिवारी*

शोध सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। आज भी यहॉ की बहुसंख्यक जनसंख्या की जीविका कृषि एवं उससे आधारित क्रियाओं पर आधारित है किन्तु कृषि मानसून पर आधारित है। स्वतंत्रता के सात दशक बाद भी सिंचाई एवं वर्षा जल के संग्रहण की उचित व्यवस्था न होने से कृषि एवं उससे संबंधित उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका एवं रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

इस समस्या को दूर करने सिंचाई के रकवे को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन मध्यप्रदेश शासन का एक अभिनव कार्यक्रम है। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और सम्बंधी तथा मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण के साथ–साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के विकास मूलक कार्य सम्पादित किये गये है। जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आये है।

प्रस्तुत शोध पत्र द्वारा रीवा जिले के सिरमौर विकास खण्ड के अन्तर्गत राजीव गॉधी जलग्रहण मिशन के द्वारा जल प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास के क्षत्र में जो कार्य किये गये है और उनसे ग्रामीण रोजगार एवं कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसी पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

परिचय :–

राजीव गॉधी जल ग्रहण मिशन मध्यप्रदेश शासन का अभिनव कार्यक्रम है। शासन द्वारा इस मिशन की स्थापना अगस्त 1994 में की गई। मिशन ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में ग्रामीण समाज को मुख्य धुरी बनाकर उन्हे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे हैं। मिशन के अन्तर्गत गतिविधियों का चयन स्थानीय परिस्थितियों, विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। चयनित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं जनित परिसम्पतियों के रख–रखाव का दयित्व भी ग्रामीणों को सौंपा गया, ताकि कार्यक्रम के प्रभाव को स्थायी बनाया जा सके। मिट्टी व पानी का संरक्षण तथा संवर्धन की गतिविधियाँ चाहने वाले ग्रामीणों को छोटे–छोटे समूहो में संगठित कर

* सहायक प्राध्याक अर्थशास्त्र, श्रीयुत महाविद्यालय गंगेव, जिला–रीवा (म.प्र.)

उपयोगकर्ता दल बनाये गये। इसके अतिरिक्त भूमिहीनों एवं सीमान्त व लधु कृषकों को संगठित कर आयमूलक गतिविधियों हेतु स्वावलंवन दलों का गठन किया गया है। इन समस्त दलों के प्रतिनिधियों, महिला प्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को शामिल कर ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटी का गठन किया गया। वाटरशेड कमेटी चयनित माइक्रो वाटरशेड हेतु कार्ययोजना तैयार कर इसके क्रियान्वयन के लिये जिला पंचायत द्वारा वाटरशेड कमेटी को परियोजना राशि उपलब्ध कराकर कार्य सम्पन्न कराये गये। इस तरह ग्रामीणों की वाटरशेड कमेटी राजीवगॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के क्रियान्वयन हेतु एक कार्यकारी समिति है जिसकी भूमिका कार्यक्रम के वेहतर नियोजन व सफल संपादन हेतु अत्यधिक संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण है। इस परिप्रेक्ष्य में वाटरशेड कमेटी की क्षमता एवं कौशल विकास अपरिहार्य है। राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का द्वितीय चरण जनवरी 2002 से आरम्भ कर मिशन की गतिविधियों का विस्तार प्रदेश के समस्त गांवों में किया गया इस विस्तार के अन्तर्गत जल संरक्षण व संवर्धन कार्य प्राथमिकता के आधार पर पानी रोंको अभियान की तर्ज पर जन अभियान के रूप में क्रियान्वित किये गये।

जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र सलाहकार समिति द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार मिलीवाटरशेड का चयन किया गया, जिसका क्षेत्रफल समान्यतः 5000 से 10000 हैक्टेयर के बीच होना यह निश्चित किया गया। इस मिली वाटरशेड में 5–10 माइक्रो वाटरशेड हो सकते है। एक माइक्रो वाटरशेड एक गॉव में हो सकता है या इसमें एक से अधिक गॉव शामिल किये जा सकते है। भारत सरकार द्वारा माइक्रोवाटरशेड के क्षेत्रफल को 500 हैक्टेयर के आस–पास तय किया गया है। प्राकृतिक कारणों से यह संभव है कि चुना हुआ मिली वाटरशेड निर्धारित सीमा से कम या अधिक हो।

मेरे शोध पत्र अध्ययन का क्षेत्र रीवा जिले के सिरमौर विकासखण्ड में स्वीकृत माइक्रोवाटरशेड के अन्तर्गत सम्मिलित गांवों में मिशन द्वारा कराये गये विकास कार्य की गतिविधियों का अध्ययन करना है।

अध्ययन क्षेत्र

यह शोध पत्र राजीवगॉधी जल ग्रहण मिशन का सिरमौर विकास खण्ड के ग्रामीण विकास में पड़ने वाले प्रभाव से सम्बंधित है। विन्ध्यांचल भूमि के अन्तर्गत सिरमौर विकासखण्ड रीवा मुख्यालय से 40 किमी. की दूरी पर स्थित है। यह नगर सेमरिया, बैकुण्ठपुर, लालगॉव एवं पटेहरा के मध्य स्थित है। प्राकृतिक दृष्टि से इस नगर को चचाई, पुरवा एवं क्योंटी जल प्रपात की सौगात प्राप्त है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले भू भाग तथा वर्षा की अनिश्चितता के कारण कृषि उत्पादन में सिंचाई का महत्व बढ़ जाता है। जिसकी आपूर्ति के लिए राजीवगॉधी जल ग्रहण मिशन जैसी परियोजना का क्रियान्वयन म.प्र. शासन द्वारा किया गया। राजीव गॉधी जल ग्रहण मिशन सिरमौर विकास खण्ड के – मैनहा, रनेही, बरहा मुड़वार, कटाई, कुम्हरा जुड़वानी, चित्ती, ककरेड़ी वघमरा आदि माइक्रोवाटरशेड में विकास कार्य कराये गये हैं। इस शोध पत्र मे माइक्रोवाटरशेड के अन्तर्गत परियोजना रकवा, परियोजना लागत के साथ–साथ कृषि भूमि को जल की आवश्यकता एवं पीने व निस्तार हेतु जल की वार्षिक आवश्यकता से सम्बंधित आकड़ों का अध्ययन किया गया है। इस क्षेत्र का चयन शोध की महत्ता एवं समय सीमा को ध्यान में रखकर किया गया है।

उद्देश्य

राजीव गॉधी जलग्रहण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जल ग्रहण क्षेत्र विकास के सिद्धान्त के आधार पर मिट्टी कटाव पर नियंत्रण जल संरक्षण तथा संवर्धन करना है, ताकि कृषि उत्पादन और वानस्पतिक आच्छादन में वृद्धि के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के स्थायी साधन उपलब्ध हो सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जाने वाले जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य श्रमजन्य होते है। अतः जलग्रहण क्षेत्र

प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन जहॉ एक ओर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा सकता है, वहीं दूसरी ओर जीविका के स्थायी साधन भी उपलब्ध करा सकता है।

राजीवगॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन को व्यापक स्तर पर जल संरक्षण व संवर्धन का जन अभियान बनाने के लिए इसके उद्देश्य निम्नानुसार नियत किये गये हैः–

● खेत का पानी खेत में गॉव का पानी गॉव में ही बनाये रखना है। खेत का पानी खेत में रुकने से खेत की मिट्टी खेत में सुरक्षित रह सकेगी और जनभागीदारी के माध्यम से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जल संग्रहण, जल संबंर्धन एवं भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन हो सकेगा।

● जल संरक्षण एवं संबर्धन के कार्य जमीन की सतह के ऊपर तथा जमीन में पानी को राकने, एकत्रित करने एवं जमीन में उसके रिसने की क्षमता को बढ़ाते हैं।

● सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्धन के द्वारा गांवों में सिंचाई के लिए पीने के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि सूखे की परिस्थितियों में भी इससे निपटने की क्षमता विकसित हो सके।

● मिशन द्वारा पानी का समुचित वितरण एवं उचित प्रबंधन हो सके।

● एक फसली कृषि क्षेत्र का दो फसली कृषि क्षेत्र में परिवर्तन।

● फसल प्रबंधन एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि। पड़त भूमि को विकसित कर इसे उत्पादन हेतु उपयोग में लाना।

● संसाधनहीन ग्रामीणों के लिये आयुमूलक गतिविधियों द्वारा जीविका के साधन उपलब्ध कराना।

शोध प्रविधि

रीवा जिले के सिरमौर विकासखण्ड में ग्रामीण विकास की दृष्टि से संचालित राजीवगॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन से सम्बंधित शोध अध्ययन पत्र में द्वितीयक आकड़े जिला योजना, समाचार पत्रों, मिशन दस्तावेज मध्यप्रदेश शासन, जिला संख्यिकीय कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय रीवा द्वारा करायी गई गतिविधियों का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र निम्न परिकल्पना पर आधारित है :–

● ग्रामीण क्षेत्र में लोग समय के साथ जल का संग्रहण करने के लिए जागरुक नहीं हो रहे हैं।

● जलग्रहण विकास कार्यक्रम द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण का विकास नहीं हो सका।

● मृदा संरक्षण की गतिविधियों को लोगो द्वारा स्वीकार न करउनके विकायस में सहयोग नहीं दिये।

● ग्रामीणों को ''खुद करें'' पद्धति से निजी खेतो पर ली जाने वाली जल संरक्षण व संवर्धन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना।

● पानी के अपव्यय को रोकने के लिए उपयुक्त जल प्रबंधन की रणनीति पर कार्य करना चाहिए।

सारणी क्र. 1

मिलीवाटरशेड का नाम	माइक्रोंवाटरशेड का नाम	परियोजन रकवा (हैक्ट.में)	परियोजना लागत (रुपये लाख में)
सिरमौर विकासखण्ड	मैनहा	1000	120.00
	बरहामुड़वार	655.454	78.65
	रनेही	591.53	70.98
	कुम्हरा जुड़वानी	536.282	64.35
	चित्ती	159.664	19.16
	ककरेड़ी(चंदिला)	750.00	90.00
	बघमरा	788.463	94.62
	कटाई	101.602	122.23
	योग	**5500**	**660.00**

स्रोतः जिला पंचायत रीवा

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र सिरमौर विकास खण्ड में संचालित राजीव गॉधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन द्वारा परियोजना कार्य हेतु कटाई माइक्रो वाटरशेड अन्तर्गत 1018.602 हैक्टेयर रकवा चिन्हित कर 122.23 लाख रु. व्यय किये गये। इसी प्रकार क्रमशः मैनहा माइक्रो वाटरशेड में 788.463 हैक्टेयर रकवा के लिए 94.62 लाख रु. व्यय किये गये।यदि हम देखे तो सबसे कम क्षेत्रफल एवं परियोजना लागत वाले माइक्रो वाटरशेड चित्ती 159.664 हैक्टेयर रकवा एवं 19.16 लाख रु. व्यय राशि, व कुम्हरा जुड़वानी में 536.282 हैक्टेयर रकवा एवं 64.35 लाख रु. व्यय कर विकास संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया।

आई डब्ल्यू एमपी–3 सिरमौर वाटरशेड विकास कार्य

माइक्रो वाटरशेड	परियोजना रकवा हैक्टेयर में	परियोजना लागत 12000 प्रति हैक्टे.	चयनित जलग्रहण कार्य का नाम
मैनहा	1000	12,000,000	स्टाप डैम वौदहा नाला ग्राम मैनहा ग्रा.पं. ककरेड़ी, स्टाप डैम चौतरहा नाला ग्राम मैनहा ग्रा.पं. ककरेड़ी
रनेही	591.53	7098.360	स्टाप डैम जलबोहरा नाला ग्राम रनेही ग्रा.पं. बरहा मुड़वार, स्टाप डैम सरकरिया नाला(पोखरी नाला) ग्रा. कंदेली ग्रा.पं. बरहा मुड़वार
बरहा मुड़वार	655.454	7865448	स्टाप डैम हनुमत चुओ नाला ग्राम डोड़ी ग्रा. पं. मुड़वार
कटाई	1018.602	12,223,224	स्टाप डैम जसनी वाला नाला ग्राम नरहा कला ग्रा. पं. दुआरी
योग	**3265.586**	**39,187,032**	

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सिरमौर विकासखण्ड के अन्तर्गत संचालित वाटरशेड में 3265.602 हैक्टेयर रकवा में 39187.032 रुपये की लागत से स्टाप डैम का कार्य कराया गया, माइक्रो वाटरशेड कटाई में 1018. 602 हैक्टेयर रकवा में 12223224 रुपये की लागत का कार्य कराया गया जो कि परियोजना क्षेत्र में सबसे अधिक है जबकि सबसे कम रनेही माइक्रोवाटरशेड में 591.53 हैक्टेयर रकवा में 7098.360 रुपये की लागत से स्टाप डैम का कार्य कराया गया।

निष्कर्ष :–

रीवा जिले के सिरमौर विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित राजीव गॉधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अन्तर्गत जलग्रहण परियोजनाओं का क्रियान्वयन गॉव के समेकित विकास की अवधारणा को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसके अन्तर्गत मिटट्ी एवं पानी के उपचार के साथ–साथ स्वावलम्बन दलों एवं महिलाओं को

आयमूलक गतिविधियों से जोड़कर उनके लिए आजीविका के अवसर सृजित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त गॉव के सामाजिक विकास को भी योजना का अभिन्न अंग बनाया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण सुधार, जल प्रबंधन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, सूखे की विभीषिका को कम करने के साथ–साथ रोजगार एवं गरीब व्यक्तियों के लिए जीवन के स्थायी अवसर पैदा करना है। उपरोक्त बातो से यह स्पष्ट है कि कार्यक्रम का स्वरूप समन्वित विकास की अवधारणा पर आधारित है। अतः यह कहा जा सकता है कि जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का परिणाम मूलक क्रियान्वयन तभी सम्भव हो सकता है, जब सभी तकनीकी, सामाजिक संस्थागत व आर्थिक पहलुओं को समेकित कर विकास किया जावे। सामान्यतः जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना की सफलता का आकलन पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त करने से किया जा सकता है। लेकिन कार्यक्रम के विभिन्न घटक जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं तथा जिनका सम्बन्ध कार्यक्रम की अवधारणा प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन से होता है, उनका परिणामों एवं प्रभावो तक पहुँचने में अहम भूमिका है। साधनो एवं प्रक्रिया के मूल्यांकन से इनकी उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता के सम्बंध में जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिनका समय रहते परियोजना के अन्तर्गत सुधार किया जा सकता है।

सुझाव :–

जलग्रहण क्षेत्र परियोजना के तहत चयनित माइक्रो वाटर शेड के अन्तर्गत आने वाले गॉवो में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के क्रियान्वायन के पूर्व यह आवश्यक है कि ग्रामीणों को कार्यक्रम की अवधारणा एवं उपयोगिता से परिचित कराने हेतु प्रचार–प्रसार एवं बैठकों के माध्यम से वातावरण का निर्माण किया जाय। इससे ग्रामीणो में पानी एवं मिटट्ी जैसे संसाधनो के संरक्षण एवं सवर्धन के प्रति जागरुकता पैदा होगी। साथ ही ग्रामीणों का कार्यक्रम के प्रति विश्वास अर्जित किया जा सकता है। जिससे वे जल ग्रहण कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकें। ग्रामीणों से सार्थक सीधा संवाद, पोस्टर प्रदर्शन, नुक्कड़, नाटक जन सम्मेलन तैयार करने हेतु मिट्टी पानी तथा वानस्पतिक जैसे संसाधनो की वर्तमान के सन्दर्भ में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सर्वेक्षण, ग्रामीण सहभागी समीक्षा से आवश्यक जानकारी संकलित कर, इस जानकारी के आधार पर संसाधनो की बिगड़ी हुई स्थिति एवं उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को कम करने हेतु आवश्यक उपचार कार्यो की पहचान की जा सकती है।

जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा कमियों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि हम कार्यक्रम के अन्तर्गत न सिर्फ परियोजना अवधि के प्रत्येक वर्ष में ली जाने वाली गतिविधियॉ बल्कि प्रत्येक वर्ष में माहवार गतिविधियों की रूप रेखा तैयार करें। जलग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न भौतिक आर्थिक सामाजिक वित्तीय तथा प्रशासनिक गतिविधियॉ जिनके लिये विस्तृत गतिविधि सारणी तैयार करने की आवश्यकता है।

चूँकि गॉव की अर्थव्यवस्था कृषि एवं प्रकृतिक संसाधनो पर निर्भर है इसलिए गॉव के प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, वन, कृषि भूमि, पशुधन, तालाब, पोखर एवं कुएँ आदि के प्रबन्ध एवं सुधार हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। महिलाओं, भूमिहीन तथा निर्धन किसानों के स्वावलंबन दलों का गठन कर स्थानीय परिस्थितियों, कच्चे माल की उपलब्धता, आधारभूत आवयश्यकता एवं विपणन की सुविधा के अनुरूप उपयुक्त आयमूलक गतिविधियॉ चयनित कर इनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

शिक्षा, साक्षरता स्वास्थ्य, सड़क आदि मूलभूत सुविधाओं के स्तर को ऊपर उठाने हेतु अन्य विभागों एवं योजनाओं से सक्रिय समन्वय स्थापित करना चाहिए। जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों का चयन व डिजाईन निर्धारण माइक्रोवाटर शेड की स्थानीय परिस्थितियों के

अनुरूप तथा ग्रामीणो की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस तरह से करना चाहिए कि वैज्ञानिक व तकनीकी दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण उपयुक्त एवं सुदृढ़ हो तथा ग्रामीणों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके ताकि ग्रामीणों को लम्बे समय तक लाभ सुनिश्चित हो सके।

सन्दर्भ :–

1. Adyalker, P.G. 1976: Introduction to Groundwater New Delhi Oxford & I.B.H. Publishing.
2. Garg, S.P. 1982: Groundwater and Tubewells New Delhi Oxford & L.B.H. Publishing.
3. Gupta, B.P. & Swami, N.R. 1998 Economics Environment in India. Jaipur.
4. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल रीवा विकास योजना 2011
5. जल संसाधन प्रबंधन म.प्र. के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, शोध पत्रिका 1999
6. युक्ति–पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन 2007
7. जलाभिषेक अभियान– जिला अभिषेक समिति जिला–रीवा (म.प्र.)
8. मिशन दस्तावेज– मध्यप्रदेश शासन (दिसम्बर 2001)
9. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल रीवा विकास योजना 2001
10. जलग्रहण मार्गदर्शिका– राजीवगॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन भोपाल 2006
11. पत्र–पत्रिका कुरुक्षेत्र, योजना
12. समाचार–पत्र दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

सिंगरौली जिले के बैगा जनजाति की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन

❑ डॉ. आर.पी. सिंह*
❑ श्यामलाल साकेत**

शोध सारांश

भारत सरकार ने मध्यप्रदेष की बैगा जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा है सिंगरौली जिलें में जनजातियों में शिक्षा का अभाव है और वे अज्ञानता के अहंकार में पल रहे है। अशिक्षा के कारण वे अनेक अधंविश्वासों, कुरीतियों एवं संस्कारहीनता से घिरे हुये हैं। आदिवासी लोग वर्तमान शिक्षा के प्रति उदासीन हैं, क्योंकि यह शिक्षा उनके लिये अनुत्पादक हैं जो लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं वे अपनी जनजातिय संस्कृति से दूर हो जाते हैं और अपनी मूल संस्कृति को घृणा के दृष्टि में रखते हैं। आज की शिक्षा जीवन निर्वाह का निश्चित साधन प्रदान नहीं करती। अतः शिक्षित मिशनरियों ने जनजातियों में शिक्षा प्रसार का कार्य किया। अधिकांश आदिवासी प्राथमिक शिक्षा की ग्रहण कर पाते है, उच्च शिक्षा में वे अधिक रूचि नहीं रखते। इस शोध में जनजातियों में शिक्षा के प्रति रूचि जगाने हेतु सिंगरौली जिले में यह शोध किया जा रहा है।

मूल शब्द : अज्ञानता, उदासीन का अभाव, आदिवासी लोग, बैगा जनजाति, शैक्षिक समस्या, शिक्षा का आभाव।

प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका समाज में मानवीय विकास का चक्र निरन्तर चलता रहता है। समाज का कर्तव्य है कि समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी–सम्पन्न जीवन–यापन करें। इस हेतु सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। वर्तमान परिवेश में आदिवासी जनजाति समुदाय का विकास सरकार की प्रमुखता है। देश के सम्पूर्ण विकास में सभी समुदाय का सहयोग आवाश्यक है, किसी एक समुदाय को छोड़कर देश का समग्र विकास नहीं किया जा सकता है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व की अनेक मानव जातियों ने विकास का कदम एक साथ रखा जिसमें से कुछ मानव जातियों ने अपना विकास परिष्कृत रूप से किया और आधुनिक प्रजातियों में आ गये। किन्तु आधुनिक युग में अनेक आदिम जाति

* शासकीय संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म0प्र0)
** शास. संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला सीधी (म0प्र0)

विलुप्त हो गई या विलुप्ति के कगार पर है, किन्तु भारतीय आदिम जनजाति ने अपने आपको विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रखा है जो कि भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषता है। पराधीनता के समय में जब अंग्रेजों ने इनके निवास स्थलों पर अतिक्रमण किया तो ये सीधे–साधे आदिवासियों ने अंग्रेजी सत्ता के विरूद्ध अपने परम्परागत हथियारों (तीर–धनुष, भाले) से लड़ाई में नेतृत्व किया और अपनी साहसिक प्रवृत्ति का परिचय दिया।

ये आदिवासी और जनजातियों जंगलो, नदी, नालों और जंगली जानवरों के बीच सदियों से सहचर करते आ रहे हैं। यदि कोई इनके क्षेत्रों में अतिक्रमण करें तो ये सीधे–साधे आदिवासी भी उग्र हो उठते हैं। ये आदिवासी समुदाय जो सदियों से जंगलों में रहते आ रहे हैं। इन जनजातियों में सामाजिक–आर्थिक, राजनैतिक विकास की कोई खास होड़ भी नहीं हैं, इसी कारण इस समुदाय में सदियों बाद भी विकाससात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ये जनजाति अपने परिवार, समाज में ही खुश या सुखी–सप्पन्न है। ऐसा लगता है कि ये दूसरे समुदाय या समाज के लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं, और कोई वैज्ञानिक इसके बारे में अध्ययन करना चाहता है, तो ये अपने इतिहास के बारे में जानते ही नहीं है या अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते है। वर्तमान में ये जनजाति अत्यंत पिछड़ी, गरीब, अभावग्रस्त और मुख्यधारा से विमुख है।

आधुनिक समाज की सोच ने जीवन को लाभ की वस्तु बना दिया है, लेकिन बैगा आदिवासियों के लिए जंगल एक पुरी जीवन षैली हैं, आजीविका का साधन है, परन्तु वन नीति, भूमि आधिग्रहण एवं वन संरक्षण प्रबंन्धन जैसे आधारहीन कार्यक्रम से वनों का संरक्षण तो कम हो रहा है, उल्टे तनाव बढ़ता जा रहा है। वन संरक्षण में आदिवासियों का दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण है। जिस पर न तो अमल किया जा रहा है और न ही उसे मान्यता दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि जंगल आदिवासियों का आर्थिक आधार की नहीं वरन्, जीवन का आधार भी है, बैगा समुदाय की जीवन षैली, कार्यशैली में जंगल के दोहन का उनका तरीका अलग है। अपने नियम कायदों से वे पुरखों के जमाने से जंगल बचाते आ रहे है। आदिवासी अपने जरूरत के अनुसार जंगल से जितना लेते है, बदले में उसे कुछ न कुछ देते हैं। उनकी आदर से आज वन बचे हुये है। मध्यप्रदेश में सिंगरौली के जंगल में आदिवासियों का तीर्थ स्थल है, जहॉ से एक पत्ता भी तोड़ना पाप माना जाता है। जंगल से अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए आधुनिक सोच ने मध्यप्रदेश के आदिवासियों के समक्ष कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। अगर देखा जाए तो हजारों साल से आज तक जंगल की जो रक्षा आदिवासियों की संस्कृति व परम्परा के चलते हो पाई है, उसका बड़ा हिस्सा हम महज कुछ दषकों में साफ कर चुके है। अगर वास्तव में हम इस समुदाय के समस्याओं का निराकरण चाहते है, तो उन्हें जमीन, जल, जंगल से वंचित होने से बचायें।

जनजाति से आशय

भारतीय समाज में जनजाति से आषय वन्य जाति, आदिवासी, वनवासी, आदिमजाति, गिरिजन आदि से है। ये जनजाति ऐसे लोगों का समुदाय है जो आज भी जंगलों में निवास करते है। प्राकृतिक साधनों से ही अपना भोजन ग्रहण करते है। आधुनिक सभ्य समाज से दूर रहते हैं। तथा शिक्षा, कृषि, उद्योग–धन्धे आदि से अपरिचित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार– ''ये अपने सीमित साधनों से केवल जीवित रहना ही सीख सके हैं और आज भी विज्ञान की इस चकाचौंध व सभ्यता की होड़ से अपरिचित ही है। ऐसे ही अपरिचित लोगों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुसूचित आदिमजाति या जनजाति (ट्रायबल) के अन्तर्गत किया गया है''

भारतीय इतिहास में आदिवासी समूह का वर्णन प्राचीन समय से मिलता है। डॉ. श्रीनाथ शर्मा के जनजातीय अध्ययन के अनुसार – ''भारतीय समाज में प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक आदि समूहों एवं वनवासियों का उल्लेख प्राप्त होता रहा है। वैदिक

एवं उत्तरवैदिक काल तथा महाकाव्य काल में जनजातियों के नाम भी उल्लेखित है। जनजाति या आदिम जाति अथवा आदिवासी 'ट्राइब्स' शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है।'' अंग्रेजी भाषा में ट्राइब शब्द का अर्थ कुटुम्ब है। राजनीतिशास्त्र में अविकसित समाज को ट्राइब्स कहते हैं। स्थान तथा काल के सम्बन्ध में भी ट्राइब शब्द भिन्न है जैसे, ''यूरोप में टुण्ड्रा प्रदेश के निवासी ऐस्किमों ही ट्राइब है तथा शेष दुनिया के लिये समग्र अफ्रीकी नीग्रो ही ट्राइब है। अर्थात सिर्फ ताकतवर और विजेता ही है जो ट्राइब नहीं है।''

बैगा जनजाति की उत्पत्ति एवं विकास

बैगा जनजाति के लोग सदियों से वैद्य का कार्य करते आ रहे है। ये लोग असाध्य से असाध्य रोगों का उपचार अपने वन परिसर में पायी जाने वाली जड़ी–बूटियों से करते आ रहे है। इस जनजाति के लोग अपने आप को सुषैन वैद्य के कुटुम्ब का बताते है।

अध्ययन का औचित्य

भारत के विभिन्न प्रदेषों में ग्रामीण तथा नगरीय अंचलों से दूर जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों आदि क्षेत्रों में आदिम अवस्था में रहने वाले लोगों को जनजाति आदिवासी, वन्य जाति आदि विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है, भारतीय जनजातियों सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है।

जनजातीय समाज सरल समाजों की श्रेणी में आते हैं, अतः इनमें वे सभी विशेषताएँ पायी जाती हैं, जो एक सरल समाज में पायी जाती है। जनजातीय समाज कम विभेदीकृत होते हैं। इनमें परम्परा एवं रूढ़िवादिता का बोल–बाला होता है तथा धर्म की प्रधानता होती है। आकार की दृष्टि से ये छोटे होते हैं, जिनमें वैयक्तिक सम्बन्धों की प्रधानता होती है। ये समष्टिवादी होते है, इनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। तथा भिन्नता के स्थान पर समानताएँ अधिक पायी जाती हैं, इनमें प्राथमिक समूह की प्रधानता होती है और सामाजिक नियंत्रण के लिए अनौपचारिक साधनों जैसे प्रथा, परम्परा, रीति–रिवाज, नैतिकता तथा धर्म का प्रयोग अधिक प्रचलित है। प्रस्तुत अध्ययन में जनजाति के शैक्षिक समस्याओं को जानकर उनके समस्याओं का निराकरण करने के लिए सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। जिसमें उनको प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा हेतु अग्रसर हो सके। इसलिए शोधकर्ता ने जनजातियों के शैक्षिक समस्या को ज्ञात करने के लिए इस शोध विषय को चुना है।

समस्या का कथन

''सिंगरौली जिले के बैगा जनजाति की षैक्षिक समस्याओं का अध्ययन''

परिभाषीकरण :–

● **बैगा जनजाति** : गिलिन एव गिलिन के अनुसार–'' स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक समान्य क्षेत्र में रहता हो, एक समान्य भाषा बोलता हो और एक समान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते है।''

● **शैक्षिक समस्या** : शिक्षा अध्ययन करते समय विभिन्न प्रकार की समस्या आती है जैसे–आर्थिक, समाजिक, गृह वातावरण में उत्पन्न समस्या, मानसिक समस्या, बौधिक समस्या आदि।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि ''सिंगरौली जिले के बैगा जनजाति की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन'' इस अध्ययन के उद्देश्य को निम्न बिन्दुओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है –

1. बैगा जनजाति परिप्रेक्ष्य में शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना।
2. बैगा जनजातियों के शिक्षा के अधिकारों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन प्राप्त करना।
3. बैगा जनजातियों के बच्चों की शिक्षा पर उनकी आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. बैगा जनजातियों के बच्चों की शिक्षा पर उनकी पारिवारिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. बैगा जनजातियों के बच्चों की शिक्षा पर उनकी जाति एवं सामाजिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करना।

6. बैगा जनजातियों के बच्चों को शिक्षा एवं सरकारी नीति पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना।

7. बैगा जनजाति की यथार्थता का अवलोकन करना।

8. पूर्व में किसे गये अध्ययनों की समीक्षा करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

बैगा जनजातियों के शैक्षिक समस्याओं को ज्ञात करने के लिए परिकल्पना कुछ इस प्रकार से है –

1. बैगा जनजाति में शिक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

2. बैगा जनजातियों के शिक्षा के अधिकारों की जानकारी प्राप्त किया जाएगा।

3. बैगा जनजातियों के बच्चों की शिक्षा पर उनकी आर्थिक स्थिति के प्रभाव पाया जाएगा।

4. बैगा जनजातियों के बच्चों पर उनकी पारिवारिक स्थिति के प्रभाव पाया जाएगा।

5. बैगा जनजातियों के बच्चों की शिक्षा पर उनकी जाति एवं सामाजिक स्थिति के प्रभाव पाया जाएगा।

6. बैगा जनजातियों के बच्चों को शिक्षा एवं सरकारी नीति पर उनके प्रभाव पाया जाएगा।

परिसीमन

1. प्रस्तुत अध्ययन सिंगरौली जिले के विकासखण्ड के बैगा जनजातियों तक सीमित किया गया है।

2. यह अध्ययन 200 बैगा जनजातियों के परिवारों पर शोध के लिए सीमित किया जायेगा।

शोध अभिकल्प

अनुसंधान प्रक्रिया केवल समस्या का चयन करने संबंधित साहित्य का संगलन करने परिकल्पना का निर्धारण करने आदि तक ही सीमित नहीं बल्कि अनुसंधान के प्रश्नों का सही हल ढूढ़ने एवं अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान उठने वाले प्रष्नों के निराकरण की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधान के पद या चरण पर योजनानुसार नियंत्रण भी रहे इसके अंतर्गत अनुसंधान की समस्त कार्य योजना आता है। जिसमें लेख से लेकर तथ्यों के विश्लेषण तक सभी बाते सम्मिलित है।

अनुसंधान विधि

प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध में षोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

जनसंख्या

जनसंख्या या समष्टि एक सांख्यिकीय संकल्पना है। जिनमें ''बहुत सी इकाईयां का वृहद समूह'' जिनमें से कुछ इकाईयां अध्ययन के लिए चुना जाता है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने अपने अध्ययन के लिए सिंगरौली विकासखण्ड क्षेत्र के बेलगहना ग्राम पंचायत के आसपास के 200 बैगा जनजातियों के परिवार को न्यादर्ष के रूप में चयन किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण

अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है।

उपकरण का विवरण

प्रयुक्त उपकरण में कुल 51 प्रश्न है जो कि चार अलग–अलग कारक है।

1. आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित प्रश्न – 15

2. पारिवारिक स्थिति से सम्बन्धित प्रश्न – 10

3. जाति एवं सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित प्रश्न – 12

4. शिक्षा एवं सरकारी नीति से सम्बन्धित प्रश्न – 14

परिकल्पनाओं का विश्लेषण

प्रथम कारक – ''आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित''

प्रथम कारक के प्रश्नों के उत्तरों में पायी गयी, हॉ एवं नहीं का प्रतिशत निम्न प्रकार है–

तालिका–1

हॉ	नहीं
68.5%	32.5%

विश्लेषण

प्रथम कारक के 15 प्रश्नों के विश्लेषण करने पर 68.5 प्रतिशत का जवाब हॉ में एव 32.5 प्रतिशत का नहीं में जवाब प्राप्त हुआ है।

द्वितीय कारक – ''पारिवारिक स्थिति से संबंधित''

द्वितीय कारक के प्रश्नों के उत्तरों में पायी गयी, हॉ एवं नहीं का प्रतिशत निम्न प्रकार है–

तालिका–2

हॉ	नहीं
62.25%	**37.75%**

विश्लेषण

द्वितीय कारक के आठों प्रश्नों के उत्तरों में 62.25 प्रतिशत ने हॉ में जवाब दिया और 37.75 प्रतिशत ने नहीं में जवाब दिया। अतः हमारे द्वारा यह कहा जा सकता है कि यह कारक बैगा जनजातियों के बच्चों की शैक्षिक समस्या को प्रभावित करती है।

तृतीय कारक – ''जाति एवं सामाजिक स्थिति से संबंधित''

तृतीय कारक के प्रश्नों के उत्तरों में पायी गयी है, एवं नहीं का प्रतिशत निम्न प्रकार है–

तालिका–3

हॉ	नहीं
39.55%	**60.45%**

विश्लेषण

तृतीय कारक के 12 प्रश्नों के विश्लेषण करने पर 39.55 प्रतिशत बैगा जनजाति का जवाब हॉ एवं 60.45 प्रतिशत का नहीं में प्राप्त हुआ है।

चतुर्थ कारक–''शिक्षा एवं सरकारी नीति से संबंधित''

चतुर्थ कारक के प्रश्नों के उत्तरों में पायी गयी हॉ एवं नहीं का प्रतिशत निम्न प्रकार है।

तालिका–4

हॉ	नहीं
62.42%	37.58%

विश्लेषण

चतुर्थ कारक के 14 प्रश्नों के उत्तरों में 62.42 प्रतिशत हां एवं 37.58 प्रतिशत नहीं मे जवाब दिए है–

अध्ययन का निष्कर्ष :–

1. बैगा जनजाति के बच्चाों की आर्थिक स्थिति, बैगा जनजाति के बच्चों के लिए षैक्षिक समस्या उत्पन्न करती है।

निष्कर्ष–उपरोक्त ऑकड़ों के आधार पर हम यह निश्चित रूप से कह सकते है कि बैगा जनजाति की आर्थिक स्थिति उनके बच्चों में षैक्षिक समस्या उत्पन्न करती है।

विवेचना :–

शिक्षा की आज महत्व को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता है और शिक्षा के आर्थिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। क्योंकि बिना किसी शिक्षण सामाग्री के एवं आधुनिक शिक्षा सर्वत्र महंगी है आज बैंगा जनजाति के लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा दिलाने में, शिक्षण सामग्री दिलाने में शाला फीस दे पाने में, असमर्थ मानते है तथा इस शोध में हमने यह भी देखा कि 68.5 प्रतिशत बैगा जनजाति ने यह भी माना कि अच्छी शिक्षण सुविधाएं प्राप्त होने पर उनके बच्चों के द्वारा और अच्छे से शिक्षा में एवं ज्ञान प्राप्त कर सकते है तथा 32.5 प्रतिशत का यह मानना है कि वे आर्थिक रूप से परेशान होने पर इसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ना यह निश्चित कर देता है कि आर्थिक स्थिति बैगा जनजाति के बच्चों की शैक्षिक समस्या उत्पन्न करने में सहायक है। बैगा जनजाति के बच्चों में पढ़ाई के साथ–साथ घर की खर्चे हेतु अन्य कार्य, एवं मजदूरी भी करने होते है। अतः वे अपनी शिक्षा में पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं क्या मानसिक रूप से

दबाव में होते हैं। अतः यह भी देखा गया है कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ परिवार के बच्चों का शिक्षा स्तर उच्च एवं निम्न आर्थिक स्थिति वाले बच्चों का निम्न पाया गया है–

2. बैगा जनजाति की पारिवारिक स्थिति उनके बच्चों के लिए शैक्षिक समस्या उत्पन्न करती है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध के आधार पर हम यह कह सकते है कि बैगा जनजाति की पारिवारिक स्थिति उनके बच्चों के लिए शैक्षिक समस्याएं उत्पन्न करने में सहायक है।

विवेचना :–

प्रायः हम देखते हैं कि बैगा जनजाति की पारिवारिक स्थिति में बैगा प्रायः निरक्षर, नशे में लिप्त और उनकी माताओं को भी नशे की लत में होने के प्रश्न पर अधिकतर बैगा जनजाति का जवाब हमें हाँ में प्राप्त हुआ है। इस बात का विवेचना करने पर हम निश्चित रूप कह सकते है कि पारिवारिक वातावरण बच्चों को प्रभावित करता है, तथा वे जिस वातावरण में रहते हैं उनका प्रभाव निसंदेह होना आवश्यक है। नशे के आदी माता–पिता अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाते है जिससे उनके बच्चों में नशाखोरी समाजिक बुराईयां, अशिक्षा एवं पढ़ाई बीच में रोक दी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि बैगा जनजाति की पारिवारिक स्थिति उनके बच्चों की शैक्षिक समस्या उत्पन्न करने में सहायक पाया गया है।

3. जाति एवं सामाजिक स्थिति बैगा जनजाति के बच्चों की षैक्षिक समस्या उत्पन्न करती है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि जाति तो प्रभाव नहीं डालती है एवं सामाजिक स्थिति निश्चित रूप से व बैगा जनजाति के बच्चों के शैक्षिक समस्या उत्पन्न करने वाले कारकों में नहीं पाया गया है।

विवेचना :–

भारतीय समाज में सामाजिक स्थिति गुरू से ही, जाति के साथ प्रभावी रहा है लेकिन प्रस्तुत शोध में शोधार्थी के प्रश्नों के जवाब में जाति के प्रश्न पर अधिकतर बैगा जनजाति के लोग अपने बच्चों को शिक्षा पर प्रभाव को अस्वीकार किया गया है। अतः इस बात पर यह सिद्ध होता है कि जाति उनके बच्चों की शैक्षिक समस्या में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करती है। परंतु सामाजिक स्थिति के प्रश्न निरक्षर होने, मोहल्ले के अधिकतर लोग निरक्षर होना। हमेशा शोरगुल होना, शैक्षिक समस्या उत्पन्न करने में सहायक है। सभी पदों की तुलना करने एवं इसकी विवेचना करने पर हम कह सकते है कि जाति एवं सामाजिक स्थिति बैगा जनजाति के बच्चों की शैक्षिक समस्या उत्पन्न नहीं करती है।

4. शिक्षा एवं सरकारी नीति बैगा जनजाति के बच्चों के लिए शैक्षिक समस्या उत्पन्न करती है।

निष्कर्ष– प्रस्तुत षोध के आधार पर हमे यह सिद्ध करता है कि षिक्षा एवं सरकारी नीति षैक्षिक समस्या उत्पन्न नहीं करती है।

विवेचना :–

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ों के विवेचना करने पर हमारे द्वारा यह पाया कि शिक्षा एवं सरकारी नीतियों से संबंधित प्रश्नों पर बैगा जनजाति के द्वारा सहमत एवं असहमत में थोड़ा ही अंतर पाया गया है। प्रायः सभी सरकारी नीतियां बनायी तो जाती है पर जमीनी हकीकत अलग पायी जाती है तथा उनका सही रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त चिकित्सा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क गणवेश, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की पर्याप्त सुविधाओं के प्रश्न पर मामूली ही अंतर पाया गया है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, सबसे बड़ी बात यह है कि 60 प्रतिशत मजदूर सरकारी नीतियों की जानकारी में से असहमत है फिर भी प्राप्त ऑकड़े यह सिद्ध करते हैं कि शिक्षा एवं सरकारी नीतियां बैगा जनजाति के बच्चों की शैक्षिक समस्या उत्पन्न करने कारकों में नहीं पाया गया है।

सुझाव

प्रस्तुत लघुषोध में हमे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए है उसके आधार पर बैगा जनजाति के बच्चों के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है–

1. बालक का परिवार उसकी प्राथमिक पाठशाला होती है अतः माता–पिता को चाहिए कि वह बालकों में शुरू से ही अच्छी भावना का विकास करें, जिससे उनमें हीन भावना किकसित न हो।

2. माता–पिता का प्रभाव बच्चों पर प्रमुख रूप से पड़ता है अतः माता–पिता को शिक्षित होना चाहिए ताकि वह बालक को समय–समय पर उचित मार्गदर्शन दें सकें।

3. प्राथमिक एवं मिडिल शिक्षा को रोचक और सरल बनाना चाहिए जिससे प्राथमिक शालाओं में शाला त्यागी बच्चों में कमी आ सके।

4. प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली में मूल्याकंन का आधार केवल परीक्षा केन्द्रित नहीं होना चाहिए। जिससे मजदूर शिक्षा के महत्व को समझे एवं बच्चों को शाला भेज सके।

5. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में वृद्धि की जानी चाहिए।

6. बैगा जनजाति को निःशुल्क शिक्षण सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाए साथ ही कमजोर छात्रों को निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे शाला त्यागी बच्चों की दर में कमी आये।

7. आज जनता द्वारा घरेलू कार्यों के बच्चों को नौकर रखने के लिए नियमों को कड़ाई से लागू की जानी चाहिए।

8. बैगा जनजाति के बच्चों को निःशुल्क व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान होना चाहिए।

9. गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को मजदूरों के बच्चों की शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण, एवं स्वास्थ्य की देख–रेख तथा पोषण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

10. बैगा जनजाति के बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इनके माता–पिता उनको श्रम के कार्यों से दूर रखें।

संदर्भ

1. गोयल एण्ड गोयल ''समाजशास्त्र'' मध्यप्रदेश संस्करण।

2. खुराना, ऊषा, ''मानव अधिकार शिक्षा'' समानान्तर प्रकाशन, नई दिल्ली।

3. आहूजा, राम ''सामाजिक समस्याएं'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

4. मदन, जी.आर. ''समाज कार्य'' विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004।

5. प्रो. श्रीवास्तव ए.आर.एल. ''भारत का जनजातीय संदर्भ'' आर.पी. यूनीफाइड भारतीय प्रयागराज।

6. ''शिक्षा अनुसंधान'' लायल बुक डिपो, मेरठ – शर्मा आर.ए.।

7. त्रिपाठी डॉ. टी.पी. ''मानव अधिकार'' प्रयागराज लॉ एजेन्सी प्रयागराज।

8. पाण्डेय, डॉ. जयनारायण ''भारत का संविधान'' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी प्रयागराज।

9. चौरसिया, डॉ. विजय कुमार (2002), प्रकृति पुत्र बैगा भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

10. जिला योजना एवं सांख्यिकी, कार्यालय जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2010

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

Study on Factors Affecting the Employee Engagement with special reference to Pharmaceutical Marketing Professionals in Allahabad

❒ Malay Tiwari*
❒ Dr. Rajiv Dubey**

ABSTRACT

Employee engagement is a workplace approach designed to ensure that employees are committed to their organization's goals and values, motivated to contribute to organizational success, and are able at the same time to enhance their own sense of well-being. It describes an employee work environment in which employees are motivated, excited, thoroughly involved and engrossed in their work and contribution, and willing to offer their discretionary energy to accomplish work goals. Employee engagement is a property of the relationship between an organization and its employees. An "engaged employee" is one who is fully absorbed by and enthusiastic about their work and so takes positive action to further the organization's reputation and interests. It measures employee sentiment on things such as passion and pride – how passionate employees are about their work, how proud they are to tell people where they work, do they believe in the mission of the organization, and do they feel their work is valued and their talents are well utilized.

Key Words : Employee engagement, Organizational Commitment, Inter-Personal Relationships.

INTRODUCTION

William Kahn (1990)defined the personnel engagement as "the harnessing of organization members' selves to their work roles; in engagement, people employ and express themselves physically, cognitively, and emotionally during role performances.

Employee engagement is vital for any organization. If employees don't connect with the values of an organization, appreciate the contribution they can make, or do not feel that their employer cares. Employee engagement is a vast subject and can take many forms. The Institute of Employment Studies defines it as: "A positive attitude held by the employee towards the organization and its values. An engaged employee is aware of the business context, and works with colleagues to improve performance within the job for the benefit of the organization. The organization must work to develop and nurture engagement, which requires a two way relationship between employee and employer."

Employee engagement starts with managers showing a clear and collective commitment to making employee engagement part of business culture. This

* ResearchScholar, APS University, Rewa- M.P.
** Professor & Head, Busi. Econo., APS University, Rewa- M.P.

means sharing information on business plans and performance, making sure you live your business values and seeking views and ideas from employees on how to improve your business.Employee engagement is a fascinating world. When used as a metric, it's a powerful predictor of what type of work force an organization has and its impact on business success.

As per the analysis of Everextra, (2016) (an organization working for online employee incentive program) “Employees must be continuously challenged, continuously engaged, and continuously rewarded to maximize efficiency and productivity.” Some have speculated that employee engagement is having employees being self-motivated and willing to give 110% without acknowledgement or incentive. While that is nice for white papers and presentations, we take a more pragmatic approach. 99% of time, a worker is there working because they have an incentive from a paycheck. The employer gets labor, the employee earns a living, everyone wins, and the world goes ’round.

When you foster an atmosphere of positive reinforcement, you will start to see positive results. Work becomes fun, challenging, rewarding, and your employees will wake up every dayhappy, and that they work for such a great company. Staff members in human service occupations work closely with the individuals they serve. They are a vital link in the chain of services provided to our nation’s weak and vulnerable populations. However, working in the field is demanding, and employee emotional exhaustion is common (Maslach, Schaufelli, & Leiter, 2001). Not surprising then, human service workers have been identified as an occupational class with above average risk for burnout (Soderfeldt, Soderfeldt, &Warg, 1995). Consequently, researchers have been studying correlates and consequences of burnout for decades. It is further understood that burnout has a negative impact not only upon individual workers but upon entire organizations, including other agency staff as well as the clients they serve (Garner, Knight, & Simpson, 2007). This study proposed that consideration should be given to the concept of “engaging” workers in a rejuvenation effort intended to alleviate the negative and costly effects of burnout in the field of human services.

Categories of Employee Engagement

According to the Gallup the Consulting organization there are there are different types of people :

Engaged--"Engaged" employees are builders. They want to know the desired expectations for their role so they can meet and exceed them. They're naturally curious about their company and their place in it. They perform at consistently high levels. They want to use their talents and strengths at work every day. They work with passion and they drive innovation and move their organization forward.

Not Engaged---Not-engaged employees tend to concentrate on tasks rather than the goals and outcomes they are expected to accomplish. They want to be told what to do just so they can do it and say they have finished. They focus on accomplishing tasks vs. achieving an outcome. Employees who are not-engaged tend to feel their contributions are being overlooked, and their potential is not being tapped. They often feel this way because they don't have productive relationships with their managers or with their coworkers.

Actively Disengaged--The "actively disengaged" employees are the "cave dwellers."

They're "Consistently against Virtually Everything." They're not just unhappy at work; they're busy acting out their unhappiness .They sow seeds of negativity at every opportunity. Every day, actively disengaged workers undermine what their engaged coworkers accomplish. As workers increasingly rely on each other to generate products and services, the problems and tensions that are fostered by actively disengaged workers can cause great damage to an organization's functioning .

Some of the advantages of Engaged employees are :

- Engaged employees will stay with the company, be an advocate of the company and its products and services, and contribute to bottom line business success.
- They will normally perform better and are more motivated.
- There is a significant link between employee engagement and profitability.
- They form an emotional connection with the company. This impacts their attitude towards the

company's clients, and thereby improves customer satisfaction and service levels

- It builds passion, commitment and alignment with the organization's strategies and goals
- Increases employees' trust in the organization
- Creates a sense of loyalty in a competitive environment
- Provides a high-energy working environment
- Boosts business growth
- Makes the employees effective brand ambassadors for the company

Need of the Study:

It has not always been popular to study what might be considered "positive" states of human functioning (Schaufeli& Bakker, 2004). In fact, traditional research has focused on weakness, malfunctioning, and the study of negative states such as burnout.Recently, however, there has been a shift in the focus of studies away from negative conditions, towards research on human strengths and optimal functioning (Seligman &Csikszentmihalyi, 2000). This shift aligns with the National Association of SocialWorker's (NASW) code of ethics, which states that "A defining feature of social work is the profession's focus on individual wellbeing in a social context and the wellbeing of society" (NASW Code of Ethics). Because the profession clearly values human wellbeing and empowerment, this shift to studying positive states, such as engagement with one's work, is long overdue for social work researchers. Research into such predictors of positive states as work engagement could foster the development of new practice strategies designed not to correct a deficit, but rather to foster an individual's capacity to maximize hisèher own functioning.Although employee engagement is a new term in social work, it has been familiar to those in the management community for almost two decades (Hobel, 2006).

Engagement is more than simple job satisfaction and high retention rates. Fully engaged workers are those who are physically energized, emotionally connected, mentally focused, and feel aligned with the purpose of the agency (Loehr& Schwartz, 2003).

Importance of the Study

Engaged employees have a bond with the organization. These individuals feel empowered and in control of their fate at work. They identify with the agency missionand are willing to commit the necessary emotional and personal energies necessary to excel in their work. In short, engaged individuals willingly help achieve agency goals and are emotionally involved in the tasks of their organization.Having an engaged workforce in the human services field is vitally important because research shows that engaged workers help organizations reap benefits such as increased efficiency, higher levels of customer satisfaction, higher productivity, and lower turnover rates (Buhler, 2006). However, although there is a growing body of business oriented literature that describes how engaged employees contribute to the overall success of an organization, little academic and empirical research in the human services field has been conducted on the topic. More research is needed to determine levels of engagement for workers in the human services field, to describe the benefits of engagement, and to identify what factors may predict it.

Research Questions

- Is there a significant relationship between employee engagement and employee performance?
- Is there a significant relationship between employee engagement and the employee satisfaction?

Research Objectives

1. To study the current employee engagement status of pharmaceutical marketing professionals.
2. To find out the factors affecting the employee engagement in pharmaceutical marketing.
3. To give the suggestions for improvement in employee engagement in pharmaceutical marketing.

REVIEW OF LITERATURE

Goffman, (1959, 1961) was first time used the term "embracement" to describe the investment of self and energy into one's role. For Goffman', role embracement involved an admitted or expressed attachment to the role and an active engagement or spontaneous involvement in role activity; that is, a visible investment of attention and effort.

Behaviors that signify a lack of separation between a person and a role were indicative of role embracement, whereas behaviors that separated a person from a disdained role indicated role distance. To explain the concept, Goffman contrasted a police officer directing rush hour traffic, dancing with his arms and legs and blowing his whistle, as high role embracement

Deci and Ryan (1987) management which fosters a supportive work environment typically displays concern for employees' needs and feelings, provides positive feedback and encourage them to voice their concerns, develops new skills and solve work related problems.

William H. Kahn (1990) completed some of the earliest work on engagement and defined engagement as,"the harnessing of organization members' selves to their work roles; in engagement, people employ andexpress themselves physically, cognitively, and emotionally during role performances."

Cooper,(1997) explained that if emotions are properly managed rather than shut out at work, they can drive trust, loyalty and commitment and great productivity gains by individuals, teams and organizations.

Purcell et al., (2003) highlighted that employee engagement is only meaningful if there is a more genuine sharing of responsibility between management and employees over issues of substance. Their study also revealed that involvement in decisions affecting the job or work to be an important factor, which was strongly associated with high levels of employee engagement thus demonstrating it is an important driver.

Kieron Shaw, (2005) the author of Melcrum's report, highlights multiple definitions of employee engagement. For the purposes of his research, Shaw also created a definition of employee engagement, which is, "translating employee potential into employee performance and business success" and thus "changing the way employees perform by utilizing the tools in the armory of internal communication professionals." The International Survey Research (ISR) defines employee engagement as, "a process by which an organization increases commitment and continuation of its employees to the achievement of superior results." The ISR separates commitment into three parts; cognitive commitment, affective commitment, and behavioral commitment or think, feel and act.

De Waal, (2007) identified that leaders of high performance organizations are "committed to theorganization for the long haul by balancing common purpose with self-interest, and teaching organizational members to put the organization first."

Penna, (2007) presents a hierarchical model of engagement. This model indicates that staff is seeking to find "meaning" at work. Penna defines "meaning" as fulfillment from the job. .Fulfillment comes from the employee being valued and appreciated, having a sense of belonging to the organization, and feeling as though they are making a contribution, and is matching with the underlying theoretical framework of Robinson. Penna states that the organization becomes more attractive to new potential employees and becomes more engaging to its existing staff.

Macey and Schneider (2008), measuring engagement is difficult as it involves assessing complex feelings and emotion. Engagement has been used to refer to a psychological state (e.g., involvement, commitment, attachment, mood), performance construct (e.g. either effort or observable behavior, including pro-social and organizational citizenship behavior), disposition (e.g. positive affect), or some combination of the above. Over the years, researchers have measured employee engagement by using three different approaches, namely engagement as a description of conditions under which people work, engagement as a behavioral outcome, and engagement as a psychological presence.

Simpson, (2009) discussed that the current state of knowledge about engagement at work through a review of the literature. This review highlighted the four lines of engagement research and focuses on the determinants and consequences of engagement at work.

Papalexandris and Galanki (2014) identified two factors that are positively linked with engagement namely, management and mentoring behaviors such as imparting confidence to followers, power sharing, communication, providing role clarification and articulation of vision which could be characterized

as inspirational, visionary, decisive and team-oriented.

Men (2015) notes that although studies have revealed significant effects of authentic leadership on employee engagement, these effects are usually mediated by factors such as employee-organization relationships, internal reputation, and transparent communication.

RESEARCH METHODOLOGY

Research design: Exploratory Research Design is adopted.

Data Collection:

(A) Primary data will be collected from the medical representatives from Allahabad.

(B) Secondary data will be collected from various books, journals, internet and other material available in library.

Sample size: 300, while total universe population was 570 pharmaceutical marketing professionals at junior level (Medical Representatives). So the selected sample size id approximately 52% of total population.

Sample description : Medical representatives from various pharmaceutical organizations were selected for study.

Meeting with these pharmaceutical marketing professionals will be held at medical stores, hospitals and their regional offices in Allahabad city. Top 8 pharmaceutical companies were selected for this research study on the basis of higher turnover in Uttar Pradesh. Turnover related data was collected form their respective head-quarters located at Lucknow and Varanasi for the financial year 2015-16. Organizations which were selected are as mentioned below:

1. Aristo Pharmaceutical Pvt. Ltd, 2. Dr. Reddy's, 3. Cipla, 4. Ranbaxy, 5. GSK Pharmaceuticals, 6. Arbindo, 7. Mankind, 8. Macleod's

Sampling techniques: Random Sampling

Research tool: Structured Questionnaire

Area of study: Allahabad, Uttar Pradesh.

Data Analysis: Data analyzed qualitatively on the basis of recorded responses.

DATA INTERPRETATION AND ANALYSIS

Data analysis were done in two stages, where in first stage factors were identified form the available reviews and identified factors applied in questionnaire to collect the responses of respondents on certain variables.

Factors Identified through review of literature (Stage-1)

S. No.	Factors	Reviews
1	Involvement in Decision making	Schultz, Van der Walt and Bezuidenhout (2011)
2	Rewards and Recognition	Bartlomiejczuk, G. (2015).
3	Fair Pay	Mark A. (2013)
4	Supportive Management	Northouse(2004)
5	Fair & Equal Treatment	Harter, Schmidt & Hayes, 2002)
6	Career Advancement	Kevin Sheridan (2012)
7	Training and Development	Christina Maslach, 2003,
8	Compensation and Benefits	Bloom and Michael 2002; Levine1991; and Pfeffer and Langton 1999
9	Performance Appraisal	Karatepe et al., 2012; Robinson et al., 2004 and Simpson, 2009
10	Leadership	Marie Carasco-Saul, Woocheol, Kim, Taesung Kim, First Published December 23, 2014
11	Organizational Working Environment	Peter G. Furst, 2014
12	Job Suitability	Society for Human Resource management, 2016
13	Interpersonal Relationship	RolyanaFerinia, TjutjuYuniarsi and H. Disman, 2016
14	Physical Facilities	Andrew Mason, South African Facilities Management (SAFMA), 2016
15	Work Life Balance	Joe Robinson, 2017

Response of respondents for identified factors (Stage-II)

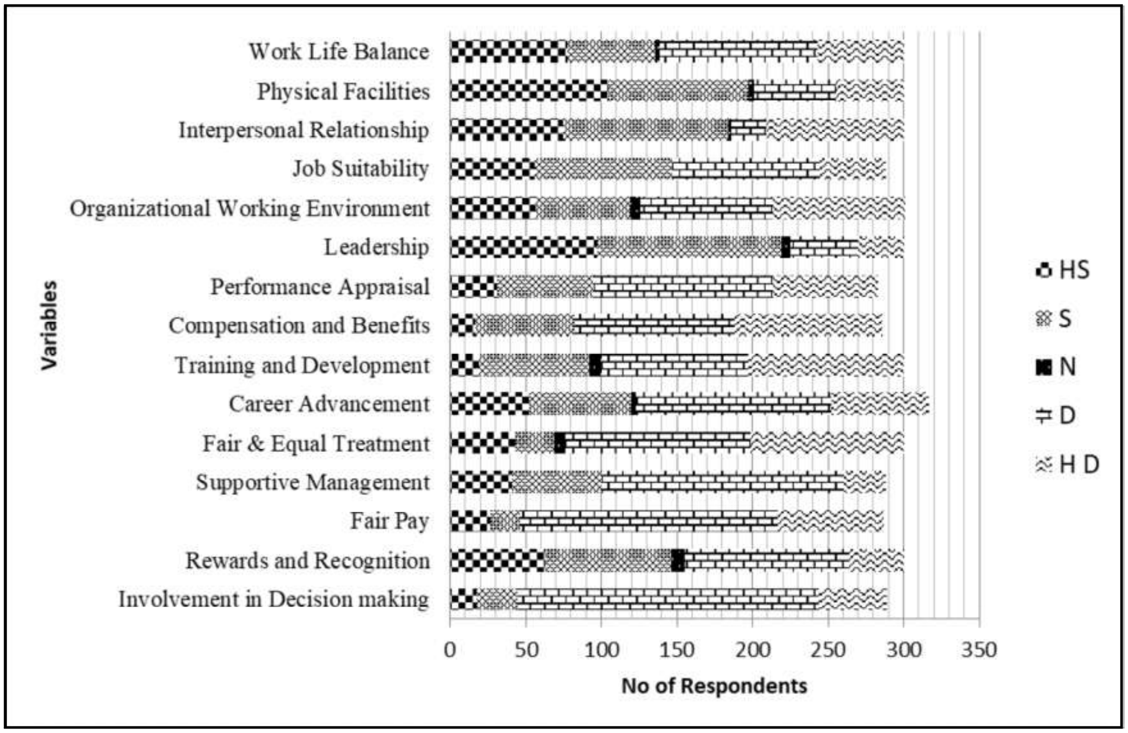

S.No.	Factors	HS	S	N	D	H D
1	Involvement in Decision making	18	27	0	199	45
2	Rewards and Recognition	63	83	9	109	36
3	Fair Pay	27	19	0	171	70
4	Supportive Management	41	59	0	159	29
5	Fair & Equal Treatment	43	26	7	123	101
6	Career Advancement	52	68	3	129	65
7	Training and Development	19	73	8	97	103
8	Compensation and Benefits	17	65	0	106	98
9	Performance Appraisal	31	63	0	119	70
10	Leadership	97	122	6	44	31
11	Organizational Working Environment	57	62	7	87	88
12	Job Suitability	56	91	0	98	43
13	Interpersonal Relationship	75	109	2	23	91
14	Physical Facilities	105	92	4	54	45
15	Work Life Balance	78	58	3	104	57

Table No. 2, Data of respondents. (HS=Highly Satisfied, S=Satisfied, N=Neutral, D=Dissatisfied, HD)

FINDINGS

Involvement in Decision making: in other words it can be considered as employee empowerment, where many of HR practioners already suggested that, inclusion of employees in the organizational decision making will process leads to higher employee satisfaction as well as engagement also. Data shown in exhibit no. 2 clearly indicating that level of dissatisfaction (Dissatisfied = 199 and highly Dissatisfied = 45) among decision making practices in pharmaceutical sector is not towards the employee engagement. But respondents from multinational pharmaceutical organizations were satisfied and highly satisfied.

Rewards and Recognition: Bartlomiejczuk, G. in year 2016 already studied that there is a significant role of rewards in employee engagement activities. Basic theory of motivation is (Carrot and Stick theory) also indicating that rewards are important to motivate the employees for betterment of the organization. Data collected for this study is showing that 145 respondents were dissatisfied.

Fair Pay: payments and salaries are the sensitive matters, because it is related with the needs of dependents also. Pay means "amount which is paid by employer for the work accomplished by an employee in certain duration", but fair means this pay should be non-biased. Respondents suggested that their organization paying them on the basis of current performance in sales.

Supportive Management: Data shown in exhibit no 2 that 159 respondents were dissatisfied and 100 respondents were satisfied. Supportive management means the administration helpful towards their employees.

Fair & Equal Treatment: Harter, Schmidt & Hayes, studied in year 2002 that administration or organization leaders should treat their employees equally. Means there should be uniform rules for everyone and personal relationships should not affect the interpersonal relationships.

Career Advancement: with respect to career advancement 194 respondents are dissatisfied, which is approximately 65 percent. If this much percentages of employees are not satisfied with the career advancement schemes then the attrition rate will be high (Lakhawat, P. S., 2015).

Training and Development: Skill enhancement leads to higher production as well as higher employee satisfaction. Most of the pharmaceutical organizations are not focusing on trainings, because of sales target and competition in the market. 68%of employees were not satisfied with the training and development activities of their concerned organizations.

Compensation and Benefits : Government already has several amendments and regulations related to fair compensation and other benefits for the employees. But as per respondents such regulations are not following by organizations seriously. As per data mentioned in exhibit no 2 approximately 71 percent of respondents were not satisfied with the compensation benefits of their organizations.

Performance Appraisal : Pharmaceutical organizations are mainly focusing on the sales achievement as the key performance area (Vishwakarma P, 2017). Data shown in exhibit no 2 that 65 of respondents were not satisfied with the performance appraisal system.

Leadership: basic principle of the success is that organizational leadership should be efficient and effective to achieve the organizational goals and objectives. Policy makers, implementations of policies, supervisors should follow the humanitarian approach when dealing with the employees. Data showing that more than 70 employees were satisfied with present leadership.

Organizational Working Environment: rules regulations, cultural inclusions at work place, social believes of employees, working procedures and responsibilities are the major segments of organizational working environment. In case of pharmaceutical marketing professionals at Allahabad, 58 employees are not satisfied with their working environment of respective organization.

Job Suitability: performance of any employee is depend on the interest and suitability of job assigned to an individual (SHRM, 2016).Data suggested by the respondents that more than 50 percent of respondents were satisfied from their exist job. While rest of them were not satisfied with their present job description. During the informal discussions with the respondents it was observed

that, pharmaceutical marketing professionals are doing multi-specialty tasks like customer relationship management, logistics, supply, branding, recruitment and target achievement. Due to such complexities most of them were not satisfied with their current job profiles.

Interpersonal Relationship: approximately 184 respondents were satisfied with their interpersonal relationships.

Physical Facilities: Job of pharmaceutical marketing professionals is totally based on the field. So the requirement of physical facilities is necessary to deliver the services. As per data mention in table no 2, that 197 respondents out of 300 were satisfied from the physical facilities provided by their organizations.

Work Life Balance: As per the discussion with respondents it was observed that due to complexity of tasks, most of the pharmaceutical sales personnel taking their work at home. Because of overload working they were not able to complete their tasks at work place.

CONCLUSION

This study has concluded that most of the employees in Pharmaceutical and IT sectors are engaged as most of the responses were on the positive side with minor improvement needed to done to increase employee engagement level. Satisfactory work environment, Opportunities to grow and job enrichment have emerged as prime factor behind employee engagement.

If corporations wish to motivate and engage their workforce, a one-size fits all approach will not work. Results from this study contributed to the limited empirical research on the topic of employee engagement. Specifically, it contributed the first statistical information about rates of engagement among staff in a human services agency. Because employee engagement is now understood to be a critical component of successful organizational outcomes, it needs to be closely examined in the social work field, if for no other reason that agencies are held increasingly more accountable for outcomes, and funding is often tied to success rates. An engaged staff can contribute significantly to reaching positive outcomes. Therefore, the engagement concept should be at the forefront of social work research and policy implementation.

REFERENCES

Williams LJ, Anderson SE. "Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and In-role behaviors", Journal of Management 1991; 17(3): 601-617.

John Wiley. Brim, B. (2002) "The longer workers stay in their jobs, the more disheartened they

Become", Gallup Management Journal, March. Available at:

http://www.gallupjournal.com/GM/J archive/issue5/ 2002315c.asp [Accessed 1st August 2007]

Cooper, R. (1997). Applying Emotional Intelligence in the workplace. "Training and Development"51(12), 31-38.

Deci, E.L. &Ryan, R.M. (1987). The support of autonomy and the control of behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1024-1037

Kahn, W. A., (1990).Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33 (4), 692-724

Penna(2007).Meaning at Work Research Report, http://www.penna.com/contentfiles/penn a/content/ research/e7031f6c-e95e-49ba9eccfad74a0829ec/ meaning_at_work.pdf, Accessed on 20 December, 2012

Macey, W, & Schneider, B. (2008). Industrial and Organizational psychology. Engaged in Engagement: We are delighted we did it.1. 76-83

Purcell, J., Kinnie, N., Hutchinson, S., Rayton, B. & Swart, J. (2003). Understanding the People and Performance Link: Unlocking the Black Box. London, CIPD.

Simpson, M. R. (2009). Engagement at work: A review of the literature International. Journal of Nursing Studies 46.

Positive psychology: An introduction.

Seligman, Martin E. P.; Csikszentmihalyi, Mihaly

American Psychologist, Vol 55(1), Jan 2000, 5-14

Schultz, K., van der Walt, H.&Bezuidenhout, A. (2011). Creating a culture for employee engagement: ten valuable keys: human resources, Management today, 29 (2): 52-53.

Ahmed. A. (2013). Employee engagement level in management colleges: Singaporean Journal of business economics and management studies. 1(7), 2013.

Daunt, V., Menzies, V. (2015) Recognition programs – are they important? Deloitte. Retrieved from

http://www2.deloitte.com/ie/en/pages/deloitte-private/articles/recognition-programmes.html#

Northouse, P. G. (2004) Leadership theory and practice (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Archie Thomas, CMA, and Ann MacDianmid – Encouraging Employee Engagement –CMA Management, JunèJul 2004.

Ashok Mukherjee – Engagement for the mind body, and soul – Human Capital, Aug. 2005.

Barbara Palframan Smith – Employee connection – Technology to built culture and community – Communication World – Mar / Apr 2004.

Beverly Kaye and Sharon Jordan Evans – From Assets to Investors – Training and Development – Apr 2003.

Charles Woodruffe – Employee Engagement – The Real Secret of Winning a Crucial Edge over your rivals – Manager Motivation – Dec. è Jan. 2006.

ChristofferEllehuus,Piers Hudson-Driving Performance and Retention Through

Employee Engagement –Corporate leadership Council 2004, Employee Enagegement Survey

Charlotte Garvey – Connecting the organizational pulse into the bottom line – HR

Magazine society for Human Resource Management, June 2004.

Cifton, D.O. & Hartor, J.K. (2003) – Investing in strength – positive organizational scholarship. Foundation of a new discipline (pp 111-121)

Douglas R. May, Richard L Gilson – The Psychological conditions of meaningfulness safety and availability and the engagement of the human spirit at work – Journal of Occupational and Organisational Psychology (2004) 7, 11-37.

Ellen Lanser May – Are people your priority? How to engage your work force – Healthcare Executive, July/Aug. 2004.

Fox, S, & Spector, P.E. – Emotions in the work place – the neglected side of organizational life introduction. Human Resource Management Review, 12, 167 – 171.

Gretcher Hoover – Maintaining employee engagement when communicating difficult issues – Communication World, Nov / Dec 2005.

Heskett, Jame L – Putting the service profit chain to work – Harvard Business Review, Mar / Apr 94 Vol. 72 Issue 2.

Jerry Krueger and Emily Killham-At work,feeling good matters-Gallup Management Jpurnal,Dec2005

Jteresko – Driving employee engagement – www.industryweek.com, Sept. 2004.

Michael Treacy – Employee Engagement higher at DDG company – Hewitt Research Brief. 2005

Remus, Ilies – An experienced sampling measure of job satisfaction and its relationships

with affectivity, mood at work, job beliefs and general job satisfaction – European Journal of work and organizational psychology, 2004, 13 (3), 367 – 389.

Shamir, B. – Meaning – self and motivation in organization. Organisation studies, 12 (3) 405 – 424.

Steve Batts – Getting engaged – HR Magazine society for Human Resource Management, Feb. 2004.

Steve Crabtree – (2004) Getting personnel in the work place – Are negative relationships squelching productivity in your company? – Gallup Management Journal, June 10, 2004.

Bruner, J.S., 1966. Toward a theory of instruction. 40. Gallivan, M. and M. Srite, 2005. Information Cambridge, MA: Harvard University Press. technology and culture: Identifying fragmentary and

Greif, S. and H. Keller, 1990. Innovation and the holistic perspectives of culture. Information and design of work and learning environments: The Organization, 15(4): 295-338. concept of exploration in human-computer

Christina Maslach, 2003. Job burnout: New directions interaction. In M. A. West & J. A. Farr (Eds.), in research and intervention. Current directions in Innovation and creativity at work: Psychological and Psychological Science, 12(5): 189-192.

Shields, J, D. Scott, R. Sperling and T. Higgins. 2009. Rewards Communication in Australia: A Survey of Policies and Programs. Compensation and Benefits Review. 41(6): 14-26.

Schneider, B., W.H. Macey, K.M. Barbera and N. Martin. 2009. Driving Customer Satisfaction and Financial Success through Employee Engagement. People and Strategy. 32(2): 22-27

Harter, J. K., F.L. Schmidt T.L. Hayes. 2002. Business-Unit Level Relationship Between Employee Satisfaction, Employee Engagement and Business Outcomes: a Meta Analysis. Journal of Applied Psychology. 86(2): 286-279.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3
ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

छत्तीसगढ़ के परंपरागत संचार माध्यम एवं उनका सांस्कृतिक विश्लेषण (बिलासपुर जिले के सन्दर्भ में)

❒ सुहाली जैन*
❒ डॉ. गुरू सरन लाल**

शोध सारांश

परम्परागत संचार माध्यम वे माध्यम होते है जो ग्राम्य समाज की परम्परा से प्राप्त हुए है यह माध्यम सूचना एवं संदेश के साथ ही मनोरंजन के साधन भी है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, निरक्षरता बुनियादी सुविधाओं की कमी और विभिन्न आधुनिक जनसंचार के साधनों के नहीं पहुँच के कारण वे लोक माध्यम जो परम्परागत लोक कलाएं जैसे भजन, कीर्तन, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, कठपुतली आदि सदियों से हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं । परम्परागत जनमाध्यमों के प्रभाव को बखूबी समझते हुए सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए इसका सहारा लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पल्स पोलियो अभियान, एड्स के प्रति जागरूकता, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य साक्षरता मिशन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार, मतदान आदि के प्रति जागरूकता लिए बड़े पैमाने पर सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा परम्परागत लोक माध्यमों का सहारा लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में परंपरागत माध्यमों की एक समृद्ध परंपरा है। लोगों के जीवन में रचे–बसे हैं परंपरागत माध्यम। लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य, चित्रकला, नुक्कड़नाटक, कठपुतली आदि समृद्ध रूप में हैं। लोगों की रूचि भी इन माध्यमों में काफी है। विभिन्न त्यौहार, पर्व, उत्सव आदि अवसरों पर परंपरागत माध्यमों का प्रदर्शन किया जाता है तथा लोगों में उनके प्रति रूचि, आकर्षण बनाए रखा जाता है।

प्रस्तावना

संचार किसी भी समाज की आधारभूत आवश्यकता होती है। ये भी कहा जा सकता है कि संचार समाज के निर्माण की पहली जरुरत होती है। सदियों से अलग–अलग समाजों ने संचार के लिए विशिष्ट माध्यमों को विकसित किया है। आदिम समाजों में सामूहिक नृत्य–गायन करना संचार का सशक्त माध्यम होते थे। आज भी आदिवासी समाजों में इस परंपरा को देखा जा सकता है। एक साथ नाचने–गाने से आदिवासी समाज के बीच–बीच ना केवल गहरा संवाद स्थापित

* ट्रेनी कंटेंट एडिटर, ईटीवी भारत, हैदराबाद, मोबाइल नं. 8305111707, ई–मेलः suhalijain1@gmail.com
** सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.), मोबाइल नं. 9425542795, ई–मेलः gurusaranlal@gmail.com

होता है बल्कि पूरा आयोजन अपने सदस्यों के बीच ये संदेश भी छोड़ता है कि वे आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। आधुनिक समाज यदि डिस्को या पब संस्कृति को जन्म देते हैं तो ये उनकी उसी आदिम इच्छा का परिणाम है जिसमें प्रत्येक मनुष्य दूसरों से जुड़ना चाहता है और इसी प्रकार समाज का निर्माण होता है। भले ही आज के पब या अन्य सामाजिक आयोजन आदिम समाजों से भिन्न हैं लेकिन इससे साबित यही होता है कि संचार मनुष्य की पहली जरूरत है। संचार के माध्यम से ही संस्कृति का निर्माण होता है और मनुष्य अपनी संचार गतिविधियों से ही संस्कृति को निरंतर उत्कृष्ट बनाता है और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाता है।

परंपरागत संचार

परंपरागत संचार से आशय ऐसे संचार से है जो आधुनिक जनसंचार माध्यमों की बजाए परंपरागत माध्यमों से किया जाता हो। परंपरागत संचार सदियों से चला आ रहा है। सभी समाज परंपराओं में रचे बसे अनेक ऐसे माध्यमों के जरिये संचार करते हैं जिनमें निहायत देसज और ग्रामीण प्रतीकों–संकेतों को उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के रूप में सभी प्रकार के लोककथा, लोकनृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य विधाएं, कटपुतली कला और चित्रकलाएं इस श्रेणी में आती हैं। संचार की दृष्टि से परंपरागत संचार में अंतर व्यैक्तिक और समूह दोनों स्तरों पर संचार होता है।

परम्परागत संचार माध्यम वे माध्यम होते है जो ग्राम्य समाज की परम्परा से प्राप्त हुए है यह माध्यम सूचना एवं संदेश के साथ ही मनोरंजन के साधन भी है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, निरक्षरता बुनियादी सुविधाओं की कमी और विभिन्न आधुनिक जनसंचार के साधनों के नहीं पहुँच के कारण वे लोक माध्यम जो परम्परागत लोक कलाएं जैसे भजन, कीर्तन, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, कठपुतली आदि सदियों से हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं । परम्परागत जनमाध्यमों के प्रभाव को बखूबी समझते हुए सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए इसका सहारा लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पल्स पोलियो अभियान, एड्स के प्रति जागरूकता, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य साक्षरता मिशन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार, मतदान आदि के प्रति जागरूकता लिए बड़े पैमाने पर सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा परम्परागत लोक माध्यमों का सहारा लिया जाता है।

शोध प्रविधि

- यह लघु शोध प्रबंध प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकणों पर आधारित है।
- इस अध्ययन के लिए सर्वेक्षण एवं अन्तर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।
- अध्ययन के लिए साक्षात्कार एवं उपलब्ध साहित्यिक पुस्तकों, सोशल मीडिया का अध्ययन किया।
- आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण सारणी व ग्राफ द्वारा किया गया है।

शोध–क्षेत्र एवं सीमाएंः

यह लघु शोध प्रबंध पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग पर आधारित है।

छत्तीसगढ़ : एक परिचय

प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। 6वी और 12वी शताब्दियों के बीच शरभपुरीय, पडुवंशी, नगवंशी, और सोमवंशी शासको ने इस क्षेत्र पर शासन किया। कलचुरियों ने इस क्षेत्र पर वर्ष 875 ई० से लेकर 1741 ई० तक राज्य किया। 1741 ई० से 1854 ई० तक यह क्षेत्र मराठो के शासनधीन रहा। वर्ष 1854 ई० में अंग्रेजो के आक्रमण के बाद ब्रिटिश शासन काल में राजधानी रतनगढ़ के बजाय रायपुर का महत्व बढ़ गया। वर्ष 1905 ई० में सम्बलपुर बंगाल में चला गया और सरगुजा बंगाल से छत्तीसगढ़ के पास आ गया। 1 नवम्बर, 2000 ई० को मध्यप्रदेश को विभाजित कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। यह राज्य भारत संघ के 26वे राज्य के रूप में स्थापित हुआ।

पूरे भारत वर्ष मे छत्तीसगढ़ अपनी लोक परंपराओ की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। मानव की प्राचीनतम संस्कृति यहाँ भित्ति चित्रों, नाट्यशालाओं, मंदिरों और लोक नृत्यों के रूप में आज भी विद्यमान है। यहाँ की लोक रचनाओं में नदी–नाले, झरने, पर्वत और घाटियां धरती की कल्पना होती है। मध्य काल में यहाँ अनेक जातियां आयीं और अपने साथ आर्य संस्कृति भी ले आयी। यहाँ आदिवासियों का नृत्य–सरहुल, मारियों का ककसार, परजा का परब, उरांवों का डोमकच, बैगा और गोड़ों का करमा के अलावा डंडा, सुवा आदि लोक नृत्य प्रमुख है। यदुवंशियों का रावत नृत्य और सतनामियो का पंथी नृत्य आज छत्तीसगढ़ वासियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों में बहुत कुछ समानता होती है। ये नृत्य मात्र मनोरंजन के साधन नहीं है बल्कि जातीय नृत्य, धार्मिक अनु ठान ओर ग्रामीण उल्लास के अंग भी हैं। देव पितरों की पूजा–अर्चना के बाद लोक जीवन प्रकृति के सहचर्य के साथ घुल मिल जाता है। यहाँ प्रकृति के अनुरूप ही ऋतु परिवर्तन के साथ लोक नृत्य अलग–अलग शैलियों में विकसित हुआ। यहाँ के लोक नृत्यों मे मांदर, झांझ, मंजिरा और डंडा प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार मयूर के पंख, सुअर के सिर्से, शोर के नाखून, गूज, कौड़ी और गुरियों की माला इनके प्रमुख आभूषण हैं।

आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं उनका विश्लेषणः

1. सुआ नृत्य किस मौके पर किया जाता है ?

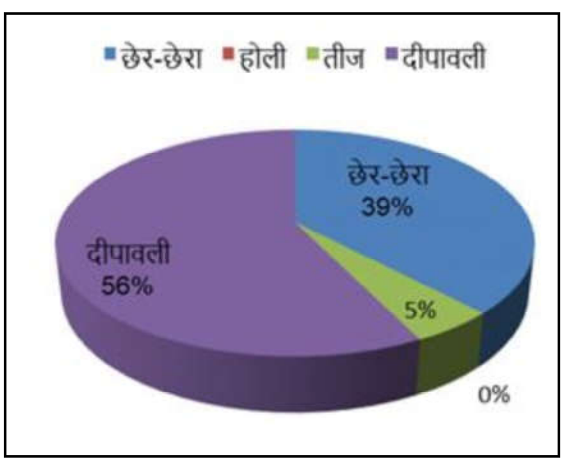

विश्लेषणः शोध में लिए गए लोगों से जब सुआ नृत्य किस लिए किया जाता है पूछा गया तो 56 लोगों ने कहा दीपावली, 39 ने छेर–छेरा, 5 लोगों ने तीज कहा, किसी ने भी होली नहीं कहा।

2. छ.ग. में मिट्टी का बैल किस अवसर पर बच्चो द्वारा चलाया जाता है?

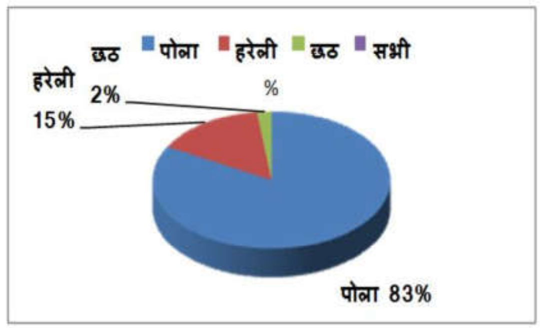

विश्लेषण – शोध में लिए गए लोगों से जब छ. ग. में मिटते का बैल किस अवसर पर बच्चो द्वारा चलाया जाता है पूछा गया तो 83 लोगों ने कहा पोला, जबकि सबसे कम सभी जिसका 0 है तथा हरेली का 15 व छठ का 2 है ।

3. सतनाम पंथ अपने किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते है ?

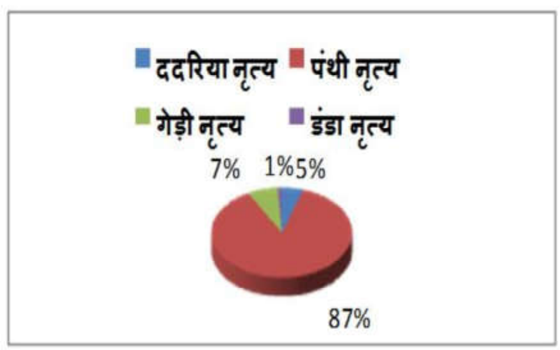

विश्लेषण – शोध में लिए गए लोगों से जब सतनाम पंथ अपने किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते है पूछा गया तो अधिक लोगों ने पंथी नृत्य कहा है जिसका 87% है जबकि सबसे कम डंडा जिसका 1% है तथा ददरिया नृत्य का 5% व गेड़ी नृत्य का 7% है।

4. गेड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है?

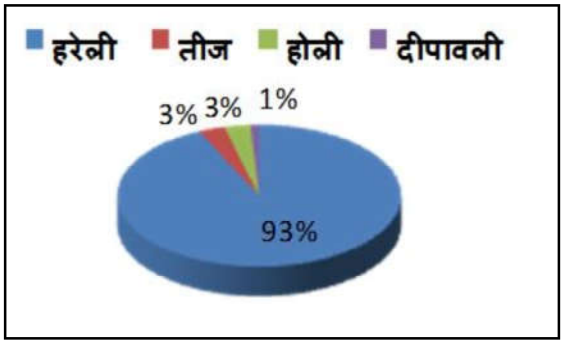

विश्लेषण – शोध में लिए गए लोगों से जब गेड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है पूछा गया तो अधिक लोगों ने हरेली कहा है जिसका 93% है जबकि सबसे कम दीपावली जिसका 1% है तथा तीज का 3:व होली का 3% है ।

5. विलुप्त होते परंपरागत माध्यमों का कारण आप क्या मानते है?

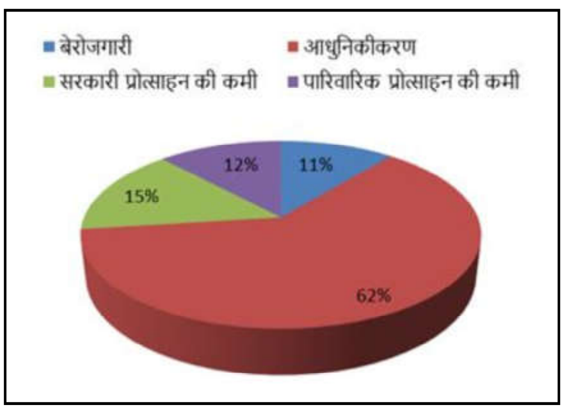

विश्लेषण – शोध में लिए गए लोगों से जब विलुप्त होते परंपरागत माध्यमों का कारण आप क्या मानते है पूछा गया तो अधिक लोगों ने आधुनिकीकरण कहा है जिसका 62% है जबकि सबसे कम बेरोजगारी जिसका 11% है तथा सरकारी प्रोत्साहन की कमी का 15% व पारिवारिक प्रोत्साहन की कमी का 12% है ।

6. क्या आप लोकगीत, लोकनृत्य, लोकगाथा, लोककथा इत्यादि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता करते है?

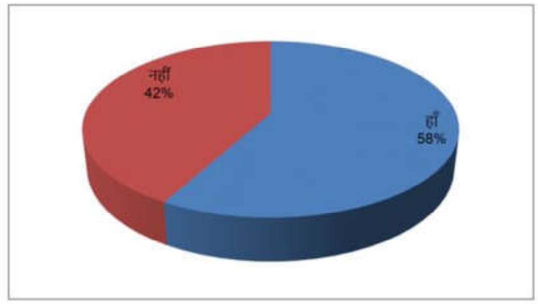

विश्लेषण – शोध में लिए गए लोगों से जब क्या आप लोकगीत, लोकनृत्य, लोकगाथा, लोककथा इत्यादि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता करते है पूछा गया तो 58% लोगों का जवाब हां में था जबकि 42% लोगों का जवाब नहीं था।

7. क्या बिलासपुर की लोक काला आपको प्रभावित करती है?

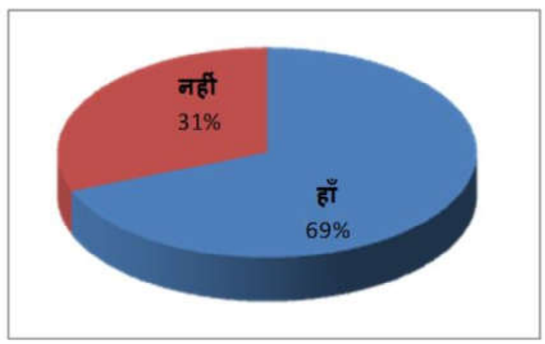

विश्लेषण – शोध में लिए गए लोगों से जब क्या बिलासपुर की लोक काला आपको प्रभावित करती है पूछा गया तो 69% लोगों का जवाब हां में था जबकि 31% लोगों का जवाब नहीं था ।

8. क्या आपके पारिवारिक सदस्यो में कोई कभी लोक कलाओं से जुड़ा है?

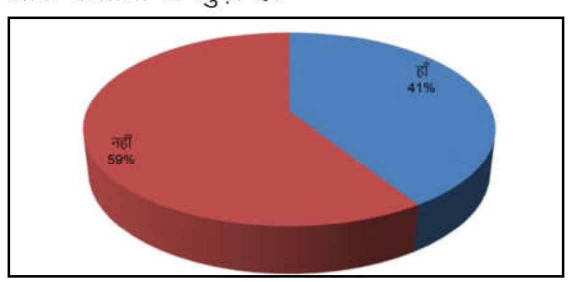

विश्लेषण – शोध में लिए गए लोगों से जब क्या आपके पारिवारिक सदस्यो में कोई कभी लोक कलाओं से जुड़ा है पूछा गया तो 41: लोगों का जवाब हां में था जबकि 59% लोगों का जवाब नहीं था ।

9. क्या बिलासपुर की लोक कलाओं में आपको आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई देती है?

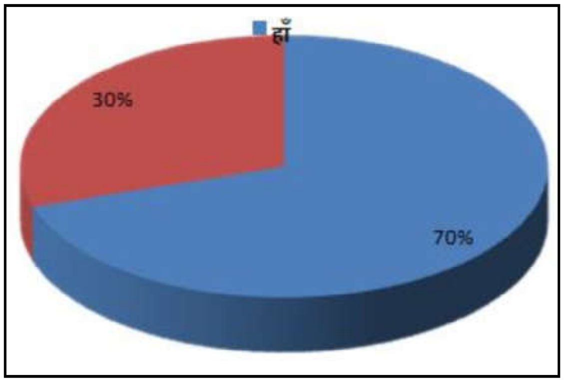

विश्लेषण – शोध में लिए गए लोगों से जब क्या बिलासपुर की लोक कलाओं में आपको आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई देती है पूछा गया तो 70: लोगों का जवाब हाँ में था जबकि 30: लोगों का जवाब नहीं था ।

निष्कर्षः छत्तीसगढ़ में परंपरागत माध्यमों की एक समृद्ध परंपरा है। लोगों के जीवन में रचे–बसे हैं परंपरागत माध्यम। लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य, चित्रकला, नुक्कड़नाटक, कठपुतली आदि समृद्ध रूप में हैं। लोगों की रूचि भी इन माध्यमों में काफी है। विभिन्न त्यौहार, पर्व, उत्सव आदि अवसरों पर परंपरागत माध्यमों का प्रदर्शन किया जाता है तथा लोगों में उनके प्रति रूचि, आकर्षण बनाए रखा जाता है।

सुझाव

1. समाज मे हर प्रकार की काला को मंच प्रदान करना चाहिए।

2. सोशल मीडिया द्वारा इस काला को लोगो से अवगत करना चाहिए तथा बच्चो को उनके शिक्षक द्वारा अवगत करना चाहिए।

3. आधुनिकीकरण को अपनाते हुए अपनी संस्कृति को भी ध्यान मे रखना चाहिए।

4. हमें उन लोक कलाओ मे भाग लेकर लोक काला को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

5. लोक कलाओ को आर्थिक रूप से व सांस्कृ तिक रूप से प्रोत्साहित करना, जनसहयोग की आवश्यकता।

संदर्भ–सूची

1. http://www.newswriters.in/2015/07/07/traditional-media-struggling-for-survival

2. http://mediakipathshala.blogspot.com/sanchaar-madhyam.html on 08/03/2019

3. http://mediakipathshala.blogspot.com/html

4. http://www.newswriters.in/traditional-media-struggling-for-survival

5. http://ignca.nic.in/coilnet/chgr0042.htm

6. माहेश्वरी, मुकेश, छत्तीसगढ़ : एक परिचय, 2017, टाटा मैकग्रा हिल एजुकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली, पृष्ठ 155

7. छत्तीसगढ़ सामान्यज्ञान, लुसेंट पब्लिकेशन, पटना, पृष्ठ 22

8. नईदुनिया, 26 मार्च, 2019

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

गठबन्धन की राजनीति : सामान्य परिचय

❒ डॉ. उपमा सिंह*
❒ सुनील वर्मा**

शोध सारांश

साधरणतया गठबन्धन का अर्थ एक ऐसे समूह से होता है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विशेष रूप से अस्थायी तौर पर संयुक्त होते है। राजनीति विज्ञान में इस शब्द का प्रयोग उस अर्थ में होता है जबकि विभिन्न राजनीतिक दल, निहित स्वार्थ समूह अथवा गुद नीति निर्णयों को निश्चित करने अथवा सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक समूह अथवा गूढ़ नीति निर्णयों को निश्चिय करने अथवा सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक समूह बनाते है। राजनीतिक अर्थ कें गठबन्धन का अर्थ सामान्य रूप से एक सामूहिक व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत राजनीतिक दलों अथवा उसके सदस्य सरकार अथवा मंत्रिपरिषद गठित करने के लिए एक साथ होते है।[2]

प्रस्तावना :—

भारतीय संसदीय राजनीति की परम्परा में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों की मिली जुली सरकारों के लिए गठबन्धन, से युक्त व संविद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। सामान्य रूप से इन शब्दों के अर्थ परिस्थिति विशेष में बनी सरकारों के सन्दर्भ में सन्दर्भित भिन्नता प्राप्त करते है किन्तु ये सभी राजनीतिक शब्दावली के अनुसार आंग्ल भाषा के एक ही शब्द ''कोएलिशन'' की ओर संकेत करते है। प्रस्तुत शोध पत्र में गठबन्धन शब्द का प्रयोग ''कोएलीसन'' के अर्थ में ही किया गया हैं।

''कोएलिसन'' शब्द लैटिन के ''कोलेसियो'' से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ जाना, एक साथ उगना या मिलना। इंग्लिश शब्दकोष में इसे विभिन्न दलों, व्यक्तियों या राज्यों का स्थायी रूप से एक में विलीन हुए बिना, किसी संयुक्त कार्य के लिए किया गया समझौता बताया गया है।[1] गठबन्धन वस्तुतः संसदीय राजनीति को प्रेरित करती है। इसलिए राजनीति की यह प्रक्रिया बहुदलीय व्यवस्था वाले संसदीय लोकतत्रं में ही प्रायः दृष्टिगोचर होती है।

विलियम एच0 रिकर ने ईस्टन को उद्वत करते हुए स्पष्टट किया है कि गठबन्धन सामान्यतः राजनीतिक निर्णय निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन है। राजनीति को मूल के अधिकारिक बंटबारे के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है.......बटवारा गठबन्धन निर्माण की प्रक्रिया है, यह स्पष्ट है के गठबन्धन का सिद्धान्त राजनीति के सिद्धान्त का केन्द्रीय भाग है।[3]

* सहायक प्रध्यापक (राजनीति विज्ञान), शास. कन्या महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

वैसे तो गठबन्धन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न के संयुक्त होने की प्रक्रिया है। किन्तु सह स्थिति विशुद्ध संघर्ष या विशुद्ध सहयोग की स्थिति में बन पाना संभव नहीं है। संघर्ष की स्थिति में हार और जीत की स्पष्ट स्थिति गठबन्धन निर्माण में बाधक है। इसी तरह सहयोगियों में यदि पूर्ण तादात्म्य स्थपित हो जाये तो गठबन्धन का स्वरूप ही बदल जायेगा। अर्थात तब ऐसी स्थिति में सहयोगी अलग अलग न होकर एकीकृत हो जायेगे इसलिए बिलियक ए0 गैम्सन का कहना है कि गठबन्धन का निर्माण तभी संभव है जब संघर्ष और सामान्य हित दोनो साथ साथ अधिकतम लाभ मिल सके किन्तु साथ–साथ इसकी भी सम्भावना रहती है कि अलग–अलग कार्य करने की अपेक्षा संयुक्त होकर काम करने से दोनों (या सभी) सहयोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए विलियम ए0 गैम्सन ने गठबन्धन की परिभाषा देते हुए कहा कि गठबन्धन का अर्थ दो या दो से अधिक इकाइयों द्वारा मिश्रित प्रेरणा की स्थिति में किसी निर्णय को प्रभावित करने के उद्देश्य की दृष्टि से साधनों के सम्मिलित प्रयोग से होता है।[4]

वस्तुतः गठबन्धन से आशय दो या दो से अधिक दलों द्वारा मिलकर गठित उस समूह से है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित किया गया हो। यह सामान्य उद्देश्य एक नई सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के गठन से लेकर सत्ता प्राप्त करने तक हो सकता है। जब यह समूह सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाता है तब इसे गठबन्धन, संयुक्त अथवा संविद, सरकार कहते है। प्रस्तुत शोध पत्र में ''भारत में गठबन्धन की राजनीति'' के व्यापक सन्दर्भ में गठबन्धन के निर्माण निर्वाचित का संचालन, बहुदलीय गठबन्धन सरकार के निर्माण और सरकार संचालन में आने वाली समस्याओं एवं संभावनाओं का विशेष रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

यहाँ इसी सन्दर्भ में कुछ भ्रमों का निराकरण आवश्यक है। गठबन्धन और अल्पमत सरकार को समानर्थी नहीं समझना चाहिए। जब दो या दो से अधिक दल संयुक्त रूप से सरकार का निर्माण कहते है तो उसे गठबन्धन सरकार कहते हैं। गठबन्धन के सहयोगी प्रत्येक दल अलग–अलग अल्पमत में होते हैं, किन्तु सम्मिलित रूप से संसद में बहुमत प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह संसदीय नियमों के अनुसार सत्ता प्रप्ति का अधिकारी हो जाते हैं, जैसे 1996 में श्री एच. डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार, 1997 में श्री गुजराल के नेतृत्व वाली सयुक्त मोर्चा सरकार, 1998 व 1999 में श्री बाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार तथा 2004 में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संप्रग सरकार इसके विपरीत अल्पमत सरकार में केवल एक ही दल सत्तारूढ़ रहता है। अकेले अपने ही साधनों के बल पर वह दल संसद में अल्पमत में होता है, किन्तु एक या एक से अधिक दल संसद में उसका बाहर से समर्थन करते है और व्यवस्थापिका में उसका बहुमत बनाये रहते है, जैसे 1989 में श्री बी. पी. सिंह के नेतृत्व में जनता दल सरकार 1990 में श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व में बनी सरकार व 1991 में श्री पी. वी. नरसिंहराव के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार इस तरह के सत्तारूढ़ दल की सरकार को अल्पमत सरकार रहते है।

इसी प्रकार गठबंधन और समझौता (एलायंस)में भी स्पष्ट अन्तर है। समझौता वस्तुतः गठबन्धन निर्माण की प्रक्रिया है। यह प्रारम्भिक चरण है।

गठबन्धन निर्माण के लिए उत्तरदायी कारण

गठबन्धन की राजनीति अथवा सरकार मुख्य रूप से निम्न तीन कारणों से प्रारम्भ होती है या अस्तित्व में आती है–[5]

1. बहुदलीय व्यस्था के अन्तर्गत संसद के निम्न सदन में मन्त्रिपरिषद् गठित करने के लिए निश्चित बहुमत प्राप्त करने में किसी एक दल की असमर्थता।

2. द्विदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत जब दलों में सन्तुलन हो और दो में से कोई एक दल किसी एक छोटे गुट के साथ मिलकर सत्ता प्राप्त करना चाहता हो, अथवा

3. राष्ट्रीय आपात काल में जबकि सभी शक्तियां सामान्य सुरक्षा की दृष्टि से एक ही दिशा में कार्य करने को तत्पर हो।

भारत में राज्यों अथवा केन्द्र में बनी गठबन्धन सरकारें मूलतः पहले कारण के चलते अस्तित्व में आयी। संसदीय शासन की अपरिहार्यता, सरकार गठन के लिए निचले सदन में बहुमत ने, आश्यकता पड़नें पर गठबन्धन की भावना कोप्रेरित किया है। जहां तक भारत में संघीय सरकार का प्रश्न है, वहाँ विश्लेषण का बिन्दु यह है कि कोई एक दल लोकसभा में क्यों स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर पा रहा है।

वस्तुतः भारतीय राजनीति में केन्द्र और राज्यों दोनों ही स्तर, पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है और केन्द्र में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल रहा है जिसने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार को हम इस श्रेणी में नहीं सम्मिलित कर सकते क्योंकि जनता पार्टी का जन्म स्वयं एक बहुत बड़े गठबन्धन के आधार पर हुआ था। किन्तु 1967 के आम चुनावों से ही कांग्रेस का यह वर्चस्व टूटने लगा और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का राजनीति में प्रभाव बढ़ने लगा। इसके लिए स्वयं कांग्रेस की शक्ति के केन्द्रीयकरण और केन्द्र द्वारा राज्यों के मामलों में अधिकाधिक हस्तक्षेप की नीति उत्तरदायी हैं।[6] इस प्रकार क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावशाली सिथति व लोकसभा में उनके बढ़ते प्रतिनिधित्व ने यह स्थिति, उत्पन्न कर दी है कि किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए यह कठिन हो गया है कि वह अकेले दम पर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर सरकार बना सके अथवा इन क्षेत्रीय दलों से सहयोगात्मक गठबन्धन की सिथति से बच सके।

कांग्रेस के साथ ही राष्ट्रीय दलों के लिए जाति पर आधारित राजनीतिक दलों ने कम मुश्किले नहीं खड़ी की है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी के प्रभाव ने भी राष्ट्रीय दलों के एक दलीय बहुमत वाली सरकार के मार्ग में रोड़े अड़ाये है और गठबन्धन धर्म के विकास को प्रेरित किया है यह सब सामाजिक न्याय के नाम पर संभव हुआ है।[7]

किसी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत न मिल पाने के कारण नित नये उगने वाले सिद्वान्त विहीन राजनीतिक दल भी बनते जा रहे हैं। स्वार्थों व महत्वाकांक्षाओं के कारण दलों में विखंडन हो रहा है और नये राजनीतिक दल अस्तित्व में आ रहे हैं ये राजनीतिक दल मतों के विभाजन का खेल खेलकर राजनीति के वास्तविक खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि खेल बिगाड़ने वाले की भूमिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।[8] भररत में दलीय विखंडन व दल–बदल कितने आम हो गये है इसका अनुमान भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त आर.के. त्रिवेदी के इस व्यक्तव्य से लगाया जा सकता है कि भारत में केवल 1967 से 1973 के बीच 2,700 विखंडन अथवा दल बदल हुए।[9]

भारत में केन्द्रीय स्तर पर विशुद्ध रूप से अब तक 1989, 1996, 1998 व 1999, 2004, 2008, 2014 तक में बनी सरकारों को गठबन्धन की श्रेणी में रखा जा सकता है। किन्तु राज्यों की राजनीति में अब तक कई गठबन्धन सरकारें अस्तित्व में आ चुकी है। जो निम्न प्रकार से रही हैं :–

1. संख्या का आधार :–गठबन्धन में सम्मिलित दलों की संख्या के आधार पर गठबन्धन सरकारों के आधार पर गठबन्धन सरकारों के दो प्रकार होते हैं–

(क) द्विदलीय गठबन्धन सरकार

(ख) बहुदलीय गठबन्धन सरकार

(क) द्विदलीय गठबन्धन सरकार :–जब दो दल आपस में संयुक्त होकर संयुक्त सरकार का गठन करते हैंतो इस प्रकार की सरकार द्विदलीय गठबन्धन सरकार कहलाती है। भारत के केन्द्रीय राजनीति में अब तक दो दलों का गठबन्धन असितत्व में नहीं आया है। किन्तु राज्यों की राजनीति में अनेकों बार द्विदलीय गठबन्धन सरकारें बनी है। जैसे केरल में 1954 में बनी प्रसोपा एवं कांग्रेस की सरकार उड़ीसा में 1959 में कांग्रेस गणतंत्र की सरकार, पुनः 1967 में उड़ीसा में स्वतंत्र दल एवं जन कांग्रेस की गठबन्धन सकरार, पंजाब में 1970 में अकाली व जन संघ की सरकार पुनः 1997 में पंजाब में बनी अकाली भाजपा सरकार

तथा महाराष्ट्र में शिवसेना–भाजपा गठबन्धन सरकार व वर्तमान कांग्रेस–राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठबन्धन सरकार आदि।

(ख) बहुदलीय गठबन्धन सरकार :– जब दो से अधिक दल आपस में संयुक्त होकर गठबन्धन का निर्माण करते हैं तो इसके आधार पर बनने वाली सरकार बहुदलीय गठबन्धन सरकार कहलाती है। केन्द्र में बनी अब तक की सभी गठबन्धन सरकारें इसी श्रेणी में आती है। राज्यों में सन् 1960 ई. में केरल में बनी प्रसोपा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग की संविद सरकार, सन् 1967 में पं. बंगाल में अजय मुखर्जी के नेतृत्व में बनी 14 दलों की गठबन्धन सरकार, उत्तर प्रदेश में सन् 1967 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी संविद सरकार, पुनः 1970 में त्रिभुवन नारायण सिंह के नेतृत्व में बनी संविद सरकार, हरियाण में सन् 1967 ई. में बन सरकार, 1967 में ही पंजाब में बनी संविद सरकार व वर्तमान प. बंगाल, केरल व उ.प्र. की गठबन्धन सरकारें आदि।

2. सिद्धान्तों अथवा विचारधारा का आधार :– सिद्धान्तों अथवा विचारधारा के आधार पर गठबन्धन सरकारों के दो भेद होते हैं –

1. सिद्धान्तों अथवा विचार की समानता के आधार पर बनने वाले गठबन्धन
2. सिद्धान्त विहीन गठबन्धन

(1) सिद्धान्तों अथवा विचारों की समानता के आधार पर बनने वाले गठबनधन :–

जब एक समान सिद्धान्तों पर गठित राजनीतिक दल अथवा समान विचारधारा व कार्यक्रम रखने वाले दल संयुक्त होकर गठबन्धन का निर्माण करते हैं तो उन्हें सैद्धान्तिक आधार वाले गठबन्धन की श्रेणी में रखा जाता है। किन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केन्द्र में अब तक जितनी भी गठबन्धन सरकारे बनी, उनमें से कोई भी सैद्धान्तिक समानता के आधार पर नहीं बनी। जहाँ तक राज्यों का प्रश्न है पं. बंगाल की वाम मोर्चा सरकार व केरल में रही वाम मोर्चा सरकारें इसी श्रेणी में आती हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र की कांग्रेस–रा. कां. पा. की सरकार भी इसी प्रकार की गठबन्धन सरकारें है। एक सीमा तक पंजाब की पूर्व अकाली जनसंघ व अकाली भाजपा सरकार व महाराष्ट्र की मनोहर जोशी के नेतृत्व में बनी शिवसेना–भाजपा सरकार को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। यहाँ यह स्पष्ट करना समाचीन होगा कि सैद्धान्तिक समानता के आधार पर बनने वाली गठबन्धन सरकारे सामान्यतया द्विदलीय होती हैं। कुछ उदाहरणों जैसे पं. बंगाल में ये बहुदलीय भी हो सकती है।

(2) सिद्धान्त बिहीन गठबन्धन :–

जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल बिना किसी सैद्धान्तिक या वैचारिक समानता के संयुक्त होकर गठबन्धर का निर्माण करते है तो ऐसी गठबन्धन सरकारों को सिद्धानत विहीन गठबन्धन सरकार कहा जा सकता है। केन्द्र मे बनी अब तक की सभी गठबन्धन सरकारें और राज्यों में बनी अधिकांश गठबन्धन सरकारें इसी श्रेणी में आती हैं।

3. कार्यक्रम का आधार :–

कभी–कभी राजनीतिक दल निर्धारित कार्यक्रम अथवा बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर गठबन्धन का निर्माण करते हैं अतः कार्यक्रम के आधार पर भी गठबन्धन सरकारें के दो प्रकार हो सकते हैं–

क. निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर गठबन्धन

ख. बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर गठबन्धन

क. निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर गठबन्धन –जब दो या दो से अधिक राजनीजिक दल किन्हीं विशेष कार्यक्रमों के आधार पर संगठित होते है और इन्हीं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का गठन करते है तो ऐसी सरकार को निर्धारित कार्यक्रमों पर आधारित गठबन्धन सरकार कहते है। 1967 में उत्तर प्रदेश में बनी संविद सरकार 19 सूत्रीय न्यूनतम सामान्य कार्यक्रमों पर आधारित थी। 1999 के चुनाव में बने गठबन्धन ने न केवल अपना नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन रखा बल्कि अपना संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया था जिसमें उन नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख था जिनके आधार पर

सत्तारूढ़ होने की स्थिति में शासन का संचालन किया जायेगा उल्लेखनीय है कि 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा सरकार चुनाव बाद की परिस्थितियों के बाद बने गठबन्धन का परिणाम थी किन्तु सरकार गठन के बाद संयुक्त मोर्चे से जुड़े नेताओं ने एक साझा कार्यक्रम की सफलतम अभिव्यक्ति के लिए गठबन्धन (मोर्चे) में सम्मिलित दलों की एक समन्वय समिति का भी गठन किया गया। तेलगूदेशम के नेता एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री चन्द्रबाबू नायडू को इस समन्वय समिति का संयोजक चुना गया था। इसी प्रकार 1998 व 1999 में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा नेतृत्व में बना गठबन्धन चुनाव पूर्व ही अस्तित्व में आ गया था और सरकार चलाने के लिए ''न्यूनतम साझा कार्यक्रम'' भी तय कर लिए गये थे। यहाँ भी समता पार्टी के नेता श्री जार्ज फर्नान्डीस के संयाजकत्व में समन्वय समिति के प्रयोग को दोहराया गया। 2004 में बनी संप्रग सरकार ने भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम और समन्वय सीमित पर बल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समन्वय समिति की संयोजक हैं।

ख. बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर गठबन्धन :—जब दो या दो से अधिक दल बिना किसी खास कार्यक्रम पर सहमत हुए ही संयुक्त हो जाते है और सरकार का गठन करते है तब ऐसी सरकार को बिना निर्धारित कार्यक्रम के आधर पर गठित गठबन्धन सरकार कहते हैं। उ.प्र. में 1970 में बनी कांग्रेस भा.कां.द. की संयुक्त सरकार 1995 व 1996 में बनी बसपा—भाजपा सरकार, व 1997 में श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में बनी विभिन्न दलों की सरकार को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है 1996 में केन्द्र में बनी संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन बिना किसी कार्यक्रम के आधार पर होता है किन्तु सरकार गठन के बाद वे न्यूनतम साझा कार्यक्रम की अपरिहार्यता को स्वीकार कर लेते हैं।

4. समय अवधि अथवा चुनाव समझौते का आधार—समय अथवा चुनाव समझौते के आधार पर गठबन्धन सरकार के दो प्रकार होते हैं—

क. चुनाव पूर्व गठबन्धन
ख. चुनाव बाद गठबन्धन

क. चुनाव पूर्व गठबन्धन :—जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आम चुनाव अथवा मध्यावधि चुनाव पूर्व ही आपस में समझौता अथवा चुनाव व्यवस्था कर लेते है और उसी व्यवस्था के आधार पर चुनाव लड़ते है तथा गठबन्धन के बहुमत में आने पर सरकार का गठन करते है तो ऐस सरकार को चुनाव पूर्व गठबन्धन कहते हैं। 1967 में उड़ीसा में बनी स्वतंत्र दल जन कांग्रेस की सरकार, केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रेन्ट तथा लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्ट की बनने वाली सरकारें, 1997 में पं. बंगाल में बाम मोर्चे की सरकार व केन्द्र में 1998 व 1999 में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, 2004 में बनी संप्रग सरकार इसी वर्ग में आते हैं।

ख. चुनाव बाद गठबन्धन :—जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल परस्पर एक—दूसरे के विरूद्ध निर्वाचन में भाग लेते है और किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर परिस्थितिवश अवसर का लाभ उठाते हुए संयुक्त होते है और सरकार का निर्माण करते है तो ऐसी गठबन्धन सरकार को चुनाव बाद गठबन्धन सरकार कहते हैं। 1996 व 1997 में केन्द्रीय राजनीति में संयुक्त मोर्चो की सरकार इसी प्रकार की सरकार थी। 1967 के बाद से राज्यों में बनने वाली अधिकांश गठबन्धन सरकारे बिना किसी चुनावी समझौते के ही अस्तित्व में आई थी।

5. सदन में स्थिति का आधार :—

लोकप्रिय सदन में गठबन्धन के बहुमत की स्थिति के आधार पर गठबन्धन सरकार केदो प्रकार होते है—

(क) बहुमत प्राप्त गठबन्धन
(ख) अल्पमत प्राप्त गठबन्धन

(क) बहुमत प्राप्त गठबन्धन :— जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में संयुक्त होकर गठबंधन सरकार का निर्माण करते है और लोकसदन में उनके द्वारा बनाये गये गठबन्धन को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो ऐसी गठबन्धन सरकार को बहुमत प्राप्त गठबन्धन कहते है। पं. बंगाल में 1977 से बनी वामं मोर्चे की सरकार 1995, 1996 में उ.प्र. में बनी भाजपा—बसपा गठबन्धन सरकार राज्यों में इस श्रेणी के कुछ प्रमुख उदाहरण है। केन्द्र में 1998 व 1999 में श्री अटल

बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में बनी गठबन्धन सरकारें बहुमत प्राप्त गठबन्धन के उदाहरण है यदि 1977 के जनता पार्टी की सरकार को भी गठबन्धन सरकार का एक उदाहरण माना जाये तो वह सरकार भी इसी वर्ग में सम्मिलित की जायेगी।

(ख) अल्पमत गठबन्धन :–जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में संयुक्त होकर गठबन्धन सरकार का निर्माण करें, किन्तु इस गठबन्धन को लोकसदन में पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो और किसी अन्य दल के वाह्य समर्थन के आधार पर सरकार का संचालन कर रहे हो तो ऐसी गठबन्धन सरकार को अल्पमत गठबन्धन सरकार कहते है। 1967–69 में पं. बंगाल में पी.सी. घोष के नेतृत्व में बनी गठबन्धन सरकार व 1968 में बिहार में बी. पी. मंडल के नेतृत्व में बनी सरकार अल्पमत गठबन्धन सरकार थी। इसी प्रकार केन्द्रीय राजनीति में 1996 में श्री एच.डी. देवगौड़ा व 1997 में इन्द्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में बनी सरकारें अल्पमत गठबन्धन सरकारें थी।

गठबन्धन का सिद्धान्त :–

किसी भी देश के राजनीतिक परिदृश्य पर आवश्यकतानुसार गठबन्धनों का निर्माण कतिपय निर्धारित सिद्धान्तों और मान्यताओं के आधार पर होता है। कुछ निर्धारित तत्व व कारक होते हैं जो न केवल गठबन्धन के सहभागियों का निर्धारण करते है वरन् गठबन्धन निर्माण की प्रक्रिया का भी निरूपण करते हैं। इन तत्वों कव कारको को राजवैज्ञानिकों ने प्रारम्भ से ही जानने परखने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रयास थियोडोर कैपलों का थां गठबन्धन (कोएलिशन) निर्माण के सम्बन्ध में कैपलों का सिद्धान्त यह है कि किसी भी निर्णय को प्रभावित करने की किसी भी व्यक्ति की क्षमता उसके साधनों के अनुपात में होती है।10 इसलिए कोई भी व्यक्ति या दल सदैव उसी संयुक्त में सम्मिलित होना चाहेगा जिसमें वह अपने साधनों का अधिकतम प्रयास कर सकें अर्थात जिसमें वह सुदृढ़ स्थिति में रह सके। ''अ'' ''ब'' और ''स'' तीन व्यक्तियों अथवा दलों के क्रमशः 48, 30 और 22 प्रतिशत प्राप्त मतों की स्थिति में ''अ'' और ''स'' का गठबन्धन यथासंभव नहीं बन पायेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में ''अ'' के 48 प्रतिशत शक्ति के समक्ष ''स'' का 22 प्रतिशत साधन निर्णय को उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पायेगा जितना कि ''ब'' और ''स'' के गठबन्धन में जिसमें ''ब'' के 30 प्रतिशत मतों के समक्ष ''स'' के 22 प्रतिशत मतों में बहुत अधिक अन्तर नहीं है।

कैपलो का गठबन्धन निर्माण का सिद्धान्त निम्नलिखित चार मान्यताओं पर आधारित हैः–

1. किसी भी तीन व्यक्तियों के गुट में तीनों व्यक्तियों की शक्ति भिन्न–भिन्न होती है। इनमें जो शक्तिशाली होगा वह स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा।

2. इन तीन व्यक्तियों के गुट का प्रत्येक सदस्य दूसरे दो अन्य सदस्यों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करेगा। यदि इन दोनों सदस्यों पर नियंत्रण न हो सका तो किसी एक पर नियंत्रण करना चाहेगा। किसी पर नियंत्रण न होने की दशा में एक पर और एक की अपेक्षा दो व्यक्तियों पर नियंत्रण ज्यादा अच्छा होगा।

3. गठबन्धन की शक्ति इन दो व्यक्तियों की शक्ति के बराबर होती है।

4. हर तीन के व्यक्तियों में गठबन्धन निर्माण की संभावना रहती है। इन तीन व्यक्तियों में से यदि एक बहुत शक्तिशाली है और अन्य दोनों को दबाना चाहता है तो ये दोनों अन्य व्यक्ति पहले शक्तिशाली व्यक्ति के विरूद्ध संयुक्त हो जायेगें। उदाहरण के लिए हम तीन व्यक्तियों को लेते है जिनमें अ शक्तिशाली है ब और से तो गठबन्धन का निर्माण इस तरह से होगा।

कैपलों के अनुसार इन तीन अ, ब, और स के गुट में स का किसी के भी ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है किन्तु वह अ या ब के साथ गठबन्धन बनाकर अ या ब पर नियंत्रण की स्थिति प्राप्त कर सकता है। यदि वह ब के साथ गठबन्धन बनाता है तो ''अ'' के ऊपर उसका नियंत्रण हो जायेगा क्योंकि ब और संसयुक्त रूप से अधिक शक्तिशाली होगें किन्तु गठबन्धन में वह ''ब'' के नियंत्रण में रहेगा क्यो कि ''ब'' उसकी तुलना में अधिक सशक्त है। इसी प्रकार ''अ'' के साथ ''स'' का गठबन्धन बनने की स्थिति में ''स'' ''ब'' पर

नियंत्रण की स्थिति में आ जाता है क्योंकि ''अ'' और ''स'' की संयुक्त शक्ति व से अधिक है लेकिन गठबन्धन में वह ''अ'' के नियंत्रण में रहेगा इसलिए कैपलों के अनुसार ''स'' ''अ'' या ''ब'' के साथ ''ब'' दोनों ही गठबन्धन का निर्माण कर सकता है अर्थात अ,व और स तीन व्यक्तियों में से ''स'' और ''ब'' ''स'' दोनों ही गठबन्धन बनने की समान संभावना है।

कैपलों का यह सिद्धांत यह तो स्पस्ट करता है कि ''अ'' ''स'' और ''ब'' ''स'' दोनों ही गठबंधन बन सकता है, किन्तु यह नहीं बतला पाता कि इन दो सम्भावित गठबन्ठनों में से कौन सा गठबंधन अधिक सम्भव है। गैम्सन ने इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया। गठबंधन निर्माण के सम्बन्ध में गैम्सन ने तीन सिद्धांत प्रस्तुत किये है–11

संदर्भ स्रोत :–

1. An alliance for combined action of district parties, persons or states, without permanent incorporation into one body". दि आक्सफोर्ड डिक्सनरी, द्वितीय संस्करण, जिल्द 111 पृष्ठ 389 आक्सफोर्ड 1989

2. विलियम एचरिकर ''द थ्योरी ऑफ पोलिटिकल कोएलीशन'', न्यू हैवेन, येल युनिवर्सिटी प्रेस, अध्याय1

3. In a political sense, coalition commonly denotes a Co-operaticive arrangement under which distinct rict political parties, or at all events members of such parties unite to form a government or ministry. Encyclopedia of the social science, editor-in-Chief EDwrin, R.A. Seligman, Associate Editor Alwin Johnson, Vol-III, Bright Commentators, The macmillan Company, New York, 1963, P. 600

4. इण्टर नेशनल एन साइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज, जिल्द 11 पृष्ट 530 –31

5. एनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइंसेज, एडीटर–इन–चीफ एडविन आर.ए. सेलिंगमैन, एसोशियेशन एडीटर, आल्विन जानसन, जिल्द ब्राइट कमेन्टेटर्स द मैकमिलान क., न्यूयाक्र 1963 पृष्ठ – 600,605

6. मैरी, थामस, ''पोलिटकल पार्टीज इन इण्डया, लिबरल टाइम्स वाल्यू. नं. 1, 2001 पृ. 20

7. 2 मैरी, थामस, ''पोलिटकल पार्टीज इन इण्डया, लिबरल टाइम्स वाल्यू. नं. 1, 2001 पृ. 20001 पृ. 21

8. डी. एन. सिंह, ''भारत में संसदीय लोकतन्त्र : चुनौतियां और संभावनायें ! भ.गां. का. विद्यापीठ में राज. वि. विभाग द्वारा 27–28 फरवरी 2001 को आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध पत्र ।

9. मैरी, थामस, ''पोलिटकल पार्टीज इन इण्डया, लिबरल टाइम्स वाल्यू. नं. 1, 2001 पृ. 22

10. थियोडोर कैपलो, ए थ्योरी ऑ कोएलिशन इन द ट्रेड, सोशियोलोजिकल रिव्यू, 21 (1956) पृ.– 484–893

11. रामचन्द्र सिंह, भारत में संयुक्त सरकारें : खिंचाव तनाव (उत्तर प्रदेश का अनुभव। 1967 से 1970 तक) शोध प्रबन्ध, राज0वि0, का0हि0वि0वि0 1971।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

कोरोना : एक वैश्विक महामारी संबंधी रोग

(रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

❐ डॉ. सुभान सिंह बघेल*
❐ सुजीत सिंह चौहान**

शोध सारांश

वाइरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक इवानोवस्की ने किया था, यह लैटिन शब्द "fofoe" है, जिसका अर्थ है "tgj" वायरस जीवित या निर्जीव है। यह विरोधाभासी है कि वातावरण में यह गैर–जीवित है, लेकिन जब यह शरीर के कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो यह जीवित हो जाता है। तो, अधिकांश वैज्ञानिक साथी कहते हैं कि वायरस जीवित और निर्जीव के बीच एक जुड़ाव है। इसका अर्थ है कि जीवन वायरस के माध्यम से पृथ्वी में अस्तित्व में आता है। इस तरह के एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव वायरस है। वायरस का एक और महत्वपूर्ण चरित्र यह है कि कोई भी एंटीबायोटिक इसे प्रभावित नहीं कर सकता है। कोरोना वायरस को इसके मुकुट की तरह ताज के कारण नाम दिया गया है जो इसकी सतह में मौजूद है।

कीवर्ड :–डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) कोविड–19 (कोरोना वायरस रोग–2019) SARS-COV-2 (गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस –2), ICVT (अंतरराष्ट्रीय वायरोजाली समिति) आदि।

परिचय :–

दिसंबर 2019 में एक नया संक्रामक श्वसन रोग चीन, हुबेई प्रांत, वुहान शहर से इसकी शुरूआत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे COVID-19 (कोरोनावायरस डिसीज 2019) नाम दिया है। यह कोरोना वायरस का एक नया वर्ग है जिसे SARS-COV-2 (गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोनावायरस–2) के रूप में जाना जाता है, इस रोगों का कारण है। यह एक बीटा कोरोना वायरस है। इसकी लंबाई 80 से 160nm (नैनोमिमी) है।

भारत में पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल राज्य के त्रिशूर जिले में देखा गया, जहां एक छात्र जो वुहान शहर से आया था, कोरोनरी वायरस रोगों से प्रभावित था। कोरोना वायरस प्रकृति में Zoonatic हैं इसका मतलब है कि जो लोगों जानवरों के बीच रहते हैं उन्हीं से यह बीमारी संचारित होती है। कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण सूखी खांसी, बुखार, सांस लेने में समस्या। गंभीर मामलों में संक्रमण निमोनिया और गुर्दे की विफलता के साथ गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियों का कारण बन सकता है।

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
** शोधार्थी, मोबाइल : 9589616735ए chauhansujeet3@gmail.com

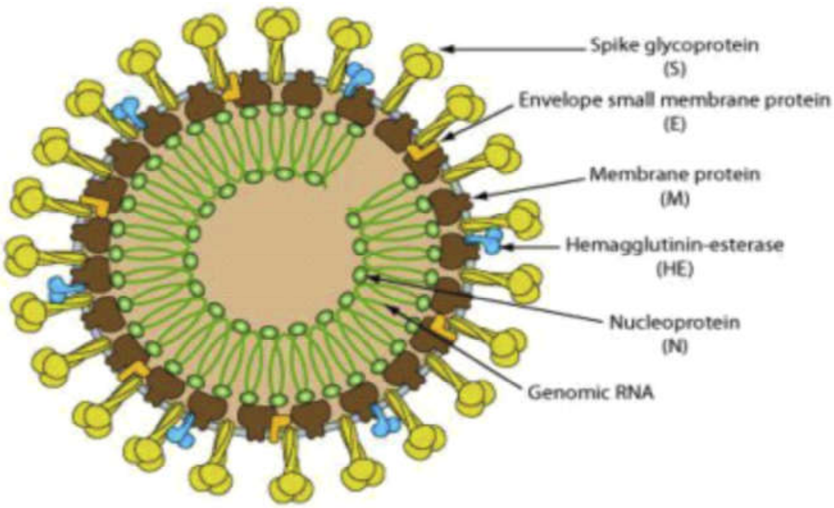

चित्र क्र. 1 कोविड–19 आंतरिक संरचना

कोविड–19 की जानकारी :–

1. आरटी–पीसीआर टेस्ट : यह वर्तमान संक्रमण की निगरानी के लिए है। यह व्यक्ति के निदान के लिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को पता लगाने और विराम (रियल–टाइम पोलीमरेज चेन रिएक्शन आरटी– पीसीआर) स्वाब परीक्षण करने की अनुमति देने के लिए है।

2. एंटीबॉडी परीक्षण–यह रोग प्रचलन है जो संक्रमण, घातक दर, तेजी से सीरोलोजी एंटीबॉडी एंजाइम से जुड़े इम्युनोबॉर्सेवन का अनुमान लगाता है

3. रैपिड एंटीजन किट टेस्ट–यह किट आधारित टेस्ट है जिसमें घंटे के भीतर सकारात्मक या नकारात्मक कोरोना रोगों के परिणाम सामने आते हैं।

- 11 फरवरी 2020 को प्ब्ज्ट ने" ।ै.ब्वअ.2 को कोविड–19 का नया नाम दिया।
- WHO ने 11 मार्च, 2020 को कोविड–19 को एक वैश्विक महामारी घोषित किया
- (ICTV- अंतर्राष्ट्रीय समिति वायरस के वर्गीकरण पर)

कोरोना रीवा मध्य प्रदेश की संक्षिप्त जानकारी यह है कि रीवा शहर जो भारत का पूर्वी मध्य प्रदेश रीवा–पन्ना पठार के अन्तर्गत है। इसमें एक परिवार में 02 कोरोना रोगियों के साथ अप्रैल रीवा में अप्रैल के महीने में कोरोना केस शुरू हुआ है। पहली मई 2020–02 पॉजिटिव केस जिसमें कोई मौत न हो, और अंत में 31 मई 2020–34 पॉजिटिव केस – बिना किसी मौत के।

मई के महीने में कोरोना रोगों से औसतन एक व्यक्ति प्रभावित हुआ और किसी की मौत नहीं हुई। जून 2020 के महीने में कुल प्रभावित मामलों में 58 और पहली बार एक मौत की सूचना है, इसका मतलब है कि जून 2020 के महीने में 24 कोरोना रोगी अस्तित्व में आए।

अब जुलाई 2020 तक 31 जुलाई तक एक व्यापक परिवर्तन हुआ, संक्रमित केस 331 इसका अर्थ है 2 पद 2 नए मामले जुलाई 2020 में रिपोर्ट किए गए, लगभग 9(8.77) मरीज प्रतिदिन इस कोरोना रोगों से संक्रमित हैं, लेकिन जुलाई 2020 के पूरे महीने में अभी भी 01 की मौत।

अगस्त 2020 के महीने में, कुल प्रभावित मामला 757, इसका मतलब है कि 418 नए कोरोना प्रभावित मामले अगस्त के महीने में आते हैं, इसका आशय यह है कि कोरोना रोगों से प्रभावित प्रति दिन 14(13.48) मरीज औसत हैं। इस महीने में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, 10 मौतें हुईं। इसका मतलब है इस महीने में मृत्यु दर में वृद्धि।

तालिका क्रमांक 1

रीवा जिले में कोरोना संक्रमण का प्रभाव

समय / माह	मई–20	जून–20	जुलाई–20	अगस्त–20	17 सितम्बर 2020 तक
कोरोना रोग का प्रभाव	32	24	272	481	820
कोई मौत नहीं	00	01	02	10	20
प्रतिदिन संक्रमित रोगी की संख्या	01	01	9(8.77)	15(15.51)	48(48.23)

निष्कर्ष

- जो लोग कोरोना रोगों से उबरते हैं (कोविड–19) अगस्त 2020 तक 757 में से 587 है। वसूली दर 77.54 प्रतिशत है।
- अगस्त 2020 के महीने में दैनिक 900 कोविद परीक्षण नमूना लिया गया और जांच की गई।
- लॉक डाउन – कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक सरकारी पहल। यह 22 मार्च 2020 से शुरू होता है और अगस्त 2020 तक धीरे–धीरे समाप्त होता है। पहले पूरे हफ्ते फिर एक हफ्ते, फिर रक्षाबंधन के त्योहार में 6 दिन का तालाबंदी। इसके बाद शनिवार और रविवार और अंतिम रूप से केवल रविवार को भारत सरकार द्वारा 2020 तक लॉक डाउन एंड के लिए बंद कर दिया गया।

कोविद–19 के लिए बचाव के उपाय –

1. साबुन और पानी से हाथ धोना कम से कम 20 सेकंड या सैनिटाइजर से हाथ धोना।

2. जब आप भीड़ में हों या आपके घर के बाहर हों तो चेहरे को मास्क से ढक लें।

3. काम करने की स्थिति या बाजार या कार्यालय या किसी भी स्थान पर दो या अधिक लोगों के मौजूद रहने पर एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखें, एक दूसरे से कम से कम 6'' फीट की दूरी आवश्यक है।

4. बेहतर परिणाम के लिए अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अपने मोबाइल फोन पर और हमेशा ब्लू टूथ और लोकेशन मोड पर करें।

5. बीमार लोगों के साथ निकट संपक्र से बचें और यदि आप बीमार हैं तो उसे घर पर संगरोध में रखें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।

6. काढ़ा, विटामिन सी और डी और अन्य इम्युनिटी बूस्टर नियमित आहार में लेने चाहिए।

7. योग और व्यायाम भी कोविड–19 के लिए अच्छे निवारक उपाय हैं

8. गर्म पानी या जल वाष्प, गर्म दूध, गरारा करें और कोविड–19 के लिए बचाव के कारगर उपाय हैं।

9. बीमार होने की स्थिति में लोग राष्ट्रीय हेल्प लाइन नंबर 1075 पर तुरंत संपक्र करें।

संदर्भ स्रोत :–

1. डेली न्यूज पेपर–दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पंत्रिका, नवभारत, नई दुनिया, नव स्वदेश (रीवा–संस्करण)।

2. ईएएसए–यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी।

3. नेट माइक्रोबायोल, 2020 अप्रैल, 5 (4) 536–44

4. विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोविड–19 का नैदानिक प्रबंधन। अंतरिम मार्गदर्शन 2020 (इंटरनेट प्रकाशन)।

5. झोंगहुआ लियू जिंग बिंग जू जी जी 2020 फरवरी 17, 41 (2) 145–51।

6. लिविंगस्टन ई, बुचक्र। कोरोना वायरस रोग 2019 (कोविद–) इटली में। JAMA 2020 अप्रैल 14, 323 (14) 1335।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

भास के नाटकों में कृष्ण परक दर्शन का स्वरूप

❑ डॉ. अंजू सिंह*

घटोत्कच और ब्राह्मणी के बीच के संवाद में घटोत्कच कहता है कि– मेरे भय से सम्पूर्ण धैर्य विनष्ट हो गया हैय भयभीत पत्नी और पुत्रों की सुरक्षा करने में भी असमर्थ हो गरुड़ के पाँख की हवा से जिसके क्रोध की आग सुलग उठी है ऐसे व्याकुल सपत्नीक साँप की भाँति क्यों जा रहे हो–

किं यासि मद्भयविनाशितधैर्यसारो
वित्रस्तदारसुतरक्षणहीनशक्ते।
ताक्र्ष्याग्र्यपक्षपवनोद्धतरोषवह्नि–
तीव्रः कलत्रसहितो भुजगो यथार्थः[1]।।

आगे चलकर भीमसेन और घटोत्कच के बीच का संवाद भी दर्शनयुक्त है। मध्यमपुत्र की क्या स्थिति होती है इसका दिग्दर्शन स्पष्ट रूप से यहाँ कराया गया है। भीमसेन का कथन है कि अवध्यों में मैं ही मध्यम हूँ। हे भद्र ! इस पृथ्वी पर मैं ही मध्यम हूँ तथा अपने भाइयों में भी मैं ही मध्यम हूँ। पंचभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) में मध्यम (प्राणभूत वायु) मैं हूँ, राजाओं में मध्यम (अग्रगण्य) मैं ही हूँ। भय–भयोत्पादक पदार्थों में मध्यम मैं ही हूँ, इस लोक में सब कार्यों में मध्यम (मध्यम वृत्ति वाला) मैं ही हूँ–

मध्यमोऽहमवध्यानामुत्सिक्तानां च मध्यमः।
मध्यमोऽहं क्षितौ भद्र भ्रातणामपि मध्यमः।।
मध्यमः पञ्चभूतानां पार्थिवानां च मध्यमः।
भये च मध्यमो लोके सर्वकार्येषु मध्यमः2।।

इसी तरह घटोत्कच और भीमसेन के संवाद में जब भीमसेन घटोत्कच से पूँछते हैं कि तुम्हारी माता का क्या नाम है तब घटोत्कच बताता है कि मेरी माता का नाम हिडिम्बा है। कौरव कुल के दीपक महात्मा पाण्डव से जो सनाथ एवं सौभाग्यवती हुई हैं, जैसे पूर्णेन्दु (पूर्णिमा के चन्द्रमा) से द्यौ (आकाश) सनाथ एवं प्रकाशमान (शोभमान) बना है–

कौरव्यकुलदीपेन पाण्डवेन महात्मना।
सनाथा या महाभागा पूर्णेन द्यौरिवेन्दुना[3]।।

वृद्ध ब्राह्मण केशवदास का चरित्र इस नाटक में एक अलग स्थान रखता है। इस नाटक में पारिवारिक दृष्टिकोण से यद्यपि इनका कोई विशेष उपयोग एवं महत्त्व नहीं दिखता फिर भी इनके द्वारा घटोत्कच तथा भीम का चरित्र विशेष रूप से उद्घाटित हुआ है। पाण्डवों के विषय में इनका दृष्टिकोण अक्षरशः सत्य है कि पाण्डव युद्धप्रिय, शरणागतवत्सल, दुखीजनों पर विशेष पक्षपात करने वाले, साहसी आततायियों को उचित दण्ड देने में पूर्णतः समर्थ हैंः–

युद्धप्रियाश्च शरणागतवत्सलाश्च
दीनेषु पक्षपतितः कृतसाहसाश्च।
एवंविधप्रतिभयाकृतिचेष्टितानां
दण्डं यथार्हमिह धारयितुं समर्थाः[4]।।

इसी प्रकार घटोत्कच को एक दुष्ट मांसभक्षी राक्षस के रूप में देखते हुए कहते हैं–

---

* अतिथि विद्वान् बी.एड. विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

भो राक्षसापसर। .... अतिराक्षसं खलु ते वचनम्।

घटोत्कच के लिए भी इनका कोई उपयोग नहीं हैरू वृद्धस्त्वमपसर।

इन सब बातों के होने पर भी केशवदास संयमी एवं वैदिक क्रियानिष्ठ तपस्वी एवं दार्शनिक ब्राह्मण हैं। परिवार के सदस्यों की रक्षा इनके जीवन का मूल उद्देश्य है। इनके परिवार में एक दूसरे के लिए त्याग की भावना प्रबल रूप में दिखाई पड़ती है। परन्तु इस नाटक को पढ़ते वक्त यह बात मन को विशेष चुभती है कि बाप बडेध लड़के पर विशेष अनुरक्त है, तो माँ छोटे के लिये ममता दिखाती है, लेकिन मझले पुत्र के लिये माँ–बाप की वह ममता क्यों दूर हो गई है। आखिर इसमें क्या रहस्य है? क्यों वह ब्राह्मण परिवार उस मध्यम पुत्र को अकाल कालकवलित करने के लिए उद्यत है। इन घटनाओं से पाठक के हृदय में वृद्ध ब्राह्मण केशवदास तथा उनकी वृद्धा पत्नी पर अन्यायी होने का दोष सहज रूप में जड़ जमाता है तथा मन ही मन इन दोनों को कोसता है। घटोत्कच की शर्त को सुनकर केशवदास को हृदय में बड़ी चोट लगती है। वह झट कहता है कि मैं वैदिक ब्राह्मण हूँ, शीलगुण से सम्पन्न अपने इस पुत्र को मानवभक्षी को देकर कैसे शान्ति पाऊँगा–

ब्राह्मणः श्रुतवान्वृद्धः पुत्रं शीलगुणान्वितम्।
पुरुषादस्य दत्त्वाहं कथं निर्वृत्तिमाप्नुयाम्[5]।।

ये वृद्ध ब्राह्मण तो हैं ही वृद्धावस्था के कारण बुद्धि भी जड़वत् हो गई है फिर भी इन्हें पग–पग पर रक्षा का प्रकाश दिखाई देता है। सबको इस संकट की घड़ी में सान्त्वना देते हैं। हृदय बड़ा ही सरल है, बिलकुल बच्चों जैसा भाव भरा है, विपत्ति में प्रार्थना पर बड़ा भारी भरोसा है। स्वयमेव इस दुर्दिन से मुक्ति का मार्ग पूछते है–

अस्ति अस्माकं मोक्षः।

आशा और निराशा में डूबते उतराते अपने परिवार की नैया को भीम के द्वारा घटोत्कच के फंदे से बचा लेते हैं। ये कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं तथा कृतज्ञ हैं। भीम के लिये हुए उपकार के प्रति हृदय से आभारी हैं–

वृकोदर! रक्षितमस्मत्कुलं स्वकुलमुद्धृतं च। कृतमातिथ्यमनेन जीवितप्रदानेन। तस्माद्गच्छामस्तावत्।

घटोत्कच के क्रूर व्यवहार को भी सहज रूप में सह करके उसे हृदय से आशिर्वाद देते हैं– पितृसदृशगुणकीर्तिर्भव।

इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षमाशील एवं सदाचारी यह ब्राह्मण आत्म–बलिदान की वेदी पर अपने परिवार को बचाने का मनोहारी गुण अर्जित किया है तथा सच्चे पिता की भावना से ओतप्रोत है।

भीष्म का चित्रण एक वृद्ध पितामह के रूप में किया गया है जो पाण्डवों के लिये गहरी सहानुभूति रखते हैं। उनका हित कथन सदा न्यायोचित रूप में ही होता है, वे दुर्योधन को सावधान करते हैं कि शकुनि तुम्हारा मित्रमुख शत्रु है, इस पर विश्वास करना ठीक नहीं। वे सदा शान्त परन्तु सतक्र नीतिज्ञ के रूप में बने रहते हैं। जब उन्होंने सुना कि कीचक का अशस्त्र वध हुआ है, तब ही वे समझ गये कि यह कार्य भीम का ही है और उन्होंने द्रोण को राय दी कि आप प०चरात्र की शर्त स्वीकार कर लें। वह द्रोण को शर्त स्वीकार करने के लिये प्रेरित करके चुपचाप बैठे ही नहीं रहे, उनकी पूर्ति के लिये दुर्योधन को विराट पर आक्रमण करने को प्रेरित किया। उनके इसी नीतिपूर्ण पदन्यास का पता न दुर्योधन को चला और न उसके मामा दुष्ट शकुनिको। उनकी नीतिज्ञता का सबसे सुन्दर चित्र वहाँ उपस्थित हुआ जब उन्होंने कहा कि शकुनि, आप इस बाण पर खुदे नामक्षरों को पढ़िये, बुढ़ापे के कारण मेरी आँखें बेकाम हो गई हैं।

'मध्यमव्यायोग' में भीम, घटोत्कच, हिडिम्बा, वृद्ध केशवदास, ब्राह्मणी और उनके तीन पुत्र कुल मिलाकर आठ पात्र हैं। वृद्धा ब्राह्मणी और हिडिम्बा इनको छोड़कर शेष छह पुरुष पात्र हैं। नाटक की दृष्टि से भीम का स्थान महत्त्वपूर्ण है। वे ही इसके नायक हैं क्योंकि उन्हीं को लक्ष्य में रखकर हिडिम्बा ने यह षड्यन्त्र रचा है और बाद में वे ही फल भोक्ता होते हैं। दूसरा महत्त्व

घटोत्कच को दिया जा सकता है जो कि 'फलागम' के लिए एक साधन के रूप में हमारे सामने सिद्ध होते हैं फिर हिडिम्बा, मध्यम (ब्राह्मण कुमार), केशवदास और बाद में दो कुमार और ब्राह्मणी का महत्त्व क्रमशः स्वीकार किया जा सकता है।

यद्यपि सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण घटनाओं का नियन्ता घटोत्कच है तथापि भीम का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है। उसके साथ ही इन नाम से संबद्ध संस्कारजन्य महत्त्व–बुद्धि भी जागृत हो जाती है। उसके शारीरिक बल ने हृदय पक्ष को कमजोर नहीं बनाया अपितु उसमें पर्याप्त सहृदयता और दलित एवं संत्रस्त के प्रति पूरी सहानुभूति है।[6] उसका व्यक्तित्व घटोत्कच पर भी पर्याप्त प्रभाव डालता है और कह उठता है–'अहो! यह दर्शन के योग्य पुरुष है।[7] भीम–सेन में आत्माभिमान के साथ दूसरे के गुणों की वृत्ति भी पाई जाती है।[8] शुरू–शुरू में भीम का आगमन ही एक ऐसी स्थिति में होता है कि सबकी दृष्टि उन्हीं पर रुक जाती है। घटोत्कच जैसे शूर को परास्त कर उन्होंने अपने पौरुष का प्रदर्शन किया और अन्त में उसकी चपलता को क्षमा करके उसके गर्व और बल पर उन्होंने प्रसन्नता भी व्यक्त की।

भीम क्षत्रिय के कर्तव्यों को खूब जानते थे और उसका पालन उन्होंने प्राणपण से किया अतः वे सच्चे अर्थों में वीर क्षत्रिय के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसमें माता एवं ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि सर्वदा बनी रहती है।[9] हिडिम्बा के प्रसङ्ग में भीम एक प्रेमी पति के रूप में चित्रित किये गये हैं। हिडिम्बा को देखकर भीम में मानवसुलभ प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है और वे उसकी सहृदयता की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम जाति से तो राक्षसी हो पर आचरण से नहीं।[10]

घटोत्कच मानव की सहज उदात्त भावना के साथ देवता, दृढ़ता और कर्तव्य–परायणता आदि गुण पाये जाते हैं। पहले पहल उसके उग्र और अमानुषी आचरण पर सूत्रधार ही प्रकाश डालता है।[11] वृद्ध ब्राह्मण को वह प्रलयकालीन (युगनिधने) साक्षात् शङ्कर की प्रतिमा मालूम पड़ता है। द्वितीय कुमार को वह त्रिपुरदाहक रुद्र को रोष ही है और तीसरे कुमार को वह पुरुष रूप में मृत्यु–सा मालूम होता है। इसी प्रकार भीम भी उसकी उपमा राहु से देते हैं।[12] उसकी शारीरिक शोभा की प्रशंसा भीम ने प्रथम दृष्टिपात ही में की है।[13] उससे भी पहले उसके उच्च स्वर को सुनकर उन्हें आश्चर्य होता है तथा मन में अनेक–तक्र–वितक्र उठने लगते हैं कि अर्जुन के समान यह अन्य किसका स्वर हो सकता है।[14] राक्षसी के गर्भ से समुद्भूत होने पर भी युद्धप्रिय और शरण में आये हुए पर कृपा करनेवाले (युद्धप्रियाश्च शरणागतवत्सलाश्च) पाण्डव भीम का पुत्र होने के कारण उसमे आर्यजनोचित दया, क्षमा, करुणा और ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव पाया जाता है। वह निरपराध ब्राह्मणपरिवार को कष्ट देकर स्वयं ग्लानियुक्त वाणी में कहता है–यद्यपि ब्राह्मण पूज्य होते हैं यह जानता हूँ पर आज माता की आज्ञा से मुझे यह न करने योग्य कार्य भी निःशंक होकर करना होगा।[15] उसे पानी पीने के लिए (मध्यम) ब्राह्मण कुमार को आज्ञा देने में जरा भी हिचक नहीं होती। उसके शीघ्र न आने पर वह उसका नाम वृद्ध से पूछता है और उसके क्रुद्ध होने पर क्षमा–याचनापूर्वक अपने स्वाभाविक दोष के लिए खेद करता है। उसे अपने माता–पिता पर गर्व है। परिचय बताते हुए उसका शिर आत्माभिमान से ऊँचा हो जाता है।[16]

केशवदास का स्थान कोई विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है पर उसके द्वारा भीम और घटोत्कच का चरित्र और भी स्पष्ट हुआ है। उसमें कर्त्तव्यपरायणता के साथ अपने परिवार की रक्षा का भाव बड़ा ऊँचा है। वह अपने शरीर के द्वारा सबकी रक्षा करना चाहता है। वृद्धत्व के कारण सङ्कटग्रस्त होने पर उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है, पर क्षण–क्षण में उसे रक्षा का प्रकाश दिखाई देता है, पुनः लुप्त होता है, पुनः दिखाई देता है। ऐसी स्थित में वृद्ध और प्रथम कुमार के कथोपकथन के द्वारा कवि ने मानव–मन में होने वाली आशा और निराशा की

आँखमिचौनी का बड़ा ही सजीव चित्र खींचा है। वृद्ध का हृदय इतना सरल है कि किसी भी बात पर शीघ्र विश्वास कर लेता है। यह बच्चों जैसी सरलता बड़े स्वाभाविक रूप में चित्रित की गई है[17]। घटोत्कच की शर्त (कि दो पुत्र और अपनी पत्नी का यदि मोक्ष चाहते हो तो एक पुत्र मुझे दे दो) सुनकर उसे बड़ा आघात लगता है और वह तुरन्त कहता है, 'मैं वेदविद् ब्राह्मण हूँ, अपना शील और गुण से युक्त पुत्र मानवभक्षी को देकर कैसे आत्मशान्ति प्राप्त करूँगा'?[18]

द्वितीय पुत्र जब अपने को राक्षस की क्षुधा–शान्ति के लिये अर्पित कर देता है तो वृद्ध ब्राह्मण उसके आत्म–बलिदान की प्रशंसा करता हैय उसे ब्रह्म–लोक–प्राप्ति का आशीष देता है, पर यह मूल्य उसे बड़ा महंगा पड़ता है। शुनःशेपोपाख्यान अजीगर्त की भाँति वह अपने पुत्र का विक्रेता लोलुप पशु की भूमिका तक नहीं उतरता, अपितु उसे सारा परिवार खण्डित लगता है, सारा जीवन विद्रूप और प्रवंचित।[19] घटोत्कच उससे उसके पुत्र का नाम पूछता है तो वह व्यथित होकर आक्रोशपूर्ण शब्दों में उसकी भर्त्सना करता है। अन्त में घटोत्कच की सारी धृष्टता को क्षमा करके प्रणाम करने पर हृदय से आशीर्वाद देता है।

इस प्रकार उसमें सच्चे पिता, सदाचारों एवं क्षमाशील ब्राह्मण और आत्म–बलिदान करके भी परिवार की रक्षा करने आदि के गुण पाये जाते हैं।

हिडिम्बा का चिरकल्पित रूप जितना ही भयानक और अमानुषी है उतना ही उसका वास्तविक रूप सरल और मानवीय है। पहले तो उसके घटोत्कच से किये गये प्रश्न केवल नाटकीय परिपाटी का पालन मात्र मालूम होते हैं, पर बाद में जब यह स्पष्ट होता है कि उसका (मानुषाहार का) आशय क्या था तभी उन प्रश्नों की भी महत्ता मालूम करते हैं। इस प्रकार उसके चरित्र में मानवीय लज्जा (जो षडयंत्र का मूल कारण है), हर्ष और दया आदि भाव पाये जाते हैं।

तीन सहोदर भाइयों में से एक को माँ प्यार करती है। दूसरे को पिता, बीच का जो बचा वह न माँ की ओर जा सकता है और न पिता की ओर। अतः उसे आत्मबलिदान करना ही होता है। पर यहाँ मध्यम में किसी प्रकार की विषाद की रेखा नहीं दिखाई देती, वह प्रसन्नतापूर्वक अपने पूज्यों की रक्षा करने को तत्पर होता है। वह कहता है कि 'मैं धन्य हूँ क्योंकि मैंने अपने प्राणों के विनिमय से अपने पूज्यों की प्राणरक्षा की है। भाइयों (बन्धु–बान्धवो) के प्रेम से काल का प्रेम प्राप्त करना, मृत्यु का आलिंगन मिलता बड़ा दुर्लभ है'।[20] घटोत्कच की आज्ञा पाकर ही वह प्यास बुझाने जाता है और अपने वचन के अनुसार (यद्यपि कुछ विलम्ब होता है पर) वापस लौटकर अपने आने की सूचना (भोः पुरुष! प्राप्तोऽस्मि।) बड़ी निर्भीकता से देता है। जब भीम उसके पिता से कहते हैं कि 'हे ब्राह्मण ! अपने पुत्र को लो। हम इसके साथ जायेंगे।' तो 'जान बची लाखों पाये' ऐसा नहीं सोचता, अपितु अपने पूर्व संकल्प को पुनः कहता हुआ भीमसेन को उसके साथ जाने से रोकता है। त्याग की इतनी उदात्त भूमिका अन्यत्र दुर्लभ है।

दार्शनिक दृष्टि से कर्णभार भी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर छद्म वेश में इन्द्र ने अर्जुन के लिए कर्ण से उसका बहुमूल्य और स्वाभाविक कवच दान में ले लिया। दानवीर कर्ण अपने पिता सूर्य के द्वारा स्वप्न में वर्जन किए जाने पर भी उसे प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र को दे देते हैं ! कुपित ब्राह्मण और परशुराम के शाप, कुन्ती के वरदान माँगने और शल्य के द्वारा बारंबार अनुत्साहित किए जाने के कारण कर्ण को बड़ी बाधा हुई। भीष्मपितामह ने इनके अधिकार को भी सीमित कर दिया था। कृष्ण ने अपनी कूटनीति और अर्जुन के दैवी शस्त्रास्त्रों की सहायता से कर्ण के उत्साह को और भी ठण्डा कर दिया। इस स्थिति में भी वह अपने मन में जय–पराजय को समान रूप से ग्रहण कराता हुआ युद्ध के लिए कटिबद्ध होता है।

महाभारत में कर्ण के आख्यान कई जगह प्राप्त होते हैं जैसे – वन पर्व के 300–310 अध्यायों में सूर्य कर्ण को इन्द्र की कपट–लीला से बचने के लिए

चेतावनी देते हैं। यह कथा जिस भाग में वर्णित है उसे कुण्डल हरण पर्व कहा गया है। जब कर्ण ने सूर्य की चेतावनी पर कुछ भी ध्यान न दिया तो सूर्य ने इन्द्र से कवच और कुण्डल के बदले में एक मायाविनी शक्ति मांगने को कहा। महाभारत का कर्ण सूर्य के इस सुझाव को मान जाता है और उससे वह शक्ति प्राप्त करता है जिसके द्वारा बाद में घटोत्कच की मृत्यु होती है। यह कथा शान्ति और वन पर्वों के अतिरिक्त आदि पर्व के अन्तर्गत सभापर्व के अध्याय 68/44–45 और अध्याय 120/39–53 में निबद्ध है।

कर्ण का अर्जुन से घोर संग्राम और अर्जुन के द्वारा कर्ण के वध की कथा कर्ण पर्व में निबद्ध है। कर्ण कौरवी सेना का संचालन करते हुए अर्जुन को परास्त करने के लिए कटिबद्ध होता है। अर्जुन के लिए जैसे कृष्ण सारथी थे वैसे ही कर्ण के लिए शल्यराज। कृष्ण ने जैसे इस शर्त पर रथ चलाना स्वीकार किया था कि वे रणक्षेत्र में अस्त्र नहीं ग्रहण करेंगे वैसे ही शल्य ने भी यह वचन ले लिया था कि किसी भी समय वह जो चाहे जिससे चाहे कह सकता है। उसके वचन की धारा को रोकने का किसी को अधिकार नहीं।

महाभारत का शल्य अनेक कटूक्तियां बोलता है और कर्ण की निर्बलता का वर्णन करके उसका उत्साह भंग करता है। वह अनेक अपशकुनों को दिखा कर बात–बात में कर्ण से झगड़ बैठता है। ऐसी ही परिस्थिति में रह कर कर्ण पाँच पांचालों को मारता है तथा युधिष्ठिर को निःशस्त्र करके उनका अपमान करता है। कर्ण की अस्त्रशिक्षा और परशुराम के अभिशाप की कहानी महाभारत के कर्ण पर्व के 26वें अध्याय और शान्ति पर्व के तीसरे अध्याय में वर्णित है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्ण की इतस्ततः बिखरी हुई कथाओं को संकलित करके उसका एक ऐसा संघटनात्मक रूप उपस्थित किया गया है जो अपनी समग्रता में एक प्रभाव उत्पन्न कर सके। मूलकथा में इन्द्र का ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आना और कर्ण से कवच कुण्डल का दान मांगना बहुत पहले ही वर्णित है जब कि पाण्डव जंगल में निवास कर रहे थे, किन्तु कवि ने उस घटना का संयोजन युद्ध को जाते हुए सैनिक परिच्छेद में उपस्थित कर्ण के साथ किया जिससे एक प्रभावात्मकता उत्पन्न होती है और एकाएक इस घटना के घटित होने पर कुछ आश्चर्य और कौतूहल भी होता है, साथ ही करुणा की गहरी अनुभूति, एक बार दर्शक को कर्ण के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए विवश होना पड़ता है। महाभारत में सूर्य पहले ही कर्ण को स्वप्न में आकर चेतावनी दे देते हैं कि इन्द्र के कपट–जाल में मत पड़ना किन्तु कवि ने इस कथांश को निकाल दिया है। क्योंकि इससे उस घटना का प्रभाव और कौतूहल को जागृत करने की क्षमता नष्ट हो जाती। बहुत संभव है उसकी समय, घटना और क्रिया की अन्विति भी न बन पाती।

मूलकथा में तो कर्ण का इन्द्र से शक्ति की स्वयं याचना करना वर्णित है पर भास ने अपने चरित्रनायक को जिस उच्च भूमिका पर प्रतिष्ठित किया है उसके लिए सम्भवतः यह प्रतिदमन की इच्छा शोभन नहीं मालूम होती। अतः वह अपने कवच–कुण्डल निःस्पृह होकर दान करता है और देवदूत के कहने पर भी उसके बदले में इन्द्रप्रदत्त शक्ति को नहीं ग्रहण करना चाहता। अन्त में स्वयं देवदूत ब्राह्मण–वचन के पालनार्थ शक्ति को स्वीकार करने के लिए कहता है कर्ण इसीलिये उसे स्वीकार करता है कि ब्राह्मण की आज्ञा उसने कभी उल्लंघित नहीं की।

नाटक के शल्य में महाभारत के शल्य से पर्याप्त अन्तर है। नाटक का शल्य एक मृदुभाषी, शुभचिंतक और कर्ण का सहायक–सा प्रतीत होता है। उसका रूप उचित परामर्शदाता सारथी की भूमिका में निखर आता है। महाभारत का शल्य क्रूर, निर्दय, कर्ण का विरोधी और बात–बात में कर्ण को कटुवचन से आघात पहुंचाने वाला है। नाटक में यह बड़ी कौतूहल और आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करता है, जब कि यह सर्वमान्य नियम है कि केवल भृत्य या अशिक्षित वर्ग और स्त्रियाँ ही

प्राकृत का प्रयोग करें तो एक शास्त्रज्ञ ब्राह्मण का वैसा बोलना अस्वाभाविक और शंकास्पद है–

एक बार वे जंगल में फल–फूल आदि लाने अकेले जा रहे थे। मेरे अनुरोध करने पर मुझे भी अपने साथ ले लिया। वन में भ्रमण करने के कारण अधिक थक जाने से गुरुवर मेरी जंघा पर शिर रखकर सो गए। तभी एक ब्रज्रमुख नामक कीड़ा आया जिसने मेरी जंघा में कट लिया। उस कठिन पीड़ा को, आचार्य जग न जायं, इस भय से मैंने धैर्यपूर्वक सहन किया। कुछ देर के बाद जब उनकी निद्रा पूरी हुई, वे उठे, तो अपने वस्त्रों को रक्तरंजित देखकरऔर मेरे धैर्य तथा साहस से मुझे क्षत्रिय समझ कर क्रोध से काँपने लगे और मुझे शाप दिया कि समय पड़ने पर मेरे अस्त्र व्यर्थ सिद्ध हों। इसलिए इस समय मेरे अत्युग्र अस्त्र भी निर्बल और तेजहीन से प्रतीत होते हैं। आज तो मेरे सेना के हाथी, घोड़े आदि भी ऊँघ से रहे हैं और मुझे लौट जाने को विवश कर रहे हैं। शंख और दुन्दुभि भी निःशब्द हो गये।' इस बात को सुनकर शल्य को बड़ा क्षोभ होता है। कर्ण सच्चे योद्ध की भांति शल्य के क्षोभ का निवारण करते हुए कहता है कि वह किसी प्रकार की चिन्ता न करे। क्षत्रियों के लिए रण में मरना या विजय प्राप्त करना दोनों समान रूप से श्रेयस्कर हैं। यदि वह विजयी हुआ तो अनन्तः सुख भेगेगा और यदि वीर गति पाई तो स्वर्ग का द्वार उन्मुक्त रहेगा। 'ब्राह्मणों, सती स्त्रियों और योद्धाओं का कल्याण हो। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। यह शुभ अवसर मुझे उपलब्ध है इसीलिए अब समर की सीमा में प्रवेश करके 'युधिष्ठिर को बाँध कर तथा पराक्रमी अर्जुन को तीखे शराघातों से आहत करके सारी सेना को ध्वस्त कर दूँगा।'

इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके वह रथ पर चढ़ता है और शल्य से पुनः वहीं रथ ले चलने को कहता है जहाँ वे है। इधर युद्ध के प्रस्थान की तैयारी हो चुकी थी कि दैवदुर्विपाकसे एक भिक्षुपक आता है और एक महती भिक्षा मांगता है। उसे आदरपूर्वक प्रणाम करके सन्तुष्ट करने के लिए दानवीर कर्ण सैकड़ों गायों को देने के लिये तत्पर होता है पर हठी भिक्षुक उसे नहीं स्वीकार करता है। मत्त गजराजों का समूह देने के लिए कर्ण तैयार होता है पर वह उसे भी नहीं लेता। काबुली घोड़ों, अनन्त स्वर्ण और वसुन्धरा देने पर भी वह नहीं लेता। अन्त में जब कर्ण अपने सिर को समर्पित करने को कहता है तो भिक्षुक डर जाता है और हाय–हाय कहकर जाने लगता है। कर्ण के लिए भिक्षुक का असन्तुष्ट होकर लौटना सह्य नहीं होता है। इसलिए वह अपने शरीर के साथ–साथ अद्भुत कवच और कुण्डलों को भी देने का वचन देता है। इस वचन को सुनते ही ब्राह्मण वेशधारी इन्द्र प्रसन्न होकर दो–दो कहता है। अब कर्ण को इसमें शंका नहीं रही कि यह कपट–बुद्धि कृष्ण का ही उपाय हो सकता है। पर जब वह वचन से देने को कह चुका तो इस प्रकार वितक्र उसे सर्वथा अशोभन लगा और हर्षयुक्त मनसे कवच–कुण्डल दे देता है। शल्यराज से इन्द्र का कपट सह्य नहीं हुआ। वह कर्ण को दान देने से रोकता है पर वह स्पष्ट कहता है कि इस असार संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। यदि कुछ शाश्वत है तो वह अग्नि में डाली हुई आहुति और सत्पात्र को दिया हुआ दान ही है।

इस प्रकार से भास के नाटकों में कृष्ण परक दर्शन का स्वरूप यत्र–तत्र मिलता है।

संदर्भ स्रोत–

1. मध्यमव्यायोगः 1৷8
2. मध्यमव्यायोगः 1৷28–29
3. मध्यमव्यायोगः 1৷38
4. मध्यमव्यायोगः 1৷11
5. मध्यमव्यायोगः 1৷13
6. श्लोक स0 33, एवं 34।
7. श्लोक स0 27।
8. श्लोक स0 35।

तथा–भीमः –(आत्मगतम्) 'कथं मातुराज्ञेति। अहो गुरुशुश्रूषुः खल्वयं तपस्वी।

9. माता किल मनुष्याणां दैवतानां च दैवतम्।
मातुराज्ञां पुरस्कृत्य वयमेतां दशां गताः।।
तथा–भीमः 'क्षत्रियकुलोत्पन्नोऽह्म। पूज्यतमाः खलु ब्राह्मणाः।
तस्माच्छरीरेण ब्राह्मणशरीरं विनिर्मातुमिच्छामि।'

10. '....जातकारुण्यया देवि! संतापो नाशितस्त्वया'।।
तथा–भीमः–जात्या राक्षसी, न समुदाचारेण।

11. सूत्रधारः .....एषः खलू पाण्डवमध्यमस्यात्मजो हिडिम्बारणिसंभूतो राक्षसाग्निरकृतवैरं ब्राह्मणजनं वित्रासयति।

12. श्लोक सं0 4, 6, 7 और 33।

13. श्लोक सं0 4, 6, 7 और 33।

14. श्लोक सं0 25।

15. जानामि सर्वत्र सदा च नाम द्विजोत्तमाः पूज्यतमा पृथिव्याम्।
अकार्यमेतच्च मयाद्य कार्यं मातुर्नियोगादपनीय शङ्काम्।।

16. श्लोक सं0 38।

17. श्लोक 8 से 12।

18. ब्राह्मणः श्रुतवान्वृद्धः पुत्रं शीलगुणान्वितम्।
पुरुषादस्य दत्त्वाहं कथं निर्वृ तिमाप्नुयाम्।।

19. श्लोक सं0 23।

20. धन्योऽस्मि यद् गुरुप्राणाः स्वैः प्राणैः परिरक्षिताः।
बन्धुस्नेहाद्धि............।।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

Central Government of India in respect of Disaster Management Madhya Pradesh Overview

❐ Smt. Nisha Pandey*

Introduction

Here deal with the historical statistics suggests that India is one of the most disaster prone countries in the world exposed to recurring devastations due to cyclones, floods, drought, and earthquake for centuries. Early literature on the disaster management is mostly devoted to issues relating to relief management under the policies of prevalent government system. People will take disasters as the "act of God" and absorb pain and suffering, with or without socialèmaterialèother aid or support from the Government. India has experienced some of the worst kind of disasters in recent past including the Gujarat Killer Earthquake in 2001 and Tsunami in December 2004 in the Andaman and Nikobar Islands. Country faces a substantial number of disasters occurring in the Asia Pacific region, which itself accounts for nearly 60 % of the natural disasters that occur the world over. By and large, almost all the states in India are prone to some natural calamity or the other. However, there are some States, especially those located along the sea coast and in the Himalayan region which are more susceptible to natural calamities like cyclones, floods, earthquakes, land slides and avalanches. 24 out of our 34 states and Union Territories are disaster prone. India has however taken stock of the situation in this new century and the High Powered Committee (HPC) put together a report m October 2001 on disaster management. Government (state è central) has taken several initiatives for establishing and managing an effective emergency and disaster management system. Evolution and status of Disaster Management System in India is discussed in this paper.

Indian Vulnerabilities to Disasters

Indian history cites many instances of coping with natural and human-made disasters, from invasions and wars to droughts, floods, famines, earthquakes, and cyclones. The location of the sub-continent with its unique geoclimatic features, together with a dense population, makes for an interesting mix of vulnerability and resilience. Through the centuries, people have had to cope with frequent hazards through distinctive settlement patterns, livelihood preferences, sociocultural practices, and traditions. In addition to religious literature promoting the need for harmony between humans and their environment, scholastic and scientific literature in ancient India dealt with aspects of disaster preparedness and mitigation. One example is the philosopher astronomer mathematician Varahamihira (505-587 AD) who wrote about earthquakes, their causes, and predictability in the Bnhad Samhita. In it he discusses signs of earthquakes and correlates them with cosmic and planetary influence, underground water and undersea activities, unusual cloud formations, and abnormal behavior of ammals. These became part of folklore and form the basis of coping mechanisms extant at community level today. The Atharva Veda discusses drought mitigation strategies (Biswas 2000) and the Arthashastra, a treatise on public administration by Chanakya (4th century BC), has a section on famine relief and mitigation measures.

The Himalayas are the world's youngest fold mountains, are tectonically active, and sustain the largest global, non-polar glacial deposits. The Indo-Ganga-Brahmaputra basm, stretching parallel to the

* Senior Lecturer, Govt. Polytechnic College, Rewa (M.P.)

Himalayan arc, cames water and silt from wide catchments through the longest alluvial plain in the world. About 58% of the Indian landmass is prone to earthquakes and landslides of different magnitudes and about 12% of its geographical area (about 40 million hectares) is subject to riverine and flash floods ofwhich about eight million hectares are susceptible to annual flooding. Thirty-five major urban centers with populations of more than half a million each are located in high risk, seismic zones where earthquakes of magnitude of six or above on the Richter scale are distinct possibilities. Parts of the northeast receive the highest rainfall in the world whereas parts of the northwest have the scantiest, just as some areas of the trans-Himalayas are among the coldest inhabited areas and part of the Thar Desert is among the warmest. This wide variation in rainfall and climate make many regions of India susceptible to hazards such as droughts, floods, hailstorms, cloudbursts, avalanches, and heat and cold waves that claim lives, livelihood, and property (Dhar Chakrabarti 2006).

States along the Bay of Bengal and the Arabian Sea are affected by about 80 per cent of all cyclones (and accompanying floods and storm surges) generated in the region. Despite many irrigation projects, 68 per cent of the arable land is drought-prone, half of it critically so with annual precipitations of less than 750 mm and consequently immense social (primarily health) and financial implications because of its impacts on agriculture and food production, diminishing access to safe water supplies, and negation of development achievements. Repeated disasters lead to substantial losses of hard-earned development gains as well as diverting development funds towards disaster relief. According to World Bank estimates, direct losses of public and private infrastructure in India have amounted to approximately $30 billion over the past 35 years (World Bank 2003). Since less than 25% of the events registered actually provide loss estimates, the official figures probably understate their hue economic impact. Accordmg to the same study, 2.25% of the GDP and 12.15% of the national revenue were lost because of natural disasters from 1996-2001. This has serious implications for overall macro-economic management and development planning. Table 1 gives an idea of the cost of disasters from 1996 to 2001.

Table 2.1: Losses due to Drought -1999-2001

S.No	Year	Districts affected	Villages affected (No)	Population affected (Lakh)	Damage to crops area (Lakh Ha)	Estimated value of damaged crops (Rs crore)	Cattle population affected (in lakh)
1	1999	125	-	369.88	134.22	6.44	345.60
2	2000	110	54,883	378.14	367.00	371.87	541.67
3	2001	103	22,255	88.19	67.44	NA	34.28
	TOTAL	338	77,138	836.21	568.66	378.31	921.55

Source: Annual Reports, Natural Disaster Management Division, Ministry of Agriculture

Disasters are posing an ever-greater threat to the lives and livelihoods of millions of people in India. Droughts and floods, earthquakes and cyclones hit the country with gnm regularity year after year. Between 1994 and 2003, disasters — both 'natural' and technological — claimed 68,671 Indian lives and affected an average of 68 million people every year of the decade, according to the Belgium-based Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). This toll is worse than for the previous ten years, from 1984 to 1993, when disasters claimed 42,171 lives and, every year, affected an average of 55 million people. Meanwhile, catastrophes in India during the 1990s claimed US$ 1.9 billion annually in direct economic costs alone (IFRC,2006).

In the face of such devastating impacts, the task of supporting the resilience of Indian communities to disasters has never been more urgent. Many parts of the Indian subcontinent are susceptible to different types of disasters owing to the unique topographic and climatic characteristics. About 54 per cent of the sub-continent's landmass is vulnerable to earthquakes while about 4 crore hectares is vulnerable to periodic floods.***Figure 1 Indian Vulnerabilities todifferent Harads***

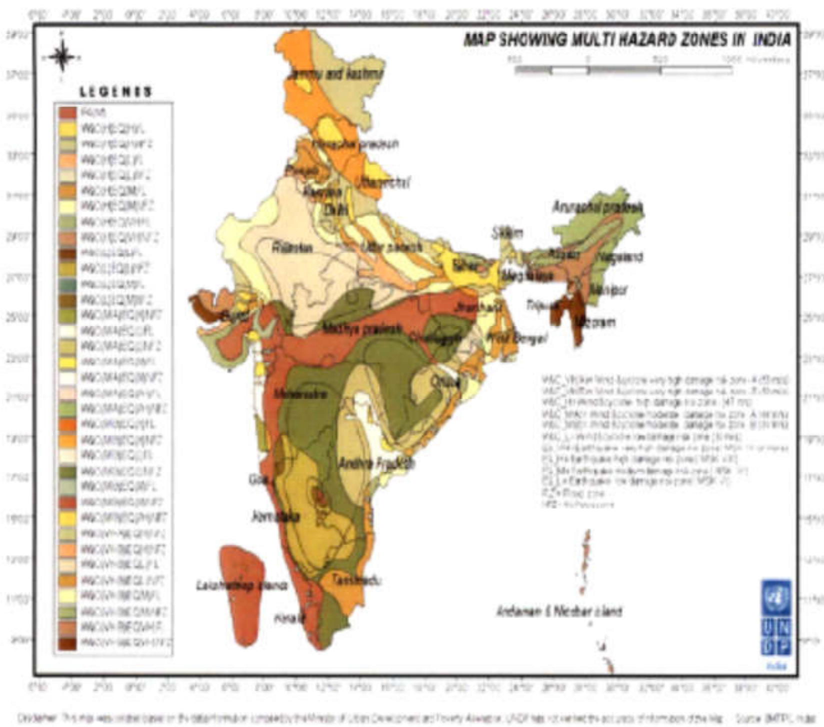

Overall State level DM Structure

The State Government of Madhya Pradesh has shifted its focus from reactive response measures to proactive preparedness and preventive mechanisms, with a view to generating synergy, prevent conflict, optimize use of resources and avoid oversight. The notified state level disaster management structure caters to all types of disasters and in particular, deals with situations where more than one organization is involved. The overall state level DM structure is as below:

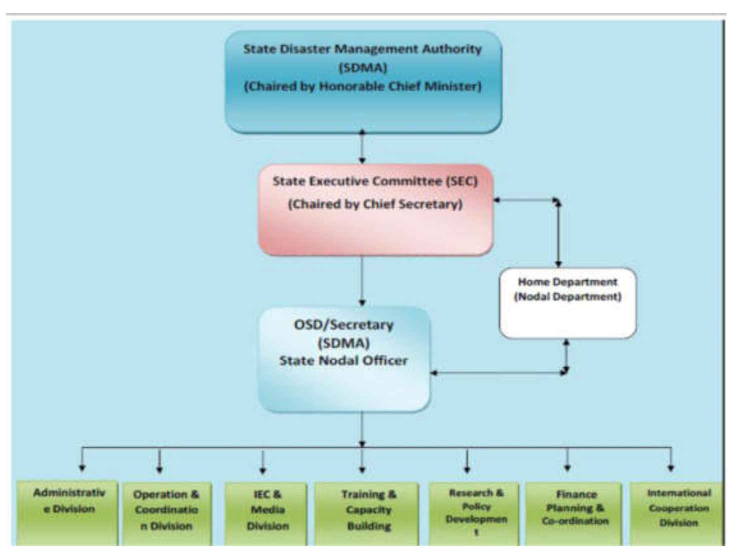

As per the DM Act 2005, the state level disaster management functions will be activated, and directed by the State Disaster Management Authority (SDMA), which has already been notified in state of Madhya Pradesh in September 2007. Under the SDMA, there will be a State Executive Committee (SEC), which will work in coordination with Home Department. There will be a State Nodal Officer cum Secretary SDMA, who will report to State Executive Committee, about various disaster management functions of the state. There will be seven divisions in total (Administrative, Operation & Coordination, IEC & Media, Training & Capacity building, Research & Policy Development, Finance planning & Coordination, and International Coordination Divisions), which will work under supervision of State Nodal Officer, and will perform the respective disaster management and allied functions, in line with the State DM policy.

State Disaster Management Authority

As per the 2005 Act State Authority shall consist of the Chairperson and such number of other members, not exceeding nine, as may be prescribed by the State Government.

1. SDMA is chaired by honorable chief minister other members are:
2. Minister of Finance Department
3. Minister of Revenue Department
4. Minister of Public Health and Family Welfare Department
5. Minister of Citizen Administrative and Development Department
6. Minister of Varinjya, Udyog and Rozgar Department
7. Minister of Public Welfare Department
8. Minister of Home Department
9. Chief Secretary of Madhya Pradesh

SDMA will be overall responsible for institutionalization and implementation of all the disaster management functions. SDMA will meet periodically to review the overall progress of disaster management initiatives at the state level.

State Executive Committee

State Executive Committee (SEC) is formed by SDMA in order to assist the State Authority for achieving the state objectives as per the state disaster management guidelines.

1. SEC according to the Act 2005 is chaired by Chief Secretary of the Government of Madhya Pradesh.

Other members that have been included for this committee are the chief Secretaries of the following department:

2. Department of Home,
3. Revenue Department,
4. Finance Department and
5. Public Health and Family Welfare Department.

Apart from these other special invited members are Chief Secretariesè Heads of:

1. Public Welfare Department,
2. Department of Commerce, Industry and Employment,
3. Khad avam nagarik aapoorti vibhag, Madhya Pradesh
4. Police, Madhya Pradesh
5. Home Guards & Civil Defense, Madhya Pradesh

The responsibility of the SEC:

- To coordinate and monitor the implementation of the national policy, the national plan and the state plan.
- To provide information to the NDMA relating to various parameters of DM.
- To earmark funds for prevention and integration of disasters in their development plans and projects.

There are further state nodal officer from various division such as

- Administrative division
- Operation and coordination
- IEC and media division
- Training and capacity building
- Research and policy development
- Finance planning and co-ordination
- International cooperation division

Financial Arrangements

State Disaster Mitigation and Preparedness

Disasters can cause extensive strain on financial resources, therefore it has to be a dedicated fund allocation for the state, district level and sub district level disaster mitigation and preparedness activities.

Government of Madhya Pradesh intends to have a budgetary allocation for the disaster management. The mitigation and preparedness fund shall be available through capacity building componentè as per the CRF.

State Disaster Relief and Response

Under the Constitution of India, provision of immediate relief to the victims of natural calamities is the primary responsibility of the States. However, often the scale of a natural calamity combined with the economic and infrastructural abilities of the State Government create such a situation where assistance from the Central Government towards meeting the relief expenditure becomes necessary. In the Ninth Finance Commission to recommend for setting up of the Calamity Relief Fund scheme for financing relief expenditure of States in the wake of natural calamities. The main objectives of this initiative were to ensure that:

- the assistance extended to the States is in accordance with their needs
- the provision of relief to the victims is quick
- the States have greater autonomy in the relief operations and
- the States are more accountable as well for their activities regarding relief.

There is a requirement for every State to have a separate CRF, with Finance Commission recommendations deciding the annual allocations. Every year, the Centre provides 75 per cent of the size of the CRF of a State as a non-plan grant to the State while the rest of 25 per cent comes from State Government itself3. CM's Relief Fund Aidsmay be received as grant in aid from Central Govt., World Bank andèor other departmentsèagencies to carry out specific projectsèschemes related to disaster managementè mitigationè capacity building. NDRFèNCCF is to supplement the funds from the SDRF of a state to facilitate immediate relief in case of calamities of a severe nature. SDRF the GoMP allocates funds in the state budget for relief activities through State disaster Response fund. To carry out Emergency Response & Relief activities after any disaster the State Disaster Response Fund is made available to Commissioner of Relief, Revenue Department under which the Central Government will share 75% and the Govt. of Gujarat has to share 25% as per the recommendation of 13th Finance Commission.

Funding from external agencies for special cause

There are various international organizations that have supported the state in the past disasters which are:

Monitoring and Review

The state disaster management plan (SDMP) brings together risk assessment, preparedness/ mitigation measures and disaster response plan for the state on one platform. Mainstreaming disaster management concerns in development process, coordination/implementation mechanisms of the plan and identifying financial arrangements have been included as part of the plan to facilitate smooth implementation.

Dissemination and monitoring of SDMP

While the state plan has been prepared keeping in view the framework suggested by NDMA, reviewing and monitoring of the progress of plan implementation is internalized in the plan. Reviewing and monitoring will be on-going exercise to be undertaken annually by the State Executive Committee and the updated state plan will be approved by the State Authority as prescribed in section 23 of the Disaster Management Act 2005.

Plan review schedule and amendments

Disaster management is dynamic. Ground realities, changing population characteristics, evolving government mechanisms in handling disastersèemergencies determine the effectiveness of the State Disaster Management Plan. The plan will be reviewed and updated periodically. The Disaster Management Act, 2005 section 23(5) requires the state plan be reviewed and updated annually; accordingly the review and update of the plan will be taken up annually.

Periodic Social Auditing

According to the MPSDMP policy audit is one of the important tools to know whether the proper utilization of fund has been done or not. In the state, whatever fund will be utilised for the disaster management, 3rd party audit will be done. There will be a

- Financial audit: Through this it will be identified that the given fund is utilized for the purpose it was given to respective authorities.
- Process audit: to identify whether the proper process has been followed by the respective authorities for the utilization of fund or to achieve the set target.

Geography

Madhya Pradesh literally means "Central Province", and is located in the geographic heart of India, between latitude 21°04'N-26.87°N and longitude 74°02'-82°49' E. The state straddles the Narmada River, which runs east and west between the Vindhya and Satpura ranges; these ranges and the Narmada are the traditional boundary between the north and south of India. The state is bordered on the west by Gujarat, on the northwest by Rajasthan, on the northeast by Uttar Pradesh, on the east by Chhattisgarh, and on the south by Maharashtra.

Climate

Madhya Pradesh has a subtropical climate. Like most of north India, it has a hot dry summer (April–June), followed by monsoon rains (July–September) and a cool and relatively dry winter. The average rainfall is about 1,370 mm (53.9 in). It decreases from east to west because monsoon wind moves from east to west and drained clouds in eastern part takes less quantity of water vapours with them to western part. The south-eastern districts have the heaviest rainfall, some places receiving as much as 2,150 mm (84.6 in), while the western and north-western districts receive 1,000 mm (39.4 in) or less. Overall, the state has a tropical climate varying from dry sub-humid to semi-arid. Summers are hot and at some places, it remains humid, while winters are reasonably comfortable. The maximum temperature during summer ranges from 33-44oC while minimum temperature from 19-30oC. The temperature during the winter season ranges between 10-27oC.

Water Resources (Ground Water and Surface)

Groundwater use is also common in the state. In total, there are ten river basins in Madhya Pradesh as ten major rivers originate from the State. The rivers namely, Chambal, Sindh, Betwa, Ken flow northward and meet with Yamuna whereas the river Sone falls directly into Ganges. Narmada Tapi and Mahi rivers flow westward and meet Arabian Sea whereas Wainganga and Pench rivers meet Godavari in the south. More details on the rivers are available in the rivers section. The state of Madhya Pradesh has four major rivers namely Narmada, Tapti, Sone and Mahanadi. Availability of water in the state is more than 81,000 million cubic meters out of which approximately 56,857 million cubic meters (69.74%) had already been utilized. Surface water is commonly used for all purposes.

Air Quality

Average air quality in the state is good except few urban and industrial centers, where due to industrial activities and transport sources, air quality is poor.

Economy Agriculture is the basis of Madhya Pradesh's Economy. Less than half of the land area is cultivable; however its distribution is quite uneven because of variations in topography, rainfall, and soils. The main cultivated areas are found in the Chambal valley, the Malwa Plateau, the Rewa Plateau, and the Chhattisgarh Plain. The Narmada valley, covered with river-borne alluvium, is another fertile area. The most important crops are rice, wheat, sorghum (jowar), corn (maize), pulses (legumes such as peas, beans, or lentils), and peanuts (groundnuts). Rice is grown principally in the east, where there is more rainfall, while in western Madhya Pradesh wheat and sorghum are more important. The state is the largest soybean producer in India. Other crops include linseed, sesame, sugarcane, and cotton, as well as inferior millets, State Disaster Management Plan –Madhya Pradesh. which are grown in hilly areas. The state is a large producer of opium (in the western district of Mandsor, near Rajasthan) and marijuana (in the southwestern district of Khandwa [East Nimar]). Madhya Pradesh's gross state domestic product (nominal GDP) for 2010–11 was 259,903 crore (approximately US$ 47,120). The per-capita figure was US$ 583: the fourth lowest in the country. Between 1999 and 2008, the annualized growth rate of the state was very low: 3.5%. Subsequently, the state's GDP growth rate has improved significantly, rising to 8% during 2010-11 and 12% during 2011-12.

The state has an agrarian economy. The major crops of Madhya Pradesh are wheat, soybean, gram, sugarcane, rice, maize, cotton, rapeseed, mustard and arhar.Minor Forest Produce (MFP), such as tendu leaves used to roll beedi, sal seed, teak seed, and lak also contribute to state's rural economy. Madhya Pradesh has 5 Special Economic Zones (SEZs): 3 ITèITeS (Indore, Gwalior), 1 mineral-based (Jabalpur) and 1 agro-based (Jabalpur). In October 2011, approval was given to 14 proposed SEZs, out of which 10 were ITèITeS-based.Indore is the major commercial center of the state. Because of the state's central location, a number of consumer goods companies have established manufacturing bases in MP.

The state has the largest reserves of diamond and copper in India. Other major mineral reserves include those of coal, coalbed methane, manganese and dolomite.

Industries

The major industries of the state are electronics, telecommunications, petro-chemicals, food processing and automobiles. The state has also taken a lead in the production of cement. The state is also famous for its traditional handicrafts and handlooms manufactured at Chanderi and Maheshwar.

Madhya Pradesh is rich in minerals, though these resources have not yet been fully exploited. There are large reserves of coal and important deposits of iron ore, manganese ore, bauxite, limestone, dolomite, copper, fireclay, and china clay. Diamond reserves at Panna are of particular interest.. The state is well endowed with potential hydroelectric power. Main hydroelectric projects (jointly developed with other states) are the Babanthadi with Maharashtra, the Ban Sagar with Bihar and Uttar Pradesh, the Chambal Valley with Rajasthan, the Narmada Sagar with Gujarat and Rajasthan, and the Rajghat and Urmil with Uttar Pradesh. The Hasdeo Bango, Bargi, and Birsinghapur thermal power projects are also within the state. Narmada Sagar project has been a source of controversy because of its potential for damaging environment. The economy of Madhya Pradesh is based on agriculture, forest products, industries, mineral resources, and cottage industry sectors.

Infrastructur and transportation Lot of effort has gone so far towards the infrastructure and transportation so far, at the state level, especially in recent years. However, in comparison to the other Indian states, Madhya Pradesh is slightly lagging behind with adequate transport and communications facilities. The main railroads that pass through the state were originally laid down to connect the ports of Madras, Bombay, and Calcutta with their hinterlands. Important railway junctions include Bhopal, Ratlam, Khandwa, Bilaspur, and Katni. Also connecting the state with other parts of India are airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Raipur, Jabalpur, Rewa, Bilaspur, and Khajuraho, as well as several national highways. State Disaster Management Plan –Madhya Pradesh The urban infrastructure has improved considerably in the past decade. 22 projects costing above $500 million have been sanctioned under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission for the development of Bhopal, Indore, Jabalpur and Ujjain.

There are five airports in the state: Devi Ahilyabai Holkar International Airport in Indore (the busiest), Raja Bhoj Airport in Bhopal, Jabalpur Airport, Gwalior Airport and Khajuraho Airport. Besides, minor air strips are located at Ujjain, Khandwa, Satna and Rewa.

Bus and train services cover most of Madhya Pradesh. The 99,043 km long road network of the state includes 18 national highways. A 4,948 km long rail network criss-crosses the state, with Jabalpur serving as headquarters for the West Central Railway Zone of the Indian Railways. The Central Railway and the Western Railway also cover parts of the state. The state has a total of 20 major railway junctions. The major inter-state bus terminals are located in Bhopal, Indore and Jabalpur. More than 2000 buses are conducted daily from these three cities. The intra-city transit systems mostly consist of buses, private autos and taxis.

The state does not have a coastline. Most of the sea trade happens through the Kandla and Jawaharlal Nehru Port (Nhava Sheva) in the neighboring states, which are well-connected to MP by road and rail networks.

Conclusion

At the time of Gujarat Earthquake in 2001, the HPC report had not been submitted nor was the NDMA and disaster management act existed and the

disaster management was quite dismal at all levels. Traditional re-active approach navigated the emergency and disaster management response during the massive earthquake. There was no connecting link between development and disaster. A case in point is the tragedy wherein over 400school children who were parading out in the open m Village Anjar (Gujarat) were taken inside the school building on occurrence of the earthquake. Nearly all the children died when the school building collapsed. Unregulated land use and building construction in the identified seismic zone become number one reason behind the holocaust followed after the earthquake. Lack of role clarity among stake holders (Central and State Govts, Armed Forces, Paramilitary Forces, Police Forces, NGOs, PSUs, Pnvate Sector, Community) & lack of established resource coordination mechanism added to the fatalities of disaster. In absence of any Decision Support System (DSS) valuable time was lost in reaching to the conclusive end of every question. National è State disaster management response plan at the time 2001 earthquake lacked every thing an effective disaster response system should have. HPC has been able to view the disaster management scene in India holistically using systemic thinking approach, resulting in creation of NDMA, NIDM, Disaster Management Act, 2005 and culture of Prevention & Reduction much needed to deal with disasters in India. The Disaster Management Act is in place and that will help institutionalize the best practices and provides for states to draft their own disaster management policies and rules. With the constitution of NDMA, the country has an apex body to take charge of disaster related issues. The NDMA will be able to coordinate the efforts of all the role players and ensure synergy in all our endeavors to deal with disasters. A National Communication Plan has been drawn up harnessing the modem systems of communication for information flow, dissemination of warnings etc. A web- based inventory of specialist resources required for disaster management support has been operationalised, but the tool is still be tested for its utility and effectiveness. Government of India did not prescribe standards on Spatial Data Infrastructure (SDI), which is comical for data è information exchange between various state disaster management agencies. The national policy also lacks in defining the importance of regional è inter-state resource coordination and sharing (some thing like mutual aid system in USA), which is comical for bringing synergy into the disaster management system. While the best disaster management plans, policies and programs are conceived and worked out to last detail, the success will largely dependent on its effective execution. The National è State Disaster Management Policies è Plans have still to pass the litmus test through a real execution. National Government need to give more attention to public alert and warning dissemination networks backed by a very strong & reliable National Alert and Warning center.

Reference :

* Disaster Management: Strategy and Coordination (MAA00029) - Global Plan 2010-2011

* International Federation policies | en español | en français

* Millennium Development Goals and beyond 2015

* NATIONAL DISASTER MANAGEMENT GUIDELINES PREPARATION OF STATE DISASTER MANAGEMENT PLANS July 2007, NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY GOVERNMENT OF INDIA

* SR Shrivastava, PS Shrivastava, and J Ramasamy, (2013) Ann Med Health Sci Res. 2013 Jul-Sep; 3(3): 468–469.

* William L, Waugh The political costs of failure in the Katrina and Rita disasters. Ann Am Acad Pol Soc Sci. 2006;604:10–25. [Google Scholar]

* 3. Jain PC. Flood mitigation practices in India. In: Sharma RK, editor. Disaster Management. New Delhi: Indian Institute of Public Administration; 2001. pp. 38–45. [Google Scholar]

* 4. Acemoglu D, Robinson JA. Economic backwardness in political perspective. Am Polit Sci Rev. 2006;100:115–31. [Google Scholar]

* 5. New Delhi: Magnum customs publishing; 2009. [Cited 2012 Aug 18]. Ministry of Home Affairs. National policy on disaster management. [monograph on the internet] Availablefrom: http://nidm.gov.in/PDF/policies/ndm_policy2009.pdf. [Google Scholar]

* 6. New Delhi: Magnum books Private Limited; 2007. [Cited 2012 Aug 18]. National Disaster Management Authority. Preparation of state disaster management plans. [monograph on the internet]

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का मूल्यांकन

(सीधी जिले के विशेष संदर्भ में)

❒ डॉ. अखिलेश कुमार गुप्ता*

शोध सारांश

शोध क्षेत्र सीधी जिले में पंचायतीराज अधिनियम द्वारा जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता के विकास के समस्त सन्दर्भों तक किया गया है। जिसमें राजनीतिक जागरूकता की वर्तमान स्थिति, पंचायतीराज अधिनियम के कारण जनजातीय महिलाओं में बढ़ी राजनीतिक जागरूकता, सामान्य वर्ग की महिलाओं एवं पिछड़े वंचित वर्ग की महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता में अंतर, पंचायती राज अधिनियम के कारण पंचायतों में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी बढ़ने, पंचायतों के चुनाव में जनजातीय महिलाओं के बढ़–चढ़कर भाग लेने, जनजातीय महिलाओं के पंचायतों के चुनाव में अनारक्षित सीटों में भी निर्वाचित होने, निर्वाचित जनजातीय महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अधिकारों के स्वतंत्रतापूक प्रयोग करने, निर्वाचित जनजातीय महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने दायित्वों के ठी ढंग से निर्वहन करने, पंचायतीराज अधिनियम के परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवन व्यवहार एवं राजनीतिक संबंधों में आये सकारात्मक परिवर्तनों, पंचायतीराज अधिनियम द्वारा आरक्षण के परिणामस्वरूप जनजातीय महिलाओं के प्रति भेद–भाव एवं ऊँच–नीच समस्याओं आदि के अध्ययन तक परिसीमित किया गया है।

प्रस्तावनाः–

सभी जनजातियों की अपनी भाषा, धर्म तथा सांस्कृतिक विशेषताएँ होती है। सीधी जिले की जनजातियों में मुख्य रूप से गोंड़, बैगा, पनिका, अगरिया एवं खैरवार जातीय समूह है। ये सभी जनजातियाँ समान ऐतिहासिक अनुभवों, समान आदान–प्रदान, समान वातावरण, शिक्षा अन्ध विश्वास एवं राजनीतिक प्रतिष्ठापन इत्यादि के कारण अन्य भारतीय प्रान्तों की जनजातियों से बहुत भिन्न है। कृषि के नवीनतम प्रतिमानों की उपयोगिता, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, पंचायतों में अधिकार सम्पन्नता तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति एवं आत्मनिर्भरता ने इनकी संस्कृति को ग्रामीण एवं शहरी संस्कृति के अंतर्गत समीप ला दिया है। इन जनजातियों में आधुनिक सांस्कृतिक प्रतिमान दृष्टिगोचर होने लगे हैं। हालांकि प्रत्येक समाज की संस्कृति परिवर्तनशील है, चाहे वह जनजातीय समाज हो या आधुनिक सभ्य समाज। मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं और समय–समय पर प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में होने वाले

* प्राचार्य, पं. रामसुन्दर शुक्ला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पहड़िया, जिला–रीवा, म.प्र.

परिवर्तनों में सामंजस्य बनाए रखना ही संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है। अतः आज के बदलते सामाजिक परिवेश ने जनजातियों को भी अछूता नही छोड़ा है। बाह्य सम्पर्क के परिणामस्वरूप जहाँ उनमें अनेक प्रकार के विकास हुए हैं वही कुछ समस्याएँ भी पैदा हुई है।

जनजातीय समाज की प्रारंभिक विशेषताओं तथा आधुनिक समाज की आधुनिकृत विशेषताओं की तुलनात्मक विवेचन करते हुए कुछ विद्वानों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जनजातीय समाज अपरिवर्तित रहकर अपनी प्रारंभिक सांस्कृतिक अवस्था में विद्यमान है। परन्तु यह धारणा अवैधानिक प्रतीत होती है क्योंकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कोई भी मानव समूह न तो अपरिवर्तनीय रहा है और न ही परिवर्तन की प्रक्रिया से परे रहा है। कोई भी जीवित संस्कृति स्थिर नही है। आचार के नियम कठोर हो सकते है इन नियमों का पालन कराने के लिद कठोरतम स्वीकृतियों की सहायता ली जा सकती । फिर भीएक समाज का अवलोकन कर्ता यह देखेगा कि जहाँ अत्यन्त अनुदारता रही है। वहाँ भी पर्याप्त दीर्घ अवधि में परिवर्तन घटित हुए है।

पंचायती राज व्यवस्था में नए खून का संचार हुआ 73वें संविधान संशोधन के बाद जिससे पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप और कार्यप्रणाली ही नहीं बदली उनकी, संरचना और कार्यकुशलता में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान कानून में कई नए और साहसिक प्रावधान जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार संपन्न और सक्रिय बनाया। यह कहना अतिशंयोक्ति न होगी कि 1993 में इस कानून के लागू हो जाने के बाद देश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक नए युग का सूत्रपात हो गया। इससे जहाँ लोगों में सत्ता समीकरणों में सदियों से चली आ रही जड़ता को तोड़ने में मदद मिली, वहीं नियमों में लचीलापन भी रखा गया ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इनमें थोड़ा बहुत फेर–बदल करके कारगर ढंग से लागू किये जा सकें। इस संशोधन के लागू होने से पहले कई राज्यों में दशकों से पंचायतों के चुनाव नही हो रहे थे, लेकिन इसमें पांच वर्ष बाद चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से कराने की व्यवस्था की गई। यही नहीं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की देखरेख करने और मतदाता सूचियाँ बनाने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाया गया है। जिससे चुनावों पर राज्य सरकारों और सत्ताधारी वर्गों के प्रभाव को कम करने में मदद मिली है, किन्तु इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता थी सभी पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुरूप सीटों का आरक्षण। इससे भी बड़ा क्रांतिकारी प्रावधान था कुल सीटों की एक–तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना।

सच तो यह है कि जब महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों का प्रावधान किया गया था तो किसी ने नही सोचा था कि यही एक कदम ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण और गाँवों की स्थिति सुधारने के लिए इतना महत्वपूर्ण बन जाएगा। पिछले 22 वर्षों अनुभव बताता है कि गांधी जी ने गाँवों के परम्परागत ढाँचे में उपेक्षित और वंचित वर्गों को सत्ता का भागदीदार बनाने का जो सपना देखा था वो सामाजिक दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हुआ है। निर्णय लेने की प्रक्रिया और सत्ता संचालन में भागीदारी मिलने से स्वयं महिलाओं का ही नहीं समूचे ग्रामीण क्षेत्र की काया पलट करने में मद्द मिल रही है।

शोध विधियाँ :

सम्बन्धित शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया गया है–

1. सर्वेक्षण विधि।
2. अवलोकन विधि।
3. अभिलेख अध्ययन विधि।

शोध क्षेत्र का परिचय– प्राचीन काल में सीधी जिला ऋषियों, मुनियों की शिक्षा–दीक्षा, यज्ञ, तपस्या, ईष्ट आराधना और स्वास्थ्य का पवित्र व श्रेष्ठ केन्द्र स्थल होने के कारण इस समूचे भू–भाग को कर्मभूमि माना जताा रहा है। कर्मभूमि ही सिद्धिभूमि वन जाती है, इस आधार पर इस जिले का नाम सिद्धि भूमि पड़ा

जो कालान्तर में परिवर्तित होकर सिद्धि ''सीधी'' हो गया। आज भी इसे सीधी नाम से सम्बोधित किया जाता है। मध्यप्रदेश के रीवा संभाग के चार जिलों में से एक सीधी जिला सोन नदी के उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण म.प्र. में सीधी जिला, रीवा संभाग के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है, जो रीवा–सिंगरौली मार्ग पर संभागीय मुख्यालय रीवा से 80 कि.मी. दूर है। इसका विस्तार 24012′ से 33047′ उत्तरी अक्षांश तथा 81018′ से 82049′ पूर्वी देशान्तर के बीच है। जिले की समुन्द्र तल से निम्नतम् ऊँचाई 243.68 मीटर तथा अधिकतम ऊँचाई 609.60 मीटर है। सीधी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 10526 वर्ग कि.की. है। जिले के पूर्व में सिंगरौली जिला दक्षिण में शहडोल जिला, पश्चिम में सतना जिला तथा उत्तर में रीवा जिला स्थित है। वर्तमान में जिले में छः तहसीले रामपुर–नैकिन, चुरहट, गोपदवनास, सिहावल, कुसमी और मझौली है, तथा पाँच विकासखण्ड रामपुर–नैकिन, सीधी, सिहावल, कुसमी एवं मझौली है।

पूर्ववर्ती शोध कार्यों का संक्षिप्त विवरण– ओ.पी. शर्मा ने राजस्थान के कुछ गॉवों का अध्ययन करके यह तथ्य स्पष्ट किया कि नवीन पंचायत व्यवस्था ने ग्रामीण नेतृत्व के स्वरूप में परिवर्तन उत्पन्न करके शक्ति व्यवस्था को प्रभावित किया है। आज विभिन्न राजनैतिक दल ग्रामीण जन–जीवन में प्रवेश करके शक्ति के आदान–प्रदान का प्रयत्न करता है।

Motiram (2006) ने अपने शोध पत्र Scheduled Castes Education in India : Issues and challenges में बताया कि भारत में अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, इनके क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना के साथ–साथ इन्हें मुक्त में सभी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे है, इनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा लगातार इनके नामांकन में वृद्धि हो रही है तथा साक्षरता दर बढ़ी है। R.P. Bindu (1774) ने अपने शोध कार्य Progress of Education of Scheduled castes in Uttar Pradesh के निष्कर्ष में बताया कि अनुसूचित जातियों में शिक्षा का विकास उस गति से नहीं हो रहा है, जिस गति से होना चाहिए, इसीलिए उनकी शैक्षिक स्थिति आज भी संतोषजनक नहीं है।

M. Davar (2006) ने अपने शोध पत्र Delhi School Literacy Project; An evaluation study में यह बताया कि जिन संस्थाओं के माध्यम से साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है वे उतने सक्रिय नहीं हैं, जितना की सक्रिय होना चाहिए। M.K. Das (2008) ने अपने शोध पत्र Work Education Programme Under Sarva Shiksha Abhiyan में यह निष्कर्ष निकाला है कि बिना कार्य केन्द्रित शिक्षा के सर्वशिक्षा अभियान के सकारात्मक परिणाम संभव नहीं हैं। Rama Maikhuri (2005) ने अपने शोध पत्र Status of Elementary Education in rural areas of chamoli district of Uttaranchal में बताया कि धीरे–धीरे अनिवार्य शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है तथा उनमें व्यापक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं।

प्रदत्तों का संग्रहण, सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्याः प्रदत्तों के संकलन के लिये अनुसंधनान उपकरणों का प्रशासन न्यादर्श प्रयोज्यों पर किया जाता है। अधिकांश अनुसंधानों में प्रदत्तों का संकलन या तो प्रमाणित परीक्षणों के द्वारा या स्वयं निर्मित अनुसंधान उपकरणों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रदत्त प्राप्त हो जाते हैं, जिनके द्वारा शोध अध्ययन के सही परिणाम तक पहुँचा जा सकता है। शोधार्थी को यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है, कि कितना और किस प्रकार के प्रदत्तों का संकलन किस स्थान पर और कब किया जाये। शोधार्थी को इस बात का भी ज्ञान होना आवश्यक है, कि प्रदत्तों के संकलन का मुख्य उद्देश्य शोध परिकल्पनाओं को प्रमाणित करना या उचित रूप से सिद्ध करना है। शोधार्थी ने अपने शोध प्रबंध हेतु ''पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के विकास का एक समीक्षात्मक अध्ययन (सीधी जिले के विशेष सन्दर्भ में)'' विषय के अन्तर्गत सीधी जिले के

सभी पांचों विकासखण्डों–सीधी, सिहावल, रामपुर–नैकिन, मझौली एवं कुसमी में से प्रत्येक विकासखण्ड से 50–50 जनप्रतिनिधियों, कुल 250 जनप्रतिनिधियों, 100–100 जनजातीय नागरिकों, कुल 500 जनजातीय नागरिकों, 6–6 अधिकारियों, कुल 30 अधिकारियों तथा 10–10 समाजसेवियों, कुल 50 समाजसेवियों को न्यादर्श में चयनित किया है। शोधार्थी ने सीधी जिले में जनजातीय महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता के विकास के अध्ययन हेतु कुछ शोध उपकरणों जैसे–जनप्रतिनिधि साक्षात्कार अनुसूची, जनजातीय नागरिक साक्षात्कार अनुसूची, अधिकारी साक्षात्कार अनुसूची एवं समाजसेवी साक्षात्कार अनुसूची आदि की सहायता ली है। तथा इन्हीं शोध उपकरणों के माध्यम से प्राप्त प्रदत्तों के संग्रहण, सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक– 1.1

शोध क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन

(आधार–जनप्रतिनिधि साक्षात्कार अनुसूची)

क्र.	विकासखण्डों के नाम	न्यादर्श में चयनित जनप्रतिनिधियों की संख्या	जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का					
			अभाव है		अभाव नहीं है		नहीं पता	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सीधी	50	43	86.00	07	14	00	00.00
2.	सिहावल	50	40	80.00	08	18	01	02.00
3.	रामपुर नैकिन	50	45	90.00	04	08	01	02.00
4.	मझौली	50	43	86.00	07	14	00	00.00
5.	कुसमी	50	40	80.00	09	18	01	02.00
	योग	**250**	**211**	**84.4**	**36**	**14.4**	**03**	**1.2**

विश्लेषण एवं व्याख्या–

उपरोक्त तालिका क्रमांक–1.1 में शोध क्षेत्र सीधी जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से न्यादर्श में चयनित 50–50 जनप्रतिनिधियों, कुल 250 जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार के माध्यम से जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता की जानकारी संकलित की गयी है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक–1.1 के ऑकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित कुल 250 जनप्रतिनिधियों में से 211 जनप्रतिनिधि यह मानते हैं, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव नहीं है। जबकि मात्र 02 जनप्रतिनिधियों को जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध में कुछ नहीं पता है।

तालिका क्रमांक– 2.2
शोध क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन
(आधार–जनप्रतिनिधि साक्षात्कार अनुसूची)

क्र.	विकासखण्डों के नाम	न्यादर्श में चयनित जनप्रतिनिधियों की संख्या	जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का					
			अभाव है		अभाव नहीं है		नहीं पता	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सीधी	100	76	76.00	18	18.00	06	06.00
2.	सिहावल	100	73	73.00	19	19.00	08	08.00
3.	रामपुर नैकिन	100	71	71.00	20	20.00	09	09.00
4.	मझौली	100	69	69.00	22	22.00	09	09.00
5.	कुसमी	100	68	68.00	24	24.00	08	08.00
	योग	**500**	**375**	**71.40**	**103**	**20.60**	**40**	**08.00**

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका क्रमांक–2.2 में शोध क्षेत्र सीधी जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से न्यादर्श में चयनित 100–100 जनजातीय नागरिकों, कुल 500 जनजातीय नागरिकों से साक्षात्कार के माध्यम से जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता की जानकारी संकलित की गयी है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक–2.2 के ऑकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित कुल 500 जनजातीय नागरिकों में से 357 जनजातीय नागरिक यह मानते हैं, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। तथा 103 जनजातीय नागरिक यह मानते हैं, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव नहीं है। जबकि मात्र 40 जनजातीय नागरिकों को जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध में कुछ नहीं पता है। इस प्रकार शोध क्षेत्र के 71.40 प्रतिशत जनजातीय नागरिक यह मानते हैं, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। तथा 20.60 प्रतिशत जनजातीय नागरिक यह मानते हैं, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव नहीं है। जबकि शोध क्षेत्र के मात्र 8.00 प्रतिशत जनजातीय नागरिकों को जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध में कुछ नहीं पता है।

तालिका क्रमांक– 3.3
शोध क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन
(आधार–जनप्रतिनिधि साक्षात्कार अनुसूची)

क्र.	विकासखण्डों के नाम	न्यादर्श में चयनित जनप्रतिनिधियों की संख्या	जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का					
			अभाव है		अभाव नहीं है		नहीं पता	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सीधी	06	05	83.33	01	16.67	00	00.00
2.	सिहावल	06	05	83.33	01	16.67	00	00.00
3.	रामपुर नैकिन	06	05	83.33	01	16.67	00	00.00
4.	मझौली	06	05	83.33	00	00.00	01	16.67
5.	कुसमी	06	04	66.67	01	16.67.	01	16.67
	योग	**30**	**24**	**80.00**	**04**	**13.33**	**02**	**06.67**

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका क्रमांक–3.3 में शोध क्षेत्र सीधी जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से न्यादर्श में चयनित 06–06 अधिकारियों कुल 30 अधिकारियों से सात्कार के माध्यम से जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता की जानकारी संकलित की गयी है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक–3.3 के ऑकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित कुल 30 अधिकारियों में से 24 अधिकारी यह मानते हैं, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। तथा 04 अधिकारी ने यह माना है, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव नहीं है। जबकि 02 अधिकारी को जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध में कुछ नहीं पता है। इस प्रकार शोध क्षेत्र के 80.00 प्रतिशत अधिकारी यह मानते हैं, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। तथा 13.33 प्रतिशत अधिकारी यह मानते हैं, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। जबकि शोध क्षेत्र के मात्र 06.67 प्रतिशत अधिकारियों को जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध में कुछ नहीं पता है।

तालिका क्रमांक– 3.4

शोध क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन

(आधार–जनप्रतिनिधि साक्षात्कार अनुसूची)

क्र.	विकासखण्डों के नाम	न्यादर्श में चयनित जनप्रतिनिधियों की संख्या	जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का					
			अभाव है		अभाव नहीं है		नहीं पता	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सीधी	10	08	80.00	02	20.00	00	00.00
2.	सिहावल	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
3.	रामपुर नैकिन	10	07	70.00	03	30.00	00	00.00
4.	मझौली	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
5.	कुसमी	10	08	80.00	02	20.00	00	00.00
	योग	**50**	**37**	**74.00**	**11**	**22.00**	**02**	**04.00**

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका क्रमांक–3.4 में शोध क्षेत्र सीधी जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से न्यादर्श में चयनित 10–10 समाजसेवियों कुल 50 समाजसेवियों से साक्षात्कार के माध्यम से जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता की जानकारी संकलित की गयी है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक–3.4 के ऑकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित कुल 50 समाजसेवियों में से 37 समाजसेवी यह मानते हैं, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। तथा 11 समाजसेवी ने यह माना है, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव नहीं है। जबकि 02 समाजसेवी को जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध में कुछ नहीं पता है। इस प्रकार शोध क्षेत्र के 74.00 प्रतिशत समाजसेवी यह मानते है, कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव नहीं है। जबकि शोध क्षेत्र के मात्र 04.00 प्रतिशत समाजसेवी को जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध में कुछ नहीं पता है।

इस प्रकार तालिका क्रमांक –5.1, 5.2, 5.3, एवं 5.4 के विश्लेषण एवं व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र के 76.00 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों, 71.40 प्रतिशत जनजातीय नागरिकों, 80.00 प्रतिशत अधिकारियों

एवं 74.00 प्रतिशत समाजसेवियों का यह मानना है कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका सीधी।
2. शर्मा, डॉ. सत्य प्रकाश : प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता।
3. गुप्ता, बी.के. (2005)– महिला सशक्तीकरण का यथार्थ : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्ष, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, मुद्रक एवं प्रकाशक महेन्द्र जैन, आगरा, पृ. 890–899
4. डॉ. एस. अखिलेश (2012), रीवा दर्शन, बघेलखण्ड का सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा।
5. उप्रेती, हरिश्चन्द्र (2000)– भारतीय जनजातियाँ एवं विकास राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
6. तिवारी, शिवकुमार एवं श्री कमल शर्मा (2000)– मध्यप्रदेश की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
7. श्रीवास्तव, ए. आर.एन. (2002)– जनजातीय संस्कृति, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
8. निरगुणे, बसंत (2004)– आदिवर्त, मध्यप्रदेश की जनजातियाँ, महावीर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्दौर।
9. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (2011)– जनगणना रिपोर्ट, नई दिल्ली।
10. अग्निहोत्री, गुरू रामप्यारे : रीवा राज्य का इतिहास।
11. देशदर्शन–शिवबहोर, निर्भय, पड़ाव प्रकाशन, भोपाल।
12. लुनिया, बी.एन. : प्राचीन भारतीय संस्कृति।
13. त्रिपाठी, डॉ. रमा शंकर : प्राचीन भारत का इतिहास।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

कोविड-19 का स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(शहडोल जिले के विशेष सन्दर्भ में)

❐ श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव*
❐ राजीव कुमार श्रीवास्तव**

शोध सारांश

शिक्षा में दृश्यश्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिये टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूलों में इस्तेमाल किये जा रहे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर–तरीकों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। कोविड–19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये लागू किये गए लॉकडाउन के कारण स्कूली शिक्षा की शिक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। परिणामस्वरूप शिक्षा अब तेजी से ई–शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है। ई–शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। ई–शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। आज से जब कई वर्ष पहले ई–शिक्षा की अवधारणा आई थी, तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ ही ई–शिक्षा ने संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया है।

मुख्य शब्दः– कोविड–19, स्कूली शिक्षा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मोबाइल, ई–शिक्षा

प्रस्तावना–

जल्द आने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कोरोना के बाद की कई हकीकतों का सामना नहीं किया है, बल्कि कोरोना के बाद की स्कूली शिक्षा की तैयारी के लिए ढ़ोग बंद करो। महाभारत में कहते है उनसे सावधान रहो, जो कहते है कुछ। वे धृतराष्ट्र को ढ़ोगियों से बचने की सलाह दे रहे थे लेकिन वे भारतीय शिक्षा संस्थानों के बारे में कुछ में भी यह कह सकते थे, जिनका ढ़ोग झूठे मिथकों में निहित है। इस ढ़ोग को कोरोना के बाद की दुनिया मे चुनौती मिलेगी, जहॉ, केवल संक्षम और कुछ नया करने वाले ही बचेगें। दुर्भाग्य से जल्द आने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस हकीकत का सामना नही किया है।

हमारा एक मिथक यह है कि जनता के हित के लिए सरकार ही शिक्षा दे। इसलिए निजी स्कूलों को दो आधारों पर ही बर्दाश्त करना चाहिए। एक ढ़ोगपूर्ण झूठ

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र),शासकीय कन्या महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)
** शोध छात्र (पी.एच.डी.समाजशास्त्र), शासकीय कन्या महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

जो उन्हें फायदा कमाने से रोकता है दूसरा निजी स्कूल सही ढंग से चलें, इसलिए उन्हें लाइसेंस राज की जंजीरों में जकड़े रहना चाहिए। यह मिथक इस गलत धारणा पर आधारित है कि आधुनिक देशों में शिक्षा सरकार ही देती है। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन देशों में हुए शिक्षा सुधारों में निजी संस्थानों को बढ़ावा दिया है। इस मिथक के लिए भारत ने सरकारी स्कूलों पर भारी निवेश किया। लेकिन नतीजा दयनीय है। भारतीय बच्चें अंतरराष्ट्रीय पीआईएसए टेस्ट में 74 देशों में 73 वीं रैंक पर रहे। पांचवी कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे दूसारी कक्षा की किताब के जोड़ – घाटने के सवाल हल नही कर सकते। कुछ राज्यों मे 10 प्रतिशत शिक्षक ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है।

व्यक्ति में सामाजिक जीवन के लिए जरूरी गुण ठीक से विकसित होने चाहिए, शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समाज का कल्याण है, जो पहले लक्ष्य से ही जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति में सामाजिक जीवन के लिए जरूरी गुण सह–अस्तित्व, सामूहिकता एवं सहिष्णुता आदि ठीक से विकसित न हो पाएं तो समाज भौतिक स्तर पर भले संपन्न हो जाए, लेकिन उसमें अनेक विसंगितयाँ होंगी और जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देंगी। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य ज्ञान का विकास भी ऑनलाइन पद्धति में एक सीमा तक ही संभव है। उसमें पुस्तकीय–सैद्धांतिक ज्ञान तो हासिल होगा, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान से अपेक्षाकृत वंचित ही रहेंगे। कोरोना का स्कूली शिक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव अगर शिक्षा के स्तर पर देखे तो हम पाते हैं कि इसका प्रभाव शहरों की तुलना में ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर अधिक पड़ा है।

यह भी संभव है कि कोरोना संकट देश व राज्य की शिक्षा व्यवस्था में स्कूली शिक्षा प्रणाली के ढांचे को कुछ हद तक बदल दे और डिजिटल शिक्षा का स्वरूप ले ले, लेकिन यह कहना भी सही नही होगा कि यह सीखने और सिखाने की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। सरकार भले ही लॉकडाउन 2.0 के शुरू होने से पहले ही देश के कई भागों में डिजिटल तकनीकी जिसमें टीवी के माध्यम से, इंटरनेट आधारित ऑनलाइन माध्यम से तथा मोबाइल–आधारित डिजिटल शिक्षण माध्यम जैसे मॉडलो पर काम शुरू कर दिया हो लेकिन सच्चाई यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्र आज भी इन सुविधाओं से कोसो दूर है।

ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सुचारु करने हेतु सुझाव डबल्यूएचओ द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार, कोरोना वाइरस का संकट जल्दी जाने वाला नहीं है, अपितु हमे इसके साथ ही जीना सीखना होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब हमे इसके साथ ही जीना है तो क्यों न इस बीमारी के बचाव से संबन्धित सुरक्षा उपायों के प्रति ईमानदारी बरतते हुए जीना सीख लिया जाये। कोरोना संकट के इस दौर में बुरी तरह प्रभावित होने वाली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार व जनता दोनों को मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

शोध का उद्देश्य –

1. कोरोना का स्कूली शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लागना।

2. कोरोना के कारण स्कूल शिक्षा में आने वाली समास्यओं की जानकारी प्राप्त करना।

3. कोरोना का स्कूली शिक्षा में प्रभाव की भूमिका का पता लागना।

4. कोरोना एक वैश्विक महामारी है इसके प्रति आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है।

5. इस बीमारी के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना और चेहरे पर मॉस्क पहनने की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि इस बीमारी की आज दिनांक तक किसी प्रकार की बैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है।

6. यह एक खतरनाक बीमारी है जिससे सम्पूर्ण विश्व परेशानी के दौर से गुजर रहा है।

7. स्कूली शिक्षा का समाज में उपादेयता और प्रभावशीलता की जानकारी प्राप्त करना।

निदर्शन पद्धति :– अध्ययन को स्वरूप देने के लिए उद्देश्यपरक निर्देशन के अन्तर्गत शहडोल जिला का चयन किया गया। शहडोल जिला के शहरी इलाकों

में रह रहें लोगों का चयन निदर्शन के माध्यम से किया गया है।

शोध उपकरण –

प्रश्नावाली – अध्ययन को स्वरूप प्रदान करने के लिए शहडोल के शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों से प्रश्नावाली के माध्यम से उनकी राय और विचारों को जानने के प्रयास किया गया है। तथ्य संकलन के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। जिसके माध्यम से प्रतिभागियों के विचारों को भी शोध में शामिल किया गया है।

अनुसूची– कुछ प्रतिभागियों को प्रश्नावली समझने में समस्या होने के कारण, उनसे राय और विचार जानने के लिए प्रश्नावली का उपयोग यहाँ अनुसूची के रूप में भी किया गया है।

तथ्य विश्लेषण एवं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण –

प्रस्तुत शोध में अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। समाज में स्वच्छता अभियान की स्थिति, इसकी लोकप्रियता और कार्य पद्धति को केन्द्र में रखकर यह शोध कार्य किया गया है। तथ्यों और आंकड़ों को प्रश्नावली, अनूसूची के माध्यम से एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध शहडोल जिला क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों पर विशेष रूप से केन्द्रित है। अध्ययन में शिक्षक एवं अभिवावक नागरिकों को शामिल किया गया है। जिनमे विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है। तथ्य संकलन हेतु पचास से अधिक प्रश्नावली, अनुसूची को भरवाया गया है। लेकिन तथ्य विश्लेषण में पचास प्रतिभागियों के मतो को शामिल किया गया है। तथ्य संकलन का कार्य जून 2020 में किया गया है।

साक्षात्कार अनुसूची में कुल 05 प्रश्नो को शामिल किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त तथ्यों को अध्ययन हेतु केन्द्र में रखा गया है। साक्षात्कार अनुसूची में विकल्प के रूप मे हॉ, नही और पता नही को तथ्य संकलन हेतु आधार बनाया गया है। जो इस प्रकार है –

तालिका क्रमांक 1.

क्या आप आपने शहर के ओडीएफ की स्थिति के बारे में जानते हैं?

क्रमांक	नागरिक	न्यादर्शो की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	50	33	66
2	नही	50	12	24
3	पता नही	50	05	10
योग –		50	50	100

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि रीवा शहर के ओडीएफ की स्थिति के बारे में जानते है में कुल न्यादर्शो की संख्या 50 में से 33 (66 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा ओडीएफ के बारे में जानते है। 12 (24 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा के ओडीएफ की स्थिति के बारे में नही जानते है 05 (10 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा ज्ञात नही है। इस लिए यह कहा जा सकता है कि रीवा शहर शिक्षित होने के कारण ओडिएफ के में जानकारी रखते है।

तालिका क्रमांक 2.

क्या आपसे कूड़ा लेने आने वाला व्यक्ति हमेशा सूखा और गीला कूड़ा अलग – अलग करके देने के लिए कहता है?

क्रमांक	नागरिक	न्यादर्शो की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	50	35	70
2	नही	50	12	24
3	पता नही	50	03	06
योग –		50	50	100

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि रीवा शहर के कूड़ा लेने आने वाला व्यक्ति हमेशा सूखा और गीला कूड़ा अलग – अलग करके देने के लिए कहता है में कुल न्यादर्शो की संख्या 50 में से 35 (70 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा कूड़ा लेने आने वाला व्यक्ति हमेशा सूखा और गीला कूड़ा अलग – अलग करके देने के

लिए कहता है 12 (24 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा के कूड़ा लेने आने वाला व्यक्ति हमेशा सूखा और गीला कूड़ा अलग – अलग करके देने के लिए नही कहता है 03 (06 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा ज्ञात नही है। इस लिए यह कहा जा सकता है कि रीवा शहर के लोगों में जागरूकता होने के कारण कूड़ा लेने आने वाला व्यक्ति हमेशा सूखा और गीला कूड़ा अलग – अलग करके देने के लिए कहता है।

तालिका क्रमांक 3.

स्वच्छता अभियान के तहत कचरा परिवहन के लिये वाहन का प्रयोग किया जा रहा है?

क्रमांक	नागरिक	न्यादर्शो की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	50	40	80
2	नही	50	08	16
3	पता नही	50	02	04
योग –		50	50	100

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि रीवा शहर के स्वच्छता अभियान के तहत कचरा परिवहन के लिये वाहन का प्रयोग किया जा रहा है में कुल न्यादर्शो की संख्या 50 में से 40 (80 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा स्वच्छता अभियान के तहत कचरा परिवहन के लिये वाहन का प्रयोग किया जा रहा है 08 (16 प्रतिशत) स्वच्छता अभियान के तहत कचरा परिवहन के लिये वाहन का प्रयोग नही किया जा रहा है 02 (04 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा ज्ञात नही है। इस लिए यह कहा जा सकता है कि रीवा शहर के लोगों में जागरूकता होने के कारण स्वच्छता अभियान के तहत कचरा परिवहन के लिये वाहन का प्रयोग किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 4.

क्या आप कोरोना बायरस के बारे में जानते हैं ?

क्रमांक	नागरिक	न्यादर्शो की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	50	27	54
2	नही	50	16	32
3	पता नही	50	07	14
योग –		50	50	100

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है रीवा शहर में कोरोना बायरस के बारे मे जानते है में कुल न्यादर्शो की संख्या 50 में 27 (54 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा कोरोना बायरस के बारे में जानते है। 16(32 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा कोरोना बायरस के बारे में नही जानते है। 07(14 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा ज्ञात नही है। इससे स्पष्ट होता है कि रीवा शहर के लोग कोरोना महामारी के बारे में जानते है।

तालिका क्रमांक 5.

कोरोना वायरस (कोबिट–19) किस बीमारी से सम्बन्धित है?

क्रमांक	नागरिक	न्यादर्शो की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	वायरस	50	25	50
2	फ्लू	50	18	36
3	पता नही	50	7	14
योग –		50	50	100

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कोरोना वायरस किस बीमारी से सम्बन्धित है मे कुल न्यादर्शो की संख्या 50 में से 25 (50 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा कोरोना (कोबिट–19) किस बीमारी से सम्बन्धित है के बारे मे जानते है। 18(36 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा कोरोना कोबिट–19) किस बीमारी से सम्बन्धित है के बारे में नही जानते है। 07(14 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा ज्ञात नही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि रीवा शहर के नागरिकों में कोरोना किस बीमारी से सम्बन्धित है के बारे में जानकारी है।

निष्कर्ष – प्राप्त तथ्यों के अनुसार 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि आपने शहर के ओडीएफ की स्थिति के बारे में जानकारी है। 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कूड़ा लेने आने वाला व्यक्ति हमेशा सूखा और गीला कूड़ा अलग – अलग करके देने के लिए कहता है। 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वच्छता अभियान के तहत कचरा परिवहन के लिये बहन का प्रयोग किया जाता है। 54 प्रतिशत उत्तरदाता कोरोना वायरस के बारे में जानते

है। 50 प्रतिशत नागरिकों का मानना है कि कोरोना वायरस (कोबिट–19) किस बीमारी से सम्बन्धित है के बारे में जानते है।

सुझाव –

1. स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों की भागीदारी और जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।
2. कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग करना आवश्यक है।
3. कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्वच्छता आवश्यक है।
4. स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए सरकार की भागीदारी होना आवश्यक है।
5. स्वच्छता अभियान को सफल बानने के लिए मिडिया को जोडने की आवश्यकता है।
6. स्वच्छता अभियान चला कर शहर के लोगों को जोड़ने की चाहिए।
7. स्वच्छता अभियान जन जागरूकता फैलाने के लिए शार्ट फिल्म पोस्टर वैनर चित्र आदि दिखाकर शहर के लोगों को अपने आस – पास साफ स्वच्छ रखने का सन्देश देने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. योजना अक्टूबर 2019
2. कुरुक्षेत्र जनवरी 2020
3. दैनिक जागरण रीवा माह मार्च 25.03.2020 से 15 मई 2020
4. दैनिक भास्कर रीवा माह मार्च 30.03.2020 से 18 मई 2020
5. दैनिक पत्रिका रीवा माह मार्च 19.03.2020 से 22 मई 2020
6. माया पत्रिका माह मार्च 2020

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रीवा जिले के संग्राम सेनानियों का योगदान

❑ रश्मि सिंह चौहान*

शोध सारांश

भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजों के आत्याचारपूर्ण शासन को समाप्त करने के लिए सन् 1857 में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम प्रारम्भ हुआ था। इसकी शुरूआत मेरठ और दिल्ली से हुआ और देखते ही देखते विप्लव की उन्नत तरंगों से सम्पूर्ण भारत आप्लवित हो गया जिससे रीवा जिला भी अछूता नहीं रहा। रीवा जिले में विद्रोह का स्वरूप यहाँ की स्थिति एवं परिस्थितियों के अनुसार ब्रिटिश भारत से कुछ भिन्न अवश्य था। इस क्रांति में ठाकुर रणमत सिंह ने अपने साथियों सहित नागौद, भिल्लसांय, बाँदा, नौगाँव, बरौंधा, चित्रकूट, डभौरा और क्योंटी में अंग्रेजों से लोहा लिया था। ठाकुर रणमत सिंह के साथियों में पंजाब सिंह, धीर सिंह प्रमुख क्रान्तिकारी थे। रणमत सिंह, श्यामशाह, धीर सिंह, पंजाब सिंह, विद्रोह काल में सम्पक्र बनाए हुए थे। यहाँ तक एक दूसरे को वित्तीय सहायता एवं अन्य निर्देश अधिकांशतः धीर सिंह के माध्यम से ही विद्रोहियों तक पहुंचती थी। यहाँ तक सैन्य गतिविधियों का प्रश्न है। तो पंजाब सिंह तथा धीर सिंह ने नागौद, निम्ब, दिगराहट, सरभंगा क्षेत्र में क्रांति की बागडोर संभाली तथा क्रान्तिकारियों को सहयोग प्रदान किया।

मुख्य शब्द :–क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम, नागौद, बांदा, बरौंध, चित्रकूट बिटिश वित्तीय आदि।

प्रस्तावना :–

सन् 1857 की क्रांति की शुरूआत अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे अत्याचार तथा उनकी साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध हुआ था। क्रांति की शुरूआत मेरठ की छावनी से हुआ क्रांति का जनक मंगल पाण्डे थे। सन् 1856 ई. के अंत में सैनिकों को पुराने 'स्मूथ वोट मस्केट के स्थान पर नई 'एनफील्ड रायफल' प्रयोग करने का आदेश दिया गया इस करतूस में जिसका प्रयोग किया जा रहा था वह गाय तथा सुअर की चर्बी थी। इसका प्रयोग राइफल के अन्दर आसानी के भरा जा सके। सेना के अधिकारियों के आदेश के अनुसार सैनिकों को करतूस के दोनों सिरों को दाँतों से काटकर उसे भरना पड़ता था। यह क्रिया हिन्दू तथा मुसलमान के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध थी।[1]

10 मई 1857 ई. में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली

* अवधेश प्रताप सिंह विशविद्यालय कैम्पस, रीवा (म.प्र.)

चलाई। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 ई. को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया बहादुरशाह द्वारा नेतृत्व स्वीकार करने के कारण ऐसे सब लोगों के लिए एकत्र होने के लिए एक केन्द्र बिन्दु मिल गया जो ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना चाहते थे।

इतिहासकारों में सन् 1857 ई. की क्रांति के स्वरूप के विषय में मतभेद रहा है। अंग्रेजों ने इस संग्राम को ''पूर्णतया सिपाही'' विद्रोह सामन्तवादी प्रतिक्रिया हिन्दू–मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी है, जब कि भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आन्दोलन स्वीकार करते हैं जो भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ा गया।

धीर सिंह :–

धीर सिंह का जन्म 1820 ई. में रीवा राज्यान्तर्गत ग्राम कछिया टोला में हुआ था।[2] एक बार रीवा महाराजा विश्वनाथ सिंह (1833–54 ई.) की जानकारी के बिना युवराज ने किसी ऋण को माफ कर दिया। इस पर महाराजा ने युवराज के आदेश को निरस्त कर दिया था। जिस पर उन्होंने महाराजा के प्रतिकूल रवैया अख्तियार कर लिया। महाराजा विश्वनाथ सिंह के वैसाख 4 संवत 1894 के आदेशानुसार इन्हें नौकरी से निकाल कर राज्य के बाहर कर दिया गया और इनकी सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई।[3] रीवा राज्य से बाहर निकाले जाने के बाद धीर सिंह लाहौर चला गया, जहाँ उसने पंजाब नरेश रणजीत सिंह के यहाँ नौकरी कर ली। उस समय उसकी आयु 17 वर्ष की थी। कुछ समय पश्चात् गवर्नर जनरल द्वारा मध्यस्थता करने पर धीर सिंह तथा अन्य साथियों को रीवा वापस बुला लिया गया। तथा संबंध अच्छे बनाने के लिये जब युवराज रघुराज सिंह गद्दी पर बैठे तो उन्होंने धीर सिंह को सौ– रूपया मासिक वेतन पर न्यायाधीश नियुक्त किया।[4]

रीवा नगर में विद्रोही गतितिधियाँ तेजी से बढ़ रही थी। 8 अक्टूबर 1857 को प्रातः काल विद्रोहियों ने पोलिटिकल एजेन्ट पर आक्रमण करने का प्रयास किया। धीर सिंह और भगवन्त सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोही काफी उत्तेजित होने लगे। एजेन्ट यह माजरा देखकर घबरा गया। उसने तत्काल अपनी सुरक्षा के लिए सौ आदमियों की व्यवस्था की। कुछ विद्रोहियों ने एजेण्ट के बंगले पर धावा बोलने का प्रयास किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एजेण्ट उनका सामना करने के लिए तैयार है तो वे कुछ समय के लिये वही रूके रहे। कुछ समय बाद वे बंगले पर झपटे और वहाँ से वे पचासवी पलटन का एक सिपाही अपने साथ पकड़ लाये। बाद में इन बिद्रोहियों ने पचासवीं पलटन के उस आदमी को मुक्त कर दिया।[5]

धीर सिंह, रीवा महाराज रघुराज सिंह और अन्य विद्रोहियों के मध्य कड़ी का काम करते थे। धीर सिंह का सीधा सम्पक्र महाराजा रीवा से था और अनेक मामलों में रीवा राज्य के अन्य सरदारों को, दिवान लक्ष्मण सिंह के माध्यम से धीर सिंह का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, सहयोग प्राप्त था। लाल छतर सिंह जो विद्रोही फौज का सूबेदार जनरल था, वह भी धीर सिंह के माध्यम से ही वित्तीय तथा आदमियों की सहायता प्राप्त करता था। पंजाब सिंह श्यामशाह सिंह भी धीर सिंह के सम्पक्र में थे और उनसे सहायता पाते थे।

तात्याटोपे के चरखारी अभियान में लाल छतर सिंह तथा पंजाब सिंह अपनी फोर्स के साथ उनका सहयोग कर रहे थे। तात्या टोपे ने धीर सिंह को अपने 2 फरवरी 1858 के पत्र लिखा है कि ''आपने पंजाब सिंह के मार्फत मेरे लिये पत्र भेजा। वह मुझे मिल गया, आप तुरन्त ही यहाँ चले आइए।''[6] लेकिन बघेलखण्ड की अशांतमय परिस्थिति और जबलपुर एवं सागर की ओर से रीवा आने वाली ब्रिटिश फोर्स को रोकने के लिये धीर सिंह को टोंस नदी के पश्चिमी क्षेत्र में रूकना जरूरी हो गया जिसके कारण वह तात्याटोपे के बुलाने के बावजूद भी चरखारी नहीं जा सका।[7]

चरखारी पर विजय की जानकारी देने के लिये पंजाब सिंह ने अपने 9 फरवरी 1858 के पत्र में धीर सिंह को लिखा है।[8] हमारी फोर्स का कमाण्डिंग अफसर

छतर सिंह है। चरखारी राज्य के प्रक्षेत्रों एवं किला को ले लिया है, केवल चरखारी नगर लेना शेष है जो 15 दिन में लिया जावेगा। आप वहाँ रहकर जो भी कार्य कर रहे है, उससे भी छतर सिंह तथा तात्या–टोपे को आप पत्र लिखकर अवगत कराते रहिये। जहाँ तक आदमियों का सवाल है या रेजीमेण्ट चाहिए तो आप इसकी माँग रणमत सिंह से कीजिये क्यों कि एक रेजीमेण्ट रणमत सिंह की सहायता के लिये आ रही है। ''पंजाब सिंह बार–बार धीर सिंह को आने के लिए जोर दे रहा था।'' वह आगे लिखता है– ''आप इधर अवश्य पधारें और आने पर आपको सब बाते मालूम हो जायेगी। आपके आने की जोरदार प्रतीक्षा है, यहाँ सब प्रबन्ध कर लिया गया है। ईश्वर की कृपा से सभी कुछ आपके पक्ष में बदल जायेगा।''

फर्रूखाबाद का नवाब पलायन करने के बाद अब वापस भी आ गया है। उसने यूरोपियों को परास्त करके सिंहासन पर पुनः अधिकार कर लिया है। चरखारी विजय में तात्या टोपे को सत्रह तोपे तथा बहुत से शस्त्रास्त्र मिले है। राजा के दो सौ आदमियों ने उनका साथ छोड़ दिया है और हमसे आ मिले हैं। लेकिन हमारे सिपाही उन्हें अंगीकार नहीं कर रहे हैं। सागर से यादि एजेण्ट आपसे मुलाकात करने आवे तो आप उससे कतई मुलाकात न करे, वह आपको धोखा देगा। अप्रैल 1858 हमारे पास बहुत से नयी भरती के आदमी है, सभी काबुली तथा विलायती है।[9]

तात्या टोपे का इरादा पन्ना पर आक्रमण करने का था। ह्यूरोज की सागर से झाँसी की ओर बढ़ने की खबर से तात्या टोपे को पूर्व निर्धारित पन्ना आने का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा और वह झाँसी की ओर मुड़ गया। 1858 में तात्या टोपे झाँसी, कोंच, जालौन, में था। बक्सी माधव राव ने कामता प्रसाद के हाथ से 5 अप्रैल 1858 के पत्र में धीर सिंह को लिखा कि जैसे बल्देव पंडित कोंच से लौटेगा उसे धीर सिंह के पास भेज दिया जायेगा।[10]

अप्रैल मई माह में भारी अशांति व्याप्त थी। अतएव एजेण्ट को दक्षिण से (कामटी से) ब्रिटिश फोर्स मंगाने हेतु लिखना पड़ा, तदनुसार फोर्स भी रीवा के लिये चल दी। इस सिलसिले में तात्या टोपे ने धीर सिंह को अपने 9 अप्रैल के पत्र में लिखा कि ''आपने अब तक अच्छा काम किया है आप गुरून्दों से बनबैगा जावें। अगले दिन आप वहाँ से बाँधवगढ़ के समाचार भेजिए। आपके पास इस समय 14000 सशस्त्र आदमी है। इन्हें आप रीवा ले जाइये''।[11]

धीर सिंह तो नागौद, निम्ब तथा दिगराहट आदि स्थानों पर पड़ाव डाले था और विद्रोह का संचालन कर रहा था। लेकिन रीवा की स्थिति तो निरंतर बिगड़ती जा रही थी अतः दीवान लक्ष्मण सिंह को लिखा :–

''आप तुरंत ही चले आवें। प्रस्थान करने के चार दिन पूर्ण मुझे बता दे ताकि आपको मैं दो हजार रूपये की व्यवस्था कर सकूँ और तात्या टोपे, पंजाब सिंह तथा छतर सिंह एवं नाना पेशवा के लिये आपको पत्र भी दे सकूँ। वे लोग किसी दल से बँधे हुए नहीं है। अभी तक हमारी फोर्स (रीवा फोर्स) यहाँ से नागौद नहीं गई है। लेकिन फोर्स को नागौद भेजने का निश्चय कर लिया है। तथा यह फोर्स नहीं रहेगी। जब यह फोर्स वहाँ जायेगी तो क्या आप उसे अपने पास नहीं बुला सकते। जहाँ तक और जितना हो सके हमें आपकी सहायता की जरूरत है। जब फोर्स (नाना पेशवा की फोर्स) पन्ना आ जाती है। तो आप अपनी फोर्स नागौद भेज दीजिये।[12]

रणमत सिंह ब्रिटिश उबारीदारों के गाँवों के लूटने में नहीं हिचकता था। उसकी फरियाद कौन करे और कहाँ करे जिससे रणमत सिंह को समझाया जा सके। ऐसे ही एक उबारीदार शिव सिंह ने रणमत सिंह की लूट–पाट के विषय में धीर सिंह को 9, 10, और 17 जुलाई के अपने पत्रों में लिखा–रणमत सिंह हमारे उबारी के गाँवों को लूट रहा है। और आप मौके पर मौजूद होते हुए भी उसे (रणमत सिंह) गाँव लूटने की अनुमति देते रहे।[13]

पंजाब सिंह ने बरगाह को लूटा जिसकी सूचना ठाकुर सिंह ने धीर सिंह को अपनी पहली अगस्त–1858

की चिट्ठी में दी और कहा कि ''आपके आदेशानुसार मैं जल्द ही आपके पास आऊँगा। यदि मेरे पास चार सौ आदमी हो जाबे तो मैं दो हजार से चार हजार रूपया तक की बरगाह ही में व्यवस्था कर सकता हूँ। मैं तो बस यह जानता हूँ कि शत्रुओं को सुचारू या स्वयं मर जाऊँ।

अगस्त 1858 के अंत तक अनेक विद्रोही मारे जा चुके थे और अनेक भाग भी गये थे। धीर सिंह पर जब दबाव अधिक पड़ने लगा तो उसने अपना भेष बदला अपनी दाढ़ी मूँछ भी करा ली।[14] बाद में भागकर जोधपुर चला गया और वहाँ साधू के भेष में रहने लगा।[15]

उपर्यक्त तथ्यों की विवेचना से स्पष्ट होता है। कि रणमत सिंह, श्यामशाह, धीर सिंह, पंजाब सिंह विद्रोह काल में सम्पक्र बनाए हुए थे। यहाँ तक एक दूसरे को वित्तीय सहायता एवं अन्य निर्देश अधिकाशतः धीर सिंह के माध्यम से ही विद्रोहियों तक पहुँचती थी। जहाँ तक सैन्य गतिविधियों का प्रश्न है तो धीरसिंह, नागौद, निम्ब दिगराहट और संरभंगा क्षेत्र में रणमत सिंह और पंजाब सिंह को विद्रोही गतिविधियों में सहयोग दे रहे थे।

पंजाब सिंह :–

पंजाब सिंह मझियार (जिला रीवा) के रहने वाले थे। 1857 के महान विद्रोह के समय ये रीवा महाराजा रघुराज सिंह के यहाँ नौकरी में थे। आसवर्न द्वारा तेलंगाना के ब्राहम्ण की गिरफ्तारी का विरोध पंजाब सिंह ने भी किया था। अतः इन्हें भी आसवर्न के कहने पर रीवा राज्य की सेवा से पृथक कर दिया गया।

तात्याटोपे के चरखारी (जिला बौदा) अभियान के समय पंजाब सिंह भी तात्याटापे के साथ था। पंजाब सिंह तात्याटोपे एवं अन्य बागी बघेला सरदारों के मध्य सम्पक्र सूत्र थे। यह धीर सिंह को तात्याटोपे के लिखे फाल्गुन नदी संवत् 1914 के पत्र से भी स्पष्ट होता है। पत्र में तात्याटोपे ने लिखा ''आपने पंजाब सिंह की मारफत मेरे लिये पत्र भेजा। वह मुझे मिल गया, आप ही यहाँ चले आइये।''[16]

पंजाब सिंह ने फिर से पहली मार्च 1858 को चरखारी मुकाम से धीर सिंह को लिखा ''कामता प्रसाद यहाँ आ गये हैं लेकिन रूपया नहीं लाये। आप किसी अन्य व्यक्ति के हाँथ से रूपया भेज दीजिये। बाँदा नवाब को भी यहाँ से लिखा है। आप भी उसे लिख दीजिये।''

चरखारी विजय में तात्यटोपे को सत्रह तोपें तथा बहुत से शस्त्रास्त्र मिले हैं । राजा के दो सौ आदमियों ने उसका साथ छोड़ दिया है। और हमसे आ मिलें। लेकिन हमारे सिपाही उन्हें अंगीकार नहीं कर रहे हैं। सागर से यदि एजेन्ट आप से मुलाकात करने आवे तो आप उससे मुलाकात कतई न करें। वह आपको धोखा देगा।

विजयराघवगढ़ का राजा सरजू प्रसाद भी तात्या टोपे तथा पंजाब सिंह के सम्पक्र में था। सरजू प्रसाद ने अपने 21 मार्च 1858 के पत्र में पंजाब सिंह को लिखा कि ''आप तात्या टोपे से अवश्य मुलाकात करें तथा उन्हें पन्ना आने के लिये आमंत्रित करें।''[17]

चरखारी अभियान में रीवा राज्य के दो प्रमुख विद्रोही सरदार लाल छतर सिंह तथा पंजाब सिंह तात्याटोपे का मय फोर्स साथ दे रहे थे जबलपुर तथा सागर की ओर से आने वाली ब्रिटिश फोर्स की रीवा आने से रोकने के लिए धीर सिंह नागौद के आस–पास अपनी फोर्स के साथ डटा हुआ था। चरखारी विजय के बाद तात्याटोपे पन्ना पर आक्रमण की योजना बना रहा था।

मई 1858 में पंजाब सिंह तात्याटोपे के साथ कोंच कालपी के अभियान में शरीक था उसने धीर सिंह से सिपाही माँगे। धीर सिंह ने अपने पहली मई 1858 के पत्र में पंजाब सिंह को बताया कि उसने पैदल सिपाही भेज दिये हैं और वह स्वयं भी आवेगा।[18]

रीवा नगर में फिर से अशांति का वातावरण पनपने लगा और इसलिये ब्रिटिश फोर्स को रीवा बुलाना पड़ा। इधर विद्रोहियों ने भी फोर्स मांगने का प्रयास किया। रीवा के विद्रोही सरदार धीर सिंह तथा पंजाब सिंह ने अवध के कमाण्डिंग जनरल राणा बेगी

माधव दिलावर जंग ने धीर सिंह तथा पंजाब सिंह को 30 जुन 1858 को लिखा कि वह उस समय तोपें भेजने में असमर्थ है। क्योंकि तोपें तो युद्ध के समय लखनऊ ही छूट गईं थी।[19]

विद्रोहियों को धन एकत्रित करने के लिये लूट पाट भी करनी पड़ती थी । पंजाब सिंह भी लूटमार में लगा हुआ था और उसने सोहाबल के गाँवों को लूटा। जब कि सोहाबल का उबारीदार विद्रोहियों की मद्द में अपरोक्ष रूप से जुटा था। पंजाब सिंह को उसकी मानक नहीं थी। अतः धीर सिंह ने अपने 17 जुलाई 1858 के पत्र में पंजाब सिंह को लिखा कि सोहाबल को न लूटे।[20]

जैंसिल नामक स्थान भी विद्रोहियों के आतंक से प्रभावित था इलाहाबाद के अधिकारियों को उसकी सुरक्षा की चिन्ता सता रही थी । अतः इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट ने 3 सितम्बर 1858 को कमिश्नर ब्रुसवे को लिखा कि ''वह पच्चीस सवार यहाँ भेज देवें क्योंकि दिन बढ़ते ही जा रहे हैं तथा उन्होने एक ऊँची पहाड़ी के मैदान पर अपना पड़ाव भी डाल दिया है।'' इलाहाबाद का मजिस्ट्रेट अपने मेमो में यह भी बताया है कि ''कैप्टन डेनली के पास साठ सिपाही हैं जो परिस्थिति को देखते हुये अपर्याप्त है तब भी मैने उसे निर्देश दिये है कि वह अगले दिन अपने सिपाहियों के साथ विद्रोहियों को भगाने के वास्ते मार्च करे।''[21]

पश्चिमोत्तर प्रान्त, बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड में विद्रोह जून जुलाई 1857 से ही शुरू हो गया था। रीवा राज्य के चाकोरी, चामो, गढ़ी आदि गाँवों में उस समय तगड़ा विद्रोह हुआ। पंजाब सिंह के आने से विद्रोही और भी सक्रिय हो गये। जब पंजाब सिंह चरखारी कालपी से इधर आया तो उसे रनजोर सिंह के पुत्र हनुमंत सिंह आदि का भी सहयोग मिला।[22]

कैप्टन ग्रिफिन्स के आधीन ब्रिटिश फोर्स विद्रोहियों के पीछे भेजी गई। उसने मऊ (मऊगंज) से तोपें ली और अपनी फोर्स के साथ डभौरा की ओर चल दिया जहाँ कि पंजाब सिंह तथा अन्य विद्रोही दलों का जमाव था। डभौरा पहुँचने से ब्रिटिश फोर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्यों कि पिछले दिनों काफी वर्षा हो जाने से मार्ग खराब हो गया था और घाटी को पार करना दूभर हो रहा था। पंजाब सिंह के आतंक के बावत् 23 सितम्बर 1858 की रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत होता है, कि आस–पास के बीस मील तक गाँवों में कोई भी प्रमुख आदमी नहीं था। अतः ब्रिटिश फोर्स के कैप्टन ग्रिफिन्स ने बरगढ़ में अपनी फोर्स में 100 आदमियों की और भरती की। यहाँ की सुरक्षा के लिये दिल्ली के मुखपत सिंह मुख्तयार को तैयार कर दिया गया और उसके कमान में एक तोपे भी दे दी तथा उसे आवश्यक निर्देश दिये गये कि विद्रोहियों के हमला हो जाने की स्थिति में उसे क्या होगा। ग्रिफिन्स ने रीवा राज्य के कमान्डेन्ट तरूवर सिंह, जो सेडरा में मुनीम था को निर्देश दिया कि वह भी विद्रोहियों को जहाँ कही हो पकड़े। इसी के साथ डभौरा के मुख्तयार सिंह के बावत कहा जाता है। कि वह तो नापाक इरादे वाले जमीदारों को अपने यहाँ पनाह देता है।''[23]

बाद में पंजाब सिंह को भागलपुर में गिरफ्तार कर लिया गया तथा बाँदा भेज दिया गया। करबी में इनके विरूद्ध आरोपों की जाँच पड़ताल की गई किन्तु आरोप सिद्ध न होने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया।[24]

निष्कर्ष :– उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रीवा राज्य में भी ब्रिटिश ग्रहण लग गया था जिससे इस राज्य की प्रजा अत्यन्त पीड़ित और व्यथित थी। इसलिए यहाँ की जनता में शासन के प्रति घोर असंतोष व्याप्त था। ऐसे में यहाँ के वीर सपूतों ने अपनी मातृभूमि को मुक्त करवाने के लिए स्वतन्त्रता संग्राम में तन, मन, धन निष्काम भाव से समर्पित किया। आजादी की यह लड़ाई पंजाब सिंह तथा धीर सिंह के बिना पूर्ण नहीं हो सकती थी।

संदर्भ स्रोत :–

1. रामगोपाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, पृष्ठ 7

2. ए. एच. निजामी (का लेख) कामेमोरेशन नाल्यूम आफ डॉ. रघुबीर सिंह, पृ. 433–34

3. रीवा के पोलिटिकल एजेन्ट का उर्दू खरीताा पारिशिएट नं.

4. ए. एच. निजामी (का लेख): कामोमेरेशन ऑफ डॉ. रघुबीर सिंह, पृ. 433–34

5. राष्ट्रीय अभिलेखागारः कन्सलटेशन 217 दिनाँक 30.10. 1857 सीक्रेट नई दिल्ली, पोलिटिकल एजेन्ट रीवा का भारत के लिए पत्र संख्या 1013, दिनाँक 11.10.1957 एवं पॉलिटिकल प्रेसीडिग्ज दिनांक 30.12.1959

6. राष्ट्रीय अभिलेखागर : पोलिटिकल कंसलटेशन 1236–57 दिनाँक 30.12.1859 नई दिल्ली पोलिटिकल एजेन्ट रीवा का

7. प्रो. ए. एच. निजामी को लेख : कामेमोरेशन नाल्यूम ऑफ महाराज कोमार डॉ. रघुवीर सिंह, पृ. 432–33

8. राष्ट्रीय अभिलेखागार : सीक्रेट प्रोसीडिंग्ज 27.11. 1857 प्रयाग भाग, अनुक्रमांक 152, पोलिटिकल एजेन्ट रीवा की ओर से भारत सरकार के लिये पत्र संख्या 1029 दिनाँक 16.10.1857

9. राष्ट्रीय अभिलेखागार : सीक्रेट प्रोसीडिंग्ज 25.09. 1857 प्रथम भाग, अनुक्रमांक 300 पोलिटिकल एजेन्ट रीवा का भारत के लिये पत्र

10. राष्ट्रीय अभिलेखागार : पोलिटिकल कंसलटेशन 59 दिनाँक 12.11.1858 पोलिटिकल एजेन्ट रीवा का भारत सरकार के लिये पत्र संख्या 1472 दिनाँक 21.09.1858

11. राष्ट्रीय अभिलेखागारःकंसलटेशन 19 दिनाँक 04. 06.1851 लेटर्स टू दी कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स क्रमांक 20.33

12. राष्ट्रीय अभिलेखागारःकंसलटेशन 17 दिनाँक 02. 06.1859 लेटर्स टू दी कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स, क्रमांक–19

13. राष्ट्रीय अभिलेखागार : पोलिटिकल प्रोसीडिंग्ज 30.12.1859, अनुक्रमांक 1236 कमिश्नर इलाहाबाद का पश्चिमोत्तर प्रान्त सरकार के लिये पत्र दिनाँक 15.09.58 के संलग्न शिव सिंह का धीर सिंह के लिये पत्र दिनाँक 09.10, एवं 17 जुलाई 1858

14. बरगढ़ :– इलाहाबाद सतना रेल्वे लाइन पर स्थित एक स्टेशन है जो इलाहाबाद से लगभग 30 मील दक्षिण है।

15. रहमान अली :–तवारीख–ए–बघेलखण्ड, पृ. 155

16. राष्ट्रीय अभिलेखागार : पॉलिटिकल प्रोसीडिगज 30. 12. 1859, अनुक्रमांक 1236, कमिश्नर इलाहाबाद का पश्चिमोत्तर प्रान्त सरकार के लिये पत्र दिनाँक 15. 09. 58 के संलग्न तात्या टोपे का धीर सिंह के लिये पत्र दिनाँक 02. 02. 1858

17. राष्ट्रीय अभिलेखागार : पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्ज 30.12.1859 अनुक्रमांक 1236, कमिश्नर इलाहाबाद का पश्चिमोत्तर प्रान्त सरकार के लिये पत्र दिनाँक 15. 09. 1858 के संलग्न राजा सरजू प्रसाद का पंजाब सिंह के लिये पत्र दिनाँक 21. 03. 1858

18. राष्ट्रीय अभिलेखागार : पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्ज 30. 12. 1859, अनुक्रमाँक 1236, कमिश्नर इलाहाबाद का पश्चिमोत्तर प्रान्त सरकार के लिये पत्र दिनाँक 15. 09. 1858 के सलंग्न सिंह का पंजाब सिंह के लिये पत्र दिनाँक 01. 05. 1858

19. राष्ट्रीय अभिलेखागार : पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्ज 30. 12. 1859, अनुक्रमाँक 412 इलाहाबाद का पश्चिमोत्तर प्रान्त सरकार के लिये पत्र दिनाँक 15.09.1858 के संलग्न राजा बेनी माधव दिलावर जंग का धीर सिंह, पंजाब सिंह के नाम पत्र दिनाँक 30.06.1858

20. राष्ट्रीय अभिलेखागार : पालिटिकल प्रोसीडिंग्ज 30.12.1858 अनुक्रमांक 1236, कमिश्नर इलाहाबाद का पश्चिमोत्तर प्रान्त सरकार के लिये पत्र दिनाँक 15.09.1858 के संलग्न धीर सिंह का पंजाब सिंह के लिये पत्र दिनाँक 17.07.1858

21. राष्ट्रीय अभिलेखागार : पालिटिकल कन्सलटेशन 284, दिनाँक 03.09.1858, मजिस्ट्रेट इलाहाबाद का कमिश्नर चौथा संभाग के लिये मेमो

22. राष्ट्रीय अभिलेखागार : कन्सलटेशन 16–17 दिनाँक 01.10.1859 पश्चिमोत्तर प्रान्त सरकार का पत्र क्र. 360, दिनाँक 03.09.1858

23. राष्ट्रीय अभिलेखागार : कन्सलटेशन 36 दिनाँक 29.10.1858, सीक्रेट आकेट नं. 2173 कमिश्नर चौथा संभाग का पश्चिमोत्तर प्रान्त सरकार के लिये पत्र दिनाँक 01.10. 1858

24. मौलवी रहमान अली तवारीख ए बघेलखण्ड पृष्ठ 155 प्रो. ए. एच. निजामी के पास उपलब्ध कागजातों से ज्ञात होता है कि पंजाब सिंह के भागलपुर (बिहार) पहुँचने की खबर अंग्रेजों को मिली। लेकिन पंजाब सिंह उनके हाथ नहीं लगा और गायब हो गया।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

गोंड जनजातियों की सामाजिक एवं भौगोलिक समस्याएँ

(सिंगरौली जिले के विशेष संदर्भ में)

❒ डॉ. आर.पी. सिंह*
❒ श्याम लाल साकेत**

शोध सारांश

भारतीय जनजातियों में गोड़ जनजाति का नाम अपने स्वतंत्र अस्तिव के कारण अत्यन्त महत्व का है। भारतीय सामाजिक संरचना को समझने के लिए गोड़ जनजाति के सामाजिक समस्याएँ, भौगोलिक, आर्थिक घटक को समझने अपरिहार्य ही नही बल्कि आज के संदर्भ में आवश्यक है। मूल रूप से समाजिक अवधारणा का आधार जाति व्यवस्था को माना गया है जाति समूह में अपितु अस्तित्व को ऊँचा उठाने या किसी ऊँची जाति के समान प्रतिष्ठा प्राप्ति करने की दृष्टि से उच्च जातियों में जीवन के तरीके अपनाने की प्रवृत्ति पायी जाती है, वस्तुतः यह प्रक्रिया भारतीय समाजिक संरचना में परिवर्तन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया मानी गयी है। तथा भारतीय समाजिक संरचना में जाति की गतिशीलता को समझने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

मुख्य शब्द– गोड़ जनजातीय समाजीकरण, जीवन शैली, आधुनिकता, भौगोलिक, गतिशीलता।

प्रस्तावनाः–

गोड़ जनजाति में सामाजिक गतिशीलता विद्यमान है, जिसके लिए प्रोत्साहन मूलक तत्व अन्य गैर जनजाति समाजो द्वारा ग्रहण किये जाते है ये प्रोत्साहन तत्व आधुनिक शक्तियों तथा उद्योगिकीकरण, नगरीकररण, शिक्षा, धन का महत्व, राजनैतिक आन्दोलन, महिला सशक्तीकरण, सरकारी कानून आदि की क्रियाशीलता के कारण जाति प्रथा में परिवर्तन मूलक आयम स्वतः ही विद्यमान हो जाते है। इसलिए गोड़ जनजाति के लोगों में धीरे–धीरे अपने से उच्च की स्थिति को प्राप्त कर आधुनिक जीवन यापन के ढंग को ग्रहण कर लेते है। प्रस्तुत शोध आलेख में मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिलें की गोड़ जनजाति में समाजीकरण का परीक्षण कर उनके जीवन शैली में हुए परिवर्तन को विश्लेषित किया गया है। यहाँ कि गोड़ जनजाति आधुनिक जीवनशैली को अपनाकर स्वयं को उच्च जातियों के समान अपनों को परमार्जिक किया है।

अवधारणात्मक विवेचना– भारत की सामाजिक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को जानना एवं समझना सामाजशास्त्री शोध का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है।

* सहायक प्राध्यापक, शा.संजय गॉधी स्मृति स्नातकोत्तर, महाविद्यालय सीधी (म.प्र.)
** शोधार्थी, एम.ए. भूगोल

गोड़ जनजाति की सामाजिक स्वतंत्र की इनकी भौगोलिक, धार्मिक, समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संस्थाए थी, जो सुचारू रूप से कार्य कर रही थी तथा इनके समाज में व्यवस्था तथा संगठन वना हुआ था, किन्तु अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद से गोड़ जनजातियों की समाजों का पृथक् आस्तित्व समाप्त होने लगा। जनजातियाँ आधुनिक समय परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जिससे इनकी सभ्यता और समाज की विशिष्टता में अनेक परिवर्तन हुए है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, नवीन संचार एवं यातायात के साधन हिन्दुवाद, इसाई मिशनरी पंचायती राज्य व्यवस्था आदि के सम्पक्र के कारण उनकी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक भौगोलिक एवं राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन हुए। आज वें अतिथि की मुख्य धारणा की अलग–अलग समाज के प्रतीक न होकर राष्ट्र की सभ्यता समाज एवं जीवन की मुख्य धारा के साथ जुड़ रहे है एवं पूर्ण समाज का अंग बन गएं है। गोड़ जातियों का अन्य जातियों के साथ सम्पक्र बढ़ा है।

इस सम्पक्र के फलस्वरूप उनमें सहयोग समन्वय संघर्ष प्रतिस्पर्धा तथा एकीकरण की प्रक्रिया का जन्म हुआ वस्तुतः यह कहा जा सकता है, कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, जिसमें एक जनजाति समाजिक स्तरीकरण से उच्च स्तर पर पहुंचने का प्रयास करती हैं अतः समाजीकरण से अभिप्राय जाति गतिशीलता से है, संरचनात्मक परिवर्तन होता है।

उद्देश्य एवं उपयोगिता –

1. गोड़ जनजातियों की मूल समाज में हुए परिवर्तनों उनकी जीवनशैली में बदलाव को समझना।

2. गोड़ जनजातियों के मध्य समाजिकरण की गतिशीलता का अध्ययन करना।

3. गोंड़ जनजातियों में समाजिक एवं आर्थिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन व आवास की जानकारी प्राप्त करना।

4. गोंड़ जनजाति में समुदाय एवं भावी जीवन के लिए नवीन दिशा निर्देशों को प्राप्त करना।

5. नवीन तथ्यों की प्राप्ति एंव उनका विश्लेषण कर गोड़ जनजाति को एक नई दिशा प्रदान करना।

अध्ययन पद्धति एवं उपकरण– प्रस्तुत शोध आलेख की प्रकृति अन्वेषणात्मक और वर्णात्मक है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य जिले के गोंड़ जनजाति में समाजीकरण के प्रक्रिया के बारे में अवलोकन एवं परिक्षण किया गया है। समग का निर्धारण उद्देश्य पूर्ण निदर्शन विधि द्वारा करते है। सिंगरौली जिले से 200 उत्तर दाताओं का चयन किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक समको की प्राप्ति हेतु साक्षात्कार अनुसूचित एवं अवलोकन विधि का उपयोग किया गया हैं। जबकि द्वितीय सूचना स्त्रोतो के संकलन हेतु संदर्भित ग्रन्थो शासकीय एवं गैर सरकारी कार्यालयों से प्राप्ति अभिलेखों द्वारा संकलित की गयी है।

उप कल्पना– प्रस्तुत शोध आलेख में अध्ययन क्षेत्र के गोंड़ जनजाति के समाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनैतिक जीवन में समस्या एवं परिवर्तन की प्रतिमान स्थापित हुए जिसे अध्ययन द्वारा विश्लेषित कर सुझाव प्रस्तुत किये है।

पूर्व साहित्य समीक्षा– जनजाति समाज में समाजिकरण के विषय में कई प्रकार के अनुसंधान कार्य प्रतिपादित किये गये, जिनमें से मुख्य रूप से मजुमदार 1929, दुबे 1951, सिंहा 1967, आदि में जनजातियो का सामाजिक समस्याओं के पहलुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। जबकि एस.एन.रथ 1981 ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के प्रभाव को ग्रहण करने आदि जैसी बातों का कारण वर्तमान में जनजातीय जीवन काफी प्रभावित हुआ है।

तथ्यात्मक संकलन– समाजिकरण सामूहिक गतिशीलता का द्योतक है सिगरौली जिले की गोड़ जनजाति में समाजिकरण की प्रक्रिया के निरन्तरता के लिए सहायक व्यवस्थाएं विद्यमान है, जिन्हें समाजिकरण के लिए प्रमुख स्त्रोत है। यहा कि गोड़ जनजाति में निम्नलिखित कारकों के द्वारा समाजिकरण की प्रक्रिया को गति मिली है–

- आधुनिक शिक्षा का प्रसार।

- प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था।
- समाजिक अधिनियम और नये कानून।
- यातायात और संचार के साधनों का विकास।
- धार्मिक और सामाजिक सुधार आन्दोलन।
- धन का महत्व एवं भौतिकवादी प्रवृत्ति।
- शासन की विकासात्मक व्यवस्था।

उक्त कारकों ने गोड़ जनजाति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन किये है, जिसे अवलोकनों के द्वारा देखने का प्रयास किया गया है। इन कारको द्वारा गोड़ जनजाति समरूपता स्थापित करने में अपने को गौरव मानते है तथा समुदायिक सभाओ में अपना स्थान प्राप्त करने में सक्षम दिखाई देते है। आधुनिक समाजों के समान जीवन–शैली संस्कृति, धर्म, ग्रंथों, के आदर्शों के अनुरूप गोड़ जनजाति अपने को ढालने का प्रयास कर रही है। इनमें टोटमवाद तथ युवागृह पूरी तरह समाप्त हो चुके है। जादू टोने तथा स्थानान्तरित कृषि जो इनकी विशेषताएं थी। यें प्रायः अब लुप्त हो चुकी है। तथा आधुनिक व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर अनेक विभागों संस्थाओं आदि में रोजगार प्राप्त कर अपना स्तर ऊँचा किये है। प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है, कि गोड़ जनजाति में आधुनिक समाज के समकक्ष तक पहुँचने में उक्त कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

गोड़ जनजातियों में सामाजिक समस्याएँ एवं प्रभाव–सिंगरौली जिले के गोड़ जनजाति में सामाजीकरण का प्रभाव उनके जीवन के विभिन्न पक्षों में देखने का प्रयास किया गया है। जिसका विश्लेषण निम्नानुसार है–

सामाजिक जीवन में प्रभाव– सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत यहां की गोंड़ जनजाति की आवासीय व्यवस्था में परिवर्तन, भोजन के पात्रों में एवं भोज्य पदार्थों में परिवर्तन, गृहस्थी संबंधी उपकरणों में परिवर्तन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों को समाविष्ट करके अध्ययन किया गया। उक्त परिवर्तनों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है, कि इनके सामाजिक जीवन में विविध प्रकार से परिवर्तन परिलक्षित हुए है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने माना है, कि उनके भौतिक एवं अभौतिक जीवन में परिवर्तन हुए है।

तालिका क्रमांक 1
सामाजिक जीवन में प्रभाव व परिवर्तन

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1.	आवास	16
2.	भोजन	19
3.	उपकरण	13
4.	शिक्षा स्वास्थ्य	52
	योग	100

समाजिक जीवन में प्रभाव व परिवर्तन– सामाजिक दृष्टि से गोड़ जनजाति में भौतिक एवं अभौतिक दोनो प्रकार की सामाजिक परिवर्तन हुआ है, इसके अन्तर्गत अध्ययनकर्ता द्वारा जनजातियों के धार्मिक विश्वास, परिधान व प्रसाधन सामग्री के प्रयोग की स्थिति विवाह प्रक्रिया पर प्रभाव, प्रचलित विभिन्न अलंकरणों, में परिवर्तन इत्यादि को प्रमुखता से अवलोकित करके जनजातिय जीवन में हुए परिवर्तन को देखा गया है।

तालिका क्रमांक 2
सामाजिक जीवन में प्रभाव व परिवर्तन

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1.	धार्मिक विश्वास में परिवर्तन	16
2.	परिधान व प्रसाधन सामग्री में परिवर्तन	22
3.	वैवाहिक मूल्यों में परिवर्तन	14
4.	पारम्परिक नृत्य एवं मनोरंजन में परिवर्तन	48
	योग	100

आर्थिक जीवन में प्रभाव– गोड़ जनजाति अपनी अर्थव्यवस्था का नित–नई विधियों में अपने आपको सम्मिलित कर लिया है, अवलोकन द्वारा स्पष्ट हुआ है, कि अब इनकी प्राचीन आर्थिक व्यवस्था का विलोपन हुआ है। तथा नये आर्थिक व्यवस्था का विस्थापना तथा विकास हो रहा है। यहा के गोड़ जनजातियों में कृषि उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन उद्यम व व्यवसाय में परिवर्तन, विनिमय प्रणाली का परिवर्धन इत्यादि को अध्ययन क्षेत्र के जनजातियों से प्राप्त प्रतिउत्तर तथा

घटित दृश्यों के साथ आकलन कर विश्लेषण किया गया है।

तालिका क्रमांक 3
आर्थिक जीवन में प्रभाव व परिवर्तन

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1.	कृषि उत्पादन	26
2.	उद्यम व व्यवसाय	22
3.	विनिमय प्रणाली	24
4.	कल्याणकारी योजनाओं का लाभ	28
	योग	100

राजनैतिक जीवन में प्रभाव– वास्तव में जीवन के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यदि राजनैतिक सत्ता सक्रिय रूप से परिवर्तन के लिए इच्छुक हो तो परिवर्तन तीव्र गति से होता है। गोड़ जनजातियों में सामाजीकरण की प्रक्रिया को उनके राजनैतिक क्षेत्र में भी परीक्षण किया गया है। राजनैतिक आयाम के अन्तर्गत न्याय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, आधुनिक अभिमत से स्पष्ट होता है, कि इनके पूर्व के राजनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन परिलक्षित हुए है। अब ये न्याय व्यवस्था तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर अटूट विश्वास रखते हैं जातीय पंचायतो का अस्तित्व इनके जीवन से खत्म हुआ है।

तालिका क्रमांक 4
राजनीतिक जीवन में प्रभाव व परिवर्तन

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1.	जातीय न्याय व्यवस्था	00
2.	पंचायती राज व्यवस्था	45
3.	आधुनिक प्रजातंत्र पर विश्वास	50
4.	गॉव के मुखिया का निर्णय	05
	योग	100

परिणात्मक विवेचना– सामाजिकरण एक अवधारणा के साथ सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। प्रस्तुत शोध पत्र के लिए एक परिवर्तन की प्रक्रिया के सन्दर्भ में गोड़ जनजातियों में सामाजिकरण को निरूपित किया है। सिंगरौली जिले की गोड़ जनजाति की सामाजिक में परिवर्तन विषयक आयाम का अवलोकन एवं परीक्षण करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है, कि वर्तमान परिवेश में, सामाजिकरण द्वारा इनके मानवीय आदर्शों एवं मूल्यों में व्यापक परिवर्तन आया है। तथा से तत्कालीन मूल्यों एवं आदर्शों से व्यापक स्तर पर प्रभावित हुए है। इससे गोड़ जनजाति के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन में पूर्ण रूपान्तरण दृष्टिगोचर होता है। अतः सामाजिकरण की प्रक्रिया से सामाजिक गतिशीलता में बृद्धि, राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण, शिक्षा का प्रसार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में वृद्धि, शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, व्यावसायों में विशिष्टता तथा प्रविधियों के स्थान पर गोड़ जनजाति में नवीन प्राविधियों का प्रयोग स्वस्थापित हुए है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

सिंगरौली जिले की गोड़ जनजाति सामाजिक पक्षों को अपने दैनिक जीवन में क्रमशः आत्मसात कर लिया है। आधुनिक विकासशील जीवन का प्रवाह धीरे–धीरे इनकी ओर बढ़ता जा रहा है। और इनके जीवन में अनायास ही परिवर्तन के चिन्ह दिखाई देने लगें है। भौगोलिक पर्यावरण ने यहा के गोड़ जनजातियों के जीवन को परिवर्तित किया है। अर्थात् इनका जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनो रूपों में प्रकृति की संरचना पर निर्भर था। जो जीवन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता था। परन्तु प्रकृति के बदलते परिवेश तथा शासन की विकासात्मक रणनीतियों के कारण अब यहा निवास करने वाला गोड़ जनजाति वन संसाधन पर पूर्णतः निर्भर नही है। इनके जीवन में अन्य अनेक परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनने लगी है। अतः सामाजीकरण की विभिन्न विशेषताएँ सिंगरौली जिले के गोड़ जनजातियों के दैनिक जीवन में अन्य संस्कृति व धर्मों के सम्पक्र द्वारा परिवर्तन हुआ है।

प्राप्त निष्कर्षों द्वारा निम्न सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैः–

1. परिवर्तन प्रकृति का शास्वत नियम है। परिवर्तन का स्वरूप आवश्यकतानुसार होना चाहिए। सामाजीकरण द्वारा परिवर्तन होने से गोड़ जनजाति की प्राचीन

संस्कृति का लोप हो जायेगा। अतः ये अपनी मूल संस्कृति को न भूले और परिवर्तन को भी स्वीकार करें।

2. नगरीकरण के कारण गोड़ जनजाति आर्थिक विषमता का सामना कर रही है। इनके वंशानुगत कार्य पूर्णतः समाप्त हो गये है। जीवन निर्वाह के लिए नौकरी के आशा में ये साहूकारों एवं कारखाना मालिकों के द्वारा आर्थिक शोषण का शिकार व कर्जदार वन गये है। आवश्यकता के अनुसार इनकी आमदनी में वृद्धि नही हो रही है। गोड़ जनजातियों के लिए आवश्यक है। कि वे संसाधन का सही तरीके से उपयोग करें। और नगरीकरण के प्रति आकर्षण को कम करें।

3. सामाजीकरण द्वारा गोड़ जनजातियों में सामाजिक नियंत्रण कम होता जा रहा है, जिससे समुदायिक नियमों का उल्लघन होता जा रहा है। जबकि गोड़ जनजाति सामाजीकरण द्वारा विभिन्न तरह के परिवर्तन को स्वीकार कर रहे है। अतः आवश्यकता हैं सामाजिक नियंत्रण द्वारा गोड़ जनजाति अपने सामुदायिक नियमों की भी पालन करते हुए सामाजिकता का प्रतिमान को ग्रहण करें।

4. बेरोजगारी तथा उन्मूलन की आपातकालीन कार्यक्रमों की अपेक्षा क्षेत्रीय नियजन का प्रारूप तैयार करके दीर्घ योजना तैयार की जाना चाहिए। जो रोजगार के विस्तार के लिए सतत् कार्य करती रहे। राहत कार्य, कार्य के बदले अनाज योजना, रोजगार गारण्टी योजना, पोषण आहार कार्यक्रम आदि अधिक रोजगार देने में सफल नही हुए है।

5. गोड़ जनजाति में शहरीकरण, शिक्षा तथा अन्य जातियों का प्रभाव के कारण सामाजिक प्रबंधो में क्रमशः शिथिलता एवं गिरावट आ रही है। जनजातिय रीति–रिवाज, परम्पराएँ उत्सव, त्यौहार, संस्कृति, कला, नृत्य मनोरंजन इत्यादि प्रभावित हुए है। अतः परम्परागत संस्कृति को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए नही हो इस क्षेत्र की पहचान खत्म हो जायेगी।

गोड़ जनजाति के विकास के लिये क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएँ–

सिंगरौली जिले में गोड़ जनजाति के विकास के लिये अलग से कोई विशेष योजनाएँ क्रियान्वित नही की जा रही है, किन्तु शासन द्वारा उन सभी योजनाओं का लाभ गोड़ जनजाति को भी प्राप्त हो रहा है जो अनु.जनजाति के विकास के लिये क्रियान्वित की जा रही है वर्तमान में विभिन्न विभागों जैसे कृषि, वन विभाग, ग्रामीण विकास, सहकारिता, मत्स्य उद्योग आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मूलक योजनाओं के माध्यम से गोंड़ जाति के विकास के लिये प्रयास किये जा रहे है। जनजातियों को शोषण से बचाने के लिये शासन द्वारा कुछ निम्नलिखित कानून बनाए गये है–

1. भूमि हस्तांतरण पर रोंक।
2. ऋण–मुक्ति अधिनियम।
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम।
4. बन्धुआ मजदूर अधिनियम।

गोड़ जनजाति के विकास के लिये की संचालित की जाने वाली योजनाएँ–

गोड़ जनजाति के समुचित विकास के लिये निर्धारित मापदण्डों के आधार परियोजनाएँ संचालित की जा रही है। इस जातित के परिवार मूलक एवं अन्य प्रकार की निम्नलिखित योजनाएँ संचालित की जा रही है–

1. कृषि क्षेत्र– गोंड़ जनजाति के सदस्य जिनके पास स्वयं की भूमि है उन्हे अपनी भूमि से अत्यधिक लाभ प्राप्त हो इस दिशा में भूमि सुधार वर्मी कम्पोस्ट उन्नत कृषि उपकरण उन्नत बीज के लिये राशि 20000 / – प्रत्येक हितग्राही के मान से राशि उपलब्ध कराये जाने एवं हितग्राही के चयन में स्थानीय कृषि अधिकारी जनपद पंचायत का सहयोग लेने का प्रावधान है।

2. उद्यानिकी–गोंड़ जनजाति के सदस्य जिनके पास स्वयं की भूमि है उन्हे अपनी भूमि पर उद्यानिकी कृषि करने के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

3. मत्स्य पालन–नदी तालाबों के पास की बसाहटों में गोड़ जनजाति के लोगों मत्स्य पालन के लिये 20000 / – प्रत्येक सदस्य के लिये निर्धारित है।

4. वानिकी—गोंड़ जनजाति के सदस्य जिनके पास स्वयं की भूमि है उन्हें अपनी भूमि है उन्हें वानिकी के क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए 20000/— प्रत्येक सदस्य के लिये निर्धारित है।

5. साइकिल रिक्शा प्रदाय— शहर में तथा शहर के आस—पास निवासरत गोड़ जनजाति के व्यक्तियों का चयन कर पूर्व से रिक्शा मालिकों से किराये पर लेकर रिक्शा चला रहे लोगो को प्राथमिकता देकर किया जाता है। योजना में रूपये 19000/— कुल लागत निर्धारित की गई।

6. गणवेश वितरण—गोंड़ जनजाति के अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को प्राथमिक कक्षाओं के लिये रूपये 600/— प्रति विद्यार्थी के मान से दिये जाने का प्रावधान है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

1. साख्यकीय पुस्तिका सीधी 2012 कलेक्ट्रेट जिला सीधी मध्यप्रदेश।

2. तिवारी एस.के. मध्यप्रदेश जनजाति समाज मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ एकादमी भोपाल पृ. 14।

3. सिंह इन्द्रजीत गोड़वाना एवं गोड़।

4. हसनैन नदीम जनजाति भारत जवाहर पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीबूटर 1977 नई दिल्ली पृ. 12—17।

5. कालियाँ एल.एल. 1969 संस्कृति टाइजेशन एण्ड ट्राइवलाजेशन ट्राइवल रिसर्च इन्सटीट्ट छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश।

6. तिवारी शिवकुमार एवं शर्मा श्री कमल मध्यप्रदेश की जनजातिया समाज एवं व्यवस्था मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ एकदमी भोपाल।

7. शर्मा राजीवलोचन 1971 जनजाति जीवन और समाज किताभ आचार्य नगर कानपुर।

8. जनगणना पुस्तिका सीधी 2011—12 भारत सरकार।

9. उप्रेती हरीचन्द्र भारतीय जनजातिय राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ एकादमी जयपुर।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

Corona-A world Pandemic diseases with Particular reference to Rewa District Madhya Pradesh

❒ Dr. Ashish Dwivedi

ABSTRACT

The Term Virus firstly used by the Scientist Iwanowski, it is latin word "Vivum", which means "Poison". Virus is living or non-living. It is contradictory In atmosphere it is non-living but when it goes into the host cell it becomes living. So, most of science fellow says virus is a connecting link between "living and non-living". It means life come to existence in the earth through virus. Such an important micro organism is virus. One more important character of virus is that no antibiotic can affect it. Corona virus is named due to its crown like spikes that present in its surface.

Keywords : WHO (World Health Organisation) Covid-19 (Corona Virus Diseases - 2019) SARS-COV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2), ICVT (International Committee on Taxonomy of Virues)

Introduction

A new infectious respiratory diseases in December 2019 occur in China, Hubei province, in Wuhan City. WHO (World Health Organisation) named it as COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019). It is a new class of corona viruses known as SARS-COV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) is the Causal micro organism of this diseases. It is a beta Corona virus. It's length is 80 to 160nm.

In India first case observed in 30 January 2020 in Kerela State in Thrissur district where a student who came from Wuhan City affected from corona virus diseases. Corona viruses are Zoonatic in nature it means they are transmitted between people and animals.

Common symptoms of corona virus dry cough, fever, breathing problem. In severe cases infection can cause severe acute respiratory syndrome with Pneumonia and kidney failure.

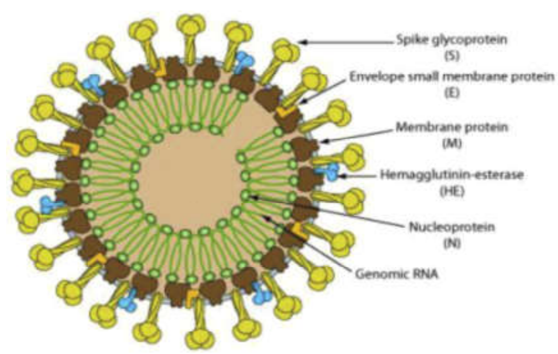

Fig. 1 Covid-19 Internal Structure

Text of Covid-19 :

1. RT-PCR Test : It is for monitoring current infection. This is for the diagnosis of individual and

* Assosiate Professor, S.J.J.T. University, Jhunjhunu (Raj.)

to allow health authorities to trace and contain out break (Real-time polymerase chain reaction RT-PCR) swab test.

2. Antibody test - It is diseases prevalence which aids the estimation of the infection, fatality rate, rapid serology antibody enzyme linked immunobsorvent arrays test (ELISA)

3. Rapid antigen kit test - It is a kit based test in which within hour results occur for positive or negative corona diseases.

- On 11th February 2020 ICTV given SARS-Cov-2 new name of covid -19.
- The WHO declared covid-19 as a global pandemic on march 11, 2020
- (ICTV- International Committee on taxonomy of viruses)
- Corona a Brief review of Rewa Madhya Pradesh - India : The corona case begins in Rewa in the month of april in last week with 02 corona patients in a family of Rewa town. 1st May 2020 - 02 positive case with no death, and lastly 31st May 2020 - 34 positive case - with no death.

In the month of May nearly one person average affected from corona diseases and no deaths reported. In the month of June 2020 total affected cases 58 and first time one death reported, it means 24 corona patients came in to the existence in the month of June 2020.

Now a drastic change occur in the month of July - 2020 up to 31st July the infected case 331, it means 272 new case reported in the month of July 2020, nearly 9 (8.77) patients per day infected from this corona diseases, but the death in still 01 in whole month of July 2020.

In the month of August 2020, total affected case 757, it means 418 new corona affected case occur in the month of august, it means 14 (13.48) patients average per day affected by this corona diseases. One crucial change occur in this month, 10 deaths reported. It means death rate increase in this month.

Table-1

Title/month	May	June	July	August	Up to 17 September
Affected with Corona disease	32	24	272	481	820
No. of death	00	01	02	10	20
Average case per day	01	01	9(8.77)	15(15.51)	48(48.23)

Conclusion :

- The persons who recovered from the corona diseases (Covid-19) is 587 out of 757 up to the month of August 2020. The recovery rate is 77.54%.
- Daily 900 covid test sample taken and examined in the month of august 2020.
- Lock down - A government initiative to break down the chain of corona viruses. It begin from 22nd march 2020 and end in the month of august 2020 gradually. Firstly whole week then again a week, then in the festival of Raksha Bandhan 6 days lockdown. Then Saturday & Sunday and lastly only Sunday were closed for lock down end up by Indian Government from Sep. 2020.

Preventive measures for covid-19

1. Washing hands with soap and water at least 20 seconds or hand wash with sanitizer.

2. Cover the face with mask, covering your mouth and nose when ever you are in crowd or out side of your home.

3. Maintain social distance from each other while in working condition or market or office or any place where two or more people present, at least 6'' feet distance from each other is necessary.

4. Use "Arogya Setu app" in your mobile phone and always on blue tooth and location mode on your phone, for better results.

5. Avoid close contact with sick people and if you are sick put himèher in quarantine at home and immediately take Doctor's advice.

6. Kadha, vitamin C and D and other immunity boosters should be taken in regular diet.

7. Yoga and Exercise is also good preventive measures for covid-19

8. In take of warm water or water vapour, hot milk, gargle are also preventive measures for covid-19.

9. In case of sick, people National help line number 1075 immediately.

Reference :

1. Daly News Paper- Danik Bhaskar, Danik Jagaran, Ptrika, Navbharat, Nai Duniya, Nav Swadesh (Rewa - edition).
2 . EASA - European union Aviation safety Agency.
3. Nat Microbiol. 2020 April, 5(4) 536-44
4. World Health organization. Clinical management of Covid-19. Interim guidance 2020 (Internet Publication).
5. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 2020 Feb 17, 41(2): 145-51.
6. Livingston E, Bucherk. Corona Virus diseases 2019 (Covid-) in Italy. JAMA 2020 Apr. 14 ; 323 (14) : 1335.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

Gandhi on Health and Sanitation

❐ Dr. Bhavana Pandey*
❐ Miss Sinsupa Dwivedi**

ABSTRACT

The problem of sanitation has come into the mainstream with the present government launching a nationwide programme of cleanliness. It is true that sanitation problem has been the part of government policy for a long time but earlier it did not get the big- push both in terms of administrative effort as well as media coverage. Now,the government is committed to spend a large sum of money over the next few years on urban waste management, construction of toilets,public education on issue of hygiene and cleanliness in close cooperation with the state government and private sector like industries,corporate bodies,NGO'S etc.

The launch of Swachh Bharat Abhiyan marks the beginning of the most ambitious programme on sanitation in the country till date.The high degree of policy priority accorded to sanitation and the proposed budgetary outlays could go a long way in achiveing and open-defecation free India. The effective implementation of the programme would translate into improved human development indicators for the country.

Keywords : Hygeine, Corporate, Implementation, Budgetary, Sanitation.

Social Exclusion in the Context of Swachh Bharat Abhiyan-

The need to prioritise sanitation in the country's policy agenda has been underscored by the senior most leaders across political spectrum, emphasising 'pehle shauchalaya, phir devalaya' (toilets first, temples later). Though drinking water and sanitation are recognised as state subjects under the Constitution of India, Union Government programmes on sanitation have played a significant role in increasing the coverage of household toilets in rural area from 9 per cent in 1991 to 22 percent in 2001 and 32.7 percent in 2011.

The first major Union Government programme on sanitation, Central Rural Sanitation Programme (CRSP), was launched in 1986 with a view to accelerate sanitation coverage in rural areas. The CRSP was restructured into 'Total Sanitation Campaign' in 1999 , which marked a paradigm shift to a 'community led' and ' people centered' approach. The programme was revamped as Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) in 2012 and aimed to accelerate sanitation coverage in rural areas to achieve the vision of ' Nirmal' Bharat by 2022. The launch of Swachh Bharat Abhiyan (SBA) on 2nd October, 2014 marks the beginning of the largest programme on sanitation by the government on the country till date.

The introduction of SBA, that aims to achieve an open defecation free India by 2019, has generated wide interest among the media, policy makers and

* LECT. (C.S) G.P.C REWA.
** M.A.Pre

common citizens. However, an aspect that has largely been missing from the discussion about the proposed scheme pertains to how well the concerns regarding social inclusion would be addressed by the programme.

Access to water and sanitation and the quality of these services in our country is strongly influenced by identities of caste, class and gender. Some UNICEF reports indicate that it is the poorest quintile of the population which has the least access to sanitation. Likewise, significant variations persist in the access of Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) household to toilets. Data from Census 2011 reveals that while 35 percent of the total rural population has access to water within the premises, the corresponding figures for SC and ST households in rural areas are 28 percent and 14 percent respectively. It is also estimated that nearly 68 percent of women headed households in rural areas do not have toilets within the premised. In such a context, it is important to look at water and sanitation services from the point of equity and analyse the extent to which these policies and programmes from water and sanitation are addressing the needs of disadvantaged sections of the population.

The introduction of SBA provides an opportunity to address concerns in rural drinking water and sanitation services from the perspective of social inclusion and equity. Though the detailed guidelines of the programme are yet to be issued, a draft Action Plan for the programme has been put forth by the Ministry of Drinking Water and Sanitation. This article examines how conducive the policy and budgetary framework for rural sanitation is for promoting social inclusion. It also analyses the responsiveness of the erstwhile NBA and the newly proposed SBA to the needs of SCs, STs, and women in the rural context.

Investments in Rural Drinking Water and Sanitation

A key concern with rural drinking water and sanitation services has been the low magnitude of public spending on these services. Inadequate budgetary resources for sanitation have affected both the quality and coverage of these services. Given the high dependence of vulnerable sections (SC, ST, women etc.) on public provisioning of these services, inadequate public spending on them is likely to have a dispropotionately adverse impact on these sections of society. The allocations to the Ministry of Drinking Water and sanitation for the 11th and 12th plan periods, i.e. Rs. 45,740 crore and Rs. 98,015 crore perspectively, were 21 percent and 41 percent lower than what had been proposed by the Ministry to the planning Commission.The Union Government expenditure on rural water and sanitation was less than 1 percent of the Union Budget during the 11th plan period (except in 2007-08), and has remained in the same range in the 12th plan period so far.

The report of the Standing Committee of Rural Development has also taken note of the need to step up allocations to rural water and sanitation programmes. In reference to the budgetary allocations to the Ministry of Drinking Water and Sanitation in 2012-13, the committee observed, "This amount is simply not commensurate with the task of providing safe drinking water and sanitation facilities to the 740 million rural population of the country.In view of the fact that the expenditure to fight diseases borne out of contaminated water and open defecation account for about 6 percent of the GDP, this amount, which constitutes less than 1 percent of the GDP for the sector hardly seems adequate to address the problem in a holistic manner."

It is in this context that the proposed investment of Rs 1.96 lakh crore over the next five years (1.34 lakh crore for rural areas and Rs. 62,009 crore for urban areas) under SBA, as has been reported in the media recently, is significant. The unit costs of toilets constructed under the programme have also been enhanced.The unit costs for toilets will be enhanced for Individual

....while the estimates of the total magnitude of funds for sanitation have increased substantially, the unit costs for IHHLs, the key component of rural sanitation programmes,have witnessed a marginal increase. The increase in the unit costs of IHHLs (i.e. of Rs.2,000) has been increased to provide for water availability, including for storing, hand washing and cleaning of toilets.

Household Latrines (IHHLs) (from Rs. 10,000 to Rs. 12,000), school toilets (from Rs. 35,000 to Rs. 54,000), Anganwadi toilets (from Rs. 8,000 to Rs. 20,000) and Community Sanitary Complexes (CSCs)

(from Rs. 2,00,000 to Rs. 6,00,000).However, it is also important to note that while the estimates of the total magnitude of funds for sanitation have increased substantially, the unit costs for IHHLs,the key component of rural sanitation programmes, have witnessed a marginal increase. The increase in the unit costs of IHHLs (i.e. of Rs.2,000) has been increased to provide for water availability, including for storing, hand washing and cleaning of toilets.

The recent discussion on SBA have focused on the significant increase in the proposed budgetary outlays for sanitation. At present, it is not clear whether and to what extent, outlays for drinking water will also be increased. Lack of water is a key factor affecting usage of toilets. Achieving 'swachh bharat' by 2019, thus, would require not only a substantial increase in the number of toilets constructed m but also water supply to ensure that the toilets constructed are used.

Likewise, the lack of resources for maintenance of school and Angwanwadi toilets could result in rapid deterioration and subsequent non-usage of these over time, impaction the sustainability of the programme. Additionally m the reduction in the budget for the Information Education and Communication component (from 15 percent to 8 percent), which is critical to trigger behavioral change to ensure used of toilets , is a matter of concern.

Public Private Partnership in Drinking Water and Sanitation

A concern with the overall framework for the newly proposed SBA is the reliance on Public Private Partnership (PPP) for both drinking water and sanitation, as mentioned in the Action plan of the Ministry of Drinking water and Sanitation.Though the extent of which PPP will be employed ins not clear at present, relying on PPP for water and sanitation programmes could constrain the ability of the government to address the already existing inequities in the access to these services. The experience of PPP in many sectors has raised concerns for the vulnerable sections of population.

Proponents of PPPs argue that they bring in much needed private investments and can provide services at cheaper rates, thereby benefiting the vulnerable sections of society.It is also claimed that services of society. It is also claimed that services provided under PPPs by private corporations are more efficient. However, the experience of PPPs in drinking water in the country, in several cases, is plagued with significant delays and unsatisfactory service delivery. Moreover, there are concerns that services delivered through PPPs may have higher user charges. This, in turn, could further reduce the access to services for vulnerable and poor sections of society.Typically, PPP projects do not invest in processes of public participation in planning and implementation of projects, thereby reducing the scope for transparency and accuontability in their functioning.

Strategies Drinking Water and Sanitation for Vulnerable Sections

Water and sanitation have long been characterized by strong caste based inequities and discrimination, especially in the rural context. Likewise, the access to water and sanitation services by tribal populations is significantly lower than that of other households. An acknowledgement of this is found in the 12th five year plan document that states".... there are also some disturbing reports about social exclusion, with SCs, STs and minorities being discriminated against."

A manifestation of the inequity in rural sanitation programmes in the difference in the coverage of household toilets for different social groups. While the proportion of rural households with access to toilets is still as low as 30.6 percent, as revealed by Census 2011, the coverage for scheduled caste households and scheduled tribe households in rural areas in even lower at 23 per cent and 16 percent perspectively. Recognizing the need to bridge this gap, the Ministry of Drinking water and sanitation has initiated the implementation fo the Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) and Trible Sub Plan (TSP) . Accordingly 22 percent and 10 percent of the plan outlays of the National Rural Drinking Water Programme and the Nirmal Bharat Abhiyan are being earmarked under SCSP and TSP respectively since 2011-12.

While the implementation of these policy strategies is a welcome step and it is hoped that the same would be done under SBA, there is a need to recognized that simply earmarking of funds for SC and ST households would have a limited impact. Not

much effort is made to modify the scheme design and address the factors restricting the access of SC and ST households

....the implementation of these policy strategies is a welcome step and it is hoped that the same would be done under SBA, there is a need to recognize that simply earmarking of funds for SC and ST households would have a limited impact. Not much effort is made to modify the scheme design and address the factors restriction the access of SC and ST households to these services in the planning and implementation of schemes.

to these service in the planning and implementation of schemes. The experience of of these budgetary strategies shows that for most schemes, allocations under SCSP and TSP are reported as earmarked for SCs and STs after the budgets for these programmes have already been prepared.

SC and ST households are confronted with specific challenges in accessing water and sanitation services that need to be addressed through the respective schemes. SC households,for instance, as a result of the historical discrimination faced by them, are typically concentrated on the periphery of the village, where water supply tends to be limited and erratic. This has an adverse impact on the construction and usage of toilets in these habitations.Likewise,tribal populations tend to be located in geographically isolated terrains where ensuring access to water is a challenge and the cost of construction of toilets may be higher. Addressing such challenges would require not only earmarking of funds,but also introduction specific measures in the respective government programmes.

Access to drinking water and sanitation facilities for SC and ST communities is also hindered by their restricted participation on decision making processes of these programmes. The Report of the Working Group on Rural Domestic Water and Sanitation for the 12th Five Year Plan also recognises low levels of public representation by tribal communities as contributing to their inequitable access to these services. In this context, ensuring adequate representation of SC and ST communities in village water and sanitation committees and strengthening their functioning is critical.

Another manifestation of caste based inequity in drinking water and sanitation is the practice of manual scavenging. Most of those engaged in the practice, belong of scheduled castes and a large proportion of these are women. Data from Census 2011 indicates the existence of 7.94 lakh latrines in the country from which night soil is removed by humans. Though the discussion on SBA has included references to abolition of the practice, there is a need to clearly articulate it as an objective of the programmes and emphasise the same in the guidelines that will be formulated.

Gender Concerns in Swachh Bharat Abhiyan

The inextricable link between access to safe and hygienic sanitation services and the well-being and safety of women, has been well recognized, in both the policy and public discourse. Women, more than men have to bear the brunt of the lack of toilets and other sanitation facilities. Though the Ministry of Drinking Water and Sanitation has not yet initiated reporting in the Gender Budget Statement, the draft Action Plan for SBA recognises some critical gender concerns pertaining to sanitation. However, how well this recognition is reflected in the design of the programme needs to be analysed.

An important concern in the design of both the Nirmal Bharat Abhiyan and the newly proposed SBA is the lack of priority accorded to CSCs. In the absence of household toilets. CSCs are important to ensure access to sanitation facilities for women. .

Women lacking access to toilets and using open spaces , often wait till dark and drink less water or modify their diet, which has adverse health implications. Morever, it also increase their vulnerabilities to various form of violence. Sanitation programmes, therefore must focus not only on constructing household toilets, but also on safe and hygienic sanitation services through community sanitary complexes.

Although the unit costs for CSCs under the newly proposed programme have been enhanced to Rs 6 lakh, the conditionalities attached to their construction, as were laid down in NBA, have been retained. The construction of CSCs being contingent on a mandatory 10 percent community contribution could prove to be a hurdle in achieving the goals of this mission in the long run. Additionally, a large

proportion of CSCs that have been constructed are not in use owing to poor maintenance and lack of water supply It is important to include measures to convert defunct CSCs functional under programme.

While programmes on sanitation have clearly recognized the important to toilets from a gender perspective, the need to provide enclosed and safe bathing spaces for women has not found recognition on the policies and programmes. Government schemes on sanitation do not make provisions for construction of bathing spaces within home, which is critical to ensure privacy and safety of women. Lack of enclosed bathing space compromises the privacy fo women and increases their vulnerabilities to various forms of violence, while also adversely impacting their hygiene, health and well-being.

Conclusion

The launch of Swachh Bharat Abhiyan marks the beginning of the most ambitious programme on sanitation in the country till date.The high degree of policy priority accorded to sanitation and the proposed budgetary outlays could go a long way in achiveing and open-defecation free India. The effective implementation of the programme would translate into improved human development indicators for the country.

However, it must be kept in mind that given a short period of five years to achieve the goals of the programme also makes it one of the most challenging programmes ot be implemented. The extent to which the programme is able to achieve its goals would depend on how well the concerns pertaining to social inclusion are addrressed since it is the vulnerable and socially excluded sections. Apart from addressing the above described concerns, the successful implementation of the programme would require a number of staleholders, including line ministers state governments and other actors in the sector to own the programme.

Reading

Department - Related parliamentary Standing committee on Rural Development (2013): Report on the "Demands for Grants 2012-13) of the Ministry of Drinking water and sanitation (Ministry of Rural Development) " Twenty Seventh Report; Lok Sabha Secertariat, New Delhi.

Deivedi, Gaurav (2010) : Public private partnership in water sector: partnerships or privatisation? (ManthanAdyayan Kendra: Madhya Pradesh)

Economic Times (2013) : 'Toilets first, temple later, says Narendra Modi", October2 (PTI : NewDelhi)

Government of India 2012:'' Twelfth five year plan : faster more inclusive and sustainable growth planning commission .

Government of India, (2014):" Swachh Bharat Abhiyan , Action Plan" Ministry of Drinkng Water and sanitation .

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

अध्यात्म और स्वयंप्रभा

❒ डॉ. बृजेश नाथ ओझा*
❒ पूजा शर्मा**

रामायण की स्वयंप्रभा (अध्यात्म की प्रतीक एवं दिग्दर्शिन्दा है। वह एक ऐसी तपस्विनी है, जिसे देखकर सभी वानर एवं यूथयति आश्चर्य में पड़ जाते है। सीतान्वेषण में तत्पर वानर समुदाय पिपासा एवं क्षुधा से व्यथित हो जाते है, तभी उन लोगो ने देखा कि किसी गुफा से कुछ पक्षी भीगे हुए निकल रहे हैं। उनने अनुमान प्रमाण से जान लिया कि इस गुफा में पानी अवश्य होगा। सभी उसमें प्रविष्ट होना चाहें। मंख्णा करके प्रविष्ट हुए और देखा कि यह गुफा तो अंधकार से युक्त है –

इत्युक्तास्तत् बिलं सर्वें विविशुस्तिमिरावृतम्।
अचन्द्रसूर्य हरयो ददृशू रोमहर्षणम्।।

वस्तुतः उस गुफा में प्रकाश का बाहुलय भी है, परन्तु जब तम और रज गुण को पार किया जाय तब सत्व का साक्षात्कार होता है। अध्यात्म में प्रविष्ट होने पर प्रथमतः अंधकार ही हाथ लगता है। शनैः शनैः अंधकार का आवरण भंग करके प्रकाश को प्राप्त किया जाता है। गुफा के अन्दर स्वयं प्रभा एवं उसकी आध्यात्मिक चमत्कृति विद्यमान है परन्तु वहां तक शीघ्रता से पहुंचना कठिन है। वानर दल उसी के चाह में अन्दर प्रविष्ट हो चुका है। गुफा में बहुत अन्दर तक प्रविष्ट होने के बाद भी जब आध्याम्कि प्रकाश का साक्षात्कार नही हुआ तब वे निराश हो गये। वस्तुतः निराशा से ही आशा की किरण प्रस्फुटित होती है।

सहसा उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया और उनमें उत्साह भर गया। उस आध्यात्मिक प्रकाश में तेजोमय वृक्षों का दर्शन कर सभी कृतकृत्य हुए। वहां पर सभी प्रकार के रत्न, माणिक्य और सुवर्णादि भी उपस्थित था जो वानरों में विस्मय उत्पन्न करने लगा –

विविधानि विशालानि ददृशुस्ते समन्ततः।
हैम राजत कांस्यानां भाजनानां च राशयः।।

बुद्धिमतां वरिष्ठ हनुमान् जी ने वानरों के साथ इस महा तपस्विनी का भी दर्शन किया। उस समय वह वल्कल एवं काला मृगचर्म पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दिप रही थी। इस तरह दर्शन कर हनुमान् जी ने विनम्रभाव से कराञ्जलि होकर पूछा – देवी! आप कौन हैं औ यह किसकी गुफा है। ये भवन तथा ये रत्नादि किसके है –

ताते हनुमान् गिरिसंनिकाशः
कृताञ्जलिस्नामभिवाव्य वृद्धाम्।।
पप्रच्छ का त्वं भवनं बिलं च।
रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य।।

हनुमान् की विनम्रता से प्रसन्न होकर स्वयंप्रभा ने अपना परिचय बताना प्रारम्भ किया – मैं मेरुसावर्णि की कन्या हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मयासुर द्वारा निर्मित इस भवन और उद्यान की कला को विश्वकर्मा ने प्राप्त किया। मयासुर ने कुछ काल तक इस रमणीय उद्यान में हेमा नाम की अप्सरा के साथ समय बिताया इस घटना से इन्द्र अप्रसन्न होकर दानवराज को युद्ध में पराजित कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने यहां का समस्त वैभव हेमा को दे दिया। मैं उसी हेमा के साथ इस

---

* विभागाध्यक्ष (संस्कृत), श्रीयुत महाविद्यालय गंगेव, रीवा
** शोधच्छात्रा (एम.ए. संस्कृत)

उपवन की रक्षिका हूँ। इस तरह परिचय देकर उसने उन्हें आज्ञा दी कि तुम लोग अपनी इच्छानुसार फल—मूल खाकर सन्तुष्ट हो जाओ अनन्तर अपना वृत्तान्त बतलाओ—

शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलनि च फलानि च।
भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वं मे वक्तुमर्हसि।।

इस तरह सन्तुष्ट होकर हनुमान् जी ने समस्त वृत्तान्त बताया और कहा कि हे देवी! तुम निरन्तर धर्माचरण में लगी हुई हो अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए है। शरणापन्न देखकर और धर्ममय प्रयोजन जानकर स्वयंप्रभा ने उन्हें बिल से बाहर निकाला और उद्देश्य में सफल होने का आशीष प्रदान किया।

तदनन्तर वह स्वयं प्रभा प्रत्यावर्तित होकर पुनः तपस्या में संलग्न हो गयी। यहां पर स्वयंप्रभा ज्ञान की वह मूर्ति है, जो सहज ही सत्वगुण सम्पन्न लोागें के लिये पथप्रदर्शिका बन गयी। भाव यह है कि समस्य जीवों में ईश्वरतत्व विद्यमान रहता है, परन्तु अज्ञानता के कारण उस तत्व का दर्शन नहीं हो पाता। जब किसी सद्गुरु की महती कृपा हो जाती है तब वह भी ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है। वानरों के लिए स्वयंप्रभा एक आध्यात्मिक गुरु है, जिसने उद्देश्य सफल करने के लिए मार्ग सुझाया है।

जीवन का परम लक्ष्य है आत्माचिंतन और अंतर्मुखी ज्ञान की प्राप्ति। अन्तर्मुखी ज्ञान तभी सम्भव है जब नेत्रों को बन्द करके चिंतन किया जाय। इसीलिए नेत्र बन्द करने की आज्ञा स्वयंप्रभा देती है। यदि नेत्र खुले रहेंगे तो संसार का दर्शन होगा और यदि नेत्र बन्द रहेंगे तो आम्यन्तर का दर्शन होगा। आम्यन्तर दर्शन ही ईश्वर दर्शन है, जो निःश्रेयस तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। जब उन लोगों ने नेत्रों को खोला तब गिरि, वन, सागर आदि दिखाई देने लगे। आध्यात्मिक शक्ति का ही चमत्कार है कि स्वयंप्रभा ने सभी को एक ही क्षण में गुफा से बाहर कर दिया —

निमेषान्तरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया।।

इस संसार के प्रत्येक जीवों में ब्रह्मतत्व विद्यमान है, किन्तु उसका दर्शन, उसकी अनुभूति कोई—कोई ही कर सकत है— स्वयंप्रभा आदि। अस्तु सभी जीवों में मानव सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी माना गया है अतः उसे निःश्रेयस की प्राप्ति में सतत् प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्न ही प्राप्ति का प्रथम सोपान है। जीवमात्र में दया रखना, दानादि धर्म का आचरण करना, परोपकार की भावना रखना, सत्य भाषण करना, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ का विचा करना, तद्नुसार आचरण करना ही मुक्ति की ओर ले जाने का सरल एवं सीधा मार्ग है। स्वयंप्रभा के जीवन से समस्त प्राणियों को यही प्रेरणा मिलती है।

संदर्भ स्रोत :—

1. वाल्मीकि रामायण : महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रन्थ से उद्धृत।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

लोकायुक्त संगठन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

❒ उत्तम कुमार आर्य*
❒ डॉ. राजाराम मिश्र**

शोध सारांश

लोक प्रशासन में कदाचार, अधिकारों का दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार प्रत्येक शासन व्यवस्था के लिये विचारणीय विषय रहा है। भारत में प्रजातन्त्र की स्थापना के बाद लगातार विभिन्न स्तरों पर इस बात पर विचार किया जाता रहा है कि एक उत्तदायी कल्याणकारी शासन व्यवस्था में इस प्रकार की स्वतंत्र मशीनरी की स्थापना आवश्यक है जो कार्यपालिका के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जनशिकायतों का निराकरण कर सके। इस विचार को प्रशासनिक सुधार आयोग ने ठोस आधार प्रदान किया। श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इस आयेाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में कइ गई थी तथा आयोग के विचारणीय विषयों में विशेषकर 'जनशिकायतों के निराकरण' से संबंधित बिन्दु भी सम्मिलित किया गया था। आयोग द्वारा अक्टूबर 1966 में अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि सरकार द्वारा 'लोकपाल तथा 'लोकायुक्त' नाम से दो भिन्न संस्थाओं की स्थापना की जाये। प्रतिवेदन के अनुसार लोकपाल द्वारा केन्द्र एवं राज्य के मंत्रियों तथा सचिवों के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित शिकायतों की जांच की जाना थी जबकि लोकायुक्त द्वारा अन्य अधिकारियेां के विरुद्ध जांच किए जाने की सिफारिश थी। सिफारिश के अनुसार केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य में जांच के परिणाम के आधार पर 'बमबड्समेन' किसी भी पदधारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे सकते हैं, उसे प्रताड़ित कर सकते हैं अथवा अपने वार्शिक प्रतिवेदन में वितवरण सम्मिलित कर सकते हैं जो संसद को प्रस्तुत किया जाता है। कालांतर में मध्यप्रदेश में स्थापित लोकायुक्त संकठन को प्रदत्त अधिकार भी काफी सीमा तक 'अमबड्समेन' को प्रदत्त अधिकारों पर ही आधारित है।

* शोधार्थी–एलएल.एम. (विधि) शास. ठाकुर रणमत सिंह उत्कृष्ट महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
** शोध–निर्देशक, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.), वर्तमान अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

प्रस्तावना –

लोकायुक्त संगठन की स्थापना भ्रष्टाचार तथा अधिकारों के दुरुपयोग को रोकथाम की दिशा में एकमात्र तथा प्रथम प्रयास नहीं है। नये मध्यप्रदेश के गठन के बाद से ही इस ओर सक्रिय प्रयास किये गये तथा लगातार यह प्रयास रहा कि लोकसेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हए नवम्बर 1959 में 'एन्टीकरप्शन बोर्ड' की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड के अध्यक्ष, मंख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष, उपमंत्री गृह थे। मुख्य सचिव, आयुक्त भोपाल संभाग तथा दो अशासकीय व्यक्तियों को बोर्ड का सदस्य रखा गया था। यद्यपि यह बोर्ड एक उच्चस्तरीय संस्था थी किन्तु कालांतर में यह अनुभव किया गया कि राज्य शासन की बढ़ती हुई विकासात्मक गतिविधियें तथा विभिन्न स्तरों पर हो रही अमले की वृद्धि को देखते हुए इस कार्य के लिये एक अधिक प्रभावी संगठन आवश्यक होगा।

इसी बीच भारत सरकार द्वारा भी 'भ्रष्टाचार को रोकथाम' के लिये सुझाव देने हेतु श्री के. संथानम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। संथानम कमेटी द्वारा फरवरी 1963 में भारत सरकार को दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। प्रथम प्रतिवेदन में यह सुझाव था कि भारत सरकार द्वारा एक केन्द्रीय सतक्रता आयोग की स्थापना की जाये तथा द्वितीय प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि केन्द्रीय सतक्रता आयुक्त को कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट की धारा–4 एवं 5 के प्रावधानें के समान कतिपय अधिकार दिये जायें, जिससे वे ऐसे शासकीय सेवकों के संबंध में प्रभावी जांच कर सकें, जिन पर अनुचित अथवा भ्रष्ट तरीके से कार्य करने का संदेह हो या आरोप हो। भारत सरकार द्वारा संथानन कमेटी की सिफारिशें से सहमत होते हुये केन्द्र ने सतक्रता आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया तथा तत्संबंधी विवरण लोक सभा में पटल पर दिनांक 16.12.1963 को रखा गया।

इसके साथ केन्द्रय गृह मंत्रालय के स्तर पर यह भी विचार हुआ कि केन्द्रीय सतक्रता आयोग की तर्ज पर राज्यों में भी इसी प्राकर की मशीनरी की स्थापना की जाये जो स्वतंत्र रूप से भ्रष्टाचार तथा अधिकारों के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों की जांच कर प्रीाावी कार्यवाही करने में सक्षम हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा ने दिनांक 28.12.1963 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा गृह मंत्रियों की एक बैठक दिल्ली में आयेाजित की। सतक्रता आयोग की स्थापना की पृष्ठभूमि उक्त बैठक में श्री नंदा के भाषण के निम्न अंश से सुस्पष्ट हो जायेगी। जैसे–

... This is also imprtant fact that with the ever widering scope of the administration's activities, the emergence of the welfare State has so enormously enlarged the technical range of Governmental problems that the higher Civil servants alono can be said to be the masters of those details which make the substance of public affairs. The scope of governmental activies has today expanded to a point where only those persons who deal with them from day to- day over a long period of time can be familiar with their manifold in operation in parliamentary demoracies should be provided for expeditious and adequate redress against abuse of authority affecting the common man.... etc.

केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक के तुरंत बाद ही मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य सतक्रता आयोग की स्थापना को दिशा में त्वरित कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अपनी दिनांक 18.1.64 की बैठक में 'राज्य सतक्रता आयोग' की स्कीम का अनुमोदन किया गया। तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 07.02.64 को अधिसूचना जारी कर दिनांक 01 मार्च 1964 को राज्य सतक्रता आयोग की स्थापना की गई। अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तार पर राज्य सतक्रता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग स्तर पर संभागीय सतक्रता मंडलों तथा जिला स्तर पर जिला सतक्रता अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी रखा गया था।

लोकायुक्त संगठन –

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है शासन के उच्च स्तर पर लगातार इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाता रहा है कि भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग को रोकने के लिये और अधिक प्रभावी मशीनरी की स्थापना की जाये। केन्द्र के समान ही मध्यप्रदेश में वर्ष 1969 ने श्री नरसिंहराव दीक्षित की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति की गई थी। उक्त प्रशासनक सुधार आयोग ने भ्रष्टाचार रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख किया है–

"The appointment of a Vigilance Commission in 1964 was the last of series of devices tried in Madhya Pradesh to tackle the problem of corruption,. But neither the Vigilance Commission nor any of the previous devices like Aniti Corruption Department,. Cmoplaints Board and district complaints Committees consisting of both official and non-official menbers.

इस प्रकार लोकायुक्त संगठन की स्थापना के पीछे एक प्रमुख कारण राज्य सतक्रता आयोग का पर्याप्त रूप से प्रभावी न होना भी है। राज्य सतक्रता आयोग के प्रभावी न होने का एक कारण यह भी था कि वह राज्य शासन के मात्र कार्यपालिक आदेश द्वारा स्थापित किया गया था तथा उसकी स्थापना का कोई वैधनिक आधार नहीं था वास्तव में तो राज्य सतक्रता आयोग तथा अनेक राज्यों में कार्यरत 'भ्रष्टाचार निरोधक विभागों में मात्र अतंर इतना हीथा कि राज्य सतक्रता आयुक्त के पद पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को आसीन किया गया था। सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा सृजित होने के कारण यह पाया गया कि आयोग वास्तव में कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता।वैसे भी आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन राज्य सरकार को ही प्रस्तुत किये जाते थे। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययनदल ने निम्नानुसार टिप्पणी की :–

"In the absence of constitutional or even or even statutory recognition of its position it may act at best as a department of the Government to check corruption."

प्रदेश की सरकार ने इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य में लोकायुक्त संगठन की स्थापना का निर्णय लिया। इस संगठन की स्थापना के लिये मूलतः एक विधेयक मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा वर्ष 1975 में पारित किया गया था किन्तु केन्द सरकार द्वारा लोकपाल विधेयक में कतिपय परिवर्तन विचाराधीन होने होने के कारण इस पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के प्रकाश में राज्य के विधेयक पर भी पुनर्विचार किया गया तथा तद्नुसार तैयार किया गया विधेयक मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्ष 1980 में प्रस्तुत हुआ। अप्रैल 1981 में विधेयक पारित होने तथाउस पर माहमहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत उक्त विधेयक अधिनियम के रूप में लागू हुआ तथा 14 फरवरी 1982 से राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा उसे प्रभावशील किया गया। वर्तमान रूप में लोकायुक्त संगठन की विशेष बात यह है किवैधानिक प्रावधान द्वारा स्थापित होने के कारण यह कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हैं यही नहीं लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा महामहिम राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं जिन पर विधानसभा द्वारा विचार किया जाता है। इस प्रकार संगठन एक तरह से विधायिका अधिनियम के रूप में लागू हुआ तथा 14 फरवरी 1982 से राज्य शासनकी अधिसूचना द्वारा उसे प्रभावशील किया गया। वर्तमान रूप में लोकायुक्त संगठन की विशेष बात यह है कि वैधानिक प्रावधान द्वारा स्थापित होने के कारण यह काग्रपालिका के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हैं यही नहीं लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा महामहिम राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं जिन पर विधानसभा द्वारा विचार किया जाता है। इस प्रकार संगठन एक तरह से विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण का एक माध्यम भी है।

1.4 संगठन के पदाधिकारी

लोकायुक्त : लोकायुक्त संगठन के प्रमुख, 'लोकायुक्त' होते है। इस पद पर नियुक्ति के पात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे हों। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री , उप मंत्री, संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव मध्यप्रदेश शासन की जाँच लोकायुक्त द्वारा ही की जा सकती है।

उप लोकायुक्त : उप लोकायुक्त के पद पर ऐसे ही व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों अथवा रहे हों या भारत सरकार में सचिव के पद पर अथवा राज्य या केन्द्र शासन में समकक्ष पद पर रहे हों। उप लोकायुक्त ऐसे प्रकरणों को छोड़करी जिनकी जाँच के अधिकार केवल लोकायुक्त में ही वेष्ठित हैं, अन्य प्रकरणों की जाँच कर सकते है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की सहायता हेतु संगठन में चार शाखाएँ कार्यरत हैः–

1. प्रशासकीय : कार्य एवं जाँच शाखा : संगठन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी सचिव के पद पर पदस्थ हैं, जो सम्पूर्ण संगठन के विभागाध्यक्ष के कृत्यों का संपादन करते है। प्रशासकीय एवं जाँच शाखा के प्रमुख भी सचिव हैं। सचिव की सहायता हेतु एक उप सचिव, एक अवर सचिव, एक लेखा अधिकारी एवं चार अनुभाग अधिकारी भी संगठन में पदस्थ है।

2. विधि शाखा : लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को वैधानिक सलाह देने तथा महत्वपूर्ण प्रकरणों की जाँच में उनकी सहायता करने के लिए संगठन में तीन विधि सलाहकार एवं एक उप विधि सलाहकार पदस्थ है, जो उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी होते है तथा माननीय उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होते है।

3. तकनीकी शाखा : तकनीकी स्वरूप के प्रकरणों की जाँच के लिये संगठन के अधीन तकनीकी शाखा भी कार्यरत हैं इस शाखा क प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारी हैं, जिनकी सहायता हेतु दो अधीक्षण यंत्री, दो कार्यपालन यंत्री छः सहायक यंत्री तथा दो तकनीकी सहायक के पद स्वीकृत हैं।

4. विशेष पुलिस स्थापना : लोक प्रशासन से संबंधित कतिपय अपराधों के अनुसंधान के लिये विशेष पुलिस बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष पुलिस स्थापना का गठन किया गया। विशेष पुलिस स्थापना के प्रमुख, महानिदेशक होते है, जिनकी सहायता के लिये दो महानिरीक्षक, सात पुलिस अधीक्षक तथा छब्बीस उप पुलिस अधीक्षक तथा अन्य दर्जे के अधिकारी/ कर्मचारी के पद हैं।

1.5 संभागीय सतक्रता समितियाँ

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1982 में वर्ष 1998 में संशोधन कर धारा–13 ए जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर जिला सतक्रता समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। वर्ष 2003 में जिला सतक्रता समिति का नाम संभागीय सतक्रता समिति संशोधित किया गया। अधिनियमकी धारा' 13 ए के अनुसार प्रत्येक संभागीय सतक्रता समिति में तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होगा जो सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग से निम्न पर श्रेणी का नहीं होगा या एक ऐसा सेवानिवृत्त कार्यपालिक अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी से निमन पद श्रेणी का न हो और जिसे न्यायालय के कार्य का अनुभव हो। समिति के अन्य दो सदस्यों के लिये ऐसा कोई बंधन नहीं रखा गया है। समिति के सदस्यों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा लोकायुक्त की सिफारिश पर की जाती है। सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है तथा यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु के बाद समिति का सदस्य नहीं रह सकेगा। समिति को केवल ऐसी शिकायतों की जाँच करने का अधिकार हैं, जो उन्हें

इस हेतु लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त द्वारा भेजी जायें।

संगठन की वैधानिक स्थिति

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है लोकायुक्त संगठन की स्थापना मध्यप्रदेश विचानसभा द्वारा अप्रैल 1981 में पारित अधिनियम द्वारा की गई है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्त उनके कार्यभार ग्रहण करने से 6 वर्ष की अवधि के लिये होती है तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। इसी प्रकार लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त के पद से मुक्त होने के उपरांत उनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन के अधीन किसी भी शासकीय पद, सहकारी संस्था, शासकीय कम्पनी अथवा निगम में नहीं की जा सकती।

लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली ऐसी सभी शिकायतों की जाँच की जा सकती है जिनका विषय शिकायत के दिनांक को 5 वर्ष से अधिक पुराना न हो। उनके द्वारा ऐसे प्रकरणों में जाँच नहीं की जा सकती, जिनमें कि लोक सेवक जाँच अधिनियम, 1950 अथवा कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के अंतर्गत पूर्वसे ही जाँच आदेशित की जा चुकी हैं लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को इस बात की छूट है कि वे अपने स्वयं के विवेक से उस प्रक्रिया का निर्धारण करें जो जाँच के लिये आवश्यक है। सक्षियों आदि की उपस्थिति के लियेक साक्ष्य अधिनियम, 1872 एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार शक्तियाँ लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त में वेष्ठित की गई है। लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त के सम्मुख विचाराधीन सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 एवं 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही माने जाने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त को न्यायालय की अवमानना (ब्वदजमउचज व ब्वनतज) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत न्यायालय की मान्यता भी दी गई है अतएव उनके आदेशों अथवा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबधित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय कअवमानना के लिये काय्रवाही की जा सकती है।

अधिनियम की धारा 12 (1) में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध अभिकथनों के संबंध में जाँच करने के पश्चात् लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को यह समाधान हो जाये कि ऐसे अभिकथन सिद्ध हो गये हैं,

अधिनियम की धारा 12 (1) में यह प्रावधान है कि यहद किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध अभिकथनों के संबंध में जाँच करने के पश्चात् लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को यह समाधान हो जाये कि ऐ से अभिकथन सिद्ध हो गये हैं, तो सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के साथ, अपने निष्कर्ष तथा अपनी सिफारिशें लिखित रिपोर्ट द्वारा सक्षम अधिकारी को संसूचित करेगा। धारा 12– क में इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष के संबंध में विशेष प्रावधान कर यह व्यवस्था की गई है कि उनसे संबंधित प्रकरणों में प्रतिवेदन तथा अनुशंसा राज्यपाल महोदय को भेजी जायेगी। इस प्रावधान का यह स्पष्ट आशय है कि सक्षम प्राधिकारी अथवा राज्यपाल महोदय को अभिकथन सिद्ध होने की स्थिति में ही रिपोर्ट तथा अनुशंसा भेजी जाना है, अन्यथा स्थिति में नहीं।

अधिनियम में यह भी प्रावधान है लोकायुक्त या उप लोकायुक्त की रिपोर्ट की प्राप्ति के तीन माह के अंदर संबंधित सक्षम प्राधिकारी इस बातकी जानकारी उन्हें उपलबध करायेगा कि उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई अथवा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है। किसी प्रकारण में की गई कार्यवाही से तुष्टि न होने की स्थिति में लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को यह अधिकार है कि वे तत्संध में राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन भेजे।

अधिनियम के अंतर्गत सद्भाविक तौर पर की गई किसी भी कार्यवाही के लिये लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त या संगठन के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। ऐसे प्रकरणों में जहाँ लोकायुक्त यह

अनुभव करें कि किसी भी प्रचलित प्रक्रिया के कारण प्रशासन में कदाचार अथवा भ्रष्टाचार का अवसर उत्पन्न होता है तो वे शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर ऐसे उपाय सूझा सकते हैं, जैसा कि वे उपयुक्त समझें।

अधिनियम के माध्यम से संगठन में विभिन्न अधिकार वेष्ठित करने के बाद से संगठन की भूमिका निश्चित रूप से प्रभावकारी सिद्ध हुई है।

1.7 संगठन की वेबसाईट

संगठन से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक रूप से सुलभ कराने के उद्देश्य से एक वेबसाईट http://www.mplokayukt-nic-in तैयार की गई है।

संदर्भ स्रोत :–

1. लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त शोध–सामग्री, भोपाल (म.प्र.)

2. http://www.mplokayukt-nic-in

3. डॉ. बी.एल. फडिया : भारत में लोक प्रशासन, साहित्य भवन आगरा, 2005

4. डॉ. यू0पी0डी0 केसरी : प्रशासनिक विधि , सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद (उ.प्र.) 2010

5. प्रतियोगिता दर्पण (2008) अतिरिक्तांक, स्वदेशी बीमा नगर से प्रकाशित–आगरा

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

Depiction of Society in the Novels of Bhabani Bhattacharya

❐ Pradeep Kumar*
❐ Dr. A.K. Mishra**

ABSTRACT

Bhabani Bhattacharya (10 November 1906–10 October 1988) was an Indian writer, of Bengali origin, who wrote social-realist fiction. He was born in Bhagalpur, part of the Bengal Presidency in British India. Bhattacharya got a bachelor's degree from Patna University and a doctorate from the University of London. He came back to India and joined the diplomatic service. Bhattacharya served in the United States, to which country he returned as a teacher of literary studies once he had left the service. In his mid-thirties Bhattacharya began writing fiction set in historically and socially realistic contexts. He wrote in English, his chosen medium following the advice of two prominent literary figures.

Being a novelist with a social purpose, Bhattacharya has depicted the social, economic and political changes in India on the background of the contemporary historical events and social conditions. The chapter proposed to examine his three novels namely, So many Hungers (1947),He Who Rides a Tiger (1952) and a Goddess Named Gold (1960) in which poverty, hunger and exploitation are the major themes.

CALAMITIES OF SOCIETY :

Bhattacharya's latest novel 'Shadow from Ladakh' tells an extremely gripping story of unsurpassed drama on a broad and revealing canvas. It tells what India needs for survival-a meeting point between Gandhian social ethics and tremendous forces of science and technology. It deals with India's conflict with China and her response to the challenge.

So Many Hungers ! Bhabani Bhattacharya's first novel so Many Hungers! (1947) deals with poverty, hunger and exploitation of the peasants in the man-made famine of Bengal during the Second World War. The exclamatory mark with which the title ends denotes the writer's bewilderment at the multiplicity of hunger. B. Syamala Rao in Bhabani Bhattacharya says, The title of the novel, so many Hungers! is amply justified. There are indeed many hungers–hunger for food, hunger for affection, hunger for love, hunger for lust, hunger for money, hunger for sacrifice and hunger for general welfare of all. [2]

Indian peasants are always under the shadow of either a famine or a flood. Most of them are always the victims of natural calamities. They accept poverty and hunger as their destiny. But this story deals with the hunger which is an outcome of a man-made famine.

Bhattacharya deals with the specific period of famine, when the poor farmers were fooled by the opportunists into selling all their grain for a paltry price and were finally reduced to hunger. Bhattacharya traces their movement to the city of Calcutta in search of food and their degradation as

* DEPARTMENT OF ENGLISH, A.P.S. UNIVERSITY, REWA (M.P.)
** ASSISTANTROFSSOR IN ENGLISH, S.R.P. COLLEGE, HANUMANA, DISTT. REWA (M.P.)

well as the tragic deaths of millions of men. He portrays a whole lot of exploiters who never hesitate to use the vulnerability of its victims for selfish gains.

The story moves around two families. The urban family of Samarendra Basu in Calcutta consists of his wife, two sons Rahul and Kunal, Rahul's wife Maju and father Devesh or Devata. The other, a peasant family from a small village Jharana, consisting of Mother, her husband, her daughter Kajoli, two sons and the son-in-law Kishore. These two families make the two strands of the plot. While only one member of the rich family is responsible for the exploitation of the poor, the other members on the contrary extend their helping hand to the poor. The stories of these two families run parallel till the end of the novel.

Samarendra, who is a lawyer by profession, looks at the war as an opportunity to make a fortune. He forms a trading company with the ironic name 'Cheap Rice, Limited'. He realizes that if he could corner even a fraction of Bengal's rice yield, he would be a millionaire. His younger son Kunal, who loves thrill, joins the British Army. The elder son Rahul who follows the footsteps of his grandfather Devesh looks at the war as a threat to democracy. Samarendra's wife realizes that scarcity of food and essential commodities will make the life of the common people miserable.

Devesh Basu, whom the villagers of Baruni call 'Devata', inspires them to participate in the Civil Disobedience Movement. The police arrest Devata and Kajoli's father. The villagers respond with anger and set the post office on fire. The government imposes a collective fine upon the entire village for the arson. The villagers set the rice grains to pay the fine. A number of villages at the coastal area are taken into possession by the British army. The disposed ones rush to Calcutta to earn their living.

The condition in the countryside worsens day by day. The rice hunger swells with the time. The stock of cattle fodder gets exhausted. The people start feeding themselves on the fish, crabs and green tree figs. The traders from the cities start appearing at the doors of the villagers to sell rich in exchange of the household utensils and cattle. The brothel agents from the city lure the poor peasants by telling them they can get rich by sending their young daughter to the city. When the scarcity of food becomes unbearable, Kajoli's family too leaves for Calcutta. They feed themselves with green figs and roots during their journey on foot. One night Kajoli is raped by a soldier in the meadows. Kajoli, who is pregnant, is seriously hurt. The soldier however later on feels guilty and takes Kajoli and her family to Calcutta in an ambulance and admits her in a hospital.

A number of relief centers are opened in Calcutta to help the destitute from the countryside. Rahul works in one of such centers. Kajoli's mother and brother survive for the next few days on the free kitchens run by the relief centers. After a few weeks Kajoli is discharged from the hospital. The mother takes her to the alley where the live. Kajoli feels guilty for making her mother to live in such a miserable condition. A betel leaf seller woman suggests Kajoli an easy way of making money. Kajoli understands the nature of the woman and decides to keep herself away from her. But after a few days, in order to save her family from hunger, she decides to accept the offer. She feels that her body is already defiled so it does not make any difference if it gets defiled again and again. She accepts the advance from the agent and keeps the money inside the sacking on the bed under her mother's head. The mother decides to commit suicide to remove her burden from her children. When she wakes up, she takes off her sari and wraps herself with the sacking under her head and goes to the bridge over the river Ganga to commit suicide. Kajoli leaves the house to meet the brothel agent. On her way she hears a newspaper boy shouting that an old freedom fighter Devesh Basu is on hunger strike in the prison. Kajoli remembers his words "Do not betray yourself. The supreme test has come, Be strong, Be true, Be deathless" (195). Kajoli repents with anguish for succumbing to the crisis so cheaply. Now she decides to earn money with honest means. She gives a smack on the brothel agent's face and enters the newspaper office to find a job. Samarendra receives the news that his son Kunal Basu is missing from the war front and Rahul is arrested by the police for the anti-government activities. He understands that the British Empire has claimed both his sons. His hunger for money and fame devastates his family.

'Hunger' is the central character of this novel. If there is any protagonist, it is hunger. All the human characters are peripheral. They represent different types of hungers. At the inner periphery there are three characters: Kajoli, her mother and her brother Rahul. They are victims of hunger for food. At the outer periphery we have Samarendra, his elder son Onu, younger son Kunal, Rahul's wife Manju, Samarendra's father 'Devesh, kajoli's father and brother, the soldier and the black marketer Abalbandhu, Samarendra is a victim of hunger for money. Rahul is a victim of so many hungers – hunger for research, hunger for freedom, and hunger for happier life of common man. Kunal has a hunger for adventures. Manju is hungry for her sweet home. Devesh Basu and Kajoli's father and brother have hunger for the freedom. The soldier is a prey to sex. Abalbandhu is not a victim of hunger for money but he makes other victim of his hunger for money.

The son of freedom fighter turns into a black marketer. Samarendra's present seems to be an inevitable outcome of his past which is marked by poverty. His disgust for the poverty and hunger for money are the result of his impoverished childhood. His childhood memories of humiliation and insecurity haunt him. He thinks that his sons should never face the ugly sordidness of poverty. "And it was all for his sons' sake-with wealth heaped at his feet, his own personal needs were still little more than a daily bowl of rice, as they had been in all those years when poverty had held him chained like a slave" (31). Though his son, Rahul feels that he is an 'insensitive man', Samarendera evokes our pity because of his concern for his family. A well known critic Balaram Gupta says that his primary fault is that he refuses to enlarge the orbit of his concern and sympathy. He does not care about the world.

Bhattacharya shows his socialistic, Gandhian attitude towards free India . One man owns half a village; the tillers have the rest in five hundred morsels" (69). We can feel Gandhian impact throughout the novel. The 'cow house five' is an example of Gandhian influence. In the Quit India Movement, Gandhi insisted upon women's active participation. Bhattacharya shows the march of women for Satyagraha in the very beginning of the novel. He shows that women of a small village perform the rebellious act of saluting the flag and show courage to go to prison. Through the character of the minstrel Bhattacharya present Gandhian philosophy. When Meera requests him to take revenge upon the Seth, the minstrel speaks Gandhi's words "You cannot right one wrong with another. You cannot fight malice with malice...Those who mock at goodness mock themselves; for their is a secret goodness in them also" (62, 63). Even in his Kathas, the minstrel refers to the father of the nation. "An old man whose voice has filled this country for thirty years has a curious wish in his heart. It is to wipe every tear from every eye" (75). Meera becomes an ardent follower of Gandhi. She wishes to use the touchstone to wipe every tear from the eyes of the poor. The entire speech delivered by the minstrel at the climax of the story tells the philosophy of Gandhi.

The novel thus unfolds various examples of exploitations of the ignorant Indian masses living in villages who try to overcome their poverty and hunger though the supernatural means like magic and miracle. Bhattacharya exposes the worthlessness of such a miracle in eradication of poverty hunger and exploitation.

References:

1. Joshi, Sudhakar. "An Evening with Bhabai." The Sunday Standard, April 27, 1969, p. 230.
2. Rao, Syamala. Bhabani Bhattacharya. Bombay : Blackie & Sons Publishers, 1988, p. 46.
3. Sharma, K.K. Bhabani Bhattacharya : His Vision and Themes. New Delhi : Abhinav Publications, 1970, p. 227.
4. Gupta, Balram, G.S. Indian English Literature. New Delhi : Anmol Publication, 2003, p. 124.
   Chandrasekharan, K.R. Bhabani Bhattacharya. New Delhi : Arnold Heinemann, 1974, p. 21.
6. Naik, M.K., Desai, S.K. and Amur G.S. ed. Critical Essays. Dharwar : Karnataka University, 1971, p. 213-14.
7. Chandrasekharan, K.R. Bhabani Bhattacharya. New Delhi : Arnold Heinemann, 1974, p. 32.
8. Ibid, 32.
9. Sharma, K.K. Bhabani Bhattacharya : His Vision and Themes. New Delhi : Abhinav Publications, 1970, p. 61.
10. Singh, K.S. Indian Novel in English : A Critical Study. New Delhi : Arnold Heinemann, 1977, p. 67.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal SJIF - 4.076

महाकाव्य परम्परा में श्रीभार्गवराधवीयम

❐ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी*
❐ संतोष कुमार तिवारी**

शोध सारांश

'भार्गवराघवीयम्'' महाकवि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य का अनुपम संस्कृत महाकाव्य है। प्रबन्धात्मक तथा सर्गात्मक दृष्टि से यह महाकाव्य इक्कीसवीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। संस्कृत साहित्य के बहत्त्रयी अर्थात् भारविकृत– किरातार्जुनीयम् – 18 सर्ग, महाकवि माघ विरचित – शिशुपालवधम् – 20 सर्ग एवं श्रीहर्ष कृत –नैषधीयचरितम् – 22 सर्ग के मध्य समुपस्थित होकर वृहत्त्रयी की जगह वृहत्चतुष्टयी की संज्ञा को सनाथित करने वाले इस महाकाव्य में 21 सर्ग हैं। सममें प्रभु श्रीराम एवं भार्गव (परशुराम) की कथा का उदात्त चित्रण महाकवि द्वारा किया गया है। इसके प्रत्येक सर्ग में 101 श्लोक हैं अर्थात् 101×21=2121 श्लोक इस महाकाव्य में हैं।

शब्द–बीज–महाकाव्य, परम्परा, श्रीभार्गवराघवीयम्, ज्योतिष, नाट्यशास्त्र, नीति, पुराण आदि।

प्रस्तावना :–

प्रस्तुत महाकाव्य में उपरिवर्णित इक्कीस सर्गो में भार्गव अर्थात् परशुराम एवं राघव अर्थात् प्रभु श्रीराम का जीवन चरित मनोहारी साहित्यिक शैली में महाकवि द्वारा वर्णित है। महाकाव्य के नायक प्रभु श्रीराम (राघव) एवं प्रतिनायक भार्गव (परशुराम) जी हैं। कथा वैशिष्ट्य की दृष्टि से 'भार्गवराघवीयम्' आधुनिक समय का सर्वोत्तम महाकाव्य है। साहित्य शास्त्र, काव्यशास्त्र एवं व्याकरण शास्त्र इत्यादि के जिन दुर्लङ्घ्य मानकों को लक्ष्य करके वृहत्त्रयी के महाकाव्यों – 'किरातार्जुनीयम्, शिशुपालवधम् तथा नैषधीयचरितम् का प्रणयन महाकवियों द्वारा किया गया था, उन सभी मानकों का 'श्रीभार्गवराघवीयम्' के प्रणेता स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अपने इस महाकाव्य में काव्य क्रीड़ा विलास करते हुए ही बालुका निर्मित दीवार की भाँति भेदन करके पदे–पदे वेद, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, नाट्यशास्त्र, राजनीति, नीति, पुराण, इतिहास इत्यादि का पाण्डित्य प्रदर्शन करते हुए प्रस्तुत महाकाव्य का प्रणयन किया है। कथा वैशिष्ट्य की दृष्टि से इक्कीस सर्गीय महाकाव्य 'भार्गवराघवीयम्' अद्भुत है। महाकवि का छन्द प्रयोग विशिष्ट है। वृहत्त्रयी में परिगणित किरातार्जुनीयम्– महाकवि भारवि, शिशुपालवधम्–महाकवि माघ, एवं नैषधीयचरितम्– महाकवि श्री हर्ष में रचनाधर्मिता का विशिष्ट प्रदर्शन

* प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी, ग्राम–लखनपुर (कालूपुर) पोस्ट–गाढ़ा, थाना व तहसील कोरांव, जिला – प्रयागराज (उ.प्र.)

किया गया है, किन्तु 'भार्गवराघवीयम्' महाकाव्य का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि यह महाकाव्य छन्द विधान में कहीं वृहत्त्रयी में प्रयुक्त छन्द–विधान से श्रेष्ठ है। महाकवि भारवि ने अपनी एक मात्र कृति 'किरातार्जुनीयम्' में 13 छन्दों का प्रयोग मुख्य रूप से किया हैं।[1] महाकवि माघ ने अपनी अमरकृति 'शिशुपालवधम्' में 16 छन्दों का प्रयोग किया है।[2] नैषधीयचरितम् महाकाव्य में कवि श्री हर्ष ने 19 छन्दों में अपनी दक्षता दिखलायी है।[3] जबकि 'भार्गवराघवीयम्' महाकाव्य में महाकवि स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा – अनुष्टुप, शार्दूलविक्रीडित, वंशस्थ, मालिनी, उपजाति, इन्द्रवज्रा, वैतालिक, हरिणी, प्रहर्षिणी, द्रुतविलाम्बित, स्वागता, त्रोटक, धोधक, आर्या, रथोद्धाता, शिखरिणी, वसन्ततिलका, शालिनी, स्रग्धरा, घनाक्षरी, हरिगीतकम्, गीतकम्, सपादिका, मन्तगजेन्द्रम्, नाक्रुटिकम्, इन्द्रवंशा, कनकम०जरी, पृथ्वी, भुजङ्गप्रयात, मन्दाक्रान्ता, मन्तमयूरिकम् इत्यादि परम्परागत एवं नवीन कुल मिलाकर 33 छन्दों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक सर्ग में परिवर्तन किया गया है। महाकवि भारवि एवं माघ की शैली का अनुसरण करते हुए कवि ने भी अपने महाकाव्य में प्रत्येक सर्ग के अन्तिम श्लोक में 'श्री' शब्द का प्रयोग किया है। यथा–

'इत्थ शुभे भार्गव राघवीये भव्ये महाकाव्य उदारवृत्ते।

सर्गोऽक्रसंज्ञः कविरामभद्राचार्य प्रणीतेस्तु नृणां श्रियैः नः।।''[4]

'इत्थं शुभे भार्गवराघवीये भव्ये महाकाव्य उदारवृत्ते।

ब्रह्माक्षिसर्गः कवि रामभद्राचार्य प्रणीतेस्तु सतां श्रियैः नः।।''[5]

सर्गों का चयन भी महाकवि द्वारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किया गया है। उपरिलिखित श्लोक में प्रथम श्लोक सर्ग संख्या '12' का है, जो 'अक्र' संज्ञा (अक्र =12) से नामित है। इसलिए द्वादश सर्ग हुआ, इसी प्रकार द्वितीय श्लोक में 'ब्रह्माक्षि' सर्ग अर्थात् ब्रह्म=1, अक्षि=2, इस प्रकार 12 संख्या प्राप्त होने पर ''अङ्कानां वामतो गतिः'' इस ज्योतिष की गणना के अनुसार अंकों को उलटकर क्रमिक करने पर '21' प्राप्त होता है, इसलिए सर्ग संख्या 21 का चयन ब्रह्माक्षि सर्ग किया गया। कथा वैशिष्ट्य की दृष्टि से भार्गवराघवीयम्' महाकाव्य सर्वश्रेष्ठ एवं अनुपम महाकाव्य है। 21 सर्गों में काव्य प्रणयन करने के पीछे भी कवि का अभिमत होगा कि इसके प्रतिनायक परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया था। इसलिए महाकाव्य सम्पूर्ण कथा इक्कीस सर्गों में विभक्त है।

रस विधान भी इस महाकाव्य में अनोखा है। मूलतः 'वीर रस' प्रधान इस महाकाव्य में अन्यान्य काव्य ग्रन्थों की भाँति आठ रसों को तो महाकवि ने अङ्कीकार किया ही है साथ ही आचार्य मम्मट प्रतिपादित नवम रस ''शान्त'', रूपगोस्वामी द्वारा प्रतिपादित ''भक्ति रस'' आचार्य विश्वनाथ प्रतिपादित ''वत्सल रस'' एवं महाराजा भोज कृत ''प्रेमरस'' का भी सन्निवेश किया है। इस प्रकार 'भार्गवराघवीयम्' कुल मिलाकर द्वादश रसों से रसाप्लावित महाकाव्य है। इन समस्त रसों का यथावसर अलग–अलग स्थलों पर तो विद्वान जन महाकाव्य पढ़ते समय आन्द प्राप्त करते ही हैं साथ ही सत्रहवें सर्ग में श्लोक संख्या 42 से लेकर श्लोक संख्या 53 तक के बीच अर्थात् 12 श्लोकों में महाकवि द्वारा 12 रसों का मनोरम प्रयोग किया गया है, जो काव्य की सुषमा को अत्यन्त सुसज्जित कर देते हैं। प्रायः 'हास्य' रस के प्रयोग में कवियों को कठिनाई का अनुभव होता है, किन्तु भार्गवराघवीयम् के 18 वें सर्ग में परशुराम –लक्ष्मण संवाद के अन्तर्गत कवि द्वारा इसका प्रयोग बड़ी ही सहजता के साथ किया गया है। जैसे– लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं–

'त्वं तु मोहविवशो रघुद्वहं मन्यसे मनुजदारकं द्विज।

नो दिवापि यदुलूकको रविं वीक्ष्यते किमु दिनेशदूषणम्।।[6]

अर्थात् हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आप मोहविवश होकर श्रीराम को मनुष्य बालक मान रहे हो, यदि दिन में भी उल्लू सूर्य को न देख सके तो सूर्य नारायण का क्या

दोष है। अलंकार की दृष्टि से भी भार्गवराघवीयम् महाकाव्य का काव्य सौष्ठव अप्रतिम है। अनुप्रासालंकार प्रिय कवि ने अन्य श्रेष्ठतम कवियों की भाँति मौलिक रूप से समस्त अलंकारों का प्रयोग अपने इस महाकाव्य में किया है। अनुप्रास अलंकार का तो प्रयोग प्रायशः महाकाव्य के समस्त सर्गों में मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होता है। यथा–

''स ब्रह्मचारी निजधर्मचारी स्वकर्मचारी च न चाभिचारी।

चारी सतां चेतसि नातिचारी स चापचारी स न चापचारी।।[7]

किरातार्जुनीयम् के प्रणेता भारवि ने अपने महाकाव्य में एकाक्षरी श्लोक की रचना की है तो स्वामी रामभद्राचार्य भी 'क' और 'ल' वर्ण पर एकाक्षरी श्लोक का सृजन किये हैं। यथा–

''काक काक कका काक कुकाकाक ककाकक।
कुकका काक का काक कौका काक कुकाकक।।8
''लोलालाली लला लोल लीला लाला लला लल।
लेले लेल ललालील लाल लौलील लालल।।''9

प्रकृति चित्रण भार्गवराघवीयम् महाकाव्य में आद्योपान्त है। उपवन, वन, पर्वत, सर, सरिता, सागर, ऋतु, काल, दिन, रात्रि आदिका मनोरम वर्णन, सजीव एवं हृदयग्राही रूप से महाकवि द्वारा चित्रांकित किया गया है। चर्म–चक्षुओं के अभाव के बाद भी कवि द्वारा किया गया प्रकृति चित्रांकन प्रकृति प्रेम को तो दर्शाता ही है, साथ ही प्रकृति के समस्त अंगो–उपांगों एवं विविध उपकरणों के बारे में उनकी शूक्ष्म एवं सजीव दृष्टि का भी दिग्दर्शन कराता है।

साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और विवश करने का कार्य युगों–युगों से साहित्य के द्वारा ही किया गया है। किन्तु आजकल साहित्य सृजन लोक कल्याण की भावना से न होकर लोक रंजन की भावना से साहित्यकारों द्वारा किया जाने लगा है। अपने साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रृंगार रस, सुरतक्रीड़ा, जलक्रीड़ा इत्यादि का अधिकाधिक विस्तृत वर्णन होने लगा है। जबकि स्वामी रामभद्राचार्य जी लोकरंजनार्थ काम काव्य का प्रणयन न करके लोक मंगलार्थ 'रामकाव्य' की सर्जना किये हैं।

वृहत्त्रयी के कवियों ने भावपक्ष की अपेक्षा, कलापक्ष को अधिक महत्व दिया है किन्तु भार्गवराघवीयम् में महाकवि ने भावपक्ष एवं कलापक्ष के मणिकाञ्चन संयोग पर बल दिया है। इस प्रकार से विलक्षण प्रतिभा से सम्पन्न महाकवि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने इक्कीस वीं शती के प्रथम चरण में 'भार्गवराघवीयम्' महाकाव्य की सर्जना करके संस्कृत वाङ्मय को अमूल्य रत्न रूपी अवदान प्रदान किया है। प्रो. योगेशचन्द्र दुबे ने लिखा है–

''माघे किराते ननु नैषधीये रघौ कुमारेऽपि चये विशेषाः।

तेभ्योधिकाः जागृति रामभद्राचार्योद्भवे भार्गवराघवीये।।''[10]

'भार्गवराघवीयम्' महाकाव्य की संक्षिप्त कथावस्तु इस प्रकार है–

प्रथम सर्ग :– 'भार्गवावतारोपक्रमः नामक प्रथम सर्ग में पदवाक्यप्रमाणज्ञ पारावारपारीण, धर्मचक्रवर्ती, रामानन्दाचार्य महाकवि श्रीरामभद्राचार्य अपने महाकाव्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु अनुष्टुप छन्द में माता सरस्वती का सीता राम के साथ गेयगायक भाव सम्बन्ध सिद्ध करते हुए कहते हैं–

''सीतारामयशोम०जुमुक्तामोदमुंद मुदे।
वन्देवाग्देवतानाम्नीं मरालीं मानसाश्रयाम्।।''[11]

अर्थात् – मैं रामभद्राचार्य सरस्वती की प्रसन्नता एवं निर्विघ्न ग्रन्थ की समाप्ति के लिए श्री सीता–राम की मधुर सुयशरूपी मोतियों की सुगन्ध से प्रसन्न अपने मानस सरोवर में विराजमान वाग्देवता माँ सरस्वती रूपी राजहंसिनी की वन्दना करता हूँ। यह सर्ग प्रायः अनुष्टुप छन्द में लिखा गया है। इसमें प्रभु श्रीराम के अवतारी परशुराम के अवतार के उपक्रम की कथा वर्णित हैं–

''गौरश्यामो जनारामौ रामौ भार्गवराघवौ।
भगवन्तौ भजे भव्याववतारावतारिणौ।।''[12]

द्वितीय सर्ग :– 'दीक्षा' संज्ञक द्वितीय सर्ग में जमदग्नि पत्नी रेणुका जी का अग्निगर्भा शमी की भाँति समस्त निन्दित गुणों से रहित, कल्याणमय निर्मल पूर्ण चन्द्र स्वरूप प्रभुनारायण (परशुराम) को गर्भ में धारण करना, रेणुका जी का पुंसवन एवं सीमन्तोन्नयन संस्कार, परशुराम का आविर्भाव एवं विभिन्न संस्कार तथा भगवान् शिव से दीक्षा प्राप्त करने और गुरुकुल वास हेतु कैलाश गमन करने का वर्णन है।

''सा रेणुका केशमताङ्घ्रिरेणुं प्रपन्नकामार्पणकाम धेनुम्।

बभौ बहन्ती जठरेऽजनं तं शमीव विप्रद्विडरण्यवह्निम्।।''[13]

तृतीय सर्ग :– ''गुरुषसत्तिः'' नामधेयो तृतीय सर्ग में महाकवि कहते हैं कि प्रभु परशुराम गायत्री व्रत एवं दीक्षा के अनन्तर लोक संग्रह की इच्छा से दुष्ट राजाओं के शोषण निवारणार्थ एवं वेदविहित ब्राह्मणों के धर्म विग्रह का उद्धार करने की इच्छा से भगवान् शिव के पास गये। क्योंकि विना विद्या लोक संग्रहादि सम्भव नहीं है।

'ततश्चिकीर्षुर्नुनुलोकसंग्रहं निराचिकिर्षुः कुभुजामसद्ग्रहम्।

समुद्दिधीर्षुद्विजधर्मविग्रहं जगाम रामो गिरिमैश्वरं गृहम्।।'[14]

वंशस्थ छन्द प्रधान इस सर्ग में कैलास महिमा, परशुराम द्वारा शिवजी का दर्शन करना, शिव द्वारा परशुराम को शिष्य रूप में स्वीकार कर उनका स्वागत करना, शिवजी से अठारहों विद्याएं प्राप्त करना, परशुराम को शिव से फरसा व धनुष प्राप्त होना एवं परशुराम का ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेना वर्णित है।

चतुर्थ सर्गः– 'समावर्तनम्' नामक चतुर्थ सर्ग में ब्रह्मा कुलभूषण शिव ने मुनि श्रेष्ठ परशुराम को जगत कल्याण के लिए जगदग्नि ऋषि के वनाश्रम में प्रस्थान करने की अनुमति ठीक उसी प्रकार देते हुए प्रतीत होते हैं, जिस प्रकार वामन भगवान् को बलि की यज्ञाशाला में जाने की अनुमति ब्रह्मा जी ने दिया था। शिवजी के आदेशानुसार भृगुवंश शिरोमणि परशुराम कैलाश से पृथ्वी पर लौट आये।

पंच सर्ग :– 'पित्राज्ञापालनम्' नामक पंचम सर्ग में जितेन्द्रिय परशुराम जमदग्नि के आश्रम में रहते हुए अपने निजाचरण से माता–पिता की आज्ञा का पालन करके उन्हें प्रसन्न किया करते थे। वास्तव में पुत्र वहीं जिसके कार्यों से माता–पिता को सन्तोष प्राप्त हो। इस सर्ग में प्रायः वैतालिक छन्द का प्रयोग किया गया है।

'अनुवासरमेव मातरं पितरं स्वैश्चरितैरतूतुषत्।

इयमेव सुतस्य पुत्रता यदि माता पितृतोषणं ततः।।[15]

इस सर्ग में जमदग्नि द्वारा रखे विवाह प्रस्ताव को इन्कार करते हुए, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत–पालन की प्रतिज्ञा लेकर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम द्वारा तीनों भाइयों सहित माता का वध करके उन्हें पुनर्जीवित करने का वर्णन है।

षष्ठ सर्ग :– 'सहस्त्रार्जुनवधः' संज्ञक षष्ठ सर्ग के वृत्तन्तानुसार गुरु को भक्ति से, पिता को वाक्य पालन प्रीति एवं माता को चरण सेवा से संतुष्ट करने वाले परशुराम, पृथ्वी, स्वर्ग एवं वैकुण्ठ विजेता होकर, देवविस्मयकारी अत्यंत भयंकर संग्राम करके ब्राह्मण द्रोही राजा सहस्रार्जुन का वध करके देवताओं एवं मुनियों की प्रशंसा के पात्र बन गये ।

'हत्वा संयति भूसुरद्रुहमसौ भूपं सहस्त्रार्जुनं
कृत्वा दारुण देव विस्मयकरं संग्राममत्युल्वणम्।
दिव्यं ब्रह्मणवंश विश्रुतयशो लोकत्रयंगापयन्
पित्रोस्तोषकरश्चिरं विजयते वीरव्रती भार्गवः।।'[16]

इस सर्ग में मुख्य रूप से 'उपजाति' छन्द की मनोरम छटा दर्शनीय है।

सप्तम् सर्ग – 'तीर्थाटनम्' नामक सप्तम् सर्ग में सहस्त्रार्जुन का वध करने वाले परशुराम को अपने पैरों में प्रणाम करते हुए पुत्र को देखकर जमदग्नि ऋषि ने उनका अभिनन्दन नहीं किया बल्कि बोले– पुत्र ! दुःखद परिणामी क्रोध के कारण तुमने यह क्या कर दिया ? ब्राह्मण तो क्षमाधर्म से सुशोभित होता है। मूर्धाभिषिक्त राजा का वध तो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप कर्म है। क्रोध को पाप का कारण कहा जाता है।

'क्रोधो हि पापस्य निदानमुच्यते।'[17]

इसलिए अब तीर्थयात्रा करके इस भयंकर पाप का प्रक्षालन करो।

'तद्वत्स तीर्थाटमतो दुरत्ययं पापं द्रुतं क्षालयितुं त्वर्महसि।'[18]

इस प्रकार पिता से आदेशित जमदग्नि पुत्र परशुराम अपनी माता रेणुका को प्रणाम करके तीर्थाटन की यात्रा में किन्हीं तीर्थों में स्नान करते, कहीं प्रणाम और कहीं देव–दर्शन करते हुए चित्रकूट वाहिनी मंदाकिनी के जल से निष्पाप होकर प्रभु श्रीराम की लीलाओं का स्मरण करने लगे। इस सर्ग में विविध छन्दों का प्रयोग है।

अष्टम् सर्ग :– 'न्यस्तदण्डम्' नामधेयो अष्ठम सर्ग के वर्णनानुसार तीर्थाटन में निकले परशुराम को कूटयुद्ध से मार डालने की प्रतिज्ञा लेते हुए सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुँचकर उन्हें मार डाला पिता की हत्या हो जाने से अत्यन्त क्रुद्ध हुए परशुराम का सहस्त्रार्जुन के पुत्रों से युद्ध, परशुराम का इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना तथा महर्षि मारीचि द्वारा परशुराम को महेन्द्राचल पर्वत पर जाने का आदेश देना इस सर्ग में वर्णित है।

नवम सर्ग :– 'एकदन्तनाशनम्' नामक इस सर्ग में परशुराम से गणेश का विवाद, विवादों में परशुराम द्वारा गणेश जी का फरसे से एक दाँत तोड़ देना एवं माता पार्वती द्वारा परशुराम को शाप देना वाणित है।

दशम सर्ग :– 'भार्गवराघवीयम्' महाकाव्य के दशम सर्ग 'श्रीराघवावतार प्रतिज्ञानम्' में क्षत्रियों का विनाश करने की परशुराम को आत्मग्लानि होना, एवं प्रभु श्रीराम का आविर्भाव होने पर उनसे अपने अपराधों की क्षमा याचना का निश्चय करना, रावण के बढ़ते अत्याचारों को देखकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी का श्री विष्णु जी से साकेत धाम (अयोध्या) में अवतार लेने की प्रार्थना करना तथा प्रभु श्री विष्णु जी द्वारा देवताओं को पृथ्वी पर अवतरित होकर रावण–वध करने का आवश्वासन देने का महाकवि द्वारा वर्णन किया गया है।

एकादश सर्ग :– 'श्रीराघवावतरणम्' नामक एकादश सर्ग में दशरथ विवाह, पुत्र प्राप्ति हेतु महाराज दशरथ का पुत्रोष्टि यज्ञ करना एवं राम–लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न के रूप में दशरथ जी को चार पुत्र प्राप्त होना एवं प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न जी की बाल–लीलाओं का वर्णन है।

द्वादश सर्ग :– 'मैथिल्यावतरण' नामक इस सर्ग में महाकवि द्वारा षडैश्वर्य सम्पन्न प्रभु श्री राम का किशोरावस्था को प्राप्त करना, गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण करना, महाराज जनक द्वारा सोमयज्ञ का आयोजन करेक पृथ्वी में हल चलाना, पृथ्वी जोतते समय धरती से सीता जी का प्राकट्य होना, जनकनन्दिनी सीता जी की बाल–लीला, एवं सीता जी द्वारा शिव धनुष के खींचा जाने का वर्णन किया गया है।

त्रयोदश सर्ग :– प्रस्तुत महाकाव्य के तेरहवें अर्थात् 'श्रीभार्गवमिथिलागमनम्' सर्ग में सीता जी की किशोरावस्था, महाराज जनक का सीता विवाह विषयक चिन्तित होना, परशुराम जी का मिथिला आकर महाराज जनक को सीता स्वयंवर हेतु आदेश देना एवं श्रीराम का पतिरूप में मिलन का रहस्योद्घाटन करने की कथा वर्णित है।

चतुर्दश सर्ग :– 'श्रीसीतास्तवनम्' नामक चौदह वे सर्ग में परशुराम द्वारा अनेकानेक प्रकार से जगत् जननी सीता जी की स्तुति करने का वर्णन महाकवि द्वारा किया गया है।

'यस्याः पादपयोरुहोज्ज्वलनखप्रोद्यननिशेषस्मित
ज्योत्स्नादीधितितो भवन्ति शतशो गौरीन्दिराशारदाः।
सौम्यां शारदशर्वरीशवदनां नित्यं नतांनाकिभि
र्भीतेः पादजुषो जनेन्द्र तनयां तां त्रायमाणां भजे।।[19]

पञ्चदर्श सर्ग :– 'श्री अहल्योद्धरणम्' नामक पन्द्रहवें सर्ग में महाराज जनक द्वारा सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ने वाले से सीता विवाह की घोषणा करना, मुनि विश्वामित्र द्वारा यज्ञ आयोजन एवं यज्ञ रक्षा हेतु राम–लक्ष्मण को महाराज दशरथ से याचना करना, राम–लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ वन आगमन, ताड़का एवं सुबाहु का वध तथा प्रभु श्रीराम द्वारा अहल्या का उद्धार करना वर्णित है।

षोडश सर्ग :– 'श्रीराघव प्रिया दर्शन' नामधेयो इस सर्ग में विश्वामित्र सहित राम–लक्ष्मण का मिथिला आगमन, नगर–भ्रमण, पुष्प लेने हेतु राम–लक्षण का जनक जी की पुष्प वाटिका में जाना और प्रभु श्रीरामका सीता जी से मिलन वर्णित है।

सप्तदश सर्ग :– 'सीतास्वयंवर' नामक सत्रवें सर्ग में सीता स्वयंवर में उपस्थित राजाओं का शिवधनुष तोड़ने में असफल होना, महाराज जनक का निराश होना, मुनि विश्वामित्र द्वारा श्री राम को धनुष तोड़ने का आदेश देना तथा प्रभु श्रीराम द्वारा शिव धनुष का भंजन करना वर्णित है।

अष्टादश सर्ग :– 'श्रीभार्गव लक्ष्मण संवाद' सर्ग में प्रभु श्रीराम द्वारा सीता स्वयंवर में रखे शिव धनुष को तोड़े जाने पर परशुराम का मिथिला आगमन एवं धनुष को तोड़ने वाले पर क्रोध करना तथा परशुराम लक्ष्मण संवाद का वर्णन महाकवि द्वारा किया गया है।

ऊनविशति सर्ग :– 'श्रीराघवभार्गव प्रवेशः' नामक उन्नीसवें सर्ग में परशुराम द्वारा प्रभु श्रीराम को युद्ध हेतु विवश करने पर भी श्रीराम का उनके प्रति ब्राह्मणेचित धर्म का पालन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करना तथा उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराकर महेन्द्रचल पर्वत पर जाने का आदेश देना, परशुराम का क्षमायाचना करते हुए महेन्दाचलपर्वत हेतु प्रस्थान करना वर्णित है।

विशति सर्ग :– 'श्रीभार्गवकृतराघवस्तवनम्' नामक वीसवें सर्ग में नाना प्रकार से प्रभु श्रीराम की स्तुति करते हुए परशुराम जी प्रभु श्रीराम के गुणों का गुणगान करते हैं।

''जय जगत्त्रयकारण कारण,
जय जनार्दनवारणवारण।
जय महीप महीपतिवण
जय जया वनिजा सुखधारण।।[20]''

एकविंशति सर्ग :– अन्तिम 'श्रीराघवपरिणयः सर्ग में महाराज जनक दशरथ का बारात सहित मिथिला आगमन, जनक द्वारा वारात का आतिथ्य, एवं श्रीराम का सीता, भरत का माण्डवी, लक्ष्मण का उर्मिला एवं शत्रुघ्न का श्रुतिकीर्ति के साथ विवाह, तथा पुत्र एवं पुत्रवधुओं के साथ महाराज दशरथ का अयोध्या हेतु प्रस्थान वर्णित है।

संदर्भ स्रोत :–

1. संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास – डॉ. कपिलदेव द्विवेदी प्र.क्र. 195
2. संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास – डॉ. कपिलदेव द्विवेदी प्र.क्र. 215
3. संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास – डॉ. कपिलदेव द्विवेदी प्र.क्र. 233
4. भार्गवराघवीयम् 12/101
5. भार्गवराघवीयम् 21/101
6. भार्गवराघवीयम् 18/98
7. भार्गवराघवीयम् 6/3
8. भार्गवराघवीयम् 20/93
9. भार्गवराघवीयम् 20/94
10. भार्गवराघवीयम् (प्रकाशकीय) पृ. क्र. – भ
11. भार्गवराघवीयम् 1/1
12. भार्गवराघवीयम् 1/5
13. भार्गवराघवीयम् 2/2
14. भार्गवराघवीयम् 3/1
15. भार्गवराघवीयम् 5/4
16. भार्गवराघवीयम् 6/91
17. भार्गवराघवीयम् 7/3
18. भार्गवराघवीयम्–7/6
19. भार्गवराघवीयम्14/5
20. भार्गवराघवीयम्20/98

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

Role of Social Work Intervention and COVID-19 Pandemic: A Holistic Perspective

❐ Dr. Rupesh Kumar*

ABSTRACT

The social work profession, more than any other, is most hurt by the rampaging corona virus (aka, COVID-19) pandemic given the scourge's pernicious impact on society's underserved and undervalued populations. More so, the pandemic has undermined the profession's historical value commitment to social justice and human rights while overturning our insistence on the importance of human relationships. The purpose of this essay is to explicate the nexus between social work and COVID-19 pandemic. While noting the deafening silence of the profession in the global discourse of the pandemic, it advocates for the urgency of our response if our profession is to attain significant public value amid the current loss of lives and threats to human rights. Strategies for our professional action, in curtailing the effect of the contagion, are laid out.

Keywords: Public Health Challenge, COVID-19, Professional Action, Global Pandemic, Human Relationship, Social Work

Introduction

Although some are in denial (regrettably so, arising from misinformation), the vast majority of humanity are imbued in utter shock and fear as to how a singular event could trigger a complete halt in human affairs. Today, the corona virus (aka, COVID-19) pandemic- which was first reported in the city of Wuhan in Hubei province of China- has successfully plummeted global economy, disrupted global social events, as well as caused the death of tens of thousands of people while leaving millions infected and vulnerable.

Among those disproportionately affected are society's often marginalized and excluded populations (i.e., older adults, people with developmental impairments, including those with weak immune systems as well as the poor). With promulgation of social distancing and self-isolation among many governments around the world, concerns have been raised about the prospects of increased human rights violations especially among States which, prior to the pandemic, had a proclivity for gross rights infringements (Sandhu, 2020; Human Rights Watch, 2020).

The state governments began taking more swab samples, without realizing the limited capacity of laboratories in the states. Many states have sent samples to laboratories outside the state to get faster test results (Thakur et al., 2020). That is why there is a need to study the current trend in the testing, recovery rates, and fatality rates. Study on active case is important as they really need health care. Because of geographical and socio-economic diversity in the country, there is a wide variation in health

* Associate Professor, Department of Social Work, University of Lucknow-226007 (rklu88@gmail.com)

infrastructure. Preparedness and response to Covid-19 is not same at the state level. Health inequalities, widening economic and social disparities, and distinct cultural values in India, present unique challenges. In India, however, the public health system already overburdened with various Communicable and Noncommunicable diseases. The implementation of the public health measures to handle the epidemic is difficult in places with inadequate hygiene and sanitation and overcrowded living conditions.

Since such restrictions, as has been purported, are meant to contain the spread of the virus, caution should be exercised in its enforcement if social disruptions or anarchy is to be avoided. These events, taken together pose legitimate concerns to the social work profession. Alternatively, as a practice-based profession, social work has a crucial role to play given its stated goal of:

(1) Advancing Social Cohesion and Stability,

(2) Promoting Social Change and Develop-ment Through the Liberation and Empowerment of People, and

(3) Restoring Social Functioning while enforcing respect for the sanctity of life, drawing on ideals of social justice and human dignity.

Although the international professional body have drawn connections between the profession and the global pandemic (International Federation of Social Workers, 2020), there are seldom any evidence to suggest how professionals (researchers, educators, and practitioners) have grasped such interplay given the scant discourses and research in the professional literature. To bolster interrogations, this paper aims to expand on the IFSW's statements by highlighting the interlock between COVID-19 and social work in hope that such description will goad professionals' to research action in the coming weeks.

Social Work and COVID-19: The Nexus

Recounting our professional values:

1. Service
2. Human Rights and Social Justice
3. Dignity and Worth of People
4. Privacy and Confidentiality
5. Importance of Human Relationships
6. Integrity

These values are which COVID-19 has undermined and in some instances overturned. It has become increasingly notable that if any profession is most hurt by the pandemic, it is the social work profession. To this end, professionals must be at the frontline of not only responding to the pandemic but also amplifying our action if we are to be taken seriously by critics and citizens alike. Starkly, social work is under threat today because the value of social justice is challenged by the deleterious impact of the pandemic on powerless groups. More so, the value of human dignity tanks in the face of resource and economic deprivation among many citizens who are unable to gain access to medical care.

Our creed to ensure human rights tenets appears to teeter on the brink of defect in the high of flagrant human rights violations. As for privacy, my imagination is how do we interface with and support people whose new state is not of their own making, in which case, their access to services and programmes have been undeniably constricted? Pertaining to service, this reflects an ethical obligation to protect the general well-being of society (National Association of Social Workers, 2008), yet society is currently under threat of hysteria and social service denial, especially for those undergoing traumatic situations. Pointedly, responding to social problems emanating from public social and healthcare challenges is the raison d'etre of the social work profession, and addressing COVID-19 in terms of its grievous fallout on social conditions as a whole and in the lives of individuals, families and households, groups, and communities in specific is a professional imperative.

Our Ideal Response

Given the rampaging onslaught of the pandemic on individuals and families, it is most probable that our response would be within healthcare institutions in urban, suburban, and rural locations, but also within economically-deprived households with no or inadequate medical insurance or knowledge of how to secure care. In this regard, social workers could assume the role of educator, counsellor, and referral, linking care-users to care-givers. Our counselling intervention should draw on resiliency- and relationship-building strategies, as well as strengths-based practice combined with a blend of spirituality

since many families and individuals- especially older adults- find comforts from these dimensions.

Since organizations provide platforms for response and since communities are at the receiving end of the pandemic's effects, social workers response are badly needed in the social policy practice. One way practitioners can get their voices heard and impact felt in the policy arena is through advocacy. By engaging in social policy advocacy and demanding for social protection for society's marginal populations, we will be well able to make significant contribution to cushioning the fallout of the global pandemic. Returning to social protection, social workers could advocate for ad-hoc policy response, as well as long-term policy option. Ad-hoc policy action would connote advocating for the provision of cash transfers or in-king services (e.g. food aid, medical supplies etc.) to the most economically deprived households or groups. However, since social workers recognized that social welfare services are not substitute for sustainable economic development (Amadasun, 2020; Midgley & Conley, 2010), it is suggested that long-term policy goal be set in motion. This could be concretized through canvassing for the provision of durable safety nets in the form of investments in pivotal infrastructure such as health and social care facilities, housing, including a forestation or the preservation of the natural environment among others.

At the general societal level, social workers are duty-bound to prevent social disruptions arising from outlandish conspiratorial claims, rumour and fear mongering, andèor outright neglect by the authorities. Again, drawing on our educator role could prove instrumental in keeping the masses informed about the true state of affairs regarding corona virus and such statement or information should be framed around hope, resilience, and the resolve of the human spirit to surmount any impediments.

Finally, social work educators- as conveyors of professional knowledge, skills, attitudes, and values (Council on Social Work Education, 2008)- are professionally bound to expedite action to conducting and disseminating research about-

1. Social workers response to protecting their clients-systems or service-users from the COVID-19 pandemic.

2. The coping strategies of service-users (for instance of older adults, women, resource-deprived households) amid the inaccessibility to medical care in most developing regions around the world.

3. Our interventions to families undergoing loss- which could be of relatives, parents or any other loved ones or of socioeconomic or material loss- due to the pandemic, by engaging in research, the profession would be creating a vast reservoir of literature that could be fundamental (directly or suggestively) in dealing with future challenges.

Concluding Remarks

Still dominating the headlines given its extensive import, it is no longer news that COVID-19 global pandemic has sent many into frenzy, excruciating pains, hardships, and death. Although equipped with historical legacies and top-notch values, the social work profession as a whole and our professional literature has been engulfed with unusual grave-like quiet amid the grievous pandemic. Unless we draw connections about our profession and the raging global pandemic, as well as amplify our professional action in the face of the current public health challenges, our profession may continue to be accorded a second fiddle status, or brusquely have its relevance called to question. Consequently, in order to prevent this from happening, it is imperative that we act swiftly. This essay has delineate our potential responses to the COVID-19 pandemic in order to set the stage for further interrogation and to restates the fact that social work professionals are in a unique position to address the phenomenon. Lastly, I will conclude on a reassuring note by reminding us all that throughout recorded history, the tenacity of the human spirit in our collective resolve for solidarity and survival has and will always overcome and outlast any plagues or pandemics or viruses (which ever name they go by) and that COVID-19 cannot be an exception.

References

1. American Society on Aging. (2002). Blueprint for Health Promotion. Retrieved December, 18, 2008, from http://www.asaging.org/cdc/module1/home.cfm

2. Center for the Advancement of Health. (2006). A new vision of aging: Helping older adults make healthier choices. Issue briefing No. 2. Washington, DC: Author. Retrieved March 20, 2008, from http://www.cfah.org/pdfs/agingreport.pdf

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2007). The national blueprint: Increasing physical activity among adults age 50 and older. Atlanta, GA: Author. Retrieved March 2, 2008, from http://www.rwjf.org/files/publi-cations/other/Age50BlueprintSinglepages.pdf

4. CDC. (2008). Healthy aging: Preserving function & improving quality of life among older adults. Atlanta, GA: Author. Retrieved on December 17, 2008, from http://www.cdc.gov-nccdphp/publications/aagèpdf/healthy_ aging.pdf

5. Cooper, B. S., & Fishman, E. (2003). The interdisciplinary team in the management of chronic conditions: Has its time come? Baltimore, MD: Partnership for Solutions.

6. Environmental Protection Agency. (2007). Building Healthy Communities for Active Aging National Recognition Program. Retrieved on December 17, 2008, from http://depts.washington.edu/harn/tools/10strategies.pdf

7. Fulmer, T., Hyer, K., Flaherty, E., Mezey, M., Whitehall, N., Jacobs, M., et al. (2005). Geriatric interdisciplinary team training program. Journal of Aging & Health, 17(4), 413-470.

8. Hall, P., & Weaver, L. (2001). Interdisciplinary education and teamwork: A long and winding road. Medical Education, 35(9), 867-875.

9. Human Rights Watch (HRW). (2020). Governments should respect rights in COVID-19 surveillance. Retrieved from: http://www.hrw.org/news/2020/04/02/governments-should-respect-rights-covid-19-surveillance

10. International Federation of Social Workers (2020).Statement on IFSW and Covid-19. Retrieved from:http://www.ifsw.org/statement-on-ifsw-and-covid-19/

11. Institute of Medicine. (2008). Retooling for an aging America. Washington, DC: The National Academies Press.

12. Johnson, M. A. (2004). Hype and hope about foods and supplements for healthy aging. Generations, 28(3), 45-53.

13. Johnson, J. C., & Smith, N. H. (2002). Health and social issues associated with racial, ethnic, and cultural disparities. Generations, 26(3), 25-32.

14. Loughrey, K. (2004). You can! Steps to healthier aging: AoA nationwide campaign. Generations, 28(3), 95-96.

15. Marshall, V. W., & Altpeter, M. (2005). Cultivating social work leadership in health promotion and aging: Strategies for active aging interventions. Health & Social Work, 30(2), 135-144.

16. Midgley, J. and Conley, A. (2010). Social work and social development: theories and skills for developmental social work. New York: Oxford University Press.

17. National Association of Social Workers. (2008). NASW Code of Ethics. Washington, DC: Author. Retrieved from: http://www.naswdc. org/pubs/code/code.asp.

18. National Association of Social Workers (2020). Implications of coronavirus (COVID-19) to America's vulnerable and marginalized populations. Retrieved from: http://www.socialworkers.org/Practice/Infectious-Diseases/Coronavirus.

19. National Council on Aging. (2004). Center for Healthy Aging : Model health programs for communities. Best practices in physical activity. Washington, DC: Author. Retrieved March 18, 2008, from http://www.healthyagingprograms.org

20. Office of Disease Preventions & Health Promotion, United States Department of Health and Human Services (USDHHS). (2001). Healthy people in healthy communities planning guide. Rockville, MD : Author.

21. Public Health Foundation. (2002). Healthy People 2010 toolkit: A field guide to planning. Waldorf, MD: Author. Retrieved January 5, 2009, from http://www.healthy-people.gov/state/toolkit/default.htm

22. Research Triangle Institute International. (2003). Final report of the senior companion quality

of care evaluation. Report prepared for the Corporation for National and Community Service.

23. Remington, E. L., Foulk, M. A., & Williams, B. C. (2006). Evaluation of evidence for interprofessional education. American Journal of Pharmaceutical Education, 70(3), 1-7.

24. Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1998). Successful aging. New York: Pantheon Books.

25. Rust, G., & Cooper, L. A. (2007). How can practice?based research contribute to the elimination of health disparities? Journal of the American Board of Family Medicine, 20(2), 105-114.

26. Sandhu, A.C. (2020). Here are all the human rights violations amid the COVID-19 outbreak. Retrieved from: http://www.thebrag. com/human-rights-violations-amid-covid-19-amp

27. Wellman, N. S. (2004). Nutrition and older adults—Why you should care: Talking to families and caregivers. Generations, 28(3), 97-99.

28. World Health organization (WHO). (2002). Active ageing: A policy framework. Geneva, Switzerland: Author.RetrievedFebruary 5, 2008, from http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

महिला सशक्तिकरण और बाल विकास एवं पोषण

❒ डॉ. विभा सिंह*

शोध सारांश

ये बजट नए आत्मविश्वासी भारत के निर्माण का खका प्रस्तुत करता है और यह आने वाले वर्षों में देश को स्वस्थ एवं समृद्ध बनेगा। बजट में सभी वर्गों के कल्याण व विकास पर स्पष्ट ध्यान केन्द्रित करता है; इसमें किसानों, शिक्षा, महिला एवं बाल–स्वास्थ्य व पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार की लोक–कल्याणकारी विकास योजनाओं से रोजगार पैदा होंगे। अतः इसे दशक (2020–2030)का 'आधार बजट' कहा जा सकता है। इसी के साथ ही साथ समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं भी विकास प्रक्रियाओं में हिस्सेदार हों। परिणामस्वरूप वर्ष 2020–21 में जीडीपी वृद्धि दर 10 फीसदी रहने का अनुमान है। में महिलाओं की आकांक्षाओं, कल्याण तथा सशक्तीकरण के लिए काम करने के लिए काम करनें के लिए सरकार की प्रतिबद्धता उजागर की गई हैं।

मुख्य शब्द :– महिला सशक्तिकरण और बाल विकास एवं पोषण आदि।

प्रस्तावना :–

इस दशक के पहले बजट में दूरदर्शिता एवं कार्ययोजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा है और नए सुधारों का ऐलान किया गया है जो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ–साथ इस दशक में अर्थव्यस्था की नींव को मजबूत करेन का कार्या करने में मददगार होगा। ये बजट नए आत्मविश्वासी भारत के निर्माण का खाका प्रस्तुत करता है और यह आने वाले वर्षों में देश को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाएगा। बजट में सभी वर्गों के कल्याण विकास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित है। इसमें किसानों, शिक्षा, महिला एवं बाल स्वास्थ्य व पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार की लोककल्याणकारी विकास योजनाओं से रोजगार पैदा होंगे। परिणामस्वरूप वर्ष 2020–21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 10 फीसदी रहने का अनुमान है। अतः इसे दशक (2020–2030) का 'आधार बजट' कहा जा सकता है।

केंद्रीय बजट 2020–21 को अर्थव्यवस्था और समावेशी प्रगति को बढ़ावा देने के संकल्प वाला बजट कहा जा सकता है जो नए दशक के लिए बहुत अच्छा है। यह विशेष रूप से तीन अतिव्यापी विषयों जीवन स्तर में सुधार, सभी के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा और मानवीय तथा उदार समाज के निर्माण पर केंद्रित है। कहा जाता है कि महिला–पुरूष समानता, महिला सशक्तीकरण और कल्याण के प्रगति नहीं की जा सकती। इस वास्तविकता के मद्देनजर, केंद्रीय

* समाजशास्त्र विभाग, शास. महाविद्यालय, चुरहट, सीधी (म.प्र.)

बजट 2020–21 में महिलाओं की आकांक्षाओं और कल्याण के लिए काम करने के प्रति सरकार की वजनबद्धता व्यक्त की गई है।

बजट में महिला एवं बाल स्वास्थ्य और पोषण

वित्त वर्ष 2020–21 में पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। साथ ही, 28,600 करोड़ रुपये मात्र महिलाओं पर आधारित कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे। महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु की सिफारिश करने के लिए भी एक कार्यबल का गठन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति से महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध हो रहे है; वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। और अपने करियर को संवार सकती हैं। इसलिए लड़कियों के मां बनने के उम्र संबंधी पूरे मामले को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

''वर्ष 1929 के शरदा अधिनियम में संशोधन करते हुए 1978 में महिलाओं के विवाह की आयु सीमा बढ़ाकर 15 वर्ष से 18 वर्ष की गई। जैसे–जैसे भारत तरक्की कर रहा है, महिलाओं के शिक्षा और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़नें के अवसर बन रहे है। महिला मातृत्व दर में कमी लाना तथा पोषण के स्तरों में सुधार लाना अनिवार्य है। मातृत्व में प्रवेश करने वाली बालिका की आयु से जुड़े संपूर्ण मुद्दे को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। मैं एक कार्यबल नियुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं, जो अपनी अनुसंशाएं छह माह की समयावधि में देगा। मै वित्तीय वष 2020–21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव करती हूं। महिलाओं के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए इस बजट से महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है।''[1]

बेटी बचाओं, बेटी पढाओ–

'बेटी बचाओ के साथ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के अच्छे नतीजे आ रहे है। देश और दुनिया में बेटियों को बचाने की दिशा में भरसक प्रयास हो रहे हैं और कहीं–कही उसने जनांदोलनो का रूप ले लिया है खासकर भारत जैसे देशों में, जहां बड़ी जनसंख्या में कन्या भ्रूण हत्याएं होती रही है। हालांकि अभी भी इस तरह के अक्षम्य अपराध चोरी–छिपे कहीं–कही हो रहे है। लेकिन अब इस पर शनैः–शनैः नियंत्रण होता जा रहा है, क्योंकि एक तो केंद्र और राज्य सरकारों ने कड़े कानून–नियम बनाए है, जिनकी गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। दूसरा, हमारा मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों) इतना चौकस हो गया है कि उसकी नजर से बचना अब बड़ा मुश्किल है। और तीसरा, हमारे समाज की बेटियों के प्रति बदलती मानसिकता। यह जो जागरूकता आई है, उसने वास्तव में बेटियों की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी है। अब 'बेटियां बोझा है' की बजाय 'बेटी है तो कल है' कहा जाने लगा है। बेटी बचाओं के साथ बेटी पढ़ाओं भी जुड़ गया है। और यह नारा ऐसा चल निकला कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। शिशु लिंग अनुपात के आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं।

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' के आश्चर्यजनक रूप से सुखद नतीजे देखने को मिलें हैं। शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात अब लड़कों से अधिक है। प्रारंभिक स्तर पर यह अनुपात 94.32 प्रतिशत, जबकि लड़कों के लिए 89.28 प्रतिशत है। माध्यमिक स्तर पर यह अनुपात 78 प्रतिशत की तुलना में 81.32 प्रतिशत है, उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कों के 57.54 प्रतिशत की तुलना में लड़कियों का अनुपात 59.70 प्रतिशत पर पहुंच गया है।''[2]

पोषण संबंधी कार्यक्रम

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य से तय होती है और स्वस्थ नागरिक से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए केंद्र सरकार पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगातार जुटी हुई है। राष्ट्रीय पोषण रणनीति का उद्देश्य 2022 तक भारत को 'कुपोषण मुक्त' देश बनाना है। अपितु पोषण ही स्वास्थ्य एवं समग्र विकास का मूलाधार है। पोषण का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता

है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न कारणों से भारतीय समाज में पोषण एव स्वास्थ्य का संकट विद्यमान है। कुपोषण को चिकित्सीय आपात स्थिति के रूप में देखने की जरूरत है। यह एक ऐसा विशेष चक्र है, जिसके चंगुल में बच्चे अपनी मां के गर्भ में ही फंस जाते है और इससे जच्चा–बच्चा दोनों प्रभावित होते हैं। यह जन्म या उससे भी पहले शुरू होता है और छह मास से तीन वर्ष तक की अवधि मे तीव्रता से बढ़ता है। परिणामस्वरूप वृद्धि–बधिता, मृत्यु, कम–दक्षता और 15 अंक तक बुद्धिलब्धि का नुकसान होता है। फलतः कुपोषण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। निर्धनता सहित अपर्याप्त भोजन की खपत, भोजन का असमान वितरण, मातृ–शिशु एवं बच्चे की अनुचित देखभाल, असमानता और लैंगिक असंतुलन, साफ–सफाई का अभाव और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच आदि, इसके प्रमुख कारण हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत कुपोषण से मुक्ति के लिए व्यापक–स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि माता और बच्चे का स्वास्थ्य घनिष्ट रूप से सह–संबद्ध हैं। पोषण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक है। वित्तमंत्री ने बच्चों (0–6 वर्ष), किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणत्मक स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि वर्ष 2017–2018 में शुरू किया गया 'पोषण अभियान' इस दिशा में एक बड़ा कदम है। 10 करोड़ से अधिक परिवारों की पोषणात्म स्थिति को अपलोड करने के लिए छह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिए गए है। जो कि अभूतपूर्व है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 30,007 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष से 3822 करोड़ रूपये (14प्रतिशत) अधिक है। इसमें से 20,532.38 करोड़ रूपये आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु है। पोषण अभियान के तहत 0–6 उम्र के बच्चो में स्टंटिंग को 2022 तक 38.4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए बजट में 3400 करोड़ रुपये अधिक है।

प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के लिए बजट आवंटन 2500 करोड़ रुपये है जो कि पिछले वर्ष से 200 करोड़ रुपये अधिक है। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जहवित बच्चे के जन्म पर 6000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते है।

समेकित बाल सेवा कार्यक्रम के तहत बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रम के लिए बजट 1500 करोड़ रुपये है जो कि पिछले वर्ष से 150 करोड रूपये अधिक है। बेटी बचाओं बेटी पढाओं कार्यक्रम के लिए 220 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। महिला शक्ति केंद्र के लिए बजट आवंटन 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

महिलाओं के संरक्षण तथा सशक्तीकरण हेतु कुल बजट पिछले वर्ष आवंटित 961 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1163 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सामाजिक कल्याण

सिर पर मैला ढोने की प्रथा के बारे में वित्तमंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार कृत संकल्प है कि सीवर प्रणाली या सेप्टिक टैंक की सफाई का काम हाथ से नहीं किया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान की है। यह मंत्रालय इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ कार्य कर रहा है।' उन्होंने इसे विधायी एवं संस्थागत परिवर्तनों के माध्यम से ताक्रिक निर्णय पर ले जाने का प्रस्ताव दिया। वित्तमंत्री ने अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के आलोक में वर्ष 2020–21 के लिए 85,000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव दिया। बजट प्रस्ताव में श्रीमती सीतारमण ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याणए तथा विकास के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान 53,700 करोड़ रूपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री ने वर्ष 2020–21 के लिए बजट में 9500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया।

विकास के लिए महिला शक्ति का उपयोग

समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि सभी अधिकारविहीन और वंचित समूह विकास प्रक्रियाओं में हिस्सेदार हों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार कई समूहों को उनके लिंग, जातीयता, आयु, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या गरीबी के कारण विकास से बाहर रखा गया है। नतीजतन, इस तरह के बहिष्करण के कारण दुनिया भार में असमानता है। जब तक सभी समूह अवसरों के निर्माण में योगदन नहीं करेंगे और निर्णय लेने में शामिल नहीं होंगे तब तक विकास गरीबी को कम नहीं कर सकता। समावेशी विकास का लक्ष्य ऐसा समाज बनाना है जो मतभेदों और मूल्य विविधता को समायोजित करने में सक्षम हो।

पिछले तीन दशकों से, शहरी और ग्रामीण परिवेश में महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए पिछड़ेपन, गरीबी और सामाजिक बहिष्करण की पीड़ा का उन्मूलन करते हुए, सतत विकास को हासिल करने की सरकार की पहल में महिलाओं की समानता और सशक्तीकरण सबसे आगे रहा है। इस प्रक्रिया में, विकास के काम करने वाले विभिन्न संस्थानों और कार्यकर्ताओं ने महिला–पुरूष समानता और केवल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पसंदीदा कार्यनीति के रूप में सशक्तीकरण की अवधारणा को वैश्विक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महिला सशक्तीकरणः एक परिदृश्य

यह स्वीकार करते हुए कि महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाएं भाग लेने, संवाद करने, प्रभावित करने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाली संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने के लिए अपनी पसंद और स्वतंत्रता को बढ़ाती है और यह सही दिशा में एक कदम है। हालांकि, यह सशक्तीकरण केवल तभी प्राप्त होगा जब महिलाएं अपने लिए प्रयास करने योग्य सशक्तीकरण को एक सार्थक लक्ष्य के रूप में समझेगी। इसके लिए महिलाओं की शक्ति और उनकी क्षमता का उपयोग करने और उनके द्वार परिभाषित लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियां बनाना, जिनमें ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आवाज और एंजेसी को महिला सशक्तीकरण नीतियों तथा कार्यक्रमों में केंद्रीय पूर्वापेक्षा के रूप मं शामिल करने की मांग की संभावना हो (विश्व बैंक 2014)।

सशक्तीकरण एक बहुआयामी, बहुपक्षीय और बहुस्तरीय अवधारणा है। महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों पर महिलाओं का अधिक नियंत्रण हो। इनमें शामिल हैं– मानव तथा बौद्धिक सामाग्री जैसे विचारों तथा जानकारी का ज्ञान, वित्तीय संसाधन जैसे धन एवं धन तक पहुंच और परिवार, समुदाय, समाज तथा देश में निर्णय लेने पर नियंत्रण और अधिकार हासिल करना।

महिलाओं की अपने परिवार में कोई आवाज नहीं होने वाली गंभीर स्थिति में हाल के दिनो में बड़े परिवर्तन हुए है। आधुनिक महिला अब घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। महिलाएं अब हर तरह से अपनी योग्यता का एहसास कर रहीं है और परिवार तथा कार्यस्थल दोनों जगह समानता और न्याय की मांग भी कर रही है। उन्होंने लगभग यह हर क्षेत्र में कांच की बाधा को तोड़ दिया है, चाहे वह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, खेल या सशस्त्र बल हो। भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगभग हर पांचवीं महिला उद्यमी है।

सुगमी जीवन के लिए त्रिआयामी योजना

बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए सामाजिक क्षेत्र, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण पर किया जाने वाला सरकारी खर्च, महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 2020–21 में, वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से अपने सभी नागरिकों के सहज जीवन के लिए तीन बातों पर विशेष जोर दिया। ये हैं– आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और देखभाल करने वाला समाज।

संक्षेप में, इस बजट में न केवल महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य एवं पोषण पर जोर दिया गया है। साथ ही, पिछड़े कमजोर, वरिष्ठ नागरिकों और

दिव्यांगजनों की समस्याओं के निवारण हेतु पर्याप्त बजट का आवंटन किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बजट से समाज कल्याण के व्यापक लक्ष्य को साधने और जिम्मेदार समाज की अवधारणा को वास्तविक रूप देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रम के लिए आवंटन 1350 करोड़ रुपये से बढाकर 1500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए अगले वित्तवर्ष के वास्ते 30007.10 करोड़ रुपय` रखे गए हैं। इस तरह इसमें पिले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि की ई है। पिछले वर्ष इसके लिए 26184.50 करोड़ आवंटित किये गये थे। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा, 20532.38 करोड़ रुपये आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए स्वीकृत किया है।

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 22 करोउ़ आवंटित किए गए हैं। महिला शक्ति केंद्रों के लिए आंवंटन दोगुना कर 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल आवंटन में पिछले वित्त वष्र के मुकाबले 3804 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी तस्करी रोकने, बचाव और पुनर्वास की योजना उज्ज्वला के लिए बजट राशि 20 करोउ़ रुपये से बएाकर 30 करोड़ रुपये कर दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण मिशन के लिए आवंटन 961 करोउ़ रुपये से बएाकर 1163 करोउ़ रुपये कर दिया गया है।

निष्कर्ष

विकास के मार्ग में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का सशक्तीकरण स्वास्थ्य और शिक्षा को आवश्य शामिल यिका जाना चाहिए। वर्ष 2020–21 के बजट में महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

संदर्भ स्रोत :–

1. केन्द्रीय बजट 2020–21
2. केंद्रीय बजट 2020–21
3. कुरुक्षेत्र पत्रिका फरवरी 2020
4. दैनिक समाचार पत्रिका रीवा
5. कुरुक्षेत्र पत्रिका अक्टूबर एवं दिसम्बर 2019

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

Impact of Tourism on Environment

❒ Dr. Ranjeet Kumar*
❒ Pawan Kumar**

ABSTRACT

On one hand, tourism itself has become an increasingly complex phenomenon, with political, economic, social, cultural, educational, Bio-Physical, Ecological and Aesthetic dimensions. On the other hand, natural environments, cultural heritages, and their diversities are major tourism attractions.

The achievement of proper and desirable correlation between tourism and environment or between the potentially conflicting expectations and or local communities, create many challenges and opportunities. Although the challenges might be different, in detail, from a country, region, and place to another country, region, and place; but in general when all challenges are gathered, it will convert to a global problem. So excessive or poorly managed tourism and tourism related development can threaten physical nature, its integrity and significant characteristics. The ecological setting, culture and lifestyle of host communities may also be degraded, along with the visitor's experience of the place. Tourism should bring benefits to host communities and provide an important means and motivation for them to care for and maintain their heritage and cultural practices.

The involvement and cooperation of local andèor indigenous community representatives, conservationists, tourism operators, property owners, policy makers, those preparing national development plans and site managers in every place, region, and country is necessary to achieve a sustainable tourism industry and enhance the protection of natural resources for present and future generations.

INTRODUCTION

Tourism, as one of the world's fastest growing industries, has a multitude of impacts, both positive and negative, on the environment. Negative impacts will arise when the level of visitor use is superior to the environment's ability to cope with this use. Positive impact will arise when every tourist understands the real and main concept of environment and sustainable tourism by heart, not just by word.

The purpose of this article, firstly is to increase the knowledge about some concepts about environment and tourism. Sustainable development and tourism, ecotourism, and their relationships; secondly, to create some theoretical frameworks with some overall and structural approaches that can be broadly used in practical sustainable managing of tourism; then, refer to some challenges and recommendations regarding to tourism and environment. On the whole, its main purpose is to

* U.G.C Net (M.A. Geography, Brabu Muzaffarpur)

explain tourism and environment relations. The design of this paper is, at first, based on desk research on tourism and environment including an overview of researches, studies, books, and other relevant publications. Secondly, it comes through a conceptual and general framework for environment conservation and sustainable tourism based on the information and experiences that authors had gathered via study and visit of different parts of the world.

Tourism is an environmentally dependent activity. At the broadest level, the natural environments and heritages belong to people of each country and even some of them belong to all people of world. So, they all have right to understand, appreciate and conserve its national and international values. At the time of globalization, the protection, conservation, interpretation, and presentation of different natural and cultural environments of any particular region or country is a significant challenge for people in all parts of world.

Negative physical environmental impacts, resulting from tourism development, have occurred when the level of visitor use is greater than the environment's ability to cope with this use within acceptable limits of change. It can be categorized into different parts.

It is clear that tourism development needs natural resources in order to facilitate its expansion. Therefore, water and land are two key natural resources that can be threaten by tourism. Uncontrolled conventional tourism poses potential threats to many natural areas around the world. It can put enormous pressure on an area and lead to impacts such as soil erosion, increased pollution, discharges into the sea, natural habitat loss, increased pressure on endangered species and heightened vulnerability to forest fires. It often puts a strain on Water resources, and it can force local populations to compete for the use of critical resources.

It is one of the special tourism negative impacts on environment; although it is necessary to point out that tourism is a contributing factor to local and global pollution, along with other industries. It can be classified into water, air, and aesthetic pollution.

The major sources of water pollution come from oil spills, industrial waste pumped into sea, and from chemicals used in agriculture. Then, the noticeable sources of air pollution regarding tourism is associated with transport, both air and car through the burning of fossil fuels. Noise pollution is also an understandable problem for those residents who live around busy international or domestic airports; however, residents and tourists. A considerable aesthetic pollution is prevalent in coastal and mountainous areas; since tourism development is often based on increasing profits whilst ignoring aesthetic concerns.

In all above situations, tourism is environment's enemy but they can be two close friends, if they planned correctly and also with cooperation of all other organizations or industries which are related to tourism directly and indirectly. In order to understand that whether they can be friends or no; at first it is necessary to know how they can help each other, which are enlightened in further sections.

TOURISM IMPACTS 0N ENVIRONMENT

When we think of tourism, we think primarily of people who are visiting a particular place for sightseeing, visiting friends and relatives, taking a vacation, and having a good time. They may spend their leisure time engaging in various sports, sunbathing, talking, singing, taking rides, touring, reading, or simply enjoying the environment.

If we consider the subject further, we may include in our definition of tourism people who are participating in a convention, a business conference, or some other kind of business or professional activity, as well as those who are taking a study tour under an expert guide or doing some kind of scientific research or study.

NEGATIVE IMPACTS OF TOURISM ON ENVIRONMENT

Negative impacts from tourism occur when the level of visitor use is greater than the environment's ability to cope with this use within the acceptable limits of change.

Uncontrolled conventional tourism poses potential threats to many natural areas around the world. It can put enormous pressure on an area and lead to impacts such as soil erosion, increased pollution, discharges into the sea, natural habitat loss, increased pressure on endangered species and heightened vulnerability to forest fires. It often puts

a strain on water resources, and it can force local populations to compete for the use of critical resources. Like in Kolkata many tourist destinations are being degraded due to waste disposals, mainly Digha beaches are suffering from this impact, water and land is being polluted.

DEPLETION OF NATURAL RESOURCES

Tourism development can put pressure on natural resources when it increases consumption in areas where resources are already scarce.

Water Resources

Water, and especially fresh water, is one of the most critical natural resources. The tourism industry generally overuses water resources for hotels, swimming pools, golf courses and personal use of water by tourists. This can result in water shortages and degradation or water supplies, as well as generating a greater volume of waste water. Water sewage problem is very common in Kolkata. In Digha old and New beaches are polluted by waste disposals by tourists, they dispose trashes near the beaches which flow by the waves to the shore. In Sundarban water pollution can be seen during Ganga Sagar Mela.

Golf Course

Golf course maintenance can also deplete fresh water resources. In recent years golf tourism has increased in popularity and the number of golf courses has grown rapidly. Golf courses require an enormous amount of water every day and, as with other causes of excessive extraction of water, this can result in water scarcity.

LOCAL RESOURCES

Tourism can create great pressure on local resources like energy, food, and other raw materials that may already be in short supply. Greater extraction and transport of these resources exacerbates the physical impacts associated with their exploitation. Because of the seasonal character of the industry, many destinations have ten times more inhabitants in the high season as in the low season. A high demand is placed upon these resources to meet the high expectations tourists often have (proper heating, hot water, etc.). Kolkata is not Suffering from this impact in comparison of Sundarban and Digha. Specially Sundarban local people suffer by this impact because they have less facilities and resources.

Land Degradation

Important land resources include minerals, fossil fuels, fertile soil, forests, wetland and wildlife. Increased construction of tourism and recreational facilities has increased the pressure on these resources and on scenic landscapes specially in Sundarban and Digha. Due to waste disposal land is degraded highly. Direct impact on natural resources, both renewable and non-renewable, in the provision of tourist facilities can be caused by the use of land for accommodation and other infrastructure provision, and the use of building materials. Forests often suffer negative impacts of tourism in the form of deforestation caused by fuel wood collection and land clearing in Sundarban.

Pollution

Tourism can cause the same forms of pollution as any other industry: air emissions, noise, solid waste and littering, releases of sewage, oil and chemicals, even architecturalèvisual pollution.

Air Pollution and Noise

Transport by air, road, and rail is continuously increasing in response to the rising number of tourists and their greater mobility. To give an indication, the ICAO reported that the number of international air passengers worldwide rose from 88 million in 1972 to 344 million in 1994. One consequence of this increase in air transport is that tourism now accounts for more than 60% of air travel and is therefore responsible for an important share of air emissions. Kolkata ranks first in air pollution, Digha ranks second and Sundarban has less air pollution because of less vehicles and transports. One study estimated that a single transatlantic return flight emits almost half the CO_2 emissions produced by all other sources (lighting, heating, car use, etc.). Transport emissions and emissions from energy production and use are linked to acid rain, global warming and photochemical pollution. Air pollution from tourist transportation has impacts on the global level especially from carbon dioxide (CO_2) emissions related to transportation energy use. And it can contribute to severe local air pollution.

Some of these impacts are quite specific to tourist activities. For example, during summers, tour buses often leave their motors running for hours while the tourists go out for an excursion because they want to return to a comfortably air-conditioned bus.

Noise pollution from airplanes, cars, and buses, as well as recreational vehicles such as snowmobiles and jet skis, is an ever-growing problem of modern life. In addition to causing annoyance, stress, and even hearing loss for it humans, it causes distress to wildlife, especially in sensitive areas like Sundarban. For instance, noise generated by snowmobiles can cause animals to alter their natural activity patterns.

Solid Waste and Littering

In areas with high concentrations of tourist activities and appealing natural attractions, waste disposal is a serious problem and improper disposal can be a major despoiler of the natural environment rivers, scenic areas, and roadsides of Kolkata, Digha and sundarban. Solid waste and littering can degrade the physical appearance of the water and shoreline and cause the death of marine animals. Such practices degrade the environment with all the detritus typical of the developed world, in remote areas that have few garbage collection or disposal facilities.

Sewage

Construction of hotels, recreation and other facilities often leads to increased sewage pollution. Wastewater has polluted seas and lakes surrounding tourist attractions, damaging the flora and fauna. Sewage runoff causes serious damage to coral reefs because It stimulates the growth of algae, which cover the filter-feeding corals, hindering their ability to survive. Changes in salinity and siltation can have wide ranging impacts on coastal environments. And sewage pollution can threaten the health of humans and animals.

AESTHETIC POLLUTION

Often tourism fails to integrate its structures with the natural features and indigenous architectural of the destination. Large, dominating resorts of desperate design can look out of place in any natural environment and may clash with the indigenous structural design. A lack of land-use planning and building regulations in many destinations has facilitated sprawling developments along coastlines, valleys and scenic routes. The sprawl includes tourism facilities themselves and supporting infrastructure such as roads, employee, housing, parking, service areas, and waste disposal.

PHYSICAL IMPACTS

Attractive landscape sites, such as sandy beaches, lakes, riversides, and mountain tops and slopes, are often transitional zones, characterized by species-rich ecosystems. Typical physical impacts include the degradation of such ecosystems. An ecosystem is a geographic area including all the living organisms (people, plants, animals, and micro-organisms), their physical surroundings (such as soil, water, and air), and the natural cycles that sustain them. The ecosystems most threatened with degradation are ecologically fragile areas such as alpine regions, rain forests, wetlands, mangroves, coral reefs and sea grass beds of Digha and Sundarban. The threats to and pressures on these ecosystems are often severe because such places are very attractive to both tourists and developers.

Physical impacts are caused not only by tourism-related land clearing and construction, but by continuing tourist activities and long term changes in local economies and ecologies.

Physical Impacts of Tourism on Development

1. Construction Activities and Infrastructure Development

The development of tourism facilities such as accommodation, water supplies, restaurants and recreation facilities can involve sand mining, beach and sand dune erosion, soil erosion and extensive paving. In addition, road and airport construction can lead to land degradation and loss of wildlife habitats and deterioration of scenery. These actions have caused habitat loss in the park and are accompanied by various forms of pollution including air pollution from automobile emissions.

2. Deforestation and Intensified or Unsustainable Use of land

Construction of ski resort accommodation and facilities frequently requires clearing forested land. Coastal wetlands are often drained and filled due to

lack of more suitable sites for construction of tourism facilities and infrastructure. These activities can cause severe disturbance and erosion of the local ecosystem, even destruction in the long term.

3. Marina Development

Development of marinas and breakwaters can cause changes in currents and coastlines. Furthermore, extraction of building materials such as sand affects coral reefs, mangroves, and hinterland forests, leading to destruction of habitats. Over building and extensive paving of shorelines can result in destruction of habitats and disruption of land-sea connections (such as sea-turtle nesting spots) of Sundarban. Coral reefs are especially fragile marine ecosystems and are suffering worldwide from reef-based tourism developments, which can be seen in Digha beach. Evidence suggests a variety of impacts to coral result from shoreline development, increased sediments in the water trampling by tourists and divers, ship groundings, pollution from sewage, overfishing, and fishing with poisons and explosives that destroy coral habitat.

Physical Impacts From Tourist Activities

1. Trampling

Tourists using the same trail over and over again trample the vegetation and soil, eventually causing damage that can lead to loss of biodiversity and other impacts. Such damage can be even more extensive when visitors frequently stray off established trails.

2. Alteration of Ecosystems by Tourist Activities

Habitat can be degraded by tourism leisure activities. For example, wildlife viewing can bring about stress for the animals and alter their natural behaviour when tourists come too close. Safaris and Wildlife watching activities have a degrading effect on habitat as they often are accompanied by the noise and commotion created by tourists as they chase wild animals in their trucks and aircraft. This puts high pressure on animal habits and behaviours and tends to bring about behavioural changes in Sundarban and Digha specially.

3. Loss of Biological Diversity

Biological diversity is the term given to the variety of life on Earth and the natural patterns it forms.

The Effects of Loss of Biodiversity :

* It interferes with essential ecological functions such as species balance, soil formation, and greenhouse gas absorption.

* It reduces the productivity of ecosystems, thereby shrinking nature's basket of goods and services, from which we constantly draw.

* It destabilizes ecosystems and weakens their ability to deal with natural disasters such as floods, droughts, and hurricanes, and with human-caused stresses, such as pollution and climate change.

Tourism, especially nature tourism, is closely linked to biodiversity and the attractions created by a rich and varied environment. It can also cause loss of biodiversity when land and resources are strained by excessive use, and when impacts on vegetation, wildlife, mountain, marine and coastal environments and water resources exceed the carrying capacity. This loss of biodiversity in fact means loss of tourism potential.

Depletion of The Ozone Layer

Ozone depleting substances (ODSs) such as CFCs (Chlorofluorocarbon) and halons have contributed to the destruction of this layer. The tourism industry may be part of the problem; direct impacts start with the construction of new developments and continue during daily management and operations. Refrigerators, air conditioners and propellants in aerosol spray cans, amongst others, contain ODS's and are widely used in the hotel and tourism industry. Emissions from jet aircraft are also a significant source of ODS's. According to Tourism Concern, scientists predict that by 2015 half of the annual destruction of the ozone layer will be caused by air travel. UNEP's Ozone Action Programme works with governments and industries, including the tourism industry, to phase out ODS's and find safer alternatives. UNEP has developed extensive information and guidance on how many types of businesses can eliminate ODS's and contribute to preservation of the Ozone Layer. For further reading see the publication How the Hotel and Tourism Industry can Protect the Ozone Layer.

HOW GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACTS AFFECTS TOURISM

Natural Disasters

Catastrophes like floods, earthquakes, wildfires, volcanoes, avalanches, drought and diseases can have

a serious effect on inbound and domestic tourism and thus on local tourism industries. In Kolkata, Sundarban and Digha heavy rains and great cyclonic effects occur which cause bad impact on tourism in Sundarban, there is a great threat of tides.

Climate Change

Tourism not only contributes to climate change, but is affected by it as well. Climate change is likely to increase the severity and frequency of storms and severe weather events, which can have disastrous effects on tourism in the affected regions. Some of the other impacts that the world risks as a result of global warming are drought, diseases and heat waves.

These negative impacts can keep tourists away from the holiday destinations i.e. rising sea levels, the result of melting glaciers and polar ice. Higher sea levels will threaten coastal and marine areas with widespread floods in low-lying countries and island states, increasing the loss of coastal land. Beaches and islands that are major tourism attractions may be the first areas to be affected specially Sundarban and Digha. Increased events of extreme weather, such as cyclonic disturbance, tsunami waves, heavy rains and flooding caused major losses in the local tourism sector.

POSITIVE IMPACTS OF TOURISM ON ENVIRONMENT

Tourism is one of the world's largest industries, having eye-catching growth over the past three decades. During these decades tourism has been converted into a complex phenomenon, with economic, social, cultural, and natural or environmental dimensions. Environmental dimension contains the major attractions among different tourists in the recent years.

Tourism industry can help environment through several ways. Some of them are referred to as following:

> Tourism can significantly contribute to environmental protection, conservation and restoration of biological diversity and sustainable use of natural resources. Because of their attractions, pristine sites and natural areas are identified as valuable and the need to keep the attraction alive can lead to creation of wild life or national parks.

> Tourism has the potential to increase public appreciation of the environment and to spread awareness of environmental problems when it brings people into closer contact with nature and the environment. This confrontation may heighten awareness of value of nature and lead to environmentally conscious behaviour and activities to preserve the environment.

> Direct financial contribution, can be considered as a way of tourism to help conservation of sensitive areas and habitat. Revenue from park-entrance fees and similar sources can be allocated specifically to pay for the protection and management of environmentally sensitive areas. Especial fees for park operation or conservation activities can be collected from tourists or tour operators.

> Government can collect money in different indirect ways such as income taxes, user fees, taxes on sales or rent of equipments, and license fees for activities like hunting and fishing. Such funds can be used for overall conservation programs and managing natural resources.

> Regulatory measures can also be helpful for offsetting of tourism negative impacts on the environment.

For instance, controlling the numbers of tourist activities and movements of visitors within protected areas can limit harmful impacts on ecosystems and help to maintain the integrity and vitality of the natural site.

Environment is usually referred to as a key component of tourism basically it is involved in all aspects of tourism. However, natural environment is very delicate and needs to be taken care of; but in fact, it helps tourism through its natural features at first.

For all practical decisions in tourism, environment means the quality of the natural resources such as landscape, air, sea water, fresh water, plants life, animal and human life; and the quality of built and cultural resources judged to have intrinsic value and worthy of conservation.

Nowadays, regarding these complex and developed societies particularly in great metropolitans, natural environment attracts many people toward it and bring many different benefits

for this industry. Generally, it can contribute to tourism development through short-term and long-term programs. In the first program, financial profit is especially considerable but it doesn't last forever and also natural resources might be damaged in a way that cannot be compensated and repairable. In the second one, may be the economic benefit is not very noticeable but usually continual for future generation use. One of the most significant examples of sustainability regarding these two phenomenon is ecotourism which will be discussed in next section.

Eco Tourism project is being started for Sundarban and many projects have been started for conservation of wildlife and eco system.

IMPACT AND PLANNING

TOURISM AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION

The tourism industry can contribute to conservation through :

1. Financial Contributions

Tourism can contribute directly to the conservation of sensitive areas and habitat. Revenue from park-entrance fees and similar sources can be allocated specifically to pay for the protection and management of environmentally sensitive areas. Special fees for park operations or conservation activities can be collected from tourists or tour operators.

2. Contributions to Government Revenues

Some governments collect money in more far-reaching and indirect ways that are not linked to specific parks or conservation areas user fees, income taxes, taxes on sales or rental of recreation equipment, and license fees for activities such as hunting and fishing can provide governments with the funds needed to manage natural resources. Such funds can be used for overall conservation programs and activities, such as park ranger salaries and park maintenance.

3. Improved Environmental Management and Planning

Sound environmental management of tourism facilities and especially hotels can increase the benefits to natural areas. But this requires careful planning for controlled development, based on analysis of the environmental resources of the area. Planning helps to make choices between conflicting uses or to find ways to make them compatible. By planning early for tourism development, damaging and expensive mistakes can be prevented, avoiding the gradual deterioration of environmental assets significant to tourism.

4. Raising Environmental Awareness

Tourism has the potential to increase public appreciation of the environment and to spread awareness of environmental problems when it brings people into closer contact with nature and the environment. This confrontation may heighten awareness of the value of nature and lead to environmentally conscious behaviour and activities to preserve the environment. If it is to be sustainable in the long run, tourism must incorporate the principles and practices of sustainable consumption. Sustainable consumption includes building consumer demand for products that have been made using cleaner production techniques, and for services including tourism services that are provided in a way that minimizes environmental impacts in tourist destinations of the study area. The tourism industry can play a key role in providing environmental information and raising awareness among tourists of the environmental consequences of their actions. Tourists and tourism related businesses consume an enormous quantity of goods and services; moving them toward using those that are produced and provided in an environmentally sustainable way, from cradle to grave. could have an enormous positive impact on the planet's environment.

5. Protection and Preservation

Tourism has had a positive effect on wildlife preservation and protection efforts, notably in Africa but also in South America, Asia, Australia, and the South Pacific. Numerous animal and plant species have already become extinct or may become extinct soon. Many countries have therefore established wildlife reserves and enacted strict laws protecting the animals that draw nature-loving tourists specially in Sundarban. As a result of these measures, several endangered species have begun to thrive again.

Some Practical Solutions of The Problem :

> The sustainable use of natural, social and cultural resources is crucial. Therefore, tourism

should be planned and managed within environmental limits and with due regard to the long-term appropriate use of natural and human resources.

> Tourism planning, development and operation should be integrated into national and local sustainable development strategies. In particular, consideration should be given to different types of tourism development and the ways in which they link with existing land and resource uses and socio-cultural factors.

> Tourism should support a wide range of local economic activities, taking environmental costs and benefits to account, but it should not be permitted to become an activity which dominates the economic base of an area.

> Local communities should be encouraged and expected to participate in the planning, development and control of tourism with the support of government and the industry. Particular attention should be paid to involve indigenous people, women and minority groups to ensure the equitable distribution of the benefits of tourism.

> All organization and individuals should respect the environment, the culture, the economy, the way of life, and the political structures of the destination area.

> All stakeholders within tourism should be educated about the need to develop more sustainable forms of tourism. This includes staff training and raising awareness, through education and marketing tourism responsibility, of sustainability issues among host communities and tourists themselves.

> Research should be undertaken throughout all stages of tourism development and operation to monitor impacts, to solve problems and to allow local people and others to respond to changes and to take advantage of opportunities.

> All agencies, organization, businesses, and individuals should cooperate and work together to avoid potential conflict and to optimize the benefits to an involved in the development and management of tourism (Pender,2005).

REFERENCES CITED IN THE TEXT

1. Resource Usage And Pollution (Cooper-2005)
2. Critical Resource (Holden-2000)
3. Critical Resource (Holden-2000)
4. Tourism Geography - Dr. Rana Pratap and Dr. Kamla Prasad
5. Tourism Development - A.K.Bhatia
6. Managing Quality in Tourism - Denis Hungtington tony lenehon - 2006
7. Studies in Tourism Wildlife Park Conservation - Tej Vir Singh – 1982
8. Tourism Wildlife Conservation - Jagmohan Negi
9. Tourism Development and Resource Conservation – Jagmohan Negi
10. Resource and Environment (Holden-2000)
11. Cooper 2005 and WTO- 1999
12. Tourism and Adventure - Jagmohan Negi – 2008
13. Tourism Management - Kiran Chauhan
14. Global Tourism Policies Law and Action Plan - Prabhas sinha - 2006

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से महाव्याधियों (कोरोना आदि) तथा व्याधियों के कारण एवं चिकित्सा सूत्र

❒ डॉ. कुशल प्रसाद शास्त्री*
❒ रामायण प्रसाद तिवारी**

सनातन भारतीय संस्कृति एवं शास्त्रों में वेद को अनादि और अपौरुषेय माना गया है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उप वेद होने से आयुर्वेद भी तद्वत् अनादि और अपौरुषेय है। जैसे वेद का प्राकट्य सर्वप्रथम सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा होता है, अनन्तर उग्रतपा ऋषियों को उसका ज्ञान होता है और ऋषि परम्परा से अनेक विभाग और शाखायें होती हैं, उसी तरह ब्रह्मा जी से एक लाख श्लोक वाला अथर्ववेद का उपाङ्ग आयुर्वेद भी प्रकट हुआ। अनन्तर परम्परा प्रजापति इन्द्र, ऋषि भरद्वाज, अत्रेय पुनर्वसु, अग्निवेश आदि के द्वारा जगन्मंगल (स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणमातुरस्य विकार प्रसमनम्) हेतु अग्निवेश अपरनाम चरक संहिता आदि के नाम से भू लोक में प्रसरित हुआ।

वेद के सम्बन्ध में ऋषियों तद्नुसार संस्कृत महामनीषियों की मान्यता है कि ''भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्वंवेदे प्रतिष्ठितम्'' अर्थात् भूतकाल में जो हुआ, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होगा उसके हितकर, अहित कर कारणों, परिणामों और हितकर के ग्रहण, अहितकर के त्याग आदि के उपायों के सूत्र वेद में विद्यमान हैं। आयुर्वेद प्राणियों के चिकित्सा का वेद है इसलिये उसमें भी भूत में हुये रोगों और वर्तमान में नित नये–नये उत्पन्न हो रहे रोगों और भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के कारणों उनके समन के उपायों का समुचित एवं वृहद् उल्लेख है। आवश्यकता है अधिकारी वन कर उनके ज्ञान की। ऋषि त्रिकाल दर्शी होते थे इसलिये त्रिकाल में होने वाली प्रत्येक हलचले उनके दृष्टि पथ पर रहती थी।

इसे आधार मानकर मैंने महर्षि अग्निवेश कृत एवं चरक ऋषि के द्वारा प्रतिसंस्कृत चरक संहिता और ऋषि प्रवर श्रुषुत कृत श्रुषुत संहिता आदि आयुर्वेद शास्त्रों का आज के संदर्भ में गम्भीरता से अध्ययन किया, तो ज्ञात हुआ कि आज कोरोना नाम से प्रचलित विश्वव्यापी महामारी ही नहीं अन्यान्य महामारियों की उत्पत्ति के कारणों और उनके समन के उपायों का उक्त शास्त्रों में विस्तृत एवं तक्रसंगत उल्लेख है। आयुर्वेद में प्राणि मात्र में रोगों की उत्पत्ति में दो प्रकार के कारण बताये गये हैं, जिसे अपनी भाषा में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ भी मानती है–

1. साधारण कारण 2. असाधारण कारण। द्विविधो हेतुर्व्याधि जनकः प्राणिनां भवति साधारणोऽसाधारणश्च'' (चरक चिकित्सा 3/1–2) इनमें असाधारण कारण प्रत्येक व्यक्ति में उसके प्रज्ञा पराध के कारण उसके द्वारा असंयमित एवं आयुक्त आहार विहार आदि के सेवन से उसके दोष (वात–पित्त–कफ) अग्नि (जठराग्नि) रक्त रस आदि सप्त धातुयें, मल (मूत्र पुरीष) आदि दूषित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति भिन्न–भिन्न साध्य

* से0नि0 उपाचार्य आयुर्वेद महाविद्यालय कैलाशपुरी, विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र..) मो.9617928498
** प्रूफ प्रेक्षक, से.नि. इंजी., बोदाबाग कालोनी रीवा (म.प्र.)

असाध्य रोगों से पीड़ित हो जाता है। असाधारण कारणों से उत्पन्न होने से इसे असाधारण व्याधि भी कहा जा सकता है।

साधारण कारण अर्थात् समस्त जनता अथवा बहुसंख्यक के लिए समान रूप से विकृत हुये वात (वायु) जल, देशकाल ऋतुयें आदि। ये सभी व्यक्तियों अथवा बहुसंख्यक को प्रभावित करने वाले होने से यह साधारण कारण है। इनमें विकृति भी बहुसंख्यक जनों के प्रज्ञापराध से ही होती है। साधारण का अर्थ है समान रूप से सभी पर लागू होने वाला। सर्वजन साधारण में उत्पन्न व्याधि को साधारण व्याधि भी कहा जा सकता है। जैसे आज का ''कोरोना'' आदि। साधारण व्याधि में उक्त तीन सहयोगी कारण (वात, जल, देश) शेष अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार का उपलक्षण है–

''भूमिरापाेऽनलो वायुः खंमनोबुद्धि रेव च। अहंकारमितीयं मे भिन्नाप्रकृतिरष्टधा।''

(गीता 7/4)

अर्थात् जिस क्षेत्र, प्रदेश देश में जिस मात्रा में जहाँ–जहाँ अष्टधा प्रकृति में विकृति होती है, वहाँ वहाँ उसी मात्रा में महाव्याधियाँ जब–तब पैदा होती है। गीता 7/5 के अनुसार उक्त अष्टधा प्रकृति भगवान् की अपरा प्रकृति है, तथा जीव परा प्रकृति है। जिससे सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होता है। वह भगवान् की सृष्टि रचना, पालन और संहार का उपकरण तो है ही सम्पदा भी है। जिसके समुचित एवं विधि सम्मत उपभोग का अधिकार मनुष्य को है। अनुचित दोहन और विकृत करने का अधिकार किसी को नहीं है। अन्यथा भगवान् और प्रकृति दोनों रुष्ट होकर दैहिक–दैविक और भौतिक त्रिताप से विश्व को संतप्त कर देते हैं। आज यही हो रहा है। प्रकृति के विकृति में उत्तरोत्तर बढ़ रही भोग लिप्सा जिसे आयुर्वेद (च.शा. 1/195 चक्र0 टीका) में ''उपधा'' कहा गया है, हेतु है। प्रज्ञापराध से भोग लिप्सा बढ़ती है और उसकी पूर्ति के लिये प्रकृति का अधाधुन्ध दोहन, शोषण होता है। जिससे उसमें विकृति पैदा होती है। यह सिलसिला आज से नहीं वर्षों से शुरू है। भगवान् और उनका उपकरण प्रकृति आज विश्व मानव समूह से रुष्ट है। जिसके कारण ही वर्षों से ही विश्व व्यापी महामारियों का ताण्डव हो रहा है– और प्रज्ञापराधियों तथा भोगियों की दुर्वृत्ति से ही अनाचार, दुराचार, भष्टाचार और अशान्तिमय विश्व हो गया है, इसी से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने अशान्त करने में गौरव का अनुभव करने लगा है।

विश्व इकोनामिक फोरम ने इष्ट्रग्राम अकाउण्ट पर एक यूजर के जवाब में प्रकाशित एक रिपोर्ट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विभाग के डीन मिसेल ए. विलियस के एक शोध के अनुसार विगत 30 वर्षों के दौरान महामारियों की जहाँ सालाना संख्या लगभग तीन गुना बढ़ी है, वहीं 15 वर्षों में जोका सी.ओका, सार्स, तपेदिक, टी.वी., एच.आई.वी. इनफ्लेन्जा, इबोला आदि महामारियां विश्व में तबाही मचा रही हैं। साथ ही मधुमेह और हृदय सम्बन्धी रोग तथा कैन्सर भी स्थायी रूप से महामारी बन गये हैं।

आयुर्वेद की दृष्टि से व्याधियों का स्वरूप और कारण–

सुश्रुत संहिता के निदान और सूत्र स्थान में पूर्व कथित सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार की व्याधियों (रोगों) को संसर्जक और असंसर्जक मानते हुये उनकी व्याख्या की गई है। संसर्जक व्याधि उसे माना है जो एक पुरुष से दूसरे पुरुष में परस्पर संसर्ग से अर्थात् किसी रोगी के शरीर के स्पर्श, इसके श्वास, तथा उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के उपयोग आदि से, जैसे हैजा, रक्त विकार आदि तथा वर्तमान में कोरोना आदि महामारियॉ पैदा होती हैं।

''औपसर्गिक रोगाश्च संक्रमन्तिनरान्नरम्''

(सु.नि.5–3–345)

असंसर्गज व्याधि (रोग) वह होती है जिसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण नहीं होता है। समस्त शारीरिक मानसिक रोगों की उत्पत्ति में चरक संहिता शारीर स्थान में तीन मूल कारण बताये गये हैं जिनसे वात, पित्त, कफ आदि प्रकुप्त एवं विषम होकर रोग को उत्पन्न करते हैं –''धीधृति स्मृति विभ्रंशः सम्प्राप्तिः कालकर्मणाम्। असात्म्येन्द्रियार्थागमश्चैव

ज्ञातव्या दुःख हेतवः'' (चरक संहिता शा0 1/18) जिसमें (1) धीधृति–स्मृति विभ्रंश (प्रज्ञा पराध) (2) काल कर्म सम्प्राप्ति (3) असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग। इन्हें इस प्रकार से समझा जा सकता है।

(1) धीधृति स्मृति का विभ्रंश–धी, धृती, स्मृति इन तीनों के समुच्चय का नाम प्रज्ञा कहा गया है। जिनका नष्ट होना प्रज्ञापराध है। जिससे रोग उत्पन्न होते हैं, अर्थात् दुःखों या रोगों की उत्पत्ति में प्रज्ञापराध कारण है। धीधृति और स्मृति इन तीनों का कार्य निम्न प्रकार से समझना चाहिये

धी :– शरीर और मन के लिये हितकर और अहित कर विषयों–वस्तुओं का ज्ञान 'धी' कहा गया है, अर्थात् यह 'धी' का कार्य है। 'धी' का अर्थ है बुद्धि।

धृति :– धी और स्मृति होने पर हितकर विषयों = वस्तुओं का सेवन अहितकर विषयों = वस्तुओं का परिहार (त्याग) योग्य संयम होना धृति कहा गया है। धृति का अर्थ है धारणशक्ति।

स्मृति :– जिस विषय वस्तु का सेवन प्राप्त है अथवा जो कार्यारम्भ किया जाना है, वह हितकर है या अहितकर उसका ज्ञान उस समय में हो जाना यह स्मृति है। अर्थात् ऐसा स्मरण हो जाना स्मृति है। स्मृति का अर्थ है स्मरण शक्ति। इन तीनों के विभ्रंश (नष्ट) होने से अभिप्राय है तीनों का अपूर्ण होना। विभिन्न कारणों से उनमें विकृति आना। इस प्रकार इन तीनों के नष्ट = विकृत हो जाने पर मनुष्य के द्वारा अपने लिये या अन्य के लिये अशुभ कर्म (लोक एवं शास्त्र विरुद्ध) करना प्रज्ञा अपराध कहा गया है। प्रज्ञा पराध ही सभी शारीरिक (वात, पित्त, कफ) आदि तथा मानसिक = (मन बुद्धि आदि) रज, तम दोषों का प्रकोपक है–

''धीघृति स्मृति विभ्रंशः कर्मयत्कुरुतेऽशुभम्।
प्रज्ञापराधं तं विद्यात्। सर्व दोष प्रकोपकम्।।''

च.मं. 1/103

(2) काल कर्म की सम्प्राप्तिः–काल की सम्प्राप्ति का अभिप्राप है– जिस काल ऋतु के उपस्थित होने पर प्रायः जो रोग प्रगट होते हैं उनका यथा काल प्रगट होना, अर्थात् उस समय ऋतु में उस उस दोष (वात, पित्त, कफ) का ऋतु स्वभाव वस संचय प्रकोप और समन अथवा ऋतुओं की व्यापाति = ऋतुओं के लक्षण न्यून अधिक या विपरीत होना। उससे दोषों में विकृति आना। कर्म की सम्प्राप्ति का अभिप्राय है = कर्म = अशुकर्म चाहे वे वर्तमान के हो या पूर्व जन्म के उनके परिपाक होने पर जो दुःख या रोग उत्पन्न होते हैं उनका उत्पन्न होना– ''अवश्यमेवभोक्तव्यं कर्मणैवशुभाशुभम्''। मनुष्य के अशुभ= बुरे कर्म उसे रोग से भी पीड़ित करते हैं–''पूर्व जन्म (पूर्वकाल) कृतं पापं व्याधिरूपेण वाधते।''

(3) असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग अर्थात् इन्द्रियों के द्वारा अर्थ= विषयों का अहित योग = अतियोग, अयोग, हीनयोग। इन तीनों का नाम अहित येाग मिथ्या योग या भी या है। अभिप्राय यह हुआ कि इन्द्रियों के जो भोग्य विषय हैं, उनका अधिक मात्रा में उपभोग अथवा उनका बिलकुल उपभोग न करना या अपेक्षा से कम उपभोग करना/असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग है।

इसी प्रकार उपधा–भोग तृष्णा को भी दुःख और उसका आश्रय शरीर की उत्पत्ति में कारण कहा गया है। (च.शा. 1/195–96) ''पुनरपिजननं पुनरपिमरणम्'' में भी उपधा ही कारण है। आयुर्वेद में प्रज्ञापराधः, उपधा (भोग तृष्णा) के साथ ही अधर्म (लोक विधि एवं शास्त्र विधि विरुद्ध आचरण) को भी रोग = दुःख उत्पत्ति में मूल कारण बताया गया है और यह भी कहा गया है कि इससे ही पृथ्वी, जल, वायु आदि में वैगुण्य = विकृति होती हैं, जिसके कारण ही जनपदों देश, प्रदेश विश्व विध्वंशकारी महामारियों पैदा होती हैं। इस प्रकार प्रज्ञापराध भोग तृष्णा और अधर्म इन तीनों को समस्त रोगों, दुःखों की उत्पत्ति में मुख्य कारण बताया गया है। किन्तु किसी कार्य की उत्पत्ति के अनेक कारण हो सकते हैं; परन्तु मुख्य कारण तो एक ही होता है। शेष सहायक या परम्परा कारण होते हैं। यहाँ पर भी रोगों या दुःखों की उत्पत्ति में मुख्य कारण प्रज्ञापराध को ही माना गया है, शेष भोग तृष्णा, अधर्म, तजन्य होने से दुःखोत्पत्ति में सहकारी कारण या परम्परया कारण हैं। सर्व प्रथम मनुष्य से प्रज्ञापराध

होगा उससे भोग तृष्णा बढ़ेगी, और फिर भोग तृष्णा की पूर्ति के लिये वह अधर्माचरण करेगा । अनन्तर रोग = दुःख की उत्पत्ति होगी।

घी, घृति –स्मृति (प्रज्ञा) के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति कर्तव्य–अकर्तव्य के ज्ञान से रहित हो जाता है तव उससे असत् आचरण होते हैं। व्यक्ति का सतोगुण तिरोहित हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण की अधिकता से वह लोक एवं शास्त्र विधि विरुद्ध आचरण करने में गौरव का अनुभव करने लगता है, जिससे उसकी भोग तृष्णा प्रबल होने लगती है। प्रर्सापराधी भोगतृष्णा के वशीभूत हो जाने पर अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, परपीडन, देव–द्विज, गुरु आदि पूज्य जनों का अनादर तथा प्रकृति का अधिकाधिक शोषण करने लगता है, यही तो अधर्माचरण है। भोग तृष्णा ग्रस्त और अधर्माचरणरत व्यक्ति के असंयमित दिनचर्या, अहित आहार निसेवन आदि से उसके वात, पित्त, कफ, पांचकाठिन आदि में विषमता पैदा हो जाती है, जिससे वह व्याधि, महाव्याधि से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार रोगों की उत्पत्ति में मूल कारण प्रज्ञापराध ही है, शेष होने से तजुन्य सहकारी हैं। इसीलिये आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया ''प्रज्ञापराधैव रोगोत्यत्तौ मूल कारणम्''।

आज विश्व में अनुदिन प्रज्ञापराध बढ़ रहा है, जिससे अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार व्याधि, महाव्याधि आदि विश्व व्यापी हो गया है। जिनका उपचार असम्भव तो नहीं परन्तु दुःसाध्य अवश्य हो गया है। जिसे सुसाध्य बनाने के लिये ऋषि यथानुसरण ही एक मात्र उपाय है।

वर्तमान में विश्वव्यापी बहुजन विनाशक कोरोना (कोविड–19) के नियंत्रण के लिये भारत सहित विश्व के प्रायः सभी देश प्रयत्नशील है। लेकिन उसके मूल कारण पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, क्योंकि प्रायः बहुसंख्यक राष्ट्रों के नियन्ता और अग्रिम पंक्ति के नागरिक प्रज्ञापराध ग्रस्त हैं। इसलिये विधियॉ अपनाई जा रही हैं, उनमें बहुत सी सहसा (पूर्वापर के परिणाम की चिन्ता से रहित एका एक एवं अविवेक पूर्ण हो रही है, जिससे कोरोना तो अपेक्षाकृत कम नियंत्रित हो रहा है, अपितु जन–जीवन के सामने कहीं उससे जटिल समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। जिसमें भारत सहित कुछ राष्ट्रों में एका–एक लाक–डाउन लगाना और उसका खोलना आदि है। सहसा निर्णय लेना जहाँ अविवेक का सूचक होता है वहीं शासक वर्ग की निरंकुशता का भी परिचायक होता है। ''जो महती विपत्ति के आगमन का सूचक होता है। सहसा न विद्धीतक्रिया–अविवेकः परमापदांपदम्''।।

आयुर्वेद सम्पूर्ण चिकित्सा शास्त्र है :–

आयुर्वेद में चिकित्सा के – शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, (बालचिकित्सा) अगदतंत्र, रसायनतंत्र, वाजीकरण तंत्र। आठ अंग अर्थात् विभाग हैं। आयुर्वेद के संहिता और संग्रह आदि ग्रन्थों में सभी अंगों से सम्बन्धित उत्कृष्ट चिकित्सा विधियों का उललेख है।

विश्व में केवल आयुर्वेद ही अष्टांग चिकित्सा का शास्त्र है। शेष जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनमें सभी अंगों से सम्बन्धित चिकित्सा विधियाँ नहीं हैं। उदाहरण के रूप में ''भूत विद्या'' जो आयुर्वेद चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके लिये विशेष रूप से दैवव्यपाश्रय'' चिकित्सा है। जो आयुर्वेद की प्रमुख चिकित्साविधि है। उक्त अंग से सम्बन्धित चिकित्सा आधुनिक पद्धतियों में नहीं है। वह इसलिये कि आधुनिक चिकित्सा केवल भौतिक विज्ञान पर आधारित है। जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मान्यता देता है। प्रमाण शास्त्र (न्यायशास्त्र) की दृष्टि से प्रत्यक्ष प्रमाण निम्न कोटि का माना गया है।

भौतिक विज्ञान अपने भौतिक संसाधनों से जो प्रत्यक्ष कर लेता है, उन्हीं की सत्ता को मानता है। आयुर्वेद में भूत से अभिप्राय देव योनि से है, जिसे ग्रह या भूत भी कहा गया है, जिसमें देव असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, प्रेत, पिचास आदि आते हैं ये सभी रुष्ट होने पर अदृश्य = अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन को पीड़ित करते हैं। रोग ग्रस्त करते हैं। इसलिये प्रत्यक्षवादी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों न उक्त भूत को मानती है न उनके द्वारा रोगोत्पत्ति ही मानती है।

किन्तु भारतीय संस्कृति तथा उसके सम्बाहक शास्त्रों में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (शास्त्र) इन तीन प्रमाणों को मानते हुये आगम प्रमाण को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। जिसके अनुसार आयुर्वेद शास्त्र भी उक्त भूत समुदाय की सत्ता और उनके द्वारा मानव जाति को पीड़ित करने और रोग उत्पन्न करने को स्वीकार करके उसकी निवृत्ति के लिये शान्तिकर्म, जप, पूजन, बलि आदि का विधान इस अंग में बताया गया है। सनातन धर्म में तो ऐसे कृत्यों का विशेष महत्व है। अन्य धर्म के लोग भी रोगादि का संकट आने पर गिरजाघरों, मस्जिदों आदि में अपने–अपने इष्ट से प्रार्थनायें, दुआये करते हैं। और उससे संकट की निवृत्ति भी देखी जाती है। इसी तरह ''रसायन तंत्र और ''बाजीकरणतंत्र'' इन दो अंगों की कोई स्वतंत्र चिकित्सा विधि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में नहीं है। इसीलिये आयुर्वेद सम्पूर्ण चिकित्सा का शास्त्र है। इससे गुरेज करने वालों को केवल अल्पज्ञ के अतिरिकत कुछ नहीं कहा जा सकता है।

आयुर्वेद केवल शरीरगत रोगों की चिकित्सा का शास्त्र नहीं है, अपितु एक महान् दर्शन भी है। जिसमें शारीरिक निरोग्य जीवन जीने के विविध उपायों चिकित्सा विधियों के निदर्शन के साथ ही योग दर्शन (कर्म–योग) एवं सांख्य दर्शन (ज्ञान–योग) के विशिष्ट तत्वों का भी निरूपण करता है, क्योंकि औषधियों से शरीरस्थ रोग ठीक हो सकते हैं। वह भी आंशिक किन्तु शरीर में जो महत्व पूर्ण तत्व ज्ञानेन्द्रिय और आत्मा तथा मन है उनकी जो प्रशन्नता, स्वस्थता है, वह केवल औषधियों से सम्भव नहीं है वह तो दार्शनिक विधियों के अनुपालन से ही सम्भव है। व्यक्ति जब तक शरीर इन्द्रिय आत्मा तथा मन से स्वस्थ नहीं होगा तब–तक वह पूर्णतया स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। इसी दृष्टि से आयुर्वेद में पूर्ण स्वस्थ की परिभाषा है– समदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रिया। प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ्येत्यभिधीयते (चरक) इसीलिये आयुर्वेद स्थायी एवं निरूपद्रव सम्पूर्ण चिकित्सा विधि का शास्त्र है। शेष विश्व की चिकित्सा विधियॉ अस्थायी प्रायः उपद्रवयुक्त एवं अपूर्ण हैं क्योंकि उनमें आत्मा, इन्द्रिय और मन की स्वस्थता कैसे हो सकती है। इस पर विचार नहीं है।

आयुर्वेद में अज्ञात रोगों की चिकित्सा :–

आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में अज्ञात अथवा नये रोगों की पूर्व से न कोई औषधियाँ होती हैं और न चिकित्सा विधियाँ। रोग होने पर पहले उस पर अनुसंधान होता है, फिर महीनो कभी–कभी तो वर्षों भी लग जाते हैं। तब कहीं औषधियॉ बनती है तब तक लाखों लोग काल कवलित हो जाते हैं। यहाँ आग लगने पर कुआँ खोदा जाता है। किन्तु आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में सभी ज्ञात–अज्ञात, आगत–अनागत रोगों की समुचित, निरापद एवं सटीक चिकित्सा विधि पूर्व से निश्चित है। क्योंकि सभी तरह के रोगों के उत्पत्ति के कारण स्थायी रूप से निश्चित होने से उनकी चिकित्सा और औषधियॉ भी पूर्व से सुनिश्चित हैं। आयुर्वेद में समस्त रोगों की चिकित्सा का एक ही मूल और ''संक्षिप्त सूत्र है–संक्षेपतः क्रिया योगो निदानं परिवर्जनम्'' (सु.उ..1125) में अर्थात् निदान = रोग के कारण भूत आहार–बिहार, चेष्टा, देशकाल, औषधि आदि जिनके कारण रोगोंत्पादक वात, पित्त, कफ आदि वैषम्य हों, उनका परित्याग तथा साम्योत्यादक का सेवन यही संक्षेप में क्रिया योग अर्थात् उपचार = चिकित्सा है।

आधुनिक डाक्टरों, वैज्ञानिकों तथा उनसे प्रेरित सरकारों की यह मान्यता है कि आज जो नई–नई व्याधियाँ, महामारियाँ पैदा हो रही है उनका नाम आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथों में नहीं है, इसलिये उनकी चिकित्सा आयुर्वेदिक औषधियों से सम्भव नहीं है। उनकी यह धारणा अज्ञान मूलक है। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से विकार = रोग असंख्य है परन्तु उनकी गणना और नामकरण करना असम्भव है –''विकाराः असंख्योयाः'' (च0सू0 20/3) उसका कारण है, व्यक्ति प्रकृति अधिष्ठान, लिंग, आयतन तथा इनके भेद विशेष का असंख्य होना ''प्रकृत्यधिष्ठान लिंगायतन विकल्पविशेषः।'' इन्हें संक्षेप में निम्नानुसार समझा जा सकता है।

(1) प्रकृति का अर्थ है–

रोगोत्पति में प्रत्यासन्न साक्षात् कारण भूत प्रकृपित हुये वातादि दोष। दोषों के संसर्ग परस्पर मेलक और उनके अंशांश विकल्प के असंख्येय होने से उनकी अवस्थाओं का असंख्येय होना।

(2) अधिष्ठान का आशय है–

रोग के आश्रय भूत दूष्य = दूषित होने वाले धातु उपधातु, मल। अर्थात् शरीरावयव। शरीरावयव जिन अणुओं के मेल से बने हैं उनका विभाजन किया जाय तो वे असंख्य है। इस प्रकार भिन्न–भिन्न अणुओं में रोग के अवस्थित होने पर भी रोग असंख्येय हो जायेंगे। क्योंकि अणु (कोष) जिस अवयव का है, उसके भेद से रोगों का भिन्न होना स्वाभाविक है। जैसे ग्रहणी के अणु का विकार होने से कोई रोग होगा तो कोई अग्न्नाशय (पैंक्रियाज) के अणु की विकृति से, कोई हृदय की विकृति से, एवं एक ही अवयव के अणु भेद से तथा एक ही दोष के विषम हुये गुण विशेष के कारण तथा उसके वैषम्य से वश व्यक्त हुये कर्म के भेद से रोगों का भिन्न–भिन्न होना स्वाभाविक है।

(3) लिंग का अभिप्राय है–

लक्षण, सभी रोगगत लक्षण के असंख्येय होने से रोग भी असंख्येय हो जाते हैं।

(4) आयतन का अभिप्राय है –

रोगोत्पत्ति के वाह्य कारण जैसे–दुष्ट आहार, विहार और आचरण इनके अनेक होने से रोग भी अनेक हो जाते हैं।

विकल्प विशेष –

उक्त चारों के विकल्प विशेष, जो असंख्येय है, जिससे रोग भी असंख्येय हो जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त व्यक्ति के वर्ण स्थान–संस्थान आदि के अनेक भेद होने से रोग भी असंख्येय हो जाते हैं। अत एव रोगों की गणना और उनके नाम का कथन असम्भव और आवश्यक है। रोग होने पर चिकित्सक देश कालानुसार भले ही किसी रोग का नाम कुछ भी रख ले, जैसे आज एक संक्रामक रोग का नाम कोरोना (कोविड–19) रख लिया गया है। इयी तरह जैसे आज लगभग 20–25 वर्षों में कुछ अज्ञात बीमारियॉ हुई जिनका नाम से जोका, सार्स, इनफ्लुएन्जा, इबोला रख लिया गया। इन महामारियों की चिकित्सा में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियॉ किं कर्त्तव्य विमूढ़ होती रहीं हैं, लाखों जाने जाने के बाद तथा अरबों रुपये व्यय करने पर एक महामारी की दवाये और टीका बनते हैं, और कुछ अन्तराल में दूसरी महामारी आ धमकती है। आज विश्वव्यापी कोरोना महामारी जिसकी कोई सटीक दवा आधुनिक चिकित्सा में नहीं और न अभी तक बन पाई है। किन्तु आयुर्वेद शास्त्र डिडिंम घोष करता है कि शरीर में जितने भी ज्ञात–अज्ञात, साध्य, असाध्य रोग होते हैं, उन सबकी चिकित्सा सम्भव है। सबकी औषधियाँ शास्त्रों में एक नहीं अनेक हैं। क्योंकि शरीर में जितने भी रेाग होते हैं। उन सबका कारण वात, पित्त, कफ आदि का वैषम्य (प्रकुपित) होना है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण रोग की उत्पत्ति के हो ही नहीं सकते। ''सर्वे विकाराः वातपित्तकफान्नातिवन्ते' (च.सू. 2/5) संक्रमण। जनित रोगों में भी कोई न कोई दोष प्रकुप्त होता है जैसे करोना में प्रथम कफ ही विशेष रूप से प्रकुप्त होता है। बाद में अन्य दोष अनन्तर सन्निपात हो जाता है। तो एलोपैथ रोग की उत्त्पत्ति में आयुर्वेद के सिद्धान्त को नहीं मानता किन्तु उसके यहाँ भी जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनसे भर जाने अनजाने दोष साम्य हो होता है। तभी तो सर्दी होने पर पैरासीटामाल आदि दवाइयाँ दी जाती हैं। जिसमें कफ का वैषम्य दूर होकर सर्दी जुखाम तो ठीक होता तंज्जनित बुखर भी दूर हो जाता है।

दोषों का वैषम्य = प्रकुपित स्वरूप आयुर्वेद ग्रन्थों में परिगणित है और उन्हें सम्यावस्था में लाने के लिये औषधि, आहार, विहार, सब कुछ वर्णित है। इसलिये कभी भी किसी प्रकार की व्याधि, महाव्याधि हो, उसका नाम ज्ञात हो या अज्ञात हो दोष, दूष्य =(शरीरावयव धातु, उपधातु) आदि, लिंगो = चिन्हों को दृष्टि में रखकर सम्यक् जान समझकर आयुर्वेद शास्त्रों में चिकित्सा करने का विधान है। आयुर्वेद में रोग के नाम

का कोई महत्व नहीं है। महर्षि सुश्रुत ने उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत व्यक्त करते हुये कहा है–

''नास्ति रोगो विना दोषैर्यस्मात्तस्माद्विचक्षणः।
अनुक्तमयि दोषाणां लिङ्गै व्याधिमुपाचरेत।।

(सु.सू. 35/19)

अर्थात् शास्त्र मे जिन रोगों का नाम– रूपतः निर्देश नहीं किया गयाहै उनकी भी चिकित्सा सुविज्ञ वैद्य दोष भेद से दोष को दृष्टि में रखकर चिकित्सा करें क्योंकि कोई भी रोग दोष को बिना होता ही नहीं। आयुर्वेदिक चिकित्सा सर्व देश काल में ज्ञात, अज्ञात रोगों की सफल एवं निरापद चिकित्सा इसलिए भी है क्योंकि आयुर्वेद में वर्णित रोगों के दोष, दूष्य, देश, काल, सात्म्य सत्व (मनोबल) व्यय (अवस्था) बल (शारीरिक बल) ओक अभ्यास से सात्म्य (हितकर) औषधि, इन दश की सम्यक प्रकार से परीक्षा कर सुविज्ञ वैद्य चिकित्सा करता है साथ ही अनेक व्यक्तियों में रोग के समान लक्षण मिलने पर भी सब की एक प्रकार की चिकित्सा न करके उक्त को दृष्टि में रख कर पृथक्–पृथक् सब के लिये औषधि की योजना करता है। चरक संहिता में उल्लेख है –''पुरुषं पुरुषं वीक्ष्य'' (च0सू01/23)। दुर्भाग्य से आज बहु संख्यक आयुर्वेद उपाधिधारी चिकित्सक भी ऐसे हैं जो परीक्षा पास होने के लिये आयुर्वेद ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं न कि ज्ञान के लिये क्योंकि वे संस्कृत ज्ञान विहीन तो होते ही हैं, आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित आचरण आदि से भी अनभिज्ञ प्रायः आधुनिक सोच चिन्तन और आचरण वाले होते हैं। इसलिये वे अमुक रोग के लिये अमुक शास्त्रोक्त या पेटेन्ट योग है, इसको दृष्टि में रखकर चिकित्सा करते है। कभी घुणाक्षर न्यायेन ''सफल भी हो जाते हैं परन्तु यह शास्त्र सम्मत चिकित्सा नहीं है। पुरुषं–पुरुषं वीक्ष्य का यह भी अभिप्राय है कि कई व्यक्तियों में एक प्रकार का रोग होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति में रोग की अवस्था = सामान्य वृद्ध वृद्धतम) और रोगी की अवस्था आदि को ध्यान में रखकर रोगियों को कई समूहों में बॉटकर चिकित्सा करनी चाहिये।

वर्तमान में विश्व व्यापी कोरोना नाम की महामारी के सभी लक्षण बहुसंख्यक लोगों में समान और कुछ में कुछ ही लक्षण मिलते हैं किन्तु आधुनिक परीक्षण में सभी को कोरोना ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में पृथक्–पृथक् औषधि ही लाभप्रदा होगी। जो एलोपैथी में वर्तमान में नहीं है, इसीलिये बीमारी घट नहीं रही है। बढ़ रही है। रोकथाम के लिये आज केवल वाह्य उपाय मास्क, समाजिक दूरी आदि ही रह गई है। विश्व की सरकारें अपने को असहॉय सी समझने लगी हैं। जबकि आयुर्वेद की घोषणा है कि जो स्वस्थ है वह स्वस्थ बना रहे कोई रोगी न हो, और यदि किसी कारणवस कोई रोगग्रस्त हो गया है तो वह रोग मुक्त हो जाय। इन दोनों के लिये निरापद अनन्त औषधियाँ और उपाय भी आयुर्वेद में हैं। ''स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षक मातुरस्य विकार प्रशमनम्:''। यही आयुर्वेद का लक्ष्य है।

भारत भूमि रत्न गर्मा है आज भी विभिन्न भारतीय विद्याओं, शास्त्रों के रत्नभूत ज्ञाता तथा ऋषि कल्प आयुर्वेद के मनीषी है, जिन्हें असाध्य, असाध्यतम् रोगों का अनुभूत एवं सफल शास्त्रीय उपचार अवगत है। आयुर्वेद की दृष्टि से कोरोना संक्रमण जनित व्यापक रोग होते हुये भी एक साध्व व्याधि है। परन्तु दुर्भाग्य से आधुनिक दवा बनाने वाली राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय अर्थ लोलुप कम्पनियों के मकड़ जाल में भारत सहित विश्व की समस्त सरकारें इस तरह से फँसी हुई है, कि उनको अन्यत्र कुछ दीखता ही नहीं। जिसमें भारत अग्रगण्य है। इसीलिये घर के बहुमूल्य रत्नों का उपयोग न करके हम पराये की सीपी में मोहित होकर दर–दर भटक रहे हैं। अन्यथा बहुत पहले आयुर्वेदिक दिशा निर्देशों एवं शास्त्रीय औषधियों से कोरोना समाप्त हो जाता है। वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि भारत सहित बहुत से देश अपनी नाकामी छिपाने के लिये कोरोना को एक ढ़ाल के रूप में मानकर चल रहे हैं। इसलिये कोरोना बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है।

आयुर्वेद में रोगोत्पत्ति क्रम :–

चरक संहिता के अनुसार त्रेता युग से रोगों का प्रादुर्भाव हुआ क्योंकि सतयुग में रोगोत्पत्ति के जो तीन तत्व = प्रज्ञापराध, भोगतृष्णा और अधर्म है, वह मनुष्यों में नहीं थे। सभी लोग प्रज्ञा सम्पन्न भी तृष्णा रहित अहौर धार्मिक होते थे, सभी सदाचरण का पालन करते थे। त्रेता युग में शनैः–शनैः तीनों में ह्रास होने लगा। जिससे यत्र–तत्र लोग रोगग्रस्त होने लगे, जिसके कारण मानव जीवन के लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति बाधित होने लगी। तब ऋषियों ने भूतल में आयुर्वेद का प्रसार कर लोगों को रोग से निवृत्ति की। द्वापर में उक्त तीनों में पूर्वापेक्षया अधिक वृद्धि हुई जिससे रोगों में वृद्धि हुई, उस मसय तक काष्ट औषधियों, दिव्य जड़ी बूटियों का ही उपयोग होता था। द्वापर युग की समाप्ति के अनन्तर कल युग में शैनः–शैनः तीनों में तीव्र गति से इतनी वृद्धि हुई कि प्रज्ञावान तृष्णा रहित ओर विशुद्ध धर्माचरण सम्पन्न लोगों का अकाल सा हो गया है। इसलिये आज सायद ही कोई हो जो रोग रहित हो। वेदों में मानव शरीर को देव मन्दिरकहा गया है।, किन्तु आज शरीर व्याधि का मन्दिर हो गया है। "शरीरं व्याधि मन्दिरम्"।

तपः भूत आयुर्वेद मनीषियों ने समय की गति को पहचान कर आयुर्वेद में इतना वड़ा अनुसंधान किया जो आज की चिकित्सा पद्धति में न हुआ है न होगा। काष्ट औषधियों, जड़ी बूटियों की एकल चिकित्सा के साथ उनके संयोग से अनेक बूटियों आसव अरिष्ट तथा धातु उपधातुओं से अनेकानेक आशुकारी रस, भस्म आदि का वर्तमान और भविष्य कालिक रोगों के उन्मूलन को ध्यान में रखकर बनाया और परवर्ती पीढ़ी के आयुर्वेदज्ञों को आगे कुछ और करने का मार्ग दर्शन भी दिया। शास्त्र विधि से निर्मित औषधियाँ विशेष रूप से रस भस्म आशुप्रभावकारी तथा रोग–निरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ शरीर और मनोबल को भी बढ़ाती है। आज चिकित्सा ग्रन्थ की दृष्टि से आयुर्वेद इतना सम्पन्न है कि विश्व के आधुनिक चिकित्सा ग्रन्थ पसंघा के बराबर है। किन्तु दुर्भाग्य है, कि आज उनको पढ़ने–पढ़ाने, जानने वाले नगण्य है। इसीलिये आधुनिक सोच के लोग जैसे संस्कृत, वेद, शास्त्र का उपहास करते हैं वैसे ही आयुर्वेद का भी।

आज आयुर्वेद औषधि निर्माता कम्पनियाँ भी शास्त्रोक्त औषधियों की गुणवत्ता आदि पर कम ध्यान देकर नये नुक्सों–योगों पर अधिक ध्यान दे रही हैं। उसके लिये उनका अर्थ लोभ ही कारण है। क्योंकि शास्त्रोक्त औषधियों में कीमत अधिक बढ़ा–चढ़ा कर लेना कुछ कठिन है। प्रचार का युग है, जिस के बल पर पत्थर की भी सोने के भाव में वेचा जा सकता है।

करोना जैसे रोगों के लिये आयुर्वेद में एक नहीं अनेक शास्त्रोक्त कारगर, सत्–प्रतिशत परिणाम देने वाले रस, मस्म, आदि है, लेकिन उनकी प्रस्तुति न कोई आयुर्वेदिक फारमेंसियाँ कर रही हैं और न आयुर्वेदज्ञ। क्योंकि उन्हें अनेक फारमेसियाँ बनाती हैं उनसे रातो–रात अरबपति नहीं बना जा सकता है।

नवोदित आयुर्वेद भक्त बाबा रामदेव जी आयुर्वेद औषधियों के निर्माण में प्रशंसनीय कार्यकर रहे है। किन्तु वे भी करोना व्याधि के लिये शास्त्रोक्त औषधियों का योग न प्रस्तुत कर रातो–रात अरबपति से खरब पति बनने के लिये एक साधरण से योग को करोना की निवृत्ति में रामबाण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो आयुष मंचालय की सजगता से सफल नहीं हुआ।

आयुर्वेद में करोना की शत–प्रतिशत शास्त्रोक्त चिकित्सा –

सभी रोगों के कारण भूत जो दोष, वात, पित्त और कफ आदि है उनके द्वारा रोगोत्पत्ति की छः अवस्थायें संचय प्रकोप प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्ति तथा भेद होती हैं। इनमें पाँचवें और छठवें में रोग व्यक्त = स्पष्ट हो जाता है। सुविज्ञ जन यदि पूर्व के चार पर सजग होकर समुचित आहार, विहार, औषधि आदि की व्यवस्था करले तो व्यक्ति रोगी होने से बच सकता है। परन्तु प्रायः ऐसा होता नहीं लोग जब रोग ग्रस्त हो जाते है, अनन्तर चिकित्सा प्रारम्भ होती है। कभी–कभी असावधानी और उपेक्षा से रोग जटिल भी हो जाता है।

उक्त प्रकार से करोना व्याधि भी पैदा होती है, चूँकि यह संक्रमण जनित–व्याधि है, इसलिये सजगता के अभाव ओर असावधानी से त्वरित ही एक से अनेक में फैल जाती है। इसलिए शासन–प्रशासन के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये यदि निम्न शास्त्रोक्त आयु वैदिक औषधियों का सुविज्ञ आयुर्वेदज्ञ के परामर्श से प्रयोग किया जाय तो यथा शीघ्र शत्–प्रतिशत कोरोना से देश और विश्व को मुक्ति मिल सकती है।

कोरोना हो ही नहीं उसके लिये औषधि :–

(1) त्रिकुट चूर्ण, गुरुचि, (गिलोय) दाल चीनी, अश्वगंधा के चूर्ण का क्वाथ (काढा) बनाकर पिया जाय साथ ही संयमित आहार विहार का सेवन किया जाय और शासकीय दिशा निर्देशों का पालन किया जाय तो करोना हो ही नहीं सकता।

कोरोना प्रकट होने पर औषधियाँ :–

(1) लक्ष्मी विलास रस (2) वृहद् कस्तूरी भैरवरस, (3) संजीवनी बटी (4) त्रिभुवन कीर्ति रस (5) जय मगल रस स्वर्णयुक्त (6) आमृता सत्व (7) सहस्रपुटी अभ्रक (8) रस सिन्दूर

उक्त की आयुर्वेदज्ञ के परामर्श से मात्रा निर्धारित कराकर मधु या अन्य अपेक्षित अनोपान से आवश्यकतानुसार दो या तीन बार सेवन किया जाय।

(2) सुबह–शाम उक्त क्वाथ का सेवन किया जाय।

सुविज्ञ आयुर्वेदज्ञ आवश्यकानुसार उक्त योग में अन्य औषधियों का निवेश भी कर सकते हैं और उनमें कभी वैसी भी कर सकते हैं।

शासन – प्रशासन को सुविज्ञ वैद्यों से परामर्श कर यथाशीघ्र शास्त्रोंक्त औषधियों की व्यवस्था करनी चाहिये, ऐसा मेरा परामर्श और निवेदन है। तभी कोरोना से मुक्ति मिलेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

1. चरक संहिता,
2. सुश्रुत संहिता
3. भैषज्य रत्नावली
4. रसेन्द्र सार संग्रह

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal SJIF - 4.076

महिला सशक्तीकरण एवं आत्मनिर्भरता

❐ डॉ. राजकुमार शुक्ल*

शोध सारांश

जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। किसी चिड़िया के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं हैं। इन्हीं बिन्दुओं को इस शोध पत्र में महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द—महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता।

प्रस्तावना :—

समाज में नारी का महत्व प्राचीन काल से रहा है जैसा कि — 'नारी तू नारायणी'— इस देश की परंपरा रही है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2019—20 में इन्ही शब्दों के साथ महिला सशक्तीकरण संबंधी उपायों की घोषणा की।

सशक्तीकरण बहु—पक्षीय, बहु—आयामी और बहु—स्तरीय अवधारणा है। महिला सशक्तीकरण ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं का संसाधनों यानी भौतिक, इंसानी और बौद्धिक, जैसे ज्ञान संबंधी सूचना, विचारों और वित्तीय संसाधन पर महिलाओं की पकड़ होती है। साथ ही, इस प्रक्रिया के तहत घर, समुदाय, समाज और राष्ट्र में फैसले लेने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है और उनके पास पैसे की उपलब्धता भी होती है।

केद्रीय बजट 2019—20 में 15 वीं बार जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) न सिर्फ महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए संसाधनों के आवंटन का मामला है, बल्कि इसके तहत पूरे बजटीय अभियान में लैंगिक नजरिये का उपयोग कर इस पर अमल भी किया जाता है। साथ ही, इस प्रक्रिया में महिलाओं और पुरुषों की अलग—अलग जरूरतों का ख्याल रखा जाता है।

कुल मिलाकर, 2019—20 के लिये लैंगिक बजट आवंटन 131,699.58 करोड़ रूपये हैत्र जबकि 2018—19 में यह रकम 121,961.32 करोड़ रूपये थी। यह आवंटन बजट के कुल खर्च का करीब 5 प्रतिशत है। आवंटन की पर्याप्तता से जुड़े सार्थक विश्लेषण के लिए मौजूदा आवंटन के उपयोग को लेकर गहरे विश्लेषण की जरूरत होगी । 2019—20 के अंतरिम बजट में एक सकारात्मक बात यह रही कि लैंगिक बजट सूचना (जेंडर बजट स्टेटमेंट) में वास्तविक खर्च से जुड़ी सूचना पेश की गई यह तरीका बाकी बजट के लिए पहले से अपनाए जा रहे तौर—तरीकों के मुताबिक है। वित्तमंत्री ने जीआरबी के मूल्यांकन और आगे की राह के लिए कार्यक्रमों के बारे में सुझाव देने को एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया है। कमेटी में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगें।

वित्तमंत्री ने संसद में हाल में हुए संसदीय चुनावों के आंकड़ों का भी जिक्र किया। उन्होंने मतदान में

* खण्ड समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत त्योंथर, जिला—रीवा (म.प्र.)

महिलाओं की व्यापक भागीदारी और संसद में महिलाओं की व्यापक भागीदारी और संसद में महिलाओं की व्यापक भागीदारी और संसद में महिलाओं की बढ़ती संख्या के बारे मे बताया। वित्त मंत्री नं महिला केंद्रित के बजाय महिलाओं की अगुआई (नारी तू नारायणी) वाले कार्यक्रमों पर सरकार के जोर के बारे में जिक्र किया। दुनिया में महिलाओं के कल्याण के महत्व पर स्वामी विवेकानंद को उद्धत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मानती है कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी के माध्यम से ही हमारा देश विकास कर सकता है। उनका यह भी कहना था कि भारत के विकास की कहानी में , विशेष तौर पर गामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और सरकार इस भूमिका को और आगे बढ़ाना चाहती है।

2018–19 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर दिलचस्प तरीका पेश किया गया हैः सर्वे में नोबल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर के सिद्धांत से प्रेरणा ली गई है और :और स्वच्छ भारत मिशन' और 'बेटी बचाओं' बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों से हुए सफल बदलावों को ध्यान में रखते हुए 'बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजयलक्ष्मी' का नारा दिया गया है, ताकि कार्यबल और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को और बढ़ावा दिया जा सके।

केंद्रीय बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को 29,00 करोड़ रूपये आवंटित करने की बात है। सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने के मकसद से इसमें साल 2018–19 के मुकाबले 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

वित्त वर्ष 2019–20 में इस क्षेत्र (जिसमें पोषण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शामिल हैं) के लिए आवंटित कुल राशि 4,178 करोड़ है, जो 2018–19 में 2,551 करोड़ रूपये थी। बजट में मातृत्व लाभ और बाल सुरक्षा सेवाओं से जुड़े केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया गया है। साथ ही महिलाओं को पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला कर चलने की आवश्यकता है और समावेशी कृषि कार्यों में महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिससे इन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सुचारू अवसर मिले ताकि महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें।

मातृत्व लाभ कार्यक्रम – प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के लिए आवंटन में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी की गई और इसे 1200 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2,500 करोड़ कर दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के लिए 6,000 रूपये दिए जाते है।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत बाल सुरक्ष सेवा कार्यक्रमों के लिए आवंटन 925 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 1,500 करोड रूपये कर दिया गया।

अगले वित्त वर्ष के मद में महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए 29,164.90 करोड़ रूपये तय किए गए हैं। पिछले साल के आवंटन के मुकाबले इसमें 17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इसका बड़ा हिस्सा (19,834.37 करोड़ रूपये) आंगनवाडी सेवाओं के लिए चिह्नित किया गया है। इससे महिलाओं की अगुआई में विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

मौजूदा वित्त वर्ष में 'बेटी बचाओ', बेटी पढ़ाओ, परियोजना को 280 करोड़ रूपये मिलेंगे।

राष्ट्रीय पोषण मिशन को 3,400 करोड़ रूपये आवंटित किए गए। इस मिशन का मकसद कुपोषण, रक्तहीनता और कम वजन वाले बच्चों की जन्म दर को कम करना और देशभर के 10 करोड़ लोगों को फायदा पहुचाना है। महिला शक्ति केंद्रों के लिए आवंटन 115 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल आवंटन 28,914 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष से 4,400 करोड़ रूपये ज्यादा है। राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए आवंटन 30 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रूपये कर दिया गया, ताकि कामकाजी महिलाओं के

लिए काम के दौरान अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ना संभव हो सके।

इस तरह, कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों के लिए आवंटन में तीन गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की गई और इसे 52 करोड़ से बढ़ाकर 165 करोड़ कर दिया गया।

सभी महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने, उज्ज्वला के लिए बजट, महिलाओं की तस्करी रोकने, बचाव और पुनर्वासा केमद में बजट 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाते हुए स्वयं–सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए पहल की है। उन्होंने समूहों के हर सदस्य को उनके जनधन खाते के जरिये 5,000 रुपये ततक के ओबरड्रफ्ट की अनुमति दी है। साथ ही, मुद्रा योजना कहे तहत प्रति स्वयं सहायता समूह हर महिला के लिए 1 लाख के कर्ज का भी प्रावधान किया गया है। तकरीबन 70 प्रतिशत मुद्रा लाभार्थी महिलाएँ हैं। सरकार ने ब्याज पर सब्सिडी देने से जुड़ी योजना का विस्तार किया है– महिला स्वयं सहायता समूहों को सभी जिलों के कर्ज की सुविधा का लाभ उठाने की इजाजत दी है।

वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरह से उज्ज्वला और सौभाग्य योजनाओं ने महिलाओं के जीवन का आसान बनााया है। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन की सुविधा होगी। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण से जुड़े मिशन के लिए कुल बजट को 1,148 करोड़ रुपये से बढ़सकर 1,315 करोड़ रुपये कर दिया।

हालांकि, बजट भाषण में गुद्रा लोन और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड–अप इंडिया, धुआंमुक्त रसोइ घर के लिए उज्जवला और महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा के लिए स्वच्छ भारत मिशन से परे ज्यादा कुछ नहीं उल्लेख किया गया। वैसे महिला स्वयं–सहायता समूहों की सहायता के लिए भी कुछ नए उपायों के बारे में घोषणा की गई, जैसे ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम का दायरा बढ़ाकर सभी जिलों तक करना। ये महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं, जिनसे हाल के वर्षे में महिलओं को फायदा हुआ है। अगर भारत को निर्णायक रूप से लैगिक स्थिति में बदलाव करना है, तो महिलाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय नीति का प्रमुख हिस्सा बनाना होगा है। आर मोर्चे पर भी स्वच्छ भी भारत की तरह मजबूत अभियान तैयार कर इसे शुरू करना होगा।

विकास के लिए महिला शक्ति का उपयोग

समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि सभी अधिकारविहीन और वंचित समूह विकास प्रक्रियाओं में हिस्सेदार हों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार कई समूहों को उनके लिंग, जातीयता, आयु, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या गरीबी के कारण विकास से बाहर रखा गया है। नतीजतन, इस तरह के बहिष्करण के कारण दुनिया भार में असमानता है। जब तक सभी समूह अवसरों के निर्माण में योगदन नहीं करेंगे और निर्णय लेने में शामिल नहीं होंगे तब तक विकास गरीबी को कम नहीं कर सकता। समावेशी विकास का लक्ष्य ऐसा समाज बनाना है जो मतभेदों और मूल्य विविधता को समायोजित करने में सक्षम हो।

पिछले तीन दशकों से, शहरी और ग्रामीण परिवेश में महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए पिछड़ेपन, गरीबी और सामाजिक बहिष्करण की पीड़ा का उन्मूलन करते हुए, सतत विकास को हासिल करने की सरकार की पहल में महिलाओं की समानता और सशक्तीकरण सबसे आगे रहा है। इस प्रक्रिया में, विकास के काम करने वाले विभिन्न संस्थानों और कार्यकर्ताओं ने महिला–पुरूष समानता और केवल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पसंदीदा कार्यनीति के रूप में सशक्तीकरण की अवधारणा को वैश्विक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महिला सशक्तीकरणः एक परिदृश्य

यह स्वीकार करते हुए कि महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाएं भाग लेने, संवाद करने, प्रभावित करने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाली संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने के लिए अपनी पसंद और स्वतंत्रता को बढ़ाती है और यह सही

दिशा में एक कदम है। हालांकि, यह सशक्तीकरण केवल तभी प्राप्त होगा जब महिलाएं अपने लिए प्रयास करने योग्य सशक्तीकरण को एक सार्थक लक्ष्य के रूप में समझेगी। इसके लिए महिलाओं की शक्ति और उनकी क्षमता का उपयोग करने और उनके द्वार परिभाषित लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियां बनाना, जिनमें ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आवाज और एंजेसी को महिला सशक्तीकरण नीतियों तथा कार्यक्रमों में केंद्रीय पूर्वापेक्षा के रूप में शामिल करने की मांग की संभावना हो (विश्व बैंक 2014)।

सशक्तीकरण एक बहुआयामी, बहुपक्षीय और बहुस्तरीय अवधारणा है। महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों पर महिलाओं का अधिक नियंत्रण हो। इनमें शामिल हैं– मानव तथा बौद्धिक सामाग्री जैसे विचारों तथा जानकारी का ज्ञान, वित्तीय संसाधन जैसे धन एवं धन तक पहुंच और परिवार, समुदाय, समाज तथा देश में निर्णय लेने पर नियंत्रण और अधिकार हासिल करना।

महिलाओं की अपने परिवार में कोई आवाज नहीं होने वाली गंभीर स्थिति में हाल के दिनो में बड़े परिवर्तन हुए है। आधुनिक महिला अब घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। महिलाएं अब हर तरह से अपनी योग्यता का एहसास कर रहीं है और परिवार तथा कार्यस्थल दोनों जगह समानता और न्याय की मांग भी कर रही है। उन्होंने लगभग यह हर क्षेत्र में कांच की बाधा को तोड़ दिया है, चाहे वह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, खेल या सशस्त्र बल हो। भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगभग हर पांचवीं महिला उद्यमी है।

महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में बेहतर लक्ष्य हासिल किए बिना विकास का सफर तय नहीं किया जा सकता। देश की आबादी में महिलाओं की संख्या करीब 50 प्रतिशत है। देश को इस रास्ते पर पहुँचाने के लिए महिलाओं के कल्याण की दिशा में बहु–आयामी मोर्चे पर संगठित तरीके से काम करने की जरूरत है। भारत को नई ऊँचाई तक पहुँचाने के लिए देश में ताकतें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

संदर्भ स्रोत :–

1. योजना पत्रिका मार्च 2020
2. कुरुक्षेत्र पत्रिका फरवरी 2020
3. दैनिक समाचार पत्रिका रीवा
4. कुरुक्षेत्र पत्रिका अक्टूबर एवं दिसम्बर 2019

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

A Comparative Study of Gender Differences in Work Stress and Burnout among University/College and School Terchers

❐ Anjali Mishra*

ABSTRACT

Teacher Quality is critical in honing various skills to make the learners to be responsible citizens of the nation in order to contribute in its development. The need for politics and strategies to strengthen teacher preparation is being well recognized issue and hence, Teacher education, the current trends in Teacher Education and professional Development have become vital in Teaching Profession. It is a continuing process which focuses on teacher career development Teacher Education encompasses teaching skills, sound pedagogical theory and professional skills. Teacher Education generally includes four elements: improving the general educational background of the trainee teachers; increasing their knowledge and understanding of the subject they are to teach; pedagogy and understanding of children and leaning; and the development of practical skills and competences. The most effective teaching is that which results in the most effective learning.

INTRODUTION

The origin of the concept of stress predates antiquity. Derived from the Latin word "Stringere", stress was popularly used in the seventeenth century to man hardship, strain adversity or affliction. It was used in the eighteenth and nineteenth centuries to denote force, pressure, strain or strong effort with reference to an object or person. In engineering and physics, the term implies an external force or pressure exerted to distort and being resisted by the person or object on which it is exerted. In psycho-physiology, stress refers to some stimulus resulting in detectable strain that cannot be accommodated by the organism and which ultimately results in impaired health or behavior. If one asks people about their stress and in particular how they know it exits, two general kinds of things are described: Firstly, there are experiences of mental discomfort, often accompanied by feeling of not being able to cope, that things are falling apart, that one is not in control of oneself and one's situation or just a general unease that all is not well without any particular cause being apparent. Secondly, there are the physiological manifestations of loss of appetite, sleeplessness, sweating and ulcers or other physical illnesses of various degrees.

Physiological stress is described as the state of the organism following failure of the normal homeostatic regulatory mechanism of adaptation. Homeostasis is the state of balance in an organism. When suitable adequate mechanism is not available to come back to the balance position, it might results in stress. Stress is manifested through the symptoms of a "General Adaptation Syndrome' (Hans Selye, 1930). Psychological stress refers to a "state of the organism or the individual and the experienced stress is complex". The physical consequences include

* House No. 14, 181, Near SPS House, Arun Marg, Arun Naga, Rewa (M.P.)

psychosomatic disorders, lethargy and emotional exhaustion. Psychologically the individual might feel anxious, tense, alienated level and it is an internal psychological experience involving feelings, attitudes, motives and expectations. It is a negative experience, which concerns distress, discomfort, dysfunction and negative consequences.

Stress is a complex phenomenon. It is a very subjective experience, what may be a challenge for one might be a stressor for another. It depends largely on the individual's background experience, temperament and environmental conditions. Stress is a part of life and is generated by constantly changing situations that a person may face. The term stress refers to an internal state, which results from frustrating or unsatisfying conditions. A certain level of stress is unavoidable. Because of its complex nature stress has been studied for many years by researchers in psychology, sociology and medicine.

The modern concept of stress was pioneered by Selye and Cannon, who characterized stress in physiological terms. Since then, different definitions and conceptuali-zations of stress in the biological, medical and psychological literature have led to continuing confusion in the study of stress. Stress is the term often used to describe distress, fatigue and feelings of not being able to cope. Stress is an integral part of natural fabric of life. It refers both to the circumstances that place physical or psychological demands on an individual and to the emotional reactions experienced in these situations (Hazards, 1994). Although, the adverse effects of stress on physical health and emotional well being are increasingly recognized, there is little agreement among experts on the definition of stress.

In the days when prehistoric man had not yet attained self-consciousness, he reacted to any signs of danger in two ways: he fought or he fled. This is a 'fight-or-flight' response Cannon (1914). The body reacts with alarm to the threat: there is a rapid increase in metabolism, with hormonal, physiological and biochemical changes taking place instantly.

The body muscles become tense and the hypothalamus activates the pituitary gland, which secretes hormones that then activate other hormone-producing centers like the adrenal glands. The release of adrenaline and other hormones sustains the alarm reaction and physiological changes occur in response to the stress stimulus. The body now needs glucose for the muscles to function properly. The liver responds by releasing same into the bloodstream. For the glucose to be transformed into energy, extra oxygen is required. The heart begins pumping blood faster to carry this extra supply, leading to a rise in blood pressure.

The amount of blood available in the body is, however, limited. In order to deliver extra blood to select areas the muscles, heart, lungs, kidneys and the brain there is a temporary cutoff in blood supply to non-priority areas. Consequently, the digestive system slows or stops altogether, the salivary glands stop secreting, blood vessels in the kidneys and the abdomen constrict and the immune system slows down.

These physiological effects are categorized as 'arousal'. Concomitant emotional manifestations like fear, apprehension and worry are termed 'anxiety'. Once the treat diminished, the body's reactions quickly returned to normal. All of which was fine in the good old days of yore.

The term "Stress" has come into wide use in behavior study only within the past few decades, originating in the physical sciences, the term has the meaning of a force which, acting on a body, produces strain or deformation. Later stress has come to represent the body condition under strain. Both in the physical and biological sciences and behavioral study, the concept of stress meant an extreme condition, involving tension, perhaps damage and some form of resistance to the straining force. Stress is a condition of strain on one's emotions, thought processes, andèor physical conditions that seem to threaten one's ability to cope with the environment. Stress is a threat to the quality of life, and to the physical and psychological well-being. Stress is a process in which environmental events or personal factors pose a challenge to the physical or mental health of an individual and in which the individual tries to face such challenge and saves himself from the danger created by these conditions (Father Bulake, 1971). These events under certain conditions create stress reactions that are characterized by fear, anxiety and anger. Stress may be termed as pressure or it is the tension that is created by pressure. It

always gives an unpleasant feeling. Cannon (1929) was among the first who used the term stress. He suggested both physiological and psychological components of this term.

BRIEF REVIEW OF LITREATURE

Stress in the workplace is the major problem for both – organization and employees.. Gender distinction in terms of bearing stress, is a major topic to go through and to research as gender may be an important demographic characteristic to consider in experience of stress (Jick & Mitz, 1985). Although it has also been stated from previous reporting that there has been no distinction between men and women in relation to workplace stress but some assumptions affirms that there are differences in both stressors and severity of stress between sexes. However, besides assumptions and reporting it has always been felt that there has been a very thin line in workplace stress that supports the gender factor and goes more with the one, slight partially. The gender based differences in work place values can create a company culture health of and women (Gyllensten & Palmer, 2005).

Lewis R.(1999) in his study on "Teachers coping with the stress of Classroom Discipline" explains that the teachers estimations of stress arose from being unable to discipline pupils in the way they would prefer. The researcher has concluded that the class room discipline is also a significant source of stress.

Teachers especially working at university level are under a great deal of stress related to various occupational stressors. Occupational stressors contribute to organizational inefficiency, high staff turnover, absenteeism due to sickness decreased quality and quantity of practice, increased costs of health care, and decreased job satisfaction. When there is a prolonged experience of occupational stress, it leads to professional burnout. The purpose of their study was to investigate the occupational stress and the professional burnout of university teachers. The results revealed that majority (74%) of the university teachers are experiencing moderate and high levels of occupational stress and 86 percent of teachers had professional burnout. Also, the analysis showed strong support for the hypotheses that there is a positive relationship between the occupational stress and professional burnout of university teachers.

Maslach and Jackson (1986) defined burnout as a psychological syndrome of emotional exhaustion depersonalization and reduced personal accomplishment that can occur among individuals who work with other people in some capacity. Emotional exhaustion refers to feelings of being emotionally overextended and depleted of one's emotional resources. Depersonalization refers to negative, callous, or excessively detached response to other people, who are usually the recipients of one's service or care. Reduced personal accomplishment refers to a decline in one's feelings of competence and successful achievement in one's work. Pines (1982) identified four dimensions of the environment which could prevent or promote burnout i.e. (a) the psychological i.e. autonomy and activation (b) the physical; (c) the social and : (d) work environment.

Studies by Westerhouse (1979) and Schwab (1981) have shown that role conflict and role ambiguity were significantly related to teacher burnout. Cooley and Laviki (1981) concluded that individual social-psychological and organizational factors were all strongly associated with burnout and that it was important, therefore to study all of these factors together rather than individually. Lowenstein (1991) found that burnout was caused by a lack of social recognition of teachers, large class sizes lack of resources isolation, fear of violence, lack of classroom control, role ambiguity, limited professional opportunities and a lack of support.

Research in Europe suggests that 60% to 70% of the teachers are under frequent stress and that approximately 30% of the teachers show signs of burnout. Moreover, also in comparison with various kinds of people work such as mental and physical health profession teachers are expected to be at a greater risk of burnout. Teachers report more burnout symptoms than workers in other social professions. Kokkinos (2006) found that primary school teachers were high on emotional exhaustion, but depersonalization was higher among secondary school teachers.

Research findings have revealed significant information about some personal dispositions of high and low burnout among high school female teachers working in Haryana. These findings suggested that

teachers should be frequently screened for their occupational stress and burnout and if needed be counseled to cope with the treatment of burnout and occupational stress.

They include stressors in the areas of work role (e.g. workload); administration; class size; role ambiguity and conflict (e.g. the sometimes conflicting demands of school management); the pressures of the teachers roles (e.g. counselor, facilitator); Poor working conditions; little recognition and low remuneration; lack of involvement in decision making; student recalcitrance : lack of effective communication, as well as the many emotional demands of teaching (e.g Blix, et al., 1994; Brown & Ralph, 1992; Cooper & Kelty,1993; Punch & Tuetteman, 1990).

Teachers who become burned out may be less sympathetic towards students, may have a lower tolerance for frustration in the classroom, may plan for their classes less often or less carefully, may fantasize or actually plan on leaving the profession may feel frequent emotional or physical exhaustion may feel anxious, irritable, depressed and in general may feel less committed and dedicated to their work (Farber & Miller, 1981).

OBJECTIVES OF THE STUDY

The main objectives of the present study were as under :

1. To explore the nature and extent of the occupational stress among school and collegeèuniversity teachers.

2. To find the gender difference, if any, among the school and college teachers regarding the level of occupational stress.

3. To compare the incidence of occupational stress in school and college teachers.

STATEMENT OF THE PROBLEM, HYPOTHESES AND OBJECTIVE :

Work stress has been a subject of research interest due to the negative effects it has on the individual worker, the people around him or her and the employing organizations. At a personal level a worker experiencing stress is more likely to suffer both physical and psychological symptoms that have a negative effect on production. The teaching profession has not escaped from this and it is in this regard that there has been agreement among researchers that teaching too can be a very stressful occupation.

STRESS IN TEACHING PROFFESSIONALS AND RELATED STUDIES :-

The profession of teaching in modern age is not so simple as it was in old days. The old values to respect the teacher has been replaced by commercial attitudes, as a result of which a teacher has to face varied unexpected behavioral situations. The priority agenda today is to prepare teachers for tomorrow enabling them to meet the changes ahead. Dr. Chaurasia, Rohidekar, Singh and Dev Raj (1998) in their book stated that "teaching personnel – in general education and those in teaching education must be allowed to concentrate on the primary functions of teaching as pertinent to their role and level. Remaining with crucial care we should provide an enhanced basis for excellence in teacher education."

In India, even though teachers work with commitment, they do not get the status they deserve and facilities they require. They work with low salaries, poor working conditions, heavy class loads, difficult students or clients, repetitive tasks and little opportunity for career advancement. Teachers are required to take periodic "refresher" courses, seek additional professional qualification for higher pay or advanced certification. Expert or experienced teachers do the same work that is performed by a faculty member who is newly appointed or a teaching faculty member with one or two years of experience. Very rarely do highly experienced or expert teaching professionals receive special recognition or honorific titles. Not surprisingly then, "a substantial number of teachers eventually leave the profession and those who remain are subject to boredom, stress and burnout" (Kyriacou and Sutcliffe,1977).

RESULTS AND DISCUSSION

The results of the present study were analyzed and discussed in the light of the hypotheses and the previous findings reported in the literature related to the present research. They have revealed the following picture.

The data indicated that the average level of overall occupational stress was found to be more or

less equal among both the categories (School V/s College teachers) of the subjects. It has confirmed the first hypotheses (H-1) that there would be no significant difference in the average level of overall occupational stress among School Teachers Vs College è University Teacher. The stress level among the subjects of both the categories was of moderate degree.

The findings have shown no significant gender differences among the subjects. Thus, H-2 was confirmed. These results were contrary to general belief that female teachers might have significantly greater amount of occupational (work) stress due to their dual responsibilities of home and work.

The results were consistent to the third hypotheses (H-3) of the present study that there would be no significant difference between Male Vs Female School Teachers with regard to the occupational stress. In these subjects too, the average level of work (occupational) stress was that of moderate degree. The data has supported H-4 also, there was no difference in maleèfemale collegeèuniversity teachers with regard to the occupational stress.

They were consistent with the first four null hypotheses of the present study (H-1 to H-4), Hence, they were retained.

The findings of the present study have revealed that both the school and collegeèuniversity teachers have considerable level of work (occupational) stress. They have no gender differences in this regard. The results of the present research have shown that the overall burnout level among the school and collegeèuniversity was found at alarming level. Here, again there were no gender differences. More than 50% of both school and collegeèuniversity teachers (both male as well as female) have reported to experience burnout related tendencies 'many times' in their work life. The micro analysis of the burnout level on the eight dimensions of burnout confirmed the above results. Although, there were no gender differences found on various accounts, the male teachers (both from schools or colleges/university) showed greater perceived risk of burnout. The collegeèuniversity teachers showed greater level of de-personalization due to burnout than the school teachers.

The above results are consistent with the previous researches reporting that teaching is not only hard work but it can be full of stress (Hammond and Onikama, 1977). Of the three major functions – teaching, research and extension – the teaching was found to be the most stressful (Gmelch et.al.,1984). However, the above findings were inconsistent with some studies those have reported significant gender differences with regard to the stress and burnout (eg. Giri et.al., 2007; Ozan, 2010). They were consistent to a large number of previous researches (Fernandes and Murthy, 1989; Vadra and Sultan, 1989; Surti, 1982).

Work stress and burnout have been related to negative effects on mental and physical health of the affected people. They are more likely than non-stressed people to suffer job dissatisfaction, lower productivity, absenteeism, lowered emotional and physical health and turnover (Williams et.al., 2004). Researchers have argued that, it is essential to reduce the negative effects stress on teachers and they have emphasized upon the need to pay more attention to the ever growing pandemic of teacher stress (Bachkirova, 2005). The results of the present study support this.

Teacher work load has been found related to paper work, time-budgets, excessive deadlines, taking school work at home, teach more classes, heavily involved in extra co-curricular activities; examination duties; evaluation of answer- books, pressure for giving consistently good results; always presenting a high moral standard in front of pupil and society etc. (Gyllensten et.al., 2005). Those teachers who are bombarded with work such as engagedin lesson-writing and delivery, grading, filling out report forms, dealing with pupil discipline in and day out may not have time to relax or even take care of personal needs. Moreover, they might not have time to interact with significant people in their life such as spouses and children. These conditions may easily lead to chronic stress and burnout. Teacher burnout is a type of chronic response to the cumulative impact of work stress which according to the researchers has a negative impact on teachers themselves and on their pupils they teach (Ngeno, 2007). The findings of the present research are consistent with the above conclusions.

Researchers have indicated that the consequences of burnout are potentially serious for both the teachers and the students. Hence, the work stress and burnout of teachers in the schools and collegesèuniversity must be taken seriously. The work stress and burnout has been reported to be correlated with numerous self-reported measures of personal distress such as depression, apathy, tension, fatigue and anxiety (Maslach and Jackson, 1986; Burke and Greenglass, 2001).

Although, some previous researches have reported that women are better equipped for coping with stress and strain as compared to men, but the findings of the present investigation have not supported this idea by enlarge. These results are consistent with the other group of researches reporting no gender differences in this regard. It has been explained that exhaustion does not affect women more than men because more often than not they do carry double work load (job, housework, childcare etc.).

Teachers who perceive less control over work, schedule inflexibility and less support from their superiors experienced higher level of work-life imbalance, which is also connected to lower levels of psychological well being, job satisfaction and the intention of giving up the academic career.

CONCLUSIONS

The following conclusions were drawn on the basis of the findings of the present study :

1. The average level of overall work (occupational) stress among both school as well as collegeèuniversity teachers was of moderate level and there was no significant difference among them.

2. There was no gender difference among the teachers of both the above categories with regard to the work (occupational) stress, both male as well as female teachers had moderate level of work stress.

3. There were no gender difference among school teachers with regard to the workèoccupational stress. Both male as well as female collegeèuniversity teachers showed moderate level of work stress.

4. There were no gender difference among collegeèuniversity teachers with regard to the average work stress. Both male as well as female collegeèuniversity teachers were found to have moderate level of work stress.

REFERENCES

Bachkirova, T. (2005). Teacher stress and personal values: an exploratory Study. School Psychology International, 26(3), 247-265.

Blix A.G., Cruise R.J., Mitchell B.M., Blix G.G. (1994). Occupational Stress among university teachers. Educ. Res.; 36: 157-69..

Brown, M., & Ralph, S. (1992). Teacher stress. Research in Education, 4,103-110.

Burke RJ, Greenglass ER (2001). “Hospital restructuring, work-family conflict and psychological burnout among Nursing Staff”. Psychological Health, 58:95-114.

Cannon, W.B. (1914). The emergency function of the adrenal medullain pain and the major emotions. American Journal of Physiology,33(2), 356-372.

Chaurasia, Gulab, Rohidekar, S.R., Mrs. Singh, Kirpal, T. and Dr. Dev,Raj Vij (1998). “The teacher education and professional organisations ofteachers”. Professional status of teachers. Bhopal, Council for TeacherEducation. pp. 183-199.

Cooley, E., and Laviki, V., (1981), Preliminary investigations of environment and individual aspects of burnout in teachers, Paper presented at Oregen, Education Association, Otter Rock, Oregon.

Cooper, G. L. & Kelly, M. (1993). Occupational stress in head teachers: A national UK study. British Journal of Educational Psychology, 63,130-143.

Farber, B., & Miller, J. (1981). Teacher burnout: A psychoeducational perspective. Teachers College Record, 83, 235-243.

Farber, B., & Miller, J. (1981). Teacher burnout: A psychoeducational perspective. Teachers College Record, 83, 235-243.

Father Bulake (1971). Stress: A Threat to the Quality of Life.

Fernandes, C. and Murthy, V. (1989). “A study of job related stress and burnout inmiddle and secondary school teachers”. Unpublished Manuscript.

Fernandes, C. and Murthy, V. (1989). “A study of job related stress and burnout inmiddle and secondary school teachers”. Unpublished Manuscript.

Gmelch, Walter H., Lovrich, Nicholas P. and Wilke, Phyllis K. (1984). “A National studyof stress among University Faculty members”. The Phi Delta KappanInternational, January, 65 (5). pp. 367.

Gyllensten, K., & Palmer, S. (2005). The role of gender in workplace stress: A critical literature review. Health Education Journal, 64(3), 271-288.

Gyllensten, K., & Palmer, S. (2005). The role of gender in workplace stress: A critical literature review. Health Education Journal, 64(3), 271-288.

Hammond, O.W. and Onikama, D.L. (1997). At risk teachers. Honolulu, Hi: PacificResources for Education and Learning.

Hans Selye (1930). The Strees of life reo. ed., New York Mc. Graw Hill Book Company.

Jick, T.D., & Mitz, L.F. (1985). Sex differences in work stress. Academy of Management review, 10, 408-420.

Kokkinos, C.M., Panayiotou, G., & Dazoglou, A.M. (2005). Correlates of teacher appraisal of students' behavior. Psychology in the Schools, 42, 79-89.

Kyriacou, C. and Sutcliffe, J. (1977): "Teacher stress: A review". Educational Review.29. pp. 299-306.

Lewis R., Teachers Coping with the Stress of Classroom Discipline, Social Psychology of Education, 3, 199.

Lowenstein, L.F., (1991). Teacher stress leading to burnout: Its prevention and cure, Education Today, 41 (2), pp. 12-16.

Maslach C, Jackson S (1986). The Maslach Burnout Inventory. Palo Alto. Calif: Consulting Psychologists Press.

Maslach, C., & Jackson, S. (1986). MBI: Maslach Burnout Inventory (2nd ed.) Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Ozan, M.B. (2010). A study on primary school teacher burnout levels: the Northern Cyprus Case. Education, Vol. 129, No. 4, 692-703.

Pines, A., Aronson, E. (1981). Burnout: From tedium to personal growth.New York: The Free Press

Punch, K. F., & Tuetteman, E. (1990). Correlates of psychological distress among secondary school teachers. British Educational Research Journal, 16, 369-382.

Schwab, R.L., (1981), The relationship of role conflict, role ambiguity, teacher background variables and perceived burnout among teachers, Doctoral Dissertation, University of Connecticut, Dissertation Abstracts International, 41 (09-A), (2) : 3823-a.

Surti, K. (1982). "Some Psychological Correlates of Role Stress and Coping Styles inWorking Women". Unpublished Ph. D. Thesis. Gujarat University, Ahmadabad.

Vadra, P and Akhtar, S. (1989). "A study of extra-organisational stress". Paper presentedat the national Seminar on Anxiety, stress and depression in modern life,Patiala.

Westerhouse, M.A., (1979), The effects of tenure, role conflict and role conflict resolution on the work orientation and burnout of teachers, Doctoral dissertation, University of California at Berkeley, Dissertation Abstracts International: 41 (01a), 8014928, 174.

Williams, N.R., Reeves, P.M., Cox, E.R., Call, S.B. (2004). Creating a social work link to the burn community: A research team goes to burn camp. Social Work in Health Care.38:81.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

The Image of Angry Young Man in the Plays of John Osborne with Special Reference to" (Look Back in Anger, The Entertainer, Inadmissible Evidence)

❒ SushmaDwivedi*
❒ Dr. R.P. Ojha**

ABSTRACT

The "angry young men" were a group of mostly working and middle-class British playwrights and novelists who became prominent in the 1950s. The group's leading figures included John Osborne and Kingsley Amis. The phrase was originally coined by the Royal Court Theatre's press officer in order to promote Osborne's 1956 play Look Back in Anger. It is thought to be derived from the autobiography of Leslie Paul, founder of the Woodcraft Folk, who's Angry Young Man was published in 1951.

Introduction

The success of the Osborne play, the label "angry young men" was later applied by British media to describe young writers who were characterized by disillusionment with traditional British society. The term, always imprecise, began to have less meaning over the years as the writers to whom it was originally applied became more divergent, and many of them dismissed the label as useless.

The playwright John Osborne was the archetypal example, and his signature play Look Back in Anger (1956) attracted attention to a style of drama contrasting strongly with the genteel and understated works of Terence Rattigan that had been in fashion. Osborne's The Entertainer (1957) secured his reputation, with Laurence Olivier playing the protagonist Archie Rice. Osborne became a successful entrepreneur, partnering with Tony Richardson to form the film production company Woodall. In addition to being seen as archetypal, Osborne was claimed to be one of the leading literary figures of the Angry Young Men "movement". This "movement" was identified after the Second World War as some British intellectuals began to question orthodox mores. Osborne express ed his own concerns through his plays and could be relied upon to provide controversial "angry" pronouncements, delivered with an immaturity compared to impatient youth.

Some critics ridiculed Osborne for a lack of maturity in his statements, and fuelled a debate about his politics and those of the "movement". Osborne also had consistent and often sarcastic criticism of the British Left. In 1961, he made public headlines with "Letter to my Fellow Countrymen" that represented a "damn you, England" mentality. And protested against Britain's decision to join the arms race. Osborne strongly expressed anger at what Britain had become at that time, but also at what he felt it had failed to become.

* Researcher : M.Phil (English), Govt. T.R.S. College, Rewa(M.P.)
** Prof. Department of English, Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

Look Back in Anger

Osborne's play Look Back in Anger was the monumental literary work that influenced the concept of the Angry Young Man. He wrote the play to express what it felt like to live in England during the 1950s. The main issues that Angry Young Men had were "impatience with the status quo, refusal to be co-opted by a bankrupt society, an instinctive solidarity with the lower classes". Referred to as "kitchen sink realism", literary works began to deal with lower class themes. In the decades prior to Osborne and other authors, less attention had been given to literature that illuminated the treatment and living circumstances experienced by the lower classes. As the Angry Young Men movement began to articulate these themes, the acceptance of related issues was more widespread. Osborne depicted these issues within his play through the eyes of his protagonist, Jimmy. Throughout the play, Jimmy was seeing "the wrong people go hungry, the wrong people be loved, the wrong people dying".

In Britain, following the Second World War, the quality of life for lower-class citizens was still poor; Osborne used this theme to demonstrate how the state of Britain was guilty of neglect towards those that needed assistance the most. In the play there are comparisons of educated people with savages, illuminating the major difference between classes. Alison remarks on this issue while she, Jimmy and Cliff are sharing an apartment, stating how "she felt she had been placed into a jungle". Jimmy was represented as an embodiment of the young, rebellious post-war generation that questioned the state and its actions. Look Back in Anger provided some of its audience with the hope that Osborne's work would revitalise the British theatre and enable it to act as a "harbinger of the New Left".

Definition and divisions

As a catchphrase, the term was applied to a large, incoherently defined group, and was rejected by most of the writers to whom it was applied: see, for example, "Answer to a Letter from Joe" by John Wain (Essays on Literature and Ideas, 1963). Publisher Tom Maschler, who edited a collection of political-literary essays by the 'Angries' (Declaration, 1957), commented: "(T) they do not belong to a united movement. Far from it; they attack one another directly or indirectly in these pages. Some were even reluctant to appear between the same covers with others whose views they violently oppose."

Their political views were usually seen as identifying with the left, sometimes anarchistic, and they described social alienation of different kinds. They also often expressed their critical views on society as a whole, criticising certain behaviours or groups in different ways. On television, their writings were often expressed in plays in anthology drama series such as Armchair Theatre (ITV, 1956–68) and The Wednesday Play (BBC, 1964–70); this leads to a confusion with the kitchen sink drama category of the early 1960s.

Throughout the late 1950s and into the 1960s, the "Angries" often met at or were nurtured by the Royal Shakespeare Company, and through this venue other such emerging playwrights as Edward Bond and Wole Soyinka were exposed to the AYM movement directly.

The Angry Young Man Movement produced two notable novelists who did not turn to the theatre but remained pioneers and set the tone of the movement. They were Kingsley Amis and John Wain. Amis' Lucky his (1954), an academic satire aimed at university lecturers and the cultural tastes of education and society, is usually hailed as a precursor to the portrayal of the character of Jimmy. It is about Jim Dixon, a Lecturer in Medieval History at a provincial university, who has gone cynical, suffers from an air of detachment, and indulges in alcohol. The novel has a questioning spirit, which was sceptical of post-war British society.

There emerged a specific literary movement called 'The Movement',which was a term coined by I.D.Scott, literary editor of The Spectator, in 1954 to describe a group of writers including Kingsley Amis, Philip Larkin, Donald Davie, D.I.Enright, John Wain, Elizabeth Jennings, Thom Gunn and Robert Conquest. 'The Movement' was essentially English in character, poets of Scotland and Wales were not generally included. Kingsley Amis can be viewed as one of the prominent personalities associated with both - The Movement and The Angry Young Men as he was a member of both of them. His "early novels present us with sardonic vision of British society in the 1950s"'

Lucky' Jim can be considered as one of the essentials among the books of the Angry Young Men. Stribrny points out that:

Amis" first novel combined exuberant verbal and situation comedy with grotesquely masked satire, attacking stiffness, authoritativeness, hypocrisy, and impotence of both the old academia and of all of the city notables.

Jim Dixon becomes a Lecturer in Medieval History in a University, He has merely specialized in Medieval History as it was a soft option to get a job. A clever boy from Oxford failed in the interview as he opted for the complicated modern theories of interpretation. In reality, on the other hand, Jim has little interest either in the subject or in that job but paradoxically gets appointed. He is aware that the system is wrong and he has to conform to its rules if he wants to retain his post and be possibly promoted. However, he is disgusted with the way the things are happening around him. The novel mocks at the hypocrisy of the over-rigid university hierarchy and system with its over-rigid professors. Jim's status in the university depends on the degree of his pleasing the old Professor Welch. He repeatedly fails to please him due to the conspiracies of his fellow colleague Johns. To make matters worse, he gets drawn to a girl Christine Callaghan, a girlfriend of Welch's son, as a result of which gets seriously warned.

Jim gets drunk before the decisive moment of giving a special lecture on medieval history which would enable him to get ratified. He makes a mess of everything and flunks. Jim thus fails to gain a better position because he fails to meet the standards set by the university and cannot conform to the regulations. However, his messy lecture amuses none but one Gore-Urquhart, who is a rich devotee of the arts. He gives Jim a job of private secretary. Jim becomes 'Lucky Jim' as he finally got what he always dreamt of - a position, beloved girlfriend, and wealth. The novel has a humorous and at times a satirical tone and hence it appears to be less serious about painful issues.

However, underlying the humour, the issues still persist. Matters are not presented in an agonizing and distressing manner as it happens in the works of other Angry Young Writers. Jim Dixon, in his own style, is an Angry Young Man because in cutting a sorrowful figure of himself, he is actually mocking at the system. He does not respect the rules of the University and is nonchalant even when the time demands taking stock of the situation. This is merely because he does not like doing what he does not want, a trait of the Movement.

John Warn's novel Hurry on Down (1952) is about a hero who rejects the kind of respectable employment for which his university degree qualifies him, in a way actually rejecting the patronage that is conferred on him by the State and prefers to drift from job to job (in a way an inspiring model for Jimmy who was due to come four years later from then and who was also like a rolling stone).

Commenting on Low Jim and Hurry on Down, Taylor says, "The heroes of these are shamelessly self-centered, liberated from social responsibility, out for number one. They are sexy, ill-mannered and bent on cocking a snook at social conventions and class limitations."" In a way, the trend that was evident in both these novels got crystallized in 1956 in the play Look Back in Anger, which became the representative work of the movement.

Alan Sillitoe's Saturclay Night and Sunday Morning (1958) is about a working class male protagonist Arthur Seaton who is anti-authoritarian and cynical, akin to the traits of his class. He works ceaselessly at the lathe in a bicycle factory like his father. The novel is divided into two parts- Saturday Night and Sunday Morning. The title of the play itself can be studied as having a metaphorical significance. In order to relieve himself from the drudgery of the week, Arthur gets into a wild orgy and drinks heavily on Saturday Night and sobers down on Sunday Morning. Saturday Night, infact, stands for the nature of the working-class environment, their manners, their culture and living styles. Sunday Morning stands for the prospects of the next day or the future. True to it, in the end of this Second part, it is found that Arthur marries a nice girl called Doreen and settles down. Hilsky, speaking about certain shared characteristics of the heroes of the working class novel, says:

Unlike the "angry" intellectual from Amis's and Warn's novels the new working class hero has much closer relation to the present community, which he came from, and lacks the ambition so much typical

of the "angry young men", that is to move a step higher on the social ladder.

Hilsky's observation implies the difference between the typical Angry Young Man and a Working Class hero though both of them are an inseparable part of the movement. The former one is an intellectual and is full of discontent with his position within the society and wants to scale upwards but the latter is somewhat reconciled with his position, which again does not mean that he is fully content with it. He has his own set of problems. He too is equally frustrated and angry. Arthur Seaton's comments on the British Government and politics in general make it clear.

Arthur calls the Conservatives and the Labour Party as "big fat Tory bastards" and "Labour bleeders" respectively and continues to say about the members of the Labour, "They rob our wage packets every week with insurance and income tax and try to tell us it's all for our own good. 5 Arthur's opinion on Communists too sounds interesting. He does not like their idea of "share and share alike" and admits before his friend Jack, "...did I tell yer, Jack, I voted communist at the last election? I did because I thought the poor bloke wouldn't get any votes. I allus like to 'elp the losin'side

Look Back in Anger (1956) is a realist play written by John Osborne. It focuses on the life and marital struggles of an intelligent and educated but disaffected young man of working-class origin, Jimmy Porter, and his equally competent yet impassive upper-middle-class wife Alison. The supporting characters include Cliff Lewis, an amiable Welsh lodger who attempts to keep the peace; and Helena Charles, Alison's snobbish friend.

Osborne drew inspiration from his personal life and failing marriage with Pamela Lane while writing Look Back in Anger, which was his first successful outing as a playwright. The play spawned the term "angry young men" to describe Osborne and those of his generation who employed the harshness of realism in the theatre in contrast to the more escapist theatre that characterised the previous generation. [6] This harsh realism has led to Look Back in Anger being considered one of the first examples of kitchen sink drama in theatre.

The play was received favourably in the theatre community, becoming an enormous commercial success, transferring to the West End and Broadway, and even touring to Moscow. It is credited with turning Osborne from a struggling playwright into a wealthy and famous personality, and also won him the Evening Standard Drama Award as the most promising playwright of 1956. The play was adapted into a motion picture of the same name by Tony Richardson, starring Richard Burton and Mary Ure, which was released in 1959. Film production credited circa 1958.

Background

Written in 17 days in a deck chair on Morecambe Pier,[9][10] Look Back in Anger was a strongly autobiographical piece based on Osborne's unhappy marriage to actress Pamela Lane and their life in cramped accommodation in Derby.[11] While Osborne aspired towards a career in theatre, Lane was more practical and materialistic. It also draws from Osborne's earlier life; for example, the wrenching speech of witnessing a loved one's death was a replay of the death of his father, Thomas.

What it is best remembered for, though, are Jimmy's tirades. Some of these are directed against generalised British middle-class smugness in the post-atomic world. Many are directed against the female characters, a very distinct echo of Osborne's uneasiness with women, including his mother, Nellie Beatrice, whom he describes in his autobiography A Better Class of Person as "hypocritical, self-absorbed, calculating and indifferent". Madeline, the lost love Jimmy pines for, is based on Stella Linden, the older rep-company actress who first encouraged Osborne to write. After the first production in London, Osborne began a relationship with Mary Ure, who played Alison; he divorced his first wife (of five years) Pamela Lane to marry Ure in 1957.

Production

The play was premiered at London's Royal Court Theatre, on 8 May 1956 by the English Stage Company under the direction of Tony Richardson, setting by Alan Tagg, and music for songs by Tom Eastwood. The press release called the author an "angry young man", a phrase that came to represent a new movement in 1950s British theatre. Audiences

supposedly gasped at the sight of an ironing board on a London stage.

The cast was as follows: Kenneth Haigh (Jimmy), Alan Bates (Cliff), Mary Ure (Alison), Helena Hughes (Helena Charles) and John Welsh (Colonel Redfern). The following year, the production moved to Broadway under producer David Merrick and director Tony Richardson. Retaining the original cast but starring Vivienne Drummond as Helena, it would receive three Tony Award nominations including for Best Play and "Best Dramatic Actress" for Ure.

CHARACTER ANALYSIS

Jimmy Porter

Jimmy Porter is an educated young man in post–World War II England. He is disillusioned with life in general—his own life, his wife and marriage, and his country. He is a relentless critic of everything around him, sometimes acerbic and hurtful, sometimes playful and vulgar. His wife, Alison, is his primary target, though his good friend Cliff is also subject to Jimmy's invective. His claims of honesty can be purposely cruel and equally sincere. Bred of lower-class roots, Jimmy harbors severe resentment toward England's middle and upper classes—from which his wife was bred. While he is capable of occasional tenderness and sensitivity, Jimmy makes life difficult and antagonistic for everyone around him.

Alison Porter

Alison is a young, educated woman stuck in a difficult marriage with a difficult man. Bred of upper-class stock, she shunned her parents' admonitions against marrying Jimmy—especially her mother's angry and somewhat vindictive threats. Alison simply tries to survive the heated and antagonistic environment she lives in. She takes solace in the occasional letter from her parents, Cliff Lewis's affection and kindness, and the occasional sparks of genuine care and tenderness her husband shows. She feels she and Jimmy have a unique connection, though she doubts this alone is enough to sustain their marriage.

Cliff Lewis

Cliff Lewis is Welsh, an old friend of Jimmy Porter's, and he frequently endures his friend's malicious wrath. He shares a similar background to Jimmy as well as his disillusionment with modern England. But while he often agrees with Jimmy, he also sets himself apart from his friend with his laid-back, genuine character and more hopeful view of life. Cliff is particularly fond of Alison Porter and often serves as a protector or buffer between her and Jimmy. Cliff and Alison are remarkably affectionate toward each other, to Jimmy's amusement and annoyance. Cliff helps Jimmy with the sweets stall. He spends much of his leisure time in the Porters' one-room apartment even though he apparently has a room of his own in the same building.

Helena Charles

Helena Charles is an actress and one of Alison Porter's oldest friends. She is aware of the negative marriage situation Alison is in, and she is not a fan of Jimmy Porter. Helena comes to stay in the same building with the Porters while passing through with a touring show. She urges Alison to leave and return to her parents. Jimmy does not like or trust Helena. Their interactions are often vitriolic, with both threatening physical violence. Though offended by Jimmy, Helena is also somewhat fascinated by such a prideful loudmouth, and she eventually acts on her desires.

THEMES

Alienation

Alienation is an important theme in John Osborne's Look Back in Anger. Jimmy Porter, the main character of the play, typifies the overeducated, underemployed worker. He lives in an attic flat with his wife, Alison, and his business partner, Cliff Lewis, with whom he runs a candy stall in an outdoor market. It is 1956, Britain has lost its soul (according to Jimmy), and they are living in an "American age" that has left men like Jimmy Porter behind. He feels alienated from the Establishment, the upper-crust of British society, which has shut him out of the most lucrative jobs because of his class. He graduated from a "white-tile" university, one of the newer and least prestigious universities in Great Britain, so his education, as good as it ended up being, doesn't mean much to the British Establishment. He also feels alienated from his wife, Alison, whose father is a colonel and whose brother is now a member of

Parliament. He regularly berates Alison, characterizing himself as the only thinking person in the household. He has even given her a nickname: Lady Pusillanimous. This nickname emphasizes both Jimmy's intelligence (via his vocabulary) and Alison's timid nature. It also suggests that at least part of Jimmy's alienation stems from his behavior, not his socioeconomic status, and that he might have an easier time connecting with people if he treated them with respect.

Anger

Jimmy Porter's anger dominates the play. This theme is pervasive, affecting the plot, the characters, and the tone of the entire play. In the first act, Jimmy's anger causes him to lash out at his wife and his business partner, Cliff, calling them boring, stupid, and unambitious, in large part because they don't share his rage and frustration. Like many working-class men, Jimmy feels overlooked by the Establishment, shut out by polite society, and relegated to menial jobs where he is underutilized and underpaid. His socioeconomic status makes it impossible for Jimmy to get ahead, which understandably causes him to resent the Establishment. He lashes out at his wife, Alison, because she is a part of that upper class, having descended from a well-to-do family. Her father is a rich colonel, and her brother Nigel is a member of Parliament. Jimmy sneers at their accomplishments, summarily dismissing Alison and her entire family as thoughtless, stupid, self-involved people. He says all this in hopes of getting a rise out of Alison and instigating a fight. Jimmy likes conflict. He wants Alison to suffer, because then she will understand where he is coming from and why he is so angry. At the end of the play, after Alison has a miscarriage, Jimmy is satisfied that she has suffered enough, and the couple reconciles. The reader is left to wonder if Jimmy's anger has dissipated or if it will continue to destroy his marriage.

Class

Much of Jimmy's anger stems from the class struggle in England in the 1950s. Jimmy attended what he calls a "white-tile" university—one of the newest and lowest-ranking institutions in Great Britain. Though it is clear from Jimmy's diction and his reasoning skills that he has received a good education, he has been shut out of the jobs he deserves because of his socioeconomic status. Having come from a working-class background, Jimmy finds it impossible to make the upper-class connections that one needs to get ahead. He blames the Establishment for relegating him to the life of a candy purveyor—a position he considers beneath him. This kind of class conflict still exists today, and Jimmy's anger is more relevant than ever, given the increasing stratification of the rich and the poor.

Education

Jimmy Porter spends a lot of time talking about education in relation to social class. Specifically, he rants about how, even though he went to college, he didn't go to the "right" college, which means he doesn't have access to the "right" jobs and the "right" people. In effect, the Establishment has rigged the education system so that only the...

Critical reception

At the time of production reviews of Look Back in Anger were deeply negative. Kenneth Tynan and Harold Hobson were among the few critics to praise it, and are now regarded among the most influential critics of the time.

For example, on BBC Radio's The Critics, Ivor Brown began his review by describing the play's setting—a one-room flat in the Midlands— as "unspeakably dirty and squalid" such that it was difficult for him to "believe that a colonel's daughter, brought up with some standards", would have lived in it. He expressed anger at having watched something that "wasted [his] time". The Daily Mail's Cecil Wilson wrote that the beauty of Mary Ure was "frittered away" on a pathetic wife, who, "judging by the time she spends ironing, seems to have taken on the nation's laundry". Indeed, Alison, Ure's character, irons during Act One, makes lunch in Act Two, and leaves the ironing to her rival in Act Three.

On the other hand, Kenneth Tynan wrote that he "could not love anyone who did not wish to see Look Back in Anger", describing the play as a "minor miracle" containing "all the qualities...one had despaired of ever seeing on the stage—the drift towards anarchy, the instinctive leftishness, the automatic rejection of "official" attitudes, the surrealist sense of humour (e.g., Jimmy describes

an effeminate male friend as a 'female Emily Brontë'), the casual promiscuity, the sense of lacking a crusade worth fighting for and, underlying all these, the determination that no one who dies shall go unmourned." Harold Hobson was also quick to recognize the importance of the play "as a landmark of British theatre". He praised Osborne for the play, despite the fact that the "blinkers still obscure his vision".

Alan Sillitoe, author of Saturday Night and Sunday Morning and The Loneliness of the Long Distance Runner (both of which are also part of the "angry young men" movement), wrote that Osborne "didn't contribute to British theatre, he set off a landmine and blew most of it up".

Other notable productions

The Renaissance Theatre Company's August 1989 production at the Lyric Theatre, London was directed by Judi Dench with Kenneth Branagh and Emma Thompson.[14] A television version of the production was broadcast in Britain in December of that year. In 1995 Greg Hersov directed a production at the Royal Exchange, Manchester with Michael Sheen as Jimmy Porter, Claire Skinner as Alison Porter, Dominic Rowan as Cliff Lewis and Hermione Norris as Helena Charles.[17][18] Hersov directed a second production in 1999, again starring Michael Sheen, at the Royal National Theatre in London.

Sequel

In 1989 Osborne wrote a sequel to the play entitled Déjàvu, which was first produced in 1992. Déjàvu depicted Jimmy Porter, now known as J.P., in middle age, living with his daughter Alison. He rants about the state of the country to his old friend Cliff, while his Alison irons, just as her mother had done in Look Back. The play was not a commercial success, closing after seven weeks. It was Osborne's last play.

Conclusion :

Analyzing plays by five modem British playwrights, one finds different kinds of women portrayed in their works. The plays analyzed also show a pattern of development and change.

Alison on Look Back in Anger represents the traditional woman She has moulded herself according to her husband's needs and his life-style and effaced her identity completely. Jimmy, the husband is a raging pugnacious bore, but the patriarchal system and the sexist society allow him to stand on a higher pedestal. There is clearly a war of the sexes going on, but it is a one sided affair as Alison just remains a dumb recipient. She is totally marginalized and is given no voice. This play reveals that aspect of traditional marriage, where wife is never treated as an equal partner and is deprived even of her individuality. She is treated as a possession and is considered a liability. Her voice is never heard and she is totally marginalized. Woman in this case also becomes the dust bin and the dumping ground, where the husband can dump in all his faults and then condemn them as hers. The ending of the play only serves to confirm Jimmy's male-chauvinistic attitude. Alison returns to the husband- a poor lost, suffering woman- and worst of all, begs forgiveness. Each His Own Wilderness and Play 11,1111 a Tiger are different as they come from a woman's pen. They arc a sensitive portrayal of a woman's suffering, her agony and her final loneliness. The women characterized in the play are so called free woman as they do not have husbands to cater to. In Each His that Wilderness both Myra and Milly are single. But if there are no husbands, then the sons take up the job of pestering, abusing and questioning the mother. Tony the son, approves neither of his mother's work nor her friends. What he demands vehemently for, is total allegiance from his mother. Towards the end Myra comes to the sad realization that it is impossible to appease him. Myra owns a house, runs it and has a genuine friendship with another woman, but she still has a shaky family base, no satisfying sexual relationship and sadly no appreciation for all her well meaning attempts. Hence by the time the play draws to an end one feels that realization of a woman's individuality is not possible while staving within the present family setup. Play with a Tiger was also an important play as it was—fart shows anger, frustration and sexual drive as motive forces to be as strong in women as in men. And on the stage it was for the first time that anger and sexuality were accepted not only as attributes of realistic characters but also as sources of female power. It also focused on the premise that for men loving involves lies, hypocrisy and even secrecy, whereas women demand

a basic honesty in the relationship. Arnold Wesker's Triology moves a step forward from this traditional male - chauvinist stand. The woman here is neither all that silent nor all that marginalized. In Chicken Soup With Barley, she rather appears to dominate, has a voice for her opinions and is on the helm of affairs. She is also exuberantly active and throbs with energy. Not ready to be confined to the boundaries of her home, she has moved out of the confines and participates in politics. All through it appears as if it is she who is dictating terms both inside and outside home thus proving true the feminist slogan "personal is political". In Roots, the woman discovers herself interestingly by finding her own voice and the moment she realizec it she takes a new birth. The final triumphant statement comes froi 2èE stage directions. As Beane stands alone, articulate at last, the cut. falls. Thus whereas in plays like Look Back in Anger woman is not peen any space, socialists like Wesker do give her some breathing space. But the ending of Chicken Soup with Barley again leaves one baffled and sad. Almost everybody raises questioning finger at Sarah. Her unflinching faith is now mocked at and she is shown to be an ignorant fool working with blind optimism. And though Beatie has found her voice she is never the less alone, desperately looking for some support which even her family refuses to give. Interaction, sharing and communication between the two sexes is still conspicuous by its absence. Partnership is absent and only sublimated conflict is apparent.

Reference :

Atkinson. "Theatre : Olivier in "The Entertainer' ; John Osborne Play Opeens at Royale", The New York Times, 13 February 1958, p.22.

Ellis, Samantha (21 May 2003). "Look Back in Anger, May 1956". The Guardian. Retrieved 3 October 2017.

John Osborne : Look Back in Anger". BBC Radio BBC Retrieved 1 February 2020.

John Russell Taylor. Anger and After, (1962), London : Methuen.

Jump up to "The Entertainer (1960) - Articles-CM.com". Turner Classic Movies. Retrieved 25 June 2020

Jump up to : Heilpern, John, John Osborne : The many Lives of the Angry Young Man, New York : Knopf, 2007.

The Entertainer, London Theatre Direct, Accessed : 20 April 2015.

Walker, John (1992) "Kitchen Sink School" Glossary of Art, Architecture & Design since 1945, and 3rd. ed. Retrieved 20 January 2012.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी दर्शन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन सत्य एवं अहिंसा के सन्दर्भ में

❒ डॉ. गुरुनाम सिंह*
❒ रूबी वर्मा**

शोध सारांश

गांधी दर्शन (विचार) वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में आज भी उतने ही प्रसांगिक हैं या नहीं, का विश्लेषणात्मक अध्ययन, उनके सत्य एवं अहिंसा के विचारों के संदर्भ में इस शोधपत्र का मुख्य उददेश्य है। वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निरंतर बलात्कार, शारीरिक एवं मानसिक हिंसा की शिकार महिलाएं एवं बच्चियां मानो आज भी पुकार रही हों, कहां हो गांधी– कहां हो गांधी? हाल ही में हुई उन्नाव बलात्कार घटना, बरेली की एल.एल.एम. की छात्रा के साथ हुई बलात्कार की घटना इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। आर्थिक मंदी की आहट गांधी के आर्थिक विचारों का स्मरण कराती हैं। दलितों, पिछड़ों के साथ हो रही शोषित घटनाएं गांधी के इन वर्गों के लिए किए गये प्रयासों की सार्थकता को अनुभव करा रही हैं। दिनों दिन हो रही हिंसक, क्रूर घटनाएं : हत्या, लूट, डकैती, छिनौती आदि आज गांधी के नैतिक विचारों को पुकार रही हैं। बढ़ती नशाखोरी, झूठ, धर्म का राजनीतिकरण गांधी जी के मूल्यपरख, नशा उन्मूलन, अहिंसा एवं मानव साध्य संबंधी विचारों की महती आवश्यकता को महसूस करा रहे हैं। अतः ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ह्रास से परिपूर्ण वर्तमान परिपेक्ष्य में गांधी दर्शन (विचारों) विशेषतः उनके सत्य एवं अहिंसा संबंधी विचारों की सार्थकता के विश्लेषण से संबंधित हुए शोध गैप को पूर्ण करना इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

मुख्य बिन्दु : गांधी दर्शन, सत्य, अहिंसा, सामाजिक लोकतंत्र, राजनीति का आध्यात्मिकरण, ट्रस्टीशिप

* प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
** शोध छात्रा, समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भारतीय लोगों में एक जाना पहचाना व सुपरिचित नाम है। महात्मा गांधी राजनीतिक कम कर्मयोगी और आध्यात्मिक संत ज्यादा थे। महात्मा गांधी जी ने अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए राजनीति को एक साधन के रूप में प्रयोग किया था। गांधी जी ऐसे राजनेता थे। जिनकी कथनी और करनी में एक रूपता थी। जहां तक गांधीवाद का सवाल है। तो हम इसे सुविचारित तथा सुव्यवस्थित विचारधारा न मानकर इसे एक जीवन दर्शन जीवन पद्धति एवं दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समय–समय पर परिस्थिति के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विषयों पर जिन विचारों एवं मान्तव्यों को गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया उन्हें ही उनके अनुयायियों के द्वारा कालान्तर में गांधीवाद के नाम से सम्बोधित किया गया इसे एक निश्चित जीवन दर्शन और आधारभूत सिद्धान्त माना जा सकता है जिसके माध्यम से गांधी जी के राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। गांधी जी के विचारों एवं मान्तव्यों को गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया, इसे एक निश्चित जीवन दर्शन और आधारभूत सिद्धान्त माना जा सकता है, जिसके माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। गांधी जी के विचारों पर हिन्दू धर्म के वैष्णव सम्प्रदाय, गीता और उपनिषद जैन एवं बौद्ध धर्म भारतीय साधू सन्तों के विचारों के साथ–साथ ईसाई धर्म के बाईविल तथा टालस्टाल जान रस्किन एवं हेनरी डेविड के विचारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बाईविल के पर्वत प्रवचन वाले उपदेश से उन्होंने षत्रु से प्रेम करना रस्किन के अन टू दा लास्ट से कर्म की महत्ता का पाठ गोरों से अहसहयोग एवं सविनय अवज्ञा का पाठ, टालस्टाव से अहिंसा का सिद्धान्त साधन साध्य की पवित्रता का पाठ, ष्यामल भटट गुजराती कविता से गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध का पाठ सीखा था। उपर्युक्त विचारों का प्रयोग गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने में किया गया। संक्षेप में गांधीवादी के प्रस्तुत तत्वों को हम निम्नांकित बिन्दुओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं।

धार्मिक क्षेत्र में गांधी जी के विचार

सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, राजनीतिक विचार– राजनीति का आध्यात्मिकरण, राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, वृत्व मॉडल प्रारूप, समाजवादी लोकतंत्र व रामराज्य, आर्थिक विचार, आर्थिक समानता, अपील व इस्टीशिप का सिद्धान्त, सादा जीवन उच्च विचार व ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, सामाजिक विचार–सामाजिक समानता, नारी समानता, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, शैक्षिक विचार–बुनियादी शिक्षा(वर्धा योजना), नारी शिक्षा व उच्च शिक्षा। किसी भी समय में निस्तारण और परिवर्तन दो अवयव होते हैं निरंतरता के आधार पर समाज चलता है और वह समय के अनुसार बदलता भी रहता है और इस प्रकार समय के अनुसार समजा अनुकूलन करता है और तभी कोई समाज अपना आस्तित्व बनाये रख सकता है।

समाज के आस्तित्व में इस प्रकार की चिन्तन धाराओं का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि ये चिंतन धाराएं ही हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि समाज का कितना भाग निरन्तर हो और किन भागों में परिवर्तन हो। इन चिन्तन धाराओं की तीन मुख्य धाराएं होती हैं–आध्यात्मिक, चिंतनधारा, जो आस्था पर आधारित होता है और आन्त्रिक परिवर्तन द्वारा ब्रह्म परिवर्तन चाहता है। उसके लिए तक्र का विशेष महत्व नहीं है और आस्था आधारित होने के कारण ही आध्यात्मिक चिन्तन की आलोचना भी की जाती है। लेकिन तक्र से पहले आस्था है क्योंकि– न्यायपालिका की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। जो कानूनी तर्कों की शुरूआत शपथ से करती है, विधायिका के लोग संविधान की शपथ लेते हैं। और तभी से तक्र आधारित कार्यवाही की शुरूआत करते हैं, नौकरशाही के लोग प्रशिक्षण के पश्चात शपथ लेकर ही प्रशासन सेवा की शुरुआत करते हैं, विज्ञान का आधार गणित है और स्वयं गणित भी आस्था आधारित शुरुआत करता है क्योंकि गणित

की एक आस्था है कि दो समानान्तर रेखाएं अनन्त में मिल सकती हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आस्था आधारित है, किसी व्यक्ति की नीति पहचान उसके माता–पिता से उसके संबंध आस्था आधारित है। तर्कों के ये चिन्तन विशेष महत्व नहीं देते क्योंकि तक्र में ही एकरूपता का अभाव है। व्यक्ति के अधिकार बोध के अनुसार उसका तक्र होता है। यथार्थवादी चिन्तनधारा दूसरी महत्वपूर्ण धारा है। जिसका आधार भौतिक सत्य है। अर्थात जो दिखता है वह सत्य है। ये सत्य की अनुभूति की आवश्यकता नहीं समझते हैं। और इस प्रकार ये ब्रह्म परिवर्तन आन्तिरिक परिवर्तन चाहता है। जो आन्तरिक परिवर्तन प्रेरित करता है।

मानवतावादी अपेक्षाकृत भिन्न चिन्तनधाराएं हैं। जो आध्यात्मिक चिन्तनधाराओं के निकट हैं। लेकिन यथार्थवादी चिन्तनधारा से अपेक्षाकृत दूर है मानवतावादी और मानवतावादी दो भिन्न चिन्तन धाराएं हैं क्योंकि मानवादी विचार धारा में मानव को प्राणी जगत में विशिष्ठ स्थान मिलता है जो मानवीय मूल्यों के रूप में अलग है। लेकिन मानवतावादी चिन्तन में मानव प्राणी जगत में एक भाग मात्र है। उपयुक्त तीनों विचारधाराओं में अन्य चिन्तनधाराएं किसी न किसी रूप में समाहित हैं। और इन तीनों मुख्य धाराओं के प्रेरणा के रूप में गांधी, नेहरू, टैगोर का नाम प्रथम होता है। गांधी जी एक धार्मिक संत थे। अर्थात राजनीति उनके लिए साधन मात्र थी। जिसके माध्यम से वे अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रयोग करना चाहते थे तभी उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग किये, जिनका नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग है लिखा था, उदाहर स्वरूप आधुनिक राजनीति में डा. मनमोहन सिंह मूलतः अर्थशास्त्री हैं और राजनीति के लिए साधन हैं और इस प्रकार की राजनीति के माध्यम से अपने आर्थिक सिद्धान्तों को प्रमाणित करना चाहते हैं।

गांधी जी मूलतः धार्मिक संत इसलिए थे क्योंकि उनकी परिवारिक पृष्ठभूमि भी धार्मिक थी। उन पर वैदिक दर्शन का गहरा प्रभाव था। और वैदिक दर्शन के वेत्तताओं में वे शंकराचार्य व रामानुजाचार्य की तुलना में वे रामानुज के ज्यादा करीब थे। क्योंकि शंकराचार्य ज्ञानमार्ग के प्रेरणा थे जबकि रामानुज भक्ति मार्ग के प्रेरणा थे जो अपेक्षाकृत सरल मार्ग है। क्योंकि भक्तिमार्ग में प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को ग्रहण करते हैं। वैदिक दर्शन में गांधी जी यजुवेद से अधिक प्रभावित थे। जिसमें यह आशय उन्हें बहुत प्रभावित करता था कि – सत्य सर्वशक्तिमान है, सत्य सर्वत्र है। सत्य का अंश सबसे सबमें विद्यमान है। यह कभी नहीं बदला और गांधीजी से पूछा गया कि ईश्वर क्या है? तो गांधी जी उत्तर देते हैं कि सत्य ईश्वर है। वह भी सर्वत्र है वह सबमे है। वह भी कभी नहीं बदलता है अतः सत्य और ईश्वर के चरित्र समान हैं इसलिए ईश्वर की अनुभूति और कुछ नहीं सत्य की अनुभूति है। और इस प्रकार सत्य की अनुभूति ही सत्याग्रह है।

सत्य की अवधारणा

मार्क्सवाद में जो स्थान पदार्थ है वहीं स्थान गांधीवादी चिंतन में सत्य का है गांधी जी ने सत्य के साथ ईश्वर का एकीकरण किया था और कहा था ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। इस प्रकार गांधी जी ने सत्य की अनुभूति को ईश्वर की अनुभूति से जोड़ा। उन्होंने ईश्वर का कोई सगुण रूप स्वीकार नहीं किया है। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में देखते थे। और इस प्रकार एक अदृश्य सर्वशक्तिमान को स्वीकार करना उनको अद्वैतवादी विचारधारा के निकट कर देता है, सत्यागृह अथवा सत्य की अनुभूति एक पवित्र मार्ग है और पवित्र कार्य के लिए पवित्र साधन चाहिए और अहिंसा वह पवित्र साधन है जिसके दो स्वरूप हैं, उपवास व हड़ताल तालाबन्दी, असहयोग, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, हिजरत, बहिष्कार। गांधी जी अपनी अहिंसा की लड़ाई में युद्ध षब्द का प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई में बन्दूक, तोप और बम का कोई स्थान नहीं है। उनके सैनिकों के हथियार थे चरखा, तकली, वीरता, देशभक्ति आदि। सत्य और अहिंसा संसार की सबसे प्रथम भक्ति है। 2 गांधी जी ने उस अहिंसा के साधनों का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम में किया और अहिंसा के उन साधनों

के माध्यम से गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक मोड़ दिया।

गांधी जी का विचार इन दो स्वरूपों को बताता है–

साकारात्मक अहिंसा (सामर्थ्यवान् होकर अहिंसक, नाकारात्मक अहिंसा (कायरता का द्योतक) गांधी जी कहते हैं कि समर्थता की स्थिति में कोई व्यक्ति अहिंसक बनना स्वीकार करता है। तो वह अहिंसा नहीं बल्कि कायरता है। गांधी जी ने अहिंसा को शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी विभाजित किया। उनके अनुसार शारीरिक वेदना ही नहीं बल्कि भावनाओं को कष्ट देना भी हिंसा है। अहिंसा के विषय में स्वयं महात्मा गांधी का कथन है '' मेरे लिए अहिंसा केवल एक दार्शनिक सिद्धान्त ही नहीं है, यह मेरे जीवन का ताना–बाना है– यह दिमाग की चीज न होकर हृदय की चीज है। इस प्रकार गांधी जी ने अहिंसा को वर्गीकृत करने के बाद भी इसे आदर्श रूप में स्वीकार किया है। गांधी जी कहते हैं कि जो पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं हो सकता वही आदर्श है। लेकिन आदर्श को पूर्णरूपेण प्राप्त करने के प्रयास में व्यक्ति और समाज का विस्तार चलता रहता है। गांधी जी ने नाकारात्मक अहिंसा की अवधारणा को स्वीकार कर एक सीमा तक अहिंसा को स्वीकार कर लेते हैं। और चूंकि वे हिंसा के राज्य का पर्याय बताते थे इसलिए वे राज्य की न्यूनतम भूमिका को स्वीकार करते हैं। इसलिए वे इस आधार पर राजकीय संकल्पनाएं लेते हैं। जो इस प्रकार हैं–

गांधी जी राज्य को हिंसा का पर्याय मानते थे। उनके अनुसार समाज में घटित हर हिंसा के पीछे राज्य उत्तरदायी है। अतः राज्य की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए और इस प्रकार उन्होंने थ्योरों के सिद्धान्त का समर्थन किया कि वह राज्य सर्वोत्तम होता है जो न्यूनतम शासन करता है।'' और आज भी यह अवधारणा प्रासंगिक है। तभी तो भारत में भी नहीं पूरे विश्व में राज्य की भूमिका निरन्तर घट रही है। ताकि वह सीमित क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर सकें। राज्य की न्यूनतम भूमिका स्वीकार करते हुए गांधी जी ने प्रशासन के वृत्त मॉडल का समर्थन किया जिसमें सत्ता और संसाधन का समानुपातिक विकेन्द्रीकरण होता है। संसाधनों का नहीं। उदाहरण स्वरूप वर्तमान पंचायती राज्य संस्थाओं में सत्ता के साथ–साथ संसाधनों का भी विकेन्द्रीकरण हो रहा है और इस प्रकार प्रशासन वृत मॉडल की ओर अग्रसर है। जो गांधी जी की अवधारणा थी। गांधी जी ने राज्य की न्यूनतम भूमिका को स्वीकार करते हुए समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की। जिसमें राज्य की भूमिका को विस्थापित कर व्यक्ति की भूमिका होती है। और इस प्रकार गांधी जी ने निजीकरण का समर्थन किया। लेकिन निजीकरण का समर्थन करने के बावजूद भी वे पूंजीवादी नहीं थे। वस्तुतः वे इस समाजवाद का समर्थन करते थे। जिसमें उत्पादन और वितरण पर सामूहिक नियंत्रण होता है, और निजी भागीदारी बढ़ रही है, और गांधी के समाजवादी लोकतंत्र में प्रासंगिक है। गांधी जी इस प्रकार राज्यविहीन समाज की संकल्पना करते थे। जिसके कारण उन्हें अराजकतावादी चिन्तक का भी दोष दिया गया। लेकिन गांधी जी राज्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। वस्तुतः वे ऐसा राज्य चाहते थे जिसकी भूमिका नागरिकों के दैनिक जीवन में नही ंके बराबर हो। आज भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां के नागरिक अनुशासित हैं। और इस प्रकार राज्य की नागरिकों के जीवन में नही ंके बराबर भूमिका है।[3]

गांधी जी इस प्रकार राज्यविहीन समाज की संकल्पना करते हुए व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक थे। और इस प्रकार वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन किया और अधिकार के बदले कर्तव्य बौद्ध के लिए वे नैतिक विकास के नारे देते थे। उनके अनुसार ''व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करता है। तभी वे अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होता है। इसी प्रकार गांधी जी ने नैतिक विकास का नारा देते हुए स्वराज्य की संकल्पना की। जिससे व्यक्ति स्वशासित और स्व–अनुशासित होते हैं। और तभी रामराज्य की संकल्पना की जा सकती है। जिसमें शासक भी शामिल होता है। और इस प्रकार विधि का शासन होता है। किसी व्यक्ति का शासन नहीं। भारतीय संविधान में विधि का शासन स्वीकार किया गया है। अर्थात विधि

के समक्ष अवसर की समानता है। और इस प्रकार भारतीय संविधान में विधि का शासन स्वीकार किया गया है। अर्थात विधि के समक्ष अवसर की समानता है। और इस प्रकार भारतीय संविधान भी स्वराज्य को साध्य मानता है। लेकिन यह स्वराज तिलक का स्वराज है। जो गांधी के स्वराज से भिन्न है। क्योंकि तिलक के स्वराज्य का अर्थ है। अपनी सरकार और अपनी सत्ता से, जबकि गांधी जी के स्वराज्य का आशय व्यक्ति का स्वशासन है। इस प्रकार गांधी जी व्यक्ति के नैतिक विकास का नारा देते हुए सेवाधर्मी समाज की संकल्पना करते हैं। जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होते हैं। और वे ज्यादातर कार्य स्वयं संपादित करते हैं। जो गांधी का सेवाधर्मी समाज है। वर्तमान समाज में आवासीय समितियां बनायी जाती हैं। वहां पानी, बिजली, सुरक्षा इत्यादि की आन्तरिक और सामूहिक व्यवस्था की जाती है। जो गांधी जी के सेवाधर्मी समाज की प्रासंगिकता स्थापित करता है। हर प्रकार गांधी जी व्यक्ति के नैतिक विकास का नारा देते हुए सेवाधर्मी समाज की संकल्पना करते हैं। जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होते हैं। और ज्यादातर कार्य स्वयं संपादित करते हैं। जो गांधीजी का सेवाधर्म समाज है। वर्तमान समाज में अवासीय समितियां बनायी जाती हैं। जो गांधी जी के सेवाधर्मी समाज की प्रासंगिकता स्थापित करता है। इस प्रकार गांधी ने नैतिकता पर जोर डालते हुए राजनीति और धर्म को अलग–अलग नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार धर्म का आशय कर्तव्य है। और अगर राजनीति में कर्तव्य नहीं होगा तो यह राजनीति नहीं बेईमानी होगी। इन्ही विचारों के कारण गांधी जी को धार्मिक संत के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिनके लिए राजनीति साधन मात्र है, गांधी जी व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए आर्थिक समानता पर जोर डालते हैं। और आर्थिक समानता के लिए वह नैतिक विकास पर जोर डालते हैं। उन्होंने संसाधनों के समुचित वितरण के लिए नैतिक विकास को आधार बनाया जबकि नेहरू इस संदर्भ में दण्ड विधान चाहते थे। और माकर्स खूनी क्रांति के द्वारा आर्थिक समानता चाहते थे।

गांधी जी ने आर्थिक समानता के लिए अपील करने के लिए कहा कि वे अपने संसाधन को आयत ग्रस्तों में बाटें और विनोवा भावे ने भूदान यज्ञ के द्वारा अपील सिद्धान्त को प्रासंगिक सिद्ध कर दिया। आज प्रशासन किसी भी संकट में अपील के सिद्धान्त का सही उपयोग कर रहा है। इसी प्रकार ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त का अर्थ है संसाधनों पर सामूहिक नियंत्रण जो संरक्षण पर आधारित होता है। जैसे ज्यादातर धर्मशालाएं ट्रस्ट से संचालित होती हैं। जो संरक्षण आधारित हैं। जो सामान्यतः शोषण आधारित हैं। आज भी पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सामूहिक प्रयास और सामूहिक संरक्षण की बातें की जा रही हैं जो ट्रस्टीशिप सिद्धान्त की प्रासंगिकता है।

गांधी जी ने आर्थिक समानता के साथ आर्थिक विकास पर जोर दिया जिसके लिए उन्होंने चरखा, खादी, स्वदेशी पर जोर दिया। व्यक्ति तथा गांव के आत्म सम्पूर्ण बनाने के लिए आवश्यकताओं के सीमित होने के कारण अविश्कार होने चाहिए। अविश्कार क्रय शक्ति के अनुपात में होना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति अनैतिक कार्यों के लिए प्रेरित होता है और जब नैतिकता खो जाती है तो आर्थिक समद्धि तथा आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

अतः गांधी जी आवश्यकताओ को सीमित कर सादा जीवन उच्च विचार पर बल देते थे। जब व्यक्ति में नैतिकता होती है तो उसके विचार उन्नत होते हैं। गांधी कहते हैं कि व्यक्ति गरीबी और समृद्धि दोनों में ही अपनी स्वतंत्रता खो देता है। गांधी जी आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण का समर्थन करते थे। उनके अनुसार भारत गांव का देश है। जहां ग्रामीण और कुटिर उद्योगों से शुरुआत होनी चाहिए। और इस प्रकार छोटे उद्योग से क्रय शक्ति और रोजगार का विकास होना चाहिए। और क्रय षक्ति के अनुपात में उद्योगों का आकार बढ़ना चाहिए। तभी संतुलित औद्योगिकीकरण होता है। इस प्रकार जब गांव में आर्थिक सम्पूणता होती है तभी ग्रामीण गणराज्य स्थापित होता है। जिसमें सत्ता के सारे स्रोत ग्रामीण होते हैं। गांधी जी आर्थिक समानता के साथ–साथ सामाजिक समानता पर भी जोर देते थे। तदानुसार

गांधी जी कहते थे–आर्थिक समानता के साथ–साथ समाज में सबको अवसर की सामानता होनी चाहिए, क्योंकि समान हैं। और इस प्रकार उन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध किया और विशेष रूप से अस्पृश्यता का कड़ा विरोध किया। उन्होंने समाज में नारी के सम्मान का समर्थन किया। उनके अनुसार भारत एक कृषि प्रधान देश है। जहां भूमि पूजा की जाती है। और इस प्रकार नारी पुरूष की जननी है। उसे भी पूजा जाना चाहिए और जब तक समाज में नारी की गरिमा सुस्थापित नहीं है कोई समाज या देश उन्नति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वर्णव्यवस्था में योग्यता है विवशता नहीं लेकिन जाति व्यवस्था का उन्होंने सर्वथा विरोध किया। क्योंकि यह विवशता आधारित है।

उन्होंने ब्रह्मचर्य का समर्थन किया और उसे वह जनसंख्या नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्योंकि वह आत्मनियंत्रण को प्रेरित करता है। उन्होंने ब्रह्मचर्य को साधन के रूप में नहीं उसे एक चुनौती और जीवन शैली के रूप में लिया। गांधी जी नशाबंदी का समर्थन करते थे। उनके अनुसार नशा व्यक्ति में पलायनवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। और ऐसा व्यक्ति स्वशासन और स्वअनुशासन में असमर्थ होने लगता है। 1920 ई. में कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में शराबबंदी कार्यक्रम पर जोर दिया। और बताया कि आज लाखों, करोड़ों लोग शराब व नशीली चीजों के सेवन के शिकार हैं बच्चे और युवक भी नशे लेते हैं। इनको इन बुरी लतों से छुड़ाए बिना हम ''स्वराज्य'' क्या प्राप्त करेंगे? गांधी जी ने अपने विचार के संदर्भों में नैतिक विकास पर जोर दिया, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर नैतिक विकास का स्रोत क्या होगा? गांधी जी ने नैतिक विकास के लिए शिक्षा का प्रयास प्रस्तुत किया। तदानुसार उन्होंने शिक्षा के तीन प्रारूप परिभाषित किये–बुनियादी शिक्षा, नारी शिक्षा व उच्च शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के अन्तर्गत गांधी जी कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा मात्र भाषा में होनी चाहिए। ताकि माध्यम अवरोध न बने। शिक्षा 14 वर्ष तक निशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए शिक्षा आत्म प्रयोज्य वाली होनी चाहिए अर्थात शिक्षा सूचना का भंडार मात्र नहीं होना चाहिए वस्तु यह ज्ञान के रूप में होना चाहिए क्योंकि पहले नागरिकों की अपनी संस्कृति का निरपेक्ष ज्ञान होना चाहिए तभी सापेक्ष ज्ञान के लिए व्यक्ति तैयार होता है। अर्थात वह तुलनात्मक अध्ययन में तभी समर्थ होता है। जहां तक नारी शिक्षा का प्रश्न है गांधी जी कहते हैं कि एक आदर्श राज्य के लिए अच्छे नागरिक होने चाहिए और माता नागरिक की प्रथम नागरिक पाठशाला है। अतः इस पाठशाला के लिए नारी की साक्षरता अनिवार्य शर्त है। जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है। गांधी जी कहते हैं कि आवश्यकताओं के अनुसार उच्च शिक्षा होनी चाहिए तभी समानुपातिक रोजगार अवसरों के सृजन होंगे। लेकिन यह क्रय शक्ति के अनुपात में होती है। लेकिन आवश्यकताओं को नजर अंदाज करते हुए उच्च शिक्षा दी जाती है। जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को समूचित रोजगार नहीं मिलता और वह प्रक्रिया पलायन को प्रेरित होती है, जो देश को वित्तीय बौद्धिक ओर सुरक्षा की क्षति है।

अहिंसा के प्रगतिशील रूप, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक संदर्भों से निश्चित ही भिन्न हैं क्योंकि अहिंसा का आर्दश रूप सैद्धांतिक है। जबकि प्रगतिशील अहिंसा व्यवहारिक है। अहिंसा के प्रगतिशील रूप को स्वीकार किया जाना चाहिए। अहिंसा का यह प्रगतिशील रूप जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक संदर्भों से निश्चित ही भिन्न है क्योंकि अहिंसा का आदर्श रूप सैद्धान्तिक है जबकि प्रगतिशील अहिंसा व्यवहारिक है अगर संपूर्ण विश्व अहिंसा को स्वीकार कर सहयोग और प्रेम पूर्ण व्यवहार करें तो अहिंसा के परम्परागत आदर्श रूप को स्वीकार कर लेना पर्याप्त है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। अतएव प्रगतिशील अहिंसा के विचार को स्वीकार किया जाना चाहिए। अहिंसा का यह प्रगतिशील अहिंसा व्यवहारिक है अगर संपूर्ण विश्व अहिंसा स्वीकार कर सहयोग और प्रेम पूर्ण व्यवहार करें तो अहिंसा के परम्परागत आदर्श रूप को स्वीकार कर लेना पर्याप्त है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है।

गांधी जी ने हिन्दी नव जीवन में लिखा था–डर का भाग जाना कायरता है और कायरता से न समझौता

हो सकेगा, न अहिंसा को ही कुछ मदद मिलेगी। कायरता हिंसा की एक किस्म है और उसे जीतना बहुत दुश्वार है।

पुनः यंग इंडिया में उद्धृत गांधी जी के विचारों का संदर्भ लें तो इस विषय पर और अधिक प्रकाश पड़ सकता है। गांधी जी ने कहा है– जहां सिर्फ कायरता और हिंसा एक के चुनाव की बात हो तो वहां मैं हिंसा के पक्ष में राय दूंगा।

मेरे अहिंसा धर्म में खतरे के वक्त अजीजो को मुसीबत में छोड़कर भाग खड़े होने के लिए कोई जगह नही।

गांधी जी के जीवन काल में उनके पास आये कुछ पत्रों में कुछ हिसां का सवाल किये गये थे, जिनका उत्तर गांधी जी ने कुछ इस प्रकार दिया–" इस पत्र प्रेषकों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। मेरा बस चले तो हत्या या चीड़–फाड़ के लिए मैं एक भी बंदर को बाहर न जाने दूं। मै अपनी यह इच्छा जाहिर कर दूं कि इस तरह की चीड़ फाड़ से हम मनुष्य जाति की पीड़ा को कम कर सकते हैं, तो भी निम्न श्रेणी के प्राणियों पर ऐसा अत्याचार करना सरासर अन्याय है।"[11]

निष्कर्ष

गांधी दर्शन (विचार) वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में आज भी उतने ही प्रसांगिक हैं इसमें कोई संदेह नहीं। वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निरंतर बलात्कार, शारीरिक एवं मानसिक हिंसा की शिकार महिलाएं एवं बच्चियां मानो आज भी पुकार रही हों, कहां हो गांधी, हाल ही में हुए उन्नाव बलात्कार घटना, बरेली की एल.एल.एम. की छात्रा के साथ हुए बलात्कार की घटना इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। आर्थिक मंदी की आहट गांधी के आर्थिक विचारों का स्मरण कराती हैं। दलितों, पिछड़ों के साथ हो रही शोषित घटनाएं गांधी के इन वर्गों के लिए किए गये प्रयासों की सार्थकता को अनुभव करा रही हैं। दिनों दिन हो रही हिंसक, क्रुर घटनाएं : हत्या, लूट, डकैती, छिनौती आदि आज गांधी के नैतिक विचारों को पुकार रही हैं। बढ़ती नशाखोरी, झूठ, धर्म का राजनीतिकरण गांधी जी के मूल्यपरख, नशा उन्मूलन, अहिंसा एवं मानव साध्य संबंधी विचारों की महती आवश्यकता को महसूस करा रहे हैं। अतः ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ह्यस से परिपूर्ण वर्तमान परिपेक्ष्य में गांधी दर्शन (विचारों) विशेषतः उनके सत्य एवं अहिंसा संबंधी विचार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक पतन एवं चिन्ताओं रूपी बीमारियों की एनेसिया (उपचार) सिद्ध हो सकते हैं।

इस प्रकार गांधी जी ने विभिन्न संदर्भों में नैतिक विकास को आधार बनाया यही कारण है कि इन्हें मूलतः धार्मिक संत के रूप में स्वीकार किया जाता है।

संदर्भ–संकेत

1. माचवे, डा. प्रभाकर : गांधी जी, के आश्रम में, 1991 एन.सी.ई. आर.टी., पृष्ठ 39–40
2. बंदोपाध्याय, अनुः बहुरूप गांधी, 1971 एन.सी.ई. आर.टी.पृष्ठ 6–7
3. धवन, जी. एनः दि पोली टिकल फिलॉसफी आफ महात्मा, पृष्ठ 322
4. सोशल एवं पोलीटिकल थॉट ऑफ गॉधी, पृष्ठ 20–21
5. पाठक राममूर्ति : सामाजिक राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा, 2004, अभिमन्यु प्रकाशन, इलाहाबाद पृ. 403
6. प्रसाद, डा. राजेन्द्रः गांधी जी की देश, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 2009, पृष्ठ 116
7. यंग इंडिया, 04.11.1926
8. हिन्दी नवजीवन, 15.10.1924
9. यंग इंडिया, 11.08.1920
10. हिन्दी नवजीवन, 01.09.1924
11. हरिजन सेवक, 18 सितंबर 1937

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

अवधी साहित्य में राम का सांस्कृतिक परिवेश

❐ डॉ. ऊषा तिवारी*
❐ डॉ. आशुतोष कुमार द्विवेदी**

प्रस्तावना–

संस्कृत साहित्य में रामकथा को आधार बनाकर नाटक व महाकाव्यों की रचना व्यापक रूप से हुई है। इस सृजन परंपरा में वाल्मीकि रामायण से अलग हटकर श्रृंगार सम्बन्धित ग्रन्थों का चित्रण किया गया है। भारतीय संस्कृति में रामायण अवधी भाषा में तो लिखा ही गया एवं इस भाषा की सर्वप्रथम लोकप्रियता भी हिन्दी साहित्य के धरातल पर तुलसीदास की यह रचना संस्कृति परिवेश एवं परम्परा में मेरूदण्ड के रूप में प्रतिष्ठित हुई। वैदिक काल के बाद सम्भवतः छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा रामकथा–विषयक गथाओं की सृष्टि होने लगी। भारतीय सांस्कृतिक परिवेश समाज को सर्वप्रथम राम के चरित्र के माध्यम से आदर्शवादिता का परिचय समाज को देने में सफल हुआ है। साहित्य स्वयं अपने आपमें सम्पूर्ण रूप में भारत का संस्कृति एवं महापुरूषों का त्याग तथा बलिदान की विशिष्टता को जन–मन–गण की सरस गंगा से सारे जग को अप्लावित किया है।

आधुनिकता के अभिलक्षणों में एक अभिलक्षण यह घोषित हुआ कि मनुष्य की महत्ता को केंन्द्र में रखकर ही आधुनिकता है। उसको दिव्यता के आतंक से मुक्त करना चाहिए। और इस प्रकार 'मानववाद' नाम का एक नया शब्द दर्शन चर्चा में आया। वैसे मनुष्य को केन्द्र में रखने की बात प्राचीन यूरोपीय संस्कृतियों में प्रतिष्ठित हुई थी। मनुष्य ही मापदंड है सभी गुणों को; पर जिस आवेग से मानववाद की चर्चा पिछले सौ–सवा सौ वर्षों से शुरू हुई, वह आवेग पहले वहाँ भी नहीं था। यह जरूर था कि पहले कहीं देवता तत्त्व मनुष्य से संवाद स्थापित कर रहा था। और कहीं पंचमहाभूत 'छिति जल पावक गगन समीरा' मनुष्य से संवाद स्थापित कर रहे थे या कहीं निराकार शक्ति मनुष्य को आदेश दे रही थी। आधुनिकता के नाम पर मनुष्य इन सब संवादों से मुक्त हो गया और निरपेक्ष रूप में सृष्टि का तिलक बनकर प्रतिष्ठापित हुआ। जब हम अपने देश की परंपरा के संदर्भ में सोचते हैं तो यहाँ दूसरी बात पाते हैं। यहाँ देव शाक्तियों और मनुष्यों में केवल संवादहीनहीं, परस्पर सहयोग भी है। केवल ईश्वर को रचा। मानवीय सृष्टि इतर सृष्टि की पूरक है तथा सृष्टि की रक्षक है, क्योंकि मानव का संबंध ही मनन करने वाले ईश्वर से है। यह मनन जीवमात्र में है। व्याप्त सहजता बोध (इंस्टिंक्ट) प्राक्रिया से अलग है। इसलिए मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न है, श्रेष्ठतर भी है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह केंन्द्र में है। मनुष्य उनका अपेक्षी है और वे मनुष्य के अपेक्षी हैं। इसी का बीज रूप प्रकृति और करना दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। पुरूष हैं। पुरूष के देखने मात्र से प्रकृति सक्रिय हो जाती है। देवता इन दोनों प्रकार की शक्तियों के अधिष्ठाता होते हैं। मनुष्य और देवता मिलकर के ही सृष्टि के विधायक होते हैं; बल्कि समग्रता की दृष्टि से मनुष्य, देवता और असुर तीनों मिलकर सृष्टि के विधायक

* शासकीय महाविद्यालय घोड़ा डोगरी, बैतूल (म.प्र.), मो. 9425684943, ई–मेल : ushamanish72@gmail.com

होते है। मनुष्य में राग तत्त्व प्रधान होता है, देवता में प्रकाश तत्व प्रधान होता है। और असुर में तम। रामरचरितमानस में देवता और असुर एक–दूसरे के विरोधी है; पर ये दोनों स्वाभाव एक दूसरे की सपेक्षता में ही समझ में आते हैं। प्रकाशतम या अंधकार के साथ संवाद में ही अर्थ पाता है। उसी तरह से अंधकार भी प्रकाश की अपेक्षा बिना चाहे वह कितना भी कम प्रकाश कम क्यों न हो प्रतीत नहीं होता मुनष्य के भीतर प्रकाश भी है, अंधकार भी हैं और एक तीसरा गुण है–राग। इस राग के कारण उसमें वस्तुओं के प्रतिममत्व होता है। यह ममत्व और जगह नहीं होता। होता भी है तो बहुत कम होता है। इसी ममत्व को मनुष्य का भाव कहा जाता है। सबको अपनाने का भाव ही मनुष्य का परमभाव है। इसी भाव के कारण परस्परविरुद्ध दिखाने वाली सृष्टि भी कहीं–न–कहीं किसी ताल लय में मिली दिखती है। भारतीय आर्यभाषाओं में 'अवधी' का महत्वपूर्ण स्थान है यह भाषा उत्तर भारत में बोले जाने वाले भारतीय आर्यवर्ग की पूर्वी हिन्दी शाखा की प्रमुख बोली है। भारत में आर्यभाषा के प्रारम्भ का काल सुनिश्चित कर पाना असम्भव है। भारत में आर्यों के आने के पश्चात से भारतीय आर्यभाषा का इतिहास प्रारम्भ होता है। उल्लेख्य है कि यहाँ 'भारतीय' में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, बाँगलादेश तथा श्रीलंका भी है, वर्मा, अफगानिस्तान, ईरान, जावा, सुमात्रा भी है। अवधीभाषा का मान तब और अधिक बढ़ जाता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जीवन कथा को इस भाषा में रचकर इसे देवतुल्य बना दिया है प्रचीनता के आधार पर यह लगभग डेढ़ हजार साल पुरानी भाषा है वैसे भी भारतीय आर्यभाषा का युग वास्तव में संस्कृत भाषा का युग रहा है। प्राचीन भारतीय आर्यभाषा का युग वास्तव में संस्कृत भाषा का युग है। भारतीय आर्यभाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संहिताओं में मिलता है। इनमें रूपाधिक्य है। उन्नीसवीं सदी के पुनर्जागरण से पूर्व के सौ सालों का हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्यता अवधी का इतिहास रहा है। श्रीराम सगुण या निर्गुण ब्रम्ह अवतार, विश्वास चराचर त्यक्त जगत या मूल्यों की समष्टि के प्रति समर्पित सेवा प्रधान, परहित निरत, आधि–व्याधि–उपाधि रहित जीवन, मन, वाणी और कर्म की एकता, उदार, परम सहिष्णु, सत्यनिष्ठ, समन्वयी दुष्टि, अन्याय के प्रतिरोध हेतु वज्र कठोर प्रेम, करूणा के लिए कुसुम कोमल चित्त, गिरे हुए हो उठाने और बढ़ाने की प्रेरणा भोग की अपेक्षा तप को प्रधानता देने वाला विवेक पूर्ण संयत आचरण दारिद्रय मुक्त, सुखी, सुशिक्षित, समृद्ध समता युक्त समाज, साधुमत और लोकमत का समादर करने वाला प्रजा हितैषी शासन संक्षेप में यही आदर्श प्रस्तुत किया है–तुलसी की 'मंगलकरनि, कलिमलहरनि' वाणी ने रामचरितमानस को सम्पूर्ण लोकमंगल की दृष्टि से अद्वितीय स्वरूप प्रस्तुत किया है। अवधी भाषा जितनी भाषायी दृष्टि से कोमल एवं भावपूर्ण है उतनी ही तुलसीदास द्वारा लिखित मानसकथा ने इसे पवित्र और अनेक ग्रन्थों रचने योग्य बना दिया है। रामकथा भारतीय जनमानस में गहराई तक रची–बसी है। ''रामकथा कि इसी सर्वव्यापी लोकप्रियता से आकृष्ट होकर वर्तमान युग के अनेक प्रसिद्ध नर्तकों ने इसे नृत्य–नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम उदय शंकर ने इसे छायानाट्य के रूप में संरचना कर विश्वभर में प्रदर्शित किया। फिर 1950 ईस्वी सन् में प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित उदय शंकर के ही दो प्रभावशाली शिष्यों, श्री सचिन शंकर व श्री नरेन्द्र शर्मा ने नृत्य नाटिका के रूप में रामलीला की सम्मोहक प्रस्तुति की'' तुलसीदासजी ने रामराज अथवा कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया है। यह धर्म का राज्य है न्याय का राज्य है, कर्त्तव्य पालन का राज्य है। रामभक्ति साहित्य से भारतीय संस्कृति का समष्टिगत रूप परिलक्षित है। समस्त सृष्टि में व्याप्त राम युग–युग से जनता की अस्था है। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस इतना लोकप्रिय है कि भारत की विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में नहीं, विश्वसाहित्य का भी अभिन्न अंग बना फलस्वरूप रामकथा पर आधारित विशाल साहित्य हमारे सामने आया। रामकथा के सभी पात्र भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को महिमा प्रधान करते

दिखाई देते हैं। विशेष रूप से नारी पात्र अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं।

भक्त कवि कभी उन्हें भारतीय मूल्यों के प्रति असीम आस्थावान, त्याग की प्रतिमूर्ति, आदर्शपतिव्रता, विवेकवान, समपर्णशील, कर्तव्यपरायण व युग–धर्म की रक्षिका, समय आने पर अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध करने वाली के रूप में परिभाषित करते है तो कभी वे नारी को साधना मार्ग में बाधक के रूप में देखते हैं।'' कहानी, निबन्ध, उपन्यास, यात्रा–वृत्तान्त, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, डायरी, रिपोतार्ज आदि तमाम गद्य विधाओं में अवधी का नाममात्र योगदान है। एक तरह से कहा जाए तो अवधी मे गद्य विधाओं का अकाल है। वहां पर अवधी कहानी की बात शुरू करने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि अवधी में लोककथाओं की एक समृद्ध परंपरा है। पौराणिक ग्रंथों, महाकव्यों और जनश्रुतियों से उपजी ये कहानियाँ वाचिक परम्परा की है। आधुनिक संदर्भो में जीवन के यथार्थ से संपृक्त जिस तरह की कहानियों की नींव खड़ी बोली में मुंशी प्रेमचंद्र ने डाली थी, वैसी कहानियों का अवधी में सर्वथा अभाव है, यह कहना तो उचित न होगा किंतु इतना अवश्य है कि अब भी आधुनिक अवधी कहानी अपने शैशव अवस्था में है, अवधी कहानी को शिल्प और कथ्य की दृष्टि से अभी लाम्बा रास्ता तय करना है। वास्तव में येंमानवमूल्य हैजोमानवव्यवहार के शुद्ध निर्धारक हैं इनका संबंध आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रेरणाओं तथा आकांक्षाओं से होता है। यही मूल्य आस्थाओं और सामाजिक मर्यादाओं पर आधारित आचरण के सिद्धांत हैं। जब हम अपने आचरण और व्यवहार को समाज के नीतिगत दायरे में लाते हैं तो हमारे मूल्य नैतिक बन जाते हैं। जो जीवन के आधारभूत मूल्यों के समकक्ष होते हैं। ये मानवीय व्यवहार की उदारता, श्रेष्ठ विचारों, अध्यात्म धर्म व दर्शन की ऐसी आचरण संहिता एवं सद्गुणों का समूह होते है। जिनसे व्यक्तिअपना जीवन सार्थक, अनुकरणीय व स्मरणीय बना सकता है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का आधारहमारीनैतिकता एवं आध्यमिकता रही है वैदिक काल में शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक रूप ही सत्य होते हैं। जीवन की शुद्ध क्रियायें धर्म कहलाती है, धर्म में शांति, प्रेम अहिंसा समाहित होते हैं। ये पाँच तत्व सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा मानव मूल्य माने जाते हैं।

''राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है।
कोई कवि न बन जाये सहज सम्भाव्य है।।''[3]

राम का चरित्र भारतीय समाज में सहयोगी, संरक्षक व मार्गदर्शन बनकर उपस्थिति हुआ। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश व अनेक भारतीय भाषाओं का प्रथम महाकाव्य राम के जीवन पर ही आधारित रहा है। वाल्मिकी 'रामायण' समस्तरामकाव्यों का उद्गम स्त्रोत है। संस्कृत में कालिदास कृत 'रघुवंश' में दशवें से चंद्र है स्वर्ग तक रामकथा वर्णित है। भगवान श्रीराम समग्र भारतीय संस्कृत के प्रतीक पुरूष है। यदि हमारी भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं अवधी भाषा की साहित्यिक उपयोगिता तथा रामचरितमानस का अवधी में लिखे जाने का तात्पर्य यही माना जा सकता है कि तुलसीदास को अपनी क्षेत्रीय बोली पर ही एक अद्वितीय रचना को कलमबद्ध करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है।'' अवधी का सामान्य अर्थ है अवध का अथवा अवध विषयक, परन्तु भाषा या साहित्य के संदर्भ में प्रयुक्त होने पर 'अवधी' शब्द अवध प्रदेश के अन्तर्गत बोली जाने वाली विभाषा का बोध कराता है। अवध शब्द अयोध्या या कोसल के लिए व्यवहृत होता रहा है। अतः अयोध्या को अवध तथा उसकी बोली को अवधी कहा जाने लगा। अवधी शब्द से ऐसा बोध होता है कि यह मात्र अवध की बोली है, पर यह अवध के क्षेत्र में सीमित नहीं है। यह अवध के बाहर भी बोली जाती है।''[4] भारतीय श्रीराम समग्र भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरूष हैं। यदि हमारी भारतीय संस्कृति चेतना स्वरूप श्रीरामकथा को देखा जाये तो यह ईसा पूर्व पाँचवी शताब्दी में जन्म लेकर वर्तमान आजतक निरन्तर हमारी भारतीय संस्कृति के साथ–साथ विश्व की विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं इत्यादि में देखने को मिलती है। परन्तु किसी को भी सटीक जानकारी नहीं है। कि

महर्षि वाल्मीकि किस कालावधि में गए तथा भगवान श्रीरामजी के कालावधि में भी मत–मतान्तर है। कुछ साहित्यक विद्वान ऐसा मानते है कि महर्षि वाल्मीकि जी से पूर्व भी 'रामकथा' का गान होता रहा है और वह कथा श्रुति परम्परा के रूप में प्रचलित थी और वाल्मीकि जी ने उन्हें केवल कण्ठस्थ करने का ही कार्य किया है। ऐसी मान्यताओं के सन्दर्भ में हम कभी परिशुद्ध सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाएँगें। किन्तु हाँ 'रामायण' के सर्वप्रथम रचियता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ही थे ऐसी हमारी अवधारणा आज भी है और हमेशा निरन्तर बनी भी रहेगी।''[5] रामचरित्र को कथावस्तु का आधार मानकर संस्कृत भाषा से लेकर सभी भारतीय भाषाओं में ग्रन्थ रचे गये है, परन्तु किसी–न–किसी अलग उद्देश्य और वैशिष्ट्य का दर्शन प्रत्येक ग्रन्थों में हो जाता है। यही उस ग्रन्थ की मौलिकता है। इसी अलग विशेषता के लिए वो ग्रन्थ भविष्य में याद किया जाता है। राम को कथानायक बनाकर आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य के पूर्व ही अधिकांश रचनाएँ हुई है परन्तु इस काल में भी अवश्य ही हुई है, उन्हीं में से निरालाजी की लम्बी कविताओं में से एक 'राम की भक्ति पूजा हैं' यह किसी महाकाव्य की भाँति विशाल ग्रन्थ न होने के बावजूद महाकाव्यात्मक प्रसिद्धि पाने में सफल रचना है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कविता की रचना के 80 वर्ष के बाद भी यह निरंतर समीक्षा के केन्द्र में बनी हुई है। अवधी पूर्वी हिन्दी की प्रतिनिधि बोली है। अयोध्या को औध या अवध तथा उसकी बोली को अवधी कहा जाने लगा। इसको कोसली, पूर्वी तथा बैसवारी नाम भी दिए गए हैं किन्तु अवधी को अपेक्षा अन्य नाम अति व्याप्ति दोष से युक्त हैं। पूर्वी से बिहारी हिन्दी का भी बोध होता है। इसी प्रकार बैसवारी अवधी की एक क्षेत्रीय बोली है। कोसल की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट न होने के कारण यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। अवधी का अर्द्ध मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। श्रीरामचरितमानस भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध एक ऐसा महाकाव्य है जो मानव मूल्य की रक्षा के रूप में जाना जाता है। यह ग्रन्थ 16वीं सदी में 'गोस्वामी तुलसीदासजी' द्वारा अवधी भाषा में रचा गया एक महाकाव्य है। यह रामायण जनमानस में लोकप्रिय है, क्योंकि यह रामायण अवधी भाषा में लिखी गई है जो अत्यंत सरल और सरस है।

संदर्भ–सूची

1. डॉ. लक्ष्मीनारायण गर्ग, कथक नृत्य शिक्षा, पृ. 672, संगीत कार्यलय हाथरस
2. आजकल (पत्रिका) जुलाई 2014 पृ. 40
3. विश्वभाषा साहित्य और रामकथा, डॉ. सरोज गुप्ता, अनुज्ञा बुक्स पब्लिकेशन, प्रथम संस्करण–1916 पृ. सं. 83, 191
4. अवधी का रूप ग्रामिक अध्ययन पृ. 39 डॉ. नमिता श्रीवास्तव, विकास प्रकाशन कानपुर प्रथम संस्करण 1578
5. अवधी भाषा साहित्य का सांस्कृतिक परिवेश, पृ. 136, डॉ. गुणमाला खिमेसरा, अमन प्रकाशन, प्र. सं. 2009

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

''वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति''

❒ अनामिका पाण्डेय*

शोध सारांश

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की विदेश नीति के निर्माताओं के समक्ष सम्राट अशोक के आदर्श व प्राचीन विद्वान् कौटिल्य का दर्शन उपलब्ध था।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरु ने सम्राट अशोक के पदचिह्नों पर चलने का निश्चय किया तथा गुटनिरपेक्षता को अपनी विदेश नीति में महत्त्वपूर्ण स्थान देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान जैसे मूल्यों को संविधान में शामिल किया किन्तु पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति में परिवर्तन हुये। भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत से बाहर निकलकर अपने हितों को देखते हुये दुनिया के सभी देशों के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत बना रहा है। वर्तमान में विश्व के सभी मंचों पर वह अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। अधिकांश बहुपक्षीय संस्थानों में उसकी उपस्थिति मजबूत हो रही है।

मुख्य शब्द : विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता, कश्मीर समस्या, आतंकवाद, डोकलाम तथा गलवान विवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ।

शोध प्रविधि–

प्रस्तुत शोधपत्र में आँकड़े द्वितीयक स्रोत से लिये गये हैं। इस शोध में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वर्तमान परिस्थितियों पर भी तक्र प्रस्तुत किया गया है। इस शोध प्रविधि में ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। शोध सामग्री प्रचलित पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है।

प्रस्तावना–

वैश्वीकरण व भूमण्डलीकरण के इस युग में व्यापारिक दृष्टिकोण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्भरता का पक्ष प्रबल होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने व अपने पक्ष के अनुरूप करने के लिये ही हर देश को नीति निर्धारित करनी पड़ती है जिसे हम विदेश नीति कहते हैं। जे0 बंधोपाध्याय ने विदेश नीति को परिभाषित करते हुये कहा है– "विदेश नीति का निर्धारण मूल रूप से किसी राष्ट्रीय राज्य द्वारा अपने साध्य एवं साधन का चयन करने की व्यवस्थायें हैं।" विदेश नीति मूलरूप से दो तत्वों पर आधारित होती है। वे ऐसे राष्ट्रीय उद्देश्य हैं जिन्हें कोई भी राज्य प्राप्त करना चाहता है और उन्हें प्राप्त करने के साधन भी[2]

* शोध छात्रा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश रिसर्च स्कॉलर इन पॉलिटिकल साइंस
Email : anamikatripathi1430@gmail.com

सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के साधनों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध राज्यशास्त्र का सनातन विषय है। मूलरूप से सभी छोटे–बड़े राज्यों का आधार एक ही होता है।

अतः हम कह सकते हैं कि विदेश नीति सोच–समझकर निश्चित किये गये उपाय एवं कार्य है, जो कि विदेश सम्बन्धों के उद्देश्यों को राष्ट्रीय हित के विचारधारा के अनुसार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

नेहरू काल में भारत की विदेश नीति– भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 नेहरू ने एक शिल्पी की भाँति भारतीय विदेश नीति का निर्माण एवं संचालन किया। गुटनिरपेक्षता को उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुये विदेश नीति का अंग बना लिया। नेहरू जी ने भारतीय विदेश में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पंचशील, साम्राज्यवाद एवं रंगभेद विरोध तथा संयुक्त का समर्थन और उसके उद्देश्यों में सहयोग किया। भारत ने निःशस्त्रीकरण की अपील कर अपनी एक विश्वव्यापी पहचान दी। किन्तु पड़ोसी देशों के सन्दर्भ में भारत का चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिसमें वह पाकिस्तान से तो जी गया किन्तु चीन से हार का सामना करना पड़ा।

श्री लालबहादुर शास्त्री (1964–1966) ने अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान अपने पड़ोसी देशों से सम्बन्ध मधुर बनाने की पहल की, परन्तु शास्त्री जी को राजनीति के क्षेत्र में नया समझकर पाकिस्तान ने भारत से 1965 मेंयुद्ध दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा तथा दोनों देशों के बीच स्थिति को सामान्य बनाने के लिए 'ताशकंद समझौता' किया गया।

इन्दिरा गाँधी के कार्यकाल (1966–77 तथा 1980–84) के दौरान विदेशी नीति में काफी बदलाव आये। लचीलापन, यथार्थ व आदर्श का समन्वय, राष्ट्रीय हितों पर बल, आर्थिक सहयोग का महत्व एवं विशेषज्ञों की भूमिका आदि उभरकर सामने आई इस दौरान भारतीय विदेश नीति थोड़ा आक्रामक भी रही, जिसमें भारत को कुछ महत्त्वपूर्ण सफलताएँ भी मिलीं जैसे– भारत–सोवियत संघ मैत्र सन्धि, शिमला समझौता तथा परमाणु विस्फोट।

जनता सरकार (1977–1979) मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान विदेश नीति के स्वरूप में निरंतरता को बरकरार रखा गया तथा पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान से मधुर सम्बन्ध बनाने के शांत प्रयास किए गए।[3]

राजीव गाँधी (1984–1989) के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान निःशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद, उन्मूलन, विकास तथा शंति की कूटनीति पर सबसे ज्यादा बल दिया गया।

क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से 'सार्क' का निर्माण किया गया जिसमें राजीव गाँधी की प्रमुख भूमिका रही। श्रीलंका में भारत द्वारा शांतिदूत भेजना भारत की विदेश नीति की असफलता का कारण माना जाता है।

विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार ने राजनीतिक नजरिए से कमजोर सरकारों द्वारा विदेश नीति के क्षेत्र में कोई बुनियादी फेरबदल नहीं किया गया।

पी0वी0 नरसिम्हा राव (1991–1996) के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान शीतयुद्ध की समाप्ति, अमेरिका की खाड़ी युद्ध में विजय तथा सोवियत संघ के विघटन ने विश्व व्यवस्था के स्वरूप को एक ध्रुवीय मोड़ दिया। विश्व परिदृश्यता में गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेतृत्वहीनता की हालत में पहुँच चुका था। भारत में आर्थिक स्थिति काफी गंभीर थी। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा विदेश नीति के संचालन का उत्तरदायित्व ले लिया गया। जी–15 के शिखर सम्मेलन के आयोजन में उत्तर–दक्षिण वार्ता पर जोर देने तथा सार्क के अधीन 'साप्टा समझौते' का सम्मेलन कराने, भारत के आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण कार्यक्रम में विदेशी पूंजी निवेश सुनिश्चित करने, सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के दावे को मजबूती देना तथा भारतीय विदेश नीति को नए परिवेश के हिसाब से लाने का प्रयास किया गया।

एच0डी0 देवेगोडा तथा इन्द्र कुमार गुजराल (1996–97) के कार्यकाल के दौरान गठबंधन की सरकार बनी, जो कुछ खास नहीं कर पाई। इन्द्र कुमार गुजराल ने पड़ोसी देशों के साथ पुराने विवादों को भूलकर सम्बन्ध सुधारने की पहल जरूर की।

अटल जी की सरकार (1998–2004) के दौरान 1998 में परमाणु परीक्षण किए गए, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग–थलग पड़ गया। विश्व के अधिकांश देशों में भारत के आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा सहायता अनुदान राशि पर प्रतिबंध लगा दिए गए। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी परमाणु परिक्षण करके भारत को खुली चुनौती दी। भारतीय विदेश नीति के जो मूल उद्देश्य थे उन्हें बिखरा हुआ मान लिया गया। रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मित्र देशों ने भारत की आलोचना की। वाजपेयी सरकार के सम्मुख पड़ोसी देशों से वापस मधुर सम्बन्ध बनाने के लिए कई चुनौतियां थीं। फिर भी वाजपेयी सरकार द्वारा विदेश नीति का पुर्नमूल्यांकन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्ध अच्छे बनाने का प्रयास किया गया जिसमें उनकी[4] सरकार को कामयाबी भी मिली तथा पाकिस्तान से भी सम्बन्धों में सुधार हुआ। पाकिस्तान द्वारा कारगिल युद्ध तथा 2001 में संसद पर हमले के दौरान पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध पुनः बिगड़ गए। पाकिस्तान के पहल करने पर भारत पुनः सम्बन्ध सुधारने के लिए आगे बढ़ा।

डॉ0 मनमोहन सिंह का कार्यकाल (2004–2014) मई 2004 में यू0पी0ए0 सरकार सत्ता में आई। डॉ0 मनमोहन सिंह ने भी वाजपेयी सरकार की तरह पड़ोसी मित्रों के साथ सम्बन्ध सुधारने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तथा पड़ोसी देशों विशेषकर पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के प्रयास किए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश तथा बराक ओबामा ने भारत की सफल यात्रा के साथ भारत के साथ मधुर सम्बन्ध बनाए।

मुम्बई में 2008 में आतंकी अटैक से भारत के पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में गहरी दरार आ गई, जिसके बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ते चले गए। डॉ0 मनमोहन सिंह के दस वर्ष के कार्यकाल ने अपने पड़ोसी देशों से अपने सम्बन्धों को नई दिशा प्रदान की।

नरेन्द्र मोदी की भारतीय विदेश नीति (2014 से अब तक) स्वतंत्रता प्राप्ति से 2014 तक भारत ने अधिकांश देशों से मित्रवत् सम्बन्ध बनाये तथा विश्व मंच पर हमेशा सक्रिय रहा। भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इजरायल के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत किया किन्तु चीन तथा पाकिस्तान से रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई समकक्षों को बुलाकर भारतीय विदेश नीति का स्पष्ट संकेत दिया। मोदी सरकार ने पड़ोस पहले का समर्थन किया। पाकिस्तान के द्विपक्षीय वार्ता के दौरान 26/11 के दोषियों को सजा दिलाने की बात की गई। बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता सम्बन्धी नीति निरंतरता के सबसे सकारात्मक प्रतिनिधि हैं इस दौरान तिस्ता नदी जल विवाद से दूरी बनाकर रखी गई तथा बांगलदेश के साथ चार बीघा कारीडोर की समस्या को हल कर लिया गया।

भारत को विश्वपटल पर समृद्ध बनाने के लिये विदेश यात्रायें की तथा पड़ोसी देशों, आसियान, साक्र देशों के साथ सम्बन्धों को मजबूती प्रदान की। भारत ने चीन के साथ डोकलाम विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया। पाकिस्तान के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहे, 2016 में किये गये 'एयर स्ट्राइक' ने दोनों देशों के रिश्तों को तल्ख कर दिया।[5]

नेपाल में आए भूकंप के बाद मोदी सरकार की मदद और समर्थन के बावजूद भी नेपाल ने मधेसी नाकाबंदी करके दोनों देशों के रिश्ते में दरार पैदा कर दी। पाकिस्तान के साथ 2008 के बाद रिश्ते बहुत खराब रहे। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, ब्लूचिस्तान का उल्लेख, कूलभूषण जाधव विवाद आदि ने भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब किए।

जापान के साथ भारत ने अवसंरचना सहयोग, परमाणु ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। भारत तथा चीन में शुरूआत में अच्छे रिश्ते रहे लेकिन मोदी के अधिकांश कार्यकाल में बीजिंग से मुकाबले की भावना बनी रही। चीन के साथ सम्बन्धों को सुधारने के लिये भारत ने वुहान में राष्ट्रपति शी जिन पिंग के साथ एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

2019 में पुनः एन0डी0ए0 सरकार की वापस आई। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष भारत की विदेश नीति चुनौतिपूर्ण रही। वैश्विक महामारी कोविड–19 से जहाँ पूरा विश्व जूझ रहा है। वहीं चीन तथा पाकिस्तान इस संकट की घड़ी में सीमाओं पर अतिक्रमण तथा सीमापार उल्लंघन कर भारत के लिये समस्या उत्पन्न कर रहा है। चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने भी नये नक्शे को अपनाकर भारत के साथ सीमा विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। पाकिस्तान ने साल के शुरूआत में पुलवामा अटैक कर भारत के साथ रिश्तों को और खराब कर दिया। भारत ने अनुच्छेद–370 की समाप्ति तथा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के बाद पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के रूख में परिवर्तन देखा जा सकता है। इतनी चुनौतियों के बावजूद भी भारत ने विदेश नीति के क्षेत्र में अपना पक्ष मजबूत किया है।

वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति को नई दिशा प्रदान की गई है– वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान भारत के विदेश मंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुये और वहाँ उन्होंने कहा कि महामारी से लड़ने के लिये 85 देशों को दवाओं तथा उपकरण मुहैया करवाये जा रहे हैं। भारत ने व्यापारिक स्तर पर अपनी मेडिकल कूटनीति का इस्तेमाल किया तथा कई खाड़ी देशों को हाइड्राक्सी क्लोरोक्वीन तथा पैरासिटामॉल दवाइयों को पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति कराने का प्रयास किया।

1. वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति पूर्व की अपेक्षा काफी सख्त हुई है।

2. वर्तमान विदेश नीति में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

3. भारत ने सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए आक्रामक नीति को अपनाया है।[6]

4. भारत की विदेश नीति में विचारों और कार्यवाही की साफ झलक दिखाई पड़ती है।

5. भारत ने वर्तमान विदेश नीति में रूस तथा अमेरिका के साथ संतुलन बनाकर रखा है।

6. भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए वैश्विक राजनीतिक परिवेश में औपचारिक समूह पर निर्भरताओं को सीमित कर रहा है।

यद्यपि यह भारत की विदेश नीति का स्वागत योग्य व सराहनीय कदम है लेकिन भारत को जटिल मुद्दों और नीतियों के लिए बारीक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर होने से भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता में कमी आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि सम्बन्धों में संतुलन बनाकर रखा जाय। भारत की विदेश नीति में घरेलू राजनीतिकरण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके कारण विदेश नीति का कोई भी फैसला लेते समय घरेलू कारणों पर दृष्टिगत होना पड़ता है जिसके कारण भारतीय विदेश नीति प्रभावित होती है।

निष्कर्ष–

अतः आज हम कह सकते हैं कि भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत से बाहर निकल चुका है और आज अपने हितों को देखते हुए विश्व के अन्य देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना रहा है। ज्ञात हो कि वर्तमान में भारत विश्व के लगभग सभी मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है और अधिकांश बहुपक्षीय संस्थानों में उसकी स्थिति मजबूत हो रही है।

विशेषज्ञों एवं राजनीतिज्ञ सलाहकारों का मानना है कि भविष्य में भारत की विदेश नीति इस बात पर निर्भर होगी की जी–20 और इण्डो–पैसेफिक क्षेत्र में वह किस प्रकार का योगदान करता है।[7]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

- दीक्षित जे0एन0, भारत की विदेश नीति और आतंकवाद, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2010
- जयापालन एन0, इण्डिया एण्ड हर नेबर्स, अटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटस, देहली, 2000
- झा. डी0सी0., इण्डो–पाक रिलेशंस, अमित प्रकाशन, पटना, 1972
- दीक्षित जे0एन0, भारत–पाक सम्बन्ध (युद्ध और शांति में), प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2003
- बुराहनुद्दीन मुमिन, भारत–पाक सम्बन्ध (आगरा शिखर वार्ता के परिप्रेक्ष्य में), बुका एनक्लेव प्रकाशन, जयपुर, 2002
- मिश्रा एस0के0, भारत की विदेश नीति, आर्थर प्रेस, नई दिल्ली, 2016
- वैदिक, वी0पी0, मोदी की विदेश नीति वैदिक की नजर में, डायमण्ड बुक्स, दिल्ली, 2017
- कुमार पी0, भारत की विदेश नीति, ओमेगा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2011
- बघेल बी0एस0, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति, कैटर पिल्लर पब्लिशर्स, दिल्ली, 2019
- कांत, आर0, प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक वार्षिकी 2020, वॉल्यूम–1
- सारस्वत, एम0, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, श्वेता मल्टीमीडिया, पिलानी, 2018
- जागरण वार्षिकी, 2020
- इण्डिया टुडे, नवम्बर, 2016
- नवभारत टाइम्स, लखनऊ, दिसम्बर, 2019
- दैनिक जागरण, लखनऊ, नवम्बर, 2017
- हिन्दुस्तान, लखनऊ, जून, 2020
- सण्डे नई दुनिया, नई दुनिया मीडिया प्रा0लि0, नई दिल्ली
- आउटलुक, मासिक पत्रिका
- राष्ट्रधर्म, मासिक पत्रिका

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

Gender based violence in Educational Institution : A Comprehensive Study

❒ Harshita Vijayvargiya*
❒ Sakshi Chouksey**
❒ Yash Singh Sisodiya***

ABSTRACT

Considered as one of the most prominent abuses of human rights, Gender-based violence is deeply rooted in social inequality. The focus of this research study was on analyzing the existence of Gender-based violence in Educational institutes. The paper specifically focuses on knowing the awareness among students related to Gender-based violence. Also, to know the factors that leads to it and to look into the practical suggestions that can be implemented to deal with it. Researchers using non-probability accidental sampling interviewed 58 students from teaching departments of a University. A pilot study has also been conducted on 10 respondents. Results point out that, Students face violence in the higher Educational Institutes as well. The frequency of experiencing violence is higher among girls than boys. Perpetrators are male and female teachers, seniors, classmates and students of other departments. It was observed that institutes do not have separate committees as mentioned by the UGC for the redressal of grievances of violence.

Keywords : Gender-based violence, Educational Institution, social inequality, Students Redressal Mechanism, UGC.

Introduction

Gender-based violence is a phenomenon deeply rooted in gender inequality. It remains one of the most prominent abuses of human rights across all societies. Gender-based violence is violence directed towards a female. Women as well as men experience gender-based violence but women and girls are the majority of the victims (EIGE, 2020). Globally one in three women have experienced physical or sexual violence in her lifetime (WHO, 2018).

Under Istanbul Convention, 2011 "violence against women" is comprehended as an infringement of human rights and a type of discrimination against women which include physical, sexual, psychological or economic suffering to women of such actions, whether in public or private life, shall be recognized as a violation of human rights and a form of discrimination against women (CETS, 2011). In a study conducted by WHO, it was found that schools and universities were highly vulnerable to GENDER-BASED VIOLENCE. However, this problem is not well addressed in educational institutions. (Addisu Shunu Beyene, 2019)After family the second place of socialization is "Educational Institute" where a

* School of Social Sciences, Devi Ahilya Vishwavidhyalaya, DAVV, Khandwa Road, Davv Takshila Parisar, Indore, Madhya Pradesh 452020, E-mail : Yashwardhan423@gmail.com, Hvijayvargiya0711@gmail.com

student learns everything and institution itself divides a child between genders and this in long run leads to GENDER-BASED VIOLENCE. (Jo-Anne, 2005)

Therefore school related gender based violence (SRGENDER-BASED VIOLENCE) is the starting point of violence execution that in later life can take serious form. SRGENDER-BASED VIOLENCE is complex in nature, the report said - Girls likewise commit violence and boys too experience GENDER-BASED VIOLENCE at school level. (Gohain, 2015)

GENDER-BASED VIOLENCE is not gender specific but cases experienced by women has increased enormously and gained the highlight also. "No human development goal can be achieved as long as women and girls continue to suffer from violence or live in fear of it". (Osotimehin, 2012)

GENDER-BASED VIOLENCE takes place worldwide irrespective of age, sex, gender, religion, class or caste. We have seen cases like Black life matters, JNU Violence, Rape and mob lynching, haveattracted everyone's attention. The research aims to find out that whether GENDER-BASED VIOLENCE exists in educational institutes, what causes it, and the perpetrators in most cases. Also, how one deal with it?

Cases of Rihan Malik, Delhi and JNU Violence led us to research further on the GENDER-BASED VIOLENCE topic with a focus on educational institutions. In 2015 the UGC issues the advisories to educational institutions to deal with gender-based violence and harassment on campuses and also suggest maintaining separate cell to address this issue. (University Grant comission, 2015)

Furthermore, recently there was an article published in (Correspondent, 2018) regarding increasing cases of sexual harassment and gender-based violence at Indian educational institutes. In the year 2016-17, 149 instances of harassment were reported from different colleges across India, up from 94 cases in the year 2015-16 which makes Gender based violence a grave concern of the hour. Therefore to probe deeply into these dimensions, this study was undertaken.

Specific objectives of the study

1. To identify the socio-economic background of the students.

2. To know the level of awareness among the students regarding gender-based violence in the educational institution.

3. To find out the Factors leading to gender-based violence in the educational institution.

4. To understand the coping mechanism adopted by students to deal with gender-based violence in the educational institution.

5. To suggest practical measures to deal with gender-based violence in the educational institutions.

LITERATURE REVIEW

(Beyene et al, 2019)Undertook meta-regression analysis to identify factors associated with GENDER-BASED VIOLENCE in educational institutes at sub-Saharan Africa study is important for comparison of data concerning GENDER-BASED VIOLENCE in Indian educational institutions. The review showed that gender-based violence altogether connected with the place of residence, seeing parental savagery, substance abuse, conjugal status, and educational status. Additionally, the cross-sectional survey used.

(Nagar, 2015)Analyze the roots of gender inequality in developing countries and identified factors that impose gender inequality also suggest some measures to promote the dignified position of women in Indian society.

(University of Kabul. Gender Studies Institute, 2010) is the most comprehensive study on the issue of GENDER-BASED VIOLENCE in the college campus and covers almost all in campus GENDER-BASED VIOLENCE analysis of three universities of Kabul and useful for the case and data comparison with Indian universities. The researcher took a convenient sample of both male and female from staff and collect data through interview and survey of three universities of Kabul. And provide findings such as lack of gender sensitivity and female more safe on campus rather outside and lack awareness regarding rights.

(Kulshrestha, 2017) in their descriptive research examine awareness level in the state as well as private institutions and provide analysis on basis of primary data collected from 430 respondents of ten private and state institutions selected through simple random sampling of law faculties and major findings was that awareness in private institutions are comparatively high but lacks clarity.

METHODOLOGY

The researchers for this study adopted the descriptive research design. Researchers adopted non-probability accidental sampling to draw a sample of 58 students from Devi Ahilya University's various teaching departments. For preparing and finalizing the interview schedule a pilot study on around 10 units of the study was undertaken prior to it. Using a structured interview schedule respondents were interviewed. Prior to Interview, permissions were taken from the respondents. For analyzing the responses, researchers codified the open ended as well as the close ended questions. Researchers used SPSS 2.0 for analyzing descriptive statistics specifically frequencies and trend analysis. The Major limitation of this research study is the outbreak of COVID-19 pandemic, due to which the sample size got restricted to 58.

ANALYSIS AND DISCUSSION

Table No.1 Socio-Economic Background

Table No.1 Socio-Economic Background				
S.No	Variable	Option	Frequency	Percentage
1	Age	(a)19-21 (b)22-24 (c)25-27 (d)More than 27	17 38 1 2	29.3 65.5 1.7 3.4
		Total	58	100.0
2	Gender	(a)Male (b)Female (c)Others	18 40 0	31 69 0.0
		Total	58	100.0
3	Course	(a)UG (b)PG	4 54	6.9 93.1
		Total	58	100.0
4	Religion	(a)Hindu (b)Muslim (c)Sikh (d)Others	55 1 0 1	94.8 1.7 0 1.7
		Total	58	100.0
5	Caste	(a)General (b)OBC (c)SC (d)ST	35 17 5 1	60.3 29.3 8.6 1.7
		Total	58	100.0

The data has been collected through the 58 Students. Data in the Table No.1 shows the social-economic background of the respondent. About 65% of the total respondents that means 38 respondents are of 22-24 years old. The majority of the students i.e. 93% are from PG degree and rest 7% are from UG degree. About, 55 respondents are from Hindu Religion, 1belongs to Muslim community and 1 belongs to Humanity. 35

respondents that means 60%, 17 respondents (29%), 5 respondents (9%) and 1 respondent(2%) selected General, OBC, SC and ST as their Caste respectively. Out of which 31% that means 18 are males and 40(69%) are females.

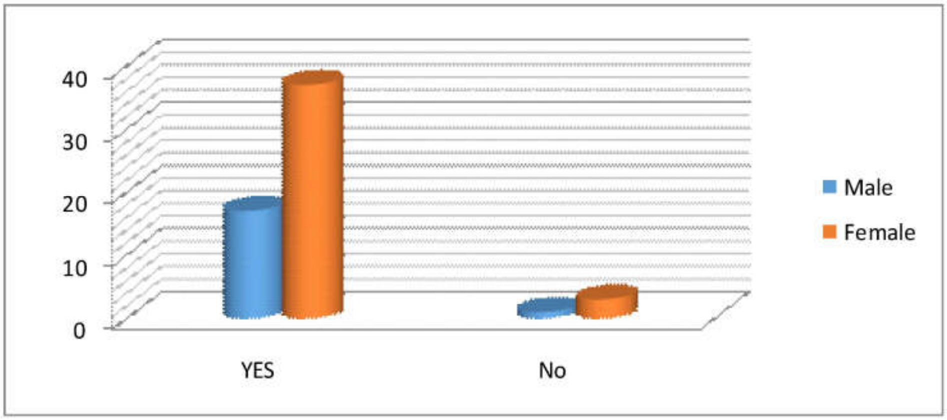

Figure 1.Shows the Awareness of Male and Female Regarding GBV

Figure1. Illustrates the awareness among students about Gender-Based violence and the data in the figure is showing that the awareness level of Females is higher than Males.There are 17 males and 37 females who responded "yes" as they know about Gender-Based violence. Out of 58 respondent 54 (93.1%) knows about GENDER-BASED VIOLENCE & 4(6.9%) do not know what is GENDER-BASED VIOLENCE.

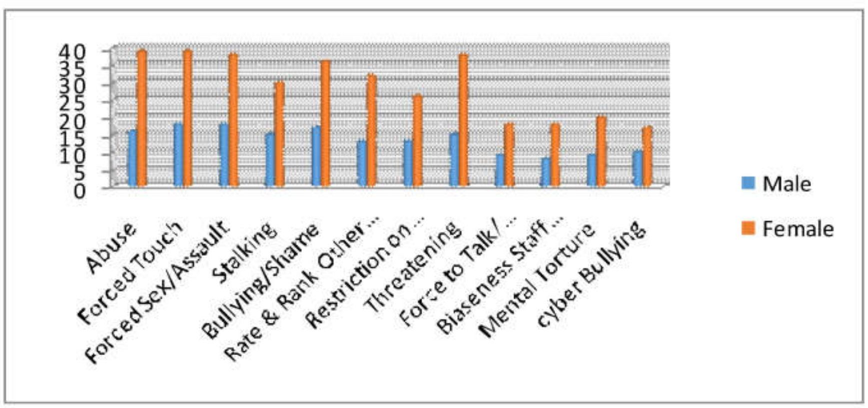

Figure2. Violence According to Males & Females

Generally people understand what violence is but they are unaware of some torture or mental or sexual harm that it also comes in the category of violence and it can be sued. The Figure2. Shows the responses of male and female respondent. As per Figure 2, 98% of the total respondent that is 57 respondents reacted to Forced Touch, out of which 18 are males and 39 are females. 96% that means 56 respondent reacted force sexèassault, out of which 18 are males & 38 are females. 55(94%) including girls and boys reacted Abuse. 53(91%) reacted bullying & shaming, out of which 17 are males & 36 are females and 53 respondents including 15 males & 38 females said threatening as Violence. This shows the respondent understanding about the term violence. 45(78%) reacted Stalking and Rating & Ranking as violence, 39(67%) reacted restriction on their moment, 29(50%) almost half respondent reacted mental torture as violence. 27(47%) reacted force to talkècreepy flirt and cyber bullying as violence.

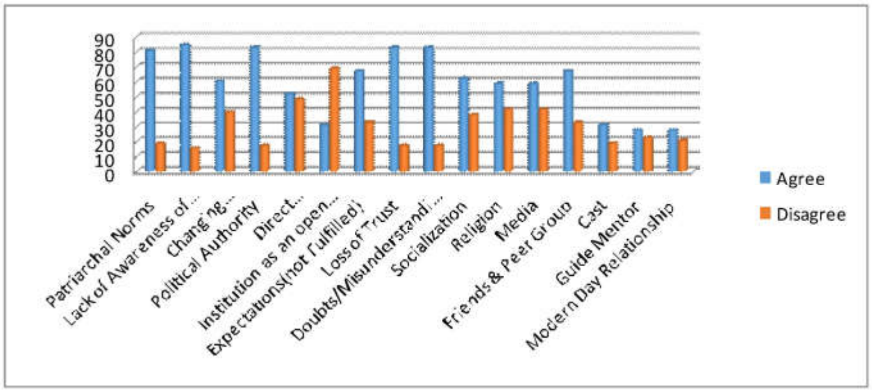

Figure 3. Causes of Gender Based Violence

As per Figure3, The major causes of GENDER-BASED VIOLENCE are lack of awareness of laws and rights according to the 49(85%) respondent. 83% are saying that Political authority, Doubts/Misunder-standing and loss of trust are also the causes of GENDER-BASED VIOLENCE. While 62%, 59% and 59% are saying Socialization, Religion and Media respectively as the GENDER-BASED VIOLENCE causes. 81% are saying Patriarchal norms are one of the main cause of GENDER-BASED VIOLENCE because it creates differentiation between the genders and make them unequal and that's what they carry ahead.

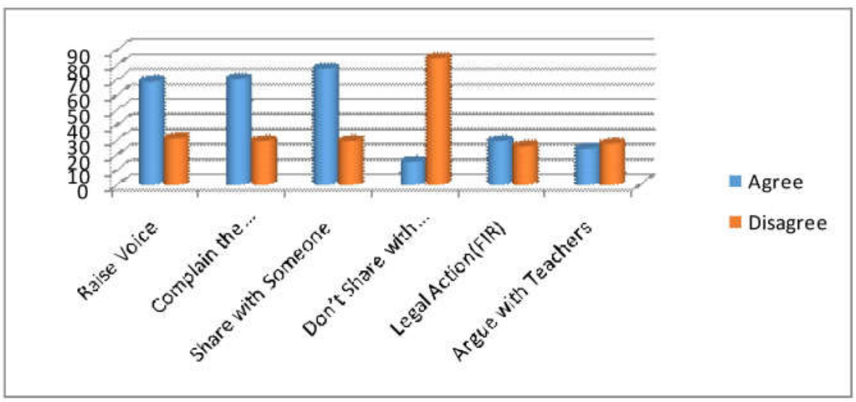

Figure 4. Copying Mechanism against violence

According to the Figure4, 45 respondents i.e., 78% choose that they share with someone either it be friends, parentsand teacher. 71% respondents are saying that they will complain the authority and 69% are saying that they will raise their voice as the first action against the violence. During the Interview Schedule, 81% denied from sharing such type of issues with their close relatives. Generally, because they beat around the bush.

SUGGESTIONS

Looking at the above discussion it becomes clear that lack of awareness is the main reason for denial in certain cases of gender-based violence. Also no proper mechanism to address such issues is found in the educational institutes. Fear and threats are also major reasons for hiding the cases. So some suggestions will help in solving these problems-

1. Awareness drives, campaigns and training should be made compulsory in each educational institute so that students become conscious of their rights as well as the subsequent action.

2. A proper redressal mechanism should be established at every educational institute to deal with such issues and to resolve them at the earliest.

3. Proper communication among teachers, responsible authorities and students should be facilitated to get acquainted with such budding issues and for their resolution at the earliest.

4. Students should be motivated to raise their voices against such issues, for which building a rapport and assigning a mentor to each student is essential.

5. More focused researches should be conducted in other institutes to know about its prevalence.

6. Like other curriculum these issues should be included in the syllabus for better understanding and coping.

CONCLUSION

The study consists of 58 students studying in different teaching departments of DAVV University. The paper focused on GENDER-BASED VIOLENCE in educational Institutes. And it has been found out in the interview that Institutes do not have separate committees as mentioned by the UGC for the redressal of grievances of violence. Students face violence in the higher Educational Institutes as well. The frequency of experiencing violence is higher among girls than boys. It has been recognized that students do not know that they are facing violence and they can take action against it. Students face humiliation also and there is no empowerment training program for the students. Students do not share such type of violence or incidents with their close relatives, their first preference are friends and then parents. Students said that the major causes of GENDER-BASED VIOLENCE are patriarchal norms of the patriarchal society, misuse of political authority, connections and lack of knowledge of laws and rights. Some has faced violence in the institutes and some are far from its reach.Since this issue is already global now and it needs an urgent attention in our surroundings also. These types of researches are necessary to know about its other dimensions.

REFERENCES

AddisuShunuBeyene, C. C. (2019). Gender-based violence among female youths in educational institutions of Sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. Springer.

Aligi, S. (2018). Incidents of Sexual Harassment at Educational Institutions in India: Preventive Measures and Grievance Handling. Asian Review of Social Sciences.

Beyene et al, 2. (2019). Gender-based violence among female youths in educational institutions of Sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. Systematic reviews journal.

CETS. (2011). Council of Europe Convention on preventing and combating violence against. Instanbul: Council of Europe.

changingourcampus.org. (2015). ADDRESSING GENDER-BASED VIOLENCE ON COLLEGE CAMPUSES: Office on Violence against Women, U.S. Department,and pp. 8-9.

Correspondent, H. A. (2018, march 6). Dnaindia.com. Retrieved july 17, 2020, from DNA: https://www.dnaindia.com/node/2591129%20 (rationale%20)

EIGE. (2020). what is Gender Based Violence. Retrieved from EIGEEquality, European Institute for Gender: https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence

Gohain, M. P. (2015). Gender-based violence prevents millions of school children f. New Delhi: The Times of India.

Jain, P. R. (2019, 10 25). UGC. Retrieved 07 20, 2020, from www.ugc.ac.in: https://www. ugc.ac.in/ pdfnews/9249048_UGC-letter-reg-Women-Safety.pdf

Jo-Anne, S. (2005). Masculinity and School Violence:Addressing the Role of Male Gender Socialization. Canadian Journal of Counselling è Revue canadienne de counseling, 55.

Kulshrestha, A. a. (2017). Sexual Harassment in Educational Institutions in Delhi NCR (India): Level of Awareness, Perception and Experience. Sexuality & Culture 22.

Nagar, J. a. (2015). A Study of Gender Inequality in India. The International Journal of Indian Psychology.

Osotimehin, D. B. (2012). UNFPA. UNFPA.

Preventing and Responding to Gender-Based Violence: Expressions & Strategies. (2015). SIDA, 6.

Saheab, R. a. (2012). Sexual Harassment against Women at Educational institutions. International Journal of Science and Research (IJSR).

University Grant commission, M. (2015, august 10). UGC issues advisories to educational institutions to deal with gender based violence and harassment on campuses. Press information bureau.

University of Kabul. Gender Studies Institute. (2010). Gender based violence: a study of three universities in Afghanistan. Kabul: Asia-Pacific Region UNESCO publications, 2010.

WHO (2018). Violence against women. WHO.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

''युवा पीढ़ी : नशे की लत में भविष्य''

❐ नीता कुमारी*

शोध सारांश

आधुनिकता ने जहाँ एक ओर चकाचौंध सुनहरी जिंदगी दी है। वही दूसरी ओर विवशता, संत्राश, अकेलापन मानव मूल्य का विघटन भी दिया है। आज नसाखोरी की समस्या एक आम समस्या बन गई है जिसका कोई अंत नही है। स्वतंत्र्योत्तर भारतीय समाज में हमनें जहाँ विकास और प्रगति की कई मंजिलें तय की है वही अनेक बीमारियां भी अर्जित की है। अनेक सामाजिक आर्थिक कारणों से हम ऐसी कुछ बीमारियों से घिरे है। जिनका कोई सिरा पकड़ में नही आता। युवाओं में बढ़ती नशे और ड्रग्स की लत एक ऐसी ही बीमारी है। भारत एक युवाओं का देश है कहा जा रहा है कि युवाओं के दम पर दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाई जा सकती है। लेकिन जिस युवा पीढ़ी को देख कर अंदाजा लगाया जा रहा है वह ठीक नही है क्योंकि वह युवा बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करने को विवश है वह युवा आज डिग्रियां लेकर सड़कों पर भटकने को मजबूर है।

युवा आज दिन–पर–दिन नशे के गिरफ्त मे आ रहा है युवा तो युवा बच्चे भी नशे के शिकार हो रहे है। बीड़ी से लेकर शराब तक छोटा हो या बड़ा नशा हो – देश को अन्दर से खोखला कर रहा है। एक तरफ समाज की रग–रग मे तनाव, घुटन, कण्ठा, और असंतोष फैला है। युवाओं को हर तरफ अंधी और अवरूद्ध गलियां नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ लगातार खुलते बाजार की चकाचौध से मध्य और निम्न मध्य और निम्न मध्यवर्ग का आधार स्तब्ध है। नतीजा भटकाव और विकृति नशे के लिये व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, नशे के व्यापारी जिम्मेंदार है या हमारी सामाजिक, आर्थिक वास्तविकताएँ कहना कठिन है। बदलते माहौल ने युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेलने में खूब मदद की है। वैसे युवा पीढ़ी में नशे की शरूआत फैशन और स्टाइल से शुरू होती है। और धीरे–धीरे युवा इसका गुलाम बनता चला जाता है। पता ही नही चलता उन्हे नशे में तत्कालीन आनंद प्राप्त होता है। उसमें वे मस्त रहते है। इसी तरह पढ़ने वाले युवक एवं युवतियाँ जो सामान्य गरीब परिवारों से होते है, तनाव, बेरोजगारी, पैसे की कमी या फिर जीवन में आनन्द उठाने के लिये नशे का इस्तेमाल करते है। ये क्या लेते है नशे में – तंबाकू नशे के रूप में, नीद की दवाइयाँ जैसे नाइटरसिट, एलेप्रेस्कस, काम्पोज, विभिन्न सीरप में खासी की दवाइयां वेनाड्रिल आदि दवाइयां जिन्हे असंतुलित मात्रा में ग्रहण कर मस्त हो जाते है। जिससे इनका तनाव कम होता है।

* शोधार्थी, हिन्दी विभाग, ए.पी.एस.यू. रीवा (म.प्र.), फोन : 9630716237, Email-neetasingh072016@gmail.com

और चिंता आदि से मुक्ति मिल जाती है। बाद मे यही आदत का रूप ले लेती है। इसके अलावा नशे के पदार्थ में शराब, गांजा, अफीम, रासायनिक ड्रग्स जैसे ब्राउन शुगर इत्यादि का प्रचलन भी खूब बढ़ा। छोटी–बड़ी जगहों में इनके एजेंट आसानी से अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। नशा करने वाले में कुछ सामान्य लक्षण सामने आते है। जैसे चिड़चिड़ाना, हकलाना, लोगों मे अरूचि उत्पन्न होना, अध्ययन के प्रति विरक्ति, याददाश्त कमजोर होना, बात–बात पर क्रोधित होना, रक्त चाप में असमान्य वृद्धि आदि का सामना करना पड़ता है। नशे का फितूर इतना खतरनाक होता है कि वह व्यक्ति तब तक अपने आगोश में जकड़े रहता है जब तक की नशे की गिरफ्त में आये व्यक्ति का समूल नाश ना हो जाए। व्यापक स्तर पर युवाओं में फैलती नशाखोरी भारत की मुख्य समस्याओं में से एक है। पाश्चात्य संस्कृति और सिनेमा की नशाखोरी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिनेमा में धूम्रपान जैसे दृश्यों को धड़ल्ले से फिल्माया जा रहा है, जिसका प्रभाव युवाओं पर सर्वाधिक पड़ता है , हमारी युवा पीढ़ी उसी से सीखकर धुम्रपान एवं नशाखोरी को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लेती है। जिस तरह पश्चिमी देशों का समाज नशा को मार्डन एवं प्रगतिशीलता की निशानी मानता है, ठीक उसी तरह 21वीं शताब्दी में देखा जाय तो भारतीय समाज में नशापान स्वीकार्यता व्यापक स्तर पर पहुँच चुकी हैं। यह कड़वी सच्चाई है कि भारत की अधिसंख्यक युवा आबादी नशे और अन्य बुरी लतों की शिकार बन चुकी है।

सबसे बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में 'नशापान' को देखा जा सकता है। आज का नब्बे प्रतिशत युवा किसी–न–किसी तरह से नशे का शिकार है। जो आने वाले देश के जांबाज कर्णधार हैं आज वही सबसे अधिक इस लत में रमें हुए है जिनको देश की उन्नति में अपने ऊर्जा लगानी थी, वे आज अपनी अनमोल शारिरिक क्षमता को, साथ ही मानसिक क्षमता को, शराब, हेरॉइन, आफीम, गांजा, ड्रग्स जैसे खतरनाक नशा कर रहे है। जिस तरह से टेक्नोंलॉजी विकसित हुई है, ठीक उसी तरह से नशे के सेवन में भी नई टेक्नालाजी विकसित हुई है। याद रखिए जिंदगी उसी की जो जीना जानता है, और आकाश उसी का जो उड़ना जानता है। नशायान सदैव व्यक्तिगत विघटन नही करता, फिर भी नशायान व्यक्तिगत विघटन का एक बड़ा कारण माना जाता है। क्योंकि नशायान के कारण ही पारिवारिक विघटन होता है। परिवार का विघटन यानि समाज का विघटन है। नशायान पारिवारिक विघटन का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। नशा का परिणाम परिवार के साथ–साथ आत्मिक विघटन पर भी होता है और नशाबाज इंसान अपने ही आत्मग्लानि के कारण अपना चेहरा दूसरों को दिखा नही सकते है क्योंकि नशाबाज इंसान का दिमांग उसके बस में नही होता है। ऐसे नशे के धुन में इंसान किसी का भी खून कर देता है और बाद में पश्चाताप् की अग्नी में जलता है। ''मैं जिंदगी में सब कुछ खो चुका हूँ...... इंसानियत. ... प्रेम... दया....मेरी माँ भी इसी दुख में चल बसी...। इस नशे ने मेरा सब कुछ छीन लिया..... सर... मैंने उस समय तो ये भी जानने की चेष्टा नहीं की जिसे मैंने मार दिया वो कौन था कहा का रहने वाला था, मेरे लिये तो वह बस मेरे रास्ते का राड़ा था, जिसे मुझे हटाना था..... आप बताइए सर मैं इस अपराध बोझ से कैसे बाहर निकलूँ। जबसे आपने कहा है..... अपना वृत्त पूरा करे, जाने कहाँ से निकलकर वह चेहरा मुझमें खौफ जगाने लगा है........... हिसाब मागने लगा है मुझसे.....''[1]

जवान नशेबाजों की पूरी जगत इस जान लेबा नशे की दुनिया का शिकार बन गई है। आनेवाली पीढ़ियों को नशा बरबाद कर देता है। क्योंकि यह नशा आम नशा से कई गुना खतरनाक होता है। चिलम, ताड़ी, गांजा, धतूरा जैसे नशों से कई गुना अधिक भयानक होता है यह नशा। बाकी नशे तैंतीस की स्पीड में बढ़ती है तो यह ब्राउन सुगर, अफीम जैसे नाटकीय ड्रग्स 300 की स्पीड में बढ़ते है। कलकत्ता में चालीस प्रतिशत गांजा, हेरोइन, ब्राउन शुगर, जैसे

किसी न किसी नशे के शिकार है। अमेरिका से भयावाह यह स्थिति कलकत्ते की। क्योंकि यहाँ गली–गली में यह एकदम सस्ता मिल जाता है। शायद इसी वजह से आज ड्रग्स के शिकार फुटपाथ तक दिखाई देते हैं।

नशा अब सिर्फ दौलतियों तक ही सीमित नहीं रहा, अब यह बीमारी सर्वव्यापक बन गई है। सड़क पर रहने वाले फुटपाथी इसके सबसे भयंकर शिकार हैं।''[2] आज का युवा शराब और हेरोइन जैसे मादक पदार्थो का नशा नही बल्कि कुछ दवाओं का प्रयोग नशे के रूप में कर रहा है। यह आज की सामाजिक वर्तमान स्थिति है। वर्तमान भारत मे नशे की स्थिति खतरनाक है जो भारत के स्वास्थ और समाज के लिये खतरनाक है। ''संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत भी हेरोइन का बड़ा उपभोक्ता देश बनता जा रहा है। गौरतलब है कि आफीम से ही हेरोइन बनती है। भारत के कुछ भागों में धड़ल्ले से आफीम की खेती की जाती है और पारंपरिक तौर पर इसके बीच 'पोस्तों' से सब्जी भी बनाई जाती है। किन्तु जैसे–जैसे इसका उपयोग एक मादक पदार्थ के रूप में आरम्भ हुआ, यह खतरनाक रूप लेता गया वर्ष 2001 के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भारतीय पुरूषों में आफीम सेवन की उच्च दर 12 से 60 साल की उम्र तक के लोगों में 0.7 प्रतिशत प्रतिमाह देखी गई। इसी प्रकार 2001 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार ही 12 से 60 वर्ष की पुरूष आबादी में भाग का सेवन करने वाले की दर महीने के हिसाब से तीन प्रतिशत मादक पदार्थ और अपराध मामलों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जिस अफीम के हेरोइन में तब्दील नही किया जाता, उसका दो तिहाई हिस्सा पाँच देशों में इस्तेमाल किया जाता है। ईरान 42 प्रतिशत, अफगानिस्तान 7 प्रतिशत, पाकिस्तान में 7 प्रतिशत, भारत 6 प्रतिशत और रूस में इसका पाँच प्रतिशत इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2008 में 17 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। कुछ वैश्विक उपभाग का छः प्रतिशत भारत में होने का मतलब की भारत मे 1500 से 2000 हेक्टेयर में अफीम की अवैध खेती है।इस प्रकार कहा जा सकता है की यह एक ऐसा मामला है जो कहीं न कहीं बड़े तबकों वाले लोगों के इसारे पर भी चलता रहता है।

निष्कर्ष–

यह तथ्य वास्तव में खतरनाक है। आज नशाखोरी की समस्या एक आम समस्या बन गई है, जिसका कोई अंत नही है। इसलिये पुलिस वाले भी इन नशेड़ियों को नहीं पकड़ते हैं। कई पुलिस चौकी में करीब नशाबाज नशा करते हैं। कोई इन्हें नहीं पकड़ता, कोई इन्हें रोकता नही। लेकिन ऐसा नही होना चाहिए कानून को सख्ती से पेश आना पड़ेगा। नशीली पदार्थो का सेवन करना और इनका धन्धा करना कानूनन अपराध है। पकड़े जाने पर दस साल की सजा होती है। पर सजा की कोई फिकर करे बिना यह कार्य निरन्तर अपनी गति से चलता रहता है। और यही वजह है जिसमें आज का युवा वर्ग पुर्णतः अपने आप को खोखला करता जा रहा है । इस आलेख का विषय बनाने का प्रथम कारण हमारे आस'–पास की दिनचर्या ही रही जिसको देखकर मेरा आन्तरिक मन काफी दुखी हुआ है। और आने वाले भविष्य के प्रति चिंतित भी हुआ और यह आलेख प्रस्तुत किया है।

संदर्भ सूची–

1. पत्ताखोर (उपन्यास) मधु कांकरिया पृ. 95
2. वही पृ. 128
3. हिन्दुस्तान टाइम्स –समाचार पत्र
4. समाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव जाति –आलेख , आजकल पत्रिका
5. पत्रिका –अखबार , दैनिक समाचार पत्र

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

''प्रारम्भ कालीन शोध और मानव-जीवन में शोध का महत्त्व''

❑ सुलेखा मिश्रा*

शोध सारांश

शोध उस प्रक्रिया या कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेक बुद्धि से उनका अवलोकन–विश्लेषण करके नये तथ्यों या सिद्धातों का आरम्भ किया जाता है। शोध, खोज, अनुसंधान, सभी हिन्दी में पर्यायवाची शब्द है। इसी को मराठी में संशोधन और अंग्रेजी में रिसर्च कहते है। खोज में सर्वथा नूतन सृष्टि का नही, अज्ञात को ज्ञात करने का ही भाव है। मनुष्य बुद्धि सम्पन्न होने के कारण सचेतावस्था से ही जिज्ञासु रहा है। प्राकृतिक के नैसर्गिक नियमों से तथा अन्य जीव–जन्तुओं के जीवन से भिन्न स्वनिर्मित और स्वसंचालित जो जीवन मनुष्य को प्राप्त हुआ है। वह उसके शोध का ही परिणाम है।

मानव का मस्तिष्क अन्य जीव–जन्तुओं के मस्तिष्कों की अपेक्षा सूक्ष्म अवलोकन, सुचिन्तित आयोजन, विवेकपूर्ण निर्णय, विश्लेषण जनित निष्कर्ष, कुशल निर्माण तथा चतुर्थपूर्ण अतिशय शक्तियों से समन्वित है। जबसे सभ्यता का आरम्भ हुआ है तभी से मनुष्य इन शक्तियों का प्रयोग कर प्रकृति के रहस्यों को जान कर, उनके तत्वों और शक्तियों को अपनें जीवन में उपयोगी बनानें का शोध–पूर्वक प्रयत्न करता आ रहा है। प्रारंभिक मानव के पास साधनों की कमी थी, उसके पूर्वजों से संचित एवं पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त ज्ञान–भण्डार कम था। इस लिये हर नयी खोज के जिये उसे अधिक समय लगाना पड़ता था, अधिक चिंतन और परिश्रम करना पड़ता था और इनकी तुलना में फल अल्पमात्रा या कभी–कभी नग्य ही होता था। अतः उनके अनुसंधान और जीवन विकास का वेग अत्यधिक कम था। प्रत्येक पीढ़ी द्वारा संचित ज्ञान भण्डार अगली पीढ़ी को प्राप्त था। और एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अर्जित ज्ञान अन्यों को भी मिलता था। जिससे परवर्ती पीढ़ियों का कार्य अधिकाधिक सुगम, तेज और ठोस होता गया है।

वास्तव में आरम्भ कालीन अनुसंधान तथा वर्तमान शाधों में काफी अंतर है। प्राचीन समय में मनुष्य जब समस्या का सामना करता था, तब अनिवार्यतावश उसके समाधान की खोज करता था, और इस खोज की निश्चित प्रणाली या योजना नही थी। संसार भर में आज प्रति–निभिष शोध कार्य आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यात्रा और कम्प्यूटर से लेकर अणुबम एवं जीवाणु बम तक के क्षेत्रों में अति तीव्र विकास हो रहा है, और की गति प्रतिदिन अधिकाधिक तीव्रता के साथ बदल रही है। प्रतिदिन जिन नयी–नयी वस्तुओं और तकनीको के विज्ञापन निकल रहे है, उनसे इस गति का कुछ–कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अनुसंधान में बोधपूर्वक प्रयत्न होता है, याजनानुसार कार्य होता है। वैज्ञानिक

* शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र), ई–मेल : suiekhamishrarewa@gmail.com

विश्लेषण की दृष्टि हाती है, और निश्चित लक्ष्य की ओर सजग उन्मुखता होती है, जो उन अन्य क्रियाकलापों में नही होते जिनसे मानव की आकस्मिक उन्नति होती है। शोध की क्रिया–विधियों में अधिक औपचारिकता, अनुशासन और आयोजन होते है।

आरंभकाल के आकस्मिक अविष्कारों तथा असंस्कृत रूप में ही सही, बोधपूर्वक किये जाने वाले शोध के बीच की निश्चित सीमा रेखा का निर्णय करना कठिन है। वनवासी मानव नें आकस्मिक रूप में लगी हुई आग में जले हुये माँस को खाकर माँस पकाना सीखा होगा। कहा जाता है कि किसी ने कच्ची मिटट्ी पुती हुई टोकरी कुटिया में रखी थी और कुटिया में आग लग जाने से वह जल गई तो पकी मिटट्ी का बर्तन बन गया। परंतु इस तरह के आरंभिक अविष्कार के बाद मनुष्य ने स्वयं सोच कर बोधपूर्वक प्रयत्न से आपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया होगा। अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रारंभिक कुछ विकास के बाद मनुष्य ने अपनी बुद्धि का तीव्र उपयोग कर के जीवन के सुधार का प्रयत्न किया होगा। यही से शोध का आरंभ हुआ होगा। ज्यों–ज्यों ज्ञान भण्डार का इस तरह विकास होता गया। त्यों–त्यों बुद्धि का भी अधिक विकास हुआ और सुनियोजित अनुसंधान की प्रक्रिया अधिकाधिक तीव्र एवं गहन होती रही।

वास्तव में वर्तमान अनुसंधान सुनियोजित रूप में सुनिश्चित कार्य पद्धति के अनुसार विशिष्ट उद्देश्यों की सिद्धी के लिये किये जाते है। उनकी निश्चित दशायें होती है। संवेदनाओं को लिपि–प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत करने वाले साहित्य और नाद के माध्यम से संवाहित करने वाले संगीत के सृजन एवं आस्वादन प्रक्रियाओं को गहराई से जानने के लिये शोध होते है। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान के उपयोग रूप भिन्न होते है। जीवन का विकास केन्द्र बाह्म जगत् की अथवा भौतिक जीवन की समृद्धि मात्र पर आश्रित नही रहता, मानव संस्कृति का विकास मात्र भौतिक उन्नति पर आधारित नहीं रहता है। भौतिक मूल्यों के परे कुछ मूल्यों का भी विकास सांस्कृतिक विकास के लिये अपेक्षित है। शोध के आरंभ से लेकर अंत तक जितनें क्रिया कलाप होते हैं। उनकी दिशा और रूप निर्दिष्ट करने वाली प्रवृत्ति चिंतन ही है। शोध–प्रबंध की उतकृष्टता का मुख्य आधार भी मस्तिष्क की सतत् जागरूकता और सक्रियता है। चिंतन मानव मस्तिष्क की विशेष प्रक्रिया है और सभी क्षेत्रों में मानव की उन्नति का आधार है। जब आदि मानव का चिंतन अधिक गहरा या गम्भीर ना था, पर जब किसी ने किसी समस्या को सुलझाने का चिंतन किया और उसका उपाय निकाला, तभी शोध का आरंभ हुआ, सभ्यता को अविभार्व हुआ। अतः शोध में मानव जीवन की सभी वर्तमान समस्याओं पर चाहे वे साहित्य, समाज–विज्ञान, या शुद्ध–विज्ञान से सम्बधं रखती हो अनुसंधान किया जाता है।

आधुनिक जीवन भी चिंतन रहित कार्य व्यापारों से रहित नही है। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति अन्ध श्रद्धा, राजनैतिक आन्दोलन के नारे बाजी, अनेकविद्यार्थियों का नोट रटना आदि निष्क्रिय चिंतन पर ही आधारित है इसके विरूद्ध समस्यायें सामने आये तो उनको सुलझानें के लिये जो चिन्तन किया जाता है, वही सक्रिय चिंतन है। समस्या बिल्कुल नयी होतो मौलिक रूप से भी उसे सुलझाने के लिये सोचना पड़ता है। ऐसा चिंतन ही अनुसंधान का आधर है। मौलिक चिंतन करने में कभी–कभी खतरा भी होता है। लीक छोड़ कर सोचने वाले को पागल माना जाता है। मौलिक चिंतन करके नये सिद्धातों का अविष्कार करने वालो को प्रायः विद्धानों या समाज के विरोधों का सामना करना पड़ता है, जिससे चिंतन विकास में बाधा होती है।

वर्तमान युग में यह खतरा बहुत कम हो गया है, लेकिन मानव इतिहास में उदाहरणों की कमी नही है, कहा जाता है कि अरस्तु के युग में उनके मतों का खण्डन करने वालों को तब तक एकांत कारावास दिया जाता था, जब तक वे अपने विचार बदन ना लें व्यष्टिगत मौलिक चिंतन से समष्टि की सच्ची या कल्पित होने की आशंका से चिन्तकों और लेखको को

देश से निष्काषित करने की प्रवृत्ति अब भी कुछ राष्ट्रो में है। मनुष्य की जिज्ञासु प्रविृत्ति ने ही शोध प्रक्रिया को जन्म दिया शाध कार्य हमेशा से एक मानस की सुचिन्तित खोज–वृत्ति का उद्यम बना रहा है। किसी सत्य को निकटता से जानने के लिये शोध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती आई है। समय–समय पर विभिन्न विषयों की खोज और निष्कर्षों की अनिवार्यता एवं प्रमाणिकता गहन शोध की मदद से ही सम्भव हो पाई है। समय के बदलते क्रम में मानव जीवन की समस्याएँ विकट होती गई और मानव समुदाय की रूचि, प्रकृति, व्यवहार, स्वभाव एवं योग्यता के आधार पर यह भिन्नता परिलक्षित होती रही है। अनुसन्धाता निष्कर्षो की प्रमाणिकता का सबल आधार उसकी बौद्धिक शक्ति और खुला मन होता है। ब्रह्माण्डीय विकास एवं सृजन का सबसे विलक्षण प्राणी मानव ही है। मानव ने अपनें प्रश्नों, जिज्ञासाओं, कठिनाइयों, विचारों व प्रेक्षणों को अभिव्यक्त करने एवं अंकित करने में सफता प्राप्त कर ली थी। कलान्तर में ज्ञान एवं विवेक मानव जाति के सर्वाधिक शक्तिशाली साधन बन गये। मनुष्य ने अपनें ज्ञान बुद्धि विवेक के बल पर अपनी सभ्यताओं संस्कृतियों की रचना को करनें मे सफलता अर्जित की एवं इसे आगे बढ़ाया है। अनुसंधान कार्यो को वैज्ञानिक तक्र विधि का औपचारिक सुव्यवस्थित उपयोग कहा जा सकता है। शोध वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक प्रक्रिया है।

मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में होने वाली प्रगति में अनुसंधान की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनुसंधान की प्रक्रिया एक ऐसी गहन, सुव्यवस्थित व प्रक्रिया है, जो मानव के ज्ञान भण्डार में कुछ –न–कुछ वृद्धि अवश्य करती है अथवा वृद्धि करने की दिशा में प्रवृत्त होती है। प्राचीनकाल से मनुष्य किसी–न–किसी रूप में अनुसन्धान कार्य करता रहा है, वर्तमान में भी कर रहा है, एवं भविष्य में भी करता रहेगा। वस्तुतः मानव जाति का वर्तमान ज्ञान –भण्डार एवं समस्त प्रगति व विकास अनुसंधान का ही परिणाम है। नि':संदेह मानव जाति की सभी प्रकार की प्रगति के पीछे उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का बहुत बड़ा योगदान है। जिज्ञासा को नई–नई खोज व अविष्कारों की जननी भी कहा जा सकता है। अनुसंधान की भूमिका तथा महत्व अनेकानेक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ता जा रहा है।

यद्यपि अनुसंधान कार्य का प्रारम्भ किसी अनुसन्धान क्षेत्र या किसी शीर्षक की पहचान व निर्धारण से होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि अनुसन्धान किसी क्षेत्र पर या शीर्षक पर न होकर किसी सुस्पष्ट समस्या या प्रश्न के उत्तर के स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र व शीर्षक मो सीमित या परिष्कृत करके शोधकर्ता किसी स्पष्ट व सुपरिभाषित समस्या या प्रश्न तक पहुँचता है एवं उसका समाधान करने का प्रयास करता है। किसी भी अनुसन्धान का प्रमुख उदे्श्य सामान्यीकृत प्रकार के कुछ ऐसे तथ्यों सिद्धान्तों अथवा उपयोगों का पता लगाना होता है, जो कुछ नवीन ज्ञान प्रदान करके मानव जाति की समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान कर सकें। किसी भी शोध का प्रमुख उदे्श्य सामान्यीकृत प्रकार के कुछ ऐसे तथ्यों, सिद्धान्तो अथवा उपयोगों का पता लगाना होता है जो कुछ नये ज्ञान का अर्जन कर मानव समाज की समस्याओं का हल करने में सहायता प्रदान कर सकें। लगभग समस्त व्यावहारिक तथा सामाजिक विज्ञानों जैसे शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र प्रबन्धन, अर्थशास्त्र आदि की समस्याएँ प्रायः व्यक्तियों से सबंधित होती है तथा व्यक्तियों से प्राप्त सुचनाओं के आधार पर ही उन समस्याओं का समाधान करना सम्भव होता है। इसलिए अनुसन्धान कर्ता को अपने अध्ययन के लिए किसी क्षेत्र या समूह का निर्धारण करना होता है, तथा वह उस क्षेत्र या समूह के व्यक्तियों का अध्ययन करके ही तथ्यों या सिद्धान्तों को प्रतिपादित करता है।शोध एक ऐसा बौद्धिक तथा सृजनात्मक प्रक्रिया है जो मानव जाति के द्वारा पूर्व में अर्जित ज्ञान तथा अनुभवों पर आधारित होती है। यही कारण है कि मानव वर्ग द्वारा भूतकाल में किया गये प्रयासों के फलस्वरूप संकलित ज्ञान

भण्डार का लाभ अनुसन्धानकर्ता को अपने अनुसंधान कार्य में मिलता है।

शोध की प्रकृति तथा क्षेत्र कोई भी क्यों न हो, अनुसंधानकर्ता का सबसे प्रथम प्रमुख कार्य अपने अनुसंधान हेतु किसी उपयुक्त समस्या का चयन करना होता है। अनुसंधानकर्ता को अपने बुद्धि–विवेक, अध्ययन मनन, परामर्श, सर्वेक्षण, अनुभव आदि की सहायता से समस्या का चयन करना होता है। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते समय स्वयं के ज्ञान–मोक्ष प्रयास की आवश्यकता होती है। निःसंदेह शोध समस्या अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होनी चाहिए जिसमें उसकी बुद्धि, क्षमता व रूचि का समावेश होने के साथ–साथ उसे उपलब्ध संसाधनों का ध्यान रखा जाना परमावश्यक होता है। अनुसंधान के इच्छुक व्यक्ति को अपनी रूचि के क्षेत्र में ही अनुसंधान कार्य करना चाहिए। दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा बाध्यताओं में भी अनुसंधान की अनेकानेक समस्याएं दृष्टिगोचर होती रहती है।

व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएँ, कठिनाइयां, जिज्ञासायें आदि शोध समस्याओं की ओर इशारा करके उन पर अनुसंधान करने की प्रेरणा देती है। तेजी से हो रहे सामाजिक व प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण अनक प्रकार की समस्यायें तथा जिज्ञासायें भी देखने को मिलती है। यह समस्यायें तथा जिज्ञासायें भी अनुसंधान व विकास कार्यों को सार्थक ढंग से प्रोत्साहित करती है। जैसे कम्प्यूटर तथा सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों ने सामाजिक ढाँचे को भी प्रभावित किया है। मुख्यरूप से शोध –प्रक्रिया का एक मुख्य अंग है विश्लेषण शोध–सामग्री का संचयन हो जाय तो, अगला कार्य विश्लेषण का होता है। कभी–कभी शोध–प्रविधियों और विश्लेषण की पद्धतियों का ज्ञान हो तो, सामग्री–संचयन के साथ ही विश्लेषण कार्य का एक बड़ा अंश भी हो जाता है। और विश्लेषण में उपेक्षित तत्वों के आधार पर सामग्री–संचय को भी अधिक से उद्देश्य बना सकते है। संचित–शोध सामग्री के कौन–कौन से अंश किन–किन प्रकारों से महत्वपूर्ण है। और किस प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है, इन बातों को जानने से अध्ययन बहुत सरल हो जाता है। अतः शोधार्थी को पहले ही विश्लेषण के आधारों और प्रणालियों की सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अनेक वस्तुओं मे कुछ समान तत्व होते हैं, लेकिन उनकी मात्राओं में भिन्नता हो सकती है, जो वस्तु के मौलिक स्वभाव में निर्णायक रहती है। साहित्य में भी विभिन्न कलात्मक गुणों, समाजिक तत्वों, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियो की मात्रा के आधार पर मूल्यांकन सम्भव है। शोध करने वालो को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इसमें किस तरह के विश्लेषण का उपयोग करना उचित होगा।

शोध के द्वारा मानव के ज्ञान क्षेत्र का विस्तार किया है। उन सबने ऐसी राहे स्वीकृति करके यात्रा की है, जिसमें कोई नही चला है, या बहुत कम लोग चले है। नयी राहों की यात्रा, नये लक्ष्यों का साधन, नये सत्यों की खोज, शोध का अनिवार्य अंग है। शोध द्वारा प्रतिस्थापित सत्य या सिद्धांत भले ही व्यक्तिगत कार्य या चिंतन से अपना जन्म लें, तो भी शोध निर्णय के रूप में वह सामान्य सत्य या सिद्धांत हो जाता है, और अन्य शोधकार प्रसांगिक सामग्रियों के आधार पर उनका परीक्षण करके स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते है। मानव का ज्ञान इतना व्यापक और बहुमुखी है कि उसके विविध क्षेत्रों से संबंधित शोध के स्वरूपों की एक निश्चित परिभाषा देना या उनको सुनिश्चित कार्य प्रणाली के अन्दर लाना संभव नही है। विविध क्षेत्रों के अनुसंधानों की कार्य–प्रणालियाँ भिन्न होती है, उद्येश्य भिन्न होते है। मानव के सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं का अध्ययन समाज–विज्ञान के अंतर्गत आता है। मानव अन्य प्राणियों की तरह केवल एक प्रणी नही है। अपनें मस्तिष्क और हृदय की शक्तियों के सहारे उसनें अपना सामाजिक जीवन निर्माण किया है, जिसमें उसके सामूहिक सृजनात्मक प्रवृत्तियों, पारस्परिक संम्बधों का एक विशिष्ट स्थान है। जिसमें उसके सामूहिक

सृजनात्मक प्रवृत्तियों, पारस्परिक संबंधों, सम्मिलित दायित्वों तथा समूह–जीवन–संबंधी अन्य प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट स्थान है। वैज्ञानिक विषयों में शोध द्वारा जिन वस्तुओं या कार्य–प्रणालियों का अविष्कार किया जाता है। उनकी प्रयोगिक उपयोगिता शोध का मूल्य निश्चित करती है। गणित, विशुद्ध विज्ञान आदि के सैद्धांतिक शोध प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी ना होने पर भी प्रयोगिक विज्ञान की नींव तैयार करके अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते है। समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोंविज्ञान आदि के अनुसंधान गौण और निरूपयोगी विषयों से संबंधित होकर महत्वहीन भी हो सकते है। वास्तविक जीवन में प्रयोग के लिये सिद्धांत या प्रणालियां प्रदान करके महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। वास्तव में साहित्य के शोध सीमित और तुच्छ विषयों से संबंधित होकर डिग्री प्राप्ती के बाद अपना महत्व खो कर भूले भी जा सकते है। आगे एक अध्ययन परम्परा का विकास कर के मानव को समझने और मानवीय संबंधों को उदात्त भी बनाने में सहायक हो सकते है। जिन विषयों पर अन्य विद्वानों ने पर्याप्त शोध किया है, उनको शोध के लिये ले लेना एक तरह से खतरे का काम है, तो दूसरी तरह से हिम्मत का पूर्वकृत शोधों की अच्छी जानकारी प्राप्त करने के बाद, स्वयं मौलिक कार्य करने की आशा हो, तभी ऐसे विषयों को अनुसंधान के लिये चुनना चाहिए। नही तो मौलिक अविष्कार या सिद्धांत–निरूपण के अभाव में शोध अन्य महत्वहीन हो जायेगा। प्रत्येक शोध ग्रंथ की प्रस्तावना में बताना चाहिए कि प्रस्तुत विषय पर क्या–क्या काम हुआ है, उसमें खामियाँ क्या रह गयी हैं और प्रस्तुत अध्ययन कैसे पूर्वाध्ययनों से आगे बढ़ा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है। कि नया शोध प्रबन्ध किन दिशाओं में और किस मात्रा में आगे बढ़ता है।

निष्कर्ष

विद्वता–पूर्ण शोध–प्रतिवेदन मस्तिष्क की तीव्र प्रक्रिया का परिणाम होता है, और पाठन से भी गहन चिंतन की अपेक्षा रखता है। वह पाठक के मनोरंजन या सामान्य वाचन की वस्तु नही है। अनुसन्धानकर्ता को स्वयं अपने विषय के बारे में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। विषय का स्वरूप, अपना उद्देश्य प्राप्य सामग्री की सीमाएं आदि को अच्छी तरह से जानकर, निश्चित निर्णयों के साथ ही लिखना चाहिए। लेखन को यथासंभव स्पष्ट और संक्षिप्त बनाना चाहिए बड़ा आकार शोध–प्रबंध का अभीष्ट अंग नही है। जिन भावों को कम शब्दों में कहा जा सकता है। उनको अनावश्यक विस्तार देकर विशद् बनाना और विषय के प्रत्यक्ष संबंधं ना रखनें वाली बातों का समावेश करना अतिलेखन है। शोध में जहा तक हो सके ऐसे चिंतन का वर्णन करना चाहिए प्रमाणित सत्यों को ही अनुसंधान में अंतिम परिणामों के रूप में मान्यता दी जाती है।

संदर्भ सूची–

1. अनुसंधान संदर्शिका – प्रो. ए. पी. गुप्ता
2. अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत और प्रक्रिया – एस. एन. गणेशन
3. शोध प्रविधि –डॉ. विनयमोहन शर्मा

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3
ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

''वर्ग, जाति एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कबीर''

❑ सरस्वती वर्मा*

शोध सारांश

कबीर का लेखन तथा उनका व्यक्तित्व और जीवन–दर्शन साथ ही उनका व्यक्तित्व प्रत्येक जाति वर्ग एवं सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति एवं समाज दोनो का उचित मार्गदर्शन करता हुआ युगों–युगों से आने वाले समाज के लिये भी सत्य का मार्ग प्रशस्त करता है। कबीर जो कहते हैं, वो करके भी दिखाते हैं। कथनी और करनी की एकता से जन्मी यह क्रान्ति वैचारिक स्तर पर जहां सूक्ष्मतम गाठों को खोलती है, वही समाजिक स्तर पर ऐसे आंदोलन का सूत्रपात करती है, जिससे अध्यात्मिक समता का मार्ग प्रशस्त होता है। कबीर के सत्य ज्ञान का आलोक जहां फैलता है वहां भ्रम एवं अंधविश्वास का तिमिर ठहर नही पाता। कबीर का नाम लेते ही एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, जिसके लिये सत्य सर्वोपरि है। सत्य की अनुभूति को शब्दों के रूप में अभिव्यक्ति करते समय अक्सर लड़खड़ा जाते है, लेकिन कबीर के साथ ऐसा नही है। वे सत्य का बखान करने के लिये शब्दों को उनकी सम्पूर्ण क्षमता से और आगे तक ले जाते है। उनकी वाणी सत्य के करीब है। इसलिए कबीर वाणी को पढ़कर आलौकिक सुख का अनुभव होता है। उनके सत्य की इस अभिव्यक्ति मे किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। तभी तो कबीर किसी एक के नही हैं– वे तो सदा सबके हैं।

''अनंत कोटि ब्रह्मांड में, बंदीछोर कहाय।
सो तो पुरूष कबीर है, जननी जना न माय।।''[1]

पिछले कुछ दशकों में हिन्दी समाज की कबीर के प्रति उत्सुकता बढ़ी है, ऐसा शायद इसलिए हुआ कि इस बीच हाशिये पर पड़े लोग, जो निश्चित ही समाज के वंचित–उत्पीड़ित जन थे, अक्षर वा ज्ञान की दुनिया से जुड़े दलित, पिछड़े, अदिवासी, किसान, दस्तकार परिवारों से आये लाग जब पढ़ने–लिखने लगे और उन्होंने अपने साहित्य का कुलीन ठाठ देखा तब उन्हें बेहद निराशा हुई। वास्तव में आचार्य द्विवेदी और हिन्दीभाषी समाज के एक छोटे से तबके ने जिस कबीर के अपनाया था, वह वैश्विक, मानवीय और जनतंत्र की उम्मीदों के अनुकूल था, उनकी कविताओं में लोगों ने एक नये मनुष्य की सम्भावना देखी, इसलिये रवीन्द्रनाथ टैगोर से लेकर मुक्तिबोध तक को वे चिर आधुनिक लगे, भारतीय सहित्य के विदेशी अध्येताओं को भी कालिदास के बाद कबीर ने ही सबसे अधिक आकर्षित किया, कबीर के विचारों ने पश्चिमी दुनिया को बुद्ध की तरह झकझोरा है। इसके मुकाबले कोई दूसरा भारतीय लेखक–कवि दूर–दूर तक नजर नही

* अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.), मो. 6265317273

आता, हिन्दी की पारंपरिक और प्रगतिशील साहित्यिक धारा श्रमशील जनता की सांस्कृतिक धड़कनों को आत्मसात् करने में विफल हुई, समलन आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और रामविलास शर्मा की तमाम बौद्धिक प्रयास तुलसी के इनके बीच महत्व नही दिला सके, समय के साथ यह बात स्पष्ट होने लगी की तुलसी द्विज सरोकारों के कवि थे, भारतीय संस्कृति साहित्य और जनसाहित्य की दीर्घ परंपरा रही है, लेकिन इस भरी–पूरी परंपरा कोई कवि तुलसी की तरह कलियुग वर्णन जैसे भोंड़ेपन का काव्यात्मक प्रदर्शन नहीं कर सका, यही कुछ कारण थे कि हिन्दी समाज के बीच से उभरी चेतना की नई प्रवृत्तियों ने तुलसी की प्रासांगिकता को सिरे से खारिज कर दिया, थोड़े से सामाजिक–प्रतिक्रियावादी अपवादों को छोंड़ दे, तब विश्वविद्यालयों की संगोष्ठियों–सेमिनारों से लेकर चाय–चौपालों तक तुलसी का नामलेवा भी मुश्किल से मिलेगा, इसके मुकाबले तुलसी की प्रासंगिकता लगातार बढ़ती जा रही है. उन पर विमर्श के नये आयाम उभर रहे है, हिन्दी में कबीर का पहला बड़ा काम 1940 के दशक में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आया–'कबीर', यह ग्रंथ आचार्य शुक्ल द्वारा कबीर की जान बूझ कर की गई उपेक्षा की व्यवस्थित जवाब था, संभवताः इसके मूल में द्विवेदी जी के बंगनवजागरण से प्रभूत वे संस्कार थे, जिसे उन्होंने शान्ति निकेतन प्रवास में हासिल किया था, दशकों तक इस विषय पर यह प्रमाणिक ग्रंथ बना रहा, इसे लेकर हिन्दीभाषियों के विद्वत् समाज में विमर्श तो हुये लेकिन तुलसी का वर्चस्व बना रहा, दरअसल यह समय ही वैसा था, समाज का निम्नवर्गीय तबका अभी बौद्धिक विमर्श से बाहर था। बल्कि इस बात की चर्चा कर देना शायद अप्रासांगिक नही होगा कि मध्यकाल मे हमारे सांस्कृतिक–समाजिक नायकों (संतों) ने जाति के प्रति जो दृष्टिकोंण अपनाया था, लगभग वही आज भी है, जैसा कि मैने बतलाया कबीर और रैदास जैसे लोगों ने अपनी जाति की चर्चा की स्वंय को जुलाहा और चमार बतलाया, लेकिन किसी जुलाहावाद या चमारवाद की स्थापना नही की, इसे लेकर कोई रजनीति नही की, कबीर का अमरदेश और रैदास का बेगमपुरा जतिवर्ण मुक्त समाज है, इस देश में सब किसी को – आजाद ब्रह्मणों को भी–आमंत्रित करते हैं, लेकिन तुलसीदास तो अपनी जाति की चर्चा तो नही करते (निराला की तरह अपनी दरिद्रता की चर्चा जरूर करते हैं) लेकिन उनका स्वप्न, जो यमराज है, वह वर्णाश्रम धर्म से पूरी तरह मंडित है, वहां द्विजों का डिक्टेटरशिप है अपने कालिकाल वर्णन में तुलसी दर्जनों किसान–दस्कार जातियों को घृणापूर्वक नाम ले–लेकर नीच घोषित करते है। और आज की स्थिति बहुत बदली नही है, आधुनिक नेताओं में गांधी ने अपनी जाति छुपायी नही, उनकी आत्मकथा की पहली ही पंक्ति है 'द गांधीज बिलांग टु द बनिया कास्ट..... 'फुले अम्बेडकर, नारायण गुरू, पेरियार किसी ने अपनी जाति नही छुपायी और सबने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन नेहरू, सुभाष और अन्य वामपक्षी नेता अपनी जाति पर चुप रहे और जातिवाद के विरोध पर भी चुप रहे , इस गुत्थी को समझा जाना चाहिए। जाति को लेकर तो स्वयं कबीर का मत रहा है कि–

''हिन्दू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाहिं।
पाँच तत्व का पुतला, गैबी खेलै माहिं।।''[2]

इन पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति और शारिरिक बन्धनों से हटकर थे कबीर इसी कारण उनका नाम आज भी साहित्यिक विधाओं में अद्वितीय रूप से लिया जाता है। कबीर धार्मिक गुरूओं में गिने जाते हैं इस कारण उनका नाम सब कवियों में प्रमुखतः लिया जाता है। लेकिन इधर हाल के वर्षों में हिन्दी समाज में कबीर पर जिस तरह विमर्श की शुरूआत हुई है, वह उन्हें एक नये खतरे की ओर घसीटती प्रतीत होती है। और वास्तव में यह सत्य है कि हिन्दी समाज में कबीर की उपेक्षा जानबूझकर की गई थी। अन्यथा भारतीय समाज में कबीर की शाक अत्यधिक गहरी थीं। कबीर का प्रभाव सम्पूर्ण उत्तरभारत तक, महाराष्ट्र, और लगभग बंगाल तक फैला है। हजारों मठ कबीर के नाम से चलाये जाते हैं। पूरे भारत में जो अद्भुत प्रभाव संत–भक्तों पर कबीर का है वह किसी

और का नहीं है। यह तो सर्वविदित ही है की नानक साहेब में एक प्रमुख भाग ही कबीर वाणी के नाम से प्रचलित है। बल्कि इसके आधार पर देखा जाय तो उतना नाम और ख्याति किसी अन्य संत कवि की कम ही देखी गई है।

वास्तव में संत कबीर निर्गुण मतों के अनुयायी थे जिसका प्रभाव उनकी समस्त शाखियों में भी दृष्टित होता है। इनका स्थान भक्तिकाल के कवियों में सर्वोच्चत्तम रूप से लियाा जाता रहा है। जिस समय कबीर का साहित्य में उदय हुइा उस समय सामाजिक व्यावस्था काफी डगमगाई हुई थी।जहां गरीबों के घर पर दो रोटी नहीं थी वहीं अमीरों के यहां वर्ग – वैभव की विलासिता का बोलबाला रहता था।हिन्दू मुस्लिम के बीच जाति–पांति की खाई और भी गहराती जा रही थीं। दरअसल भारतभूमि जो महान रत्नों की खान है उन्हीं अनुपम रत्नों में से हैं कबीरदास जिनके वाणी की गाथा आज भी जीवित है–

''कबीर उद्यम आवगुण को नहीं, जो करि जाने कोय। उद्यम में आनन्द है, सांई सेती सोय।।''[3]

कबीर एक महान उपदेशक भी थे, वे परिश्रम के फल को वह अधिक महत्व देते थे।एक महान क्रांतिकारी कवि होने के कारण उन्होंने समाज में जाति, धर्म , वर्ग आदि को लेकर जो बुराईयां थीं वह उनको सुधारवादी पक्ष की ओर अग्रसर करने में लगे हुए थे ,तथा साथ ही व्यापक कुरीतियों को भी उजागर करने का कार्य किया है कबीर की लेखनी ने। कबीर का समाज , जाति – समाज भी शायद वर्तमान की भांति नहीं था। इनके समकक्ष ही रैदास और इनकों कभी भी जाति का जुलाहा होने की शरमिंदगी कभी नहीं थी बल्कि संत कबीर भक्तिकालीन मात्र एक ऐसे कवि थे जिन्होंने राम–रहीम के नाम पर चल रहे पाखण्ड , भेद–भाव, कर्म–काण्ड आदि को अपनी कलम से व्यक्त किया –

''जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।''[4]

यह दलित या पिछड़ा होने की बात नहीं करते , यह तो ब्राह्मण हैं जिनकी दयनीयता पर उनको तरस आता है। क्योंकि उनकी नजर में यह वर्ग प्रायः कमजोर ही रहा हैं। कबीर ने समाज की रचना को भी चुनौती देकर एक नवीन धारा का प्रवाह किया है, जिसमें प्रमुखतः प्रेम को ही लिया गया है। उनके विचारानूसार मानव जाति ही सर्वोत्तम है जिसके भीतर प्रभु ने जान फूकी है। जिसके पास ज्ञान तथा कर्म की अनुपम ज्योति प्रकाश विद्यमान है। कबीर ने सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह माना है जो कि कहीं से एक दूसरे से तो जुड़े ही होते हैं। अपने इन्हीं विचारों के कारण वह छोटे–बड़े का भेद–भाव कभी भी नहीं किया। बल्कि जात–पांत से अलग उनका एक भिन्न समुदाय ही रहा जिसके अनुयायी आज भी समाज में विद्यमान हैं। कबीर की वाणी का महत्व हमारी प्रतिदिन की जीवनशैली पर भी लागू होता है। यदि साधारण कवियों की चर्चा होगी तो एक ऐसा तथ्य हमारे समक्ष उभरकर आयेगा जिसका हम किसी एक युग या समय से तुलना कर सकते है किन्तु कबीर की लेखनी में ऐसा नहीं है, बल्कि जिस भी युग या काल में इनका काव्य देखा जायेगा वह उसी समय में सटीकता के साथ अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त करेगा। वास्तव में वह इसलिए क्योंकि उनका भाव मानव जगत के हित के लिए है न कि अपने लाभ के लिए ।प्रायः इनकी उत्पत्ति के विषय में यह तथ्य सामने आता है कि कबीर का जन्मकाल जेठ सदी पूर्णिमा, सोमवार विक्रम संवत् 1456 माना गया है। कहते हैं कि काशी के स्वामी रामानन्द का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था जिसके कारण

इस बालक का जन्म हुआ है। प्रायः काफी प्रचलित मान्यताओं के अनुसार आजतक कबीर का जन्मकाल कभी भी सही नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रत्येक स्थान पर इसमें एक भिन्नता आ गई है। बाल्यकाल से ही भक्ति का मार्ग इन्हें इनके पालनहारों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ जिसके कारण यह इतने महान भक्त कवियों में गिने जाने लगे हैं। इनका शायद यही स्वभाव और पालन पद्धति इन्हें मानव की हितैशी

गरिमामय पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध हुई है। साथ ही व्यंग्यपूर्ण और चमत्कारिता भरी इनकी वाणी सदा ही एक नवीनता लिए होती है। यही इनकी युक्तियों में अधिकतर विरोध के साथ ही असंभव का स्वरूप दिखाई देता है–

''है कोई गुरूज्ञानी जगत महँ उलटि बेद बूझै।
पानी महँ पावक बरै, अंधहि आँखहि सूझै।।''[5]

आदि से लेकर अंत तक हमारे विश्व में कबीर का नाम समाजसुधारक के रूप में विख्यात हैं। संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में इनका नाम लिया जाता है। उनको समाज सुधारक पहले तथा कवि बाद में माना गया है। हिन्दी साहित्य का इतिहास उठाकर देखें तो कबीर की सामाजिकता के दर्शन होते हैं। पाखण्ड एवं धर्म के नाम पर होने वाले कार्यों को जिस प्रकार कबीर की वाणी में देखा गया है ऐसा शायद ही कहीं दिखाई देता है। या कहना सही होगा की कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता है। जात–पांत की गहरी खाई को पाटने का कार्य कबीर द्वारा ही पुर्ण हुआ है । निरक्षर होने के बाद भी इनकी ज्ञान दार्शनिकता बहुत ही प्रबल थी , जिसका प्रमाण प्रत्यक्षतः साहित्य में परिलक्षित होता है। उन्होंने सारे मानव समाज को एक ईश्वर का उपजा बताकर यह सिद्ध किया है की वर्ग – भाव उनके भीतर कतई नहीं था। उन्होंने सदा ही लोकमंगल की कामना की है। किसी से अगर दोस्ती नहीं हो सकती तो बैर भी न हो ऐसी भावना के प्रवाहमयता से ओत–प्रोत थे कवि संत कबीर । जिनका आचरण ही हमें इस संसार से मुक्त करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रायः यही उन्होंने बताया है कि विनम्रता ही वह आचरण है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। व्यक्तिगत तथा स्वार्थ से रहित सांसारिक मोहमाया से यह बिल्कुल दोषमुक्त जीवन जीने के आदी रहे हैं। वह अपने समाज को संसोधित रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने वाणी एवं दोहों के माध्यम से प्रायः समाज को नवीन दिशा दिखाने का प्रयास किया है। कबीर ने समाज में जो भी घटित होते हुए देखा है उसी का यथार्थ वर्णन अपने काव्य में किया है। इन्होंने अपने समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था ,वर्ण–व्यवस्था, छुआछूत, सतीप्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, छोटे–बड़े के बीच भेदभाव पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डॉ. वासुदेव शरण के अभिमत के अनुसार–''सम्पूर्ण सामाजिक जातिगत व्यवस्था आचार–विचार वंशागत ऐश्वर्य, मद, उच्च–निम्न की भावना पर आधारित है। आचार – विचार भी रूढ़ीवादी मान्यताओं एवं अंधविश्वासों में पर्यवसित हो चुका था। फलतः मानव जीवन की सार्थकता का स्त्रोत अवरूद्ध हो रहा था। सारा समाज एक प्रकार की जड़ता और मूल्य मूढ़ता की स्थिति को पहुँच चुका था।''[6] कुल मिलाकर कबीर का सम्पूर्ण काव्य उनके गहन सामाजिक चिंतन का द्योतक है। जिसका परिणाम आज भी देखने को मिल रहा है।

निष्कर्ष–

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कबीर ने अपने समाज के लिए जो मुहिम चलाई थी उसके लिए लगभग सभी ओर आज भी एक अलख जलती हुई प्रतीत होती है। कबीर ने सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह माना है जो कि कहीं से एक दूसरे से तो जुड़े ही होते हैं। अपने इन्हीं विचारों के कारण वह छोटे–बड़े का भेद–भाव कभी भी नहीं किया। बल्कि जात–पांत से अलग उनका एक भिन्न समुदाय ही रहा जिसके अनुयायी आज भी समाज में विद्यमान हैं। कबीर की वाणी का महत्व हमारी प्रतिदिन की जीवनशैली पर भी लागू होता है। यदि यह सत्य नहीं होता तो वर्तमान में भी कोई इनकी वाणी को सत्य नहीं समझता और उसका अनुसरण नहीं करता। कबीर का लेखन तथा उनका व्यक्तित्व और जीवन–दर्शन साथ ही उनका व्यक्तित्व प्रत्येक जाति वर्ग एवं सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति एवं समाज दोनो का उचित मार्गदर्शन करता हुआ युगों–युगों से आने वाले समाज के लिये भी सत्य का मार्ग प्रशस्त करता है। कबीर जो कहते हैं, वो करके भी दिखाते हैं। कथनी और करनी की एकता से जन्मी यह क्रान्ति वैचारिक विविधता के अनुसार भी सही ही है। अतः कबीर का सम्पुर्ण साहित्य समाजसुधार

के दृष्टि से बिल्कुल सटीक नजर आता है। कबीर का सम्पूर्ण काव्य उनके गहन सामाजिक चिंतन का द्योतक है। जिसका परिणाम आज भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने सारे मानव समाज को एक ईश्वर का उपजा बताकर यह सिद्ध किया है की वर्ग–भाव उनके भीतर बिल्कुल भी नहीं था। इनका शायद यही स्वभाव और पालन पद्धति इन्हें मानव की हितैशी गरिमामय पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध हुई है। वास्तव में संत कबीर निर्गुण मतों के अनुयायी थे जिसका प्रभाव उनकी समस्त शाखियों में भी दृष्टिगत होता है। कबीर धार्मिक गुरूओं में गिने जाते हैं इस कारण उनका नाम सब कवियों में प्रमुखतः लिया जाता है। लेकिन इधर हाल के वर्षों में हिन्दी समाज में कबीर पर जिस तरह विमर्श की शुरूआत हुई है, वह आज भी निरन्तरता सेचल ही रहा हैं।

सन्दर्भ

1. बीजक रमैनी,लालचन्द दूहन 'जिज्ञासू' मनोज पब्लिकेशन्स द्वितीय संस्करण 2020
2. बीजक रमैनी, लालचन्द दूहन 'जिज्ञासू' पृ.30
3. जयदेव सिंह कबीर वाणी पीयुष, पृ. 133
4. श्याम सुन्दर दास कबीर ग्रन्थावली
5. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. 65 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
6. हिन्दी साहित्य का विकास, पृ. 70 रामस्वरूप चतुर्वेदी

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

Acid attacks

(Provisions under IPC & issues and challenges faced by the acid attack victims in India)

"Each time a woman stands for herself, she stands for all women."

❐ **Vishnu Pati Tripathi**

ABSTRACT

An acid attack involves the premeditated throwing of acid on a victim, usually on her face. It is a gender-based heinous crime against women. In addition to causing psychological trauma, acid attacks result in severe pain, permanent disfigurement, subsequent infections and often blindness in one or both eyes. According to the National Commission of India acid attack is "any act of throwing acid or using acid in any form on the victim with the intention of or with knowledge that such person is likely to cause to the other person permanent or partial damage or deformity or disfiguration to any part of the body of such person".

The incident of acid attack has been an increasing phenomenon in India where most of the victims of the offence are women. These attacks can be attributed to various social factors such as weakness of women in such a male dominated country like India. Which raised the question of the Indian society as well as the laws which are not able to deal with the problem? Acid is easily and inexpensively available weapon which makes it an ideal tool for the perpetrator. Acid is easily accessible at any shop near to your house, anyone can buy it there is no restriction despite, the Supreme Court has been passed the guidelines for the regulation of the acid but the problem is an implementation of those guidelines. This study was designed to know the Legal Provision of Acid Attack in IPC. This study also makes people aware about the program running for acid attack survivors.

Keywords : Acid attack, gender-based violence, victim, vitriolage, violence, challenges faced by female victim.

INTRODUCTION

Women are an important part of our society. Every woman has her own job or duty in this modern society in which men are unfortunately still the 'strongest gender, we can't forget that a woman's life is a lot more complicated than a man's life. A woman has to take care of her own personal life and if she is a mother, she has to take care also of her children's lives too. Worse still, if she is married, additional stress can be on her shoulders. Yet they will still perform very well in the work environment in some cases better than their male counterparts.[1] As our society has started recognizing the discrete identity of women, as of these women now becomes active

* Research Scholar, Department of Post Graduate Studies & Research in Law, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.)

participants in all walks of life, she is a mother, an administrator, an entrepreneur, and a daughter. Now, women are becoming not only a significant unit of the society but also influencing the course of social changes in the society.

Human Rights are requisite for any individual's life and forms the basic part of living. They are inalienable and are inherently entitled to every human being. They include right to life and liberty, freedom of opinion and expression, freedom of choice, and many more. Everyone is entitled to them without any bias. Throwing of acid is one of the most distressful forms of crimes in the society. It is done not just against the body of an individual but against their freedom of choice and opinion. In Indian society, women are more vulnerable to acid attacks. The reason behind this is vengeance because of refusal of proposal, denial of dowry or other disputes. Such acid attacks are against the freedom of choice of a person and their basic human rights. The problem lies not only with acid attacks but also with the behaviour against acid attack victims. They are treated as outcasts in the society and are always attached with a social stigma. This in turn leads to violation of their right to lead a life with liberty and basic human dignity. According to an acid attack survivor they are rejected in workplaces and jobs because of their disfigured faces. The consequences of these acid attacks affect the person and the family in many aspects. No one would ever be able to empathize with the pain of parent whose day would never go fine without seeing the face of his child. And now understand his grief that they have to face.

As per the study, it can be concluded that 78% of the acid attack incident is for refusal to marry, rejection of love or for any personal causes. Acid attack on women is increasing day by day, basically on the girls in the age of 11-30 years. The easy accessibility of inexpensive acid makes the perpetrators to use it as an ideal weapon against this heinous crime against women. Illegal sale and purchase of acid are considered as non-bailable offence, still it is readily accessible in all most the grocery and hardware stores in urban and rural areas. The most common types of acid utilized in these assaults include sulphuric, nitric, and hydrochloric acid. Attack by acid rarely kills a human being but it causes severe physical, psychological and social scarring. However, the occurrence of eternal trauma and social isolation has also been found. The research shows that most of the respondents to acid attack who had faced the violence had faced other form of violence like cast-out from the society, difficult to arrange marriage, employment problem, etc. Several community awareness programs are being conducted by local authorities and administrative departments, to make people aware of this heinous crime. This paper wants to highlight the causes and impact of the acid attack on this innocent woman's and the problems or hindrance suffered by the victims.

OBJECTIVES OF THE STUDY

The main objective of this paper is to study in details the legal provisions of acid attack in IPC & issues and challenges faced by the acid attack victims in India.

1. To understand the meaning of acid attack and law enforcement
2. Reasons for Acid attack.
3. To examine the issues and challenges faced by the victims of acid attack
4. To highlight the policies taken by government to overcome the challenges

Today's scenario in both National and International Plan

Today, acid attacks are reported in many parts of the world. Since 1990s, Bangladesh has been reporting the highest number of attacks and highest incidence rates for women with 3,512 Bangladeshi people acid attacked between 1999 and 2013.[2] India is also now on high altering of acid attack after the case of Lakshmi. In 2000 in India there were 174 cases of acid attack but now it has taken a sudden rise. However, Bangladesh is the country which has highest number of cases in acid attack. In most of these cases Hydrochloric and Sulphuric acid were used and all the victims were women. Though acid attack is a crime which can be committed against both man and woman but it has a specific gender dimension in India. Most of the reported acid attacks have been committed on women, particularly young women for spurning suitors. The victims in Karnataka were very young women between 16 and 25 years of age, and were attacked by men who were known to them. Mostly attacks took place in Public Places or at home.

Man who cannot face rejection take their 'revenge' by throwing acid in victim face so that the life of the person gets destroy. Men throw acid on us with the intention of injuring or disfiguring our bodies, burn our faces, smash our noses, melt our eyes, and walk away as happy men. Men throw acid on us for taking revenge from us. Men emotions get hurted for ending relationships and for refusing sexual harassment, Sexual exploitation, proposals of marriage and demands for dowry. Since acid is so readily available across the counter in medical and other stores, acid attacks become a relatively cheap and effective way of committing acts of violence against women. Acid attack is common in Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan, Nepal, Cambodia, and a few other countries. All across the country, one can walk into a number of shops in rural or urban centers and purchase any amount of highly concentrated acid from shopkeepers, who barely raise an eyebrow when selling this highly corrosive substance to their consumers. Besides the use of concentrated acid in several industrial processes, highly concentrated sulphuric and hydrochloric acid is sold to the general public due to its multi-purpose usage, which is the real problem. In countries like Pakistan, highly concentrated acid is used to remove lint from cotton seed, as it is a cheap way to obtain clean seeds ready to be replanted. The accessibility of acid not only encourages its use to perpetrate the crime of acid throwing, but the widespread use of acid by the rural populace also poses health hazards, causes accidents and has detrimental effects on the environment. All these factors provide a convincing enough argument for the government to find substitutes for the prevalent cotton seed treatment. In urban areas, it is a common household practice to use acid for cleaning or even drain-opening purposes. Promoting the use of safer cleaning agents would not prove very difficult, if government policies are put in place to deter their manufacture and sale. Sale licenses are issued for possession and sale of poisonous substances, including acids, under the Poison Act (XII) of 1919.[3]

The acid attack still burning topic in India

The sections (326A, 326B) have been added in the penal code by the Criminal (Amendment) Act 2013 would not be able to stop or decrease the crime but the crime rates still the same. The latest data released Ministry of Home Affair was that the years 2011,2012 and 2013 witnessed 83,85 and 66 cases being reported respectively, but this number shot up to 309 in 2014 - almost four times the average number of acid attack cases in preceding years. The majority of acid attack was in the Uttar Pradesh (185), Madhya Pradesh (53).[4]

Very limited information on acid attacks in India is available but there is a growing trend in acid attack cases. Every year around 300 cases of acid attacks are being reported in India despite the existing laws. There used to be a time when acid was used for commercial purposes only and now it is used for destroying lives of people and that too in a cruel manner. NRCB released a report in 2017 which stated that UP tops in case of acid attacks in India with 56 cases in 2017. A total of 244 cases were reported in the whole country. There are many unreported cases as well where victim dies with no information available about the same. Apart from Laxmi's case there were many cases which came into limelight and created sensations in the minds of people. The Supreme Court directed the state governments to look into these matters seriously and directed private hospitals to give good treatments to the victims.

In the case of Parivartan Kendra v UOI[5] where two Bihar dalit girls were attacked by four men who threw acid on the girls' face and bodies as they slept on their rooftops.

MEANING AND DEFINITION OF ACID ATTACK

Acid Attack (Meaning)

Acid Attack also known as Vitriolage is throwing of acid on the body of a person and disfiguring it. It is particularly thrown on the face of women. Acid attack is a very violent form of crime in which seeks to inflict physical as well a mental injury. It can be committed against any gender but it has a gender angle as well and most of the sufferers are women. Acid attacks can lead to lifelong disfigurement of a body part which came in contact of the acid. It can also lead to burning of that certain area, damaging the tissues and sometimes even dissolving the bones. Acid attacks are not completely recoverable. The intensity of damage depends upon the amount of acid thrown. In some cases, the victim may not even

survive. Those who survive have to undergo multiple surgeries to treat it. In instances of acid attack done on face, mainly eyes and lips are damaged and sometimes even ears and nose gets affected. In acid attacks, the use of sulphuric acid, nitric acid and hydrochloric acid is common. The long term consequences of using this can lead to physical impairment and can affect the social life of a person.

Acid Attack (Definition)

According to the Black law dictionary, acid means "A solution with a Ph. below 7. It has a sour taste, releases hydroxyl, and makes litmus papers red. Strong acids are corrosive and weak ones are practically harmless. AKA mineral, inorganic, natural, and organic acids" unfortunately Indian Penal Code does not explain what is acid.

As per the provision of "Prevention of Offences (by Acids) Act 2008, (National Commission for Woman – Draft Bill)" constitute the definition of Acid Attacks and Acid. According to Section 3 of said Act –

"(a) "Acid" shall mean and includes any substance which has the character of acidic or corrosive or burning nature that is capable of causing bodily injuries leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability.

(b) "Acid attack" means any act of throwing acid or using acid in any form on the victim with the intention of or with knowledge that such person is likely to cause to the other person Permanent or partial damage or deformity or disfiguration to any part of the body of such person."[6]

In a study conducted by UNICEF reveals,

"Acid attack is a serious problem all over the world, even children are become victim of acid attack in many cases. In an Acid attack, acid is thrown at the face or body of the victim with deliberate intent to burn and disfigure. Most of the victims are girls, many below the age of 18, who have rejected sexual advances or marriage proposals. Acid attack or vitriolage is defined as the act of throwing acid onto the body of a person "with the intention of injuring or disfiguring [them] out of jealousy or revenge".

Vitriolage or acid attack means an act of throwing acid on the body of a person (it's basically throwing upon women and young girls). In other words, it can be said that acid violence is a deliberate use of acid to attack human beings.[7] The Indian Penal Code, 1860 by virtue of Criminal Law (Amendment) Act, 2013 under the Explanation 1 of Section 326B has defined acid to include, "any substance which has acidic or corrosive character of burning nature, capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability".[8]

Acid attack can be perceived as "any act of throwing acid or using acid in any form on the victim with the intention of or with knowledge that such person is likely to cause to the other person permanent or partial damage or deformity or disfiguration to any part of the body of such person (National Commission of India, July 2009)."

REASONS FOR ACID ATTACK:

In India, it is analysed that most of the time this attack related with women and young girl and the observable reason being is the rejection of marriage and love or refusal by woman of sexual advances and dowry disagreements. The other noted reason for such attack could be land, property and any kind of business disputes. "Additionally, a report written by a leading organisation in India working on acid violence, the Campaign and Struggle against Acid Attacks on Women (CSAAAW), found that sexual harassment or assault in response to a woman or girl refusing such advances or demanding that the violence stop often precede such attacks."[9] As per the Law Commission of India in its 226th report has asserted that the majority of acid attack victims are women –"…particularly young women for spurning suitors, for rejecting proposals of marriage, for denying dowry etc. The attacker cannot bear the fact that he has been rejected and seeks to destroy the body of the woman who has dared to stand up to him."[10] This is the way of our society's outlook on the women. Women still cannot combat for their rights which are the basic human right of every individual.

Women are still regarded as "possession", and a man is sole decision maker as per our modern society is concerned. And when a woman refuses a man, it is seen as destroying his reputation, prestige and honour, and he restores it by burning her face with acids. Men throw acid on women as a mark of their virility and supremacy. By impairing her face, man derives a perverted pleasure and his male ego

gets pleased. Another major reason may be dowry problems or other marital problems. Though taking of dowry is a punishable offence, still it is most pervasive in many areas. It is considered as the responsibility of the bride's family and has to experience a huge social disgrace if not complied with. In India, many women claim that they are the strike by acid due to the failure to meet the financial expectations of their in-laws. In addition to this, land and property disputes may also be said to be the key reasons for the commission of this brutal offence. The study of newspaper reports in India evinces that nearly 40% of the attacks materialized between unrelated people, due to the business rivalry, sales disputes, land disputes or revenge between families. Thus, from the above discussion one can reach the conclusion that men resort to acid attacks as a means to intimidate women and to impose their authority on her. Such kind of heinous attacks boost his male ego and make him feel that he is the proud inventor of God and has created the patriarchal society. Females between 11 and 30 years are the most susceptible to such attacks, in 36% of the incidents the victims are targeted for rejection of marriage proposals. Therefore, the main cause that is seen to be behind the acid attack is the rejection of sexual advances.

CONSEQUENCES OF ACID ATTACKS:

The most notable effects of an acid attack are the lifelong bodily disfigurement. The acid attack is a form of violent assault by throwing corrosive substance onto the body of another person with the intention to disfigure the body. Mainly acid are thrown at the face of victim, burning them, and damaging skin tissue, often exposing and sometimes dissolving the bones. The long consequence of such type of attack is that it makes the person blind, as well as permanent scarring of the face and body. The acid attack makes the life of the person worse and it also affects their social, economic and psychological life. The medical effects of acid attacks are extensive. Acid attack is not which can easily be recovered up, as the majority of acid attacks are aimed at face so, it depends upon the concentration of the acid and the period of time before the acid is thoroughly washed off with water or neutralized with a neutralizing agent. The acid attack makes our body paralyzed as it rapidly eats away our skin, the layer of fat beneath the skin, and in some cases even the underlying bones. Eyelids and lips may be completely destroyed, the nose and ears severely damaged. The consequences that follow after a victim is injured with acid are endless. But most important among them are as follows:

1. Physical consequences:

Unlike other wounds and injuries, acid burns are amongst the most horrible injuries that a human being can hardship, merely because of the nature and magnitude of the injuries are widespread, and mostly necessitate extensive medical treatment. Acid burns through skin and flesh, layer by layer, causing great pain and injury. It eats through the layers of the skin, into the fat and muscle underneath, and sometimes down to the bone, it may dissolve the bone. The profoundness of injury depends on the brawn of the acid and the duration of the contact with the skin - the burning goes on until the acid is scrupulously washed off with water. Further, if thrown on a person's face, acid speedily eats into eyes, ears, nose, and mouth. The pain is agonizing, as a strong burning heat cuts through the victim's flesh like a hot knife. Eyelids and lips may burn off completely. The nose may melt, closing the nostrils and ears shrivel up. Acid can rapidly destroy the eye, causing the victim to be blind. Skin and bone of the skull, forehead, cheeks, and chin may melt. The acid usually splashes or drips over the neck, chest, back, arms or legs, burning anywhere it touches. One study found that on an average, patient suffered by acid attack burns to 14% of their body surface area, with areas most commonly affected including the face (87% of the victims), head and neck (67%), upper limbs (60%) and chest (54%). Around a third of victims (31%) suffered complete or partial blindness.[11]

2. Psychological Consequences:

Psychological repercussion can even be more poignant and painful as compared to the physical consequences. It has the deep impact only on the victim, but also on the families of the victims. A trauma grabs the victim and also on the society and has deep root impact on the masses. A psychological trauma is suffered by the victim when she perceives that her skin is burnt off and after the attack the

defacement and the disabilities with which they have to bear for the rest of their lives. Some of the psychological problems which the victims suffer are insomnia, nightmares, depression, fear of facing the world, headache, tiredness, fear of other acid attacks. They also feel despondent and worried as they think they spurned an outcast from the society. The victim's life gets derailed as every time she looks in the mirror she is reminded of her present insecurity as well as the despondency of the future. The orthodox and traditional Indian approach trust more in physical beauty rather than inner beauty. Not only this, but the society looks at the victim as an 'alien'. This consequently sheds an adverse image on her empowerment and mobility.

3. SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES:

The victims who are not married are likely not to get married as they suffer from many disabilities like blindness, deafness and many others difficulties and our society's mindset is not that wide enough to accept a disabled person as their wife. They even do not get a job notwithstanding being qualified as they cannot meet up to the expectation of their employers as not having the 'personality'. Instead of helping them, we make their life more annoying, as we commiserate them as we do not like to look at their faces for long. However, this approach needs to be changed as they are suffering not for their wrong, but due to the fault of some savage animals roaming around the society freely. So far as economic consequences are concerned, such victims face a high bigotry when it comes to offering jobs. Therefore, it can be said that the acid attack victims go through hell in this ordeal and their life becomes worse than death. Their physical scars remind them constantly of the atrocities committed on them, and a feeling of loneliness and worthlessness always haunts them.

LEGAL PERSPECTIVES OF ACID ATTACK IN INDIA:

In India, often incidences of acid attacks capture the headlines of Indian media. Unfortunately, in India, there was no separate legislation to deal with acid attacks before the passing of The Criminal Law (Amendment) Act. 2013. Traditionally the offence is dealt with under Section 326 of the IPC which deals with 'Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons or means'. This provision also deals with causing grievous hurt using 'corrosive substances' which include acids. Before amendment this offence was also registered under section 320, 322, 325, and 307 in Indian Penal Code. But after amendment Sections 326A and 326B were introduced into the Indian Penal Code by way of Criminal Law (Amendment Act) 2013 providing punishment for acid attack and attempted acid attack.

LACUNA IN THE INDIAN PENAL CODE (BEFORE AMENDMENT):

Before amendment there are so many lacunas in the IPC. Before amendment Indian Penal Code has provided reassurance to these victims under Sections 320, 322, 325, 326 and 307. But it is seen that these sections do not fulfil the profundity that is required for the earnestness of these offences. Moreover, the term "acid attack" was not defined anywhere, and the provisions also restrict them to acerbic substances. The United Nations General Assembly passed the Declaration on Elimination of Violence against Women in 1993 (DEVAW)[12], and India has ratified this declaration and is under an obligation to follow the same. Article 4(f) of this declaration states that, all member states should form certain recommendations, for the safety of the women and formulate ways to prevent them. There should also be separate provisions for granting exemplary damages to the victims of the attack.

According to Article 253 of the Indian Constitution[13], the Parliament has the power to make laws to give effect to these international agreements. Hence India is under an obligation to rein in the peril of acid attack. Now it is seen that the definition of grievous hurt as given under Section 322 of the India Penal Code is not inclusive of certain circumstances of acid attack as the definition clearly states the injuries that constitute grievous hurt. Therefore, if the delinquent causes only skin damage to the victim of acid attack, with no substantial damage to other organs, it would not come under the compass of grievous hurt. Further, no provisions are there if there is a loss of income of the victim. Now if the accused is not charged under grievous hurt, then it will fall under hurt, which in turn invites a nominal punishment of three years imprisonment which is very immaterial to the massive loss suffered by the

victim. Further, there was also a lacuna that, there was no provision for penalizing the accused of throwing acid. In light of the above discussion, it was felt that there was a need to enact an effectual, efficacious, and specific legislation on the issue of acid attack and to cover all the loopholes that were present in the old existing law.

Provision before the criminal law amendment act, 2013

SECTION 320 - GRIEVOUS HURT[14]- The following kinds of hurt only are designated as grievous": -

Firstly- Emasculation

Secondly - Permanent privation of the sight of either eye.

Thirdly - Permanent privation of the hearing of either ear,

Fourthly - Privation of any member or joint.

Fifthly - Destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint.

Sixthly - Permanent disfiguration of head or face.

Seventhly - Fracture or dislocation of a bone or tooth

Eighthly - Any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of twenty days in severe bodily pain, or unable to follow his ordinary pursuits.

SECTION 322[15] - VOLUNTARILY CAUSING GRIEVOUS HURT - Whoever voluntarily causes hurt, if the hurt which the intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt, is said to "voluntarily to cause grievous hurt".

Explanation - A person is not said voluntarily to cause grievous hurt except when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt. But he is said voluntarily to cause grievous hurt, if intending or knowing he to be likely to cause grievous hurt of one kind; he actually causes grievous hurt of another kind.

SECTION 325 - PUNISHMENT FOR VOLUNTARILY CAUSING GRIEVOUS HURT[16] - Whoever, except in the case provided for by section 335, (Voluntarily causing grievous hurt on provocation), voluntarily causes grievous hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

SECTION 326 – VOLUNTARILY CAUSING GRIEVOUS HURT BY DANGEROUS WEAPONS OR MEANS[17] - Whoever, except in the case provided for by section 335, voluntarily causes grievous hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which, used as a weapon of offence , is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance, or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale , to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

SECTION 307 - ATTEMPT TO MURDER[18] - Whoever does any act with such intention or knowledge, and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life, or to such punishment as is herein before mentioned.

Attempts by life convicts - When any person offending under this section is under sentence of imprisonment for life, he may, if hurt is caused, be punished with death.

Provision after the criminal law amendment act, 2013

Why were the provisions introduced?

Acid attacks came in limelight with the case of Laxmi vs UOI[19]. In 2005, Laxmi was attacked by a man whose marriage proposal was rejected by her. She was just 16 at that time. The two accused were sentenced to imprisonment of 10 and 7 years. But Laxmi started a revolution and went to the apex court of India to regulate sale and distribution of acid. She also contended to provide guideline for rehabilitation of victims. This lead the Supreme Court and legislatures to make stringent laws and provisions against acid attacks in India. A committee was also constituted in 2013 after the Nirbhaya case for suggesting reforms in the criminal Justice System dealing with matters of acid attacks. The J S Verma

Committee discussed different crimes that prevail in society. This Committee focuses on an acid attack against women. They also made some recommendations about it.

Amendment in the old Act:

The Criminal Amendment Act, 2013 which was passed on the recommendations of the Verma Committee Report which brought into light the earnestness to deal to this acid attack offence. It inserted two new sections i.e. Sections 326A and Section 326B in the Indian Penal Code. Therefore, the new amendment is a welcoming step towards restraining in this crime.

For the purpose of rehabilitation, victims may also be given compensation as under Section 357A of the Criminal Procedure Code, 1973[20]. Another laudable step which has been brought by the Criminal Amendment Act, 2013 was the inclusion of Section 357C to the Code of Criminal Procedure[21]. It states that all hospitals, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies, shall instantaneously provide first-aid or medical treatment, free of cost to the victims of any offence covered under Sections 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D or 376E of the Indian Penal Code, and shall also inform the police without delay.

One thing is very clear that mensrea is easily proved in acid attack, which is sometimes difficult to prove in murder also. Throwing acid at a person's face is a deliberate act. It requires the attacker to procure the acid first and this proves that the crime is premeditated. Therefore, the attacker throws acid into the victim's face, fully being aware of the ramifications of his act. This shows that the attacker's actions are completely willful. This can be a strong point while thinking of some stricter punishment in acid attack.

On 2nd April 2013 the Indian Penal Code was amended with the passing of "The Criminal Law (Amendment) Act, 2013". The amendment resulted in insertion of Sections 326A and 326B specifically for dealing with acid violence.

Sec. 326A – (Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.)[22] - Whoever causes permanent or partial damage or deformity to, or burns or maims or disfigures or disables, any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person, or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and with fine.

Provided that such fine shall be enough and reasonable to meet the expenses for medical treatment of the victim.

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

Sec. 326B – (Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.)[23] – Whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person, or attempts to use any other means, with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanations -

1. For the purposes of section 326A and this section, "acid" includes any substance which has acidic or corrosive character or burning nature, that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability.

2. For the purposes of section 326A and this section, permanent or partial damage or deformity shall not be required to be irreversible.

Compensation

Section 357B (CrPC)[24] - The compensation payable by the State Government under Section 357A shall be in addition to the payment of fine to the victim under section 326A of the Indian Penal Code.

Section 357C (CrPC)25 - All hospitals, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, shall immediately, provide the first-aid or medical treatment, free of cost, to the victims of any offence covered under section 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D or section 376E of the Indian Penal Code, and shall immediately inform the police of such incident.".

These sections inserted after the recommendation of the Justice J.S. Verma Committee and it was also a proposal of 226 Report of Law Commission of India which dealt particularly with acid attack.

Laws in other countries

Bangladesh

In 2002, the Bangladeshi Government passed two Acts, the Acid Control Act 2002 and the Acid Crime Prevention Act 2002. The Acts address punishment of those involved in the acid attack itself and restrict import and sale of acid in open markets.

Some important feature of the laws includes

* Establishment of a National Acid Control Council Fund

* Establishment of a Rehabilitation Center for victims of acid crimes

* Treatment for victims of acid crimes

* Provision of Legal Aid for victims of acid crimes, etc.

Cambodia

In Cambodia, the Cambodian Law on Regulating Concentrate Acid passed in November 2011.This law criminalizes acid violence provides regulation and controls for all forms of concentrated acid. The law provides an extensive definition of the term "concentrate acid" with an ability to supplements the list by sub-decree in the future. In addition, regulates the import, transport, distribution, retail, and storage of acid by requiring a license or permission letter issued by the relevant Ministry allowing such uses.

FAMOUSE CASES RELATED TO ACID ATTACK LANDMARK JUDGMENT OF ACID ATTACK IN INDIA:

In India acid is easily available at a low cost and is an ideal tool for the perpetrator. There is no proper and strict legislation related to acid distribution in the area despite of several acid attack cases already held in India. One such case is Laxmi V. Union of India26.

In this case she got proposal for marriage but she denied, but before she gets anything acid was thrown to her. After this her upper body was fully destroyed and she faced a lot of mental trauma as well as physical pain due to this. After many surgeries even she could get her looks back. After this, a criminal case for attempt to murder was filed against the accused persons and they got convicted by the court of Delhi. The person convicted later got bail from High Court. This led the victim in shock. The reason given by the courts in giving bail was that the courts have no idea about severity of such situation. This led the victim file Public Interest Litigation in Supreme Court with the help of her family, friend and her lawyer with prayers related to various issues like the easy availability of acid attacks cases, expensive surgeries and medical expenses, rehabilitation help for acid attack survivors. It is a tough battle which the survivor has to face and this required a proper assistance is required from the government.

The outcome of this Public Interest Litigation was that many orders were passed by the legislations and guidelines passed by the Supreme Court of India for the betterment of acid attack survivors.

* Meetings were held having presence of secretary of Ministry of Home Affairs, Government of India and the Secretary of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India with all the Chief Secretariesè their counterparts in the statesè UTs, in which data was collected from all over the India of acid attack cases. Affidavit was filed in court in this regards and showed that there were 282 acid attacks in all states when compiled.

* It came into the notice of the court that the majority of the acid attacks were held in the states of UP (185), MP (53) and Gujrat (11).

* The amendment was made in the Code of Criminal Procedure, 1973 through which Section 357-A was inserted by the Act-5 of 2009 requiring every state government, in coordination with the central government, for the purpose of compensation to the victim or their dependents, to prepare a scheme for providing funds who have suffered loss or injury as a result of the crime.

* Amendment was made in Indian Penal Code and two section were added that is 326 A and 326 B which specifically dealt with acid attack.

* Victim compensation scheme got notified in all states and union territories of India.

* Direction was issued by the Supreme Court regarding the minimum compensation of Rs. 3,00,000è- per acid attack victim to be given by all States and Union Territories of India.

* No hospital or clinic can refuse treatment by making excuse of lack of specialisation facilities and if any private hospital of government hospital, the acid attack victim can take further legal action.

* Supreme Court of India also directed to StateèUnion Territory to Stateè Union Territory Legal Services Authority to give wide and adequate publicity of victim Compensation Scheme in the concerned Stateè Union Territory so that each acid attack victim can take the benefit of the scheme.

Preeti Rathi case,27: Preeti Rathi was a girl who was belongs from Delhi, had got a job as a Lieutenant in Indian Navy and had come to Mumbai to join in the INHS Asvini, the naval hospital in Colaba. On her way to work on 2nd may 2013, a man hurled acid on her face which mutilated her eye and infected her kidneys. The acid entered her esophagus, windpipe and trachea causing her unbearable pain. She succumbed to injuries and lost her life. The perpetrator was punished under IPC section 302(murder), 326-A (voluntarily causing grievous hurt by use of acid), 326-B (voluntarily throwing or attempting to throw acid). It was the landmark judgment that Mumbai High Court gave death penalty. There are endless cases happening all around in today's world. Only proper law and their effective implementation can help the acid attack survivors to get a way of hope. Their rehabilitation and compensation should be well thought off. Time has come when the young generations are thinking of some new ways to make their life a bit enjoyable in spite of all odds.

In Marepally Venkata Sree Nagesh Vs. State of A.P.28, the accused was suspicious about the character of his wife and inserted mercuric chloride into her vagina, she died due to renal failure. The accused was charged and convicted under Section 302 and 307 IPC.

In Devanand Vs. The State29 a man threw acid on his estranged wife because she refused to cohabit with him. The wife suffered permanent disfigurement and loss of one eye. The accused was convicted under Section 307 and was imprisoned for 7 years.

In State of Karnataka by Jalahalli Police Station vs. Jospeh Rodrigues30 it is one of the most famous cases involving acid attack. The accused threw acid on a girl, Hasina, for refusing his job offer. This deeply scarred her physical appearance changed the colour and appearance of her face and left her blind. The accused was convicted under Section 307 of IPC and sentenced to imprisonment for life. Compensation of Rs.2, 00,000è- in addition to the Trial Court fine of Rs3, 00,000 was to be paid by the accused to Hasina's parents.

In Balu v State Represented Inspector of Police, before the Madras High Court, a person suspected that his wife had developed an illegal relationship with one of his acquaintances. In a fit of anger, he threw acid on her resulting in dire burns and death of the victim. The husband was convicted under Section 30231 of the IPC and 313 of the IPC (causing a miscarriage of a woman without her consent) with life imprisonment and a fine of Rs. 2,000. The fine was thus again a scanty amount.

In Ramesh Dey and Others V. State of West Bengal32 before the Calcutta High Court, the accused had made a prioritize attempt to throw acid on the victim, succeeding on the second attempt. The motive for the crime was revenge, as the victim had rebuffed the overtures of the main accused Ramesh. The accused together with two others went to the victim's house and threw a bottle of acid on the victim outside her house where she, her mother, her aunt and her little son were sitting. The victim, her mother, her aunt and her son sustained injuries. The victim, Padma, died due to immeasurable acid burns on the neck, chest, breasts, legs, knees and scalp. Her aunt received 25 percent burns and her aunt's son received 11 percent burns. The additional sessions Judge awarded imprisonment for life and a fine for Rs. 5000 under Section 302 and 34 of the IPC. The appellants were also convicted under Section 324 and 34 of IPC and sentenced to Rigorous imprisonment for one year and to pay a fine of Rs1,000è- each in default to suffer Simple imprisonment for two months. Both sentences were to run simultaneously. The High Court on appeal however, set aside the conviction and sentence against the other two accused by stating that there was no evidence to show they had a common intent and their presence with the accused on the scene of the crime was not enough.

In this case the Court has just provided a fine of 5000 that is of no value for such a heinious crime.

Sonali Mukherjee, a woman from Dhanbad, is another victim of this brutal crime when she was just 18 years old.33 In 2003, three alleged muggers namely Tapas Mitra, Sanjay Paswan, and Brahmadev Hajra told her that she was an arrogant person, and they would teach her a lesson. Her father later complained to the families of the three men. On 22 April, when she was asleep on the roof of her house, at that time the attackers throw acid on her face. Her sister was also injured in the incident. Her face was permanently disfigured by this heinous attack. She also lost her eyesight.34 Her family had spent all their savings on her treatment. The perpetrators were sentenced to imprisonment for nine years but were released on bail when appealed to the High Court. Sonali plight drew global attention when she appealed for euthanasia.35

Parivartan Kendra Vs. Union of India36 in this case the PIL filed the petition for the plight of acid attack victims like free medical care, rehabilitative service or adequate compensation under Survivor Compensation Schemes- Highlighted plight of two Dalit girls – Acid attack victims. In this case, court also took a consideration that despite orders and directions of the same court in the Laxmi case, acid still readily available to most of the population in India. In this landmark judgment Supreme Court issued a direction that the State Governmentsè UT should seriously discuss and take up the matter with all the private hospitals in their respective Stateè UT to the effect that the private hospitals should not refuse treatment to victims of acid attack and that full treatment should be provided to such victims including medicines, food, bedding and reconstructive surgeries. The Apex Court said that there is no need to set up a separate Criminal Injuries Compensation Board and the Court also clarified that the State GovernmentèUT concerned can give even more amount of compensation more than Rs. 3Lakh.

The Court also said that the State Governmentè UT should take a stringent action be taken against those erring persons supplying acid without proper authorization and also the concerned authorities be made responsible for failure to keep a check on the distribution of the acid.

CONCLUSION & SUGGESTION

Acid attacks are the most hatred form of violence. While acid attacks are reported in many parts of the world, the incidents of acid attacks in India have been on the rise. In most of the cases, women are the target of these crimes. Uncontrolled and illegal sale of sulfuric and nitric acids encourage perpetrators. Before 2013 there are no any separate specific provisions related to acid attack. This offence has come under the definition of grievous hurt and treated according to the guidelines of Supreme Court given in Laxmi V. UOI37. Acid attacks came in limelight with the case of Laxmi vs UOI. In 2005, Laxmi was attacked by a man whose marriage proposal was rejected by her. She was just 16 at that time. The two accused were sentenced to imprisonment of 10 and 7 years. But Laxmi started a revolution and went to the apex court of India to regulate sale and distribution of acid. She also contended to provide guideline for rehabilitation of victims. This lead the Supreme Court and legislatures to make stringent laws and provisions against acid attacks in India. A committee was also constituted in 2013 after the Nirbhaya case for suggesting reforms in the criminal Justice System dealing with matters of acid attacks. The J S Verma Committee discussed different crimes that prevail in society. This Committee focuses on an acid attack against women. They also made some recommendations about it. After Nirbhaya case when parliament has passed the criminal law amendment act 2013 first time the specific separate provision of acid attack has been incorporated into the Indian Penal Code. Sections 326-A and 326-B inserted by the criminal law amendment act, 2013 (13 of 20013). Although commencement of law reforms in the acid attack legislation is a positive sign, yet there is a long way to go, as to effectively implement these provisions. Though it is admitted that once a new legislation is enacted, it takes time to settle and is subsequently evolved by the dynamism of judiciary, some of the shortcomings faced prima facie needs to be addressed. The current acid attack provisions and judicial approach to the quantum of damages are very restricted in view of nature and the gravity of the offence. This paper focusing extensively on the physical, psychological and economic effects that has on the victims.

In acid attack cases, perpetrators should be punished severely. In addition to this, a sound compensation for the victim is a vital provision for enforcing justice. The compensation is very vital as the victim had to undergo several surgeries and various medical treatments. The compensation amount should be enough to have a good medical treatment followed by quick redressal from the government agencies. Another important aspect which requires immediate consideration is the formation of new rehabilitation schemes. Better job opportunities, training etc., should be imparted to the victims of such crimes, enabling them to at least meet their day to day livelihood needs. There are some measures which can be taken to curb acid attack. Women should come forward to improve conditions of the acid attack victims. Another effective measure could be greater awareness and more sensitive and mature handling of these cases by the media. It is our sincere hope that the dismal condition of the legal apparatus with regard to acid attacks can be improved; so that the victim's problems can be assuaged and the Indian society becomes a safer place for women. It is time to seriously ponder over these above questions. The government should take more corrective measure on the sale of acid over the counter, as per the current status the shopkeeper had to maintain a ledger or register containing the details of person to whom it is sold and in how much quantity. The buyer had to produce government ID card and should be above 18 years. The shopkeeper had to produce the ledger in front of the sub-divisional magistrate (SDM) within 15 days but in case of undeclared stock of acid and improper ledger maintenance only a fine is imposed up to Rs50,000, it must be followed by severe imprisonment also. The Educational institutions, research laboratories, hospitals, Government Departments and the departments of Public Sector Undertakings, which are required to keep and store acidècorrosive, shall maintain a register of usage of acid and the same shall be filed with the concerned SDM. Some check points must be imposed in this above mentioned places because in most of the cases acid has been managed from these places. The government should impose a severe punishment and the trial procedure should be minimised, because in India most of the accused persons taken the advantage to long trial procedure.

Suggestion

Acid attack is one of the very heinous crime, in acid cases victims are struggling in whole life. An acid attack has long-lasting consequences on the life of the victim who faces perpetual torture, permanent damage and other problems for the rest of her life. Their living life becomes like a gutter; they become too traumatized and embarrassed to walk out of their house and carry out simple tasks let alone get married, have children, get a job, go to school, etc. Even if they are willing to pursue a normal life, there is no guarantee that society itself will treat them as normal human beings given their appearance and disabilities after an attack. They may not be able to work, or be able to find a job, and thus perpetually struggle to survive. Therefore, to curb attacks on women harsh punishment should be given to person so that they feel the same as the victim feels. And most important the government should take appropriate action which actual will help the victim.

In the end I would like to suggest some suggestion for controlling sexual offences in our country. Some few suggestions are –

* Not only amendment of the laws can solve the problem. Implementation of the laws should be made effective and process should be simple for all.

* Special officer should be appointed for handle this type of case.

* Insert a section 114B: Presumption as to acid attack in the Indian Evidence Act, 1872 which was recommended by the Justice J.S. Verma committee.

* Center Government and State Government both would come forward and make a separate fund which deals with compensation payable to acid victims.

* The victim, who cannot work, should get a pension.

Reference

1. "WOMEN IN MODERN SOCIETY" Victor Tembo MCIPS, CIPP™, MIAPM

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_throwing.

3. Acid Sales Regulation by Syed Mohammad Ali

4. The data submitted by the Ministry of Home Affair to the Supreme Court in the (Laxmi V. Union of India).

5. Parivartan Kendra Vs. Union of India 2015 (13) SCALE 325

6. "Prevention of Offences (by Acids) Act 2008, (NCW-Draft Bill)"

7. "Dr. Harish Verma (2012). Acid Violence against Women and its Socio-Legal Implications:

The Indian Perspective, Civil and Military Law Journal, 48(3), 197-207"

8. See, The Indian Penal Code, 1860. Section 326B - Explanation 1

9. Campaign and Struggle against Acid attacks on women (CSAAAW), Burnt not Defeated 21-22 (2007).

10. 226th Report, Law Commission of India, Proposal for the Inclusion of Acid Attacks as Specific Offences in the Indian Penal Code and a Law for Compensation for Victims of Crime 7 (July 2009).

11. Acid Violence in Uganda. (n.d.). Retrieve From www.acidviolence.org/uploads/files/Uganda_ASFU_Situational_Analysis_Report_FINAL_Nov 2011_1.pdf

12. Declaration on Elimination of Violence against Women (DEVAW) in 1993.

13. Article 253 of the Indian Constitution.

14. Sec 320 of IPC Grievous Hurt

15. Sec 322 of IPC Voluntarily causing hurt

16. Sec 325 of IPC Punishment for voluntarily causing grievous hurt

17. Sec 326 of IPC Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons or means

18. Sec 307 of IPC Attempt to murder

19. Union of India [(2014) 4 SCC 427]

20. Section 357A of The Criminal Procedure Code, 1973

21. Section 357C of The Criminal Procedure Code, 1973.

22. Sec. 326A – (Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.) in IPC.

23. Sec. 326B – (Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.) in IPC.

24. Section 357B (CrPC)

25. Section 357C (CrPC)

26. Union of India [(2014) 4 SCC 427]

27.Availableat:http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/7-months-on-jealousneighbour-held-in-Bandra-acid-attack-case/articleshow/28970361.cms, (visited on January 20, 2014).

28. Marepally Venkata Sree Nagesh Vs. State of A.P, 2002 Cri LJ 3625

29. Devanand Vs. The State 1987 (1) Crimes 314

30. State of Karnataka by Jalahalli Police Station vs. Jospeh Rodrigues Decided in the Hon'ble High Court of Kerala on 22è8è2006.

31. Punishment of Murder

32. Ramesh Dey and Ors. vs State of West Bengal on 16 May, 2007

33. Sonali Mukherjee [Acid attack 2003] Biography - Matpal "I have lost a lot: Sonali Mukherjee - The Times of India".

34. A beautiful life melted away in an acid attack Punjab News | Breaking News | Latest Online News". Punjabnewsline.com. 22 April 2003.Retrieved on 26th November, 2015

35. "Give me justice or let me die: Desperate plea of acid attack victim who was left blind and deaf by the three men who had 'sexually abused her'".http://www.dailymail.co.uk/news/article-2174288/Sonali-Mukherjee-Acid-attack-victim-pleads-justice-let-die.html

36. Parivartan Kendra Vs. Union of India 2015 (13) SCALE 325.

37. Union of India [(2014) 4 SCC 427]

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

''सन्जीव के उपन्यासों में पात्रों का वर्गगत संघर्ष''

❑ राजेश कुशवाहा*

शोध सारांश

वर्तमान में इस बौद्धिक युग में अनगिनत उपन्यासकार, कहानीकार, अतः अन्य विधाओं में अपनी कलम चलाने वाले साहित्यकार हैं। किन्तु उन सभी के बीच से मैने चुना कथाकार संजीव के कथा–साहित्य को जिसमें अपना विषय भी उनके उपन्यासों में वर्गीय व्यवस्था तथा पात्रों के जीवन संघर्ष को लेकर बनाया है। इस आलेख में उनके सभी उपन्यासों का तो नहीं किन्तु कुछ रचनाओं का समावेश कर पात्रों की जीवन संघर्ष दर्शाने का मेरा प्रयास रहेगा। संजीव आठवें दशक के एक महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में अपना नाम ख्याति बनाने में सफल हुए हैं। जिसका आभास उनकी रचनाओं के द्वारा मालूम होता है। यह बिल्कुल सत्य ही है कि कथाकार अपने कथाओं के माध्यम से हकीकत को दर्शाता है जिसमें विभिन्न मानसिक तथा शारिरिक यातनाएं भी छिपी हुई होती हैं। और इसी तथ्य को मैं यहां दिखाने का प्रयास करना चाह रहा हूँ। यथासम्भव अपनी जिज्ञासा अनुसार उनकी रचनाओं का अध्ययन करने के पश्चात् इनके विषय में कुछ लिखने का मन हुआ और यह आलेख उसी जिज्ञासा की देन बनकर उभरा है तथा अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर किया है।

व्याख्या–

समसामयिक काल में हिन्दी कथा – साहित्य के बीच समीक्षकों के बीच कथा साहित्यकार संजीव का जो स्थान है, वह किसी के परिचय का मोहताज बिल्कुल भी नहीं है।जिस प्रकार समान्यतः एक तथ्य यह भी है कि साहित्यकार का साहित्य उसके आस–पास के परिवेश से ही निर्मित होता है। उसी प्रकार हम लेखक के विषय में भी कहना चाहेंगे जिनके पीछे उनकी परिस्थितियाँ तथा यथार्थ दोनों ही उनके प्रेरणास्त्रोत की तरह उनकी साहित्य विधा में उनके कलम के साथ–साथ विचरते हुए प्रतीत होते हैं। हम संजीव का परिचय एक ऐसे कलमकार के रूप में कर सकते हैं जिनका सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए आंतरिक मन बहुत ही बेचैन और उत्सुकता से भरा हुआ होता है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचन्द की भाँति इन्होंने यथार्थ को साहित्य का नवीन स्वरूप देकर साहित्य के धरातल पर उकेरा है। जिसको इनकी प्रत्येक रचना में पात्रों, स्थान, भाषा आदि के स्थिति में देखा जा सकता है। इनका कथा साहित्य अपने पात्रों के संघर्षशील जीवन के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक, साहित्यिक आदि बदलाव की माँग करता हुआ प्रतीत होता है। संजीव की समाज के प्रति इस बदलाव और नयेपन

* शोधार्थी, ए.पी.एस.यु.रीवा (म.प्र.), मो. 9425847025

की अभिव्यक्ति का माध्यम ही मुख्यतः साहित्य ही है, जिसको उन्होंने पुर्णतः एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। उनके कथा – साहित्य में पात्रों की बात की जाय तो अधिकतर दलित, आदिवासी, कामगार, मजदूर तथा शोषित वर्ग का यथार्थवादी रूप ही सामान्यतः दृष्टिगत होता हैं। क्योंकि उनका लेखन अपनी स्वयं की अनुभूति की धरातल पर सृजित है। संजीव हिन्दी कथा साहित्य के एक अग्रसर कथा साहित्यकार की तरह माने गये हैं, वह समकालीन जनवादी कथाधारा के एक बहुत ही संवेदनशील तथा अद्वितीय कथाकारों में से एक हैं। 'पात्रों' की भाषा के साथ–साथ उनकी संघर्षशीलता को भी अपने उपन्यासों एवं कहानियों में कुछ ऐसे प्रस्तुत किया है कि आकस्मिक पाठक की मानसिकता उनकी साहित्यिक विधाओं पर जाकर टिक जाती है। सामान्य से पात्रों के साथ मानव – जीवन की विविधता को प्रस्तुत करने की सफलतम अभिव्यक्ति का परिचय इनके कथा साहित्य में मिलता है।

समाज के यथार्थ को कहीं–कहीं व्यंगात्मकशैली में प्रस्तुत करने का उनका प्रयास प्रायःविविधतापूर्ण रहा है। आज के भारतीय समाज और समय में पूँजीवाद के विज्ञान और धर्म के अतिवादी उपयोगों तथा दुरूप्योगों की जैसी व्याख्या और आलोचना संजीव के उपन्यास 'रह गयी दिशाएं इसी पार' में है, वह अपूर्व है एवं अनन्य भी। भारतीय व्यवस्था में वैसे भी जाति व्यवस्था की जो स्थिति है वह बहुत ही विकट है। और यही प्रायः जगहों पर एक कारण बनती है हमारे आपसी एकता के लिए बाधा उत्पन्न करती है।' सूत्रधार ' उपन्यास में भिखारी ठाकुर को जीवन में हर समय जातिवाद एवं वर्णव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। संजीव लिखते हैं कि–''उसके सामने ही गंगाजल का छिड़काव कर मंत्र से शुद्ध करने के बाद काम फिर से शुरू किया गया।''1 और ऐसा इसलिए काहे की भिखारी जग्गशाला में जाने से वह भ्रष्ट होती है। इससे यह पूर्णतः व्यक्त होता है कि सवर्णो के द्वारा इन छोटी जातियों के लोगों को हमेशा ही यह सब तिरस्कार झेलना ही पड़ा है जिसका यथार्थ वर्णन संजीव के उपन्यासों में किया गया है। एक बात यह भी स्पष्ट कह सकते है ं की साहित्य की विभिन्न विधाओं में से उपन्यास ही एक ऐसी विधा है जिसमें समसामयिकता का आग्रह अधिक से अधिक होता है। क्योंकि इसमें लेखक को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता , जीवन–दर्शन तथा सामाजिक यथार्थ की वास्तविक अभिव्यक्ति उपन्यासों में ही सर्वाधिक दिखाई देती है। यही स्वतंत्रता के कारण संजीव के रचना संसार में देखने को मिला है की उन्होंने अपने औपन्यासिक रचनाओं में पात्रों को वर्ग संघर्ष की छटपटाहट , गरीब वर्ग की वेदना–व्यथा, आदिवासी सभ्यता का चित्रण, समाज की कटु व शर्मनाक सच्चाई को बिना किसी भय व पक्षपात के व्यक्त किया है। दरअसल संजीव तत्कालीन व्यावसायिक लेखन से असंतुष्ट रहे हैं। इसलिए साहित्य में उनकी छाप तथा उनके समस्त साहित्य की रचना काफी हटकर दिखाई देती है।

उपन्यास पात्रों के माध्यम से उन्होंने सभी प्रकार से हाशिए पर छूटे लोगों की कथा कही है। और अपने जैसे अलग रचना करने वाले व्यक्तियों की सहायता भी करने में वह पीछे नहीं रहते हैं। इसी कारण उनके उपन्यास व्याप्त एवं विविध हैं। वह अपने पात्रों की वेश–भूषा ,रहन–सहन, बोली–वाणी और मनोविज्ञान से लेकर सामाजिक स्थिति सभी कुछ सुपूर्णता से प्रस्तुत करते हैं। उनकी कहानियाँ तो अधिकतर ही शोषण कर्ता तथा शोषित समुदाय पर आधारित हैं। 'प्याज के छिलके' कहानी में हरिजन कैलाशिया मुंशी के खेत से एक प्याज उखाड़ने पर मुशी जी कैलाशिया को झोटे को पकड़कर मारते हैं। अतः उसके हांथ लगाकर मारने के कारण अपना हांथ रगड़कर धोता है।

इस प्रकार संजीव ने अपनी रचनाओं में दलित छुआछूत पर भी अपनी कलम अधिकतर चलाई हैं । और प्रमुख कारण उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है। उनके कथा साहित्य में यह बात पूरी तरह से सिद्ध हुई है। 'प्रेतमुक्ति 'कहानी में यह तथ्य दिखाया भी हैं इसमें बेटे अपने पिता से इसी बात को लेकर अकसर

झगड़ते ही रहते हैं। क्योंकि उनका मानना था की अगर हमने पढ़ा होता तो इस प्रकार बेकार नहीं होते अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होते। इसमें चलित्तर के बेटे जगेसर का ब्याह होने के बाद उसका खर्चा अधिक बढ़ जाता है। जगेसर कहता है की–''थोड़ा पढ़ा–लिखा दिया होता आपने , तो यह नौबत न आती।''2 इससे यह पता होता है की शिक्षा का नहोना भी हमारे लिए सबसे बड़ा बोझा बन जाती है। जिसकी हकीकत को लेखक ने बताया है। ''पाँव तले की दूब'' इस उपन्यास में झारखण्ड में स्थित आदिवासियों का चित्रण हुआ हैं । यहां उद्योगपति नये – नये उद्योग शुरू करने के लिए आदिवासियों की जमीन छीन लेते हैं। जिनकी जमीन पर कारखाने खड़े होते हैं। उन्हे ं बिल्कुल ही उससे अलग रखा जाता है।भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के शोषण को देखकर कथा –नायक कहता है–''उन्हें जमीन से भी बेदखल किया जा रहा है, मुआवजा भी अफसरों के पेट में।''4 इस कथन से विदित होता है कि भ्रष्ट अधिकारी उनका शोषण करके अपने ओहदे का फायदा गलत ढंग से उठाते हैं। सर्वहारा समाज की दयनीय अवस्था के लिए धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास का विशेष योगदान रहा है।

संजीव विज्ञान के छात्र होने के नाते यह अधमान्यताएं उन्हें खलती है। संजीव पर नारी पक्ष–धरता के आरोप लगाए जाते है। पर वे इन आरोपों को बेबुनियाद बताते है। केवल नारी ही क्यों जों कहीं पर जो भी प्रताड़ित है। उसके पक्ष में संजीव खड़े हो जाते हैं। भ्रष्ट व्यवस्था की अमानवीयता के कारण ही तो देश की आजादी का सारा रस शोषक चूस रहे। परिणामतः सर्वहारा मनुष्य अब तक साहित्य से अछूता रहा था उसे साहित्य की मुख्य धारा प्रवाह में लाने हेतु वे अपनी कलम चलाते है। भारतीय सर्वहारा के शोषण की मेख धर्म व्यवस्था और जातिवाद में है संजीव की मान्यता है कि अब तक धर्म और जाति की विभीषिका को समाप्त नहीं किया जाता तब तक इसमें अभिशप्त जीवों की मुक्ति असम्भव है भारत में सर्वहारा समाज पर जितने अन्याय–अत्याचार जातीयता के चलते किये गए है। ऐसे दुनिया में कहीं न हुए सर्वहारा समाज सनातनियों से खौफ खाया है।

भारतीय वर्ण व्यवस्था की असंगत नियति के कारण यह समाज आज भी दाने–दाने के लिए मोहताज है। इतनी गरीबी देखकर रूह कांप जाये। संजीव सर्वहारा वर्ग के साथ उन सभी के साथ खड़े नजर आते है। जिनका पोषण होता है। अपनी लेखनी के माध्यम से आज लोगों की मानसिकता को बदलना चाहते है। तथा राजनीतिक परख लोगों को यह बताना चाहते है। कि आज भी सर्वहारा वर्ग यथार्थ से कितना दूर है। और यह तथ्य पूरी तरह से संजीव ने उपन्यासों के पात्रों की दिनचर्या पर सभी का ध्यान आकृष्ट करवाकर सिद्ध की है। देश के हशिए परिस्थित लोगों के जीवन की कथा को उभरने वाले प्रमुख कथाकार हैं। उनके कथा साहित्य से मालूम होताहै कि वे अपने परिश्रम प्रतिभा साधना और समर्पण के भाव से लेखन करते है।

संजीव अपने उपन्यास 'सूत्रधार' 'जंगल जहां शुरू होता है' और 'अपराध' जैसी रचना के कारण प्रकाश में आए हैं। हिन्दी साहित्य में उनकी पहचान एक अलग अहमियत रखती है। उन्होंने कहानी, उपन्यास, किशोर उपन्यास, नाम मात्र वृत्तांत आदि विधाओं में लेखन किया है। संजीव की दृष्टि असीम है व्यापक है इतना ही नहीं बल्कि व्यापम सन्दर्भों में जुड़ी है उनकी रचनात्मकता में विविध आयाम दिखाई देते हैं। सामाजिक वर्ग भेद स्त्री पुरुष सामानता के परिप्रेक्ष में संजीव के पात्रों का संघर्ष प्रमुखता से दिखाई देता है। संजीव हिंदी साहित्य के 80 के दशक से एक प्रगतिशील रचनाकार के रूप में अवतरित हुए हैं जो आज भी अपनी कलम से अनगिनत सामाजिक विषमताओं तथा समाज में फैली विद्रूपताओं पर अपनी कलम चला है। संजीव के इसी साहित्य साधना के लिए उन्हें कई संजीव पाठशाला जीवन से ही कविता लेखन कर रहे जब वे छठी कक्षा के छात्र थे तब उन्होंने 'ड्रील' नामक कविता लिखी। उसके बाद वे निरंतर लेखन कार्य

करते है। अपने साहित्य का प्रवेश संजीव को देते हैं जिनमें उनके परिवार के सदस्य मित्र तथा कमलेश्वर और राजेन्द्र यादव साथ रहा वह पल उनके लिऐ अविस्मरणीय रहा है 'दिनमान' 'सारिका' 'धर्मयुग' आदि पत्रिकाओं से जुड़कर वे अपनी रचनायें प्रकाशित करवाते रहे। संजीव एक जनवादी कथाकार हैं उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को नई दशा प्रदान करने का प्रयास किया संजीव अब तक नौ उपन्यास, तथा पांच, सात कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं इन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अपने उपन्यास ''जंगल जहां शुरु होताहै'' से उन्हें ख्याति मिली जिस पर इन्हें अन्र्तराष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मनुवादी धार्मिक पाखंड के कारण सर्वहारा समाज को छला जा रहा हैं धार्मिक पाखंड में कंसकर नारियों का खुलेआम शोषण कर रहा है यह सामांती समाज। सामंती व्यवस्था की रीढ़ बंधुआ प्रथा है जिसके प्रचलन मे सर्वहारा समाज की तमाम पीढ़ियां बर्बाद होती नजर आ रही है सामंती शोषण गरीब परिवार के लोगों की जमीन को हथिया कर देश के गरीब जनों को लूट रही है। इस सामंती व्यवस्था में सत्ता का भी पूर्ण सहयोग रहता है क्योंकि राजनीति सत्ते में भी इन्हीं के भाई बन्धु बैठे हैं। सामाजिक विषमता का भूल सामंती शोषण में नजर आता हैं असंगत वर्ण व्यवस्था और जातीयता के कारण सर्वहारा समाज अधिकारों से बहिष्कृत है औद्योगीकरण की दुनिया में यही सामंती शोषक पूंजीवाद का भय धारण करता है गांव में मजदूर तो कारखाने में कारागार व्यवस्थागत शोषण के शिकार है इस शोषण ने गांव से लेकर शहर तक अपना डैन फैलाया है। वर्ण व्यवस्था आगे जाति के रूप ढलती है फिर धर्म और जाति को संबल बनाकर सनातनी वर्ग समाज के गरीब लोगों का शोषण करते हैं। अर्थ के सारे स्त्रोतों का वितरण जाति के आधार पर होने के कारण समाज कई हिस्से में बंट गया है। सर्वहारा समाज को जातीयता ने सारे मानवीय अधिकारों से वंचित रखा हुआ है गांव से लेकर शहर तक की राजनीति जातीय शोषण का मूक समर्थन करती है। निम्नजाति के लोगों को अक्सर गांव में नाकेबंदी कर दी जाती है। समाज में आतंक फैलाने हेतु जातीय दंगे भड़काये जाते हैं जाति को आधार बनाकर अपशब्द कहना और मारपीट करना तो आम बात हो गई है। निम्नवर्ग की प्रगति सनातनियों की आंख सालती है। सर्वहारा समाज कि तनाही प्रतिभा सम्पन्न न हो जाये। सनातनी उसे धर्म का हवाला देकर अपमानित करते ही रहते हैं संजीव स्वयं कुम्हार जाति के कारण जातीय छद्दम को भली–भांति जानते हैं। औद्योगिकी विकास के नाम पर इनकी सारी संपति छीनी जा रही है। और औद्योगिकी मुनाफों से इन्हें दूर रखा जा रहा है। जातिगत कर्म प्रधान संस्कृति चलते सर्वहारा समाज नीच काम करता है। उसके बदले इतना भी नहीं मिलता की पेट की आग बुझा सके और तन ढकने के लिए कपड़े भी नसीब नही होता है। पेट भरने के लिये न जाने कितने कष्टों को सहन करना पड़ता है। शोषक वर्ग उन्हीं की मेहनत की कमाई पर मौज करते हैं।संजीव गरीबी और अर्थाभाव के मुक्त भोगी है। उनका परिवार दूसरों की जमीन पर खेती करता था किनकी कोदो पर से वे गुजर बसर करते थे। आर्थिक दशा सुधारने के लिये बीमा और ट्यूशन का रास्ता अपनाते है। अर्थाभाव का देश संजीव के लिए हमेशा से रहा है। जिसका पर काया प्रवेश सर्वहारा के द्वारा उनके उपन्यासों में देखा जा सकता है। 'सावधान! नीचे आग है' उपन्यास में शोषण के चलते मजदूर भूख का शिकार बन गयाहै। अर्थाभाव के कारण छोटे–छोटे छप्परों में एक साथ कई लोग जीवन बसर करते है। काम करने पर पूरे पैसे नही दिये जाते है। आज के आधुनिक संस्कृति में मजदूरों की ही बलि दी जाती है। आधुनिक संसाधनों के प्रयोग से मजदूरों की स्थिति और अधिक दयनीय होती चली गयी है'धार' उपन्यास आदिवासियों की गरीबी की दास्तान है। उसे परिवेश में महेन्द्रबाबू की तेजाब फैक्ट्री निर्माण होने के कारण सारा परिवेश तेजाब युक्त हो जाता है कूड़े से वे पीतल, लोहा बटोर कर उसे बेचकर कुछ जीवकोपार्जन का साधन एकत्रित करना चाहते है। सोना उगलने वाली धरती का दोहन करने के कारण आदिवासी

कंगाल बन गए है। जिस भूमि से उनकी आय होती थी वही भूमि अब उद्योग पतियों के पास है। आदिवासी भूख बेहाल है और उन्हें अपनी शानी–शौकत से ही फुर्सत नहीं है। इस प्रकार इनके सभी उपन्यासों कहानियों पात्रों का संघर्ष बहुत ही विविधतापूर्ण प्रस्तुत हुआ है।

निष्कर्ष–

सही है की समाज के शोषण में पुलिसिया अन्यान–अत्याचार में इजाफा किया है गांव के शोषको को दारोगा अभय देता है। और वह उन पर जुल्म करते रहता है। निम्नवर्ग द्वारा सही काम भी गलत की श्रेणी मे आता है। वही गलत कार्य अगर सामंत वर्ग करता है तो उसकी कोई भी सजा नही होती है भारतीय शाषित समाज को दयनीय बनाने का बर्बर काम सामंतों ने किया गांव की अधिकतर सम्पति के वे मालिक होने के कारण मनचाहा जुल्म सर्वहारा समाज पर करते हैं। सामंती शोषण और जमीदारी प्रथा का कोप भाजन हर समय सर्वहारा को बनना पड़ा है। सामंती शोषण की धर्म व्यवस्था और जातिवाद सहायक है बेगार प्रथा के कारण शोषकों का श्रम शोषण का लाइसेंस मिला है चकबंदी की सारी जमीन हथियाने की छोंड शोषकों मे लगी है। सर्वहारा समाज को सरकार द्वारा तय मजदूरी देने का सांमत विरोध करते हैं। धर्म और जातीय पाखंड के आड़ मे निम्नवर्गीय महिलाओं का शोषण रोजी–रोटी के लिये बिलबिला रहा है। सामंत और पूंजीवर्ग शहर से लेकर गांव तक अपने डैने फैलाए है। आज का निम्नवर्ग हर समय अपनी इज्जत की रक्षा करने मे ही लगा रहता है। क्योंकि कोई भी कहीं पर भी उनकी बहू बेटियो पर हांथ डाल सकता है। सामंत वर्ग सदा ही सर्वहारा वर्ग की नारियो को प्रताड़ित और वह बेबस होकर कुछ बोल या कर भी नही सकता क्योंकि उसे तो उसके आधीन ही कार्य करता है। कुल मिलाकर संजीव की कथा रचना और पात्रों का समावेश कुशलता लिए हुए हैं।

संदर्भ

1. सूत्रधार पृ.22 संजीव, राधाकृष्णन प्रकाशन दिल्ली प्र.स. 2002
2. प्रेममुक्ति पृ.23 संजीव दिशा प्रकाशन 1995
3. पाँव तले की दूब, पृ.14 संजीव प्रवीण प्रकाशन 1995

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

''ब्रह्माण्ड का दिव्य नर्तन''
'नटराज'

❐ अवनी चौधरी

शोध सारांश

चित्रकला, मूर्तिकला या संगीत कोई भी कला हो हम उसमें शिव नाम को पाते ही हैं। शिव परमपुरुष, परमब्रह्म माने जाते हैं। शिव को 1008 प्रकार के नामों से सम्बोधित किया जाता है। उनमें से एक शिव का नटराज स्वरूप है जो कि बहुत प्रचलित है। सबसे अधिक नटराज के रूप की पूजा दक्षिण भारत में की जाती है और दक्षिण भारत में मूर्तिकला के रूप में पौराणिक मन्दिरों का संग्रहालय है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा मन्दिर जिनमें पौराणिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें से एक शिव का नटराज स्वरूप भी है। नृत्यरत शिव को कई नृत्य करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने 108 प्रकार के नृत्य किये हैं किन्तु जिन नृत्यों का विवरण हमें मिलता है वह आठ मात्र ही हैं। इसी के साथ-साथ शिव के अलंकारों, प्रतिमा चिह्न, वाहन आदि भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं शिव की प्रतिमा को पहचानने के लिए। चोल वंश में नटराज की कांस्य मूर्तियाँ सबसे अधिक बनायी गयी और वर्तमान समय में इन मूर्तियों की अपनी अलग ही एक छवि है।

आज जिस भी चीज को हम योग के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत कई साल पहले भगवान शिव द्वारा की गयी थी। वैज्ञानिक तथ्य भी यह बताते हैं कि करीब

पाँच हजार साल पहले मानव चेतना में एक जबरदस्त उछाल आया था। नाट्यशास्त्र में उल्लेखित संगीत, नृत्य, योग, व्याकरण आदि के प्रवर्तक शिव ही हैं।

भगवान शिव को आमतौर पर विनाश के साथ जोड़ा गया है, और हमेशा उन्हें गुस्से में ही दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि भगवान शिव को संगीत और नृत्य से कितना प्यार है।

''हे नटराज जब आपने स्वयं को भूल कर, प्रलय नृत्य किया, तब आपकी जटा का बंधन अकस्मात् खुल पड़ा, उसी जटा से जाह्वी मुक्तधारा में निकल पड़ी जाह्वी उन्मादिनी-सी होकर अपनी दिशा खो बैठी, अतः जाह्वी का स्वयं पर से नियंत्रण हटा उठा रही मुक्तधारा की तरंगों से, एक संगीत भी निकला।

आकाश से उस पर, सूर्य की किरणों ने भी प्रत्युत्तर दिया; इससे घर छोड़े हुए जनों को, अभय-वाणी सुनाई दी। मतवाली प्रवाह वाली उसने स्वयं को अपना साथी बना लिया; उसके तट पर, जिसका सब कुछ खो गया है; उसे पुनः सब कुछ वापस मिला।''

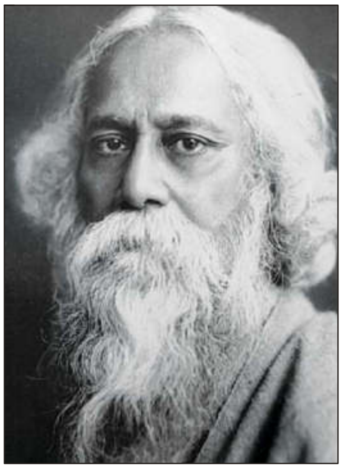

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

(मूल बाङ्गला से अनूदित)

नटराज अवतार एक सन्देश था कि अज्ञानता को केवल ज्ञान, स्वगीत और नृत्य से दूर कर सकता है। शिव के तांडव के दो स्वरूप है। पहला उनके क्रोध को दिखाता है और दूसरा आनन्द प्रदान करने वाला तांडव! प्राचीन आचार्यों के मतानुसार शिव के आनन्द तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है। शिव का नटराज स्वरूप भी उसके अन्य स्वरूपों की भाँति मनमोहक तथा उसकी अनेक व्याख्याएँ हैं।

नटराज शिव की प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति की चार-चार भुजाएँ हैं। उनके चारों अग्नि के घेरे हैं, उन्होंने अपने एक पाँव से एक बौने को दबा रखा है तथा दूसरे पाँव से नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा है। डमरू की आवाज सृजन का प्रतीक है। ऊपर की ओर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में आग है जो कि विनाश का प्रतीक है। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है जो बुराईयों से रक्षा करता है।

नटराज का जो पाँव उठा हुआ है वह मोक्ष दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि शिव का उठा हुआ पाँव मोक्ष के मार्ग का सुझाव करता है। कहा जाता है कि शिव के चरणों में मोक्ष है जो बौना शिव के पैरों तले दबा हुआ है वह अज्ञानता का प्रतीक है।

हमारी परम्परा में भगवान शिव को कई सारी वस्तुओं से सजा हुआ दिखाया गया है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र उनका वाहन नन्दी और उनका त्रिशूल, चन्द्रमा, सर्प, डमरू गंगा आदि।

शिव से 'शि' ध्वनि का अर्थ मूल रूप से शक्ति या ऊर्जा होता है। भारतीय जीवन शैली में हमने हमेशा से स्त्री गुण को शक्ति रूप में देखा गया है। मजेदार बात है कि अंग्रेजी भी स्त्री के लिए (She) शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है।

लेकिन आप अगर 'शि' का बहुत अधिक जाप करेंगे तो वह आपको असन्तुलित कर देगा। इसलिए इस मंत्र को मन्द करने और सन्तुलित करने के लिए उसमें 'व' शब्द जोड़ा गया है। 'व' 'वाम' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'प्रवीणता'। 'शि-व' मन्त्र में एक अंश लिया गया है जो कि उसे ऊर्जा देता है। दूसरा उसे सन्तुलित या नियन्त्रित करता है। दिशाहीन ऊर्जा का कोई लाभ नहीं है वह विनाशकारी हो सकती है। इसलिए जब हम शिव कहते

हैं तो हम ऊर्जा को एक खास तरीके से एक खास दिशा में ले जाने की बात करते हैं।

नृत्य के क्षेत्र में प्रभु के प्रथम शिष्य आचार्य नन्दिकेशव को माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यही तांडु मुनि थे। ऐसा परम्परागत विश्वास है कि इन्हीं ने भरतमुनि को नृत्य कि कला से सुसज्जित किया था। यही नृत्य कला तांडव नाम से प्रसिद्ध हुई।

शिव के नटराज के विभिन्न स्वरूप

(1) गौरी ताण्डव नृत्य
(2) उमा ताण्डव नृत्य
(3) संहार ताण्डव नृत्य
(4) उर्ध्व ताण्डव नृत्य
(5) आनंद ताण्डव नृत्य
(6) सांध्या ताण्डव नृत्य
(7) कालिका ताण्डव नृत्य
(8) त्रिपुर ताण्डव नृत्य

चोल वंश

दक्षिण भारत में चोल वंश (9वीं-13वीं शताब्दी ई.पू.) के दौरान महानगर संग्रहालय का शिव नटराज कुछ समय ग्यारहवीं शताब्दी में बना था, जो अब तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी स्थायी साम्राज्यों में से एक है। चोल वंश ने अन्वेषण, व्यापार और कलात्मक विकास के स्वर्ण युग की शुरुआत की। चोल अवधि की कलाओं के भीतर एक महान क्षेत्र नवीनता धातु के काम के क्षेत्र में थी, विशेषकर कांस्य मूर्तिकला में। चोल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्व में श्रीलंका के लिए फैला हुआ था और राज्य को विशाला तांबा भंडार तक पहुँचाया गया। जिससे कुशल कारीगरों द्वारा कांस्य के कामकाज को बढ़ावा दिया गया।

इस अवधि के दौरान एक नई प्रकार की मूर्तिकला बनाई गई है, जो पत्थर के मंदिर नक्काशिों की अभिव्यंजक गुणों को जोड़ता है जिसमें कांस्य कास्टिंग में संभवतः अमीर प्रतिमा के साथ होता है। शिव की इस छवि को दृश्य चित्रण के प्राचीन भारतीय मैनुअल, शिल्प शास्त्रों(विलान या मूर्तिकला के नियम) से लिया गया है, जिसमें दैवीय आकृति के अंगों और अनुपातों के लिए माप और आकार का एक सटीक सेट होता है। हथियार बांस की डंठल की तरह तंबे समय तक रहना था, चन्द्रमा की तरह गोल होता था, और आँखें बादाम या कमल के पत्तों की तरह होती थी। शास्त्री प्राचीन हिंदू विचारधारा के भीतर सौन्दर्य और भौतिक पूर्णता के आदर्शों पर प्राइमर थे।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

जीवन वृत्ति के रूप में विक्रय

❐ शालिनी सिंह परिहार*

शोध सारांश

आजकल विक्रयकर्ता का कार्य एक पेशा बन गया है, यह लोग सदा ही विक्रय करने को सोचते रहते हैं जो लोग विक्रय को एक पेशे के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनके लिए भारत में अनेक संस्थाएँ हैं जो बस इस सम्बन्ध में डिग्री या डिप्लोमा प्रदान कर रही हैं। भारत के प्रमुख प्रतिष्ठित संस्थान भी प्रबन्धन के साथ-साथ विपणन में भी विशेष योग्यता प्रदान कर रहे हैं। जिससे कि ऐसे लोग विक्रय या विपण को एक पेशे के रूप में अपना सकें। व्यापार में विक्रय या विपणन की उपयोगिता बहुत ज्यादा हो गई है। इसके बिना कोई व्यापार या उत्पादन का कार्य नहीं चल सकता है। इसलिए अब भारत में इसका महत्व बढ़ने लगा है और विक्रय या विपण के पेशेवर लोगों की माँग बराबर बढ़ रही है।

विक्रय एक पेशा

विक्रयकर्ता एक प्रतिनिधि है, इसका मुख्य कार्य वस्तुओं या सेवाओं के बारे में जानकारी देना है जिससे वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय अर्थात् विक्रय हो सके। वास्तव में विक्रयकर्ता एक प्रतिनिधि है जिसका मुख्य कार्य वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय का सौदा करना है। यह व्यक्ति ही विक्रय प्रतिबिम्ब होता है, यही दुकान पर बैठा दुकानदार होता है, यही मिलों या आफिसों में बैठने के अधिकारी होते हैं। जिनका कार्य विक्रय करना है इन्हीं व्यक्तियों को विक्रयकर्ता, विक्रय अधिकारी, विक्रय प्रबन्धक, विक्रय प्रतिनिधि, विक्रय निर्देशक, विक्रय प्रशासक इत्यादि नामों से पुकारते हैं। जब यह व्यक्ति सेवाओं को बचाते हैं तब सामान्य रूप से इनको प्रतिनिधि कहते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा पालिसी, बीमा प्रतिनिधि, फील्ड अधिकारी, शाखा प्रबन्धक इत्यादि बेचते हैं। यह सभी विक्रयकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।

विक्रयकर्ता की महत्वता

वर्तमान युग में विक्रयकर्ता का अत्यधिक महत्व है। यदि उचित विक्रयकर्ता उचित मात्रा में न हो तो, भारी मात्रा में विक्रय नहीं किया जा सकता है। भारी मात्रा में विक्रय देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नए-नए सहायक उद्योगों की स्थापना में अपना योगदान देता है। रोजगार वृद्धि होती है जन साधारण का जीवन स्तर ऊपर उठता है। इसके विपरीत, यदि विक्रयकर्ताओं का सहयोग न मिले तो निर्माता असफल हो सकता है। विक्रय के नए-नए क्षेत्र की जानकारी तो विक्रयकर्ता ही करते हैं। इसके माध्यम से एक निर्माता नए-नए क्षेत्रों में पहुँचता है और अपनी वस्तु का विक्रय करता है। इससे उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में सहायता मिलती है। मध्यस्थ का कार्य निर्माता की वस्तुओं को अपनी दुकान पर रखने के लिए तैयार होते हैं। जिनकी माँग बस क्षेत्र में है। लेकिन माँग को उत्पन्न करने का कार्य

* शास. नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढ़ार, जिला- शहडोल (म.प्र.)

क्षेत्र विक्रयकर्ता या **विज्ञापन** का है। इस प्रकार विक्रयकर्ता मध्यस्थों को खोजकर उन्हें माल देता है तथा उस क्षेत्र में माँग को उत्पन्न करने का **शासक** प्रयास करता है।

विक्रयकर्ताटों के प्रकार

विक्रयकर्ता कितने प्रकार के होते हैं? इस सम्बन्ध में विद्वानों में एक राय नहीं है। अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग मत एवं वर्गीकरण किए हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए विक्रयकर्ताओं को निम्न चार भागों में बाँट सकते हैं-

(1) नियोक्ताओं के आधार पर,
(2) स्थिति के आधार पर,
(3) क्रियाओं के आधार पर,
(4) मनोवृत्ति के आधार पर।

विक्रयकर्ताओं के प्रकार

नियोक्ताओं के आधार पर	**स्थिति के आधर पर**	**क्रियाओं के आधार पर**	**मनोवृत्ति के आधार पर**
1. निर्यात का विक्रयकर्ता	1. आंतरिक विक्रयकर्ता	1. सृजनशील विक्रयकर्ता	1. कुशल विक्रयकर्ता
2. थोक व्यापारी का विक्रयकर्ता	2. बाह्य विक्रयकर्ता	2. वृद्धिशील विक्रयकर्ता	2. निराश विक्रयकर्ता
3. फुटकर विक्रयकार्त या दुकान पर विक्रयकर्ता			
4. विशिष्ट विक्रयकर्ता			
5. निर्यात विक्रयकर्ता			

एक अच्छे विक्रयकर्ता की कार्यप्रणाली

विक्रयकर्ता को वस्तुओं के विक्रय की प्रक्रिया में बहुत से कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं जिन्हें विक्रयकर्ता के कार्य भी कहते हैं। यह निम्नलिखित हैं-

(1) ग्राहकों का आदर करना–जैसे ही ग्राहक दुकान, आफिस या कारखाना में आता है तो विक्रयकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह ग्राहक का विनम्रतापूर्वक एवं आदर सूचक शब्दों से स्वागत करे। यदि किसी प्रकार बातचीत में ग्राहक नाराज हो जाए तो उसको आदर सूचक शब्दों का प्रयास कर नाराजगी दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

(2) वस्तुओं के बारे में पूछताछ करना–विक्रयकर्ताओं का दूसरा कर्तव्य ग्राहकों से वस्तुओं के बारे में पूछताछ करना है। यहाँ पूछताछ से अर्थ ग्राहक से इस बात का पता लगाना है कि कौन-सी वस्तु क्रय करना चाहता है। यदि ग्राहक किसी प्रकार अपनी बात स्पष्ट न कर सके तो विक्रयकर्ता का यह कर्तव्य है कि अपने अनुभव एवं मनोविज्ञान से उसकी वस्तु के बारे में समझ ले और वस्तु को लाकर उसके सामने रख दे।

(3) ग्राहक की आपत्तियों का उचित स्तर–विक्रयकर्ता का तीसरा उत्तरदायित्व ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं शिकायतों का उचित निवारण करना है। इसके लिए विक्रयकर्ता को ग्राहक सदा सही है का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ उसको अपने विवेक से भी काम लेना चाहिए। एक ग्राहक संतुष्ट ग्राहक के लिए स्थायी ग्राहक बन जाता है।

(4) ग्राहक की चुनाव में सहायता–विक्रयकर्ता का चौथा कर्तव्य वस्तुओं के चुनाव में सहायता करना है। यह बहुधा देखा जाता है कि ग्राहक की कई वस्तुएँ एक-सी दिखाई देती हैं। अतः वह निर्णय करने में कठिनाई का अनुभव

करता है कि किस वस्तु का क्रय करे। ऐसे स्थिति में ग्राहक का उचित राय देकर उसको निर्णय लेने में सहायता की जानी चाहिए।

(5) वस्तुओं के विभिन्न प्रयोगों की जानकारी–एक विक्रयकर्ता का यह पाँचवा उत्तरदायित्व है कि वह वस्तु के विभिन्न प्रयोगों की जानकारी उस वस्तु के ग्राहक को अवश्य दे। जिससे कि वे भी इस जानकारी से लाभ उठा सके।

(6) वस्तुओं के बारे में पूर्ण जानकारी–वस्तु विक्रयकर्ता को अपनी वस्तु एवं प्रतियोगी वस्तुओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वह ग्राहकों को जानकारी दे सके तथा उसके साथ उचित व्यवहार कर सके। इसके साथ-साथ उसकी यह जानकारी भी होनी चाहिए कि उसकी दुकान या गोदाम में वस्तुओं का कितना स्टाक है। इसके लिए इसको स्टाक बुक रखनी चाहिए तथा प्रतिदिन की बिक्री एवं आवक माल को चढ़ाकर प्रतिदिन वाली निकालनी चाहिए।

(7) विक्रय खिड़की को सजाना–विक्रयकर्ता का यह बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। उसकी विक्रय का अन्तर बहुत सुन्दर ढंग से सजाकर रखना चाहिए जिससे कि राहगीर की आकर्षित होकर पूछताछ करने के लिए दुकान के अन्दर प्रवेश कर सके। यदि विक्रयकर्ता भ्रमण करने वाला है तो उसके पास आवश्यक साहित्य आकर्षण कागजों पर छपा हुआ होना चाहिए। यदि वह किसी मशीन का विक्रयकर्ता है तो उसके पास मशीन का एक छोटा माडल होना चाहिए।

(8) मूल्य सूची भरना–यदि विक्रयकर्ता के काउन्टर पर मूल्य सूची टंगी है तो उसका कर्तव्य है कि वह उसमें प्रतिदिन आवश्यकतानुसार परिवर्तन करता रहे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूल्य सूची में तो मूल्य कुछ लिखा हो जबकि ग्राहक को कुछ और बताया जाए।

(9) प्रतिवेदन भेजना–विक्रयकर्ता का यह भी कार्य है कि वह अपने मुख्यालय को अपना प्रतिवेदन भेजता रहे जिसमें कि उसकी गतिविधियों का पता उसके अधिकारियों को मिलता रहे और वह उसको आवश्यक निर्देश देते रहें।

(10) विक्रय के बाद सेवा–आधुनिक व्यवसायिक जगत में विक्रय के बाद सेवा एक आवश्यकता बन गई है। अतः विक्रयकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह विक्रय के बाद हाथ-पर-हाथ रखकर न बैठा रहे बल्कि ग्राहकों से सम्पर्क स्थापित करता रहे तथा उसको आवश्यक मरम्मत एवं सलाहकारी सेवा देता रहे जिससे कि संतुष्ट होकर ग्राहक पुनः क्रय करने के लिए लालायित हो सके।

एक अच्छे विक्रयकर्ता के गुण

एक सफल विक्रयकर्ता में बहुत-से गुणों का होना आवश्यक है। कुछ गुण तो एक विक्रयकर्ता, शिक्षा प्रशिक्षण अनुभव आदि से प्राप्त कर सकता है लेकिन कुछ जन्मजात होते हैं जिनको प्रकृतिप्रदत्त कहा जाता है। एक सफल या आदर्श विक्रयकर्ता में कौन-कौन से गुण होने चाहिए इस सम्बन्ध में भिन्न गुणों का उल्लेख किया जाता है।

सफल विक्रयकर्ता बनने के लिए आवश्यक गुण

शारीरिक गुण	मानसिक गुण	सामाजिक एवं नैतिक गुण	व्यवसायिक गुण
1. प्रभावशाली व्यक्तित्व	1. आत्मनिर्भरता	1. मिलनसारिता	1. अभिरुचि
2. उत्तम स्वास्थ्य	2. पहल शक्ति	2. सहकारिता	2. वस्तुओं का ज्ञान
3. स्फूर्ति	3. प्रखर बुद्धि	3. अच्छा स्वभाव	3. ग्राहकों का ज्ञान
4. प्रसन्न मुद्रा एवं मधुर वाणी	4. तीव्र स्मरण शक्ति	4. धैर्य	4. व्यवसायिक सन्नियम एवं हिसाब-किताब का ज्ञान
5. कार्यशक्ति	5. कल्पना शक्ति	5. नम्रता	5. शिक्षा
6. अच्छी पोशाक	6. मानसिक सर्तकता	6. सत्यनिष्ठा	6. प्रशिक्षण
	7. आशावादिता	7. ईमानदारी	
	8. अवलोकन एवं निर्णय क्षमता	8. स्वामिभक्ति	
	9. परिपक्वता		
	10. चातुर्य		

''सफल विक्रयकर्ता पैदा होते हैं बनाये नहीं जाते''

कुछ विद्वानों का मत है कि अच्छे विक्रयकर्ता पैदा होते हैं बनाये नहीं जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही गुण होते हैं जिसके कारण उनके विक्रयकर्ता में सफलता मिल जाती है। ऐसे विद्वानों का विश्वास है कि वही व्यक्ति अच्छा विक्रयकर्ता हो सकता है जिसमें कुछ गुण जन्मजात हैं। वर्तमान प्रगतिशील युग में है जिसमें कोई बात असम्भव नहीं है। यह धारणा उचित नहीं दिखाई देती है। यद्यपि इसमें एक सीमा तक अत्यन्त आवश्यक है। वे व्यक्ति जिसमें विक्रयकर्ता के गुण जन्म से ही पाये जाते हैं। यदि वे किसी व्यवसाय में प्रवेश करते हैं तो उन विक्रयकर्ताओं की तुलना में जिसमें जन्मजात गुण नहीं है वे व्यक्ति अधिक सफल होते हैं।

निष्कर्ष

यह धारणा बना लेना कि परिश्रम के होते हुए भी सफल विक्रयकर्ता नहीं बन सकता गलत है। वास्तव में, वे व्यक्ति जो विक्रयकर्ता का ज्ञान प्राप्त करके व्यवसाय में प्रवेश करते हैं सफल विक्रयकर्ता सिद्ध होते हैं। इसमें भी सत्यता है कि जिन व्यक्तियों में जन्म से ही विक्रयकर्ता के गुण हैं वे व्यक्ति अपेक्षाकृत सफल से सफल विक्रयकर्ता बन जाते हैं। भारत जैसे देश में यह धारणा सत्य ही प्रतीत होती है लेकिन पश्चिमी देशों में तो विक्रयकर्ता को विश्वविद्यालय में विक्रय कला की शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति कहीं अच्छे विक्रयकर्ता सिद्ध होते हैं या बनते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. पुस्तकें–विपणन के सिद्धान्त (डॉ. एस.सी. जैन) साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, डॉ. एस.सी. शर्मा, एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स, डॉ. जितेन्द्र कुमार जैन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी विपणन प्रबंध कैलाश सदन, डॉ. एस.सी. शर्मा

2. समाचार-पत्र दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत, अमर उजाला

3. पत्रिकाएँ–बिजनेस वीक, बिजनेस टुडे।

4. इन्टरनेट–www.enfold.com., www.google.com.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

कृषि उत्पादों के परिष्करण का विश्लेषणात्मक अध्ययन

❐ दीपशिखा तिवारी*

शोध सारांश

कृषि–उत्पादों की विपणन–प्रक्रिया में परिष्करण भी प्रमुख भौतिक कार्य है क्योंकि अनेक कृषि–उत्पादों का उत्पादन उस रूप में नही होता है जिस रूप में उपभोक्ता उनका उपभोग करतें है कुछ कृषि–उत्पाद जैसे– धान गन्ना तिलहन आदि का परिष्करण उपभोग के पूर्व करना आवश्यक होता है। लेकिन फल सब्जी एवं अन्य उत्पादों का परिष्करण कार्य इन्हें अधिक उपयोगी एवं स्वादिष्ट बनाने एवं एक मौसम के अधिशेष उत्पाद को दूसरे मौसम अथवा समय में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है अतः कृषि उत्पादों को उपभोग योग्य बनाने एवं उन्हे अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए परिष्करण करना होता है। इस क्रिया द्वारा उत्पादों को संग्रहीत किए जाने के समय में भी वृद्धि होती है जैसे–फलों से जैम, जैली, शर्बत सब्जियों को आचार, डिब्बाबन्दी एवं सुखाकर अधिक समय तक खराब होने से रक्षित कर लिया जाता है ताकि उत्पादन मौसम के अतिरिक्त अन्य समय–काल में भी उनकी मॉग पूरी की जा सकती है। प्रोसेसिंग–प्रक्रिया द्वारा उत्पादों का बाजार भी विस्तृत हो जाता है।

प्रस्तावना–

''परिष्करण का अर्थ उन क्रियाओं को करने से है जिनके द्वारा उत्पादों के मूल रूप को परिवर्तित करके उनको उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए पहले से अधिक उपयोगी बनाया जाता है।''परिष्करण कार्य के करने से उत्पादों की विपणन लागत में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकों को उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत से प्राप्त प्रतिशत भाग कम होता जाता है परिष्करण क्रिया द्वारा उत्पादों के फर्म पर उत्पादित मूल्य में 7 प्रतिशत (चावल में) से 86 प्रतिशत (चाय) तक वृद्धि हो जाती है वाणिज्यिक फसलों में यह वृद्धि खाद्यानों वाली फसलों की अपेक्षा अधिक होती है। परिष्करण कार्य से उत्पादों में उपयोगिता सृजन की प्रतिशतता भारत की अपेक्षा दूसरे देशों में अीधक है एक अध्ययन के अनुसार खाद्य वस्तुओं में उपयोगिता सृजन इंगलैण्ड में 88 प्रतिशत, फीलिपिन्स में 45 प्रतिशत, चीन में 23 प्रतिशत एवं भारत में 7 प्रतिशत है। अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में कृषि–उत्पादों में उपयोगिता सृजन का स्तर कम है। एवं इसमें निकट भविष्य में वृद्धि होने की असीम सम्भावनाएँ है उत्पादों में परिष्करण कार्य के करने से मूल्य–संवृद्धि होती है।

* वाणिज्य विभाग, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय (डिग्री कॉलेज) सतना, मध्यप्रदेश

''किसान भाईयों की अथक मेहनत से प्रदेश कृषि विकास के क्षेत्र सर्वोपरि है।''

उद्देश्य :–

''कृषि उत्पादों के परिष्करण का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' शीर्षक के चयन के पीछे का उद्देश्य आज के समय में उत्पादों के परिष्क्रत रूप को लोग ज्यादा पसंद कर रहे है। परिष्करण कार्य करने से अनेक कृषि उत्पादों को संग्रहीत किए जाने वाले समय में वृद्धि होती है जैसे–ः

- अधिक समय तक उन्हे उपयोगी बनाये रख पाना सम्भव होता है जैसे– दूध को मख्खन, घी, पनीर, के रूप में सब्जियों एवं फलों को जैम, जैली, मुरब्बा, आचार, इत्यिादि,
- परिष्करण कार्य के करने से अनेक उत्पाद जो एक मौसम में उत्पादित होते है, वे उपभोक्ताओं को वर्ष भर (उत्पादन– मौसम के अतिरिक्त) उपलब्ध होते रहते है,
- परिष्करण कार्य से उत्पादों का बाजार विस्तृत हो जाता है क्योंकि उत्पादों को दूर के स्थानों तक सभी मौसम में ले जाना सम्भव होता है,
- परिष्करण का कार्य उभ्भोक्ताओं को घर पर उनके संसाधन करने में होने वाली परेशानियों से मुक्त करता है संचित समय को उपभोक्ता अन्य उपयोंगो में ले पाते है।
- उत्पाद जागरुकता बढ़ाना। परिष्करण कार्य के करने पर विपणन–प्रक्रिया में किए जाने वाले अन्य विपणन–कार्यों (जैसे– परिवहन,पैकेजिंग,संग्रहण आदि) के करने में आने वाली लागत में कमी होती है।
- परिवहन–कार्य से देश के निवासियों को रोजगार उपलब्धि में वृद्धि होती है, जैसे– स्थापित चीनी मिलें, तेल–मिलें, चावल मिलें, बेकरी एवं बिस्किट उत्पाद कारखानों द्वारा।
- उत्पादों में परिष्करण–कार्य के होने से विपणन–प्रक्रिया के अन्य आवश्यक कार्यों को करनें में आसानी रहती है।
- उत्पादों के परिष्करण से वस्तु की बिक्री में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कई बार लोग उस वस्तु के मूल रूप को भले ही पसंद न करें परन्तु परिषक्रित रूप को बहुत ज्यादा पसंद करते है।
- वस्तु का परिष्करण उत्पाद के आधिक्य को भी नष्ट होने से बचाता है।

कृषि–उत्पादों में की जाने वाली क्रियाएँ एवं परिष्करण की विधियाँ

कृषि–उत्पादों के परिष्करण में सामान्यतः उनकी सफाई, श्रेणीकरण, सुखाकर, नमी को नियंत्रित करना, पानी में भिगोना, गर्म पानी में उबालना, पालिस करना आदि क्रियाएँ परिष्करण विधियों के उपयोग के पूर्व की जाती है। तत्पश्चात परिष्करण विधियाँ प्रयोग की जाती है।

गेंहूँ आटा बनाने में की जाने वाली क्रियाएँ

- सफाई करना जिससे मिट्टी एवं अन्य उत्पादों के बीजों, कंकड एवं अशुद्धि को पृथक किया जा सके (Cleaning)।
- दानों को पानी में भिगोना एवं सुखाना (Tempering)।
- विभिन्न स्तर के प्रोटीनयुक्त दानों को मिश्रित करना (Blending)।
- दानों के टुकडे करके पाउडर आटा बनाना (Grinding)।
- आटे से चोकर पृथक करना (Separating)।
- आटा बनाने की विधियाँ–ः
- मानव–श्रम से संचालित पत्थर की चक्की द्वारा।
- विद्युत/डीजल–तेल से संचालित चक्की द्वारा।
- रोलर फ्लोर मील द्वारा।

धान से चावल बनाने में की जाने वाली क्रियाएँ

- धान के दानों को निर्धारित नमी के स्तर तक सुखाना।
- सफाई करना एवं अन्य उत्पादों के दानों को पृथक करना।
- धान के दानों को पानी में भिगोकर वाष्प में गर्म करना जिससे आवश्यक सुगन्ध उत्पन्न होवे (par boiling)।
- चावल एवं भूसा को पृथक करना (Husking)
- चावल के दानों से चोकर एवं जर्म को पृथक करना (Polishing)।

- टूटे दानों को पृथक करना (Separeting)।
- चावल का श्रेणीकरण करना (Grading)।

धान से चावल बनाने की विधियाँ

1. हाथ से कूटकर (Hand pounding) 2. हलर मिल द्वारा (Huller Mills) 3. सेलर मिल द्वारा (Sheller Mills) 4. रबर रोलर मिल द्वारा (Rubber Roller Mills)।

दलहन के दानों से दाल बनाने में की जाने वाली क्रियाएँ –

1. सफाई करके कंकड, मिट्टी एवं अन्य उत्पादों के दानों को पृथक (Separating) करना।

2. दानों को पानी में भिगोना (Daming) 3. दानों के टुकडे करना (Grinding) 4. दाल एवं भूसी को पृथक करना (Husking)

आटा बनाने की विधियाँ

1. मानव–श्रम के द्वारा संचालित पत्थर की चक्की द्वारा 2. रोलर दाल मील द्वारा।

तिलहन उत्पादों से तेल निकालना

तिलहन–उत्पादों से तेल निकालनें के पूर्व उत्पाद की सफाई की जाती है। मूँगफली उत्पाद में सर्वप्रथम मशीन की सहायता से छिलका पृथक करके दानों का मशीन में दबाव की विधि से तेल निकाला जाता है तेल निकालने के बाद शेष उत्पाद को खली कहते है।

प्रयोगित विधियाँ

1. बैलो से चलित घानी विधि द्वारा 2. विद्युत संचालित घानी विधि द्वारा 3. एक्सपेलर विधि (Expeller) द्वारा 4. सोलवेन्ट एक्सट्रैक्सन विधि (Solvent Extraction Method) द्वारा।

फल एवं सब्जी का परिष्करण, (परिक्षण)

फलों एवं सब्जियों के परिक्षण की प्रमुख विधियाँ– 1. फल एवं सब्जियों को सुखाकर 2. फल एवं सब्जियों की डिब्बाबन्दी 3. फल एवं सब्जियों की बोतलबन्दी 4. फल एवं सब्जियों के परिक्षण विधि से नए उत्पाद बनाना।

	2018-2019	
Product Name	**Qty. In kg**	**Rs. Lacs**
Basmati Rice	78307141.00	61568.00
Milled Product	12571973.00	4636.57
Non Basmati Rice	3117583.00	1851.40
Dairy Product	378200.00	1188.00
Processed Fruits,Juices,& Nuts	496123.00	520.77
Processed Vegetables	188067.00	458.17
Cocoa Products	127162.00	167.29
Wheat	55000.00	13.23
Mango Pulp	1000.00	0.48
Natural Honey	50.00	0.18
Other Fresh Vegetables	150.00	0.04
Total	**95242449.00**	**70404.13**

समंक विश्लेषण–

क्र. स.	कच्चा माल	प्राप्त मुख्य एवं उपोत्पाद	टनुपात
1	गेहूँ	आटा एवं चापड़	गेहूँ का 98 प्रतिशत आटा एवं 2 प्रतिशत चापड़।
2	धान	चवल	धान का दो तिहाई भाग चावल एवं एक तिहाई भाग भूँसी।
3	मूँगफली	तेल एवं खली	मूँगफली का 70 प्रतिशत दाने, दानों का 40 प्रतिशत तेल एवं दानों की 60 प्रतिशत। अथवा मूँगफली की फली का 28 प्रतिशत तेल एवं मूँगफली की फली का 42 प्रतिशत खली।
4	सरसों एवं तारामीरा के दाने	तेल एवं खली	दाने का 33 प्रतिशत तेल एवं 67 प्रतिशत खली।
5	Fry	तेल एवं खली	दाने का 40 प्रतिशत तेल एवं 60 प्रतिशत खली।
6	सेयाबीन के दाने	तेल एवं खली	दाने का 18 प्रतिशत तेल एवं 73 प्रतिशत सोयाबीन खली।
7	कच्ची कपास	कपास का रेशा एवं बिनौला	क्पास का एक तिहाई रेशा एवं दो तिहाई बिनौला।
8	काजू फली	क्जू	क्जू फली का 25 प्रतिशत काजू।
9	गन्ना	गुड़	गन्ने का 10 प्रतिशत गुड़ एवं 90 प्रतिशत शक्कर।

परिष्कृत उत्पाद तालिका के रूप में

क0स0	फल/सब्जी	तैयार होने वाले प्रमुख परिरक्षित उत्पाद
1	आम	शरबत, नेक्टर, स्क्वैश, मुरब्बा, आचार, चटनी
2	अमरूद	जैली, स्क्वैश, टाफी, नेक्टर, शर्बत
3	आवला	मुरब्बा, जैम, कैंडी स्क्वैश, आचार, चटनी, त्रिफला, चवनप्राश
4	लीची	जूस, नेक्टर, स्क्वैश, सीरप, डिब्बाबन्द लीची, लीची नट
5	पपीता	जैम, कैंडी नेक्टर, आचार, पपेन
6	केला	सुखा केला(चिप्स), टॉफी
7	नींबू	जूस, शर्बत, आचार
8	टमाटर	सॉस, चटनी, पेस्ट, जूस, सूप, टमाटर, पाउडर
9	फूलगोभी	आचार, सुखा गोभी, डिब्बाबंद गोभी
10	गाजर	जैम, आचाार, मुरब्बा, कैंडी
11	मटर	डिब्बाबंद मटर, बोतल बंद मटर, सुखा मटर, मिश्रित मटर
12	परवल	डिब्बाबंद परवल, परवल की मिठाई
13	फ्रेंचबीन	आचार, डिब्बाबंद फ्रेंचबीन के टुकड़े
14	मशरूम	आचार, डिब्बाबंद मशरूम,सुखा मशरूम

परिष्करण–इकाई का संतुलन–स्तर–बिन्दु

किसी भी मशीन अथवा इकाई का संतुलन–स्तर–बिन्दु वह है जहाँ पर उद्यमी को व्यवसाय करने से लागत राशि पूर्णतया प्राप्त हो जाती है। अर्थात उस स्तर पर उद्यमी को हानि नही होती है, इस स्तर से कम मात्रा में परिष्करण करने से उद्यमी को हानि एवं इस स्तर से अधिक मात्रा में उत्पादों के परिष्करण करने से लाभ प्राप्त होता है, दूसरे शब्दों में संतुलन–स्तर–बिन्दु पर उद्यमी को व्यवसाय करने पर पूर्ण परिवर्तनशील लागत के साथ स्थिर लागत भी प्राप्त हो जाती है।

संतुलन–स्तर–बिन्दु ज्ञात करने का सूत्र निम्न लिखित है–

जबकि–BEP = संतुलन–स्तर–बिन्दु। TFC = कुल स्थिर लागत। P = उत्पाद की प्रति इकाई कीमत। AVC = औसत परिवर्तनशील लागत।

परेशानियाँ–

1. कीमतों पर अधिक हस्तक्षेप
2. कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति
3. मौसमी फसलें
4. कच्चे माल की घटिया गुणवत्ता की सप्लाई, जिससे उत्पाद को फर्म से कारखाना तक ले जाने में बहुत हानि होती है
5. प्रसंस्कृत उत्पादों की खराब गुणवत्ता
6. प्रसंस्कृत सुविधाओं और उपकरणों का उपानुकूलतम प्रयोग
7. खराब प्रशिक्षित कर्मियों और योग्य खाद्य प्रौद्योगिकीविदों की कमी
8. उचित स्वच्छता और स्वच्छता अभ्यास की कमी
9. अनुपयुक्त पैकेजिंग सामग्री और उच्च्य पैकेजिंग लागत
10. कमजोर या अस्तित्वहीन बाजार का विकास
11. कृषि–औद्योगिकी क्षेत्र के लिए तकनीकी सहायता की कमी
12. व्यवसायीकरण के बाद प्रसंस्करण सुविधा के अच्छे प्रबंधन की अनुपस्थिति।

सावधानियाँ

इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उत्पाद मे ज्यादा नमी न हो, कीड़े न लगे, फंगस न लगे, उसे सूर्य की रोशनी में अच्छे से सुखाकर अच्छे से पैकिंग करके रखे इससे लेबर कॉस्ट जरूर बढती है पर किसी प्रकार का प्रिर्जवेसन नही होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने से बचाता है लेबर कॉस्ट तो हम उत्पाद मूल्य मे जोड़ते ही है तो उत्पाद का मूल्य मिल ही जाता है इसके लिए हम हाथ से चलने वाली मशीनों का प्रयोग भी हम कर सकते है यह कम कॉस्ट में आ जाती है ऐसे कम कॉस्ट वाले घरेलू उपकरण ले कर भी फल और सब्जियों को प्रोसेस करने की घरेलू नुस्खों को भी अपना सकते है जो पहले हमारे पूर्वज अपनाते थे।

प्रोसेसिंग के द्वारा हमें उत्पाद की कीमत से ज्यादा उसके परिवर्तित रूप से मिल जाती है इन उत्पादों को हम सामान्य कन्टेनर में नही रख सकते बल्कि फूड ग्रेड प्लास्टिक के कन्टेनर आते है उसमें रख सकतें है कुछ बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, जैसे–पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, रख–रखाव। इसके बाद प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराना पड़ता है। ऑनलाइन भी सर्टिफाई कर सकते हैं–PGS India Organic Certification के द्वारा।

इन सबके बाद भी सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती है कि प्रोडक्ट को बाजार में कैसे बेचें, लोगो तक अपनी पहुँच कैसे बनाए इसके लिए सबसे पहले अपने आस–पास के शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों की तलाश करना चाहिए।

निष्कर्ष–:

आज के डिजिटल युग में किसानों को भटकने की जरूरत नही है सरकार ने पीजीएस इन्डिया ऑरगेनिक सर्टिफाई प्रोग्राम पोर्टल को चलाकर एक नई पहल की है जिसके माध्यम से किसान अपने कृषि उत्पाद को आसानी से सर्टिफाई करा सकते है।

ज्यादा आमदनी के लिए खेती के बाद प्रोसेसिंग और पैकिंग उचित ढंग से कराना बहुत आवश्यक हो

गया है किसान बहुत मेहनत और सिदद्त के साथ फसल उगाते है लेकिन जब वो बाजार में इसे बेचने जाते है तो बहुत बार उन्हे इसका सही दाम नही मिल पाता है यहाँ तक कि कई किसान तो गुस्से में आकर अपनें उत्पाद को सड़क पर फैला देते है। ऐसे मे जरूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू एडिसन करें यानि उनकी मूल्य वृद्धि करें जैसे ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, प्रोसेस करके इसे बाजार में बेचेंगे तो उत्पाद की सही कीमत भी मिलेगी।

यदि हम जैविक तरीके से गेंहूँ पैदा करते है तो गेहूँ के रेट में 20 प्रतिशत प्रीमियम रखते हैं जैसे–: यदि बाजार में 1600 रु. है तो 1900–2000 तक इनका रेट रहता है जबकि कुछ लोग 4000–5000 तक में बेचतें है जो तरीका बिल्कुल गलत है प्रोडक्सन का प्रीमियम लेना उचित है पर उसकी कीमत का दो तीन गुना बढा कर लेना बिल्कुल भी उचित नही है जबकि पैसा कमाने का सही तरीका अपनाना है तो वैल्यू एडिसन के द्वारा भी कमाया जा सकता है बिना कोई पैसा खर्च किए वैल्यू एडिसन का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने उत्पाद को अच्छे से छानकर, बीनकर, उसकी अच्छे से ग्रेडिंग करके एवं इसकी पैकिंग करके बाजार में बेचें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Internet Web Search.
2. mpkrishi.mp.gov.in
3. Krishi Vipdan Book (Writer, Dr. Prakash Mehta and Dr. D.S. Thakur.
4. Krishi Samsya (Writer, Mahendra Chandra Pandey) .
5. Indian Agriculture (Writer, Dr. Taara Chandra)

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

A Subaltern Study of ARUNDHATI ROY'S The God of Small Things

❐ Vilas Balajirao Bhandare

ABSTRACT

The Booker Prize winner Arundhati Roy is one of the contemporary intrepid Indo-Anglian writers who dream to change the world by raising voice against the existing injustice, discrimination and convention of the society which try to marginalize human being into nothingness, suppress and control individual's identity in a boundary. Her outstanding novel The God of Small Things (1997) is a tragic resonance of "The subaltern". This term is defined by many critics such as Gramsci and Spivak who limit it only to proletariat and women respectively. This paper attempts to study the novel reflecting Ranajit Guha's definition of "The subaltern" which suggests the subordinated and marginalized condition of a person due to his/her belonging to the periphery of the society. The novel unfolds the tragic story of each subaltern in the context of national, political, cultural issues which appears to be bound in a ribbon of togetherness. Roy depicts an extremely traditional Keralite society, which as the God decides every individual's (small things') fate; gives punishment through death and silences if anyone tries to transcend its laws, customs, and conventions. All the major characters of the novel ?both oppressor and oppressed are victims of these grand narratives. Moreover, it can be called a saga of sadness, where love is connected to loss, death, unfulfillment and silence.

Key Words: Caste, Patriarchy, Subaltern, Silence, Tradition, Women.

Suzanna Arundhati Roy, one of the harbingers of the Renaissance (1980s-1990s) of Indo-Anglian Literature, is best known for her masterpiece The God of Small Things. The novel was published in 1997, the year when India celebrated its 50th (1947-1997) anniversary of independence. How much liberty and freedom does an individual enjoy in post-independent India? What is the meaning of independence? Roy raises these thought provoking questions in the novel. The setting of this "semi-autobiographical" [1] novel is at Ayemenem, Kerala. In an interview Roy says, "Kerala is the home to four of the world's great religions: Hinduism, Islam, Christianity, and Marxism" [2] . Patriarchy, religion, culture, colonialism and even Marxism? all these grand narratives are introduced to 'the emancipation and the betterment' of human civilization. But ironically, these are also the agencies that have deprived the individuals for the centuries. All the major characters of the novel are fully or partially deprived by these grand narratives. In her novel, Roy criticizes the traditional values of the casteridden, gender biased Keralite community, where "Small man the Mombatti" (p.88) is under the control of "Big Man

* Research student, S.R.T.M.U.N NANDED

the Laltain" (p.88). The God of Small Things speaks for the subalterns. The term has been adapted to postcolonial studies from the work of the Subaltern Studies group to histories, who aimed to promote a systematic discussion of subaltern themes in South Asian Studies. It is used in Subaltern Studies "as a name for the general attribute of subordination in South Asian society whether this is expressed in terms of class, caste, age, and office or in any other way" (Guha 1982; vii)[3] . Marginalized by the class, caste, race, gender, religion, age, economic condition, the major characters are subalterns in more than one way.

The novel vividly delineates the condition of the untouchable in India, especially in Kerala. In Kerala, untouchability is practised more meticulously than elsewhere in India and it is not restricted to Hindus only but Christians, the established Syrian Christian, practise the rules and customs also. Technically, in Christianity, there is no stratum in human being on the basis of caste; but in India caste is a reality in Christianity. "In the colonial period, many lower castes were converted to Christians by the European Missionaries but the new converts were not allowed to join the Syrian Christian community and they continued to be considered as untouchables even by the Syrian Christians [4]. The Indian Government appointed many Commissions to study the real situation of the Untouchable Christians in India. According to the commissions the change of religion to Christianity had not significantly changed the life of these untouchables. The Mandal commission Report, under the chairmanship of B.P. Mandal (1980), has accepted the reality of caste among Indian Christians. According to the Report, " ….Christians in Kerala are divided … into various ethnic groups on the basis of caste background … even after the lower caste converts continue to be treated as Harijans [the untouchables] by all sections of society including the Syrian Christians"[5] . Dr. B. R. Ambedkar, the father of the Indian constitution raises the question, "Has Christianity been able to save the converts from the sufferings and ignominy which is the misfortune of everyone who is born an Untouchable?"[5] We find the answer in Roy's novel:"When the British came to Malabar, a number of Paravans and Pulayas (among them Velutha's grandfather, Kelan) converted to Christianity and joined the Anglican church to escape the courage of Untouchability. As added incentive they were given a little food and money. It was little like having to sweep away your footprints without a broom. Or worse, not being allowed toleave footprint at all. "[6]

We find the more pathetic and inhuman treatment towards the untouchable in the novel: In this historical backdrop, the plot of the novel revolves around a love affair between Ammu, an upper class Syrian Christian and Velutha, an untouchable. Being an 'Old World Paravan' (p.76) and knowing the dire consequences one has to face who wants to challenge the rigid social order, Vellya Paapan, father of Velutha, does not dare to raise any questions regarding the social hierarchy. Gramsci's concept of hegemony is highly applicable here in case of Vellya Paapan, who is loyal to his oppressor. His gratitude to Mammachi and her family is 'as wide and deep as a river in spate'(p.76). Velutha, a highly intelligent and an excellent craftsman with "an engineer's mind" (p. 277), does not compile with those age-old traditions, customs, rules and hierarchy. He does not want to follow any man-made border and margin. O.P. Dwivedi comments on him as "Velutha does not sanction this social discrimination. The subaltern in this novel wants to speak but he is beaten to death by Inspector Mathew in police lock-up, thus substantiating the views of Gayatri Spivak expressed in her famous article, "Can the Subaltern Speak?"[7] Velutha breaks the age-old customs and rules of society, and that is why he is killed to defend the social norms and order. According to Baby Kochamma, Ammu's aunt, Velutha's murder is 'history lesson for future offenders' (p.336). Moreover, she justifies it as a divine retribution: 'As ye sow, so shall ye reap' (p.31). Ammu, a divorcee with two children, Estha and Rahel, is the female protagonist and the worst sufferer of the novel. She is an archetype image of a woman marginalized in a patriarchal society. In all the roles that she assumes as a woman ? the role of a daughter, wife, divorcee, and mother she becomes a victim of patriarchy, tradition, community, and religion. She is a victim of all laws: the family law, inheritance laws, social laws, 'Love Laws'. Ammu falls in love with an untouchable laborer Velutha and violates the 'Love Law' which her community

inherited from, among other things, their Hindu past. " Her transgression of the caste, class and religious boundaries mounts a rebellion of a kind against her marginalization as a woman" [8]. Murari Prasad comments on her rebellion, "Ammu's rebellion against maternal and marital conventionality, and finally, her liaison with dark skinned and untouchable Velutha (ironically meaning white) constitutes a violation against a determinate social order, sponsoring the immutable 'love laws'[9] . She is treated as an outcast, unwanted person in her family which clearly defines her position in the society. She becomes "a symbolic personification of all subalterns, especially women, who challenge power structures of the social order". [8] As a child, Ammu suffers at the hands of her "Anglophile" father, Pappachi who makes a lot of discrimination between the male and the female child. Though her father is an educated and high official in British Empire, he deprives her daughter's right to pursue higher education considering it as 'an unnecessary expense' (p.38), while he sends his son Chacko to Oxford University. Roy condemns this kind of gender discrimination as root level injustice

Pappachi's bestial treatment of Ammu has affected her psyche so much that she considers marriage as the only possible mode of escape from her ill-tempered father. In an interview Mary Roy, Arundhati Roy's mother, says, "One absolute certainty in India is that women are born to get married. And marriage means getting a dowry. And getting a dowry means staying with your parents. And staying with your parents is to get a social acceptance. Or else your daughter will not get the right bridegroom. This is the biggest hurdle that women face in India" [10] . 'Since her father did not have enough money to raise a suitable dowry, no proposals came Ammu's way', (p.38) which leads her to make a mistake. 'She married the wrong man' who turns out to be a full-blown alcoholic and lair. She is very often beaten and bruised by her addicted husband in his intoxicated state. In this case, she is similar to her mother, Mammachi. Both are sufferer and victim of the marriage. Even he asks Ammu to go to his white boss to satisfy his carnal bliss just in order to save his job. So, she runs away from him all along with her two children to Ayemenem, her maternal home.

As a divorcee, she has to face "ostracism" [11] by her society and family. In a male dominated society, the codes and moral standards, "the yardsticks" [11] by which human beings are judged are stricter for a woman than for a man. Society expects feminine qualities like caring, rearing and nurturing only from a woman. It seems that it is only (my emphasis) woman's sacred duty to make a marriage successful. In case of divorce, society blames only woman and makes her guilty considering her responsible for this. Ammu, who has walked out of her marriage, is perceived by the society as aggressive and rebellious. In her paternal house also, she is physically and emotionally tortured by her parents and her brother, Chacko. Ammu and her children are considered as an unwanted botheration and unnecessary burden. This is the condition of any divorcee who comes back to her parental house in the Indian society. Roy is very critical of the apathetic and biased attitude of the society towards a divorcee. Describing Baby Bochamma's, reaction to Ammu's break up from her husband, Roy says: 'Kochamma subscribed whole heartedly to the commonly held view that a married daughter had no position in her parent's home. As for a divorced daughter from a love marriage, words could not describe Kochamma's outrage' (p.45). Her female relatives sympathize with her in a way, making her conscious of the gravity of her crime she has committed in living separated from her husband. 'Within first few months of her return to her parent's home; Ammu quickly learned to recognize and despise the ugly face of sympathy. Old female relations with incipient beards and several wobbling chins made overnight trips to Aye Menem to commiserate with her about her divorce…she fought off the urge to slap them' (p.43). Khurshid Alam describes the situation of a divorcee: "A divorcee has no right to pursue for happiness in life. The only course open to her is to spend a static life, waiting for death. Any attempt on her part to see life independently threatens the existing order" [11]. In this society, widow is considered more respectable than a divorcee. A divorcee is considered as a criminal or sinner who has done a grave sin. Sill today, in sub-continent divorcees are treated as step daughter by society. She, along with her children, is considered as burden in her own family. It is visible at Sophie

Mol's funeral: 'Though Ammu, Estha and Rahel were allowed to attend the funeral, they were made to stand separately, not with the rest of the family. Nobody would look at them' (p.5). "The novel shows the process of creating and labeling Paravans within the high class families ? the people who go beyond the unwritten laws of society in pursuit of happiness" [11

Velutha, the "untouchable", offers what is denied to Ammu, another "untouchable within the touchable" [11]. Probably that's why, Ammu discovers a companion in Velutha. She feels safe with him, finds comfort in his presence, gets passion, and warm in his arm and knows the real love. Her longing for real love and freedom couple with her resentment against the patriarchal society urged her to transgress the norms and standards laid down by the social institutions like family and marriage, caste and community. She, (as well as her daughter, Rahel) violates the most basic "love laws", the laws that "lay down who should be loved. And how. And how much" (p.31).Bose considers this transgression as "the result of conscious decisions by the emotionally overcharged characters" [12]. She firmly believes that it cannot simply be "bodily need" [12] but affirms "the political judgment" [12]. Dwivedi accuses our patriarchal society: "Indian social fabric is a curse for those advocating or practicing the rituals of modernity, since time immemorial, it has restricted the romantic movements of lovers despite the fact Krishna violated this traditional practice, and so did Vishwamitra and many others. Still we have profound regards for them, but when the same love affair is rehearsed between Ammu and Velutha it becomes hostile towards them. This exposes the dual character of our patriarchal society. Why is it that only man has got the right to (dis)owns a woman, to define a protocol for female, and to exploit her feminity? These are vexed issues, which need to be looked at with open minds" [7].

Ammu has to pay a lot for her clandestine relationship with Velutha. She is branded 'Veshya', when she tries to acquit Velutha of charges of murder. She is driven out of her parental house, denied of her rights of inheritance, separated from her children, and reduced to ashes by meeting a tragic death in the Bharat lodge in Sleepy and a 'Receipt No. Q49 8673' (p.163).Thus, as Mohit Kumar Roy puts it, Ammu is "...humiliated and cornered by her father , ill- treated and betrayed by her husband, insulted by the police and rendered destitute by her brother" (p.54)[13] . Quaderi and Islam call her "as a subaltern/ woman resists oppressive and repressive social and political structures. She does not succeed in bringing about any tangible change but puts up a brave

Fight for realizing her dreams. Although she may not consciously have worked for other subalterns, her actions contribute to the emancipation of different kinds of subalterns and there lies her exceptionality" [8]. Soshamma, known as Mammachi, wife of Pappachi and mother of Ammu and Chacko, becomes "an instrument of patriarchal domination". She not only submits herself to patriarchal social norms but also accepts it as ideal and standard for her family and society. Simone De Beauvoir argued in her most famous work, The Second Sex (published in French in 1949; English translation, 1984) that men are able to mystify women [14]. This mystification and stereotyping, she argued, are instrumental in creating patriarchy. She further said that women, in turn, accept this stereotype, and that's how become the instruments of their own oppression. Although both her children are divorcees, Mammachi does not resist her tyrannical and manipulative son. She is concerned to his 'Man's Needs' (p.168) while she is tyrannical to her daughter's affair. Mammachi's complaint against Velutha assists his murder in the hands of the police. She hates the untouchable as a successor of age-old practice, and gives priority family 'reputation' to personal happiness. So, the question arises whether Mammachi is a subaltern or not?

Given the oppressive patriarchal structures the novel shows a woman's social and economic agency is not welcomed, but condemned and undervalued. Pappachi is jealous to Mammachi as she gets attention from others and prosperity in her pickles and jams business. In revenge, he beats her with a brass flower every night. Though Pappachi is an educated person, and behaves like a decent man, he shows his male ego and bourgeois mentality with his wife, at home. Mammachi represents the women in different societies of the world who are being tortured, physically and psychologically, every day, after marriage, by their husbands, irrespective of higher class and lower class and never speak out.

Chacko, Mammachi's son, becomes 'Her Man' (p.168), "Her only love" (p.168) when he stops Pappachi's beating. But she is marginalized by her own son. He takes away the pickle factory, Paradise Pickles &Preserves, from her; as if as a kind of reward of his saving Mammachi from her husband's beating. Chacko replaces her and reclaims the role of the patriarch as it belongs only to the men in the family. Mammachi is made 'a sleeping partner' (p.57). Amitabh Roy comments: "Thus, despite his professed Marxism, Chacko follows Manu and the tradition in asserting the son's domination over mother in old. Mammachi submits to it as such ideas are familiar to her" [15]. "Marginalized by her son in old age and facing an economically disadvantaged position, Mammachi is a subaltern in more than one way" [8]. Navomi Ipe, daughter of Reverend John Ipe, is known as Baby Kochamma. She is responsible for poisoning the minds of Mammachi and Chacko, filing a false case misrepresenting the relationship between Ammu and Velutha, tricking Estha and Rahel, Ammu's children, to give false statement against Velutha, separating the twins by returning Estha to his father and forcing Ammu to leave the house to die alone. Although, she is responsible for Ammu-Velutha and Rahel-Estha's suffering but she is also a victim of gender and race. Baby Kochamma falls in love with the Roman Catholic priest, Father Mulligan. To win his love she converts to the Roman Catholic faith. Her doomed love is not heeded or taken seriously since, in the first place, as a woman she is not in the position of a subject to express her love and secondly, she belongs to colonized and 'inferior' race. Unlike Ammu, she does not try to break the social law and order. She 'resented Ammu, because she saw her quarrelling with a fate that she, Baby Kochamma herself, felt she had graciously accepted. The fate of the wretched Man-less woman. The sad, Father Mulligan –less Baby Kochamma' (p.45).Defying her family she becomes a Roman catholic, just to get close to father Mulligan. In a colonial era, transcending age-old tradition, religion and family lineage, by a woman, just for love, is not a simple enterprise. We can consider her as a predecessor of Ammu in breaking rules, crossing into forbidden territory. Al-Quaderi and Islam opine:

"While it is true that Baby Kochamma does not emblematize any kind Of rebellion against the social order, her love for Father Mulligan does not lead to definite changes in her life, many of which are subversion of the established social order. …………………. …………….marriage, for women. In this case we have to remember that celibacy for women."[8)

Spivak's influential notion of the subaltern notes the power of patriarchy and colonialism where the native woman, because of her within these two structures, cannot enunciate [16]. She argues, the subaltern cannot speak, and is hence 'spoken for'. She remains within the discourse of patriarchy and colonialism. As a colonized woman, she cannot express her love to colonizer, and remains unmarried suppressing her all desire and dream and silencing herself. In this complex fabric of social customs and traditions, Roy locates the tale of two dizygotic twins, Estha and Rahel. Al-Quaderi and Islam call them "subalterns in the sense of being rootless economically, financially, in terms of family, lineage and culture" [8]. They further state "Being deprived of a 'normal' nuclear family, fatherly love and a stable economic base, these two children have to fall back upon each other most of the time" [8]. They are the children of 'intercommunity love marriage', where both the parents belong to different religions (father is a Hindu and mother a Syrian Christian); ethnic communities (their father being a Bengali and mother, a Keralite) and they get divorced when they were only two-year old. When their father's 'drunken violence… begun to include the children . . . Ammu left her husband and returned, unwelcomed to her parents in Ayemenem' (p.42). In their grandfather's house, they were treated as "unwanted". "In the way the unfortunate sometimes dislike the co-unfortunate, Baby Kochamma disliked the twins, for she considered them doomed, fatherless waifs. Worse still, they were Half- Hindu Hybrids, whom no self-respecting Syrian Christian would ever marry. She was keen for them to realize that they (like herself) lived on sufferance in the Ayemenem House, Their maternal grandmother's house, where they really had no right to be" (p. 45). Ammu-Velutha's clandestine love affair not only destroyed their life but also shatters Estha-Rahel's childhood?Estha is sent back to his father; Ammu dies and Rahel remains alone in

Ayemenem. 'The single Siamese soul' (p. 41) twins face the trauma of separation. All these things bring 'abnormal' change in their behavior and nature: they cannot cope up with the world. Estha 'had stopped talking' (p.10). He becomes silent. Rahel has a hard time in school and is expelled three times. The first time, she is caught outside her Headmistress's garden gate decorating a knob of fresh cow dung with small flowers. Later, she is expelled from Nazareth Convent after repeated complaints from senior girls. The second is for smoking. The third time 'for setting fire to her Headmistress's false bun which, under duress, Rahel confessed to having stolen' (p.17

When she finishes schooling, she gets admission into a mediocre college of Architecture in Delhi. 'It wasn't the outcome of any serious interest in Architecture. Nor even, in fact, of a superficial one. She just happened to take the entrance exam, and happened to get through' (p.17). It seems that Rahel is not serious regarding anything, not even marriage. She does not get married out of love or infatuation. 'Rahel drifted into marriage like a passenger drifts towards an unoccupied chair in an airport lounge. With a Sitting Down sense' (p.18). In every society, marriage is considered as sacred and important step, which leads to form family, an elementary element of a society. She is careless regarding this also. While doing her doctoral thesis on Energy Efficiency in Vernacular Architecture, Rahel was married to Larry McCaslin. He finds emptiness in her eyes. 'They behaved as though they belonged to someone else' (p. 19). 'He couldn't be expected to understand …the emptiness in one twin was only a version of the quietness in the other. That the two things fitted together. Like stacked spoons. Like familiar lover's bodies" (p.20). Thus Rahel refuses to be co-opted by any apparatus of society: school, marriage, expected traditional behavior of a girl. Al-Quaderi and Islam comment on Rahel:

"Being, marginalized because of her religion/ community, gender, class and age,
she fits the category of the subaltern………………………………
………………………………………………………., Estha, which
Though an act of personal self-assertion, is also deeply (8)"

Roy gains access to the 'small voice' of the subaltern child through Rahel and critiques Indians fascination of the White. She describes the grand preparations to welcome Sophie Mol, Rahel's cousin halfBritish, which throws light to the peripheral position of the twins in the family. Baby Kochamma, grandaunt of all three children, makes sure that the twins do not speak in Malayalam (the family's native language) but only in English in order to be at their best fluency when they welcome their more privileged half-British cousin. If the twins are caught speaking in Malayalam, they are punished to write 'I will always speak in English, I will speak in English, a hundred times each' (p.36). It's seems like the negation of own culture/ Eastern culture and tries to uphold other's culture/ Western culture as standard. Dwivedi quotes Roy stating in this regard that: "Fifty years after independence, India is still struggling with the legacy of colonialism; still flinching from the cultural insult (and…) we are still caught up in the business of "disproving" the white world's definition to us" (Roy in Dwivedi)[7] . Moreover, Sophie, being Chacko's daughter, holds a special position in the patriarchal framework of the household; she is the only heiress of Ayemenem and Paradise Pickle & Preserves and everything that the Ipe family owns. Even Kochu Maria, the cook, considers she is better than the marginalized twins. She reminds Rahel about Sophie's future role as her employer, thereby underscoring Rahel's inaccessibility to the family fortune and her peripheral identity: 'When she (Sophie) grows up, she'll be our kochamma, and she'll raise our salaries….' (p.175). Even in loss, the white child of the family patriarch is more precious than the brown ones of the divorcee. Even, Chacko, who asserts all the power in Ayemenem house, is a subaltern when he stays in England. His relationship with an English woman can be studied through subaltern point of view. Though Chacko gets higher education from Oxford, Margaret's parents did not approve their marriage because of his being Indian. What Chacko loved most about her was her 'self-sufficiency' (p.245) which is very common to an English lady. Because of his eastern background this becomes a matter of admiration. Eastern women are considered as dependent (economically and in taking decision), timid, family-oriented. That's why when the independent Margaret, the only woman he loves in his life, wants to break up with him

he 'had not exhibited any of the usual symptoms of grief and heartbreak' (p.249) rather he does it with pride "as though he admired her for having divorced him" (p.249). In fine, we can say that Roy presents a pessimistic picture of the society and expresses her disillusionment with the social conditions of the postcolonial world which still control the individual with the pre-colonial rules and regulations; norms and customs. Here the victims are the agents of other victims.

References

[1]"Arundhati Roy, 1959?". The South Asian literary recording project library of Congress. New Delhi Office.15 November 2002. Archived from the original on 4 April 2009.Retrived 6 March 2015.

[2]Roy, Arundhati. Interview by David Barsanian.The Progressive. July 16 2007. Progressive.org/news/2007/07/5078/interview-arundhatiroy(10 July 2015).

[3] Ashcroft, Bill and Gareth Griffiths, Post-colonial studies (Routledge, London and New York, 2000, 216).

[4] "Untouchability",Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Untouchability(July 12, 2015)

[5] Reports of Commission onDalit Christian. http://www.dalitchristians.com/Html/commission.htm (11July 2015)

[6] ArundhatiRoy,The God of Small Things(Penguin, India, 2002).

[7] Dwivedi, O.P, "The Subaltern and the text: Reading Arundhati Roy's The God of Small Things", Journal of Asia Pacific Studies,1(2), 2010, 387-394.

[8] Al-Quaderi, GolamGaus and Mohammad Saiful Islam, "Complicity and resistance: Women in Arundhati Roy's The God of Small Things", Journal of Postcolonial Cultures and Societies, 2(4), December 2011, 62-78.

[9]Prasad, Murari, Introduction. In Murari Prasad (Ed.),Arundhati Roy: Critical perspective (New Delhi, Pencraft International, 2000, p.16).

[10] Roy, Mary, Interview by George Iype.RediffOn the NeT.www.rediff.com/news/sep/18arun.html(August 12, 2015)

[11] Alam, Khushid, "Untouchables" in The God Small of Things.2007. http:// ww.usp.nsus.edu.sg/post/ india/ roy/ alum/html (March 15, 2015)

[12] Bose, Brinda, In desire and in death: Eroticism as politics in Arundhati Roy's The God of Small Things. In Murari Prasad (Ed.),Arundhati Roy: Critical perspective (New Delhi, Pencraft International, 2000)

[13] Roy, Mohit Kumar, "The Mode of assertion adopt by the woman protagonist in Arundhati Roy's novel The God of Small Things". International Journal of Humanities & Social Studies, 2(10), pp.236-239, October 2014. [14] Amitabh Roy, The God of Small Things: A novel of social commitment (Atlantic, New Delhi, 2005, 37-8).

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JUL. TO SEP., 2020) VOL. 3 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

PHYSICAL SCIENCE

TE01 mode in optical fiber

❐ Dr. Dinesh Kumar

ABSTRACT

TE01 loss smaller than that of the other modes is very important for the transmission properties of optical fiber and is used effectively for low-loss power transport through waveguides over large distances. TE01 mode has the largest confinement for all values of R and approaches to 100% at a faster rate than the other modes. This can be compared with other modes. So data (figures, tables, charts......) carrying ability of the optical fiber communication system link in TE01 mode is higher incomparision with to other modes.

Keyword : TE01 mode, Optical fiber, Communication link, Optical frequency.

Introduction

Dielectric wave guide composed of a central core having one index of refraction surrounded by a region of lower index of refraction has been known from many years. The optical fibers dielectric wave guides with core and cladding composed of two glasses have become common last many years, but optical fiber as communication were guides appeared only in the last few years. Both single mode and multimode fibers are expected to be useful in electrical communication. Single mode fibers are connected with laser sources, where as multimode fibers use a light emitting diode source. Optical fiber may prospectively be used. Where ever co-axial lines are used now-a-days. Advantages relative to the copper guides include more bandwidth, insensitivity to temperature and small physical size.

Disadvantages include the need for new field particle in handling and inability for carry direct current for out-of-band signally control. However, those hybrid mode have certain disadvantages as compared to a pure modes like HE01 mode. The losses in glass fibers wave guides at optical frequencies are very small so it attracts the attention of physicists.

Since optical waves transmits in a fiber are equidistance to the axis of the fiber core, so there is variation of E and B fields in transverse direction modes occur in fibers to confine light waves in optical fiber. As micro waves propagate in a wave guide in the same manner optical fiber propagates through optical fiber at a much higher frequency. The TE01 mode is the lowest loss mode of the fiber. Its low-loss property is due to the azimuthally polarization which causes the field to be zero at the metal boundary. The TE01 mode is different from the other four modes in which its electric field energy density has a mode near the cave mirror interface. This is true in general for all modes of same symmetry and this mode is shown. In fact TE01 mode is the lowest loss mode in a metal waveguide due to the presence of a mode in the electric field at the metallic wall.

* Department of Physics, B.R.A.Bihar University, Muzaffarpur, Bihar, India
E-mail : dineshdevanshu1978 @gmail.com

This mode is the functioning modes for the higher distance communication lines. TE01 modes have the largest confinement for all values of R. Furthermore, its confinement in the core approaches 100% at a faster rate than the other modes. The penetration of the TE01 field into the multilayer configuration is very well approximated by a 1/R3 dependence. Another cause for the less losses of the TE01 mode is the fact that this mode is confined in the core only by the TE gap. The fact that the TE01 loss is smaller than that of the other mode is very important for the transmission properties of the optical fiber. Even if several modes are excited at the input of a waveguide after a specific distance only the TE01 mode will retain in the waveguide. This loss induced modal discripency results in an effectively single, mode working in a waveguide that helps many modes. The 1/R3 dependence of the TE01 dissipation loss is due to the presence of a mode in the electric field of this mode near the junction between the hollow core and the first layer of the dielectric mirror.

Development

For actual approach, it is of interest to recognize the losses linked with the distinct modes of the waveguide. Metallic waveguides were the subject of intensive research aimed at utilizing them for long-distance optical communications. It is found that the TE01 mode is the lowest-loss mode in a metal waveguide. It is due to the presence of a node in the electric field at the metallic wall. This mode was the working mode for the long-distance communication lines. It is designed by the Bell Laboratories prior to the advent of silica fibers. In the remaining part of this paper, we examine some of the properties of the TE01 mode in the OmniGuide fiber.

We plot the confinement in percent of the electromagnetic energy in the core for the TE01, TM01, and HE11 modes as a function of the core radius for a fixed frequency ?=0.256(2?/a). As shown, the TE01 mode has the greatest confinement for all values of R. Furthermore, its confinement in the core approaches 100% at a faster rate than the other modes. The penetration of the TE01 field into the multilayer structure is very well approximated by a 1/R3 dependence. We present a justification for the 1/R3 dependence in the Appendix. A fit to the actual data points (open circles) is shown in Fig. 1 as a solid red line. The TM01 confinement proceeds towards 100% at a much slower rate. A fit with a 1/R3 dependence is shown as a solid blue line. The HE11 mode has a combined polarization and has a more complicated variation with the core radius. However, the rate at which its confinement proceeds 100% is less than that of the TE01 mode.

In the right panel of Fig. 1, we plot the attenuation coefficient caused by dissipation losses for the three modes. (We suppose that the non conductor mirror has sufficient layers such that the radiation reduction are minor). We assume the core of the waveguide is lossless, while the matter in the non conducting mirror have a dissipation coefficient of 100 dB/km (chosen to much larger than the loss of silica). Even with such lossy materials in the dielectric mirror, the loss of the TE01 mode is little than

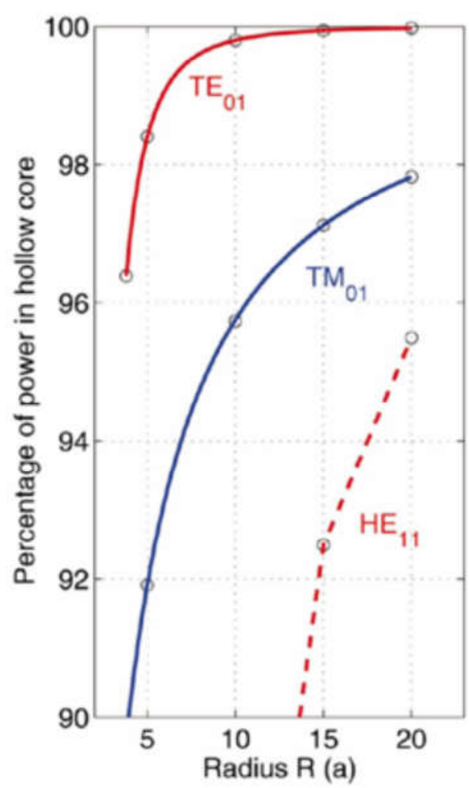

Fig. 1 : The figure shows that TE01 mode has the largest captivity for all values of R and proceeds to 100% at a higher rate than the other modes that establishes its characteristics.

the loss of silica fibers (0.2 dB/km) if the core radius R is larger than ?8a. This is because the dissipation loss for, (=1,2, . . .) modes decreases as 1/R3. This general result is a consequence of the presence of a node in the electric field near the core-mirror interface. We present a comprehensive detailed explanation in the Appendix. Here we note that while the silica fiber has a very low loss only for wavelengths near ?=1.55 ?m, the OmniGuide fiber can be composed to have a very low loss in the domain of any required wavelength, from infrared to visible wavelengths.

Result & Discussion

TE01 is the lowest-loss mode within the , family of modes. From the derivation presented in the Appendix one can show that the loss of a , mode is proportional to the square of the transverse wave vector in the core, kT,core. This implies a monotonic increase of the loss with the order . In specific, the loss of TE02 is approx 3.3 times greater than that of TE01 for almost all frequencies and core radii.

For modes other than the , modes, the absence of the node in the electric field near the core-layer interface results in more penetration of the field into the cladding, and also distinct scaling laws for the R dependency. Turning back to Fig. 1, we see that the TM01 dissipation loss follows exactly a 1/R dependence (solid blue line), while the loss of HE11 has some intermediate dependence with a slope that approaches 1/R for large R.

Another reason for the low losses of the TE01 mode is the fact that this mode is confined in the core only by the TE gap. TM modes and mixed modes have a component that is confined by the weaker TM gap, and thus they penetrate deeper into the multilayer cladding.

The fact that the TE01 loss is smaller than that of the other modes is very important for the transmission properties of OmniGuide fibers. Even if several modes are excited at the input of a waveguide, after a certain distance only the TE01 mode will remain in the waveguide. This loss produced modal distinction results in an successfully single-mode action in a waveguide that assists many modes. In our analysis, we assumed that the number of layers in the dielectric mirror is large enough such that radiation losses can be neglected. By choosing the number of layers relevantly, the loss produced modal discrepancy can be further increased since the radiation losses are also the smaller for TE01.

While the radiation and involvement losses of the TE01 decrease considerably when the core radius is increased, the analysis of attenuation in a practical waveguide necessitates the assumption of other loss mechanisms. In particular, the loss of the TE01 mode is increased by coupling to other resonant modes or to cladding modes due to deviations from a straight and perfect waveguide.

Conclusion

We recognized the TE01 mode as the low-loss mode in the dielectric waveguide. It was the case for the metal waveguide. It is hoped that the analogy developed in this paper has provided an inherant understanding of the modal configuration of fiber and could be applied to the design of transmission lines or optical devices based on this type of fiber. As the loss is minimum information carrying capacity of the optical fiber communication l ink will be higher to meet our today’s demands.

Acknowledgement

The author wants to express special thanks to Dr. (Mrs.) Taran Kumari, Associate Professor in University Department of Physics and former Head, University Department of Electronic Science, B. R. A. Bihar University, Muzaffarpur, Bihar who supervised the research paper in present form.

References:

1. Optical fiber communications, fourth edition,McGrow- Hill, Gerd Keiser.

2. A.B. Carlson, communication system © 1986, McGrow- Hill Book Company.

3. Gerd Keiser, "Optical fiber communications", Tata McGraw Hill, Fourth Edition, Sixth Repring, 2009

4. John M., 'Optical Fiber Communications Principles and Practice', Senior 2009.

5. Andrey A. Sukhorukov, Alexander S. Solntsev, Sergey S. Kruk, Dragomir N. Neshev, and Yuri S. Kivshar, Physics Optics, 1309, 2807, Spt., 2013.

6. Antoine F. J. , Rumge, Claude Aguergaray, Richard Provo, Miro Erkintalo, Neil G. R. Broderick, Optical Fiber Technology, Elsevier,20 issue 6, December, pp 657-665, 2014.